मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी यानी ऐक्ट १० सन् १८८२ ई०॥

१५ सितम्बर सन् १८८१ ई० तककी तरमीमोंकेसाथ

जो

लेजिसलेटिफ़ डिपार्टमेण्ट से मय उन बयानात के जिनसे वह तन्सीखात व तरमीमात जो उस तारीख तक कीगई हैं और वह इज़लाअ मुन्दर्जै फ़ेहरिस्त जिनमें मजमूआ मज़कूर नाफ़िज़ुल् अमल है — ज़ाहिर होंगे

वही मजमूआ सन् १८६० ई० में गवर्नमेण्ट ने ज़बान उर्दू में मुश्तहर किया

और वास्ते आम फ़ायदे के तर्जुमा होकर छपा था अब आखिर सन् १८९१ ई० तक बाबू वासुदेवलाल एम, ए वकील हाईकोर्ट के द्वारा तरमीम होकर [illegible]

तीसरी बार

लखनऊ

मुंशी नवलकिशोर (सी, आई, ई) के छापेखाने

जौलाई सन् १८९४ ई०

तनसीख़ात व तरमीमात का बयान ॥

१--आमतनसीख़ात व तरमीमात ॥

[म]ुज्व्रन् मंसूखहुआ	ऐक्ट १३ सन् १८८१ ई०,
[म]ुज्व्रन् मंसूखहुआ और तरमीमहुआ ...	ऐक्ट३ सन् १८८४ ई०,
	ऐक्ट ४ सन् १८९१ ई०,
	ऐक्ट १२ सन् १८६१ ई०,
[त]रमीमहुआ	ऐक्ट १० सन् १८८६ ई०-- दफ़ा १ से दफ़ा १९--तक
	ऐक्ट ५--सन् १८८७ ई०,
	ऐक्ट १४ सन् १८८७ ई०- दफ़ा ७८,
	ऐक्ट १--सन् १८८६ ई० दफ़ा ७--,
	ऐक्ट ११--सन् १८८९ ई०- दफ़ा १७--,
	ऐक्ट ३-सन् १८९१ ई०-- दफ़ा १--,

२--तनसीख़ात व तरमीमात मुक़ामी,

जुज्व्न् मंसूखहुआ-(उनमुक़ामातमें जहां--यह ऐक्ट वसअ़त पिज़ीरहो)	ऐक्ट५ सन् १८७६ई०- दफ़ा२--और दफ़ा ३- मजमूआ मजकूरकी,
तरमीमहुआ ... (जज़ायरइंडमनवनिकोवर)	क़ानून ३--सन् १८७६ ई०-

दफा १३-(जैसी कि उसकी क़ानून १- सन् १८८४ ई० की दफा ३ की रूसे तरमीम हुई),

(आशाम) . . क़ानून २ सन् १८८३ ई०--दफा ४,

(अपरब्रह्मा) . . { क़ानून ७ सन् १८८६ ई०--दफा २--और ज़मीमा, और क़ानून १४ सन् १८८७ ई०-दफा ४,

(लोवरब्रह्मा) . . ऐक्ट ३ सन् १८८६ ई०-दफा ५-(कब और कहां वसअतापिज़ीरहुआ),

(इज़लाअ सरहद्दीपंजाब) क़ानून ४ सन् १८८७ई०-दफात ७-व-६-व ३७-(२) व ४६,

जुज्वन्मंसूख और (मदरास)....ऐक्ट ५ सन् १८८६ ई०--तरमीम हुआ, दफा ४,

तरमीमहुआ....(मुमालिक मग़र्बी व शिमाली व अवध) ऐक्ट १५सन् १८८३ई०-दफा५७,

मुमालिक मुतवस्तः.... ऐक्ट सन् १८८९ ई०--दफा ८,

फ़ेहरिस्त मजामीन ऐक्टहाजा

हिस्सा अव्वल ॥

तमहीद ॥

बाब–१ ॥

हिस्सा दोम ॥

फ़ौजदारी अदालतों और सरिश्तोंका तकरूर, और उनके अख्तियारात ॥

बाब–२ ॥

फ़ौजदारी अदालतों और सरिश्तों का तकरूर ॥

दफ़ात

बाब--३ ॥

अदालतों के अख्तियारात ॥

बाब--५ ॥

बाबत गिरफ्तारी और फरार और गिरफ्तारी मुकर्रर ॥

(अलिफ) अमूमन् बाबत गिरफ्तारी ॥

दफ़ात

(जीम)—इश्तहार और कुर्की ॥

८७ इश्तहार मुतअल्लिक शख़्स मफ़रूर के ॥
८८ शख़्स मफ़रूरकी जायदादकी कुर्की ॥
८९ जायदाद कुर्क शुदहका वापिसकरदेना ॥
(दाल)—दीगरक़वाअद मुतअल्लिके हुक्मनामजात ॥
९० इजराय वारंट सम्मनके एवज या अलावह सम्मनके ॥
९१ हाज़िरीके लिये मुचल्लिका लेनेका अख़्तियार ॥
९२ गिरफ्तारी हाजिरीके मुचलिका के खिलाफ करनेपर ॥
९३ इसबाबके एहकाम अमूमन सम्मन और वारंट गिरफ्तारी कीनिस्बत तअल्लुकपिजरिहोंगे ॥

बाब—७ ॥

बाबत हक्म नामजात वास्ते जबरन् हाजिर कराने दस्तावेजात और दीगर जायदाद मन्कूलाके—और वास्ते इनकिशाफहाल उन अशखासके जो बतौर बेजा मुक़य्यद कियेगयेहों ॥

(अलिफ़)—सम्मनवास्ते हाज़िर करने किसीशैके ॥
९४ सम्मन वास्ते पेशकरने दस्तावेज या दीगर शैके ॥
९५ जाबिता दरख़सूस ख़तूत और टेलीग्रामके ॥
(बे)—वारंट तलाशी ॥
९६ कब वारंट तलाशी सादिर कियाजासक्ता है ॥
९७ वारंटके रोकनेका अख़्तियार ॥
९८ तलाशी उसमकानकी जिसमें मालमसरूका या दस्तावेजात जाली वग़ैरहके रहनेका शुभहहो ॥
९९ कार्रवाई उन अशियाकी निस्बत जो इलाका अख़्तियार के बाहरतलाश में पाईजायें ॥

दफ़ात

(जीम)-इनकशाफ़हाल उन अशखासका जो बतौरबेजा मुक़य्यद कियेगयेहों ॥

१०० तलाशउनअशखासकी जोबतौर बेजामुक़य्यदकियेगयेहों ॥

(दाल)--अहकाम आम बाबत तलाशी ॥

१०१ वारंट तलाशी की निस्बत हिदायत वगैरह ॥

१०२ उनलोगों को जो बंदमुकाम के मुहतमिमहों चाहिये कि तलाशी लेनेदें ॥

१०३ तलाशी गवाहों के रूबरू ली जायेगी ॥

उसमुकामका रहनेवाला जिसकी तलाशी लीजाय हाजिर होसक्ताहै ॥

(हे)-मुतफ़र्रिक़ात ॥

१०४ दस्तावेज वगैरह जोपेशहो उसकेजब्तकरनेकाअख्तियार ॥

१०५ मजिस्ट्रेट अपने रूबरू तलाशीलिये जानेके लिये हिदायत करसक्ताहै ॥

हिस्साचहारुम ॥

इन्सदाद जरायम ॥

बाब-८ ॥

बाबत जमानत हिफ्ज अमन और नेकचलनी ॥

(अलिफ)--जमानत हिफ्जअमन बाद सुबूत जुर्म ॥

१०६ ज़मानत हिफ्ज़अमन बाद सुबूत जुर्मके ॥

(बे)-जमानत हिफ्जअमन बमुकद्दमात दीगर व जमानत नेकचलनी ॥

१०७ जमानत हिफ्जअमन और और सूरतों में ॥

१०८ जाबिताकारवाई उस मजिस्ट्रेटवगैरहका जोतहतदफा१०७ कारगुजार होनेका अख्तियार नहीं रखताहै ॥

१०९ जमानत नेकचलनी की आवारह गरदों और उन शख्सोंसे जिनपर शुभहहो ॥

दफ़ात

बाब—९ ॥

मजमा हाय खिलाफ़ कानून ॥

१२७ मजिस्ट्रेट या अहल्कार पुलिस के हुक्म के मुताबिक़ मजमाका मुंतशिर होना ॥

१२८ दीवानीकूवतका इस्तैमालमें लाना मुंतशिर करनेके लिये ॥

१२९ कूवत फौजी का इस्तैमाल में लाना ॥

१३० उसअफ्सर सिपाहका लाजिमा खिदमत जिसको मजिस्ट्रेट मजमा के मुंतशिर करदेने के लिये कहे ॥

१३१ कमीशन याफ्ता फौजी अफ्सरोंका अख्तियार दरबारह मुंतशिर करने मजमा के ॥

१३२ मुमानिअत इरजाअ नालिश बइल्लत उनअफ़आल के जो हस्ब बाब हाजा वकूअमें आयें ॥

बाब—१० ॥

उमूर बाअस तकलीफ़ खलायक ॥

१३३ हुक्म बिल्शर्त वास्ते दफा करने उमूर बाअसतकलीफके ॥

१३४ हुक्मका जारी या मुश्तहर करना ॥

१३५ उस शख्सको उसहुक्म की तामील करना चाहिये जोउस के नाम सादिर हो या वह वजह दिखाये या जूरी की इस्तदुआ करे ॥

१३६ अदम तामीलहुक्म मज़कूर का नतीजा ॥

१३७ जाबिता जब वह हाजिरहोकर वजह जाहिरकरे ॥

१३८ जाबिता जब वहजूरी के लिये इस्तदुआकरे ॥

१३९ जाबिता जब कि जूरीमजिस्ट्रेटके हुक्मको माकूलसमझे ॥

१४० जाबिता जब कि हुक्म नातिक़ करदियाजाय ॥

उदूल हुक्मी के नतायज ॥

१४१ जाबिता जब कि जूरी न मुक़र्रर कीजाय या जूरी अपनी राय जाहिर न करे ॥

दफ़ात

१४२ हुक्म इम्तनाई ताजमान तहक़ीकात ॥
१४३ माजिस्ट्रेट उमूर बाअ़स तकलीफ आमके मुक़र्रर करतेरहने
से मना करसक्ता है

बाब -११ ॥

अहकाम चन्दरोजह बमुकद्दमात जरूरी उमूर बाअ़स तकलीफ़ खलायक ॥

१४४ जरूरी मुकद्दमात उमूर बाअस तकलीफ खलायकमें यक़सर
हुक्मनातिक सादिर करने का अख़्तियार ॥

बाब- १२ ॥

नजाअ़त बाबत जायदाद गैरमन्क़ूला ॥

१४५ जाबिता जब कि नजाअ मुतअल्लिक अराजी वगैरह से
अमन में फ़ितूर पड़ने का एहतमालहो ॥
तहक़ीकात दरखुसूसकब्जाके ॥
जिसका कब्जाहै वह काबिज रहेगा जबतक कि कानूनन्
उसको बेदखल न कियाजाय ॥
१४६ शैमुतनाजाके कुर्क करने का अख़्तियार ॥
१४७ तनाजआत मुतअल्लिक हक आसायश वगैरहके ॥
१४८ तहक़ीकात मुकामी ॥
हुक्म दरखसूसखर्चाके ॥

बाब- १३ ॥

पुलिसका अमल इन्सदादी ॥

१४९ पुलिसका अख़्तियार दरबारह इन्सदाद जरायम काबिल
दस्तन्दाजी के ॥
१५० वैसे जुर्मोंके इर्तिकाबकी नीयतकी इत्तिलाअ ॥
१५१ वैसे जुर्मोंके इन्सदादकेलिये गिरफ्तारी ॥
१५२ सरकारी जायदादके नुक्सान पहुंचानेका इन्सदाद ॥
१५३ बाटों या पैमानोंका मुआयना ॥

दफ़ात

हिस्सा पंजुम ॥

पुलिसको इत्तिलाअ पहुंचाने और पुलिसके अख्तियारात तफ्तीशका बयान ॥

बाब--१४ ॥

दफ़ात

१७० मुकद्दमा मजिस्ट्रेटके पास भेजाजायेगा जब सुबूतकाफीहो॥

१७१ मुस्तगीसों और गवाहोंको अहल्कार पुलिसके साथजाने का हुक्म नहीं होगा॥
मुस्तगीसों और गवाहोंपर तशद्दुद नहीं कियाजायेगा॥
नाफ़रमान मुस्तगीस या गवाहको हिरासतमें करके भेज दिया जासक्ता है॥

१७२ तफ़्तीशकी कार्रवाइयोंका रोजनामचा॥

१७३ अफ्सर पुलिसकी रिपोर्ट॥

१७४ पुलिस खुद्कुशी वग़ैरहकी तहक़ीक़ात और रिपोर्ट करेगा॥

१७५ लोगोंको तलबकरने का अख्तियार॥

१७६ वजह मर्गकी तहक़ीक़ात बजरिये मजिस्ट्रेटके॥
जमीन खोदकर लाशनिकालनेका अख्तियार॥

हिस्सा शशुम॥

कारवाई हाय मुतअल्लिके नालिशात॥

बाब--१५॥

अख्तियारात अदालत हाय फौजदारी दरबारह तहक़ीक़ात व तजवीज॥

(अलिफ)--मुकाम तहक़ीकात या तजवीज़॥

१७७ तहक़ीक़ात और तजवीज का मामूली मुक़ाम॥

१७८ मुख्तलिफ़ किस्मत हाय सिशनमें तजवीज मुकद्दमातके लिये हुक्मकरनेका अख्तियार॥

१७९ मुल्जिम के मुक़द्दमे की तजवीज उसजिलामें होसक्ती है जहां फ़ेल या नतीजा वकूअमें आयाहो॥

१८० मुकाम तजवीज जब फ़ेल इस वजहसे जुर्म है कि वह और जुर्म से तअल्लुक़ रखता है॥

१८१ ठगहोना या डाकुओं की किसी जमाअत का शरीक होना या हिरासत से मफ़रूर होना वग़ैरह॥

दफ़ात

तसर्रुफ़ मुजरिमाना और खयानत मुजरिमाना ॥
चोरी करना ॥

१८२ तहकीकात या तजवीजका मुकाम जब कि मौक़ा जुर्म ग़ैर मुतहक़्क़िक़ हो या सिर्फ एकज़िला में न हो ॥
या जब जुर्म अलुलइत्तिसालहोताजाय या चंदअफ़आल पर मुश्तमिल हो ॥

१८३ जुर्म जब सफ़र में सरज़दहो ॥

१८४ जरायम बरखिलाफ़ हुक्म ऐक्ट हाय मुतअ़ल्लिक़ै रेलवे और टेलीग्राफ और डाकखाना और अस्लहहके ॥

१८५ शुभाहोनेकी सूरतमें हाईकोर्ट ठहरादेगी कि किसजिलामें तहकीकात या तजवीज होनी चाहिये ॥

१८६ सम्मन या वारंट जारी करने का अख्तियार बइल्लत उस जुर्मके जो इलाका अख्तियारके बाहर वकूअमें आयाहो ॥
गिरफ्तार होनेपर मजिस्ट्रेटका जाबिता काररवाई ॥

१८७ जाबिता जब कि वारंट अजतरफ़ मजिस्ट्रेट मातहत के जारीहो ॥

१८८ रिआयाय बृटानियाकी माखूजी उनजुर्मों की बाबत जो बृटिशइंडियाके बाहर सरजदहों ॥
पोलीटिकल एजंट तसदीक करेगा कि इल्जाम लायक तहकीकातहै ॥

१८९ यह हिदायत करने का अख्तियार कि नक़लैं गवाहों के इज़हारात यां दस्तावेजातकी वजह सुबूतमें मक़बूलहों ॥

१९० "पोलीटिकल एजण्ट" की तारीफ़ ॥
(बे)--शरायत जो वास्ते शुरूकरने काररवाईके जरूर हैं ॥

१९१ जुर्मों की समाअत मजिस्ट्रेट के रूबरू ॥

१९२ इन्तकाल मुक़द्दमात मजिस्ट्रेटोंके ज़रियेसे ॥

१९३ समाअत जरायम अदालतहाय सिशनमें ॥

बाब-१६ ॥

बाबत इस्तगासा बहुजूरमजिस्ट्रेट ॥

बाब--१७ ॥

बाबत शुरू काररवाईरूबरूय मजिस्ट्रेट ॥

दफ़ात

२०५ मजिस्ट्रेट मुल्ज़िम को असालतन् हाजिर होनेसे मुआफ़ रखसक्ताहै ॥

बाब-१८ ॥

बाबत तहक़ीकात मुतअल्लिकेउनमुक़द्दमातके जो अदालतहायसिशन याहाईकोर्टकी तजवीजके लायकहैं ॥

२०६ तजवीज के लिये सिपुर्द करनेका अख्तियार ॥
२०७ जाबिता उनतहक़ीक़ातमें जोक़ब्ल सिपुर्दगीकेहों ॥
२०८ लेनासुबूत का जोपेशकियाजाय ॥
हुक्मनामा वास्ते पेशकरने सुबूत मजीद के ॥
२०९ कब शख्स मुल्जिमकी रिहाई होगी ॥
२१० कब फर्द करारदाद ज़ुर्म तैयार होगी ॥
फर्द मुल्ज़िमको समझाईजायगी और नक़ल मुल्ज़िमको दी जायगी ॥
२११ सफाई के गवाहों की फेहरिस्त तजवीज़ के वक़्त ॥
फेहरिस्त मजीद ॥
२१२ मजिस्ट्रेटकाअख्तियार दरबारहलेनेइजहार वैसेगवाहों के ॥
२१३ हुक्म सिपुर्दगी ॥
२१४ वहशख्स जिसपर प्रेजीडंसी शहरोंकेबाहर रअय्यत वृटानिया अहलयूरुपके शामिलइल्जाम लगायाजाय ॥
२१५ सिपुर्दगी तहत दफ़ा २१३ या २१४ का मुस्तर्दहोना ॥
२१६ सफाईके गवाहोंको तलबकरना जब कि मुल्ज़िम सिपुर्द कियाजाय ॥
गैरजरूरी गवाहके तलबकरने से इनकारकरना इल्ला जब कि रुपया अमानत करदियाजाय ॥
२१७ मुस्तगीसों और गवाहों के मुचलिके ॥
हिरासतमेंरखना जबकि हाजिरहोने या मुचलिकादेने से इन्कार कियाजाय ॥

दफ़ात

२१८ सिपुर्दगीकी इत्तिला कब दीजायगी ॥
फर्दकरारदाद जुर्मवगैरह हाईकोर्ट या अदालत सिशनमें भेजदियाजायगा ॥
अंगरेजी तर्जुमा हाईकोर्टमें भेजदियाजायगा ॥
२१९ गवाहान मजीदके तलबकरनेका अख्तियार ॥
२२० दौरान तजवीजमें मुल्ज़िमको हिरासतमें रखना ॥

बाब--१९ ॥

बाबत फर्दकरार व जुर्मके नमूना हाय फर्दकरारदादजुर्म ॥

२२१ फर्द क़रारदाद जुर्ममें जुर्म लिखाजायगा ॥
जुर्मका खासनाम बयानकाफीहोगा ॥
जबजुर्मकाकोई खासनामनहो तो क्योंकरबयानहोगा ॥
फर्द करारदाद जुर्मसे कनायतन् क्या मफहूमहोगा ॥
फर्द करारदाद जुर्म किसजबानमें होगी ॥
कबसजायाबी साबिककी तसरीह कीजायगी ॥
२२२ तफ्सील बाबत वक्त और मौक़ा और शख्सके ॥
२२३ कबइर्त्तिकाब जुर्मके तौरका बयानकरना जरूरहै ॥
२२४ फर्दकरारदाद जुर्मके अल्फाजके मानी उसकानूनके मानोंके मुवाफिक समझेजायँगे जिसकी रूसे वह जुर्म लायक सजाहो ॥
२२५ गल्तियोंका असर ॥
२२६ जाबिता सिपुर्दहोनेपर बिदून फर्द क़रारदाद जुर्मके या बजरिये नाक़िस फर्दक़रारदाद जुर्मके ॥
२२७ फर्द करारदाद जुर्मको अदालत तब्दीलकरसक्ती है ॥
२२८ कब बाद तब्दीलके तजवीज फौरन् अमलमें आसक्तीहै ॥
२२९ कब तजवीज जदीदका हुक्मदियाजासक्ताहै या तजवीज मुल्तवी रहसक्तीहै ॥
२३० मुकद्दमा का मुल्तवीरहना अगर तब्दीलशुदह फर्द करार-

दफ़ात

दाद जुर्ममें उसजुर्मकी बाबत नालिशकरनेके लिये पेश्तर मंजूरी दरकार हो ॥

२३१ गवाहों को फिर तलब करना जब कि फर्द करारदाद जुर्म तब्दील की जाय ॥

२३२ संगीन गल्ती की तासीर ॥

चंद इल्जामातका मअमूल ॥

२३३ अलाहिदा२ फर्दकरारदाद जुर्म हरजुर्म जुदागानाकीबाबत ॥

२३४ जब तीन जुर्म एकही किस्मके एकसालके अन्दर वकूअमें आयें तो उनकाइल्जाम एकशामिल आयदकियाजायगा ॥

२३५ १--एकसे जियादह जुर्मों की बाबत तजवीज ॥
२--वह जुर्म जो दोतारीफ़ों के अंदर आये ॥
३--वह अफआल जो एक जुर्महों मगर उनका मजमूआ दूसरा जुर्महो ॥

२३६ जब कि मुश्तबह हो कि कौनसा जुर्म सरजद हुआ है ॥

२३७ जब कि किसी शख्सपर एक जुर्मका इल्जाम लगायाजाय तो उसको दूसरे जुर्मका मुजरिम ठहराया जासक्ता है ॥

२३८ जब कि वह जुर्म जो साबित हुआ है उस जुर्म में शामिल हो जिसका इल्जाम लगाया गया है ॥

२३९ किन किन शख्सोंपर बिलइश्तराक इल्जाम लगाया जासक्ता है ॥

२४० चंद इल्जामोंमेंसे एक इल्जामपर मुजरिम ठहरने पर बाकी इल्जामों से दस्तबरदार होना ॥

बाब--२० ॥

तजवीज मुकद्दमातकाबिल इजरायसम्मन मारफत साहबानमजिस्ट्रेट ॥

२४१ मुकद्दमात काबिल इजराय सम्मनमें जाबिता ॥

२४२ इल्जामका मजमून बयान कर दिया जायगा ॥

२४३ इल्जामके सहीह होनेके अकबाल पर सुबूतजुर्म ॥

दफ़ात

२४४ जाबिता जब कि कोई वैसा अकबाल न कियाजाय ॥

२४५ बरीयत ॥

हुक्मसजा ॥

२४६ तजवीज नालिश या सम्मनके बाअससे महदूदनहींहोगी ॥

२४७ मुस्तगीसका न हाजिरहोना ॥

२४८ इस्तगासा से दस्तकशहोना ॥

२४९ काररवाईकेमौकूफकरने का अख्तियारजबकिमुस्तगीसनहो॥

२५० [मंसूखहो गई]

बाब--२१ ॥

तजबीज मुकद्दमात काबिल इजराय वारंट बहुजूर मजिस्ट्रेट ॥

२५१ जाब्ता मुकद्दमात काबिल इजराय वारंट में ॥

२५२ सुबूत नालिशकी बाबत ॥

२५३ मुल्जिमकी रिहाई ॥

२५४ फर्दकरार दाद जुर्मका मुरत्तिबकरना जब कि जुर्मकासाबित होना मालूम होता हो ॥

२५५ अकबाल जुर्म ॥

२५६ जवाब ॥

२५७ हुक्मनामा वास्ते जबरन् पेशकराने सुबूतके हस्ब दर्ख्वास्त मुल्जिम ॥

२५८ बरीयत ॥

सुबूतजुर्म ॥

२५९ मुस्तगीसकी गैरहाजिरी ॥

बाब--२२ ॥

बाबत तजवीज सरसरी ॥

२६० तजवीज सरसरीका अख्तियार ॥

दफ़ात

२६१ उनमजिस्ट्रेटों के बेंचको अख्तियार अताकरना जिनको कमतर अख्तियार बख्शा गया है ॥

२६२ मुकद्दमात लायक इजराय सम्मनमें और मुकद्दमात लायक इजराय वारंटमें जाबिता जो मुतअल्लिक होसकेगा ॥

कैदकी हद ॥

२६३ रिकार्ड उन मुकद्दमातमें जिनका अपील न हो ॥

२६४ रिकार्ड उन मुकद्दमातमें जो लायक अपीलहों ॥

२६५ रिकार्ड और तजवीज किस जबान में लिखीजायेगी ॥

क्लार्कके मामूरकरनेकेलिये बेंचको अख्तियार दिया जासक्ताहै ॥

बाब--२३ ॥

बाबत तजवीज़ मुकद्दमात बहुजूर हाईकोर्ट और अदालत सिशन ॥

(अलिफ)--इब्तिदाई ॥

२६६ हाईकोर्ट की तारीफ ॥

२६७ हाईकोर्टके रूबरू तजवीजात बजरिये जूरीके होंगी ॥

२६८ अदालत सिशनकेरूबरू तजवीजात बजरिये जूरी या बशिरकत असेसरों के होंगी ॥

२६९ लोकल गवर्नमेण्ट हुक्मकरसक्ती है कि अदालत सिशन के रूबरू तजवीजात बजरिये जूरीके हों ॥

२७० हरमुकद्दमा में नालिशकी काररवाई मारफत किसी पैरोकार सरकारी के होगी ॥

(बे)--आगाज काररवाई ॥

२७१ शुरूअ तजवीज ॥

जवाब मुशअर मुजरमियत ॥

२७२ जवाब देने से इन्कार करना या तजवीज किये जाने का दावा करना ॥

एकहीजूरी या एकही जमाअत असेसरानके जरिये से चन्द

दफ़ात

मुलज़िमोंकीतजवीज यकेबाद दीगरे अमलमेंआसक्तीहै ॥

२७३ फ़र्द करारदाद जुर्म में इल्जाम गैरकाबिल सुबूतका मुंदर्ज होना ॥

इन्दराज की तासीर ॥

(जीम)–बाबत इन्तिखाब जूरी ॥

२७४ अहालीजूरीकी तादाद ॥

२७५ जूरी वास्ते तजवीज उन अशखास के अदालत सिशनके रूबरू जो अहल यूरुप या अहल अमरीका न हों ॥

२७६ अहालीजूरी बजरिये कुरआ अन्दाजी के मुन्तखिब किये जायेंगे ॥

मौजूदह तरीकेका बरकरार रहना ॥

जो अशखास तलब न कियेजायें वह कब मुस्तहकहोंगे ॥

खास अहालीजूरीके रूबरू तजवीजात ॥

२७७ अहालीजूरीके नाम पुकारेजायेंगे ॥

अहालीजूरीकी निस्बत एतराज ॥

एतराज बिला पेशकरने वजूहके ॥

२७८ एतराजकी वजूहात ॥

२७९ एतराजका फैसला ॥

उस अहलजूरीकी जगहपर जिसकी निस्बत एतराज किया जाय औरशख्सका मामूरहोना ॥

२८० अहालीजूरीका मीरमजलिस ॥

२८१ अहालीजूरीको हलफदेना ॥

२८२ जाबिता जबकि अहलजूरी हाजिर न हो वगैरह ॥

२८३ कैदीकी बीमारीकी सूरतमें जूरीको रुख्सतकरदेना ॥

(दाल)—इन्तिखाब असेसरान ॥

२८४ असेसरान क्योंकर मुन्तखिब कियेजायेंगे ॥

२८५ जाबिता जबकि असेसर हाजिर न होसके ॥

२८६ शुरू पैरवी इस्तगासा ॥

दफ़ात

गवाहोंका इजहार ॥

२८७ मजिस्ट्रेट के रूबरू इजहार शख्स मुल्जिम का वजह सुबूतहोगा ॥

२८८ तहकीकात इब्तिदाईमें जोशहादतगुजरे वह मकबूलहोगी॥

२८९ जाबिता बाद इजहार गवाहान जानिबमुस्तगीसके ॥

२९० जवाब ॥

२९१ मुल्जिम का इस्तेहकाक दरखसूस इजहार और तलबी गवाहों के ॥

२९२ पैरोकार नालिश का हक़ जवाब ॥

२९३ अहालीज़ूरी या असेसरों का मुआयनाकरना ॥

२९४ अहलज़ूरी या असेसर का इजहार लियाजाना ॥

२९५ ज़ूरी या असेसरों का उस इजलासमें हाजिर होना जिसपर तजवीज मुल्तवीरहे ॥

२९६ अहालीज़ूरी को बंद रखना ॥

(बाब) खातिमा तजवीजका उन मुक़द्दमात में जो बज-रिये ज़ूरी के तजवीजहों ॥

२९७ ज़ूरी को मुतनब्बाकरना ॥

२९८ साहब जज का लाजिमा खिदमत ॥

२९९ ज़ूरी का लाजिमा खिदमत ॥

३०० गौरकरनेके लिये अलाहिदा बैठना ॥

३०१ रायका सुनाना ॥

३०२ जाबिता जबकि अहालीज़ूरीके दरमियान इख्तिलाफहो ॥

३०३ हरहर इल्जाम की बाबत राय दीजायेगी ॥

हाकिम ज़ूरी से सवाल करसक्ता है ॥

सवाल और जवाब कलम्बन्द कियेजायँगे ॥

३०४ रायका तरमीम करना ॥

३०५ राय हाईकोर्ट में कब गालिब रहेगी ॥

दफ़ात

और सूरतों में जूरीको रुख़्सतकरदेना ॥

३०६ अदालत सिशनमें कबराय ग़ालिब रहेगी ॥

३०७ ज़ाबिता जबकि सिशन जज रायसे इख़्तिलाफ़ रखताहो ॥

(ज़े)-तजवीजमुकर्ररमुल्ज़िमकीबादरुख़्सतहोनेअहालीजूरीके ॥

३०८ तजवीज मुकर्ररमुल्ज़िम के मुक़द्दमे की बाद रुख़्सतहोने जूरी के ॥

(हे)-इख़्तताम तजवीज उनमुक़द्दमातका जिनमें तजवीज बअआनतअसेसरोंकेहो ॥

३०९ असेसरों की रायोंका सुनाया जाना ॥

तजवीज ॥

(तो)-कारवाई उससूरतमें जब मुल्ज़िम पर कोईजुर्म पहले साबित हो चुकाहो ॥

३१० कारवाई उससूरतमें जब मुल्ज़िम पर कोई जुर्म पहिले साबित होचुकाहो ॥

(ये)-फ़ेहरिस्त अहालियानजूरी मुतअल्लिके हाईकोर्ट और तलबीअशखास जूरीकी उसअदालत में ॥

३११ [मंसूखहोगई]

३१२ अहाली जूरीखासकी तादाद ॥

३१३ आम और खास अहालीजूरी की फेहरिस्तें ॥

फेहरिस्त तैयार करनेवाले ओहदेदारका अख़्तियार ॥

३१४ फेहरिस्तहाय मुरत्तबा व मुसहहका मुश्तहरहोना ॥

३१५ अहाली जूरीकी तादाद जो बलदह प्रेजीडंसी में तलब कियेजायँगे ॥

तलबीजायद ॥

३१६ बलादप्रेजीडंसी के बाहर अहालीजूरीको तलबकरना ॥

३१७ अहाली जूरी फ़ौजी ॥

३१८ अहाली जूरी का हाजिर होना ॥

(काफ़)-बाबत तरतीब फेहरिस्त अहालीजूरी व असेसरान

दफ़ात

बाब--२४

शरायत आम बाबत तहक़ीक़ात व तजवीज़ मुकद्दमा ॥

३३७ शरीक जुर्म की मुआफ़ी का वादा ॥
३३८ वादा मुआफ़ी के हिदायत करने का अख्तियार ॥
३३९ सिपुर्दगी उसशख्सकी जिसके साथ वादा मुआफ़ी किया गयाहो ॥
३४० मुल्ज़िमकाअख्तियारदरख़सूसजवाबदेहीमारफ़तवकीलके॥
३४१ जाबिताजबकि मुल्ज़िम कारर्वाई को न समझे ॥
३४२ मुल्ज़िमके इजहार लेनेका अख्तियार ॥
३४३ अफ़शाय अम्रकराने के लिये कोईदबाव न डालाजाय ॥
३४४ कारर्वाईके मुल्तवी रखने का अख्तियार ॥
हिरासतमें भेजनेकाहुक्म ॥
माकूल वजह फिर हिरासतमें भेजनेकी ॥
३४५ वह जरायम जिनकी बाबत राज़ीनामा होसक्ता है ॥
३४६ जाबिता मजिस्ट्रेटमुफ़स्सिलका उनमुकद्दमातमें जो वह फ़ैसलनहीं करसक्ता है ॥
३४७ जाबिता जबकि बादशुरूअतहक़ीक़ात यातजवीज़के मजिस्ट्रेटसमझे किमुकद्दमाको सिपुर्द अदालतबाला करना चाहिये ॥
३४८ तजवीज़ उनशख्सों की जो पेश्तर उनजुर्मों के मुजरिम ठहर चुकेहों जो सिक्कहसाज़ी या कानून इस्टाम्प या जायदाद के मुतअल्लिकहों ॥
३४९ जाबिता जब कि मजिस्ट्रेट सख्ततर सजा जो काफ़ीहो सादिर न करसक्ता हो ॥
३५० सुबूत जुर्म या सिपुर्दगी मुक़द्दमा उस शहादत पर जिसका एकहिस्सा एकमजिस्ट्रेटने और दूसराहिस्सा दूसरेनेलिखाहो॥
३५१ रोकरखना उन मुल्ज़िमोंको जो अदालत में हाज़िर हों ॥
३५२ अदालतें खुलीहुई होंगी ॥

दफ़ात

मजामीन तजवीज ॥

तजवीज अलासबीलुल् तब्दियत ॥

३६८ हुक्म सजायमौत ॥

हुक्म सजाय हब्स बउबूर दरियायशोर ॥

३६९ अदालत तजवीज को तब्दील न करसकेगी ॥

३७० प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेटकी तजवीज ॥

३७१ मुल्जिमको तजवीज समझा दी जायगी और नकल दीजायगी ॥

उसशख्सकी सूरतमें जिसकी निस्बत हुक्मसजाय मौत सादिरहुआ हो ॥

३७२ तजवीजका कब तर्जुमाकिया जायगा ॥

३७३ अदालत सिशनतजवीज और हुक्म सजाकी नकल मजिस्ट्रेटकेपास भेजदेगी ॥

बाब-२७ ॥

बाबत तस्दीक अहकाम सजा बगरजबहाली अदालत आलामें ॥

३७४ हुक्म सजाय मौत अदालत सिशन मुरसिल करेगी ॥

३७५ हिदायतकरनेका अख्तियार कि तहकीकात मजीदकीजाय या शहादत मजीद लीजाय ॥

३७६ अख्तियार हाईकोर्टका दरबारह बहाल रखने हुक्मसजाके या मंसूखकरने उसतजवीजके जिसकी रूसे जुर्मसाबित करारपायाहो ॥

३७७ बहाली हुक्म सजा या नये हुक्मसजापर दो जज के दस्तखतहोंगे ॥

३७८ जाबिताइख्तिलाफ़रायकी सूरतमें ॥

३७९ जाबिता उनमुकद्दमातमेंजो बहालीकेलिये हाईकोर्टमेंपेशहों

३८० असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट कारगुजार तहत दफ़ा ३४-के हुक्म सजाकी बहाली ॥

दफ़ात

बाब -- २८ ॥

वाबत तामील अहकाम सजा ॥

दफ़ात

४०० हुक्म सजाकी तामीलके बाद वारंट का वापिसकरना ॥

बाब--२९ ॥

बाबत इल्तवा और मुआफी और तब्दील अहकामसजा ॥

४०१ अहकाम सजाके मुल्तवी या मुआफकरनेका अख्तियार ॥

४०२ तब्दील सजाका अख्तियार ॥

बाब--३० ॥

बाबत बराअत या असबात जुर्म साबिका ॥

४०३ जो शख्स एकबार मुजरिम ठहरचुकाहो या जिसकी एक बार रिहाई होचुकी हो उसके मुक़द्दमे की तजवीज उसी जुर्मकी बाबत फिर नहींहोगी ॥

हिस्साहफ्तुम ॥

बाबत अपील और इस्तसवाब और नजरसानी ॥

बाब--३१ ॥

बाबत अपील ॥

४०४ कोई अपील दायर नहीं होगा इल्ला जबकि और तरहपर हुक्म हो ॥

४०५ अपील बनाराजी हुक्म मुशअर नामंजूरी दरख्वास्त दरबाब वापिसी माल कुर्कशुदह के ॥

४०६ अपील बनाराजी हुक्ममुशअर दाखिल करने जमानत नेकचलनी के ॥

४०७ अपील बनाराजी हुक्म सजा मुसद्दिरह मजिस्ट्रेट दर्जा दोम या सोम के ॥

अपीलोंका मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वलकेपास मुंतकिल होना ॥

४०८ अपील बनाराजी हुक्म सजा मुसद्दिरह असिस्टंट सिशन जज या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल ॥

दफ़ात

४०९ अपील बअदालत सिशन क्योंकर समाअतमें आयेगा ॥
४१० अपील बनाराजी हुक्मसजाय अदालत सिशन ॥
४११ माजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी के हुक्म सजाकी नाराजीसे अपील ॥
४१२ बाज सूरतों में जब कि मुल्जिम जुर्मका इकरार करे कोई अपील न होसकेगा ॥
४१३ खफीफ मुक़द्दमातका अपील नहीं है ॥
४१४ उन तजवीजात सरसरीकी नाराजी से जिनमें जुर्मसाबित करार दियाजाय अपील न होसकेगा ॥
४१५ दफ़आत ४१३—व४१४—के मुतअल्लिक शर्त्त ॥
४१६ उन अहकाम सजाका मुस्तसना होना जो रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप की निस्बत सादिर हुये हों ॥
४१७ अपील अजतरफ़ गवर्नमेएट बराअत की सूरतमें ॥
४१८ अपील किन उमूरमें जायज होगा ॥
४१९ सवाल अपील ॥
४२० जाबिता जब अपीलांट जेलखानामें हो ॥
४२१ अपील का बतौर सरसरी नामंजूर होना ॥
४२२ अपील की इत्तिलाअ ॥
४२३ इनफिसाल अपीलमें अदालत अपीलके अख्तियारात ॥
४२४ मातहत की अदालत हाय अपीलकी तजवीज ॥
४२५ हाईकोर्ट अपीलके हुक्मका सर्टीफिकट अदालत मातहत के पासभेजदेगी ॥
४२६ अपील के दौरान में हुक्म सजाका मअत्तिलरहना ॥ जमानत पर अपीलांट की रिहाई ॥
४२७ हुक्म रिहाई के अपील के वक्त मुल्जिम की गिरफ्तारी ॥
४२८ अदालत अपील शहादत मजीद लेसक्तीहै या लिये जाने की हिदायत करसक्तीहै ॥
४२९ जाबिता जबकि अदालत अपील के हुक्काम बतादाद मसावी मुख्तलिफुल्आराहों ॥

बाब--३२॥

बाबत इस्तसवाब और नजरसानी ॥

दफ़ात

हिस्सा हफ़्तम ॥

कारवाइ हाय खास ॥

बाब–३३ ॥

कारवाईसीगे फौजदारी वमुकाबिले अहलयूरुप व अहल अमरीका ॥

४४३ साहबान मजिस्ट्रेट उन इल्जामोंकी तहकीकात और तजवीज करैंगे जो रिआयाय बृटानिया अहल यूरुपपर लगायेजायँ ॥

४४४ सिशनजज रैयत बृटानिया अहलयूरुप होगा ॥
असिस्टंट सिशनजज तीनबरसतक ओहदेपर रहाहो और उसको खास अख्तियार मिलाहो ॥

४४५ समाअत उस जुर्मकी जो रैयत बृटानिया अहल यूरुपसे सरज़द हो ॥

४४६ अहकाम सजा जो साहबान मजिस्ट्रेट मुफस्सिल सादिर करसक्ते हैं ॥

४४७ मुल्जिम कबअदालत सिशनमें और कबहाईकोर्ट में सिपुर्द कियाजायगा ॥

४४८ उन जुर्मों की तजवीज जिनमें से एक जुर्म लायक सजाय मौत या हब्स दवाम बउबूर दरियायशोरके हो और बाकी जरायम उस सजाके लायक न हों ॥

४४९ वह अहकाम सजा जोअदालत सिशनसादिर करसक्तीहै ॥
जाबिता जबकि सिशनजज अपने अख्तियारात को गैर काफी पाये ॥

४५० [मंसूखहुई]

४५१ जूरी या असेसरान हाईकोर्ट या अदालत सिशनकेरूबरू ॥

४५१ (अलिफ)–मजिस्ट्रेटजिलाके रूबरू रैयत बृटानिया अहल यूरुपका हक दरबारह तलब करने जूरी के ॥

दफ़ात

४५१ (बे)-बाज सूरतों में इंतकाल दूसरी अदालत में ॥

४५२ तजवीज मुक़द्दमे रैयत बृटानिया अहल यूरुप और देसी आदमीकी जब कि दोनों बिलइश्तराक माखूजहों ॥
कबदेसी आदमी जुदागाना तजवीज मुक़द्दमेका दावाकरसक्ताहै ॥

४५३ जाबिता जब कि किसी शख्सका दावाहो कि उसके साथ रअय्यतबृटानिया अहलयूरुपकी तरह मुदारातकीजाय ॥

४५४ हैसियत का दावा न करने से उस दावा से दस्तबरदार होना लाजिम आयेगा ॥

४५५ तजवीज मुक़द्दमा तहत बाब हाजा उस शख्सकी निस्बत जो रअय्यतबृटानिया अहल यूरुप नहीं है ॥

४५६ उस रअय्यत बृटानिया अहल यूरुप का जिसको बतौर नाजायज हिरासत में रक्खागयाहो यह हक कि वह वास्ते इस हुक्म के दरख्वास्त करे कि उसको हाईकोर्ट के हुज़ूर हाजिर कियाजाय ॥

४५७ जाबिता मुतअल्लिक वैसी दरख्वास्तके ॥

४५८ वह मुमालिक जिनके अन्दर हर जगह हाईकोर्ट वैसे अहकाम सादिर करसक्ती है ॥

४५९ उन ऐक्टों की ताल्लुक पिजीरी जिनकी रूसे साहबान मजिस्ट्रेट या अदालत सिशन को अख़्तियार समाअत बख़्शा जाताहै ॥

४६० जूरी वास्ते तजवीज अशखास अहल यूरुप या अहल अमरीकाके ॥

४६१ जूरी जबकि अहल यूरुप या अहल अमरीका पर बशिरकतकिसी शख्स गैर क़ौमके इल्जाम लगाया जाय ॥

४६२ हस्ब दफ़ा-४५१-या ४५१-(अलिफ) या ४५१-(बे) या ४६०-अहाली जूरी को तलब करना और उनकी फेहरिस्त अस्मा मुरत्तिब करनी ॥

दफ़ात

४६३ काररवाई नालिशात फौजदारी बमुक़ाबिले रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप ॥

बाब-३४ ॥

अशख़ास फ़ातिरुल अक़्ल ॥

४६४ जाबिता जिस सूरतमें मुल्ज़िम मजनूनहो ॥

४६५ जाबिता जबकि वह शख्स जो अदालत सिशन या हाई-कोर्ट में सिपुर्द हुआहो मजनून हो ॥

४६६ रिहाई मजनून की ता दौरान तफ़्तीश या तजवीजके ॥ मजनून की हिरासत ॥

४६७ तहक़ीक़ात या तजवीज मुक़द्दमे का फिर शुरूअ करना ॥

४६८ जाबिता जबकि मुल्ज़िम मजिस्ट्रेट या अदालतके रूबरू हाजिर हो ॥

४६९ जबकि मालूमहो कि मुल्ज़िम गैर सहीहुल्अक़्ल था ॥

४७० जुर्म से बरीहोनेका फ़ैसला बरबुनियाद जनूनके ॥

४७१ जिस शख्स को उस बुनियाद पर बरी कियाजाय उसको हिरासत काफ़ी में रक्खाजायेगा ॥

४७२ मजनून कैदियोंको इन्स्पेक्टर जनरल मुआयनाकरेगा ॥

४७३ जाबिता जबकि रिपोर्टहो कि मजनून कैदी अपनी जवाब-दिही करने के काबिल है ॥

४७४ जाबिता जबकि उसमजनूनकी निस्बत जोहस्बदफ़ा ४६६-या ४७१ कैदमें हो यह इजहार कियाजाय कि वह रिहाई पाने के काबिल है ॥

४७५ कराबतदार की हिफ़ाजत में मजनून का हवाला करना ॥

४७५ (अलिफ़)- जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइज-लास कौंसल का मजनूनान् मुजरिम को जो लोकल ग-वर्नमेण्टके हुक्मसे क़ैदहों एक सूबासे दूसरे सूबामें तब्दील करने की बाबत अख्तियार ॥

दफ़ात

४७५ (बे)-इन्स्पेक्टर जनरल को बाज खिदमातसे मुबुकदोश करनेके बाबमें लोकलगवर्नमेण्टका अख्तियार ॥

बाब--३५ ॥

कार्रवाई मुतअल्लिके बाज़ जरायम जो अदालत गुस्तरी में मुखिलहों ॥

४७६ जाबिताउनसूरतोंमेंजिनकीतसरीहदफा१९५-में कीगईहै ॥

४७७ अख्तियार अदालत सिशन का दरखुसूस वैसे जरायमके जो उसके रूबरू सरजद हों ॥

४७८ अदालतहाय दीवानी व मालका अख्तियार दरबारह मुकम्मिल करने तफ्तीश और सिपुर्द करने मुकद्दमे के हाईकोर्ट या अदालत सिशनमें ॥

४७९ जाबिता अदालत दीवानी या मालका वैसे मुकद्दमातमें ॥

४८० जाबिता बाज मुकद्दमात तौहीनमें ॥

४८१ रिकार्ड वैसे मुकद्दमातमें ॥

४८२ जाबिता जब कि अदालत समझे कि मुक़द्दमा की निस्बत हस्बदफा ४८०-कारबन्द न होनाचाहिये ॥

४८३ कब रजिस्टरार या सब रजिस्टरार हस्बमुराद दफा ४८०-व ४८२-अदालत दीवानी समझा जायगा ॥

४८४ हुक्म बजालाने या माजरत करनेपर मुजरिम की रिहाई ॥

४८५ किसी शख्सकी कैद या सिपुर्दगी जब कि वह जवाबदेने से या दस्तावेज पेश करनेसे इन्कार करे ॥

४८६ मुकद्दमात तौहीनमें करारदाद जुर्मकी नाराजीसे अपील ॥

४८७ बाज जज और मजिस्ट्रेट जरायम मुतजाकिरै दफा १९५-की तजवीज न करसकैंगे जब कि वह उनके रूबरू सरजदहों ॥

बाब--३६ ॥

जौजात व अतफालकीपरवरिश ॥

४८८ हुक्म वास्ते परवरिश जौजात या औलाद के ॥

दफ़ात

हुक्मकी बिल्जब्र तामील ॥

शर्त ॥

४८६ कफाफ में तबद्दुल ॥

४९० हुक्म परवारिश की बिल्जब्र तामील ॥

बाब—३७ ॥

हिदायात मिन्कबील परवाना गिरफ्तारी मौसूमा [illegible]

४९१ अख्तियार इजराय हिदायात मिन्कबील परवाने [illegible] कारपिसके ॥

हिस्सा नहुम ॥

शरायत मोहतामिम ॥

बाब—३८ ॥

बाबतपैरोकार मिन्जानिब सर्कार ॥

४९२ पैरोकारान् मिन्जानिब सर्कारके मुकर्रर करनेका अख्तियार ॥

४९३ पैरोकार मिन्जानिब सरकार जुम्ला अदालतों में उन मुकद्दमात में बहसकरसकेगा जो उसके सिपुर्द हों ॥
वह वकला जिनको खानगी तौरपर मुकर्रर कियाजाय पैरोकार मजकूर के जेरहिदायत रहेंगे ॥

४९४ नालिशसे दस्तबरदार होनेकी तासीर ॥

४९५ पैरवी मुकद्दमा की इजाजत ॥

बाब— ३९ ॥

बाबत हाजिर जामिनी ॥

४९६ जुर्म काबिल जमानतकी सूरतमें जमानत [illegible] ॥

४९७ जुर्म गैर काबिल जमानत की [illegible] जायगी ॥

४९८ जमानत पर [illegible] की हिदायत ॥

बाब–४० ॥

बाबत इजराय कमीशन वास्ते कलम्बन्दी इज़हार गवाहानके ॥

बाब–४१ ॥

कवाअ़द खास मुतअल्लिके शहादत ॥

बाब–४२ ॥

शरायत बाबत मुचल्का व ज़मानत नामा ॥

दफ़ात

५१५ अहकाम तहत दफा ५१४-का अपील और उनकी नजर-सानी ॥

५१६ यह हिदायत करने का अख्तियार कि बाज मुचल्कों के रुपये वसूल कियेजायें ॥

बाब--४३ ॥

बाबत तसर्रुफ मालके ॥

५१७ हुक्म दरबारह तसर्रुफ उस माल के जिसकी बाबत जुर्म सरजदहुआहो ॥

५१८ हुक्म मुशअर इसके कि माल मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला को हवाले कियाजाय ॥

५१६ मुल्जिम के पास से जो रुपया मिले वह बेकसूर खरीदारको दिया जायेगा ॥

५२० इलतवाय हुक्म हस्ब दफा ५१७-या ५१८-या ५१९- के ॥

५२१ शिकायत आमेज मजामीन और दीगर चीजों का जाया करदेना ॥

५२२ जायदाद गैरमन्कूलापर फिर कब्जादिलानेका अख्तियार॥

५२३ जाबिता पुलिस जबकि ऐसामाल गिरफ्तार कियाजाय जो हस्ब दफा ५१ लियागया हो या चोरीहुआहो ॥
जाबिता जबकि मालकुर्क शुदह का मालिक गैरमालूमहो ॥

५२४ जाबिता जबकि कोई दावेदार ६--छःमहीना के अन्दर हाजिर न हो ॥

५२५ जल्द जायाहोनेवाले माल के बेचने का अख्तियार ॥

बाब--४४ ॥

बाबत इन्तकाल मुकद्दमात फौजदारी ॥

५२६ हाईकोर्ट मुकद्दमा मुन्तकिल करसक्तीहै या खुद उसकी तजवीज करसक्ती है ॥

दफ़ात

पैरोकार जानिब सरकार को दरख्वास्त तहत दफ़ा हाजा की इत्तिलाअ ॥

५२६ (अलिफ़)-दरख्वास्त तहतदफ़ा ५२६ की बिनापरइल्तवा ॥

५२७ जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल का अख्तियार फ़ौजदारी मुकद्दमों और अपीलोंके खुसूसमें ॥

५२८ मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला मुकद्दमात अपने पास उठालेसक्ताहै या किसी और मजिस्ट्रेटकेसिपुर्द करसक्ता है ॥

मजिस्ट्रेट जिलाको इसबातके अख्तियार देनेका अख्तियार कि बाजअकसाम मुकद्दमातको अपनेपास उठाले ॥

बाब--४५ ॥

बाबत काररवाई खिलाफ़जाब्ता

५२९ वह बेजाब्तगियां जिनसे काररवाइयां बातिलनहींहोतीहैं ॥

५३० वह बेजाब्तगियां जिनसे काररवाइयां बातिल होजायेंगी ॥

५३१ काररवाई गलत जगहमें ॥

५३२ कब खिलाफ़ जाब्ता सिपुर्दगियां सहीह होसक्ती हैं ॥

५३३ दफ़ा १६४-या दफ़ा ३६४-के अहकामका अदमतामील ॥

५३४ उसअमरका इस्तिफसार न करना जोदफ़ा४५४-कीजिम्न२-की रूसे मुकर्रर किया गया है ॥

५३५ फ़र्द करारदाद जुर्मके न तय्यार करनेका असर ॥

५३६ उसजुर्म की तजवीज बजरिये जूरी के जिसकी तजवीज बअआनत असेसरों के होनी चाहिये ॥

उसजुर्म की तजवीज बअआनत असेसरों के जिसकी तजवीज बजरिये जूरी के होनीचाहिये ॥

५३७ तजवीज या हुक्मसजा कब बवजह गलती या तर्ककिसीशै के फ़र्दकरारदादजुर्ममेंयादीगरकारर्वाईमेंकाबिलमंसूखीहै॥

५३८ कुर्की नाजायज नहीं है और न कुर्ककरनेवाला मदाखिलत

दफ़ात

बेजा करनेवाला है बुबाअस नुक्स या खिलाफ नमूना होने के किसी काररवाई में ॥

बाब--४६

मुतफर्रिकात॥

५३९ वह अदालतें और अशखास जिनकेरूबरू इजहारात हल्फी कराये जायँगे ॥

५४० जरूरी गवाहके तलब करनेका या शख्स हाजिरके इजहार लेनेका अख्तियार ॥

५४१ मुकाम कैदके मुकर्रर करनेका अख्तियार ॥

५४१ (अलिफ)-ऐसे अशखास मुल्जिम या मुजरिम को फौजदारी जेलमें भेजना जोकिसी दीवानी जेलमें मुकय्यदहों ॥ उनको फिर दीवानी जेलमें भेजना ॥

५४२ माजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी का अख्तियार दरखुसूस सादिरकरने इसहुक्म के कि जेलखाने का कैदी वास्ते इजहार देने के हाजिर किया जाय ॥

५४३ तर्जुमान को तर्जुमा रास्त रास्त बयान करना लाजिम है ॥

५४४ मुस्तगीसों और गवाहों के अखराजात ॥

५४५ अदालतका अख्तियार दरबारह दिलाने अखराजात या मआविजाके जुर्मानासे ॥

५४६ जो रुपये अदाकियेजायँ उनकालिहाज नालिश माबाद में कियाजायगा ॥

५४७ वहरुपये जिनके अदाकरनेका हुक्महो मिस्ल जुर्माना के वसूल किये जायँगे ॥

५४८ रूबकारी मुकद्दमा की नुकूल ॥

५४९ उनलोगोंको हुक्काम फौजी के हवालेकरना जिनके मुकद्दमेकी तजवीज बजरिये कोर्ट मारशल के होनी चाहिये ॥ वैसेलोगों की गिरफ्तारी ॥

दफ़ात

५५० बड़ेदरजेके ओहदेदारान पुलिसके अख्तियारात ॥

५५१ भगाई हुई औरतोंको जबरन् हवालेकरानेका अख्तियार ॥

५५२ मुआविजा उन अशखास को जिनको बलदेह प्रेजीडेंसीमें
बिला वजह सिपुर्द हवालात कियाजाय ॥

५५३ सनद शाहीकी रूसे मुकर्ररकीहुई हाईकोर्टोंका अख्तियार
कि अदालतहाये मातहतकी मिस्लों के मुआयने के लिये
कवाअद वजाकरें ॥
और २ हाईकोर्टोंका अख्तियार दरबाब वजाकरने कवाअद
वास्ते दीगर गरजों के ॥

५५४ नमूने ॥

५५५ वहमुकद्दमे जिसमें जज या मजिस्ट्रेट गरज जाती रखताहो॥

५५६ अख्तियार दरबारह फैसल करने इस अम्रके कि कौनसी
ज़बान अदालतोंकी ज़बान होगी ॥

५५७ जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल
और लोकल गवर्नमेण्ट के अख्तियारात वक्तन् फवक्तन्
अमल में आसकेंगे ॥

५५८ मुकद्दमात दायर ॥

५५९ ओहदेदारान मुतअल्लिक़ नीलाम न जायदाद को खरीद
सक्के और न उसके लिये बोली बोलसक्के हैं ॥

५६० इल्जामात जो नाहक या बराह ईजारसानी दायरहों ॥

५६१ खास अहकाम मुतअल्लिक़ जुर्म ज़िनाबजब्र जो शौहर से
सादिरहो ॥

जमीमा--१--कवानीन मंसूखा ॥

जमीमा--२--नक्शा जरायम ॥

जमीमा-३- अख्तियारात मामूलीसाहबानमजिस्ट्रेट मुफस्सिल॥

जमीमा--४--अख्तियारात जायद जो साहबान मजिस्ट्रेट मुफ-
स्सल को अताहो सक्के हैं ॥

जमीमा--५--नमूनजात ॥

ऐक्टनम्बर १० बाबत सन् १८८२ ई०*

जारीकियाहुआ जनाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर हिन्द बइजलास कौंसल का ॥

(६—मार्च सन् १८८२ ई० को जनाब मुहतशिमअलेह ने इस ऐक्ट को मंजूर फ़रमाया)

ऐक्ट बगरज़ इजतमअ व तरमीम क़वानीन
मुतअल्लिक़ ज़ाबिते फ़ौजदारी ॥

तमहीद, हरगाह यह अमर क़रीन मसहलत है--कि क़वानीन मुतअल्लिक़ै ज़ाबितै फ़ौजदारी मुजतमअ व तरमीम कियेजायँ लिहाज़ा हस्ब ज़ैल हुक्म होता है ॥

हिस्सा अव्वल ॥

मरातिब इब्तिदाई ॥

बाब-१ ॥

मुख़्तसिर नाम और शुरूअ नफ़ाज, दफ़ा १--जायज़ है कि यह ऐक्ट बनाम मजमूये ज़ाबितै फ़ौजदारी मसौदै सन् १८८२ ई० मौसूम कियाजाय--और वह यकुम जनवरी सन् १८८३ ई० को नफ़ाज़ पिज़ीर होगा ॥

---

* यह मजमू आजाबिताबाज इस्लाहातके साथ कानून ७— सन्१८८६ई०को रूसे अपरब्रह्मामें (बइस्तस्नाय रियासतहायशानके) वसऊत पिज़ीर कियागया है,

यह ऐक्ट तमाम क़लमरौ ब्रिटिशइण्डिया से मुतअल्लिक़ है वसअत मुक़ामी, इल्ला दरसूरत न होने किसी और हुक्मख़ास के ख़िलाफ़ इसके कोई इबारत इस ऐक्टकी या किसी अख़्तियार या ख़ास अख़्तियार समाअत या किसी क़ानून ख़ास या क़ानून मुख़्तसुलमुकाम नाफ़िज़ुलवक़्त पर किसी ख़ास तरीक़ै कारखाई पर जो किसी क़ानून नाफ़िज़ुल् हालकी रूसे अता या मुक़र्ररहुआ हो मवस्सर न होगी और न किसी शख़्समुफ़स्सिलैज़ैलसे मुतअल्लिक़ होगी॥

(अलिफ़)-साहिबान कमिश्नर पुलिस मुतअय्यनै बलादकल-

नीज कानून ३--सन् १८७२ ई० की दफ़ा ३--की रूसे (जैसी कानन३-सन् १८८६ ई० की दफ़ा२-की रूसे उसकी तरमीमहुई है) इस मजमूआ जाबिता का सोंताल परगनजात में नाफ़िज़ुलअमल होना एलान करदिया गया है,

जजायर एंडमन व निकोबर में इस मजमूआ जाबिता के तअल्लुकपि और करतेवक्त इसमें कानून ३---सन् १८७६ ई० की दफ़ा १३--की रूसे जैसी कानून १-सन् १८८४ ई० की दफ़ा ३--की रूसे उसकी तरमीमें हुई है--तरमीम की गई है,

कानून २--सन् १८८० ई० मुतअल्लिक़ अक़ताय सरहद्दी आसाम की रूसे (जैसी कानून ३-- सन् १८८४ ई० की रूसे उसकी वसअत पिजीरहुई है) इस मजमूआ जाबिताकी नागा पहाड़ियों में और किते सरहद्दी डवरूगढ़ और शुमालीकचार की पहाड़ियों में--देखो आसाम गजट--१०---मई सन् १८८४ ई० हिस्सह २--सफ़ा २१२ और जिला कोही गारू और जिला कोहोखासी व जयंतिया में-देखो आसाम गजट २२--नवम्बर सन् १८८४ ई० हिस्सह १--सफ़ा६७०--और कितअ कोहहाय मिकरी में--देखो आसाम गजट२९---नवम्बर सन् १८८४ ई०---हिस्सा २--सफ़ा ७०५--मौक़ूफ़ुल् अमल होना एलान कर दिया गया है,

और और कवानीनमें जो २ हवालजात अजमूआ जाबिता की तरफ़ किये गये हैं वह यों पढ़े जायंगे कि गोया ऐक्ट ३--सन् १८८४ ई० की रूसे तरमीम कियेहुये मजमूआकी तरफ़ कियेगये हैं--देखो दफ़ा १४ (२) उस ऐक्टकी,

कत्ता व मदरास व बम्बई या अशखास पुलिस मुतअल्लिके
बलाद कलकत्ता और बम्बई से ॥

(बे)-[यहजिम्न ऐक्ट १२--मुसहिरै सन् १८८६ ई० के जरिये
से मंसूखहुई] ॥

(जीम)-प्रेजीडंसी मदरास में देहातके मुखियाओं से--या

(दाल)-अफ्सरान् पुलिस मौज़े वाक़े प्रेजीडंसी बम्बई से ॥

(हे)-[यह जिम्न ऐक्ट ५ सन् १८८९ ई० के जरिये से
मंसूखहुई] ॥

दफ़ा २--यकुम् जनवरी सन् १८८३ ई० को और उसके बाद
क़वानीन मुफ़स्सिलै ज़मीमै अव्वल उसक़दर
मंसूख होजायेंगे जिसक़दर ज़मीमै मज़कूर के
ख़ाने ३ में मुन्दर्ज हैं--मगर इसतौर पर नहीं कि कोई अख्तियार
समाअत या तरीक़ै कार्रवाई जोउसवक्त मौजूद या मुस्तैमिल न
हो बहाल होजाय या कि बरक़रार रहना किसी क़ैदका जो उस
वक्त जायज़ हो नाजायज़ होजाय ॥

अहकामक़वानीन की मंसूखी,

तमाम इश्तिहारात और ऐलामनामजात और अख्तियारात
औरनक्शजात औरहुदूदअराज़ीऔरअहकाम
सज़ा औरदीगरअहकामवक़वाअद औरतकर्रु-
रात जो मुताबिक़ किसी क़ानूनके जोइसक़ा-
नूनकी रूसे मन्सूखहुआ है या किसी और क़ानूनके मुताबिक़जो
क़ानून अव्वलुलज़िक्रसे मन्सूखहुआहो मुश्तहर और जारी और
अता औरमुतअय्यन और सादिरहुये या अमलमें आयेहों औरजो
ऐनमाक़ब्ल यकुम् जनवरी सन् १८८३ ई० असरपज़ीरहों ऐसे
समझे जायेंगे कि गोया वह इश्तिहारात व ऐलामनामजात
वग़ैरह इसी मजमूये की दफ़ा मुनासिबके बमूजिब मुश्तहर और
जारी और अता और मुक़र्रर और मुतअय्यन और सादिरकियेगये
और अमल में आये थे ॥

इश्तिहारात वग़ैरह ऐक्ट हाय मंसूख शुदहकी रूसे,

दफ़ा ३--हरक़ानून में जो मजमूये हाज़ा के असर पिज़ीर होनेसे पहिले नाफ़िज़ होचुकाहो और जिस में हवाला मजमूये जाबिते फ़ौजदारी याने ऐक्ट २५ सन् १८६१ ई० ख्वाह ऐक्ट १० सन् १८८२ ई० का या उनके किसी बाब या दफ़ाका या किसी और क़ानूनका जो अज़रूय मजमूये हाज़ा मन्सूख हुआ है किया गयाहो वह हवाला जहांतक कि मुमकिन हो इसी मजमूये का या इसमजमूयेके बाब या दफ़ा हम मज़मून का हवाला समझा जायेगा ॥

मजमूआजाब्ता फौजदारी और दीगर अह कामक़वानीनमंसूख शुदह का हवाला किया जाना,

हरक़ानून में जो क़ब्ल असर पिज़ीर होने मजमूये हाज़ाके सादिरहुआ हो इबारत मुफ़स्सिलै ज़ैल से याने "ओहदेदार जो अख्तियारात (या अख्तियारात कामिल) मजिस्ट्रेटी नाफ़िज़ करता (या रखताहो)" और "मजिस्ट्रेटमातहत दर्जा अव्वल" और "मजिस्ट्रेट मातहत दर्जादोम" से मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल और मजिस्ट्रेट दर्जादोम और मजिस्ट्रेट दर्जा सोम मुरादलिये जायेंगे--और लफ्ज़ "मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला" से मजिस्ट्रेट सबडिवीज़न और लफ्ज़ "मजिस्ट्रेट ज़िला" से ज़िलेका मजिस्ट्रेट और लफ्ज "मजिस्ट्रेट पुलिस" से मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी मुराद लियाजायेगा ॥

साबिक़ऐक्टोंकीइबारतें,

दफा४--इसमजमूये में अल्फ़ाज़ और इस्तलाहात मुफ़स्सिलै ज़ैलसे वहीमाने लियेजायेंगे जो आयंदहउनके साथ लिखे हैं-इल्ला उससूरत में कि मज़मून या सियाक़ इबारत से उसके खिलाफ़ मुरादपाई जाय ॥

जिम्न तारीफ़ें,

(अलिफ़)-लफ्ज "नालिश" से किसी शख्सकाबयानमुराद है जो तक़रीरन या तहरीरन मजिस्ट्रेट के रूबरू कियाजाय इस मजमूनसे कि कोई दूसरा शख्स मालूम या ला-

"नालिश"

मालूम जुर्मका मुर्त्तकिब हुआ है इस मुरादसे कि मजिस्ट्रेट उस पर इसमजमूये के मुताबिक़ अमल करे—लेकिन उसमें रिपोर्ट अहल्कार पुलिस दाख़िल नहीं है ॥

(बे)-लफ्ज़ "तफ़्तीश" में हरवहकार्रवाई हस्बमजमूये हाज़ाशामिलहै जो वास्ते बहमरसानी सुबूत मारफ़त पुलिस या किसी औरशख्स अलावहमजिस्ट्रेट या अफ्सरपुलिसके जिसे मजिस्ट्रेटने इसकामकी इजाज़तदीहो अमलमें आये ॥
"तफ़्तीश"

(जीम)-लफ्ज "तहक़ीक़ात" में हरवह तहक़ीक़ात शामिलहै जो किसी मजिस्ट्रेट या अदालतकी मारफ़त इसमजमूये के मुताबिक़ अमलमें आये ॥
"तहक़ीक़ात"

(दाल)-"अदालतीकाररवाई" से हरऐसीकार्रवाई मुरादहै जिसके अस्नायमें सुबूत लियाजाय या सुबूत का लेना क़ानूनन् जायज़हो ॥
"अदालतीकाररवाई"

(हे)-लफ्ज "तहरीर" और "तहरीरी" में छापासीसेका और छापा पत्थर का और छापा अक्स आफ़ताबका और हरूफ़ वनकूशकन्दा और हर दीगरतरीक़ा जिसमें अल्फ़ाज़ या हिन्दुसे काग़ज़ या किसी और शैपर ज़ाहिरहोसकें शामिलहैं ॥
"तहरीर" और "तहरीरी"

(वाव)-लफ्ज़ "सब डिवीज़न" से ज़िलेका एकहिस्सा मुराद है जोमजमूये हाज़ाके बमूजिबक़ायमकियाजाय।
"सब डिवीज़न"

(ज़े) लफ्ज़ "सूबा" से वह क़लमरौ मुराद है जो किसीवक्त किसी लोकलगवर्नमेंटके ताबेहुकूमतहो ॥
"सूबा"

(हे)-लफ्ज़ "बल्दै प्रेजीडंसी" सेअदालत हाय हाईकोर्टआफ़ जो डैकेचर वाक़ैफोर्टविलियम बंगाले या मदरास या बंबईके मामूली अख्तियारात समाअत इब्तिदाई सीग़ेदीवानी की हुदूद अरज़ी मौजूदह वक्त मुरादहैं ॥
"बल्दैप्रेजीडंसी"

(तो)-*लफ्ज़ "हाईकोर्ट" से जहां कहीं उन कार्रवाइयों का हवालह कियाजाय जो रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप के मुक़ाबिले में हों या उन अशखास के मुक़ाबिले में हों जिनपर बशिराकत अहालियान यूरुप रिआयाय बृटानिया के इल्ज़ाम क़ायम कियागया हो अदालत हाय हाईकोर्ट आफ़ जोडैकेचर वाके फ़ोर्ट विलियम् व मदरास व बंबई व हाईकोर्ट आफ़ जोडैकेचर मुमालिक मग़रबी व शिमाली और चीफ़कोर्ट मुमालिक पंजाब और अदालत रिकार्डर रंगून मुरादहै--

"हाई कोर्ट,,

और सूरतों में लफ्ज़ "हाईकोर्ट" से वह अदालत मुराद है जो किसी रक़बे अरज़ी के लिये मुआमलात फ़ौजदारी में सब में आलादर्जे की अदालत अपील या नज़रसानी हो ॥

या जहां कोई ऐसी अदालत अज़रूय किसी कानून नाफ़िज़ुलवक्त के क़ायम न हो तो ऐसा ओहदेदार मुराद है जिसको नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर ब इजलास कौंसल वक्तन् फ़वक्तन् इस काम के लिये मुकर्रर फ़रमायें ॥

(ये)-लफ्ज़ "चीफ़जस्टिस" में×चीफ़कोर्ट पंजाब के जज आला और साहबरिकार्डर रंगूनभीशामिलहैं ×॥

"चीफ़जस्टिस,,

(काफ़)-लफ्ज़ "ऐडवकेट जनरल" में सर्कारी ऐडवकेट याने वकील शामिल है-या जहां कोई ऐडवकेट जनरल या वकील सर्कार न हो वह ओहदेदार शामिलहै जिसको लोकलगवर्नमेंट वक्तन् फ़वक्तन् उस कामकेलिये मुक़र्रर करे ॥

"ऐडवकेट जनरल,,

(लाम)-लफ्ज़ "क्लार्क आफ़दीक्रौन" यानी क्लार्कशाही में

*--अपर ब्रह्मामें हाईकोर्टसे क्या मुरादहै इसकेलिये कानून७--सन्१८८६ई० के ज़मीमा की दफा १--देखो,

×--× यह इबारतसाबिक इबारतके एवज़ऐक्ट ११--सन्१८८६ ई० की दफ़ा८७ की रू से क़ायम की गई है,

"क्लार्कआफदीक्रौन" ऐसा हर ओहदेदार शामिल है जिस को चीफ़जस्टिसने उन ख़िदमात की तामील के लिये बिलख़सूस मुक़र्रर किया हो जो इस मजमूयेकी रूसे क्लार्कशाही को मुफ़व्विजहुई हैं॥

(मीम)-लफ्ज़ "पैरोकर मिंजानिब सर्कार" से हरऐसाशख्स "पैरोकारमिंजानिब सर्कार" मुराद है जो दफ़ा४९२-के बमूजिब मुक़र्ररहुआ हो--और उसमें हर ऐसा शख्स शामिल है जो मुताबिक़ हिदायात पैरोकार मिन्जानिब सर्कार के अमलकरै--और ऐसा शख्स भी शामिल है जो मलकामुअज़्ज़मा दाम इक़बालहा की तरफ़ से किसी हाईकोर्ट में वक्त नफ़ाज़ उसके अख्तियारात इब्तिदाई सीग़ै फ़ौजदारी के किसी नालिशकी पैरवीकरै॥

(नू)- लफ्ज़ "प्लीडर" से जब वह किसी अदालतकी "प्लीडर" किसी कार्रवाईकी निस्बत मुस्तैमिल किया जाय वह वकील मुराद है जोअदालत मज़कूरमें अज़रूय किसी क़ानून मजरिये वक्तके वकालत करनेका मजाज़हो--और उसमें अव्वलन वह ऐडवकेट और वकील और अटरनी हाईकोर्टका जो उस बातका अख्तियार रखताहो और सानियन् हर मुख्तार या दूसरा शख्स जो अदालत की इजाज़तसे ऐसी काररवाई में अमल करने के लिये मुक़र्रर कियाजाय शामिल है॥

(सीन)-लफ्ज़ "पुलिस इस्टेशन" से हर ऐसा थाना मुरादहै "पुलिसइस्टेशन" जिसे बिलअमूम या बिलख़सूस लोकलगवर्नमेंट वास्ते अग़राज़ मजमूये हाज़ाके पुलिस इस्टेशन क़रारदे--और उसमें हर वह रक़बा अरज़ी दाख़िल है जिसकी सराहत लोकल गवर्नमेंट इसबाब में करे--और लफ्ज़ *"अफ्सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन" से जब अफ्सर मोहतमिम पुलिसइस्टेशन *इस्टेशन

---

* अपर ब्रह्मामें "अफ्सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन" के लिये कानून ७ सन् १८८६ई० के जमीमाकी दफा ११--देखो,

"अफ़सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन" घर से * ग़ैरहाज़िर या बीमारीके सबबसे अपना काम अंजाम न देसक्ताहो वह पुलिसअफ्सर मुरादहै * जो इस्टेशनघरमें हाज़िरहो* और ओहदेदार मज़कूरके ऐन माबादरुतबारखताहो और जो कान्स्टेबिलसे बढ़कर रुतबारखता हो या जबकि लोकलगवर्नमेंट इस नेहज की हिदायतकरे हर दूसरा अहल्कार पुलिस मौजूदह इस्टेशन मुराद है ॥

(ऐन)- लफ्ज़ "जुर्म" से ऐसाहरफ़ेल या तर्कफ़ेल मुराद है "जुर्म" जो किसी क़ानून नाफ़िज़ुलवक्तकीरूसे लायक़ सज़ा क़रार पायाहो ॥

(फ़े) लफ़्ज़ "जुर्मक़ाबिलदस्तंदाजी" से वह जुर्ममुराद "जुर्म क़ाबिलदस्तंदाजी" व "मुकद्दमालायकदस्तन्दाजी" है और "मुकद्दमालायकदस्तंदाजी" से वह मुक़द्दमा मुरादहै जिसकेलिये औरजिसमें अफ्सर पुलिस को बलाद प्रेज़ीडन्सी के अन्दर या बाहर मुताबिक़ ज़मीमैदोम या किसीक़ानून नाफ़िज़ुलवक्तके बमूजिब अख्तियार है कि बिलाहुसूल वारंट के गिरफ्तारकरे ॥

लफ़्ज़ "जुर्म ग़ैरक़ाबिल दस्तन्दाजी" से वह जुर्ममुरादहै और "जुर्म गैरक़ाबिल दस्तन्दाजी" व "मुकद्दमाग़ैरक़ाबिलदस्तन्दाजी" "मुक़द्दमाग़ैरकाबिल दस्तन्दाजी" से वहमुक़द्दमा मुरादहै जिसके लिये और जिसमें पुलिसअफ्सर बलाद प्रेज़ीडन्सीके अंदर या बाहर बिलावारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता है ॥

(स्वाद)-लफ्ज "जुर्म क़ाबिल ज़मानत" से वह जुर्ममुराद "जुर्म काबिलजमानत" व "जुर्म गैर काबिल जमानत" है जो इस मजमूयेके जमीमै दोममें काबिल-ज़मानत करारपाया है—या किसी और कानून नाफ़िज़ुलवक्तकी रूसेलायक़ज़मानतठहरायागया है और लफ्ज "जुर्म गैरक़ाबिल जमानत" से बाक़ी हर क़िस्म का जुर्म मुराद है ॥

——* यहअल्फाज दफा ४—कीजिम्न (सीन) में —ऐक्ट५-सन् १८८०ई० की दफा १—कीरूसे साबिक अल्फ़ाजके एवज क़ायम किये गयेहैं,

(क़ाफ़)-लफ्ज़ "मुक़द्दमा क़ाबिल इजराय वारंट" से ऐसे हरजुर्मका मुक़द्दमा मुराद है जिसकी सज़ा फांसी या हब्सबउबूर दरियाय शोर या ६-छः महीने से ज़ियादह मीआदकी क़ैद मुक़र्रर है॥
"मुकद्दमाकाबिलइजरायवारन्ट,,"

(रे)-लफ्ज़ "मुक़द्दमा क़ाबिल इजराय सम्मन" से ऐसे हर जुर्मका मुक़द्दमा मुरादहै जिसकी सज़ा अक़साम सज़ाय मुफ़स्सिलै बालामें से नहीं है॥
"मुकद्दमेकाबिलइजरायसम्मन,,"

(शीन)-लफ्ज़ "रअय्यत बृटानिया अहल यूरुप" से मुराद हस्ब ज़ैलहै॥
"रअय्यतबृटानिया अहलयूरुप,,"

१-हर रअय्यत मलिका मुअज़्ज़मा जिसने मुमालिक मुतहदा ग्रेटबृटिन और अयरलेण्ड में या जनाब मलका मुअज़्ज़मा की किसी नौआबादी या मुल्क मक़बूज़ा वाक़ै यूरुप या अमरीका या अस्ट्रेलियामें या नौआबादी हाय न्यूज़ीलैंड या केपआफ़गुडहोप या नटालमें तवल्लुदपाया या हुकूक़रअय्यती हासिल किये या सकूनत मुस्तक़िल अख़्तियारकी हो॥

२--हर ऐसे शख़्सकी औलाद और औलाद की औलाद जो कि सहीउल्नसब हो॥

(ते)-लफ्ज़ "बाब" से इसी मजमूये का बाब मक़सूद है--और "ज़मीमा" से वह ज़मीमा मुराद है जो इसी मजमूयेके साथ मुन्सलिकहै॥
"बाब,,व"ज़मीमा,,"

(से)-लफ्ज़ "मुक़ाम" में मकान बूदोबाश और इमारत और ख़ीमा और मुरक्कबतरीभी शामिलहै॥
"मुकाम,,"

जो अल्फ़ाज़ अफ़आलमौक़ूआसे तअल्लुक़रखतेहैं वह अफ़आलके तर्कनाजायज़परभी हावीहैं--और
"अल्फाजमुतअल्लिक अफआल,,"

तमाम अल्फ़ाज़ और इस्तलाहात मुस्तमिलै मजमूये हाज़ा जिनकीतारीफ़ मजमूये ताज़ीरातहिन्दमें मुन्दर्जहै और जिनकी तारीफ़ इससे पहले
"अल्फ़ाजकेवहीमानेहोंगेजो मजमूयेताजीरातहिंदमेहैं,"

इसमजमूये में नहीं हुई वहीमाने रक्खेंगे जो मजमूये ताज़ीरात हिंदमें उनसे मुतअ़ल्लिक कियेगये हैं॥

ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०,

दफ़ा ५-तमामजरायम मुतअ़ल्लिक़ै मजमूये ताज़ीरातहिन्दकी तहक़ीक़ात और तजवीज़ मुताबिक श-रायत मुन्दर्जे आयन्दा मजमूये हाज़ाके और तहक़ीक़ात व तजवीज़ तमाम जरायम मुतअ़ल्लिक़ै किसी और क़ानूनकी मुताबिक़ उन्हीं शरायतके मगर बपाबन्दी किसी क़ानून नाफ़िज़ुल्वक्त मशअ़र इंजबात तरीक़ै तहक़ीक़ात या तजवीज़ या मुक़ाम तहक़ीक़ात या तजवीज़ जुर्मके अ़मलमें आयेगी॥

तजवीज़ जुर्मोंकीमज मूयेताज़ीरातहिन्दकेमु ताबिक और जरायममु तअ़ल्लिक़ैकिसी औरका नूनकीतजवीज़,

हिस्सादोम॥

फ़ौजदारी अदालतों और सरिश्तोंका तक़र्रर और उनके अख्तियारात॥

बाब--२॥

फौजदारी अदालतों और सरिश्तोंका तक़र्रर॥

(अलिफ)--फ़ौज़दारी अ़दालतोंके अक़साम॥

दफ़ा ६--अ़लावह अ़दालतहाय हाईकोर्ट और उन अ़दालतों के जो बइस्तस्नाय इस मज़मूये के किसी और क़ानून नाफ़िज़ुल्वक़ के बमूजिब मुक़र्ररकी-जायँक़लमरौ ब्रिटिशइंडियामें ५-पांचक़िस्मकी फ़ौजदारी अदालतें होंगी हस्बमुफ़स्सिलै ज़ैल-

फौजदारी अ़दालतों केअकसाम,

१--अ़दालतहाय सिशन॥

२--अ़दालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी॥

३--अ़दालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल॥

४--अ़दालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेट दर्जैदोम॥

५—अदालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेटदरजैसोम ॥

(बे)—किस्मतहाय अरज़ो ॥

सिशनकी किस्मतें, इजलाअ,

दफा ७—*हरसूबा बइस्तस्नाय बलाद प्रेज़ीडंसी के सिशन की क़िस्मतहोगा या सिशन की क़िस्मतों पर मोहतवीहोगा ॥

और हरक़िस्मत सिशन इसमजमूये की अग़राजकेलिये बक़दर एकज़िला या चंद इज़लाअ के होगी ॥

किस्मतों औरजिलोंकी तब्दीलीका इख्तियार,

लोकलगवर्नमेण्ट को अख्तियार है—कि ऐसी किस्मतों और ज़िलोंकी हुदूदको तब्दीलकरे—या बाद हुसूल मंजूरी जनाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल के उनकी तादाद बदलदे ॥

मौजूदाकिस्मतों और ज़िलोंका बरकरार रहना जबतक कि तब्दीलीनहो,

क़िस्मतहाय सिशन और इज़लाअ जो बवक्त निफाज़ इस मजमूये के मौजूदहों बजुज़ इसके और उसवक्ततक कि उनमें तब्दीलीनहो क़िस्मतहाय सिशन और इज़लाअ बनेरहेंगे॥

वल्दैहायप्रेजीडंसीइजलाअतसव्वरकियेजायंगे,,

इस मजमूये की अग़राजके लिये हरबल्दै प्रेजीडंसी एक ज़िला समझाजायेगा ॥

इजलाअ को हिसस ज़िलेपर तक़सीमकरने का अख्तियार,

दफा ८—लोकलगवर्नमेण्ट मजाज़ है—कि किसी ज़िलै वाक़ै बेरूं बल्दैहाय प्रेज़ीडंसीको हिससमें तक़सीम करे—या ऐसे ज़िलके किसीजुज्वको एक हिस्सा ज़िलाक़रारदे—और किसी हिस्से ज़िलै की हुदूदको तब्दीलकरे ॥

मौजूदा हिससजिलअ बरकाररहेंगे,

तमाम हिससज़िला मौजूदह जो दरीविला उमूमन् किसी मजिस्ट्रेट के एहतिमाममें रक्खेजाते हैं उनकी निस्बत यह समझा जायेगा कि इस मजमूये के बमूजिब क़ायम कियेगये थे ॥

---

* अपर ब्रह्माकी अदालत हाय सिशन के बारेमें कानून७—सन्१८८६ ई० के जमीमे की दफा ३—देखो,

(जीम)--अदालतें और सरिश्तेंवाके वेरू बलाद प्रेजीडंसी ॥

दफा९--+लोकलगवर्नमेंट को चाहिये कि हर एक किस्मत

अदालत सिशन, सिशनकेलिये एकअदालत सिशन मुकर्ररकरे--और उस अदालत का एकजज मामूरकरे ॥

नीज़लोकलगवर्नमेण्टको अख्तियारहै-कि ऐसीएक या ज़ियादह अदालतोंमें अख्तियारात अमलमें लानेकेलिये एडीशनल सिशन जज औरजायंट सिशनजज औरअसिस्टंट सिशनजज मुकर्ररकरे॥

तमाम अदालतहाय सिशन जो बवक्त निफाज़ मजमूये हाज़ा मौजूदहों ऐसी समझीजायेंगी कि हस्ब ऐक्ट हाज़ा कायमहुईथीं ॥

दफा १०--हरऐसेज़िलेमें जो बलदेहाय प्रेजीडंसी केबाहरहो लोक-

ज़िलेका मजिस्ट्रेट, लगवर्नमेण्ट को लाज़िमहै कि एक मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल मुकर्ररकरे जो ज़िलेका मजिस्ट्रेट कहलायेगा ॥

दफा ११--जबकभीबाअस खालीहोजाने ओहदैमजिस्ट्रेटज़िले

ज़िलेकेमजिस्ट्रेटओहदे पर ओहदेदारोंका बतौर चन्दरोजा कायम होना, के किसी और ओहदेदारको ज़िलेके इन्तिज़ामके अख्तियारात आला बतौरचन्दरोज़ा हासिलहोजायँ तो ऐसेओहदेदारको लाज़िम है कि तासिदूर हुक्मलोकलगवर्नमेंटके वह उन तमाम अख्तियारात नाफ़िज़ और खिदमात की तामीलकरे जो इस मजमूये की रूसे ज़िले के मजिस्ट्रेट को मुफव्विज और सिपुर्दहुई हैं ॥

दफा १२--लोकलगवर्नमेण्ट को अख्तियार है—कि किसी

मातहतकेमजिस्ट्रेट, ज़िले में जो बलाद प्रेजीडंसी के बाहरहो अलावह मजिस्ट्रेट ज़िलेके जिसक़दर अशखासको लायक और मुनासिब समझे ओहदे हाय मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल या मजिस्ट्रेट दरजैदोम या मजिस्ट्रेट दरजै सोमपर मुकर्ररकरे-और लोकलगवर्नमेण्ट या ज़िलेके मजिस्ट्रेटको बइतबाअहुकूमत लोकलगवर्नमेण्टके अख्तियारहोगा कि वक्तन् फवक्तन् उनरकबैहाय अरजीकी

+अपरब्रह्मा की अदालतहाय सिशन के बारेमें कानून ७—सन् १८८६ ई० के ज़मीमे की दफ़ा ३—देखो ,,

ताईनकरदे जिनकेअंदर ओहदेदारान् मौसूफैन उन अख्तियारात में से सब या बाजको नाफ़िज करैंगे जो इससजमूयेके मुताबिक़ उनको अताहुये हों ॥

बजुज़ इसके कि ताईन मजकूर की रूसे दीगर नेहज पर हुक्म हो अख्तियार समाअत व अख्तियारात अशखास मज़कूर कुल ज़िले मज़कूर से मुतअल्लिक होंगे ॥

दफ़ा १३ —लोकलगवर्नमेरट को अख्तियार है—कि किसी मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल या दरजे दोम को किसी हिस्सै ज़िले का एहतमाम सिपुर्दकरे और बहस्ब जरूरत उसे एहतमाम मज़कूर से सुबुकदोश करे ॥

हिस्सा जिलाकाएहतमाम मजिस्ट्रेटके सिपुर्दकरनेका अख्तियार,

ऐसे मजिस्ट्रेट सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट कहलायेंगे ॥

लोकलगवर्नमेरट मजाज़ है—कि अपने वह अख्तियारात जो इसदफ़ाकी रूसे उसको हासिल हैं साहब मजिस्ट्रेट जिले को तफ़वीज़ करे ॥

मजिस्ट्रेटज़िलेकोअख्तियारातकातफवीज होना,

दफ़ा १४—लोकलगवर्नमेरट मजाज़ है—कि तमाम या बाज वह अख्तियारात जो हस्बशरायतया मुताबिक़ मजमूये हाजाके किसी मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल या दरजे दोम या दरजे सोमको मुफ़व्विज़ होचुकेहों या मुफ़व्विज़ होसक्ते हों निस्बत किसी मुक़द्दमात खास या निस्बत किसी खास क़िस्म या अक़साम के मुक़द्दमातके या उमूमन् निस्बत मुक़द्दमात के किसी रक़बे अर्ज़ी में बेरूंबलाद प्रेज़ीडन्सीके किसीशख्सको अताकरे ॥

इस्पेशल मजिस्ट्रेट,

ऐसे मजिस्ट्रेट इस्पेशल मजिस्ट्रेट कहलायेंगे ॥

लोकल गवर्नमेंट मजाज़ है—कि बादहुसूल मन्ज़ूरी जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसल अपने तहत हुकूमत के किसी ओहदेदार को वह अख्तियार जो इस दफ़ाके फ़िक़रै अव्वलकीरूसे अताहुआ है ऐसी क़यूदके साथ मुफ़व्विज़करे जो उसको मुनासिब मालूम हों ॥

इस दफ़ाके बमूजिबकिसी ओहदेदार पुलिसको जो असिस्टएट

सिपुरिन्टेन्डन्ट ज़िले से कमरुतबारखता हो कुछ अख्तियारात त-
फ़वीज़ न कियेजायेंगे और कुछ अख्तियारात इसतरह तफ़वीज़
न कियेजायेंगे बजुज़ इसके कि जहांतक वास्ते क़ायमरखने अम-
न व इन्सदाद जुर्म व सुराग़ लगाने व गिरफ्तार करने व हिरास-
तमें रखने मुजरिमान के वग़ैरज़ उनके अहज़ार के रूबरू मजिस्ट्रे-
टके और वास्ते तामील किसी और खिदमातके मिन्जानिब ओ-
हदेदार मज़कूर के जो उसको बमूजिब किसीक़ानून नाफ़िज़ुलव-
क़्के सिपुर्द हुईहों ज़रूरतहो * ॥

मजिस्ट्रेटोंकेबेंच, दफ़ा १५-लोकल गवर्नमेंट इस अम्रकी हिदायत करनेकी मजाज़ है कि किसी मुक़ाम वाक़े बेरूं बलाद प्रे-
जीडंसीपर दो या ज़ियादह मजिस्ट्रेट बतौर बेंच याने जल्साहु-
काम के यकजा इजलासकरें-और उसको जायजहै कि ऐसे बेंच
को वह आख्तियारात तफ़वीज़करे जो इस मज़मूये के मुताबिक़
मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल या दरजै दोम या दरजै सोम को अता
कियेगये या अता होसक्ते हैं--और यह हिदायत करे कि बेंच म-
ज़कूर ऐसे आख्तियारात सिर्फ़ उन मुक़द्दमातमें या अक़साम मु-
क़द्दमात में और उन हुदूद अरज़ीके अन्दर नाफ़िज़करे जो लो-
कलगवर्नमेण्ट को मुनासिब मालूम हों ॥

खासहिदायतोंकेनहोनेकीसूरतमेंवह अख्तियारातजोबजरियेबेंचअमलमेंआसकेंगे, बजुज उससूरत के कि किसी हुक्म मुसद्दिरे हस्ब इक्तिज़ाय
फ़ेहाज़ामें कुछ और मज़मून हो ऐसेहर
बेंच को वह अख्तियारात तफ़वीज़ होंगे
जो इस मजमूये के मुताबिक़ उसमजि-

*बावजूद मुन्दर्ज रहने किसी मज़मूनके दफ़ा१४--में आसामके किसी ओहदे-
दार पुलिसको जो असिस्टंट सिपुरिंटंडंटज़िलेसे कम रुतबा न रखताहो दरखु-
सूस उन मुक़द्दमातके जो दस्तअन्दाज़ी अदालतके क़ाबिल नहीं वह अख्तियारात
या उनमेंसे कोई अख्तियार तफ़वीज़ कियाजासक्ताहै जो मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल
या दोम या सोमको बख्शागयाहै या बख्शाजासक्ता है क़ानून २-सन् १८८३ ई०
की दफ़ा ४—देखो,

अपरब्रह्मा में ओहदेदारान पुलिस को अख्तियारात मजिस्ट्रेटी के बख्शने
के बारे में क़ानून ७-सन् १८८६ ई० के जमीमा की दफ़ा ४—देखो,

स्ट्रेट को तफ़वीज़ हुयेहैं जो सबसे आलादरजा रखता हो और जो बतौर मेम्बर बेंचके हाज़िर होकर कार्रवाई में शरीक हो-- और ऐसा बेंच हत्तुलइम्कान इस मजमूयेकी अग़राज़ के लिये उस दरजेका मजिस्ट्रेट समझा जायेगा ॥

बेंचोंकी हिदायत के लिये कवाअदमुरत्तिब करनेका अख़्तियार,

दफ़ा १६--लोकलगवर्नमेण्ट या साहब मजिस्ट्रेट ज़िला बइ-तबाअ हुकूमत लोकलगवर्नमेण्ट मजाज़ है कि वक्तन्फ़वक्तन् क़वाअद मुनासिब जो इस मजमूये के मुताबिक़ हों वास्ते हिदायत बेंच-हाय मजिस्ट्रेट मुतअय्यना किसी ज़िलेके उमूरमुफ़स्सिले ज़ैलकी बाबत मुरत्तिब करे ॥

(अलिफ़)--निस्बत अक़्सामुक़द्दमाततजवीज़तलब के ॥

(बे)--निस्बत औक़ात और मुक़ामात इजलास के ॥

(जीम)--निस्बततक़र्ररबेंच वास्तेतजवीज़ मुक़द्दमात के ॥

(दाल)--निस्बत तरीक़ा तस्फ़िया इख़्तिलाफ़ात राय के जो माबैन सहाबान मजिस्ट्रेटान बवक़्त इजलासके ज़हूरपिज़ीरहों ॥

मजिस्ट्रेटों और बेंचोंका ज़िलअके मजिस्ट्रेटके मातहतहोना,

दफ़ा १७--जुमले साहिबान मजिस्ट्रेट जो दफ़आत १२-व १३-व १४-की रूसे मुक़र्रर और जुमले बेंच जो दफ़ा १५-के मुताबिक़ बज़ाकियेजायें ज़िले के साहब मजिस्ट्रेट के मातहत होंगे--औरउसे अख़्तियार रहेगा कि वक़्तन् फ़वक़्तन् क़वाअद जो मजमूये हाज़ा के नक़ीज़ न हों निस्बत तक़सीमकार माबैन साहबान मजिस्ट्रेट और बेंचहाय मज़कूर के मुरत्तिब करे--और

हिस्सेज़िलेकेमजिस्ट्रेटकेमातहतहोना,

हरमजिस्ट्रेट (जो मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला न हो) और हर बेंच जो किसी हिस्से ज़िले में अख़्तियारात नाफ़िज़ करता हो हिस्सेज़िलेके मजिस्ट्रेट के मातहत होगा-मगर साहब मजिस्ट्रेट ज़िला उसपर हुकूमत आम रक्खा करेगा ॥

असिस्टंटसिशनजज

जुमले साहबान असिस्टंट सिशन जज ताबै उससिशन जजके होंगे जिसकी अदालत में वह अख़्तिया-

कासिशनजजकेताबेहोना, रात अमलमें लातेहों--और उसे अख्तियारहै
कि वक्तन् फवक्तन् क़वाअद जो ऐक्टहाज़ाकेनक़ीज़ न हों निस्बत
तक़सीम कार मावैन साहिबान असिस्टंट सिशनजज मज़कूरके
मुरत्तिब करे ॥

साहब मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट या बेंच जो मुताबिक
दफ़आत १२ व १३ व १४ व १५ मुक़र्रर और मौजूअ कियाजाय
कोई उनमें से साहब सिशनजजकेमातहतनहोगा इल्ला उस हद्द-
तक और उसतौरपर जो आयन्दा बसराहत ज़ाहिरकियागया है ॥

(दाल)-अदालत हाय साहिबान
मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी ॥

दफ़ा१८—लोकल गवर्नमेण्ट को लाज़िम है कि वक्तन् फवक्तन्
साहबान मजिस्ट्रेट अशखास को बतादाद क़ाफ़ी (जो आयंदा
प्रेजीडेंसीका तकर्रर, बलकबसाहबान मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडन्सीनामज़दहैं)
हर एक बल्दै प्रेज़ीडन्सी के लिये मजिस्ट्रेट मुक़र्ररकरे-और उनमें
से किसी एकशख्सको ऐसे किसी बल्दैका चीफ़ मजिस्ट्रेट क़रारदे॥

जायज है कि उनमें से दो या ज़ियादह अशखास (बइतबा-
अ उन क़वाअद के जो बतजवीज़ चीफ़मजिस्ट्रेट अज़रूय अ-
ख्तियारात मुफ़व्विजै आयन्दा मुरत्तिब किये जायँ) शामिल
होकर बतौर बेंचके यकजा इजलास करें ॥

दफ़ा १९--हरमजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी अपने अख्तियारात उस
उनके इलाका अख्तियारकी हुदूदअरज़ी, बल्दै प्रेज़ीडन्सी के कुल मुक़ामातमें जिस के
लिये वह मुक़र्रर हुआहो और नीज़ अंदरहुदूद
बंदर बल्दै मज़कूरके और हरएकदरियाय क़ाबिलरवानगी किश्ती
या नहरकी हुदूदमें जो उसमें जामिलाहो मुताबिक़ सराहतहुदूद
मुन्दरजै उस क़ानूनके नाफ़िज़करेगा जो वास्ते इन्तिज़ाम बंदर
और महसूलात बंदरके उसवक्त निफ़ाज़पिज़ीर हो ॥

दफ़ा २०—हरमजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी मुतअल्लिक़ै बल्दै बम्बई वह
बम्बई के कोर्ट तमाम अख्तियारात अमलमें लायेगा जो बसू-
आफ पेटी सिशन, जिन किसी क़ानून मजारिये ऐनमाक़ब्ल

यकुमअप्रैल सन् १८७७ ई० के कोर्ट आफ़पेटी-सिशनकी तरफ़ से बल्दै मज़कूर में तामील पाते थे ॥

मगर शर्त्त यह है--कि मुक़द्दमात अपीलमुताबिक़ उसक़ानून के जो बाबत इन्तिज़ाम म्यूनिसिपिल्टी बंबई के किसी वक्त जारीहो सिर्फ़ चीफ़माजिस्ट्रेट के हुजूर दायर होसकेंगे ॥

(चीफ माजिस्ट्रेट) दफ़ा २१--हरचीफ़ माजिस्ट्रेट अपनेइलाक़ै अख़्तियारकी हुदूद अरज़ी के अन्दर वह तमाम अख़्तियारात नाफ़िज़करेगा जो उसेबमूजिब मजमूये हाज़ा अताहुयेहों या बमूजिब किसी क़ानून या क़ायदे नाफ़िज़•ऐनमाक़ब्ल उस वक्त के जब यह मजमूआ असर पिज़ीर होजाय किसी माजिस्ट्रेट आज़म या चीफ़माजिस्ट्रेटकी मारफ़त अमल में आने चाहियें--और उसको अख़्तियार होगा कि वक्तन् फ़वक्तन् लोकलगवर्नमेंट की मंज़ूरी पहिले से हासिल करके ऐसे क़वायद जो इसमजमूये के मुताबिक़ हों वास्ते इन्तिज़ाम उमूर मुफ़स्सिलैजैलके मुरत्तिब करतारहे ॥

(अलिफ़)-निस्बतकार्रवाई वतक़सीम ख़िदमात और ज़ाबितैअमल•अदालत हायसाहिबान माजिस्ट्रेट बल्दैके ॥

(बे)-निस्बत औक़ात और मुक़ामातके जहां माजिस्ट्रेटों के बेंचों का इजलास होगा ॥

(जीम)-निस्बत तौज़ीअ ऐसे बेंचों के--और

(दाल)-निस्बततरीक़ातस्फ़ियइख़्तिलाफ़ातआराके जो बवक्त इजलास माबैन मजिस्ट्रेटों के वाक़ै हों ॥

(हे)-जस्टिस आफ दीपीस ॥

(जस्टिसआफ दीपीस मुफ़स्सिलके लिये) दफ़ा २२--जनाबनव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर इजलास कौंसल को जहांतक बलादप्रेजीडन्सी के बाहर ब्रिटिश-इंडियाके कुलक़लमरौ या उसके किसी जुज्व से तअल्लुक़ है ॥

और हर लोकलगवर्नमेंट को जहां तक बइस्तस्नाय बलाद प्रेजीडन्सी मज़कूर उसके मुमालिक ज़ेरहुकूमत से तअल्लुक़है ॥

अख़्तियारहोगा कि बज़रिये इश्तिहार मुन्दर्जै गजट सर्कारी के

उसक़दर रिआयाय बृटानिया अहल यूरोपको जो जनाबमुफख़्खर अलेहुम् या लोकलगवर्नमेण्ट को मुनासिब मालूम हो उन मुमालिक के अन्दर और उनके लिये जस्टिस आफदीपीस मुक़र्रर करे जिनकी सराहत इश्तिहार मज़कूरमें हो ॥

दफ़ा २३--जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेण्ट को जहांतक बल्दै कलकत्ते से तअ़ल्लुक़ है ॥

जस्टिस आफदीपीस बलादप्रेजीडंसीके लिये,

और लोकलगवर्नमेण्ट को जहांतक बलाद मदरास और बंबई से तअ़ल्लुक़ है ॥

अख़्तियार होगा—कि बज़रिये इश्तिहार मुन्दरजै गज़ट सर्कारी के उस बल्दैकी हुदूद के अन्दर जो इश्तिहार में मज़कूरहो किसी अशख़ास साकिन ब्रिटिशइंडिया को जो किसी रियासत ग़ैरकी रिआ़या न हों और जिनको गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेण्ट (जैसी सूरतहो) लायक़ समझे ओहदैजस्टिस आफ़दीपीसपर मामूरकरे ॥

दफ़ा २४-हर वह शख़्स जो बज़रिये कमीशन मजारिये हाईकोर्टके ब्रिटिशइंडिया के किसी जुज़्वकेअंदर और उसकेलिये बइस्तस्नाय बलाद प्रेजीडंसीकेबिल्फ़ैल काम जस्टिस आफदीपीसका अंजाम देताहो ऐसा समझाजायेगा कि गोया वह दफ़ा २२-के मुताबिक़ जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल के हुक्मसे ब्रिटिशइण्डिया के तमाम क़लमरौ के लिये बइस्तस्नाय बलाद प्रेजीडंसी जस्टिसआफदीपीस का काम अंजाम देनेके लिये मुक़र्रर हुआ है ॥

बिल्फ़ेलकेजस्टिस आफदीपीस,

हर ऐसा शख़्स जो क़िस्म मज़कूर के किसी कमीशन के ज़रिये से किसी बल्दै मज़कूरै सदरकी हुदूदके अन्दर कामजस्टिस आफ़दीपीस का बिल्फ़ैल अंजाम देताहो ऐसा समझा जायगा कि वह दफ़ा २३-के बमूजिब लोकलगवर्नमेण्ट के हुक्मसे मुक़र्रर कियागयाहै ॥

दफ़ा २५--जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर और जनाब

यवसआफ़िशियर यानी ओहदोंकेएतबारसेजस्टिस आफदीपीस,

मभदूह की कौंसलके मामूली मेम्बरान और हाईकोर्ट के साहिबानजज और रिकार्डररंगून अपने २ ओहदों के एतबार से कुल ब्रिटिश-इण्डियाके लिये और उसके अंदर जस्टिस आफ़दीपीसहैं * और साहबान सिशनजज व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कुलकलमरौके अन्दर और उसकुलकलमरौकेलिये जो उस लोकलगवर्नमेण्ट के जेर नज्म व नुस्क़हों जिसके मातहत वह कारगुज़ारहैं जस्टिस आफदीपीसहैं — और साहबान मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी उनबलादके अन्दर और उनकेलिये जस्टिस आफ़दीपीस हैं जिनमें वह मजिस्ट्रेट का ओहदा रखतेहैं ॥

(बाब)-मुअत्तली और मौकूफी ॥

साहबानजज व साहबान मजिस्ट्रेटकी मुअत्तली व मौक़ूफी,

दफ़ा २६—जायज़है कि लोकलगवर्नमेण्टके हुक्मसेतमामसाहिबानजजअदालतहायफौजदारी बइस्तस्नायअदालतहाय हाईकोर्टकेजोअजरूय सनदशाहीकेकायमहुईहों औरजुमलेसाहिबान मजिस्ट्रेट ओहदेसे मुअत्तल या मौकूफ़ कियेजायँ ॥

मगरशर्त्त यह है कि ऐसे साहिबानजज और मजिस्ट्रेट जो बिलफ़ैल सिर्फ़ जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलके हुक्म से ओहदेसे मुअत्तल या मौकूफ़ होनेके लायक़ हैं किसी और हाकिमके हुक्मसे मुअत्तल या मौकूफ़ न होसकेंगे॥

जस्टिस आफदी पीस की मुअत्तली व मौकूफी,

दफ़ा २७--जनाबनव्वाब गवर्नर जनरलबहादुर बइजलासकौंसलमजाजहैं कि अपने मुकर्रर कियेहुये किसी जस्टिस आफ़दीपीस को ओहदेसे मुअत्तल या मौक़ूफ़ करें-और लोकलगवर्नमेण्ट मजाज़है कि अपने मुकर्रर कियेहुये किसी जस्टिस आफ़दीपीस को ओहदेसे मुअत्तल या मौकूफ़करे ॥

---

* यह अलफाज दफा २५-में ऐक्ट ३ सन् १८८४ की दफा १--की रूसेमुन्दर्ज किये गये हैं,

बाब--३ ॥

अदालतोंके अख्तियारात ॥

(अलिफ़)-तसरीह उन जरायम की जो हरअदाल
की समाअत के लायक़ हैं ॥

जरायम मुसर्रहमजमूअ ताजीरातहिंद, ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई०,

दफ़ा २८--बपाबन्दी दीगर अहकाम मजमूये हाजाके
है कि तजवीजहरजुर्ममुसर्रहमजमूये
हिंदकीअदालत हाईकोर्ट या अदाल
या किसी और ऐसी अदालतकी मारफ़त कीजाय ज
दोम के खाने ८ की रूसे उसकी त
मजाज जाहिर कीगई हो ॥

जरायम जोकिसी और कानून में मुसर्रहहैं,

दफ़ा २९--तजवीज हर जुर्म मुसर्रह किसी और क
अगर उस कानून में कोई खास
उसकी मुजाव्विज क़रार पाईहो उस
लत की मारफ़त होगी ॥

अगर उस कानून में किसी अदालतका जिक्र न हो
ज है--कि उस जुर्मकी तजवीज हाईकोर्ट या किसी और
की मारफत हो जो इस मजमूये के बमूजिब मुक़र्रर हुई
शर्त यह है कि--

(अलिफ़)-कोई मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल ऐसे किसी
तजवीज न करेगा जो काबिल ऐसी सजाय कैदके हो
मीआद ७-सात बरस से जियादह होसक्ती है ॥

(बे)-कोई मजिस्ट्रेट दरजै दोम ऐसी किसी जुर्मकी
ज न करेगा जो काबिल ऐसी सजाय कैदकेहो जिसकी
३-तीन बरसतक होसक्ती हो--और

(जीम)-कोई मजिस्ट्रेट दरजै सोम ऐसे जुर्मकी
न करेगा जो काबिल ऐसी सजाय कैदके हो जिसकी
एक बरस तक होसक्ती है ॥

वह जरायम जो लाय

दफ़ा ३०--उन मुमालिकमें जो जेरहुकूमत जनाब न
फ़िटनेंट गवर्नर बहादुर पंजाब और

क सजाय मौतके नहींहैं, बान चीफ कमिश्नर मुमालिक अवध और मुमालिक मुतवस्सित और ब्रिटिश ब्रह्मा और कुरग और आसाम के हैं और बाकीमुमालिक के उन अतराफ में जहां २ साहबान डिपुटी कमिश्नर या असिस्टण्टकमिश्नर मुकर्रर हैं लोकलगवर्नमेंट को बावजूद इसके कि दफ़ा २९--में कुछ और हुक्म मुन्दर्ज हो अख्तियार है--कि जिलेके मजिस्ट्रेटको यह अख्तियार अता करे कि वह बहैसियत मजिस्ट्रेटी उन कुल जरायमकी तजवीज करे जो लायक सजाय मौतके नहीं हैं॥

(बे)-बाबत अहकाम सजा जो मुख्तलिफ़ दरजोंकी अदालतों से सादिर होसक्ते हैं॥

दफा ३१--जायजहै कि हाईकोर्ट कोई हुक्म सजा जोकानूनन् जायज हो सादिर करे॥

वहअहकामसजाजोहाई-कोर्ट और साहबान सिशनजजसादिर करसक्तेहैं,

सिशनजज या ऐडीशनल सिशनजज या जायंटसिशनजज कोईऐसा हुक्म सजासादिर करसक्ताहै जोकानूनन् जायजहो-मगर जब ऐसा जज सजाय मौत का हुक्म सादिर करे तोवह मोहताज बहालीहुकाम हाईकोर्ट का होगा॥

असिस्टंटसिशनजज मजाजहै--कि कोईहुक्म सजा जो कानूनन् जायज हो सादिरकरे--बइस्तस्नाय हुक्मसजाय मौत याहब्स बउबूर दरियाय शोर ७-सात बरससे जियादहकेलिये या कैद ७-सात बरस से जियादह मीआद के मगर हरहुक्म सजाय कैद * मुसद्दिरै असिस्टंटसिशनजज जिसकीमीआद४-चारबरससे जियादह हो और हरहुक्म सजाय हब्स बउबूर दरियाय शोर मुसदिरै असिस्टंट सिशनजज मजकूर * मोहताज बहाली सिशन जजका होगा॥

दफा ३२--साहिबान मजिस्ट्रेटकी अदालतों को अख्तियारहै-

- यह अलफाज दफा ३१-में ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० की दफा १-की रूसे साबिक अल्फ़ाज़ के एवज कायम किये गये हैं,

वहअहकामसजाजोसाहबान मजिस्ट्रेट सादिरकरसक्तेहैं, — कि अहकाम सजा मुफ़स्सिलै जैल सादिरकरैं॥

(अलिफ़)-अदालतहाय साहिबान मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी और साहिबान मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल — कैद जोर-दोबरससे जियादहन हो मै उसकदर कैदतनहाईके जो कानूनन् जायजहो- जुर्माना जिसकी मिकदार एकहजार रुपयेसेजियादहनहो-ताजियाना-- ※

(बे)-अदालतहाय साहबान मजिस्ट्रेटदरजै दोम — कैदजिसकी मीआद ६-छःमहीने से जियादह न हो मै उसकदर कैद तनहाई के जो कानूनन् जायज हो—— जुर्माना जिसकीमिकदार २००दोसौरुपयेसे जियादहनहो-ताजियाना ——

(जीम)-अदालत हाय मजिस्ट्रेट दरजै सोम — कैद जिसकी मीआद एकमहीनेसे जियादह न हो·जुर्माना जिसकी मिकदार ५० पचास रुपये से जियादह नहो——

हर अदालत मजिस्ट्रेटको अख्तियारहै-कि ऐसाहुक्म सजाय कानूनी सादिरकरे जिसमें ऐसी चन्दसजायें शामिलहों जिनकी तजवीजकरनेका उसको कानूनन् अख्तियारहो ॥

कोई अदालत मजिस्ट्रेट दरजै दोम हुक्मसजाय ताजियाना सादिर नहींकरसक्ती है बजुज इसके कि लोकलगवर्नमेंट से बिलखसूस इस बाबमें उसको अख्तियार अताकियाजाय ॥

दफ़ा ३३--हर मजिस्ट्रेटकी अदालत मजाजहै-कि दरसूरत अदमअदाय जुर्माना उस मीआद की कैद तजवीजकरै जो कानूनन् अदम अदाय जुर्मानेकी सूरतमें जायजहो बशर्त्ते कि वह मीआद मजिस्ट्रेटके उस अख्तियारसे बाहर न हो जो इसमजमूयेकी रूसे उसको अताहुआ है॥

(दरसूरतअदमअदायजुर्मानाके मजिस्ट्रेटोंकोहुक्म सजायकैद सादिर करने काअख्तियार,)

※ अपर ब्रह्माके मजिस्ट्रेटों के उन अख्तियारातकेलिये जोहुक्मसजायताजियानावगैरके सादिर करनेकेबारेमेंहैंकानून७-सन्१८८६ई०केजमीमे की दफ़ा ५-देखो-मगररिआयाय बरतानी अहलयूरपकेबारेमें उसीजमीमे कीदफ़ा२२-देखो,

और यहभी शर्तहै—कि किसी मुकद्दमे मुन्फसिलै साहब मजि-

शर्तमुतअल्लिकबाब सूरतोंके, स्ट्रेटमें जिसमें हुक्म कैदका असलहुक्म सजा का एक जुज्वहो वह मीआदकैद जो बकुसूर अदम अदाय जुर्माना तजवीज कीजाय उस अरसे कैदके एक चहारुमसे जियादह न होगी जो मजिस्ट्रेट मज़कूर उस जुर्मके एवज आयद करसक्ताहो बजुज इसके कि वह कैद दरसूरत अदम अदाय जुर्माना आयद कीजाय॥

जो कैद इसदफाके बमूजिब तजवीजकीगईहो वह जायजहै कि अलावह असल हुक्मसजाय कैद बाबत उस सबसे बड़ी मीआदके हो जो मजिस्ट्रेट हस्ब दफा ३२—सादिरकरसक्ताहै॥

बाज़मजिस्ट्रेटज़िला के अख़्तियारातआला, दफा ३४—+ऐसे मजिस्ट्रेटजिलेकी अदालतको जिनको दफा ३०—कीरूसे अख्तियार खासदियागया हो ऐसेहुक्म सजाके सादिर करने का अख्तियारहोगा जो कानूनन् मजाजहो-बजुज उसहुक्म सजाय मौत या कैद बउबूर दरियायशोर के जिसकी मीआद ७-सातबर्षसे जियादहहो—या हुक्मसजाय कैदके जिसकीमीआद७-सातबर्षसे जियादहहो—मगर हरहुक्मसजायकैद जिसकी मीआद *४—चारबर्षसे जियादह हो और हरहुक्म सजायकैद बउबूर दरियाय शोर ताबे बहाली साहब सिशनजज*के होगा॥

हुक्मसजा उनसूरतोंमें किजबएकही तजवीजमेंच दफा ३५—जब किसी शख्सपर एकही तजवीज में दो या जियादह जुदागाना जरायम साबितकिये जायँ तोअदालत मजाजहै-कि ऐसेजुर्मोंकी

+दफा३४-ऐक्ट१०सन्१८८६ई०कीदफा२-कीरूसेसाबिकादफाकेएवज़कायमकीगईहै

*-*उन मुकामात में जहां कानून मुसद्दिरासन् १८८७ई०मुतअल्लिक जरायम सरहद्दी पंजाब नाफिज है कोई ऐसाहुक्म सजा जो साहब मजिस्ट्रेट जिलाया साहब अडीशनल मजिस्ट्रेट जिलाने उस अख्तियारकी तामीलमें सादिर किया हो जो दरबारे तजवीज करने बहैसियत मजिस्ट्रेट किसी ऐसेजुर्म के है जिस में सज़ायमौत नहीं होसक्तीहै -मोहताजबहाली सिशनजजका नहीं है—देखो कानून ४ सन् १८८७ ई० की दफे ७-जिम्न (१),

न्दजरायमसाबितकियेजायं, इस्सूरतमेंवहमुतअद्दिदसजायेंमुजरिमकेलिये तजवीजकरे जो जरायम मजकूरके लिये मुकर्रर हैं और जिसकदर अदालतको आयदकरनेका अख्तियारहै-औरचाहिये कि वहसजायें जब कैद या हब्स बउबूरदरियायशोरकी किस्मसेहों यकेबाददीगरे उस तरतीबसे शुरूअ की जायँ जिसकी अदालत हिदायतकरे ॥

अदालत को महज इस वजहसे कि उन जरायममुतअद्दिदकी सजायमजमूई उसमिक़दारसजासे जियादहहै जिसके आयद करनेकी अदालतमौसूफा बहालत सुबूत जुर्म वाहिद मजाजहै जरूर न होगा कि मुजरिमको अदालत बालातर के हुजूरमें तजवीज मुकद्दमे के लिये भेजदे ॥

मगर शर्त्त यहहै कि-

(अलिफ)--किसी सूरतमें मुजरिम मजकूरकी निस्बत १४-सजाकादर्जाइन्तिहा, चौदह बरससे जियादह मीआदके लिये कैद का हुक्म सादिर करना जायज न होगा ॥

(बे)-अगर मुकद्दमेकी तजवीज (उसमजिस्ट्रेटके सिवाय जो दफा ३४-के बमूजिबअमल करताहो) किसी और मजिस्ट्रेटकी मारफतहो तो मजमूई सजा उस सजाकी दोचन्द मिकदार से जियादह न होगी जिसको मजिस्ट्रेट अपने मामूली अख्तियारकी रूसे आयद करसक्ता है ॥

हुक्म सजाकी बहाली या उस्से अपील करने के लिये हुक्म सजाय मजमूई का जो इस दफ़ा के बमूजिब उस मुकद्दमे में सादिर हो जिसमें मुतअद्दिद जरायम एकही तजवीज में साबित कियेजायँ बमंजिले हुक्म सजाय वाहिद के मुतसव्विर होगा ॥

(जीम)—अख्तियारात मामूली और जायद ॥

दफा३६-+तमाम साहबानमजिस्ट्रेटजिला औरसाहबानमजि-

+अपरब्रह्माकेमजिस्ट्रेटोंकेअख्तियारातकेबारेमेंकानून७सन्१८८६ई०के जमीमाकी दफा८-देखो-मगररिआयायबरतानीअहलयूरपकेबारेमेंउसीजमीमाकीदफा२२देखो,

मजिस्ट्रेटोंकेअख्तियारातमामूली,

स्टेट हिस्सा जिला औरसाहबान मजिस्ट्रेट दरजै अव्वलवदरजैदोम व दरजैसोमकोवहअख्तियारात हासिलहैं जो बादअर्जी उनको अताहुये हैं और जिनकी सराहत जमीमैसोम में मुन्दर्ज है और यह अख्तियारात उनके "मामूली अख्तियारात" कहलाते हैं ॥

अख्तियारातमजीदजोसाहबान मजिस्ट्रेटकोबख्शेजासक्तेहैं,

दफा ३७-+जायजहै कि किसीमजिस्ट्रेटहिस्साजिलायामजिस्ट्रेट दरजैअव्वलयादरजैदोम यादरजैसोमको लोकलगवर्नमेण्ट या किसीमजिस्ट्रेट जिलेकी तरफसे जैसा मौकाहो अलावहउसके मामूली अख्तियारातके ऐसे अख्तियारात जायद अताकियेजायँ जो जमीमै चहारुम में वह अख्तियारात करारदियेगयेहैं जो लोकलगवर्नमेण्ट या मजिस्ट्रेट जिलेकी तरफ से उसको हासिल होसक्ते हैं ॥

मजिस्ट्रेट जिला के अख्तियारअताशुदहकाताबे हुकूमत होना,

दफा ३८--अख्तियार जो मजिस्ट्रेट जिलाको अजरूयदफा ३७-अताहुआ है बइतबाअहुकूमत लोकलगवर्नमेण्ट के अमल में लायाजायेगा ॥

(दाल)—बाबत अता व बहाली व मन्सूखी अख्तियारातके ॥

अख्तियारातके बख्शने का तरीका,

दफा ३९--जब लोकलगवर्नमेण्ट इसमजमूये के मुताबिक अख्तियारात अताकरे तो उसको अख्तियार है कि अजरूय हुक्म अशखासको बतखसीस उनके इस्मायके या बइतबार उनके ओहदोंके या अकसाम ओहदेदारोंको बिलउमूम उनके ओहदोंके लकबसे अख्तियारातबख्शे ॥

हर ऐसा हुक्म उस तारीख से नाफिज़होगा जिसतारीखको हुक्म मजकूर उसशख्सके पास पहुंचायाजाय जिसे इस नेहजका अख्तियार अताहुआहो ॥

दफा ४०--जब कोईओहदेदार मुलाज़िम गवर्नमेंट जिसकोइस

+सफा २४ का फोटनोट देखो,

उन ओहदेदारों के अखित यारातका नाफिजरहना जिनकी तब्दीलीहुईहो, मजमूयेके मुताबिक़ किसी रक़बै अरज़ीके अंदर अख्तियारात बख्शे गयेहों उसीमिकदारके किसी औररकबाअरज़ीकेअन्दरउसीलोकलगवर्नमेण्ट के तहतमें उसी किस्मके किसी और ओहदेपर जोओहदे अव्वलुल्जिक्रके बराबर या उससे बालातरहो मुन्तकिल कियाजाय तोअगरलोकलगवर्नमेण्टने इसके खिलाफ हिदायत न की हो या इसके खिलाफ हिदायत नकरे शख्स मजकूर मुस्तहक होगा कि उस रक़बै अरजीमें जिसमें वह मुन्तकिल हुआ हो वही अख्तियारात नाफ़िज करतारहै ॥

अख्तियारात का मंसूखहोना, दफा ४१--लोकलगवर्नमेण्ट मजाजहै--कि किसी अख्तियारात को मंसूखकरे जो उसने या उसके किसी ओहदेदार मातहत ने इसमजमूये के मुताबिक किसी शख्स को अताकिये हों ॥

हिस्सासोम ॥

अहकाम आम ॥

बाब--४ ॥

वावत अआनत व इत्तिलारसानी बहुजूर साहिबान मजिस्ट्रेट व पुलिस और उन अशख़ास के जो गिरफ्तारी करें ॥

कवआमहको चाहिये कि साहबान मजिस्ट्रेट और पुलिसकी अआनत करे, दफा ४२--हर शख्सको लाजिम है--कि बलाद प्रेज़ीडंसी के अंदर या उनके बाहर जब कभी मजिस्ट्रेट या पुलिसअफ्सर उससेबतौरमुनासिबअआनत तलबकरे तो उमूरमुफ़स्सिलै जैलमें मदददे ॥

(अलिफ)--गिरफ्तार करने में किसी और शख्सके जिसको ऐसा मजिस्ट्रेट या अफ्सर पुलिस गिरफ्तार करनेकामजाजहै-या-

(बे)--नुक़्ज अमन के रोकने में या किसी नुकसानके रोकने म जब रेलवे या नहर या माल या तारबरकी सरकारी को नुकसान पहुंचाने का इकदाम कियाजाय -- या --

(जीम)--बलवा या हंगामा के फरो करने में ॥

दफा ४३—जब वारंटअहल्कार पुलिसके सिवाय किसी और शख्सके नाम तहरीर पाये तो हरशख्सगैरको उस वारंट की तामीलमें मदद करनेका अख्ति-यारहोगा बशर्तेकिवहशख्साजिसकेनाम वारंट तहरीर पाया है नजदीक मौजूद और वारंटकी तामील में मसरूफ हो ॥

(अहल्कार पुलिस के सिवाय किसी और शख्स को मदद करना जो तामीलवारंट करता हो)

दफा ४४—हर शख्सको आमइससे कि वहबलादप्रेजीडंसीके अंदरहो या बाहर जो किसी ऐसे जुर्मके इर्ति-काबयाकिसी और शख्सके इरादाइर्तिकाबसे मुत्तिलै होजाय जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफआत मुफ़स्सिलै जैलमें मुकर्रर है [याने]दफआत १२१ व १२१ (अलिफ) व १२२ व १२३ व १२४ व १२४ (अलिफ) व १२५ व १२६ व १३० व ३०२ व ३०३ व ३०४ व ३८२ व ३९२ व ३९३ व ३९४ व ३९५ व ३९६ व ३९७ व ३९८ व ३९९ व ४०२ व ४३५ व ४३६ व ४४९ व ४५० व ४५६ व ४५७ व ४५८ व ४५९ व ४६०--लाजिम है कि दर सूरत न होने माने किसी वजह माकूल के जिसका साबित करना खुद उसी शख्सके जिम्मे रहेगा जो उससे वाकिफ हो उस इर्ति-काब या इरादेकी इत्तिला उस मजिस्ट्रेटको जो करीबतरहो या अ-हल्कार पुलिसको फौरन पहुँचाये ॥

(आमहकोचाहियेकिबाज जुर्मोंकी इत्तिला पहुंचाये, ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०)

दफा४५-+हरगांवके मुखिया या गांवके चौकीदार या गांवकेअह-ल्कार पुलिस या मालिक या दखील अराजी और उस मालिक या दखीलकेकारिंदेकोऔर हरअहल्कार तहसील मालगुजारीया लगान अराजीको जो मिंजानिब सर्कार या कोर्ट आ-फवार्डस मामूर हो लाजिम है कि करीबतर मजिस्ट्रेट याकरीबतर

(गांव मुखियावोंऔर मालिकान अराजीवगैरह परवाजिबहैकिवाजमुआमिलातमेंरिपोर्टकरें,)

+— अपरब्रह्मामें क़ानून १४—सन्१८८७ ई० की दफा४-की रूसे दफा ४५ के एवज़ दफा मरक़ूमुल् जैल कायम की गई है,

“दफा ४५-उस मुखियाको जोअपरब्रह्माके गांवके कानून मुसद्दिरह सन्१८८७ई०

थानै पुलिसके अहल्कार मोहतमिमको याने जो करीबतरहो हरखबर जो उमूरमुफस्सिलैजैलकी बाबत उसको मालूमहोफौरन्पहुंचाये॥

(अलिफ)—जो शख्स किसी गांवका मुखिया या चौकीदारया

गांवके मुखियापरवाज मुआमिलात में रिपोर्ट करना वाजिब है,

की रूसेमुकर्ररहुआ होयहलाजिमहोगा कि करीबतरमजिस्ट्रेट या करीबतरथानापुलिसयाफौजी चौकीकेअहल्कार मुहतमिमको यानी जो करीबतरहो हरखबर जोउमूरमुफस्सिलह जैलकीबाबत उसको मालूमहो फौरन्पहुंचाये-

(अलिफ)--उसकेगांवमें जो शख्स मालमसरूका का मशहूर लेनेवाला या उसका फरोख्त करनेवाला हो उसकी सकूनत मुस्तकिल या चन्दरोजहकी बाबत-

(बे)--जिस शख्सकी निस्बत उसको मालूम या इश्तबाह माकूलहो कि वह डाकू या रहज़न या कैदी फिरारी या मुजरिम इश्तहारीहै उसके गांवके अन्दर किसी मुक़ाम में उसकी आमदकी बाबत या गांव मजकूर में होकर किसी रास्ता से उसके गुजरने की बाबत—

(जीम)--उसके गांवके अन्दर जरायम मरकूमुल्‌जैलमें से किसी जुर्मकेइर्तिकाब या अकदाम इर्तिकाब या इरादा इर्तिकाबकी बाबत (यानी)—

(१)—कत्ल,

(२)—कत्ल इन्सान मुस्तलजिम सजा जो कत्ल अमद तक न पहुंचे,

(३)—डकैती,

(४)—रहजनी,

(५)—जुर्ममुतअल्लिक़ ऐक्टमुसद्दिरहसन् १८७८ई० मजरिये हिन्द बाबत इसलह—और

(६)—कोई और जुर्म जिसकी बाबत साहब डिपटी कमिश्नर बज़रिये हुकम आम या ख़ास के साहब कमिश्नरकी मंजूरी पेश्तर हासिल करके ख़बर पहुंचाने के लिये उसे हिदायत करे,

(दाल)—उसके गांव में किसी मौत इत्तिफाकी या ग़ैरतबईके वाके होने की बाबत या बाबत किसी मौतके जो बहालात मुश्तबह वकूअ में आईहो,

तशरीह-इस दफ़ामें लफ़्ज़'गांव, के वही मानेहोंगे जो अपरब्रह्माके गांवों के क़ानून मुसद्दिरह सन्१८८७ई०की रूसे उस लफ़्ज़के लिये मुकर्रर करदिये गयेहैं,,

लोवरब्रह्माके उनहिस्सोंमें जहांलोकल गवर्नमेंटके जरियेसेऐक्ट३-सन्१८८६ई०. की दफ़ा ५--वसअ़तपिज़ीर हुईहै-- दफ़ा मरकूमुल्जैल उसदफ़ाकी रूसे दफा ४५ के एवज क़ायम की गईहै,

अहल्कारपुलिसहो या उसमें वह अराजीकामालिक या दखीलहो या उसका जरलगान या जरमालगुजारी तहसीलकरताहो या कारिन्दा होतो उसगांवमें जोशख्स मालमसरूकाका मशहूर लेने

"दफ़ा ४५-- (१)--उस मुखिया को जो लोवरब्रह्मा के गांवकेऐक्टमुसद्दिरह सन्१८८६ई० के बमूजिब मुकर्ररहुआहो-यह लाजिम होगा--कि करीबतर मजिस्ट्रेट या क़रीबतर थानापुलिस या फ़ौजी चौकी के अहल्कार मुहतमिम को यानी जो करीबतरहो हरख़बर जोउमूर मुफ़स्सिलह ज़ैलकी बाबत उसको मालूमहों फ़ौरन् पहुंचाये--

ऐक्ट ३ सन् १८८६ई०, } मुखिया पर बाज़मुआमिलातमें रिपोर्ट करना वाजिब है,

(अलिफ़)--उसके गांव में जो शख़्स माल मसरूक़ाका मशहूर लेनेवाला या उसका फ़रोख़्त करनेवाला हो उसकी सकूनत मुस्तक़िल या चंदरोजह कीबाबत,

(बे)--जिस शख़्स की निस्बत उसको मालूम या इश्तबाह मक़ूलहो कि वह डाकू या रहज़न या क़ैदी फरारी या मुजरिम इश्तहारीहै उसके गांवके अन्दर किसी मुक़ाम में उसकेआमदकी बाबत या गांव मजकूर में होकर किसीरास्तासे उसके गुज़रनेकी बाबत,

(जीम)--उसके गांव के अंदर जरायम मरकूमुल्ज़ैलमें से किसी जुर्मके इर्तिकाब या अक़दाम इर्तिकाब या इरादह इर्तिकाब की बाबत (यानी)——

(१)--क़त्ल,

(२)--क़त्ल इन्सान मुस्तलजिम सज़ा जो क़त्ल अमद तक न पहुंचे,

(३)--डकैती,

(४)--रहज़नी,

(५)--जुर्म मुतअल्लिक़ ऐक्ट मुसद्दिरह सन् १८७८ ई० मजरियह हिंद बाबत असलह — और

ऐक्ट ११ सन् १८७८ ई०,

(६)--कोई और जुर्म जिसकी बाबत साहब डिप्टी कमिश्नर बज़रिये हुक्म आम या ख़ास के साहब कमिश्नरकी मंजूरी पेश्तर हासिल करके ख़बर पहुंचानेके लिये उसे हिदायत करे,

(दाल)--उसके गांव में किसी मौत इत्तिफ़ाकी या ग़ैर तबई के वाक़े होने की बाबत या बाबत किसी मौतके जो बहालात मुश्तबह वक़ूअ में आई हो,

"(२)--दफ़ा मातहती (१) में लफ़्ज़'गांव,के वही मानेहोंगे जो लोवर ब्रह्मा के गांवके ऐक्ट मुसद्दिरह सन् १८८६ ई०की रूसे उस लफ़्ज़ के लिये मुक़र्रर करदियेगये हैं,,

ऐक्ट ३ सन् १८८६ ई०,

वाला या उसका फरोख्त करनेवालाहो उसकीसकूनत मुस्तकिल या चंद्रोजाकी बाबत ॥

(बे)-जिसशख्सकीनिस्बत उसको मालूम या इश्तिबाह माकूल हो कि वह ठग या रहजन या कैदी फरारी या मुजरिम इश्तहारी है उसीगांव के अन्दर किसीमुकामपर उसके आमदकी बाबत या गांव मजकूरमें होकर किसीरास्ते से उसके गुजरनेकी बाबत ॥

(जीम)-जो जुर्मकाबिल ज़मानत नहींहै उसीगांव में याउसके क़रीब उसके इर्तिकाब या इरादे इर्तिकाबकी बाबत ॥

(दाल)-उस गांवमें किसीमौत इत्तिफाकी या गैरतबईके वाके होनेकी बाबत या बाबत किसीमौतके जो बहालात मुश्तबह वकूअ में आईहो ॥

तशरीह--दफ़ाहाजामें गांवमें गांवकी अराजीभी दाखिल है ॥

बाब--५ ॥

बाबत गिरफ्तारी और फरार औरगिरफ्तारी मुकर्रर,

(अलिफ़)-उमूमन बाबत गिरफ्तारी ॥

गिरफ़्तार क्योंकर किया जायेगा,

दफ़ा ४६—गिरफ्तार करने के वक्त अहलकार पुलिस या और शख्स गिरफ्तारकुनिन्दाको लाज़िमहै कि उस शख्स के जिस्मको जिसकी गिरफ्तारी मंजूरहै फ़िल्वाक़े छोड़दे या कैदकरे इल्ला उससूरतमें कि वह शख्स कौलन् या फेलन् खुद हिरासत कुबूलकरे ॥

कोशिशगिरफ़्तारीमें तअर्रुज़करना,

अगर वहशख्स जिसकी गिरफ्तारी मंजूरहो उसकोशिशमें जो उसकीगिरफ्तारीकेलिये कीजाय बज़ोरतअर्रुज़ करे या गिरफ्तारी से गुरेज़करने का क़स्दकरे तो ऐसा अहल्कार पुलिस या और शख्स मजाज़होगा-कि उसकी गिरफ्तारीकेलिये हरएक तदबीर जरूरी अमलमेंलाये ॥

इसदफ़ामें कोई ऐसामज़मून नहीं है जिससे इस्तहक़ाक़वकूअ में लाने हलाकत ऐसे शख्स गिरफ्तारक़र्दाका हासिलहो जिस

पर इल्जाम जुर्म जो क़ाबिल सज़ायमौत या हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोरहो न लगायागयाहो + ॥

दफ़ा४७--अगर कोई शख्स जिसके पास वारंट गिरफ्तारीहो या कोई अहल्कार पुलिस जो गिरफ्तारी का अख्तियार रखताहो किसीवजहसे यह बावरकरे कि वहशख्स जिसकी गिरफ्तारी मंजूरहै किसी मुकाममें घुसगयाहै या उसकेअंदर मौजूदहै-तो उसशख्सको जो उसमुकाममें रहता या उसका एहतिमामरखताहो लाजिमहै—कि शख्स मज़कूरकी जो वारंटगिरफ्तारी रखता हो या अफ्सर पुलिस मज़बूरकी दरख्वास्तपर मुकाम मज़कूर में बिलामुजाहिमत जाने दे और वास्ते लेने खानातलाशी के उसको हरतरह की सहूलत माकूलदे ॥

उस जगहकी तलाशी जहां वहशख्स जिसको गिरफ़्तारकरना मंजूरहै दाखिलहुआ हो,

दफ़ा ४८-अगर दफ़ा ४७-के बमूजिब मुकाम मजकूर के अंदर

+उन मुक़ामात में जहां पंजाब के सरहद्दी जरायमका क़ानून मुसद्दिरह सन् १८८७ई० नाफ़िजुल्अमल है दफ़ा ४६—यों पढ़ी जायगी कि गोया मजामीन मर्क़ूमुल्ज़ैल उसमें बढ़ाये गये हैं—

"मगर इसदफ़ाकी रूसे किसी ऐसे शख्सके बाअस मौतहोनेका हक़बख्शा जाताहै जिसपर पंजाबकी सरहद्दी जरायम के क़ानून मुसद्दिरह सन् १८८७ई० के वह अजजा जारी किये जा सक्ते हैं जिनको तअल्लुक़पिजीरी आमनहींहै—

(अलिफ)—अगर वह ऐसे हालात में जिनसे इसबातके बावर करनेकी वजह माक़ूल पाईजाती हो कि वह अपनी नियत के हासिल करने के लिये हथियार चलानेका इरादा रखताहै—किसी जुर्मका मुर्तकिब होरहाहो या किसी जुर्मके इर्तिकाब का क़स्द कररहाहो या गिरफ़्तारीमें तअर्रुज कर रहाहो या गिरफ़्तारी से निकल भागने का क़स्द कर रहाहो—या

(बे)—अगर उसकी निस्बत गौगा यहहो कि वह किसी ऐसे जुर्म में मुलव्विस है जिसकी तसरीह इस दफ़ाके फ़िक़रा अख़ीर मर्क़ूमुल्फ़ौक़ में कीगई है—या यह कि वह ऐसे हालातमें जिनका जिक्र इस फ़िक़रेकी जिम्न(अलिफ)में कियागयाहै किसी जुर्मका मुर्तकिब होरहाहै या किसी जुर्मके इर्तिकाबका क़स्द कररहाहै या गिरफ़्तारीमें तअर्रुज कररहाहै या गिरफ़्तारीसे निकल भागनेका क़स्द कर रहाहै,, देखो क़ानून ४—सन् १८८७ ई०—कीदफ़ा ६०— जिम्न २,

जाब्ता कार्रवाई जबकि अन्दरदखल न मिलसके, दखल न मिलसके तो उसमुकद्दमे में जिसमें कोई शख्स वारंट के जरियेसे अमल करताहो और किसी दूसरे मुकद्दमे में जिसमें वारंटका जारीहोना जायज़ है मगर बिलादेने मौका फरार के उस शख्सको जिसकी गिरफ्तारी मतलूबहो वारंटका हासिलकरना गैरमुमकिन हो यह बात जायज होगी कि अहल्कार पुलिस उसमुकाममें दाखिलहोकर उसके अंदर खानातलाशीकरे॥

और उसको अख्तियारहोगा-किवैसेमुकाममें दाखिलहोनेकेलिये किसी मकान या मुकामके दरवाजे या खिड़की बेरूनी या अंदरूनी को जो शख्स मतलूब गिरफ्तारी की या किसी और शख्सकी मिल्कियतहो उस सूरत में तोड़कर दाखिलहो जब कि उसने अपना अख्तियार और इरादा जाहिर और दाखिल होनेकी दरख्वास्त हस्ब जाब्ताकीहो और किसी और तौरपरदाखिल होनेसे मजबूर हो॥

मगर शर्तयहहै-कि अगरवह मुकाम ऐसा खिलवतखानाहो जिस में कोई औरत (जो शख्स मतलूब गिरफ्तारी न हो) फिल्वाक़े मुकीमहो जो मुताबिक़ रिवाज के अवामके रूबरू नहीं निकलती है तो ऐसे शख्स या अहल्कार पुलिस को लाजिम है कि ऐसे खिलवतखाने में दाखिल होने से पहिले ऐसी औरतको इत्तिलाअदे कि वह उसमें से चलेजाने की मजाज़है--और उसको निकलने के लिये हरतरहकी सहूलत माकूलदे--और बाद उसके मजाज़होगा कि खिलवतखाने को तोड़कर उसके अंदरजाय॥

जनानाखानाकोतोड़ करउसके अन्दरजाना,

दफा ४९--हरएक अहल्कार पुलिस या और शख्सको जो गिरफ्तारी करने का मजाज़हो अख्तियारहै कि वास्ते रिहाकरने नफ्सखुद या किसी और शख्सके जो बतौरजायज़ किसीकी गिरफ्तारी के लिये किसी मकान या मुक़ाममें दाखिलहोकर वहां रोंकागया हो मकान या मुकाम मजकूरके किसीदरवाजा या खिड़की बेरूनी या अन्दरूनी को तोड़डाले॥

रिहाईकेलियेदरवाजों और खिड़कियों के तोड़ डालने का अख्तियार,

दफ़ा ५०--शख़्स गिरफ्तार शुदहकेसाथ उससेजियादहतअर्रुज

ग़ैर जरूरी तअर्रुज न किया जायगा, — न किया जायगा जो उसके फ़रारके इन्सदादके लिये जरूरहो ॥

दफ़ा ५१--जब कोईशख़्स किसी अफ़सर पुलिस की मारफ़त

अशख़ास गिरफ्तार शुदहकी तलाशी लेनी, — ऐसेवारंटके जरिये से गिरफ्तार कियाजाय जिसमें हुक्म हाजिरजामिनी लेनेका न हो या ऐसेवारंट के जरिये से जिसमें हुक्म हाजिरजामिनी के लेनेकाहो इल्ला शख़्स गिरफ्तारशुदह हाजिरजामिनी न देसके ॥

और जब कोई शख़्स बिलावारंट गिरफ्तार किया जाय या बजरिये वारंटके किसी शख़्सखानगीने उसको गिरफ्तार कियाहो और हाजिरजामिनी पर उसका रिहाहोना कानूनन्जायज़ न हो या वह हाजिरजामिनी न देसके ॥

तो अहल्कार पुलिस गिरफ्तारकुनिन्दा या अगर गिरफ्तारी शख़्स खानगीनेकीहो तो वह अहल्कार पुलिस जिसको शख़्स खानगी शख़्सगिरफ्तार शुदह की सिपुर्दकरे मजाज़ होगा-किऐसे शख़्सकी तलाशीले और जुम्लाअशियाय कोसिवायपारचेपोशी-दनी बक़द्र ज़रूरत के जो उसके बदन पर पाईजायें हिरासत महफ़ूज़में रक्खे ॥

दफ़ा ५२-जब कभी किसी औरत की तलाशीलेनी ज़रूर हो

औरतोंकी तलाशीलेने का तरीका, — उसकी तलाशी किसी औरतकी मारफ़तबकमा-ललिहाज़ उसकीशर्म व हयाके लीजायेगी ॥

दफ़ा ५३--अहल्कार पुलिस या और शख़्स जो इस मजमूये

लड़ाई के हथियारलेलेने का अख्तियार, — के मुताबिक़ कोई गिरफ्तारीकरे मजाज है-कि शख़्स गिरफ्तार शुदह से ऐसे लड़ाईके हथियार लेले जो उसके बदनपर पायेजायँ-और उसको लाजिम है कि कुल हथियार जो इसतरह लियेहों उस अ़दालत या ओहदेदार को हवाले करदे जिसके रूबरू शख़्स गिरफ्तार कुनिन्दा के लिये इस मजमूये में हुक्म है कि शख़्स गिरफ्तार शुदह को हाज़िरकरे ॥

(बे)--बाबत गिरफ़्तारी बिला-वारंट॥

दफ़ा ५४--हर अहलकार पुलिस मजाज़ है--कि बिलाहुक्म मजिस्ट्रेट और बिदून वारंट किसी ऐसेशख्स को गिरफ्तारकरे जिसका जैलमें जिक्रहै॥

कबबिलावारंट पुलिस गिरफ़्तार करसक्ताहै,

अव्वलन्--हर शख्स को जो जुर्म काबिल दस्तन्दाजी में शरीक रहा हो या जिसकी निस्बत इसबातकी शिकायत माकूल गुज़रीहो या इत्तिला मोतबिर पहुंचीहो या शुभह माकूल नाशीहो कि वह ऐसे जुर्ममें शरीक रहाहै॥

सानियन्--ऐसे हर शख्स को जिसके पास बिलावजह जायज़ कोई आला नक़बज़नी मौजूदहो जिसकेपास रहने की वजह मज़कूर का बार सुबूत शख्समज़कूरकी गर्दनपरहोगा॥

सालिसन्--ऐसे हरशख्सको जिसके मुजरिम होनेकी बाबत इस मजमूये के बमूजिब या अज़रूय हुक्म लोकलगवर्नमेण्टइश्तिहार दियागयाहो॥

राबिअन्--ऐसे हर शख्स को जिसके कब्जेमें ऐसाकोई माल पायाजाय जिसकी निस्बत मालमसरूका होनेका शुभह माकूल हो और इसबात का शुभहमाकूल हो कि उसने कोई जुर्म निस्बत शै मज़कूर के किया है॥

खामिसन्----ऐसे हर शख्सको जो किसी अहलकार पुलिस का उस हालत में मज़ाहिमहो जबकि वह अपना कारमन्सबी तामीलकरताहो या जो हिरासत कानूनी से फ़रार होजाय या फरार होजाने का इक़दामकरे--और--

सादसन्--ऐसे हर शख्सको जिसकी निस्बत यह शुभह माकूल होकि वह अफवाज बहरी या बर्री मलका मुअज़्ज़िमा से फ़रारहुआ है+या जो मलका मुअज्जिमा की मुलाज़िमत बहरी हिंदके मुतअल्लिक़हो-और उस मुलाज़िमत से बतौर नाजायज़ गैरहाज़िर रहाहो+॥

+--+ यह अल्फाज दफ़ा ५४-मेंऐक्ट१४- सन् १८८७ ई० की दफ़ा७८-की रूसे मुंदर्ज कियेगये हैं,

यहदफा बलाद कलकता और बम्बईकी पुलिससे मुतअल्लिक़ है,

दफा ५५--※ इसी तरह अफसर मोहतमिम पुलिस इस्टेशनको अख्तियार है कि अशखास मुफस्सिलै जैल को गिरफ्तारकरे या कराये--

आवारह गरदों और इन लोगोंकी गिरफ्तारी जोआदतन्रहजनवग़ैरहहों,

(अलिफ)- ऐसे हर शख्सको जो इस्टेशन मज़कूरकी हुदूदके अंदर ऐसे हालातके साथ अपनी मौजूदगीके छिपानेकी तदबीरें कररहा हो जिनसे यह जन्गालिब पैदाहो कि वह किसी जुर्मकाबिल दस्तन्दाजीके इर्तिकाब की नियत से ऐसी तदबीरेंकरता है --या--

(बे)-ऐसे हरशख्सको जो इस्टेशन मजकूरकी हुदूदके अंदर बज़ाहिर कोई सबील मआशकी न रखता हो या अपनाहाल इस तौरसे ज़ाहिर न करसक्ताहो कि उसपर इतमीनान कियाजाय-या--

(जीम) -ऐसे हरशख्स को जो उरफन् और आदतन् रहज़न या नक़बज़न या चोर या आदतन् माल मसरूका को मसरूका जानकर लेनेवाला हो-या इस अम्रमें मशहूरहो कि आदतन् हुसूल बिल्जब्र करताहै या हुसूल बिल्जब्र के इरादे से खलायक़ को नुकसान रसानीका आदतन् खौफदेताहो या देनेका कस्दकरताहो॥

×यह दफा शहर कलकत्ता व शहर बम्बई के पुलिस से मुतअल्लिक है× ॥

दफा ५६--जब ओहदेदार मोहतमिम पुलिस इस्टेशन को इस अम्रकी जरूरतहो कि उसका कोई अहलकार मातहत बिला वारंट उसके मवाजह में नहीं बल्कि बतौर खुद ऐसे शख्सको गिरफ्तारकरे जिसकी गिरफ्तारी कानूनन्बिलावारंट होसक्ती है तो ओहदेदार मजकूरको लाजिम है

जाबिता कार्रवाई जब कि ओहदेदार पुलिस अपने अहल्कार मातहत कोबिलावारंट गिरफ्तारी के लिये भेजे,

---

※ अपरब्रह्मामें वह अख्तियारात जो ओहदेदार मुहतमिम पुलिस इस्टेशन को दफा ५५ --की रूसे बख्शेगये हैं किसी ओहदेदार पुलिसके ज़रियेसे अमलमें आसक्ते हैं--देखो कानून ७--सन् १८८६ ई० के जमीमेकी दफा ७

×--×यह अल्फाजदफ़ात ५५-व५६-में ऐक्ट१० सन् १८८६ ई० की दफा३-की रूसे बढ़ाये गये हैं,

कि उस अहल्कार को जिसकी मारफत किसी शख्सका गिरफ्तार कराना मंजूरहो हुक्म तहरीरी मतफ्सील नाम उस शख्सके जिस की गिरफ्तारी मतलूबहो और उस जुर्मके जिसकी इल्लतमें उसको गिरफ्तार करना मंजूरहै हवाले करे ॥

यहदफा शहरकलकत्ता व शहरबम्बईके पुलिससे मुतअल्लिक है

नाम और सकूनत के बताने से इन्कार करना,

दफा ५७--× अगर कोई शख्स किसी अफसर पुलिसके रूबरू ऐसे जुर्मका मुर्तकिब हो या ऐसे जुर्ममें मुल्जिमहो जो लायक दस्तन्दाजीके नहो-और इन्दुल्तलब अहल्कार पुलिसके अपना नाम और सकूनत जाहिर न करे या ऐसा नाम या सकूनत जाहिरकरे जिसको अहल्कार मजकूर बवजह माकूल झूठ समझता हो तो जायज़ है कि ऐसा शख्स ऐसे अहल्कार की मारफत इस ग़रज से गिरफ्तार किया जाय कि उसका नाम और सकूनत दरियाफ्त की जाय और वह वक्त गिरफ्तारी से चौबीसघंटे के अंदर उस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जायेगा जो क़रीबतर हो बजुज उस सूरत के कि मीआद मजकूर के इन्कजासे पहिले उसका सही नाम और सकूनत मुतहक्किक होजाय कि उस सूरत में मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर होनेका मुचलका लिखनेपर अगर उससे मुचलका तलब कियाजाय उस की रिहाई दीजायेगी ॥

मुजरिमोंका और और इलाकाअख्तियारकेअन्दर तअक्कुब करना,

दफा ५८--अहल्कार पुलिस मजाज़है कि बगरज बिलावारंट गिरफ्तार करने ऐसे शख्सके जिसको वह इस बाबके बमूजिब गिरफ्तार करने का मजाज़ है कलमरौ बृटिशइण्डियाके अंदर हर मुकाम पर शख्स मजकूरका तअक्कुब करता चलाजाय ॥

---

*--*सफा २५ का फोट नोट (×--×) देखो,

×दरबारह अख्तियार पुलिस दरखसूस रोकरखनेके आवारह्गा में कानून ७-सन् १८७६ ई० के ज़मीमे की दफा ८-देखो,

दफ़ा ५९--हरशख्स खानगी मजाज़है--कि किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तारकरे जो उसके रूबरू कोईजुर्म गैर काबिल जमानत और लायक़ दस्तन्दाजी कररहाहो या जो मुजरिम इश्तिहारी हो ॥

गिरफ्तारी ग़ैर सरकारी आदमियों के जरिये से,

और उसको लाजिम है--कि बिला तवक्कुफ़ गैरजरूरी के ऐसे शख्सगिरफ्तारशुदहको किसीअहल्कारपुलिसके हवालेकरे--या अहल्कार पुलिसकी अदम मौजूदगीकीसूरतमें उसकोइस्टेशनपुलिसमेंलेजाय जोकरीबतरहो॥

जाब्ता कार्रवाई वैसी गिरफ्तारी के बाद,

अगर इसगुमानकी वजह पाईजाय कि शख्स मजकूरपर मिन्जुमलै शरायत दफ़ा ५४- किसीशर्त्तका इत्तलाक़ होसक्ता है तो अहल्कार पुलिस को चाहिये कि उसको मुकर्रर गिरफ्तारकरे ॥

अगर यह गुमान करनेकी वजहहो कि उससे कोई जुर्मगैरकाबिलदस्तन्दाजी सरजदहुआहै--और वह इन्दुलतलब किसी अहल्कार पुलिस के अपनानाम और मस्कन बतानेसे इन्कारकरे-या ऐसानाम या मस्कन जाहिर करे जिसको अहल्कार पुलिस झूठ समझने की वजहरखताहो-तो शख्स मजकूरकी निस्बत कार्रवाई हस्बशरायतदफ़ा ५७-कीजायेगी-और अगर यहगुमान करने की कोई वजह न हो कि वहजुर्मका मुर्त्तकिब हुआ है तो उसको फौरन् रिहाई दीजायगी ॥

दफ़ा ६०—अहल्कार पुलिसको जो किसी शख्सको बिलावारंट गिरफ्तारकरे लाजिम है—कि बिलातवक्कुफ़ गैर जरूरी और बपाबन्दीअहकाम मजमूयहाज़ा दरबाब अख्ज जमानतके शख्समजकूरको रूबरू उसमजिस्ट्रेट के जो उसमुकद्दमेकीसमाअतका मजाज़हो यारूबरूअहल्कार मोहतमिम इस्टेशन पुलिस के लेजाय या भेजे ॥

शख्स गिरफ्तार शुदह को मजिस्ट्रेट या अहल्कारमोहतमिमइस्टेशन पुलिसके रूबरू लेजाया जायगा,

दफ़ा ६१—×किसी अहल्कार पुलिसको अख्तियारनहीं है कि

× दरबारे अख्तियार पुलिस दरखसूसरोकारखनेके अपरब्रह्मामें कानून ७-सन्१८८६ ई० के जमीमा की दफ़ा ८ देखो,

शख्स गिरफ्तार शुदह कोचोबीसघंटेसेजियादह अर्से तक हिरासत में न रक्खा जाय, किसी शख्सको जो बिलावारंट गिरफ्तारहुआ हो उससेजियादह अरसेतक हिरासतमें रक्खे जो बलिहाज जुमलै हालात मुकदमे माकूल मालूमहो-औरवह अर्सा बजुज उस सूरतके कि साहब मजिस्ट्रेट कोई और हुक्म खास हस्ब दफा १६७--सादिर करे २४--घंटेसे जियादह न होगा—अलावह उस अर्सेके जो मुकाम गिरफ्तारीसे मजिस्ट्रेटकी अदालततकसफरकरनेके लिये दरकारहो

दफा ६२--अहल्कारान मोहतमिम इस्टेशन हाय पुलिस को लाजिमहै--कि मजिस्ट्रेट जिला या अगर वह इसबातकी हिदायत करे तो मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला को जुमलै अशखासकी रिपोर्ट लिखभेजें जो उनके इस्टेशनों की हुदूद के अंदर बिलावारंट गिरफ्तारहुये हों--आम इससे कि उन अशखाससे जमानत लीगई हो या नहीं ॥

पुलिस गिरफ्तारियों कीरिपोर्टकरेगा,

दफा ६३--कोई शख्स जो मारफत अहल्कार पुलिस के गिरफ्तार कियाजाय रिहाई न पायेगा बजुज उस सूरतके कि वह अपना मुचलका लिखदे या जमानत दे या उससूरतमें कि साहब मजिस्ट्रेटका हुक्म खाससादिरहो ॥

शख्स गिरफ्तार शुदह की रिहाई,

दफा ६४--जब कोई जुर्म मजिस्ट्रेट के खुद मवाजहा में उस के इलाके अख्तियारकी हुदूद अरजीके अंदर सरजदहो साहब मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि मुजरिमको खुद गिरफ्तारकरे--याहुक्मदे कि कोई शख्समुजरिमको गिरफ्तार करे--और उसकेबाद बपाबंदी अहकाम मजमूये हाजा बाबत जमानत के मुजरिम को हिरासत में करे ॥

वहजुर्म जिसका इर्त्तिका ब मजिस्ट्रेटके रूबरू हो,

दफा ६५--हर मजिस्ट्रेटको अख्तियार है--कि हरवक्त अपने रूबरू अपनेइलाके अख्तियारकी हुदूदअरजी केअंदर ऐसेशख्सकोखुदगिरफ्तारकरे या उसकी गिरफ्तारीकी हिदायतकरे जिसकी गिरफ्तारीकेलिये वह उस वक्त और बलिहाज़ हालात के वारंट जारीकरने का मजाज़ है ॥

मजिस्ट्रेटके जरियासे याउसके रूबरू गिरफ्तारी,

दफा ६६—अगर कोई शख्स जो हिरासत जायजमेंहो फरार होजाय या शख्स गैर उसको छुड़ालेजाय वह शख्स जिसकी हिरासत से वह फरारहुआ या छुड़ायागया मजाजहै-कि फौरन् उसका तअक्कुबकरके उसको किसीमुकाम वाकै बृटिशइंडियामें गिरफ्तारकरे ॥

फरारहोनेपर यह अख्तियार कि उसका तअक्कुबकरके फिरउसकोगिरफ़्तारकियाजाय,

दफा ६७—अहकाम दफआत ४७-व ४८-व ४९-उन गिरफ्तारियोंसे मुतअल्लिक्कहोंगे जो अजरूय दफा६६-के कीजायँ गोवहशख्स जोऐसीगिरफ्तारीकरे अजरूय वारंटकेकार्रवाई न करताहो और ऐसा अहल्कार पुलिस न हो जिसे गिरफ्तारी करने का अख्तियारहो ॥

अहकाम दफात४७-व ४८-व४९-गिरफ्तारीहाय तहतदफा ६६ से मुतअल्लिक्कहोंगे,

बाब-६ ॥

बाबत हुक्मनामजात अहजार बिलजब्र ॥

(अलिफ)--सम्मन ॥

दफा ६८--हरसम्मन जोइसमजमूयेके बमूजिब किसी अदालतसे सादिरहो तहरीरीहोगा-और उसकी दोन कलें होंगी-और उसपर अदालत के हाकिम इजलास कुनिन्दा या किसी और ओहदेदारके दस्तखत और मोहरहोगी जैसाकिहुक्काम हाईकोर्ट वक्तन् फवक्तन् किसी कायदेकी रूसे हिदायत करें ॥

सम्मनका नमूना,

तालीम सम्मनकी मारफत अहल्कार पुलिसके या बपाबन्दी उनकवाअदके जो नकीज मजमूयेहाजाकेनहों और जिन्हें लोकल गवर्नमेण्ट इसबाब में मुन्जबितकरे मारफत किसी अहल्कार अदालत सादिरकुनिन्दा सम्मन के कीजायगी ॥

तामील सम्मनकी किसकेजरियेसेहोगी,

यहदफा बलाद कलकत्ता और बम्बईकीपुलिससे मुतअल्लिक़है-

दफा ६९--अगर मुमकिनहो तो सम्मन की तामील उसशख्स की जातपर जिसपर सम्मन जारी कियाजाय इसतौरसे कीजायेगी कि सम्मनकी दोनकलोंमें

तामील सम्मनकी क्यों कर होगी,

से एकनकल उसके हवाले या उसके रूबरू पेश कीजाय ॥
हरशख्सको जिसपर सम्मनकी तामील इसतौर से कीजाय लाज़िमहै-कि बरवक्त दरख्वास्त अहल्कारतामीलकुनिंदा सम्मनके सम्मनकी दूसरीनकल की पुश्तपर निस्बत वसूली सम्मन के अपने दस्तखत सब्तकरे॥

सम्मनके पानेकी निस्बत दस्तखत,

दफा७०--अगर वह शख्स जिसके नाम सम्मन जारीकिया जाय बाद कोशिश करारवाकई के दस्तयाब न होसके तो सम्मन की तामील इस तौरसे जायज़ है कि उसकी एक नकल शख्स मज़कूरके लिये उसके खान्दान के किसी अहलज़कूर बालिग़के पास या बल्दै प्रेज़ीडंसीमें उसके मुलाज़िम के पास जो उस के साथ रहता हो छोड़दीजाय-और उसशख्स को जिसके पास सम्मन छोड़दियाजाय लाजिम है कि बरवक्त दरख्वास्त अहल्कार तामीलकुनिन्दैके दूसरी नक़लकीपुश्तपर रसीद सम्मन की लिखकर उस पर दस्तखत करदे ॥

तामील सम्मन जबकि वहशख्स जिसके नाम सम्मन जारीकियाजाय न मिले,

दफा ७१--अगरवह दस्तखतजो दफ़आत६९-व७०-में मज़कूरहैं बाद कोशिश करारवाकईके हासिल न होसकें तो अहल्कार तामीमकुनिन्दै सम्मनकोलाज़िम है-कि सम्मनकी एकनकल उस मकान या मस्कनकीकिसीनज़रगाह आमपर आवेज़ांकरदे जिसमें वहशख्स जिसपर सम्मनजारी हुआ मामूलन् रहताहो-उसकेबाद यह समझाजायेगा कि सम्मन की तामील हस्बज़ाबिता होगई है ॥

जाबिता जबकि रसीद न हासिलहोसके,

दफा ७२ ---जब वह शख्स जिसपर सम्मन जारीहो गवर्नमेंट या किसी रेलवे कम्पनी का मुलाज़िम मसरूफ़ बख़िदमत हो तो अदालत सादिर कुनिन्दा सम्मन को लाज़िम है--कि उमूमन् सम्मन की दो नक़ल उसदफ्तर के अफ्सर के पास भेजदे जिसमें वह शख्स मुलाज़िम हो–पस अफ्सर मज़कूर उसतौर से सम्मन

तामील सम्मन मुलाज़िमसरकार यामुलाजिम रेलवेकम्पनी पर,

की तामील करादेगा जो दफ़ा ६९--में मज़कूरहै--और उस अदालत में मयइबारत ज़ोहरी महकूमै दफ़ामज़कूर वापिस भेजेगा॥

दफ़ा ७३--जब किसी अदालतको यह मंजूर हो कि तामील किसी सम्मन की जो उसने जारी किया है किसी ऐसे मुक़ाम पर कीजाय जो उसके अख्तियार की हुदूद अरज़ी से बाहर हो तो उसको लाज़िम है-कि उमूमन् सम्मनकी दोनकलें उस मजिस्ट्रेटके पास मुरसिलकरे जिसके इलाक़े की हुदूद अरज़ीके अंदर वह शख्स सकूनत रखताहो या मौजूद हो जिसपर सम्मन जारी किया गया ताकि वहां उसकी तामील कीजाय॥

तामील सम्मन हुदूद अरज़ी के बाहर,

दफ़ा ७४--जब तामील किसी सम्मन की जो किसी अदालतने जारी कियाहो उसके इलाक़े अख्तियारकी हुदूद अरज़ीके बाहर कीगईहो औरहर मुक़द्दमेमें जिसमें ओहदेदार तामील कुनिन्दा सम्मन वक्त समाअत मुक़द्दमेके हाज़िर न हो तो इज़हार हलफ़ी जिसका मजिस्ट्रेटके रूबरूलिखाजाना पाया जाय बदींमज़मून कि सम्मन की तामील होगई और एक नकल जिसमें इबारत ज़ोहरी (हस्बतर्शके महकूमै दफ़ा ६९--या दफ़ा ७०--) उस शख्सकी जानिबसे हो जिसको वहनकल हवाले कीगई या जिसके रूबरू पेशकीगई या जिसकेपास वह छोड़ीगई शहादत में क़ाबिल लिये जाने के होगी-और जो बयानात उसमें दर्जेहों वह सही मुतसव्विरहोंगे-बजुज़ उस सूरतके और उसवक्त तक कि खिलाफ़ उसके साबित कियाजाय॥

सबूत तामील सम्मन वैसी सूरतों में और जब ओहदेदार तामील कुनिन्दा सम्मन हाज़िरनहो,

जायज़है कि इज़हार हलफ़ी मुतज़क्किरैदफ़ाहाज़ा नकल सम्मन के साथ मुन्सलिक होकर अदालत में वापिस कियाजाय॥

(बे)—वारंट गिरफ्तारी॥

दफ़ा ७५ — हर वारंट गिरफ्तारी जो अजरूय मजमूये हाज़ा किसी अदालत से जारी हो तहरीरी होना चाहिये-और उसपर हाकिम इजलास कुनिन्दाके दस्तख़त सब्त

नमूनावारंट गरफ्तारी,

हों-या दरसूरत साहबान बेंचमजिस्ट्रेटके बेंच मजकूरके किसी मेम्बर के दस्तखत और मोहर अदालत सब्तकीजाय ॥

वारंट गिरफ्तारी का नफ़ाज़ पिज़ीर रहना,

ऐसा हर वारंट उसवक्ततक नफ़ाज़ पिज़ीर रहेगा कि वह उस अदालत से मन्सूख़ कियाजाय जिसने उसको जारी किया हो या उस वक्ततक कि उसकी तामील होजाय ॥

अदालत जमानतलेने की हिदायत करसक्ती है,

दफ़ा ७६.--हर अदालतको जो किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिये वारंट जारीकरे अख्तियारहै कि अगर मुनासिब समझे वारंटकी पुश्तपर यह हिदायतलिखदे कि अगर वह शख्स जिसकी गिरफ्तारी मतलूबहै इस-मज़मूनका मुचलिका साथ जमानत काफी के लिखदे कि वह फलां वक्त मुअय्यना पर अदालतमें हाजिर होगा और बाद अज़ीं जबतक कि अदालत से दूसरे नेहजका हुक्म सादिर न हो हाजिर रहेगा तो उस ओहदेदारको जिसके नाम वारंट भेजाजाय लाजिम है कि ऐसी जमानत लेकर शख्स मजकूरको हिरासतसे रिहाकरे ॥

इबारत जोहरी में यह लिखा जायगा ॥

(अलिफ)-- तादाद जामिनोंकी ॥

(बे)-- मिकदार जर जिसमें जामिनीन और वह शख्स माखूज़ किया जायेगा जिसकी गिरफ्तारीके लिये वारंट जारीहुआहो-और-

(जीम)—वह तारीख जिसमें उसको अदालत में हाजिर-होना चाहिये ॥

मुचलिकाभेजाजायगा,

जब जमानत इस दफ़ा के बमूजिब लीजाय तो वह अहल्कार जिसके नाम वारंट भेजा जाय मुचलिका और जमानतनामे को अदालत में इरसाल करेगा ॥

वारंट क़िसके नाम लिखाजायगा,

दफ़ा ७७—अलल उमूम वारंट गिरफ्तारी एक या चन्द अहल्कारान् पुलिसके नाम लिखा जायगा-और जब किसी मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी के हुक्म से जारी किया जाय तो हमेशा बतौर मजकूर तहरीर पायेगा-मगर किसी और अदालत जारीकुनिंदह वारंट को अख्तियार होगा कि

अगर वारंट मजकूर की फ़ौरन् तामील होनी ज़रूर हो और उस वक्त कोई अहल्कार पुलिस उसकामकेलिये दस्तयाब न होसकेतो किसी और शख्स या अशखास के नाम वारंट तहरीर करे-और ऐसा शख्स या अशखास वारंटकी तामील करेंगे ॥

जब वारंट एक से ज़ियादह अहल्कार या अशखासके नाम लिखा जाय तो जायज़ है कि उसकी तामील में सबके सब या उनमें से कोई एक या चन्द मसरूफ़हों ॥

दफा ७८—मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला मजाजहै-कि अपने ज़िले या हिस्से ज़िलेके अंदर किसी जमींदार या मुस्ताजिर या सरबराहकार अराजीके नाम वारंट वास्ते गिरफ्तारी किसी ऐसेशख्सके तहरीरकरे जो कैदी मफ़रूर या मुजरिम इश्तिहारी हो या ऐसा शख्सहो जिसपर जुर्म गैरकाबिल ज़मानत का इल्ज़ामलगाया गयाहो और जो तअक्कुब किये जाने से गुरेज़ करता रहाहो ॥

वारंट जमींदारवगैरह के नाम लिखा जासक्ताहै,

ऐसे ज़मींदार या मुस्ताजिर या सरबराहकारको लाज़िम है कि वारंट पहुंचनेकी रसीदलिखदे—और अगर वहशख्स जिसकी गिरफ्तारी के लिये वारंट जारीहुआहो उसकी ज़मींदारी या मुस्ताजिरी या अराज़ी में जिसका वह सरबराहकार हो मौजूद हो या उसके अन्दर आये उसपर वारंट की तामील करे ॥

जब वह शख्स जिसकेनाम वारंट जारीहुआहो गिरफ्तारकिया जाय तो चाहिये कि वह मयवारंट उसअफ्सर पुलिस के हवाले किया जाय जो करीबतरहो-और वह अफ्सर पुलिस उसको उस मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर करेगा जो उस मुकद्दमे में अख्तियार समाअत रखताहो-इल्ला उससूरत में कि दफा७६-के बमूजिबजमानत लीजाय ॥

दफा ७९—जो वारंट किसी अहल्कार पुलिसकेनाम लिखा जायजायजहै कि उसकी तामील किसी और अहलकार पुलिसकीमारफत अमलमें आये जिसकानाम वारंट की जोहर पर उस अहल्कार की तरफ़ से लिखा

जोवारंट अहलकार पुलिसके नामलिखाजाय,

गयाहो जिसके नाम वारंट लिखा गया या बजरिये तहरीर जोह री मुन्तकिल किया गया हो॥

खुलासावारंटकासुनादेना,

दफा८०—अहल्कार पुलिस या दीगर शख्स तामील कुनिन्दा वारंट गिरफ्तारी को लाजिमहै कि उस शख्स को जिसकी गिरफ्तारी मंजूर हो वारंट का खुलासा सुना दे- और अगर वह ख्वास्तगार हो तो उसको वारंट दिखलादे॥

शख्सगिरफ्तारशुदहको बिलातवक्कुफअदालतके रूबरू लाना चाहिये,

दफा ८१—अहल्कार पुलिस या दीगरशख्स तामील कुनिन्दा वारंट गिरफ्तारी को लाजिमहै कि बइतबाअ अहकाम दफा ७६—बाबत जमानत के बिलातवक्कुफ गैरजरूरी शख्स गिरफ्तार शुदहको उस अदालतके रूबरू हाजिरकरे जिसके रूबरू कानून के बमूजिब शख्स मज़कूरके हाजिर करनेका हुक्महो॥

वारंट कहांतामील किया जासक्ताहै,

दफा८२—जायज़ है वारंट गिरफ्तारी बृटिशइण्डिया के किसी मुक़ामपर तामील कियाजाय॥

वारंट तामीलके लिये इलाकाअख्तियारकेबाहर मजिस्ट्रेटकेपासभेजादियाजासक्ता है,

दफा ८३—जब वारंटकीतामील अदालत जारीकुनिन्दावारंटकेइलाकेकी हुदूदअरज़ीके बाहरहोनीजरूर हो तो अदालत मजकूर मजाज़है--किबजाय भेजनेवारंटके बनाम किसीअहल्कार पुलिसके उसको बज़रियेडाक या बसबील दीगरकिसी और मजिस्ट्रेट या कमिश्नर पुलिसके पास भेजदे जिसके इलाके की हुदूद अरज़ीके अंदर उसकी तामील करनी जरूरहो॥

साहब मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जिसके पास वारंट गिरफ्तारी इसतौरपर भेजाजाय उसपर अपना नाम लिखेगा-और अगर मुमकिन हो अपने इलाके की हुदूद अरजी के अंदर उसकी तामील करायेगा।॥

दफा ८४—जब किसी वारंट मौसूमे अहल्कार पुलिसकीता-

जो वारंट इलाका अख्तियार के बाहर तामीलके लिये अहलकारपुलिसके नाम लिखाजाय,

मील अदालत जारी कुनिन्दह वारंटके इलाक की हुदूद अरजीकेबाहर दरकारहो तो अहल्कार पुलिसको उमूमन् लाजिम है--कि वारंट पर इबारत जोहरी लिखाने के लिये मजिस्ट्रेट या ऐसे अहल्कार पुलिस के पास लेजाय जिसका रुतबा अफ्सर मोहतमिम इस्टेशनके रुतबेसे कमनहो और जिसके इलाके की हुदूद अरजी के अंदर वारंटकी तामीलहोनी जरूरहो॥

ऐसा मजिस्ट्रेट या अहल्कार पुलिस वारंटकी जोहरपर अपना नाम लिखेगा--और ऐसी तहरीर जोहरी उस अहल्कार पुलिस के लिये जिसके नाम वारंट लिखाजाय हुदूद मजकूर में उसकी तामील करनेकेवास्ते अख्तियार काफीसमझीजायेगी-और अहाली पुलिस मौकेको लाजिमहै--कि अगर उनसे दरख्वास्तकीजाय तो वारंट मजकूरकी तामील में ऐसे अहल्कार पुलिसकी मददकरें॥

जब कभी वजहकवी इस अम्रके बावर करने की हो कि तवकुफ हासिल करने में इबारत जोहरी के मिन्जानिब उसमजिस्ट्रेट या अहल्कार पुलिस के जिसके इलाके की हुदूद के अंदर वारंटकी तामीलजरूरहो वारंटके न तामील पानेका बाअस होगा-तो अहल्कार पुलिस जिसके नाम वारंट लिखागयाहो मजाज होगा कि बिलातहरीरहोने ऐसी इबारत जोहरी के वारंट को ऐसे मुकाम पर तामीलकरै जो उस अदालतके इलाके की हुदूद अरजी से बाहर हो जहां से वह जारीहुआ॥

यह दफा बलाद कलकत्ता औरबम्बईकी पुलिससे मुतअल्लिकहै॥

दफा ८५—जब वारंट गिरफ्तारी उसजिले के बाहर तामील

जाबिते कारर्वाई उस शख्सके गिरफ्तारहोनेपर जिसके नाम वारंट जारी कियाजाय,

पाये जहां से वह जारीहो तो लाजिम है कि शख्स गिरफ्तार शुदह बजुज उससूरतके कि अदालत जारीकुनिन्दा वारंट मुकाम गिरफ्तारी से २०--मीलके अंदर वाकैहो या उस मजिस्ट्रेट या कमिश्नर पुलिससेकरीबतरहो जिसके इलाकेकी हुदूद अरजीके अंदर गिरफ्तारीहुईहो या उससूरतके कि दफा७६--केबमू-

जिब जमानतलीजाय मजिस्ट्रेट या कमिश्नर मजकूर के रूबरू हाजिर कियाजाय॥

दफा ८६—ऐसे मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को लाजिम है-कि अगर शख्स गिरफ्तार शुदह वही शख्स मालूमहो जोअदालत जारीकुनिन्दावारंट का मक्सूदहो-यह हुक्मदे-कि शख्समजकूर उस अदालतमें बहिरासत भेजाजाय-मगर शर्त्तयह है--कि अगर जुर्म लायक जमानत के हो और वह शख्स जमानतकाबिल इतमीनान मजिस्ट्रेट या कमिश्नर दाखिल करनेपर मुस्तैद और आमादाहो या हस्ब दफा ७६--जोहर वारंट पर हिदायत तहरीरकीगई हो और शख्स मजकूर उसजमानतके देनेपर मुस्तैद व रजामन्द हो जो बमूजिब हिदायत मजकूरके मतलूबहो--तो मजिस्ट्रेट या कमिश्नर मजकूर ऐसीजमानतलेकर जैसी कि सूरतहो मुचलिका और जमानतनामा उसअदालतमें मुरसिल करेगा जहां से वारंट जारीहुआ था॥

कार्रवाई उस मजिस्ट्रेट के लिये जिसके रूबरू शख्स गिरफ्तार शुदह लाया जाय,

इस दफाकी किसी इबारत से यह न समझाजायेगा कि अहल्कार पुलिस दफा ७६--के बमूजिब जमानत लेने से मुमतनाहै॥

(जीम)—इश्तिहार और कुर्की॥

दफा ८७--अगर किसी अदालत को (बाद लेने या न लेने शहादतके) इसअम्रके बावर करनेकी वजह हो कि कोई शख्स जिसकी गिरफ्तारी के लिये वारंट उसअदालतसे जारीहुआहै मफ़रूर या रूपोशहोगयाहै इस गरज से कि वारंट मजकूर की तामील उसपर न होसके तो ऐसे अदालत मजाज है कि इश्तिहार तहरीरी इस हुक्मसे जारी करे कि शख्स मजकूर एकमीआद मुअय्यनके अंदर जो इश्तहार के मुश्तहिर करनेकी तारीखसे ३०-रोजसे कम न होगी एकखास मुकाम और खासवक्त पर हाजिरहो॥

इश्तिहार मुतअल्लिक शख्स मफ़रूर के,

वह इश्तिहार हस्बतरीके मुफस्सिले जैलमुश्तहिरकियाजायगा॥

(अलिफ़)--उसकस्बे या मौज़े के किसी नज़रगाह आमपर

अलानियां सुनाया जायेगा जहां वहशख्स अमूमन रहता हो ॥

(बे)--उस मकान या मस्कन के मुक़ाम नुमायांपर जिसमें कि शख्स मजकूर अमूमनरहताहो या क़स्बे या मौजे मजकूरके किसी मंज़िर आमपर चस्पां कियाजायेगा—और--

(जीम)-इश्तिहार की एकनक़ल मकान कचहरी के किसी मंज़िर आमपर भी चस्पां कीजायेगी ॥

अदालत जारीकुनिन्दह इश्तिहार की तहरीर बदीं मजमून कि इश्तिहार हस्बजाबिते एक तारीख मुअय्यनपर मुश्तहिर कियागया इसबात के लिये शहादत कतई होगी कि इसदफ़ाके अहकाम की तामील क़रार वाकई हुई और इश्तिहार तारीख मुअय्यनपर मुश्तहिर कियागया ॥

दफ़ा ८८—अदालत मजाज़ है कि बाद जारी करने इश्तिहार शख्स मफरूरकी जायदादकी कुर्की, महकूमे दफ़ा ८७-के शख्स इश्तिहारी की किसी जायदाद मन्कूला या गैरमन्कूला या दोनों की कुर्की का हुक्मदे ॥

उसहुक्मकी रूसे कुर्की किसीजायदाद ममलूका शख्स मजकूरकी जायजहोगी जो उसजिलेमें हो जिसमें कुर्कीहुईहो—और उसकी रूसे कुर्की जायदाद ममलूका शख्स मजकूर वाक़ैबेरूंजिले मजकूरभी उसवक्त जायजहोगी जबकि उसकी जोहरपर उस मजिस्ट्रेट जिले+ या चीफप्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट+का हुक्मलिखाजाय जिसके जिलेके अन्दर वह जायदाद वाक़ैहो ॥

अगर जायदाद जिसकी कुर्कीकाहुक्मदियागयाहो क़र्ज़ाजात या दीगर जायदाद मन्कूलाहो तो कुर्की हस्ब दफ़ाहाजा बतरीक़ जैल अमल में आयेगी--

(अलिफ)--बजरिये क़ब्जे बिलजब्र—या-

(बे)--बजरिये तक़र्रुर रिसीवर याने मुहास्सिल के—या-

(जीम)--बज़रिये हुक्मतहरीरी मशअरइम्तनाअ हवाले किये

×—× यह अल्फ़ाजदफ़ा ८८ में ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० कीदफ़ा४की रूसेमुंदर्ज कियेगयेहैं,

जाने जायदाद मजकूरके शख्स इश्तिहारी या किसी शख्स को मिन्जानिब उसके-या-

(दाल)-बजरिये ज़ुमले या किसी दोतरीकोंके मिंजुमले तरीकै हाय मजकूरैबालाके जो अदालतकी रायमें मुनासिबहों॥

अगर जायदाद जिसकी कुर्कीकाहुक्म सादिरहो गैरमन्कूला हो तो कुर्की हस्ब दफ़ाहाजा इसतौरसेहोगी कि अगर शैकुर्की तलब ऐसी अराजीहै जो सर्कारको मालगुजारी देतीहो तो मारफ़त साहब कलक्टर उस जिलेके होगी जिसमें वह अराजी वाकै है और बाक़ी औरसूरतोंमें-

(हे)-बजरिये क़ब्ज़ाकरलेनेके-या-

(वाव)-बजरियेतक़र्रुर किसी रिसीवर याने मुहस्सिलके-या-

(ज़े)-बजरिये हुक्म तहरीरी मशअर इम्तनाअ अदाय लगान या हवालगी जायदादके शख्स इश्तिहारीको या उसकी तरफ़ से किसी औरको--या-

(हे)-बज़रिये ज़ुमलै या किसी दोतरीकों के मिन्ज़ुमलै तरीकै हाय मज़कूरैबाला जो अदालतकी रायमें मुनासिबहों॥

अख्तियारात और खिदमात औरज़िम्मेदारियां शख्समुहास्सिलकी जो हस्ब दफ़ाहाजा मुक़र्रर कियाजाय वहीहोंगी जो उस ऐक्ट१४सन्१८८२ई०, मुहस्सिलकी होतीहैं जो बमूजिब बाब ३६-मजमूये ज़ाबितै दीवानी के मुक़र्रर कियाजाता है॥

अगर शख्स इश्तिहारी मीआद मुअय्यना इश्तिहारके अंदर हाज़िरनहो तो जायदाद मक़रूक़ा सर्कारके तसर्रुफ़में दरआयेगी मगर वह जायदाद तावक्ते कि तारीख़ कुर्कीसे६-छःमहीनेनगुज़र जायँ नीलाम न कीजायेगी-बजुज़ उससूरत के कि वहजायदाद जल्द औरखुदबखुद ख़राबहोजानेवालीहोयाअदालतकीदानिस्त में उसके नीलामकरने से मालिकका फ़ायदामुतसव्विरहोताहो-कि इनदोनों सूरतों में अदालत मजाज़होगी कि जब कभीमुनासिब समझे उसको नीलामकरदे॥

दफ़ा८९—अगरकुर्कीकी तारीख़से २-दोबरसकेअन्दर कोई

जायदादकुर्क शुदहका वापिसकरदेना, शख्स जिसकी जायदाद मुताबिक फ़िक़रैअखीर दफ़ा ८८-के लायक़ तसर्रुफ़ सर्कारकेहो या होगईहो उस अदालत के रूबरू खुद हाज़िरहो या गिरफ्तार होकर हाज़िर कियाजाय और हस्ब इतमीनान उस अदालत के जिसके हुक्मसे जायदाद कुर्कहुई थी यह साबित करदे कि वह वारंटकी तामील से गुरेज करने की नियत से मफरूर या रूपोश नहीं हुआ था--और उसको इश्तिहार मजकूर की खबर इस तरह न मिलीथी कि वह वक्त मुकर्ररह इश्तिहार पर हाजिर होसक्ता-तो ऐसी जायदाद या अगर वह नीलाम होचुकीहो तो उसका जर सम्मन खालिस या अगर जायदाद का एक जुज्व नीलाम हुआ हो तो खालिस जर सम्मन नीलाम और जुज्व जायदाद बाकी मुन्दा बादमुजरा देने कुल खर्चेके जो बवजह कुर्की आयद हुआ हो उसके हवाले कियाजायेगा ॥

(दाल)--दीगर कवाअद मुतअल्लिकै हुक्म नामजात ॥

दफ़ा ९०--अदालतको अख्तियारहै-कि जिस मुकद्दमे में वहइस इजरायवारंटसम्मनके बवजयाअलावहसम्मनके, मजमूयेके मुताबिक अलावह अहलजूरी या असेसरके किसी शख्सकी हाजिरी के लिये सम्मन सादिर करनेकी मजाजहै बादकलमबंद करने वजूहके वारंट उसकी गिरफ्तारीके लिये सूरत हाय मुफस्सिलै जैलमें सादिर करे ॥

(अलिफ)- अगर सम्मन सादिर करने से पहले या सम्मन सादिर करने के बाद मगर कब्ल पहुंचने उसतारीखके जोउसकीहाजिरीके लिये मुकर्ररहो अदालतको किसी वजहसे जन्गालिबहो कि वह मफरूर होगयाहै या सम्मनका हुक्मबजा न लायेगा-या--

(बे)-अगर वह वक्त मुकर्ररह पर हाजिर न हो और यह साबित होजाय कि सम्मन ऐसी मुहलत के साथ हस्बजाबिता उसपर जारीहुआ था कि उसके हुक्मके बमूजिब उसका हाजिर होना मुमकिन था और अदम अहजार की कोई वजह माकूल न जाहिर कीजाय ॥

दफ़ा ९१--जब कोई शख्स जिसके हाजिर या गिरफ्तार करने

हाजिरीके लियेमुचल्का लेने का अख्तियार,

के लिये हाकिम इजलास कुनिन्दा अदालत सम्मन या वारंट सादिर करनेका अख्तियार रखता हो उस अदालत में हाजिर हो तो हाकिम मजकूर मजाज है--कि शख्स मजकूर से मुचल्का बशमूल या बिलाशमूल जामिनों के बवादह हाजिरी अदालत तहरीर कराये ॥

दफ़ा ९२--अगर कोई शख्स जिसने इसमजमूये के मुताबिक

गिरफ्तारी हाजिरीके मुचल्काके वरखिलाफ़ करनेपर,

मुचल्का लिखकर अपने तई अदालत में हाजिर होनेका पाबंद किया हो अदालत में हाजिर नहो-तो हाकिम इजलासकुनिन्दा अदालत मजाज होगा कि वारंट इस हुक्म से सादिरकरे कि शख्स मजकूर गिरफ्तार और अदालत के रूबरू हाजिर कियाजाय ॥

दफ़ा ९३--अहकाम मुन्दर्जै बाबहाजा जो सम्मन और वारंट

इसबाबके एहकामअम्मनसम्मनऔर वारंट गिरफ्तारीकोनिस्बततअल्लुकपिजीर होंगे,

और उनके सिदूर और इजरा और तामीलसे मुतअल्लिकहैं जहांतक मुमकिनहो हरसम्मन और हर वारंट गिरफ्तारीसेभी जोइसमजमूये के मुताबिक जारीहो मुतअल्लिक समझे जायेंगे ॥

बाब -- ७ ॥

बाबत हुक्म नामजात वास्ते जबरन् हाजिर कराने दस्तावेजात औरदीगर जायदाद मन्कूलाके औरवास्ते इन्किशाफहाल उन अशखास के जो बतौर बेजामुकय्यद कियेगये हों ॥

(अलिफ)--सम्मन वास्ते हाजिर करने किसी शैके ॥

दफा ९४--जब किसी अदालत या किसी मुकाम बेरूं हुदूद

सम्मन वास्ते पेशकरने दस्तावेजया दीगरशैके,

बलाद कलकत्ता और बंबईमें किसी अहलकार मोहतमिम इस्टेशन पुलिसकेनज़दीक हाजिर करना किसी दस्तावेज या दीगर शै का वास्ते अगराज किसी तफ्तीश यातहकीकात या तजवीज या दीगरकार्रवाई के जो इसमजमूये के बमूजिब ऐसी अदालत या ओहदेदारकी मारफत या उसके रूबरू होरहीहो जरूर या मुनासिबहो तो जायज है कि

ऐसी अदालत सम्मन या अहल्कार मजकूर हुक्मतहरीरी बनाम उसशख्स के जारीकरे जिसके कब्जे या अख्तियारमें दस्तावेज़ या शै मजकूरका होना बावर कियाजाय वहीं हिदायत कि वह तारीख और मुकाम मुन्दर्जे सम्मन या हुक्मपर हाजिर होकर दस्तावेज या शै मज़कूरको पेशकरे॥

हरऐसे शख्सकीनिस्बत जिसकोबमूजिब इसदफ़ाके महजवास्ते हाजिर करने दस्तावेज या दीगर शैके हुक्म हुआहो यह खयाल किया जायेगा कि उसने हुक्म की तामीलकी बशर्ते कि नामबुर्दह दस्तावेज या शै मजकूरको बजाय बज़ातखुद हाजिरहोकर पेश करने के हाजिर करादे॥

इस दफ़ा की कोई इबारत ऐक्ट शहादत मजरिये हिंद
ऐक्ट १सन् १८७२ई०, मुसह्हिरै सन् १८७२ई० की दफ़आत १२३ व १२४-की मुख़िल न होगी या किसी चिट्ठी या पोस्टकार्ड या पैग़ामतारबर्की या दूसरी दस्तावेजसे जो हुक्काम सीगैडाक या सीगै टेलीग्राफ की तहवील मेंहो मुतअल्लिक न समझी जायगी॥

दफ़ा९५-अगरकोई दस्तावेज़ जो ऐसी तहवील में हो कि-
ज़ाबिते दरख़सूसख़तूत और टेलीग्रामके, सी मजिस्ट्रेट जिला या चीफ मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या हाईकोर्ट या अदालत सिशन की दानिस्त में वास्ते ग़रज किसी तफ्तीश या तहकीकात या तजवीज या दीगर कारर्वाई मुतअल्लिके मजमूये हाजा के दरकार व मतलूबहो तो ऐसे मजिस्ट्रेट या अदालत को अख्तियार है--कि सीगैडाक या टेलीग्राफ़को जैसीसूरतहो हुक्मदे कि दस्तावेज़ मजकूर उसशख्स के हवालेकरे जिसकी निस्बत मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर हिदायत करे॥

अगर कोई ऐसी दस्तावेज़ किसी और मजिस्ट्रेट या कमिश्नर पुलिस या सुपुरिन्टेन्डण्टपुलिस जिलेकी दानिस्त में किसी ऐसी गरजके लिये दरकार हो-तो उसको अख्तियार है कि सीगै डाक या सीगै तारबर्की को (जैसी सूरत हो) हिदायत करे कि चिट्ठीमज़कूरको तलाशकराये--और तासिदूरहुक्म मजिस्ट्रेटजिला

या चीफ़मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या अदालतके उसको रोकरक्खे ॥

(ब)-वारंटतलाशी॥

दफ़ा ९६--जब किसी अदालत को इस बातके बावरकरने की वजहमौजूदहो कि वहशख्स जिसकेनामसम्मन या हुक्म महकूमै दफ़ा ९४-या हुक्म मुफ़स्सिलै फ़िक़रै अव्वल दफ़ा ९५-भेजागया हो या भेजाजाय दस्तावेज़ या शैमतलूबाको मुताबिक़ हिदायत मुन्दरजै सम्मन या हुक्म के हाज़िर न करेगा ॥

कबवारंटतलाशीसा दिरकियाजासक्ताहै,

या जब इसबातका इल्म न हो कि दस्तावेज या दीगर शै मतलूबा ऐसे शख्सके क़ब्ज़े में है-

या जब अदालतकी यह रायहो कि अग़राज़ किसी तहक़ीक़ात या तजवीज़ या दीगरकाररवाई मुतअल्लिक़ैमजमूये हाजाकी आम तलाशी या मुआयना से हासिल होजायेंगी-

तो उसको अख्तियार है-कि वारंट तलाशी सादिर करे-और वह शख्स जिसकेनाम वारंट लिखाजाय मजाजहोगा कि बमूजिब वारंट मजकूर और अहकाम मुंदरजै आयन्दा के तलाशी औरमुआयना करे ॥

इस ऐक्टकी किसीइबारतसे किसी मजिस्ट्रेटको बजुज मजिस्ट्रेट जिला या चीफ़मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसीके यहअख्तियार न होगा-कि वारंट वास्तेतलाशी ऐसी दस्तावेज़के सादिर करे जो ओहदेदारान डाक या टेलीग्राफ़की तहवीलमें हो ॥

दफ़ा९७—अदालत मजाज है कि अगर मुनासिब समझे वारंट में उस मुक़ाम या मकान या जुज्व मकान या मुक़ाम की सराहतकरदे कि सिर्फ़ जिसमें तलाशी या मुआयना किया जायेगा-पस वह शख्स जिसको वारंट की तामील सिपुर्द हुई हो सिर्फ़ उसमुक़ाम या मकान या जुज्व के अन्दर तलाशी मकान या मुआयना करेगा जिसकी इसतरह सराहत की गई हो ॥

वारंट के रोकनेका अख्तियार,

दफ़ा ९८--अगर मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी या मजिस्ट्रेट दरजै अव्वलको किसी इत्तिलाअकी बुनियादपर और उसक़दर तहक़ीक़ात के बाद जो उस को जरूरी मालूमहो इसअम्र के बावरकरने की वजह पाई जाय कि कोई मुक़ाम इसकाममें आताहै कि उसमें मालमसरूक़ा रक्खा या फ़रोख्त कियाजाताहै--

तलाशी उस मकान की जिसमें माल मसरूकाया दस्तावेज़ात जाली वग़ैरह के रहने का शुभहहो,

या दस्तावेज़ातजाली या मवाहीर नक़ली या कागज़ात इस्टाम्प मुल्तबिस या सिक्केजात मुल्तबिसह यामुल्तबिसासिक्के या इस्टाम्प जाली बनानेके औज़ार या उसका सामान उसमें रक्खा या फ़रोख्त या तय्यार कियाजाताहै--

याकि कोई दस्तावेज़ात जाली या मवाहीर नक़ली या काग़ज़ातइस्टाम्प मुल्तबिस या सिक्कामुल्तबिस या औज़ार या सामान जो सिक्केकी तल्बीस या इस्टाम्प जाली बनाने के काममें लाया जाताहै किसीमुक़ाममें रक्खा या जमाकियाजाताहै—

तो मजिस्ट्रेट मज़कूरको अख्तियारहोगा कि अपने वारंट के जरियेसे किसी अहलकार पुलिसको जो कान्स्टेबिल से बालातर रुतबा रखताहो इजाजतदे-

(अलिफ)—कि वह बक़द्र हाजत मदद साथलेकर ऐसेमुक़ाम में दख़लकरे—और

(बे)—उस मुक़ामकी तलाशी हस्बमुसर्रहा वारंटके करे-और

(जीम)—हरएकमाल या दस्तावेज़ात या मवाहीर या काग़ज़ात इस्टाम्प या सिक्केजातको जो वहां दस्तयाबहों और जिनकी बाबत उसको बवजह माकूलशुभहहो कि वह चोरीसे या बतरीक़ नाजायज़ हासिलकियेगयेहैं या जाली या झूठे या तल्बीसी बनायेगये हैं और तमाम औज़ार और सामान मज़कूरै सदरको अपने कब्ज़ेमें करले—और

(दाल)—ऐसे माल और दस्तावेज़ और मवाहीर और काग़ज़ात इस्टाम्प और सिक्केजात और औज़ार और सामान को

किसी माजिस्ट्रेट के रूबरू पहुँचादे या उसको उसी मौकेपर उस वक्त तक महफूजरक्खे कि मुजरिम किसी माजिस्ट्रेटकेपास हाजिरकियाजाय या उसको उसीमकान महफूजमें और तौर पर उठवादे—और

(हे)-हर शख्सको जो ऐसे मुकामपर पायाजाय और जो जाहिरन् ऐसे माल या दस्तावेजात या मवाहीर या काग़ज़ात इस्टाम्प या सिक्केजात या औज़ार या सामानके रक्खेजाने या फरोख्त या तय्यार कियेजाने से वाक्फ़िकार मालूमहो और जिसको जाहिरन् यह इल्मथा या इस इश्तिबाहकी वजह माकूल हासिल थीकि माल मज़कूर चोरीसे या किसी और तरीक़ नाजायजसेहासिलकियागयाहै या कि वह दस्तावेज़ात या मवाहीर या काग़जात स्टाम्प यासिक्केजात या औज़ार या सामान जाली और झूठे और लिबासी बनाये गये और वह औज़ार या सामान सिक्का लिबासी या इस्टाम्प जाली बनाने के लिये मुस्तअमिल कियेगये या उनके उस तौर पर मुस्तअमिल होनेका क़स्द कियागयाथा अपनी हिरासत में करले और रूबरू माजिस्ट्रेटके लेजाय ॥

+ दफ़ा हाज़ाके अहकाम—

(अलिफ़)—बाबत तलबीसीसिक्कहके—और

(बे)—बाबत ऐसे सिक्कहके जिसपर तलबीसका शुभहहो—और

(जीम)—बाबत ऐसे औज़ार या असबाबके जो सिक्कहकेतलबीसी बनानेमें मुस्तअमिलहों—

जहांतक कि वह लायक तअल्लुकहों—बिल्तनासिब—

(अलिफ़)—ऐसे धातके टुकड़ोंसे मुतअल्लिक होंगे जोधात के ग़ैरसरकारीसिक्कों के ऐक्ट मुसद्दिरै सन् १८८९ ई० की खिलाफ़वर्ज़ी में बनायेजायें-या वृटिश-इंडिया में बाखिलाफ़ वर्ज़ी किसी इश्तिहार मुजरिये वक्त हस्ब

ऐक्टनंबर १ सन् १८८९ ई०,

+—+यह फ़िक़रह ऐक्ट१—सन्१८८९ई० की दफा ८- कीरूसेमुंदर्ज कियागयाहै,

ऐक्टनंबर ८ सन् १८७८ ई०, दफा१९ ऐक्ट महसूलातबहरीमुसद्दिरे सन् १८७८ ई० के लायेजायें—और

(बे)—ऐसे धातके टुकडों से जिनपर उसतरह बनायेजाने या जिनके उसतरह पर बृटिशइंडियामें लाये जानेका गुमान—या ऐक्टहाय मज़कूरमें से ऐक्ट अव्वलुल्ज़िक्रकी खिलाफ़वर्ज़ी में चलाये जानेकेलिये मकसूद होनेका गुमानहो—और

(जीम)--उन औज़ार या असबाबसे जो बखिलाफ़वर्ज़ी ऐक्ट मजकूर के धातके टुकडों के बनाने में मुस्तअमिलहों+

कार्रवाई उन अशियाय की निस्बत जो इलाका अख्तियार के बाहर तलाश में पाईजायें,

दफा ९९--जब बवक्त तामील किसी वारंट तलाशी के ऐसे मुकाम पर जो अदालत सादिर कुनिन्दा वारंट के इलाके की हुदूद अरज़ी से बाहरहो कोई शै मिन्जुम्ला उन अशियाय के जिनकी तलाशी कीजाय दस्तयाबहोजाय-तो अशियाय मजकूर मय फेहरिस्त के जो बमूजिब अहकाम मुन्दर्जे आयन्दा तय्यारकीजाय फौरन् अदालत सादिर कुनिन्दा वारंट के रूबरू हाजिरकी जायेंगी--इल्ला उस सूरत में कि वह मुकाम उस मजिस्ट्रेट से जो उसबाबमें अख्तियार समाअत रखताहो बमुकाबिले अदालत मजकूरके जियादहकरीब हो तो उस सूरतमें फेहरिस्त और अशियाय मज़कूर फौरन उस मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कीजायँगी-और अगर कोई वजह मवज्जह माने न हो तो मजिस्ट्रेट मजकूर यह हुक्म सादिर करेगा कि वह फेहरिस्त और अशियाय अदालत मजकूर में पहुँचादीजायँ ॥

(जीम)--इंकिशाफहाल उन अशखास का जो बतौर बेजा मुक़य्यद किये गयेहों ॥

तलाश उन अशखास कीजोबतौरबेजामुकय्यद कियेगयेहों,

दफा १००--अगर किसी मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या मजिस्ट्रेट हिस्से जिले को इस अम्रके बावर करनेकी वजहहो कि कोई शख्स इसतरह मुकय्यदहै कि उसको कैद रखना बमंजिले जुर्म के है-तो नामबुर्दह वारंट तलाशी के सादिर

करने का मजाज़ है-और जिसशख्सके नाम वारंट मज़कूर भेजा जाय वह उस शख्सके तलाश करने का जो इसतरह मुक़य्यदहो मजाजहोगा-और तलाशी मज़कूर मुताबिक वारंट के अमल में आयेगी-और शख्स मज़कूर अगर दस्तयाब हो फौरन् मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिरकियाजायगा--और मजिस्ट्रेट मज़कूर ऐसा हुक्म सादिर करेगा जो मुक़द्दमे में मुनासिब मालूमहो॥

(दाल)-अहकाम आम बाबततलाशी॥

दफ़ा १०१--अहकाम मुन्दर्जै दफ़आत ४३ व ७५ व ७७ व ७९ व ८२ व ८३ व ८४ जहांतक मुमकिन हो उन सब वारंटहाय तलाशीसे मुतअल्लिक होंगे जो दफ़ा९६ या दफ़ा९८या दफ़ा१०० के मुताबिक सादिरहों॥

वारंट तलाशी की निस्बत हिदायत वग़ैरह,

दफ़ा १०२--जब कभी कोई मुकाम इस बाबके मुताबिक मुस्तौजिब तलाशी या मुआयना हो बन्दहो-तो उस शख्सको जो उस मुकाममें रहता या उसका एहतिमाम करता हो लाजिम है-कि अहल्कार या दीगर शख्स तामील कुनिन्दह वारंटकी दरख्वास्त और वारंट के पेश करने पर उस अहल्कार या दीगर शख्स को बिला मजाहमत अन्दर जानेदे-और उसके साथ इसतरह पेशआये कि उसको खानातलाशी लेने में हरतरह की सहूलत माकूल हासिल हो॥

उन लोगोंको जो बंदमुकामके मोहतमिमहोंचाहिये कि तलाशी लेनेदें,

अगर ऐसे मुकाममें इसतौर से दखल करना गैर मुमकिन हो-तो अहल्कार या दीगर शख्सतामीलकुनिन्दह वारंट मजाजहोगा कि हस्ब शरायत मुन्दर्जे दफ़ा ४८ के कारबन्द हो॥

दफ़ा १०३--क़ब्ल लेने तलाशी के बमूजिब अहकाम इसबाब के अहल्कार या दीगरशख्स आज़म तलाशी को चाहिये कि उस मौके के दो या जियादह बाशिन्दगान शरीफको जहां मुकामतलाशी तलबवाकैहो तलाशी

तलाशीगवाहोंके रूबरू ली जायेगी,

के वक्त हाजिर होने और गवाह रहने के लिये तलब करे ॥

तलाशी मजकूर ऐसे बाशिन्दों के रूबरूहोगी-और लाजिम है कि एक फेहरिस्त जुमले अशियाय की जो दरअस्नाय तलाशी मजकूर गिरफ्तार हों और उन मुकामात की जहां कि वह दस्तियाबहों मारफत अहल्कार मजकूर या शख्सदीगर मुरत्तिबकीजाय-और उसपर गवाहान मजकूर के दस्तखतहों-लेकिन किसी शख्स के लिये जो अजरूय दफा हाजा तलाशीका गवाहहो यह जरूर न होगा कि अदालत में बतौर गवाह तलाशी के हाजिरहो-बजुज उस सूरत के कि वह बिलतखसीस तलब कियाजाय ॥

उस मुकामका रहने वाला जिसकी तलाशीलो जायहाजिर होसक्ताहे,

जोशख्स उसमुकाम में रहताहो जिसकी तलाशी लीजाय उस को या उसकी तरफ से किसी और शख्स को हर सूरतमें इजाजत दीजायगी कि तलाशी के वक्त हाजिर रहे और एक नकल उस फेहरिस्तकी जो हस्बदफाहाजा तय्यार कीजाय और जिसपर गवाहान मजकूरके दस्तखत हों उस रहनेवाले या शख्स को उसकी दरख्वास्त पर हवाले कीजायगी ॥

(ह)-मुतफर्कात ॥

दस्तावेज वगैरहजो पेशहोउसकेजब्तकरने का अख्तियार,

दफा १०४—हर अदालतको अख्तियार है कि अगरमुनासिब समझे किसी दस्तावेज या शै दीगरको जो इस मजमूयेके मुताबिक उसकेरूबरू हाजिरकीजाय जब्त कररक्खे ॥

मजिस्ट्रेटअपनेरूबरू तलाशीलियेजानेके लिये हिदायत करसक्ताहे,

दफा १०५--हर मजिस्ट्रेट को इस बातकी हिदायत करनेका अख्तियारहै कि कोईमुकाम जिसकीतलाशी के लिये वह वारंट तलाशी जारी करनेकामजाज है उसके रूबरू तलाश कियाजाय ॥

हिस्सा चहारुम ॥

इन्सदाद जरायम ॥

बाब--८* ॥

दाबतजमानत हिफ्ज़ अमन और नेकचलनी ॥

(अलिफ़)-जमानत हिफ्ज़ अमन बाद

सुबूत जुर्म ॥

दफा १०६--जब किसी शख्सपर जुर्म बलवह या हमलाया

जमानतहिफ्ज़ अमन बादसुबूत जुर्म के, और तरहपर नुकज़ अमन या उनमें से किसी जुर्ममें अआनत करने या ऐसे जुर्मके इर्तिकाब की नियत सरीहसे अशखास मुसल्लहके मुजतमाकरने या और तदबीर नाजायज़ अमलमें लानेका इल्जाम लगायाजाय-या जब कोई शख्स बज़रियेधमकी नुक़सान पहुँचाने जिस्म या मालके इर्तिकाब तखवीफ़ मुजरिमानाका करे-और वह किसी हाईकोर्ट या अदालत सिशन या अदालत प्रेजीडन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट जिले या हिस्से जिला या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के हुज़ूरसे उस जुर्मका मुजरिम क़रार दियाजाय ॥

और ऐसी अदालतकीरायहो कि शख्स मजकूरसे मुचलिका बवादै हिफ्ज़ अमन लिखवाना जरूर है ॥

तो ऐसी अदालत मजाज़ होगी कि ऐसे शख्स की निस्बत सज़ा तजवीज़ करनेकेवक्त यह हुक्म सादिरकरे कि वह मुचलिका

---

*उन मुक़ामात में जहां पंजाब के सरहद्दी जरायम का कानून मुसद्दिरह सन् १८८७ ई० नाफिज है—उस क़ानून की दफा ३९—से दफा ४५-तक (बशमूल इन दोनों दफ़आत के) बतौर जुज्व बाबहाज़ा पढ़ा और समझा जायेगा—देखो कानून ४-सन् १८८७ ई० - दफा ४६,

बवादै अदा उसकदर तादाद के जो उसके मक़दूर के मुवाफ़िक़ हो मय या विलाज़ामिनों के और बइक़रार हिफ्जअमन खलायक़ अन्दर उसमीआदके जो तीनबरससे ज़ियादह न हो और जोअदालत मज़कूर की तजवीज से मुकर्ररकीजाय लिखदे॥

अगर हुक्म सुबूत जुर्म अपील में या और तौर पर मन्सूख कियाजाय तो मुचलिका जो इस तौरपर लिखा गया हो कालअदम हो जायेगा॥

(बे)-ज़मानत हिफ्जअमन बमुकद्दमात दीगर व जमानत नेकचलनी॥

दफा १०७--जब कभी किसी प्रेज़ीडन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटजिला या हिस्साज़िला या मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वलको इत्तिलाअपहुंचे कि फलांशख्सकी निस्बत एहतमाल है कि वह नुक्ज अमन करेगा-या कोई ऐसा फेल बेजा अन्दर हुदूद इलाक़े अरज़ी मजिस्ट्रेट मज़कूर के करेगा जिससे नुक्ज़ अमन लाज़िम आयेगा-या यह कि हुदूदमजकूरके अंदर कोई ऐसा शख्स है जिसकी निस्बत एहतमाल है कि वह नुक्ज़ अमन करे या उसक़िस्मका कोई और फेलबेजा किसी और जगह उनहुदूद के बाहर अमल में लाये-तो साहबमजिस्ट्रेटमजाज होगा-कि हस्ब तरीक़े मुफस्सिले जैल शख्स मुल्जिम से वजह इस अम्रकी इस्तिफ्सार करे कि उससे मुचलिकामय या बिला जामिनान बवादै हिफ्जअमन खलायक़ उसक़दर मीआद के लिये जो एकबरस से जियादह न हो और जिसको मजिस्ट्रेटमुकर्रर करना मुनासिब समझे क्यों न लियाजाय॥

ज़मानत हिफ्ज़ अमन और और सूरतों में,

दफा १०८— जब कोई मजिस्ट्रेट जिसको दफा १०७--के बमूजिब अमल करने का अख्तियार नहो या कोईअदालतसिशन याहाईकोर्टकिसी वजहसेयहबावरकरे--कि किसीशख्सकी निस्बत एहतमाल है-कि वह नुक्ज़ अमन करेगा या ऐसाकोई फ़ेल बेजा करेगा जिससे गालिबन् नुक्जअ-

जाबिताकारखाई उसमजिस्ट्रेटवगैरहका जोतहतदफा१०७-कारगुजार होनेका अख्तियार नहीं रखताहै,

मन पैदाहो--और ऐसानुक़्ज़अमन बजुज़ हिरासतमें रखनें शख्स मज़कूर के और किसीतरह से मसदूद नहीं होसक्ता है तो ऐसे मजिस्ट्रेट या अदालत को अख्तियारहै--कि उसकी गिरफ्तारीके लिये (अगर वह उससे पहिले हिरासत या अदालतमें हाज़िर नहो) अपना वारंट जारीकरे--और शख्समज़कूरको मजिस्ट्रेटजी अख्तियार के रूबरू इस ग़रज़से भेजदे--कि वह दफ़ा १०७ के बमूजिब मुक़द्दमे में अमलकरे ॥

वह मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू कोई शख्स इसदफ़ा के बमूजिब भेजाजाय मजाज़ है-कि अगर मुनासिब समझे ऐसे किसी शख्स को उसवक्ततक हिरासतमें रक्खे जबतक कि वह तहक़ीक़ात जो आयन्दा मुक़र्रर हुई है खतम न होले ॥

दफ़ा १०९—जबकभी प्रेज़ीडन्सी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट जिला या हिस्सा ज़िला या मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल को अमूर मुफस्सिलै जैलकी इत्तिलाअपहुँचे॥

जमानत नेकचलनी की आवारह गरदों और उनशख्सोंसे जिनपर शुभहहो,

(अलिफ़)-यह कि कोई शख्स ऐसे मजिस्ट्रेट के इलाक़ेकी हुदूद अरजीके अन्दर अपनी मौजूदगीके अख़फ़ा के लिये एहतियात कररहा है-और क़रीन क़यास है कि वह शख्सबवहएहतियात इसीवजह से कररहा है कि किसी जुर्मका मुर्तकिब हो-या

(बे)--यह कि हुदूद मज़कूरके अन्दर एक ऐसा शख्स हैजो बज़ाहिर कोईसबीलमआशकी नहीं रखताहै या जो अपनाहाल हस्ब इतमीनान नहींबयान करसक्ताहै ॥

तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजाज़ होगा कि हस्ब तरीक़ै मुफ़स्सिलै ज़ैल ऐसे शख्ससे इसबातकीवजह तलबकरे-कि उससे मुचलिका मय जामिनों के बवादे नेकचलनरहने के उस क़दर मीआद के लिये जो ६-छःमहीनेसे जियादह न हो और जिसको मजिस्ट्रेटमुक़र्रर करना मुनासिब समझे क्यों न लिखवा लियाजाय ॥

दफ़ा ११०--जब किसी मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट

जमानत नेकचलनी की उन शख्सों से जो आदतन जुर्म कियाकरते हैं,

जिला+या मजिस्ट्रेटहिस्साजिला या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वलको जिसे लोकलगवर्नमेण्ट की तरफ़से बिलखसूस इस बाबमें अख़्तियार अता हुआ हो+इस बातकी इत्तिलाअ पहुँचे- कि कोई शख़्स जो उसके इलाक़ेकी हुदूद् अरजीके अन्दरहो आदतन् शख़्स रहजन या नक़बजन या चोरहै-या आदतन् माल मसरूका हासिल करता है यह जानकर कि वह माल बसबील सरक़ा हासिल हुआ है या यह कि वह आदतन् हुसूल बिलजब्र करता है या हुसूल बिलजब्र के इरादेसे आदतन्ख़लायक़ को नुक़सान रसानीका खौफ़दिलाता है या उसका क़स्द करताहै ॥

ऐसे मजिस्ट्रेट को अख़्तियार होगा कि हस्बतरीक़े मुफ़स्सिलै आयन्दा ऐसे शख़्ससे इसबातकी वजह तलबकरे कि उससे मुचलिका मयजमानत बबादै नेकचलन रहने के किसी मीआद तक जो ३-तीन बरससे जियादह न हो और मजिस्ट्रेट की तजवीज से मुकर्रर हो क्यों न लिखवाया जाय ॥

दफ़ा १११—अहकाम दफ़आत १०९-व ११०-रिआयाय

अहकामअबारहगरदां अहलयूरुपकेमुतअल्लिक़, ऐक्ट ६ सन् १८७४ई०,

बृटानिया अहलयूरोपसे उन सूरतों में मुतअल्लिक़ न होंगे जब उनकी निस्बत कारवाई मुताबिक़ ऐक्टमुतअल्लिक़ै रिआयाय आवारह अहल यूरोप मुसहिरै सन् १८७४ ई० के होसक्तीहो ॥

दफ़ा ११२—जबकोई मजिस्ट्रेट जो दफ़ा १०७-या दफ़ा१०९-

हुक्म जोसादिर कियाजायेगा,

या दफ़ा ११०-के बमूजिब अमल करताहो किसी शख़्ससे दफ़ा मुतजक्किरै सदर के बमूजिब वजह ज़ाहिरकरानी ज़रूर समझे-उसको चाहिये कि हुक्म तहरीरी में खुलासा उस इत्तिलाअका जो उसके पासपहुंचीहो मैतादाद मुचलिका और ज़मानतनामै तहरीरतलब और मीआदके

+—+यह अलफ़ाज दफा ११०—में अजरूय दफा ५—ऐक्ट १०—सन् १८८६ ई० के क़ायमकियेगये हैं,

जिसके लिये मुचलिका निफ़ाजपिजीर रहेगा औरतादाद और है-सियत और क़िस्मज़ामिनान मतलूबाके (अगरकुछहों) क़लम्बंदकरै॥

दफ़ा ११३--अगर वह शख्स जिसकी निस्बत ऐसा हुक्मदिया जाय अदालतमें हाज़िर हो तो वह हुक्म उसको पढ़कर सुनादिया जायगा या अगर वह ख्वाहिश करे उसका खुलासा उसको समझा दिया जायेगा॥

जाब्तेकी काररवाईउसश ख्सकीनिस्बतजोअदालत मेंहाज़िरहो,

दफ़ा ११४--अगर ऐसा शख्स अदालतमें हाजिर न हो तो साहब मजिस्ट्रेट उसके नाम सम्मन इसहुक्म के साथ जारी करेगा कि वह हाजिरहो-या जब शख्स मज़कूर हिरासत में हो तो वारंट इस हिदायत के साथ भेजाजायेगा कि वह अफसर जिसकी हिरासतमें वहशख्सहो उसको अदालत के रूबरू हाज़िरकरै॥

सम्मनयावारंटउसश ख्सकीनिस्बत जो वहांहा जिरनहीं है,

मगर शर्तयह है-कि जब अफ़सर पुलिसकी रिपोर्ट या किसी और शख्सकी इत्तिलाअ रसानी से मजिस्ट्रेटको मालूमहो (रिपोर्ट या इत्तिलाअ के खुलासेको मजिस्ट्रेट कलम्बन्द करेगा) कि इस बातका ज़न्नग़ालिब है कि अमनखलायक़ में नुक्ज़वाकेहोगा और ऐसे नुक्ज़ अमन को बिला फ़ौरन गिरफ्तार करने शख्स मज़कूर के फ़रोकरना ग़ैर मुमकिन है-तो मजिस्ट्रेटमजाज़होगा कि जिस वक्त चाहे उसकी गिरफ्तारीके लिये वारंट जारीकरे॥

दफ़ा ११५--हरसम्मन या वारंटके साथ जो दफ़ा ११४-के बमूजिब सादिर कियाजाय नक़ल हुक्म मुतज़क्किरे दफ़ा ११२--शामिल रहेगी और वह नक़ल मारफत उस ओहदेदार के जो सम्मन या वारंट की तामील या तकमील करता हो उसशख्सको दीजायेगी जिसपर सम्मनकी तामील हुईहो या जो वारंट के बमूजिब गिरफ्तार हुआहो॥

हुक्ममुतज़क्किरहदफा ११२ की नक़ल के साथ सम्मन या वारंट रहा करेगा,

दफ़ा ११६--साहब मजिस्ट्रेट मजाज है-कि अगर वजह काफी

असालतन् हाज़िरीके मुआफकरनेकाअखितयार, देवे किसीशख्सकी असालतन् हाजिरीको मुआफ करे जिससे वजह इसबातकी तलब हुईथी कि उससे मुचलिका बवादह हिफ्जअमन क्यों न लिखा लियाजाय और उसको इजाज़तदे कि वहवकालतन्हाजिरहो ॥

तहक़ीक़ात दरख़ूस सिदाक़त इत्तिलाअके, दफ़ा ११७--जबकोई हुक्म जो दफ़ा ११२--के बमूजिब सादिर हुआहो किसी शख्सहाज़िर अदालतको इसदफ़ा ११३--पढ़कर सुनाया या समझा दियाजाय-या जब बइतबाअ या बसिलसिला तामील किसी सम्मन या वारंट के जो दफ़ा ११४-के बमूजिब जारीहुआहो कोई शख्स मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिरहो या लायाजाय--तो मजिस्ट्रेट मजकूर उसइत्तिलाअकी सिदाक़तकी तहक़ीक़ात शुरूअ करेगा जिसपर उसने अमलकियाहो-और ऐसी शहादतमजीदजो उसकी दानिस्त में जरूरीहो लेगा ॥

तहकीकात मजकूर जब हुक्म में हिदायत वास्तेलेने जमानत हिफ्जअमन के भी शामिल हो-जहांतक मुमकिनहो मुताबिक उस तरीके के अमलमें आयेगी जो मुकद्दमात सम्मनकी तजवीज के लिये आयन्दा मुकर्ररहै और जब हुक्मके अंदर हिदायतवास्ते लेने जमानत नेकचलनीकेहो तो तहकीकात उस तरीकेके मुताबिक होगी जो आयन्दा वास्ते तहकीकात मुकद्दमात वारंट के मुकर्रर हुआहै-इल्ला फर्दक़रारदाद जुर्मका लिखना जरूर न होगा ॥

वास्तेअग़राज इसदफ़ाके यहबाकै बजरिये सुबूत शोहरतआम के या और नेहज पर साबित करना जायज है कि कोई शख्स आदतन् मुजरिम है ॥

जमानत दाख़िल करने का हुक्म, दफ़ा ११८—अगर ऐसी तहकीक़ातसे यह साबितहो कि वास्ते हिफ्ज अमन या कायमरखने नेकचलनी के (जैसी कि सूरतहो) उस शख्ससे जिसकी बाबत तहक़ीक़ातकीगई है मुचलिका मै याबिलाज़ामिनानके लिखानाज़रूरहै तो मजिस्ट्रेटमजकूर उसमजमूनकाहुक्म सादिरकरेगा ॥

मगर शर्त यह है कि--

अव्वलन्-किसीशख्सके नाम यहहुक्म सादिर न होगा कि वह उसकिस्मसे मुख्तलिफ़ या उस तादादसे जायद या उसमीआद से जियादहकी जमानत लिखदे जिसकी तसरीह हुक्म मुसद्दिरह तहत दफ़ा ११२-में मुंदर्जकीगई है॥

सानियन्-यह कि हरमुचलिकेकी तादाद हालात मुक़द्दमे पर मुनासिब लिहाज़करके मुक़र्ररकीजाय और बहुत ज्यादह न हो॥

सालिसन्-यह कि जब वहशख्स जिसकी निस्बत तहक़ीक़ात अमलमें आय नाबालिग़हो-तो मुचलिका सिर्फ़ उसके ज़ामिनों से लिखायाजायगा॥

रिहाई उस शख्स की जिसके वारेमेंइत्तिलाअ दीगई हो,

दफ़ा ११९—अगर इन्दुल् तहक़ीक़ात मुक़र्ररह दफ़ा ११७-यह साबित न हो कि उसशख्ससे जिसकी निस्बत तहक़ीक़ात अमलमें आई है मुचलिकाबवादै हिफ्ज़अमन या नेकचलनीके (जैसी कि सूरत हो) लेना ज़रूरहै-तो मजिस्ट्रेट मिसलमें एक यादृदाश्त इसमज़मूनकी लिखलेगा-और अगर वहशख्ससिर्फ़वास्ते अग़राज़तहक़ीक़ातके जेर हिरासतहो उसको छोड़देगा-या अगर शख्स मज़कूर हिरासतमें न हो उसको रुख्सतकरेगा॥

(जीम)—कारवाई मुतअल्लिके जुमले मुकद्दमात माबाद हुक्म मशअर तलबकरने जमानत के॥

शुरू उसमीआदकी जिसकेलिये जमानत मतलूबहो,

दफ़ा १२०—अगर किसीशख्सकी निस्बत जिसकी बाबत दफ़ा १०६-या दफ़ा ११८-के बमूजिब हुक्म मशअर तलबी जमानत सादिरकियाजाय बवक्त सिदूर उसहुक्मके हुक्मसज़ाय क़ैद सादिरहोचुकाहो या वह क़ैदमेंहो तो वहमीआद जिसकेलिये जमानत तलबहुई थी उस मीआद क़ैदके इन्क़ज़ाके बाद शुरूहोगी॥

और सूरतोंमें मीआदमज़कूर हुक्मकी तारीखसे शुरूहोगी॥

मुचलिकाका मजमून,

दफ़ा १२१—उस मुचलिके में जो ऐसे शख्सको लिखनापड़ेगा शख्स मज़कूर इसबातका इक़रारकरेगा कि अमनखलायक़को महफूज रक्खेगा या नेकचलनरहेगा यानी जैसा

मौक़ाहो और सूरतआखिरुल्ज़िक्र में किसीजुर्मकाइर्त्तिकाबकरना या उसके इर्त्तिकाब का कस्द करना या उसमें मआवनहोना जो लायक़ सज़ाय क़ैदहो जहांकहीं उसका इर्त्तिकाब कियाजाय बमंज़िलै इन्हराफ़ मुचल्का समझा जायेगा॥

दफ़ा १२२—— साहब मजिस्ट्रेटकोअख्तियार है-कि मिन्जुमले ज़ामिनान नेकचलनी मुल्ज़िम के जो इसबाब के बमूजिब हाज़िर कियेजायँ किसी ज़ामिन को इसवजह से नामंजूरकरे और वजूह नामंज़ूरी को मजिस्ट्रेटक़लमबन्दकरेगा कि वह ज़ामिन नालायक़ है॥

ज़ामिनोंके नामंजूर करनेका अख्तियार,

दफ़ा १२३--अगरकोईशख्स जिसकोदफ़ा १०६-या दफ़ा ११८- के बमूजिब हुक्म वास्ते अदखाल जमानत के दियागयाहो ऐसी जमानत उसतारीखतक या उसके माक़ब्लदाखिल न करे जिसतारीखको वहमीआदशुरूअहो जिसकीबाबत जमानत देनीचाहिये-तो वहशख्स-बजुज़उससूरत के जिसकाज़िक्र आयन्दालियाजायगा जेलखानेमें भेजादियाजायगा-या अगर वह पहिलेही से जेलखाने में हो तोउसवक्ततकजेलखानेमें रक्खाजायगा जबतक मीआदमज़कूर मुनक़ज़ी न हो या उसवक्ततक कि वह जमानत मतलूबा मीआद मज़कूरके अन्दर उस अदालत या मजिस्ट्रेटके हुजूर हाज़िरकरदे जिसने उसकीबाबत हुक्मदियाहो-या उस जेलखानेके ओहदेदार मोहतमिम को लिखदे जिसमें वहशख्स क़ैदहो जिसको जमानतदेनेका हुक्म हुआ हो॥

क़ैदजमानत नदाखि लकरनेकी तक़दीरमें,

जब ऐसे शख्सके नाम साहब मजिस्ट्रेटकी तरफ़से हुक्मवास्ते देने जमानत मीआदी जायद अज़ एक सालके सादिरहुआहो और वहजमानत किस्म मज़कूरै वाला दाखिल न करे तोसाहब मजिस्ट्रेटको लाज़िमहै कि उसके नाम वारंट इस हिदायतकेसाथ जारी करे कि तासिदूरहुक्मअदालतासिशनके या अगर मजिस्ट्रेट मज़कूर प्रेज़ीडेन्सी का मजिस्ट्रेटहो तो तासिदूर हुक्म हाईकोर्टके वहनज़र-

कागजात मुक़द्दमा कब हाईकोर्ट याअदालतसिश नकेरूबरू पेशकियेजायेंगे,

बन्द रक्खाजायँ-कि उसवक्त कागजात मुकद्दमा जिसकदर जल्द मुमकिन हो अदालत मजकूर के रूबरू पेश किये जायँगे ॥

अदालत मजकूरमजाज़है-कि बाद मुलाहिजा कागजातऔर बाद तलब करने किसी हालात या सुबूतमजीद के जो अदालत को जरूरी मालूम हो मुक़द्दमे में ऐसाहुक्म सादिर करे जोउसको मुनासिब मालूमहो ॥

मगर शर्त्त यहहै-कि मीआद (अगर कोई मीआदहो) जिसके लिये कोई शख्स बकुसूर अदमइदखाल ज़मानतके क़ैदकासजावार होताहै ३-तीनवरस से ज़ियादा न होगी ॥

वह क़ैद जो बहालत अदम इदखाल ज़मानत बग़र्ज़ हिफ़्ज अमन के आयदकीजाय क़ैद महज़होगी ॥

क़िस्मक़ैद,

जायजहै-कि वह क़ैद जो बसूरत अदमइदखाल जमानतबबादे नेकचलनीके आयद कीजाय सख्तहो या महज जैसी कि अदालत या मजिस्ट्रेट की हरमुक़द्दमे में हिदायतहो ॥

दफ़ा १२४—जब मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी की यह रायहो कि कोई शख्स जो बमूजिब हुक्म किसी मजिस्ट्रेट या किसी और मजिस्ट्रेटके जो उससे पहिले उसी ओहदे परथा या हुक्म किसी मजिस्ट्रेट मातहतके इसबाब के मुताबिक़ ज़मानत न दाखिलकरने के क़सूरमें क़ैदकियागयाहो इस बातकेलायक़है किबिलाअन्देशाज़ररखलायक़ या किसी और शख्सके उसको रिहाईदीजाय-तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजाज़होगा कि उसके रिहाहोनेकाहुक्मदे ॥

उनलोगोंको रिहाकर देनेका अखितयारजो अदम इदखाल जमानत के बाअस मुकय्यदहों,

जब किसीमजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी की यह राय हो-कि कोई शख्स जो इसबाबके मुताबिक़ हस्ब हुक्म अदालत सिशन या हाईकोर्ट बक़सूर अदम इदखाल जमानत क़ैद कियागया है इसलायक़ है कि वह बिलाअन्देशा छोड़ दियाजाय तो ऐसे मजिस्ट्रेट को लाज़िम है-कि फ़ौरन् उस मुक़द्दमेकी रिपोर्ट वास्ते सिदूर हुक्म अदालत सिशन या हाईकोर्टके जैसा मौक़ाहो

लिखभेजे और अदालत मजकूर मजाज होगी कि अगर मुनासिब समझे ऐसे शख्स की रिहाईका हुक्मदे ॥

दफा १२५-साहब मजिस्ट्रेट जिला मजाज़ है- कि किसी वक्त बवजूह काफी जो जब्त तहरीरमें आयेंगी किसी ऐसे मुचल्के को मन्सूख करे जो वास्ते हिफ्जअमन के बमूजिब बाब हाजा हस्ब हुक्म किसी अदालत वाक़ै जिलेके जो उसकी अदालत से बालातर न हो तहरीर कियागया हो ॥

मजिस्ट्रेट जिला का अख्तियार दरबारहमंसूख करने किसी ऐसे मुचलका के जो वास्ते हिफ़ज अमनके हो,

दफा१२६--हरवह शख्स जो किसी और शख्सकी खुशरवी या नेकचलनी का जामिन्हुआहो मजाज़है-कि जिसवक्तचाहे मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट दरजा अव्वलसे मुचल्का और जमानतनामा मन्सूखकराने की दरख्वास्तकरे जो हस्ब बाबहाजा अन्दर हुदूद अरजी उसके इलाके के लिखागयाहो ॥

जामिनों की रिहाई,

बरतवक्त गुजरने ऐसी दरख्वास्तके साहब मजिस्ट्रेट अपनासम्मन या वारंट जो कुछ मुनासिब समझे इस हुक्म से जारी करेगा-कि वह शख्स जिसकेलिये जामिन उसकी तरफ से पाबन्द हुआथा उसके रूबरूहाजिरहो या हाजिरकियाजाये ॥

जब ऐसा शख्स मजिस्ट्रेटके रूबरू हाजिरहो या हाजिरकिया जाय-तो मजिस्ट्रेट मज़कूर मुचल्का और जमानत नामेको मन्सूख करेगा-और शख्स मजकूर को यह हुक्मदेगा--कि जमानत जदीद उसी किस्मकी जैसी अस्लजमानत थी मुचल्केकीमीआद गैरमुनक़जिया की बाबत दाखिल करे-ऐसा हरहुक्म वास्ते हुसूल इग़राजदफात १२१ व १२२ व १२३ व १२४ के बमन्जिलै ऐसे हुक्मके समझाजायगा जो बमूजिब दफा १०६ या दफा ११८- (जैसी सूरतहो) सादिरहुआ हो ॥

बाब-९ ॥

मजमाहाय ख़िलाफ़ क़ानून ॥

मजिस्ट्रेटयाअहलकार पुलिसकेहुक्मकेमुताबिक मजमाका मुंतशिरहोना,

दफ़ा १२७–हर मजिस्ट्रेट या अहलकार मोहतमिम पुलिस इस्टेशन मजाज है-कि किसी मजमे खिलाफ़ कानूनको या पांच या जियादह असख़ासकी जमाअतको जिनकी निस्बत एहतमाल हो कि वह अमन खलायकमें खलल डालेंगे मुन्तशिर होजानेका हुक्म दे-उसके मुताबिक जमाअत मज़कूर के तमाम शख्सायको लाजिम होगा कि मुंतशिर होजायँ ॥

यह दफ़ा बलाद कलकत्ता व बम्बईकी पुलिससे मुतअल्लिक़है॥

दीवानी कूवतका इस्तेमालमें लाना मुंतशिर करनेकेलिये,

दफ़ा १२८–अगर ऐसा हुक्म सादिर होने पर ऐसा कोई मजमा मुन्तशिरनहोजाय-या अगर बिलाऐसे हुक्म दियेजाने के मजमा मज़कूर इसतरह काररवाई करे कि जिससे इरादा मुन्तशिर न होनेका जाहिरहो-तो हर मजिस्ट्रेट या अहलकार मोहतमिम इस्टेशन पुलिस आम इससे कि वह बलाद प्रेजीडेंसीके अंदरहो या बाहर मजाज़है-कि जबरन् मजमाको मुन्तशिरकरे-और किसी शख्स जकूरको जो मलका मुअज्जिमाकी अफवाजका अफसर या सिपाही न हो-या ऐसा वालन्टियर न हो जिसकानाम बमूजिबऐक्ट वालन्टियरहिंद मुसद्दिरे सन् १८६९ई०के दर्जहुआ हो और उसी हैसियत से अमल करताहो मजमाके मुन्तशिर कराने के लिये उसकीमदद करनेकी हिदायतकरे-औरअगर जरूरत हो मजमा मजकूर के शख्सायको मजमाके मुन्तशिरकरने के लिये या कानून के बमूजिब उनको सजा दिलाने के लिये गिरफ्तार और कैदकरे ॥

ऐक्ट२० सन् १८६९ ई०,

कूवत फौजीकाइस्तेमाल में लाना,

दफ़ा १२९–अगर कोई ऐसा मजमा और नेहजपर मुन्तशिर नहोसके- और अगर आम खयालक की हिफाजत के लिये उसका मुन्तशिर करना जरूरहो तो सबसे आला दर्जेका मजिस्ट्रेट जो उसवक्त हाजिर

हो मजाज होगा कि बमदद फौज उसको मुन्तशिर कराये ॥

उस अफ़सरसिपाह का लाज़िमाख़िदमत जिसको मजिस्ट्रेट मजमाकेमुंतशिर करदेनेके लिये कहे,

दफा १३०——जब कोईमजिस्ट्रेट किसीऐसे मजमाकोबमदद फौजमुन्तशिर करनेका इरादा करे तो उसको अख्तियारहै-कि किसी अफ्सर कमीशनयाफ्ता या गैर कमीशनयाफ्ता को जो मलकामुअ्ज्जिमाकी अफवाजके किसी कदर सिपाहियों का कमानियर होया जो किसी ऐसे अशखास वालन्टियरका कमान अफ्सरहो जो ऐक्ट वालन्टियर हिन्द मुसद्दिरै सन् १८६६ ई० के मुताबिक़ भरती हुये हों यह हुक्मदे-कि मजमा को अहाली फौजके जरिये से मुन्ताशिरकरे--और उनअशखास को जो मजमाके शरीक हों और जिनका मजिस्ट्रेट निशानदे या जिनको गिरफ्तार और कैद करना इस वजहसे जरूरहो कि मजमा मुन्तशिर होजाय या कि उनकी सजा मुताबिक कानूनके कीजाय गिरफ्तार और कैदकरे ॥

ऐसा हर कमान अफ्सर ऐसी दरख्वास्तकी तामील जिसतरह मुनासिब समझे करैगा-मगर तामील करनेके वक्त इसकदर कम तशद्दुद अमलमें लायेगा और इन्सानकी जात व मालको इसकदर कम नुक्सानपहुँचायेगा जोबवक्त मुन्ताशिरकरने मजमा और गिरफ्तार और कैदकरने अशखास निशानदादहके मुमकिन पायाजाय ॥

कमीशन याफ़ता फौजी अफ़सरोंका अख्तियारदरबारह मुंतशिर करनेमजमाके,

दफा १३१–जब साफ व सरीह अमन खलायकमें नुकसान पहुँचने का खतरा बबाअस ऐसे मजमा खिलाफ कानून के हो और उसवक्त किसी मजिस्ट्रेट के साथ खत व किताबत करना मुमकिन न हो-तो मलिका मुअज्जिमा की अफवाजके हर अफ्सर कमीशन याफ्तहको अख्तियार हैं कि फौजकी मददसे मजमा मजकूरको मुन्तशिर करे-और मिन्जुम्ला अशखास शरीक मजमाके किसीकदर अशखास को उसके मुन्तशिर करने के लिये या मुताबिक कानूनके उनकी सजा करने के लिये गिरफ्तार और कैद करे-लेकिन जिसवक्त कि वह इस दफ़को

बमूजिब काररवाई करताहो अगर यह मुमकिन हो कि मजिस्ट्रेटसे इस्तिसलाह करसके-तो लाज़िमहै कि वह ऐसाकरे-और उसके बाद हिदायात मजिस्ट्रेट की दरबारे इस अम्रके कि आया उसको ऐसी काररवाई जारी रखनी चाहिये या नहीं-तामीलकरेगा ॥

मुमानिअत इजराअ नालिश बइल्लत उन अफ़आलके जोहस्बबा बहाना वक़ूअमेंआयें,

दफ़ा १३२-किसी मजिस्ट्रेट या किसी अफ्सर फ़ौज या अहलकार पुलिस या सिपाही या वालन्टियर पर किसी फ़ेलकी बाबत जिसका इसबाबके मुताबिक वक़ूअमें आना जाहिर किया जाय कोई नालिश किसी अदालत फ़ौजदारी में रुजूअ न कीजायगी-इल्लाबमंजूरी जनाब नव्वाब गवर्नर जनरलबहादुर बइजलास कौंसल-और—

(अलिफ़)-कोई मजिस्ट्रेट या अहल्कार पुलिस जो नेकनीयती से इसबाबके मुताबिक़ अमल करे—

(बे)-कोई अफ्सर जो नेकनीयती से दफ़ा १३१-के मुताबिक कारबन्दहो-

(जीम)-कोई शख्स जो बइतबअ किसी हुक्म मुतअल्लिक़ै दफ़ा १२८-या १३०-के कोई फ़ेल नेकनीयती से करे-और

(दाल)-कोई अफ्सर अदना या सिपाही या वालन्टियर जो बतबअय्यत किसी हुक्मके जिसका बजालाना क़ानून फ़ौजकी रूसे उसपर वाजिब है कोई फ़ेलकरे-

ऐसा फ़ेलकरने से जुर्मका मुर्तकिब न समझाजायगा ॥

बाब-१० ×॥

उमूर वाअ़स तकलीफ़ खलायक़ ॥

हुक्मबिलशर्त वास्ते दफ़ा करने उमूरवाअ़स तकलीफ़ के,

दफ़ा १३३-जब कोई मजिस्ट्रेट ज़िला या मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला या कोई मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल दरहालें कि लोकल गवर्नमेरट से उसको इसबाब में अख्तियार दिया गया हो इन्दुलहुसूल किसी

× बाब १०-शह्र मदरास में-मदरास के ऐक्ट ७ -सन्१८८४ ई० कीदफा२६-को रूसे बसअ़त पिज़ीर किया गयाहै,

रिपोर्ट या और तरहकी इत्तिलाअ के और बादलेने उसक़दर सुबू-
तके (अगरकुछहो) जो मुनासिब मालूम हो यह तसव्वरकरे-
कि किसी रास्ता या दरिया या नालीसे जिसे अवाम बतौर
जायज इस्तैमाल में ला सक्ते हों या किसी मुक़ाम आमसे कोई
सद्दनाजायज या बाअ्स तकलीफ खलायकदूरहोजानीचाहिये-या
किसी दूकान्दारी या पेशेका या रखना किसी माल या माल
तिजारती का जो खलायक की तन्दुरुस्ती या आसायश जिस्मा-
नीका मुजिरहो मौकूफ कियाजाना या दूसरी जगह उठादिया
जाना या ममनूअ करार दियाजाना अनसबहै—या
तामीर किसी इमारतकी यासर्फ किसी चीजका जिससे एहत-
माल आग लगने या भकसे उड़जाने का पैदाहो लायक रोकदेने
या बन्द करदेनेके है —या
कोई इमारत ऐसी हालतमें है कि ग़ालिबन् गिरपड़ेगी जिससे
उनलोगों को जो उसके पास रहते या कारोबारकरते या उस के
पास होकर गुज़रते हैं नुक्सान आयेगा और इसी सबबसे उसका
दूर कियाजाना यामरम्मत करना या पुश्ता बनाना जरूर है —या
किसी तालाब या चाह या खन्दक़केगिर्द जो किसी ऐसे रास्ते
या मुक़ाम आमके मुत्तसिलहो ऐसा जँगला क़ायम करनाचाहिये
कि उससे जोखतरा अवामको पैदाहोताहै वह मसदूद होजाय—
तोमाजिस्ट्रेट मौसूफ मजाज होगा--कि जो शख्स ऐसी स-
द्दराह या अम्रमूजिब तकलीफ खलायक का बाअ्स हो याऐसी
दूकान्दारी या पेशा करताहो या कोई माल या माल तिजारती
रखताहो या ऐसी इमारत या चीज़ या तालाब या चाह या खन्द-
क़का मालिक या क़ाबिज़ हो या उसपर अख्तियार रखता हो
उसके नाम हुक्मशर्तिया इस हिदायतसे सादिर करे कि वहमी-
आद मुअय्यना हुक्म के अन्दर——
ऐसी सद्दराह या अम्रमूजिब तकलीफ खलायक़ को दूरकरे-या
ऐसीदूकान्दारी या पेशे को मौक़ूफकरै या उठादे —या
अशियाय मज़कूर या मालतिजारती को उठवादे—या

ऐसी इमारतकी तामीर मसदूद या बन्द करदे—या

उसको दूरकरदे या उसकी मरम्मतकरादे या उस मेंआड़ लगा दे या उसचीज़ के सर्फ करनेका तरीकाबदलदे —या

तालाब या चाह या खन्दक़ के गिर्द जैसी सूरत हो जँगला लगादे—या

उसी मजिस्ट्रेट या किसी और मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या दर्जै दोम के रूबरू वक्त और मुक़ाम मुन्दर्जै हुक्म पर हाज़िर होकर दरख्वास्त वास्ते मन्सूखी या तरमीम हुक्म मज़कूरके हस्बतरीकै मुन्दर्जे आयन्दा दाखिलकरे ॥

किसी हुक्मकी निस्बत जो इसदफाके बमूजिब किसी मजिस्ट्रेटके हुजूरसे हस्बज़ाबिता जारी हुआ हो किसी अदालत दीवानी में एतराज न किया जायगा ॥

तशरीह—मुक़ामआममें वह जायदाद जो सर्कारी हो और पड़ावकी जगह और वह जमीन जोकि तन्दुरुस्ती और तफ़रीहकी अग़राज के लिये खाली छोड़दी गई हो दाखिल है ॥

दफा १३४——हुक्ममज़कूर जहांतक मुमकिनहोउसीशख्स पर जिसके नाम वह सादिर हुआहो उसी तरीके के बमूजिब जारी किया जायगा जो वास्ते इजराय सम्मन के इस मजमूये में मुक़र्रर हुआहै ॥

हुक्मकाजारी या मुश्तहर करना,

अगर वहहुक्म इसतौर से जारी न होसके तो उसकी बाबत इश्तिहार मुश्तहर कियाजायेगा—और वह इश्तिहार उसतरह पर मुश्तहर होगा--जिसतरह लोकलगवर्नमेंट अज़रूय क़ायदा हिदायत करे—और उसकी एक नकल ऐसे मुकाम या मुकामातपर आवेज़ां की जायगी जो शख्स मज़कूर की इत्तिलाअ रसानीके लिये जियादा मुनासिब मालूम हों ॥

दफा १३५-- उस शख्स को जिसके नामऐसा हुक्म सादिर हो लाज़िम है कि——

उसशख्सको उस हुक्म को तामील करना चाहिये जो उसकेनाम सादिरहो,

(अलिफ)-जिस फेलके करनेकी हिदायत हुक्ममें हो मीआद मुक़र्ररह हुक्म के अन्दर उसकी तामील करे—या

(बे)-हुक्मके बमूजिब हाजिर होकर या तो वजह नाजवाजी हुक्मकीजाहिरकरे-या उसमजिस्ट्रेटसे जिसनेहुक्म सादिर कियाहो इसअम्रकीदरख्वास्त करे कि अहाली जूरी वास्ते तजवीज इसअम्रके मुकर्रर कियेजायँ-कि हुक्म मजकूर माकूल और मुनासिब है या क्या॥

या वह वजह दिखाये या जूरीकी इस्तदुआ करे,

दफा १३६—अगर शख्स मजकूर ऐसे फेलकी तामील न करे-या असालतन् हाजिर न हो-और न दरख्वास्त वास्ते तकर्रुर अहाली जूरी हस्ब हिदायत दफा १३५-के गुजराने--तो वह उस तावान का मुस्तौजिब होगा जो मजमूये ताजीरातहिन्द की दफा १८८-मेंमुकर्रर हुआ है-और वह हुक्म नातिक करदियाजायगा॥

अदम तामीलहुक्म मजकूर का नतीजा,

ऐक्ट४५सन्१८६०ई०,

दफा १३७—अगर शख्स मजकूर हाजिर होकर वजह नाजवाजी हुक्मकी जाहिर करे तो मजिस्ट्रेटको मुनासिब है कि उस मुकद्दमे में सुबूत ले॥

जाबिताजब वह हाजिर होकर वजह जाहिर करे,

अगर मजिस्ट्रेट को इतमीनान होजाय कि वहहुक्म माकूल और मुनासिब नहीं है—तो मुकद्दमे में कुछ और काररवाई मजीद न होगी॥

अगर मजिस्ट्रेटको हस्बबयान मुतजक्किरै सदर इतमीनान न हो-तो वह हुक्म नातिक कियाजायगा॥

दफा १३८—इन्दुलहुसूल दरख्वास्त वास्ते तकर्रुरअहालीजूरी हस्बमुराद दफा १३५—के मजिस्ट्रेटको लाजिम है कि —

जाबिता जबवह जूरीके लिये इस्तदुआकरे,

(अलिफ)—उसीवक्त अहालीजूरी मुकर्ररकरे जिनमें अशखास की तादाद ताक और कमसेकम पांच हो-मिन्जुमला उनके जूरी कासरगरोह और शरकाय बाकी मुन्दाके निस्फ अशखास मजिस्ट्रेट की तरफ से नामजद कियेजायँगे-और बाकी शरकाय सायलकी तरफसे नामजदहोंगे॥

(वे)- ऐसे सरगरोह और शरकायजूरीको वास्ते हाजिर होनेके उस मुकामपर और उसवक्त में जो मजिस्ट्रेट मुनासिब समझे तलब करे ॥
(जीम)- एक अरसा मुकर्ररकरे जिसके अंदर अहलजूरी को अपनी रायदेनी जरूर है ॥.

दफा १३८-अगर अहालीजूरी या अहालीजूरी के गालिबुल्-
जाविता जबकि जूरीआरा के नजदीक हुक्म साहब मजिस्ट्रेटका
मजिस्ट्रेट के हुक्मको जैसा कि असलमें हुआथा या बाद उसक़दर
माकूल समझे, तरमीम के जिसको मजिस्ट्रेट कुबूल करे माकूल और मुंसिफाना करारपाये तो मजिस्ट्रेट मजकूर उस हुक्म को वतबअय्यत उसतरमीमके(अगर कुछ हुईहो)नातिककरदेगा॥

और सूरतों में कोई और कारवाई मजीद न होगी ॥

दफा १४०-जब कोईहुक्म बमूजिबदफा १३६-यादफा १३७-
जविता जबकि हुक्मया दफा १३९- के नातिक करदिया जाय-तो
नातिक करदियाजाय, मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि उसके नातिक होनेकीइत्तिलाअ उसशख्सके पासभेजे जिसकेनाम हुक्म सादिर हुआथा और नीज उसको हिदायतकरे कि वह उस अम्रकीतामील अन्दर मीआद मुकर्ररह इत्तिलाअनामे के करे जिसकी बाबत उसके नाम हुक्म हुआ है-और उसकोमुत्तिलअकरदे कि उदूलहुक्मीकी सूरत में वह उस तावान का मुस्तौजिब होगा जो मज-
ऐक्ट४५सन्१८६०ई०,मूये ताजीरातहिंद की दफा १८८-में मुकर्ररहै ॥

अगर अम्रमजकूर मीआद मुकर्ररह के अन्दर न कियाजाय-
उदूलहुक्मीकेनतायज,तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि उसकी तामील कराये-और उसकी तामील करानेकाखर्च बजरिये नीलाम किसी इमारत या अशियाय या दीगर जायदादके जो उसके हुक्म से उठादीजाय या बजरिये कुर्की व नीलाम किसी और जायदाद मन्कूला ममलूका शख्स मजकूरके जो उस मजिस्ट्रेटके इलाकेकी हुदूद अर्जीके अन्दर या उससे बाहरहो वसूलकरे-अगर वह दीगर जायदाद मन्कूला हुदूद मजकूरके बाहरहो-तो उसहुक्म

की रूसे कुर्की और नीलाम करना उस वक्त जायज़होगा जब कि उसपर उसमजिस्ट्रेटके दस्तखत सब्तहोजायँ जिसके इलाके की हुदूद अर्जीके अन्दर जायदाद कुर्की तलब पाईजाय ॥

कोई नालिश बाबत किसी अमल के जो इसदफाके बमूजिब बतौरनेकनीयती कियागयाहो जायज न होगी ॥

दफा १४१—अगर सायल बवजह गफलत या और किसी वजहसे अहाली जूरी के तकर्रुर का माने हो-या अगर किसी वजहसे अहाली जूरी बाद मुकर्रर होनेके उस मीआदके अंदर जो मुकर्रर हुई हो या उस मीआद मजीदके अन्दर जो साहब मजिस्ट्रेट अपने इम्तियाज से अताकरे अपनी राय न ज़ाहिरकरें—तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार होगा कि जोहुक्म मुनासिब समझे सादिर करे-और तामील उसहुक्मकी हस्बुलहुक्म दफा १४०-कीजायगी ॥

जाबिता जबकि जूरी न मुकर्रर कीजाय या जूरी अपनीराय जाहिर न करे,

दफा १४२--अगर कोई मजिस्ट्रेट जो दफा १३३-के मुताबिक हुक्म सादिरकरे यह तसव्वर करे कि अवामको खतरा या नुक्सान अजीमसे महफूज रखने के लिये फौरन् तदबीरात मुनासिब अमल में लानी चाहियें-तो उसको अख्तियार है कि आम इससे कि अहलजूरी मुकर्ररहुये हों या होनेवाले हों या नहीं--हुक्म इम्तनाई उस किस्म का जो वास्ते रोकने या मसदूद करने ऐसे खतरे या नुकसान के ज़रूरहो उस शख्स पर जारीकरे जिसके नाम असली हुक्म सादिरहुआथा ॥

हुक्मइम्तनाईताजमान तहकीकात,

अगर शख्स मजकूर उसीवक्त हुक्म इम्तनाई की तामील न करे-तोमजिस्ट्रेट मजकूरमजाज़है कि खुद या औरोंके जरियेसेऐसी तदबीरात अमलमें लाये-जो उसकी दानिस्तमें वास्ते रोकने ऐसे खतरे और मसदूदी ऐसे नुक़सानके उसको मुनासिब मालूमहों ॥

किसी फेल माकूलकी बाबत जो नेकनीयती से इस दफाके मुताबिक मजिस्ट्रेट से जुहूरमें आये कोई नालिश पिजीराईके लायक न होगी ॥

दफ़ा १४३----मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्साजिला या कोई औरमजिस्ट्रेट जिसको लोकल गवर्नमेण्ट या मजिस्ट्रेट जिलेकी तरफसे इस बाबमें अख्तियार अताहुआहो मजाजहै कि हरशख्सको किसीअम्र बाअसतकलीफआम के जिसकी तारीफ मजमूये ताजीरातहिंद या किसी कानून मुख्तसुल्अम्र या मुख्तसुल्मुकाम में हुईहै मुकर्रर करने या करते रहनेसे मनाकरे ॥

मजिस्ट्रेटउमूरबाअस तकलीफ आमके मुकर्ररकरने या करते रहनेसे मना करसक्ताहै,

ऐक्ट४५सन्१८६०ई०

बाब–११+॥

अहकाम चंदरोज़ाक्मुकद्दमात जरूरी उमूर बाअसतकलीफ खलायक,

दफ़ा १४४---उन मुकद्दमात में जिनमें बदानिस्त मजिस्ट्रेट जिला या किसी मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या किसी और मजिस्ट्रेट के जिसको इस दफ़ाके बमूजिब अमल करनेका अख्तियार खासलोकलगवर्नमेण्ट या मजिस्ट्रेट जिले से मिलाहो- फ़ौरन् इन्सदाद या जल्द तदबीर करनी मुनासिब हो ॥

जरूरी मुकद्दमात उमूर बाअस तकलीफ खलायक में यकसर हुक्मनातिक़सादिर करने का अख्तियार,

तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजाज़ होगा-कि बज़रिये हुक्म तहरीरी जिसमें मुकद्दमे के हालातअहम क़लमबन्दहोंगे और जो हस्बअहकाम दफ़ा १३४-जारी कियाजायेगा किसी शख्स को हिदायत करे-कि वह किसी फेल से बाज़ रहे या किसी खास जायदाद की निस्बत जो उसके क़ब्ज़े या एहतमाम में हो किसी खास तौर पर बंदोबस्तकरे-बशर्तें कि मजिस्ट्रेट मजकूर के नजदीक

+बाब ११---शहर मदरास में मदरासके ऐक्ट ७-सन् १८८४ई० की दफ़ा२६-की रूसेवसअत पिज़ीर किया गयाहै,

ऐसीहिदायत गालिबन् बाअस इन्सदाद या मंजिर व इन्सदाद किसी मजाहिमत या तकलीफ या नुक़्सान की बमुक़ाबिले उन अशखासके जो किसी खिदमतजायज में मसरूफहों या ऐसेखतरे की जो इन्सानकी जान या सलामती या तन्दुरुस्तीपर मवस्सरहो या बलवा या हंगामेकी होगी ॥

जायज़है कि हुक्म मुतअल्लिक़े दफाहाजा उनसूरतों में जब अशद जरूरतहो या उनहालातमें जब कि इत्तिलानामा उसशख्स पर मोहलत मुनासिबके साथ जारीकरना मुमकिन न हो जिसके नाम हुक्म सादिरकियाजाय यकतरफा सादिरकियाजाय ॥

जायजहै कि वहहुक्म जो इसदफ़ाके बमूजिब सादिरहो किसी शख्स खासके नाम या उमूमन खलायकके नाम जब वह किसी खास मुकाममें जमाहोते या उसकी सैरकरतेहों लिखाजाय ॥

हरमजिस्ट्रेटको अख्तियारहै कि किसीहुक्मको जो खुद उसीने या उसके मातहतके किसी मजिस्ट्रेट ने या जो हाकिम उससे पहले उस ओहदेपरथा उसनेहस्ब दफा हाजा सादिर कियाहो मन्सूख या तब्दीलकरे ॥

कोई हुक्म हस्ब दफाहाजा अपने सदूरकी तारीख से जायद अज दोमाह नाफिज न रहेगा बजुज उसके कि लोकलगवर्नमेण्ट जान इंसान या तंदुरुस्ती या अमनको खतराहोने या बलवे या हंगामा के एहतमालहोने की सूरतों में बजरिये इश्तिहार मुन्दर्जैगजट सर्कारी और नेहजपर हिदायतकरे ॥

बाब–१२ ॥

नज़ाआतबाबतजायदाद गैरमन्कूला ॥

जाबिताजबकिनजाअ मुतअल्लिकअराजी वगैरह से अमनमें फितूरपड़ने का एहतमालहो,

दफा १४५–जब किसी मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वलको बहुसूल किसीरिपोर्टपुलिस या और किस्मकीइत्तिला के इतमीनानहोजाय कि उसके इलाकेकी हुदूद अर्जीके अंदर किसी जायदाद गैरमन्कूला लायक तसर्रुफ या उसकी हुदूदकी बाबत ऐसी निजाअरपा

है कि उससे अमनखलायकमें फितूरपड़ने का एहतमालहै-तो उसको लाजिमहै कि हुक्म तहरीरी मशअर इन्दराज वजूह अपने इतमीनान मुतजक्किरै सदरके कलम्बन्दकरे-और उसमें फरीकैन मुनाजिअतको हुक्मदे कि वह असालतन् या वकालतन् एक मीआदके अंदर जो मजिस्ट्रेटकी तजवीजसे मुकर्ररहोगी उसकी अदालतमें हाजिरहोकर अपने २ दावेकी बाबत खसूस निस्बत शैमुतनाजै के कब्जे असली और हकीकी के अपने २ बयानात तहरीरी दाखिलकरें ॥

तहक़ीक़ात दरखसूस कबज़ाके,

तब मजिस्ट्रेट को लाजिम है--कि बिला करने लिहाज ऊपर रूयदाद दुआबी फरीकैन निस्बत इस्तहकाक कब्जादारी शैमुतनाजाके उनके बयानात मदखलै को मुलाहिजाकरे--और फरीकैनका बयान समाअतकरे--और जो शहादत फरीकैनने पेशकीहो उसको ले-और शहादत मजकूरकी तासीरपर गौरकरे-और उसकदर शहादतमजीद जो उसकी निस्बत जरूरीहो ले-और अगर मुमकिनहो यह अम्र फैसल करदे कि फरीकैन में से कोई शख्स और कौन शख्स शैमुतनाजा पर किस्म मज़कूर का कब्जा रखताहै ॥

जिसका कब्जाहैवहका बिजरहेगा जबतककि का नूनन् उसको बेदखल न कियाजाय,

अगर मजिस्ट्रेट यह तज़वीज करे कि फरीकैनमें से एक फरीक शैमुतनाजा पर किस्म मजकूरका कब्जा रखताहै तो उसको लाजिमहै कि अपने हुक्म के जरियेसे यह बात जाहिर करदे कि फरीक मजकूर उसवक्त तक कब्जा रखनेका मुस्तहकहै जबतक कि वह हस्बजाबितै कानून बेदखल न कियाजाय--और यह कि कोईशख्स उसकी कब्जेदारी में जबतक कि वह बेदखल न कियाजाय किसीतरहकी दस्तन्दाजी न करे ॥

कोई इबारत इसदफाकी माने इसअम्रकी न होगी कि कोई शख्स जिसको हाजिरहोनेका हुक्महो यह साबितकरे कि उसको किसीके साथ हस्बबयान मुतज़क्किरै बाला निजाअ नहींहै और नथी-और

इससूरतमें मजिस्ट्रेटको लाजिमहोगा कि अपनाहुक्म मन्सूख करके तमाम कारवाई मजीद मुल्तवीरक्खे ॥

शैमुतनाजाके कुर्क करनेका अख्तियार,

दफा १४६-अगर मजिस्ट्रेटकी यहरायहो कि फरीकैनमेंसे कोई किस्म मजकूरका उसवक्त कब्जा नहींरखताहै या उसको इतमीनान हासिल न होसके कि कौनफरीक शैमुतनाजापर किस्ममजकूरका उसवक्त क़ब्जारखता है तो उसको अख्तियार है कि शै मज़कूरको उसवक्ततक कुर्क रक्खे जबतक कि कोई अदालतदीवानी मजाज समाअत मुक़द्दमे फ़रीक़ैनकेहुक़ूक वाक़े शैमजकूरको तै न करे -या यह तजवीज न करे कि कौनशख्स उसके कब्जेका मुस्तहक़है ॥

तनाजआतमुतअल्लिक हक़आसायशवगैरःहक़के,

दफा १४७-जब किसी मजिस्ट्रेट को हस्ब मुतजक्किरे सदर इस बातका इतमीनान हो कि उसके इलाकेकी हुदूद अरजीकेअंदर किसीअसलीजायदाद गैरमन्कूला क़ाबिल तसर्रुफ़ की निस्बत किसी फेल के करने या मतरूक रखनेकी बाबत ऐसी निजाबरपाहै कि उससे अमन खलायक़ में फ़ितूर पड़नेका एहतमालहै--तो मजिस्ट्रेट मज़कूरको अख्तियार है कि इस अम्रकी तहक़ीक़ातकरे और अगर उसके नज़दीक ऐसे हक़का वजूदपायाजाय तो अपने हुक्मके ज़रियेसे फ़ेल मुतनाज़अके अमलमें आनेकी इजाज़तदे या हिदायतकरे कि फेल मज़कूर अमल में न आनेपाये जैसा मौक़ाहो तावक्तेकि वह शख्स जो उसफ़ेलके होनेपर एतराज रखताहो या वह शख्स जो फेल अमल में लानेका दावा रखताहो किसी अदालत दीवानी मजाजका फैसला हासिलकरे जिसमें उसका इस्तहक़ाक़ दरबाब मतरूक रखने या अमलमेंलाने ऐसे फ़ेलके जैसा मौक़ाहो उसके हक़में तजवीज़ कियागयाहो ॥

मगर शर्त्तयहहै-कि कोई हुक्म इस दफ़ाके बमूजिब मशअर अताय इजाज़त अमलमें लाने किसीफ़ेलके जब ऐसा फ़ेल करनेका इस्तहक़ाक़हो हरवक्त सालमें निफ़ाज़ पासक्ताहै सादिर न होगा इल्ला उससूरतमें कि निफ़ाज़ उस हक़का क़ब्ल रुजूअ

होने तहक़ीक़ातके ३-तीन महीने माकब्लके अन्दर बतौर मामूल नाफ़िज किया गयाहो-या अगर वह इस्तहकाक सिर्फ खास२ मौसमों में काबिल निफ़ाज हो तो बजुज़ उस सूरतके कि वह इस्तहक़ाक़ उस मौसममें नाफिज हुआहो जो ऐसी तहकीकात के शुरूअ होने से ऐन माकब्ल हो ॥

तहक़ीक़ातमुकामी, दफा १४८–जब कभी इसाबब की अगराजके लिये तहकीकात मौका करना जरूरहो तो मजिस्ट्रेटजिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिलाको अख्तियारहै कि अपने किसी मजिस्ट्रेट मातहत को तहकीकातके लिये मुतअय्यन करे और उसके पास ऐसीहिदायात तहरीरी मुरसिलकरे जो मुताबिक कानून नाफ़िजुलवक्तकेहों और उसकीरहनुमाई के लिये जरूर मालूम हों--और यह अम्रजाहिरकरदे कि कुल या जुज्वमसारिफ जरूरी तहकीकात मजकूरका किसके जिम्मेरहेगा ॥

रिपोर्ट उस शख्स की जो इस तौर पर तैनात किया जाय मुकद्दमेमें बतौर सुबूतके पढ़नी जायज है ॥

हुक्म दरखसूसखर्चाके, जब किसी कारवाई मुतअल्लिकै बाबहाजामें किसी फरीकका कुछ रुपया वास्ते मेहनताना गवाहों या वकीलों या दोनों अम्रके खर्च हुआहो तो वह मजिस्ट्रेट जो दफा १४५-या १४६-या १४७-के मुताबिक मुकद्दमा फैसल करे यह हिदायत करसक्ताहै कि ऐसा खर्चाआया उसीफरीक के सिर या मुकद्दमेके किसी और फरीक के जिम्मे रहेगा-और आया उसको कुल या जुज्व या बहिसाबरसदी देना पड़ेगा-और जायजहै कि तमाम खर्चा जिसके दिलाने की हिदायत कीजाय मिस्लजर जुर्माने के वसूल कियाजाय ॥

बाब–१३ ॥

पुलिसका अमल इंसदादी ॥

पुलिसका अख्तियार दाद, दफा१४९---हर अहलकार पुलिस मजाज़है--कि वास्ते इन्सदाद इर्तिकाब किसी जुर्म काबिल मदाखिलत

दरबारह इंसदाद जरायम क़ाबिल दस्तन्दाज़ीके, पुलिस के दस्तन्दाज़ीकरे औरउसकोलाज़िम है किताहद्दमक़दूर अपने उसका इन्सदादकरे॥

दफ़ा १५०--अगर किसीअफसर पुलिसको इत्तिलाअपहुंचे कि वैसे जुर्मोंके इर्त्तिका बकी नियतकी इत्तिलाअ, कोई शख्स जुर्मक़ाबिल मदाखिलतपुलिसके इर्त्तिकाबकीनियतरखताहै-तोउसको लाज़िम है--कि उसकीइत्तिलाअ उसओहदेदार पुलिसकेपासपहुंचाये जिसका वह मातहतहो-और भी किसीओहदेदारकेपास जिसकायह कामहो कि ऐसेजुर्मके इर्त्तिकाबकाइंसदाद याउसमेंदस्तन्दाजीकरे॥

दफ़ा १५१---जिस अहल्कार पुलिसको यह इल्महो-कि कोई वैसेजुर्मों के इन्सदाद के लिये गिरफ्तारी, शख्स किसी जुर्म क़ाबिल दस्तन्दाजी पुलिस के इर्त्तिकाबका क़स्द कररहाहै-उसको अख्तियार है -कि बिला सुदूर हुक्म मजिस्ट्रेट और बिलावारंट के उस शख्सको गिरफ्तारकरे जिसका ऐसा मक़सूदहो बशर्तेकिअहल्कार मजकूरकी दानिस्तमें उस जुर्मके इर्त्तिकाबका इन्सदाद और तरह पर न होसक्ताहो॥

दफ़ा १५२--अहल्कार पुलिस मजाजहै--कि उस नुक़सान के सर्कारी जायदादके नुक़सानपहुंचानेकाइंसदाद, इन्सदादकेलिये जो कोई शख्सउसके मवाजह में किसी सर्कारी जायदाद मन्कूला या ग़ैरमन्कूला को पहुंचाने का इक़दामकरे या किसी सरकारी निशान वाकेजमीन या पानीपर तैरनेवाले निशान या जहाजरानी के और निशानके दूर करने या नुक़सान पहुंचाने के इन्सदादके लिये खुद अपने अख्तियार से दस्तन्दाजहो॥

दफ़ा १५३--हर अहल्कार मोहतमिम इस्टेशन पुलिस मजाज बांटों और पैमानोंकामुआइना, है कि बिला वारंट इस्टेशन मजकूरकी हुदूद के अन्दर किसी मुकाम में वास्ते मुआयना या तलाश करने बांटों या पैमानों या दीगर आलात वजनकशीके जो उसमें मुस्तअमिल होते या रक्खेरहतेहों उससूरतमें दखल करे जब उसको बवजूह जन्नगालिबहो कि ऐसे मुकामपर ऐसे बांट या पैमाने या आलात वजनकशी रक्खे हैं जो झूठे हैं॥

अगर उसको ऐसे मुकाममें ऐसे बांट या पैमाने या आलात वजनकशी दस्तयाबहों जो झूठे हैं तो उसको अख्तियारहै कि उनको अपने कब्जेमें करले--और लाजिमहै कि फौरन् कब्जाकर लेनेकी इत्तिलाअ उस मजिस्ट्रेट को दे जिसको अख्तियार समाअत हासिल हो ॥

हिस्सा पंजुम ॥

पुलिस को इत्तिलाअ पहुंचाने और पुलिस के अख्तियाराततफ्तीशका बयान ॥

बाब-१४ ॥

मुकद्दमात काबिल दस्तंदाजी के मुतअल्लिक इत्तिलाअ,

दफा १५४--हरएक इत्तिलाअ मुतअल्लिके इर्तिकाब जुर्म काबिल दस्तन्दाजी अगर जबानीकिसी अफसर मोहतमिम इस्टेशन पुलिशके पास पहुँचे अफसर मजकूरके कलम से या उसके जेर हिदायत जब्त तहरीरमें आयगी --और वह तहरीर इत्तिलाअ दिहन्दा के रूबरू पढ़ी और सुनाई जायगी-और हर ऐसी इत्तिला-अपर आम इससे कि वह तहरीरीहो या हस्ब बयान मुतजक्किरैबाला जब्ततहरीरमें लाईगईहो शख्स इत्तिलाअदिहन्दाके दस्तखत किये जायँगे-और खुलासाइत्तिलाअकाएकऐसी किताबमेंदर्जकियाजा-येगा जो उसी अफसरकी मारफत मुताबिक उसनमूने के मुरत्तिब की जायगी जो लोकलगवर्नमेण्ट उसगरजसे मुकर्ररकरे ॥

मुकद्दमात गैर काबिल दस्तंदाजी के मुतअल्लिक इत्तिलाअ,

दफा १५५--जब किसी अफसर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस के पास इस मजमून की इत्तिलाअ दीजाय कि इस्टेशन मजकूरकी हुदूदके अन्दर कोई जुर्म गैरकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस सरजद हुआ है-तो उसको चाहिये कि एककिताब में जो हस्बबयान मुत-जक्किरैबाला उसगरजके लिये रक्खी जायगी खुलासा उस इत्तिलाअ का दर्जकरे-और इत्तिलाअ दिहन्दा को मजिस्ट्रेट के हुजूर नालिश करनेकी हिदायत करे ॥

कोई अहल्कार पुलिस मजाज़नहीं है कि बिलाहुक्म मजिस्ट्रेट

मुक़द्दमात ग़ैरक़ाबिल दस्तन्दाज़ीकी तफ्तीश, दर्जै अव्वल या दर्जै दोम के जो ऐसे मुक़द्दमे की तजवीज़ या तजवीज़ के लिये सिपुर्द करनेका अख्तियार रखताहो या बिलाहुक्म मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी किसी मुक़द्दमे ग़ैर क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस में तफ्तीशकरे॥

जब किसी अहल्कार पुलिस के नाम ऐसाहुक्म पहुंचे तो वह मजाज़है कि निस्बत मरातिब तफ्तीशके (बइस्तस्नाय अख्तियार गिरफ्तारी बिलावारंट) वही अख्तियारात अमलमें लाये जो कोई अफ्सर मोहतमिम इस्टेशनपुलिस क़िसी मुक़द्दमे काबिल दस्तन्दाज़ी पुलिसमें अमलमें लासक्ताहै॥

दफ़ा १५६--हर अफ्सर मोहतमिम इस्टेशनपुलिस मजाज़है--

मुक़द्दमात क़ाबिल दस्तन्दाजीकी तफ्तीश, कि बिलाहुक्म मजिस्ट्रेटके किसी ऐसेमुक़द्दमे क़ाबिलदस्तन्दाज़ीपुलिसमें तफ्तीशकरे जिसको वहअदालत जो उसइस्टेशनकी हुदूदके अन्दर उसीरक़बेअरज़ीपर अख्तियार समाअत रखती है मुताबिक एहकाम बाब १५--मशअर बयान मुकाम तहक़ीकात व तजवीज के तहक़ीकात या तजवीज़ करने की मजाज होती॥

कोई काररवाई किसी अफ्सर पुलिसकी जो ऐसे मुकद्दमेमेंहुई हो उसकी किसी नौबत पर इस वजह से काबिल एतराजके न होगी कि मुकद्दमा ऐसाथा जिसमें अफ्सर मज़कूर इसदफ़ाके बमूजिबतफ्तीश करनेका मजाज न था॥

दफ़ा १५७--अगर बएतबार किसी इत्तिलाअरसानी के या बतौर दीगर किसी अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस को इस गुमान की वजह पाई जाय कि ऐसे जुर्म का इर्तिकाबहुआहै जिसके तफ्तीश करने का उसको अख्तियार दफ़ा१५६के बमूजिबहासिलहै-- तो उसको चाहिये कि उसकी रिपोर्ट फौरन् उस मजिस्ट्रेट के पास मुरसिलकरे जो बरतबक़ रिपोर्ट पुलिस जुर्म मज़कूर की समाअतका अख्तियार रखता हो-और उसको लाजिमहै कि बज़ात खुद मौकेपर जाय या अपने किसी अहल्कार मातहत को

नाबिता जबकि जुर्म काबिल दस्तंदाजीका गुमानहो,

मुतअय्यन करे कि वह मुकद्दमे के वाकिआत और हालातकी तफ्तीश करे और तदाबीर जरूरी वास्ते सुराग़रसानी और गिरफ्तारी मुज़रिमके अमल में लाये ॥

मगर शर्त्त यह है कि--

(अलिफ)--जब ऐसे जुर्म के इर्तिकाबकी इत्तिलाअ किसीशख्सके मुकाबिलेमें उसका नामलेकर पहुंचाई जाय और मुकद्दमा किस्म संगीन से न हो तो अफसर मोहतमिम इस्टेशनपुलिसकेलिये जरूर नहीं है कि बजात खुद मौकअपर जाय या किसी अहल्कार मातहतको मौकअ की तफ्तीश करने के लिये मुतअय्यन करे ॥

कबतफ्तीश मौके की जरूरत नहीं,

(बे)--अगर अफसर मोहतमिम इस्टेशन पुलिसको मालूम हो कि तफ्तीश करानेकी कोई वजह काफी नहीं है तो वह मुकद्दमे की तफ्तीश न करेगा ॥

जब अफसर पुलिस मोहतमिम तफ्तीशको कोईवजहकाफी न देखे,

उन सूरतोंमें से जो जिम्नहाय (अलिफ) व (बे) में मजकूर हैं हरएक में अफसर मोहतमिम पुलिसइस्टेशन को लाजिम होगा कि अपनी रिपोर्ट मजकूर में वजूह इस अम्रकी लिखै कि दफ़ाहाजाके फिकरह अव्वलकी हिदायातकी तामील क्यों कुल्लियतन् नहीं करसका ॥

दफा १५८—हर रिपोर्ट जो दफा १५७-के बमूजिब मजिस्ट्रेट के पासभेजीजायअगरलोकलगवर्नमेण्ट ऐसी हिदायत करे उस अफसर आलापुलिस की मारफत मुरसिल होगी जिसको लोकलगवर्नमेण्ट बजरिये अपने हुक्म आम या खासके उस अम्रके लिये मुकर्रर करे ॥

रिपोर्टें तहतदफा१५७-क्योंकर मुर्सिल होंगी,

ऐसा अफसरआला मजाज है—कि अफसर मोहतमिम इस्टेशन पुलिसको जैसीहिदायात मुनासिब समझेकरे-और उसको लाजिमहै—कि हिदायात मजकूर को रिपोर्ट पर कलम्बन्द करके रिपोर्ट को बिला तवक्कुफ़ मजिस्ट्रेट के पास मुरसिल करे ॥

दफा १५९--ऐसे मजिस्ट्रेट को अख्तियारहै कि इन्दुल्हुसूल ऐसी रिपोर्टके अगर मुनासिब समझे फौरन् वास्ते करने तफ्तीस या तहकीकात इब्तिदाई या बगरज औरतरहपर तैकरने मुकद्दमेके हस्ब तरीके मुहकूमा मजमूये हाजाके बजात खुदजाय या किसी मजिस्ट्रेट मातहत अपनेको उसगरज़से मुतअय्यनकरे ॥

तफ्तीश या तहकीकात इब्तिदाई करनेका अख्तियार,

दफा १६०---हरअहल्कार पुलिस जोइसबाबकेमुताबिक तफ्तीशकरताहो मजाज़है--किबज़रिये हुक्मतहरीरी ऐसे हरशख्स को अपने रूबरू तलब करे जो उसके या किसीइस्टेशन मुत्तासिल की हुदूद के अन्दरहो और जो इत्तिलाअरसानीसे या और तौरपर मुक़द्दमे के हालातसे वाकिफ़मालूमहो पस शख्स मज़कूरको लाजिमहोगा कि इन्दुल्तलब हाजिरहो ॥

अहल्कार पुलिसका अख्तियार दरबारहतलबकरनेगवाहोंके,

दफा १६१--हरअहल्कार पुलिस जो इसबाबके मुताबिक तफ्तीशकरताहो मजाज़है कि इज़हार जबानी ऐसे हरशख्सका ले जो मुकद्दमेके वाक़िआत और हालातसे वाक़िफमालूमहो-और हर बयानको जो मुजहिर मज़कूरकरे कलम्बन्द करे ॥

गवाहोंकी जबानबंदी बज़रिये पुलिसके,

ऐसेशख्सको लाज़िमहै-कि सच्चा जवाब जुमलैसवालात मुतअल्लिके ऐसे मुकद्दमेका जोअहल्कार मज़कूरकीतरफ़से पूछे जायँ देबजुज़ उनसवालातके जिनका जवाब रास्तदेनेसे शख्स मज़कूरके किसी जुर्म फौजदारी में माखूजहोने या जुर्माना या ज़ब्ती माल के मुस्तौजिबहोजानेका एहतमालहो ॥

दफ़ा१६२--+कोई बयान अलावा बयान वक्त निज़ाअके जो किसीशख्सने दरअस्नाय तफ्तीश मुतअल्लिके

जोबयानात पुलिस

+दफ़ा १६२—कापहलाफ़िक़राकिसीऐसेबयानसेमुतअल्लिक़नहींहै जोअपरवह्नामें किसीऐसेअफ्सरपुलिसकोरूबरूकियाजायजोमजिस्ट्रेटहै-देखोकानून ७-सन् १८८६ ई०कीजमीमेकीदफ़ा८,

फ़मरके रूबरू क़ियेजायं बाबहाज़ा पुलिस अफ्सरके रूबरू कियाहो उनपरदस्तखत न कियेजा-अगर वह जब्त तहरीरमें आयाहो तो उसपर येंगेऔरनवह बतौरशहा उस शख्सके जिसने बयान मज़कूरकिया द-दत मक़बूलहोंगे, स्तखतसब्तन कियेजायँगे औरनवहशख्समु लजिमकेमुकाबिलेमेंबतौरशहादतके+मुस्तअमिलकियाजायगा+

इसदफ़ाकी किसी इबारतसे ऐक्ट शहादतहिन्द सन् १८७२ई० ऐक्ट १-सन्१८७२ई०,की दफ़ा२७-कीशरायतमेंकुछखललनपहुँचेगा॥

दफ़ा १६३--कोई अहल्कार पुलिस या औरशख्स जोअख्ति-कोईतरगीब नहीं दी जायेगी, यार मजाजनहोगा कि किसी शख्स मुल्जिम को हस्ब मुसर्रह दफ़ा २४-ऐक्ट शहादतहिन्द मुसद्दिरे सन् १८७२ ई०के किसी तरहकी तरग़ीब या धमकीदे या उसके साथ वादाकरे या तरग़ीब या तखवीफ दिलाये या वादा कराये॥

मगर कोई अहल्कारपुलिस या औरशख्स किसीशख्सको बज़-रिये किसीतम्बीहके या औरतौरपर दरअस्नाय किसीतफ्तीशमुत-अल्लिकै बाबहाज़ा ऐसाबयानकरने से मनानकरेगाजो वह अपनी खुशीसे बिलाअजबार जाहिरकरना चाहताहो॥

दफ़ा १६४--हरमजिस्ट्रेट जोअफ्सरपुलिस न हो मजाज़है बयानऔर इक़बालकेक कि किसी ऐसेबयान या इक़बालको कलम्ब-लम्बंदकरनेकाअख्तियार, न्दकरे जोउसके रूबरू अस्नायतफ्तीशमुत्त-ल्लिके बाबहाज़ामें या किसीवक्त माबादमें कब्लशुरूअहोने तहकी कातया तजवीज़के कियागयाहो॥

ऐसे बयानात मिन्जुम्ला उनतरीकोंके जो बादअज़ां शहादत के कलम्बन्दकरनेकेलिये महकूमहैं किसीतरीकासे जोउसकी राय में बनज़रहालात मुकदमा अहसनहो तहरीर कियेजायँगे-औरऐसे इकबालात जुर्म उसी तरह कलम्बन्दहोंगे और उनपर दस्तखत उसीतरहहोंगे जिसतरह दफ़ा ३६४-में हुक्महै-और बाद उसके उस मजिस्ट्रेटके पास मुरसिल कियेजायँगे जिसके रूबरू मुकद्दमे की तहकीकात या तजवीज होनेवालीहो॥

+ + यह अल्फ़ाज़ऐक्ट१०सन्१८८६ई०कीदफ़ा८कीरूसेदफ़ा१६२ मेंमुंदर्जकियेगयेहैं

कोई मजिस्ट्रेट ऐसा इक़बाल जुर्म क़लम्बन्दकरने का मजाज न होगा इल्ला उस सूरत में कि शख्स इक़बाल कुनिन्दासे इस्तिफसार करने पर मजिस्ट्रेटको इसके यक़ीन करनेकी वजहहो कि वह इक़बाल खुशी से कियागया था--और मजिस्ट्रेट मौसूफ़ जब ऐसा इक़बाल लिखे तो उसके जैलमें एकयाददाश्त इस इबारत से लिखदेगा—

मुझको यक़ीन है कि यह इक़बाल जुर्म बिलाजब्र व इकराहके अमल में आया है--यह बयान मेरे रूबरू और मेरी समाअत में किया गया--और उस शख्स के सामने पढ़ागया जिसने उसको अदाकिया था-और उसने उसकी सेहत तसलीमकी-और सही २ हाल उस बयान का है जो उसने किया ॥ (दस्तखत) अ-ब.

मजिस्ट्रेट,

दफ़ा १६५--जब किसी अहल्कार मोहतमिम इस्टेशन पुलिस या किसी ओहदेदार पुलिसकी जो किसीमुकद्दमे की तफ्तीश हाल में मसरूफ़ हो यह रायहो कि किसीजुर्मकी तफ्तीश हालके लिये जिसकी तफ्तीश करनेका वहमजाजहै किसी दस्तावेज या दूसरी शैका हाजिरकिया जाना जरूरहै और इसअम्रके बावर करनेकी वजहहै कि वह शख्स जिसके नाम सम्मन हस्बदफ़ा ९४--जारी कियागया है या जारी कियाजाय ऐसी दस्तावेज को या किसी और शैको जिसकीबाबत हिदायत सम्मन या हुक्ममें दर्जहै पेश न करेगा-या जबयहमालूम नहो कि दस्तावेज या शै मजकूर किसी शख्स के कब्जे में है तो अहल्कार मजकूर मजाज है कि किसी मुक़ाममें जो अन्दर हुदूद उस इस्टेशनके वाकैहो जिसका वह मोहतमिमहै या जिससे उसको तअल्लुक़है उसकी बाबत तलाशकरे या तलाश कराये ॥

ओहदेदार पुलिसका जरियेसे तलाशी लेनी,

ऐसे अफसर इस्टेशन पुलिस या ओहदेदार पुलिसको लाजिम है कि अगर मुमकिन हो बजातखुद तलाशीले ॥

अगर वह बजातखुद तलाशी न ले सक्ता हो और उसवक्त कोई और शख्स जो तलाशी लेनेका मजाज हो हाजिर नहो तो ऐसे

अहल्कार या ओहदेदार पुलिसको अख्तियारहोगा कि किसी अ-हल्कार से जो उसका मातहतहो तलाशी कराये--और उस को चाहिये कि दस्तावेज या दूसरीशै जिसकी तलाशी दरपेशहो और मकान तलाशी तलब की सराहत एक हुक्म तहरीरी में मुन्दर्ज करके अहल्कार मजकूरके हवालेकरे--उस पर अहल्कार मातहत को अख्तियार होगा कि उस मुकाममें उसशैको तलाशकरे॥

अहकाम मजमूये हाजा दरबाब वारंटहाय तलाशी के जहांतक मुमकिन हो उस तलाशीसे भी मुतअल्लिकहोंगे जो इस दफाके मुताबिक कीजाय॥

दफा १६६--अफसर मोहतमिम थाने पुलिसको अख्तियारहै--कि किसी दूसरे थाने पुलिसके अफसरमोहतमिमसे आम इससे कि वह उसी जिलेमेंवाके हो या किसी और जिलेमें किसी मुकामकी तलाशीलेनेकेलिये उससूरतमें दरख्वास्तकरे जिसमें अफसर अव्वलुल्जिक्र अपने थानेकी हुदूदके अन्दर तलाशी करासक्ता हो॥

कब अफसर मुहतमिम थाना पुलिस किसी और शख्स को वारंट तलाशी के सादिरकरनेका हुक्म करसक्ता है,

जब अहल्कार मजकूर से इस नेहजकी दरख्वास्त कीजाय तो उसको लाजिमहै-कि दफा १६५--के बमूजिब अमलकरै-और शैदस्तियाबशुदह को (अगरकोईहो) उस ओहदेदारके पासभेजदे जिसकी दरख्वास्त पर उसने तलाशी की हो॥

दफा १६७--जब कभी यह दरियाफ्त हो कि कोई तफ्तीश मुतअल्लिके बाब हाजा उसअरसे २४-घंटेकेअंदर तकमील नहीं पासक्ती जो दफा ६१-में मुकर्रर हुआहै-और वजूह इसबातके बावरकरनेकीहों कि इल्जाम करारदादह सही है तो अहल्कार मोहतमिम पुलिस इस्टेशन मजिस्ट्रेट करीबतरके पास फौरन् एकनकलतहरीरातमुंदर्जे रोजनामचा (जिसकीबाबत बादअजीं मजमूये हाजा में एहकामदर्ज हैं) मुतअल्लिके मुकद्दमे की इरसाल करेगा-और उसीवक्त मुजरिमको भी मजिस्ट्रेट मजकूरके पास चालानकरेगा॥

जाबिता जबकि तफ्तीश २४ घंटेके अंदरखतम न होसके,

मजिस्ट्रेटजिसकेपास शख्स मुल्ज़िम हस्वदफाहाजाभेजाजाय मजाजहोगा आम इससे कि उसको मुकद्दमे की तजवीज़ करने का अख्तियार हासिलहो या न हो कि मुजरिमको वक्तन्फवक्तन् ऐसी हिरासतमें नजरबंद रक्खेजानेकी-वास्ते किसी मीआदके कि जो पंद्रहरोजसे जियादह न हो और जो उसकी दानिस्तमें मुनासिबहो इजाजतदे-अगर वह मुक़द्दमेकी तजवीजकरने या तजवीजके लिये मुकद्दमा सिपुर्द करनेका अख्तियार न रखता हो और मुल्ज़िमको जियादह अरसेतक नजरबंद रखना गैरजरूरी समझे तो उसको अख्तियार होगा कि हुक्म दे कि मुल्जिम किसी मजिस्ट्रेट जी अख्तियार के पास रवाना कियाजाय॥

अगर कोई मजिस्ट्रेट इस दफाके बमूजिब पुलिसकी हिरासत में किसी मुल्जिमके नजरबंद रक्खे जानेकी इजाजतदे तो उसको लाजिम है कि इजाजत देनेकी वजूहको कलमबंदकरे॥

अगर हुक्म मजकूर सिवाय मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिलाके किसी और मजिस्ट्रेट ने सादिर कियाहो तो उसको लाजिमहै कि अपने हुक्मकी एक नकल मयवजूह सिदूर हुक्ममजकूर उस मजिस्ट्रेटके पास मुरसिल करे जिसका वह बिला तवस्सुत मातहत हो॥

दफा १६८--जब कोई अहल्कार पुलिस मातहत इस बाबके मुताबिक कोई तफ्तीश करचुकाहो तो उसको लाजिम है कि तफ्तीश के नतीजे की रिपोर्ट उस अफसरके पास भेजदे जो पुलिस इस्टेशन का एहतमाम रखताहो॥

तफ्तीश की रिपोर्ट बजरिये अहल्कार पुलिस मातहत के,

दफा १६९--अगर बवक्तहोने तफ्तीश हस्ब मुराद इस बाबके अफसर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन को दरियाफ्त हो कि वास्ते भेजने शख्स मुल्ज़िम के रूबरू मजिस्ट्रेट के सुबूतकाफी या वजह माकूल इश्तबाहकी हासिल नहीं है तो अगर मुल्ज़िम मजकूर हिरासतमें हो अफसर मजकूर उसको इस शर्त्तपर रिहाकरेगा कि वह कितामुचल्का म-

रिहाईमुल्ज़िमकी जब सुबूतखामहो,

य या खिलाशुमूल जामिनोंके जो कुछ अफ्सरमजकूर हिदायतकरे इंदुलतलब उस मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर होने के लिये लिखदे जिसे पुलिस की रिपोर्ट पर जुर्म की समाअत का अख्तियारहो और जो मुल्जिम के मुकद्दमे की तजवीज या उसको तजवीज़के लिये सिपुर्द करने का मजाजहो ॥

दफ़ा १७०--अगर वक्त अमलमें आने किसी तफ्तीश मुताबिक़बाबहाजाके अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस को दरियाफ्त हो कि मुल्जिमको मजिस्ट्रेट के रूबरू भेजनेके लिये सुबूतकाफ़ी या वजह माकूल हस्बमुसर्रहबाला हासिल है तो अहल्कार मजकूरको लाजिम है कि मुल्जिमको हिरासतमें करके उसमजिस्ट्रेट के पास भेजदे जो इत्तिलाअ पुलिसके एतबारपर उसजुर्मकी समाअत करसक्ताहै--और शख्स मुल्जिम के मुकद्दमे की तजवीज या उसकोतजवीजकेलिये सिपुर्दकरनेका अख्तियाररखताहो-याअगर वहजुर्म जोमुजरिमके जिम्मे लगायागया क़ाबिल अख्ज़ज़मानत हो और मुल्जिम जमानत देनेकी लियाकत रखताहो तो उसको चाहिये कि मुल्जिमसे जमानतनामा बवादे हाजिर होने उसके रूबरू मजिस्ट्रेट मजकूरके एक तारीख मुकर्ररहपर और बइक़रार बराबर हाजिर रहने के यौमन् फयौमन् तावक्ते कि इसके खिलाफ हुक्म न हो लिखवाले ॥

मुकद्दमा मजिस्ट्रेटके पास भेजा जायगा जब सुबूत काफी हो,

जब अफ्सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस किसी शख्स मुल्जिमको मजिस्ट्रेट के पास रवानाकरे या इस दफाके बमूजिब उससे इसअम्रकी जमानत ले कि वह मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिर होगा तो अफसर मजकूरको लाजिम है कि साहब मजिस्ट्रेट के पास हरक़िस्मका हथियार या और शै जो उसके रूबरू पेशकरनाजरूर हो भेजदे-और मुस्तगीसको अगर कोई हो और नीज उसकदर अशखासको जो बदानिस्त अहल्कार मजकूर हालात मुक़द्दमे से वाकिफ मालूमहों और जिनकी उसके नजदीक जरूरत हो वास्ते लिखने मुचलके के हुक्म दे इस मजमून से कि मुस्तगीस और

अशखास मजकूर मजिस्ट्रेट के रूबरू हाजिरहोंगे और मुआमिले इल्जाममें जो मुल्जिमपर कायम कियागयाहै नालिशकी पैरवी करेंगे या शहादत देंगे (जैसी सूरतहो) ॥

अगर नामअदालत मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिले का मुचलकेमें मजकूरहो तो लफ्जकोर्टमें वह कोर्ट यानीअदालत भी शामिल समझीजायगी जिसके पास साहब मजिस्ट्रेट मुकद्दमे को तहकीकात या तजवीजकेलिये सिपुर्दकरे-बशर्तेकिइत्तिलाअमा-कूल ऐसी सिपुर्दगीके पहलेसे मुस्तगीस या अशखासको दीजाय॥

तारीख सिपुर्दगीकी जो इसदफाके बमूजिब मुकर्रर कीजाय वह तारीख होगी जब मुल्जिमको अदालतमें हाजिरहोना जरूर हो-बशर्ते कि उससे हाजिर जामिनी लीगईहो-या वह तारीखहोगी जिस तारीखको वह गालिबन् मजिस्ट्रेट की अदालतमें पहुंच सकेगा अगर वह हिरासत में भेजाजाय ॥

अफसर जिसके रूबरू मुचल्का तकमीलपायाहो उसकी एक नकल उन अशखासमेंसे एकको हवालेकरेगा जो उसकी तकमीलमें शरीक रहेहों-और बाद उसके असल दस्तावेजमय अपनीरिपोर्टके मजिस्ट्रेटके पासमुरसिल करेगा ॥

मुस्तगीसों और गवाहों कोअहल्कार पुलिसकेसाथ जानेका हुक्मनहींहोगा

दफा१७१--जब कोई मुस्तगीस या गवाह अदालत मजिस्ट्रेट को जाताहो तो उसको यह हुक्म न होगा कि वह अहल्कार पुलिस के साथजाय ॥

मुस्तगीसों और गवाहों पर तशद्दुदनहीं किया जायगा,

या किसी मुस्तगीस या गवाहपर कुछ तशद्दुद गैरजरूरी न किया जायगा और न तकलीफ़ दीजायगी या उसकी हाज़िरीकी बाबत कुछ ज़मानतन लीजायगी बजुज़ उसके खासमुचलके के ॥

नाफरमान मुस्तगीसया गवाहको हिरासतमेंकर के भेज दियाजासक्ताहै,

मगर शर्त्त यह है--कि अगर कोई मुस्तगीस या गवाह हाज़िर होने या मुताबिक़ हिदायत दफा १७०-के मुचलकालिखनेसे इन्कार करे-तोअफसर मोहतमिम इस्टेशनपुलिस मजाज़होगा कि उस

को हिरासतमें करके माजिस्ट्रेट के पास भेजदे-और मजिस्ट्रेट मजाज़ होगा कि जबतक वह मुचलका न लिखे या मुक़द्दमेकी समाअत ख़त्म नहो उसको हिरासतमें क़ायम रक्खे॥

दफ़ा १७२--हर अहल्कार पुलिस को जो इस बाबके मुताबिक़ मुक़द्दमेकी तफ्तीशमेंमशरूफहो लाज़िमहै-कि अपनी तफ्तीशकी काररवाई रोज बरोज़ एक रोज़नामचेमें लिखताजाय-और उसमें वहवक्त जबकि इत्तिलाअ उसके पास पहुंची थी-और वह वक्त जबकि उसने तफ्तीश शुरूअ और ख़त्म की-और वहमुकाम या मुकामात जिन को उसने मुआइना किया मय कैफ़ियत उनहालात के जो उस की तफ्तीशसे दरियाफ्त हुये उसमें दर्जकरे॥

तफ़्तीशकी काररवाइयोंका रोज़नामचा,

हरअदालत फौजदारी मजाजहै-कि रोजनामचे हाय पुलिस मुतअल्लिके ऐसे मुकद्दमेके जो उसअदालतमें जेरतहक्कीकात या तजवीजहो तलब करके ऐसेरोजनामचे को बगरज मदद ऐसी तहकीकात या तजवीज के काममेंलाये-न बतौर शहादत सुबूतमुकद्मा-शख्स मुल्जिम या उसके कारपरदाजान ऐसे रोजनामचों के तलबकरानेके मुस्तहक नहींहैं-और न मुल्जिम और उसके कारपरदाज सिर्फ इस वजहसे रोजनामचा मुआइना करने के मुस्तहक हैं कि अदालत ने उसपर हवाला कियाहै-इल्ला अगर ऐसे रोजनामचे उस अहल्कार पुलिस की तरफसे वास्ते ताजाकरने अपने हाफिज के इस्तैमाल में लायेजायँ-या अगर अदालत उनरोजनामचों को उसअफसर पुलिसकी तकजीबके लिये काममें लाये-तो अहकाम ऐक्टशहादतहिन्दमुसद्दिरै-सन् १८७२ ई० की दफा १६१-या दफा १४५-(जैसीसूरतहो) उस से मुतअल्लिक होंगे॥

ऐक्ट १-सन् १८७२ ई०,

दफा १७३--हरतफ्तीश जोइसबाबके मुताबिक कीजाय बिलातवक्कुफ़ बेजा ख़त्म की जायगी-और जिस वक्ततफ्तीश खत्महोजाय अफ्सर मोहतमिमपुलिस इस्टेशनको लाजिमहै कि कैफ़ियतरिपोर्ट मुताबिकनमूना मुकर्ररह लोकलगवर्न-

अफ़्सरपुलिसकीरिपोर्ट

मेराट वइन्दराज इस्माय फरीकैन व कैफियत इत्तिलाअ और नाम उन अशखासके जो जाहिरन् मुकद्दमे के हालातसे वाकिफ मालूमहों साथतजकिरै इस अम्रके कि आया शख्स मुल्जिम हिरासतमें भेजागया या अपने मुचलके पर छोड़ दियागया और अगर छोड़ दियागयाहै तो बजमानत या बिला जमानत उस मजिस्ट्रेट केपास मुरसिलकरेगा जो पुलिसकी रिपोर्टपर जुर्मकीसमाअतका अख्तियार रखताहो ॥

+अगर पुलिसका कोई अफसर आलाहस्ब दफ़ा १५८-मुकर्रर कियागया हो तो रिपोर्ट मजकूर ऐसी सूरतों में जिनमें लोकल गवर्नमेराट बजरिये हुक्म आम या खासके वैसाहुक्मकरै अफसर मजकूरके तवस्सुतसे भेजी जायगी-और अफसर मजकूरको साहब मजिस्ट्रेट के हुक्म को मशरूत गरदानकर अख्तियार होगा कि ओहदेदार मुहतमिम थाना पुलिस को तहकीकात मजीद की हिदायतकरै+ ॥

जबकभी उसरिपोर्टसे जो अज़रूय दफ़ाहाजा रवाना कीगईहो यह दरियाफ्त हो कि मुल्जिम की रिहाई मुचलके पर हुई है-तो मजिस्ट्रेटको लाजिम होगा कि निस्बत मुस्तरिदहोने या न होने मुचलके के याने जैसा कि वह मुनासिब समझे हुक्मदे ॥

पुलिसखुदकुशीवग़ैरहकीतहकीक़ातऔर रिपोर्टकरेगा,

दफ़ा १७४⊛-जब किसी अफसर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस को इसबातकी इत्तिलाअ पहुंचे कि कोई शख्स—

(अलिफ)-मुर्त्तकिब खुदकुशी का हुआ है-या

+—+दफ़ा १७३ का फ़िक़रा सानी ऐक्ट १०—सन् १८८६ ई० की दफ़ा ७-की रूसे साबिक़ फ़िक़रे के एवज कायम किया गया है,

⊛ दफ़ात १७४—व १७५—व १७६—उस रक़बा अरजी में तअल्लुक़ पिज़ीर होते वक्त जो मदरास की अदालतुल्आलिया हाईकोर्ट आफ़ जुडीकेचर के मामूली अख्तियार दीवानी सीग़े इब्तिदाई की हुदूद अरजी में शामिल है हस्ब ज़ैल पढ़ी जायगी [देखो ऐक्ट ५ सन् १८८६ ई०—दफ़ा ४ (२)]-यानी—

(बे)–किसीदूसरेकेहाथसे या जानवरसे मारागयाहै या किसी कलकेसदमें या और हादसहसे हलाकहोगयाहै–या

दफ़ा १७४—"(१)जब किसी अफ्सर मुहतमिम इस्टेशन पुलिसको इस बातकी इतिलाअ पहुंचे कि कोई शख़्स—

अफ्सर मोहतमिम इस्टेशनपुलिस मामूलन् उस मौतकी तहक़ीक़ात करेगा जो अजीयत के साथयामुश्तबहहालत में वक़ूअ में आई हो,

(अलिफ)—मुरतकिब खुदकुशी का हुआ है–या—

(बे)—किसी दूसरे के हाथ से या जानवर से मारागया है-या किसी कलके सदमा या और हादसहसे हलाकहोगया है–या—

(जीम)—ऐसे हालात में मरगया है कि उनसे शुभामाक़ूल पैदा होताहै कि किसी और शख्स से कोई जुर्म हुआ है,

उस को लाज़िम होगा—कि कमिश्नर पुलिस को फ़ौरन् अम्र मज़कूर की इत्तिला करे—और उसके बरअक्स किसी क़ायदा या हुक्म मुतज़क्किरे दफ़ा अव्वल मरक़ूमुल्ज़ैल के न रहने की तक़दीर में उस मौक़ा पर जाय जहां लाश शख्स फौत शुदह की मौजूद हो—और वहां कुर्ब व जवार के ५-पांच या जायद बाशिंदगान शरीफ़ के रूबरू मुक़द्दमाओ तफ़्तीश करे—और रिपोर्ट बाबत् वजह ज़ाहिरी मर्ग के मुरत्तिबकरे-और सराहत ज़ख़्मों या हड्डियों के टूटने की या चोट या और क़िस्मके निशानात जरर की जो बदन पर पाये जायं रिपोर्ट में दर्ज करे—और यह लिखे कि किस तौर से और किस हथियार या आला के जरिये से (अगर कुछ हो) वह निशानात बज़ाहिर पैदा किये गये थे,

"(२)—रिपोर्ट पर दस्तख़त अहल्कार पुलिस और दीगर अशख़ास के या उनमें से उस कदर अशख़ास के जो अफ्सर की राय से इत्तिफ़ाक़ करें सब्त होकर यह रिपोर्ट फ़ौरन् कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में भेज दीजायगी—,

"(३)—सूरतहाय मरक़ूमुल्ज़ैल मेंसे किसी सूरत में—यानी—

(अलिफ)—किसी ऐसी सूरतमें कि जब लोकलगवर्नमेंट अजरूय क़ायदे के हुक्मकरे—

(बे)—किसी ऐसी सूरतमें कि जब यह मालूमहो कि मौत अजीयत के साथ वक़ूअमें आई है या बाअस मौतकी निस्बत कोई शुभा पायाजाता हो—

(जीम)-किसीऔर सूरतमें कि जब अहल्कार पुलिस क़रीन मसलहतसमझे—

(जीम)--ऐसे हालातमें मरगयाहै कि उनसेशुभहमाकूलपैदा होता है कि किसी और शख्ससे कोई जुर्महुआ है॥

उसको लाजिमहोगा —कि किसी ऐसे डाक्टरसे उसका मुआयना कराये जो लोकल गवर्नमेंट की तरफसे इस काम के लिये मुकर्रर हुआहो,

"(४)—अहल्कार पुलिस को अख्तियार है-कि बजरिये हुक्म तहरीरी के हस्ब बयान मज़कूरह वाला ५-पांच या उससे जियादह अशखासको हस्ब दफ़ा हाजा तफ़्तीशकरनेकी ग़रज़ से और किसी और शख्सको जो वाक़आत मुक़द्दिमा से वाक़िफकार मालूम होताहो-तलब करे-और हर शख्स जो इस नेहजपर तलब कियाजाय उसको लाजिमहोगा कि हाजिर होकर बजुज़ ऐसे सवालात के जिनका जवाब देनेसे उसपर किसी जुर्म फौजदारी का इल्जाम या किसी तावान या सजाय जब्ती के आयद होनेका एहतमाल हो बाक़ी सवालात का जवाबरास्त दे,

"(५)—अगर वाक़िआत से वह जुर्म क़ाबिल दस्तन्दाजी पुलिसके न पायाजाय जिस पर दफ़ा १७०-का इत्तलाअ होसके तो अफ्सर पुलिस अशखास मज़कूर को मजिस्ट्रेटकी अदालत में हाजिर होने का हुक्म न देगा,

"दफ़ा १७५—(१)—लोकलगवर्नमेंट वतसरीह हालात जेल क़वाअद वज़ा करसक्ती है-और कमिश्नर पुलिस उन क़वाअद के मुंतबिक़ अहकाम आम या ख़ास वतसरीह हालात जेल वक्तन् फवक्तन् सादिर करसक्ता है—

उन क़वाअद व अहकामके सादिर करने का अख्तियार जो दरखसूसतफ़्तीशबजरिये और ओहदेदारान गैर अफ्सरान मोहतमिम पुलिस इस्टेशनके हों,

(अलिफ)—उन हालात की कि जब अफ्सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन बाद देने इत्तिलाअ किसी ऐसे वाक़अके जिसका जिक्र दफ़ाअख़ीर मरकूमुल्फौक़ की दफामातहती (१) की जिम्न (अलिफ) या जिम्न (बे) या जिम्न (जीम) में कियागया है उन लवाजिम खिदमात मजीद मेंसे किसी और लाजिमह खिदमतको अंजाम न दे जो हसबुदफ़ा मजकूर वैसे ओहदेदार के जिम्मे कियेगये हैं,

(बे)--उनहालातकी कि जब लवाजिम खिदमत मजीद अंजामदियेजायंगे

उसकोलाजिमहै-कि फौरन् अम्रमजकूरकी इत्तिलाअउसमजिस्ट्रेटको करे जो क़रीबतरहो और वजहमर्गकी तहक़ीक़ातकरनेका मजाजहो-इल्ला उससूरतमें कि अजरूयकायदेमुकर्ररेलोकलगवर्नमेण्ट या अजरूय किसी हुक्म आम या खासमजिस्ट्रेट जिलाया और वैसे हालातमें लवाजिम खिदमत मजीद मजकूर किसओहदेदार के जरियेसे अंजामपायेंगे,

(२)--वह ओहदेदार जिसके जिम्मे अजरूय कवाअद या अहकाम तहतदफ़ामातहती (१) लवाजिम खिदमत मजीद मजकूर की बजाआवरीहो-कमिश्नर पुलिस या उसका कोई डिप्टी या असिस्टंट या कोई और अफ़सर पुलिस होसक्ता है जो इन्स्पेक्टर से नीचेदरजेका न हो--और ओहदेदार मजकूरको उनलवाजिम खिदमत की बजाआवरी के वक्त अख्तियार होगा--कि उन अख्तियारात में से किसी अख्तियार को अमल में लाये और उन खिदमतों को अंजामदे कि जो बरतकदीर न होने वैसे कवाअद या अहकाम के अफ़सर मोहतमिम इस्टेशन पुलिस अमल में लासक्ता और अंजाम देता,

अहकाम दर खसूस तहक़ीक़ात बजरिये प्रेज़ीडंसी मजिस्ट्रेट के और क़ब्रसे निकालने लाशों के,	"दफ़ा १७६-(१) चीफ प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट या और ऐसे प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट को जिसको चीफ़प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट इस बारे में अपना क़ायम मुक़ाम मुकर्ररकरे जबकोईशख्स जो पुलिस की हिरासत में या कैदखाने में हो फौतहोजाय यह लाजिम होगा--और किसी और सूरतमें जिसकाजिक्र दफ़ा १७४--की दफ़ा मातहती (१) की जिम्न (अलिफ) या

जिम्न (बे) या जिम्न (जीम) में किया गया है---यह जायज होगा---कि तहक़ीक़ात वास्ते दरियाफ्त करने वजहमौतके बवाह बयवज या बइजाफा उस तफ्तीशके अमलमें लाये जो दो अखीर दफ़ात मरकूमुल् फौक़मेंसे किसी दफ़ाकी रूसे अमल में आईहो--और जब वहतहक़ीक़ात में मसरूफहो तो उसकी काररवाई में उसको वह कुल अख्तियारात हासिलहोंगे जो बरवक्त करने तहक़ीक़ात किसी जुर्मके उसको हासिल होते---और उसको लाजिम होगा कि शहादतको जो असनाय तहक़ीक़ात में जहांतक होसके तरीका मुकर्ररहदफ़ा ३६२--केमुताबिक लीजाय--कलमबंदकरे--,

(२)-जब कमिश्नर पुलिस या प्रेजीडंसीमजिस्ट्रेट के नजदीक वास्ते दरियाफ्तकरने वजह मौतकिसी ऐसेशख्स मुतवफ्फा के जिसकी लाश मदफून हुईहै मुत्तजाय इंसाफ हो कि लाश मजकूर का मुआयना होना चाहिये तो कमिश्नर या मजिस्ट्रेट (यानी जैसी सूरतहो) मजाज है कि लाशको जमीन से खुदवाकर उसका मुआयना कराये,,

मजिस्ट्रेट हिस्सैजिलेके किसी और नेहजपर हिदायतहो-और उस मौके पर जाय जहांलाशशख्स फौतशुदह की मौजूदहो-औरवहां कुर्बोजवार के दो या चन्दवाशिन्दगान शरीफ़के रूबरू मुकद्दमेकी तफ्तीशकरे-और रिपोर्टबाबत वजहजाहिरी मर्गके मुरत्तिबकरे-और सराहत जख्मों या हड्डियोंके टूटने की या चोट या और किस्म के निशानातजररकी जो बदनपरपाये जायँ रिपोर्टमेंदर्जकरे-और यह लिखैकिकिसतौरसे और किसहथियारयाआलाके जरियेसे (अगर कुछहो) वह निशानात बजाहिरपैदाकियेगये थे॥

रिपोर्टपर दस्तखत अहल्कार पुलिस और दीगर अशखासके या उनमें से उसक़दर अशखासके जो अफ्सरकी रायसे इत्तिफाककरें सब्त होकर वहरिपोर्ट फौरन् मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्से जिले के पास भेजदीजायगी॥

अगर वजह मौतकी निस्बत कुछशुभह हो या किसीऔरवजह से अहल्कार पुलिस ऐसा करना क़रीन मसलहत समझे तो उसे लाजिमहोगाकिबरिआयत उनक़वायदकेजिन्हें लोकलगवर्नमेण्ट इसबाबमें मुकर्ररकरे लाश को उस सिविल सर्जन या दीगर ओहदेदार सीग़ेतिबकेपास जो क़रीबतरहो और जिसको लोकलगवर्नमेन्टने इसकामकेलियेमुक़र्ररकियाहो इम्तिहानकेलिये भेजदेबशर्त्ते कि हालत मौसम और बोदमुसाफ़तके लिहाज़से बिला एहतमाल सड़जानेलाशके अस्नायराहमें और उसवजह से बेफ़ायदाहोजाने इम्तिहानके लाशकापहुंचना मुमकिनहो॥

प्रेजीडंसी मदरास व बम्बई में जायजहै कि वहतफ्तीश इसदफ़ाके मुताबिक़ मारफ़त गांव के मुखियाके अमलमें आये-और उस मुखियाको लाजिमहोगा कि तहक़ीक़ातके नतीजेकी रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेटके पास भेजे जो क़रीबतरहो और वजह मर्गकी तहक़ीक़ात करने का अख्तियार रखताहो॥

साहबान मजिस्ट्रेट मुफ़स्सिलै जैल वजह मर्ग की तहक़ीक़ात करने का अख्तियार रखते हैं—याने मजिस्ट्रेट जिला और माजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला और वह मजिस्ट्रेट जिसको अम्रमज़कूर का

अख्तियारखास लोकलगवर्नमेंट या मजिस्ट्रेट ज़िले की तरफ़ से अताहुआ हो॥

दफ़ा १७५+—अफ्सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशनको अख्ति-यार है-कि बज़रिये हुक्म तहरीरी के दो या ज़ियादह अशख़ासको हस्बबयानमरकूमैबाला बग़रज़ तफ्तीश मज़कूर और किसी और शख़्सकोजो वाक़िआत मुक़द्दमेसे वाक़िफ़कार मालूम होताहो तलब करे--हर शख़्स जोइस नेहजपर तलबकियाजाय उसको लाज़िम होगा कि हाज़िर होकर बजुज़ ऐसे सवालात के जिनके जवाब देने से उसपर किसीजुर्म फ़ौजदारी का इल्ज़ाम या किसीतावान या सज़ायज़ब्तीके आयद होनेका एहतमाल हो बाक़ीसवालातका जवाबरास्त दे॥

लोगों को तलबकरने का अख्तियार,

अगर वाक़िआत से वह जुर्म क़ाबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस के न पायाजाय जिसपर दफ़ा १७०-का इतलाक़ होसके तो अफ्सर पुलिस अशख़ास मज़कूर को मजिस्ट्रेट की अदालत में हाज़िर होनेका हुक्म न देगा॥

दफ़ा १७६—+ जब कोई शख़्स जो पुलिस की हिरासत में हो फ़ौत होजाय उस मजिस्ट्रेट को जोक़री-बतर और वजह मर्ग की तहक़ीक़ात करने का अख्तियार रखताहो— लाज़िमहोगा—और हर दूसरी सूरत मुतज़क्किरह दफ़ा १७४—ज़िम्न (अलिफ़) और (बे) और (जीम) में हर मजिस्ट्रेटको जिसे इसनेहजके अख्तियारात हासिलहों जायज़ होगा-कि तहक़ीक़ात वास्ते दरियाफ्तकरने वजह मौतके बएवज़ या बइज़ाफ़ा तफ्तीश अमलआउर्दा अफ्सर पुलिसके अमल में लाये—और अगर वह तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हो तो उसकी कारखाई में उसको वह कुल अख्तियारात हासिल होंगे जो बरवक्त करने तहक़ीक़ात किसी जुर्म के उसको हासिल होते—और जो मजिस्ट्रेट तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हो उसको चाहिये कि शहा-

वजहमर्गकी तहक़ीक़ात बज़रिये मजिस्ट्रेट के,

+ (इसका फ़ोटनोट भी वहीहै जो सफ़हात९३ व९४व ९५ व९६में मुन्दर्जहै,

दत को जो उसने मुताबिक किसी क़ायदे मुक़र्ररह आयन्दाके ली हो हस्ब हालात मुक़द्दमा कलम्बन्द करे ॥

ज़मीन खोदकर लाश निकालनेका अख्तियार

जब ऐसे मजिस्ट्रेट के नज़दीक मुनासिब मसलहत हो कि लाश किसी शख्स फ़ौतशुदह की जोदफ़न होचुकीहो निकालकर इस ग़रज़से इम्तिहान कीजाय कि वजह मौतकी दरियाफ्त होजाय-तो मजिस्ट्रेट मौसूफ़ मजाज़ है कि लाशको ज़मीन से खुदवाकर उसका मुआयना कराये ॥

हिस्सा शशुम ॥

कारखाई हाय मुतअल्लिके नालिशात ॥

बाब-- १५ ॥

अख्तियारात अदालत हाय फौजदारी दरबारे तहकीक़ात व तजवीज़ ॥

(अलिफ़)--मुक़ाम तहक़ीक़ात या तजवीज़ ॥

तहकीकात और तजवीजका मामूली मुकाम,

दफ़ा १७७-अलउमूम तहक़ीक़ात और तजवीज़ हरजुर्म की उसअदालतकी मारफत होगी जिसके अख्तियार हुकूमतकी हुदूद अरज़ी के अन्दर जुर्म मजकूर सरजद हुआहो ॥

मुखतलिफ़ किस्मत हाय सिशनमें तजवीजमुक़द्दमातकेलियेहुक्मकरने काअख्तियार,

दफ़ा १७८--बावस्फ़इबारत मुन्दर्जे दफ़ा १७७--के लोकलगवर्नमेंट इसबातकी हिदायतकरनेकी मजाज़है कि कोईमुक़द्दमायाकिसीकिस्मकेमुक़द्दमातजोकिसी ज़िलेमें दौरह सिपुर्द कियेजायँ किसीकिस्मत सिशनमें तजवीजकियेजायँ ॥

मगर शर्त्तयह है--कि ऐसी हिदायतकिसी ऐसेहुक्मकानक़ीज़ नहो जो उससे पहिलेमुताबिक़ दफ़ा १५-बाब १०४-ऐक्ट पारलीमेन्ट मुसहिरैसन् २४-व २५-जलूस मल्कामुअज़्ज़िमा विक्टोरिया या बमूजिब दफ़ा ५२६-इस मजमूयेके सादिर हुआहो ॥

मुल्ज़िमके मुक़द्दमे की तज

दफ़ा १७९-जबकिसी शख्सपर इल्ज़ाम इर्तिकाब जुर्म का बवजहकिसीफेलकेजोउससेवाकेहुआहो या

वीजतस जिलअ में होस क्योंहैंजहांफेल या नती जा वकूअ में आयाहो

किसी नतीजेके जो उस फेलसे जहूरमें आया हो लगाया जाय तो जायज़है कि ऐसे जुर्मकी तहक़ीक़ातयातजवीज ऐसीअदालतकी मारफतहो जिसके इलाके हुकूमत की हुदूद अरजी के अन्दर ऐसा नतीजा निकला हो ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़)--जैद अदालत कानपूरकी हुकूमतकीहुदूद अरज़ी के अन्दर जख्मी होकर अदालत इलाहाबादमें पहुँचकर मरगया-जायजहै कि तहक़ीक़ात और तजवीज जुर्मजैदके अहलाक मुस्तलजिम सजाकी जिले कानपूर या इलाहाबादमें हो॥

(वे)--जैद अदालत कानपूरकेइलाकेकीहुदूदअरज़ीके अन्दर जख्मीहोकर दशरोजतक अदालत इलाहाबादके इलाके की हुदूद अरज़ीके अन्दर और फिर दशरोजतक अदालत मिरजापूर के इलाकेकी हुदूदअरज़ीके अन्दर पहुँचकर दोनोंजगह यानेइलाहाबादया मिरजापूरमेंसे किसी जगहकी अदालतकी हुदूद अरजीके अन्दर अपना कारोबार मामूलीकरनेसे माजूररहा तो तहकीकात व तजवीज जुर्म जैदको जररशदीद पहुँचानेकी अदालत कानपूर या अदालत इलाहाबाद या अदालत मिरजापूरमें होसक्तीहै ॥

(जीम)--जैदको अदालत कानपूर के इलाक़े की हुदूदअरजीकेअन्दर नुक्सानरसानीकीतखवीफ दीगई--और उसतखवीफ की वजहसे उसको अदालत इलाहाबाद के इलाक़े की हुदूदअरजी के अन्दर तरग़ीबहुई कि वह शख्स तखवीफ दिहन्दाको माल हवाले करे--तोजायज है कि तहक़ीकात व तजवीज जुर्म जैदपर-इस्तहसाल बिलजब्र करने की अदालत कानपूर या अदालत-इलाहाबाद में हो ॥

दफ़ा १८०--जबकोई फेल इसवजह से जुर्महै कि वह किसी

मुक़ाम तजवीज जब फेल इसवजह से जुर्महै कि वह और जुर्म सेतअ

और फेलसे कि वहभीजुर्महै तअल्लुकरखता है या कि फेलमजकूरजुर्महोगा-बशर्ते किफायलकाबिलइर्तिकाबजुर्महोतोजुर्म अव्वलुल्

इलुकरखताहै, जिस के इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात व तजवीज़ उसअदालतकी मारफ़त होसक्तीहै जिसके इलाके हुकूमतकी हुदूद अरज़ीके अन्दर दोनों अफ़आलमज़कूरैसे कोईफ़ैलसरज़दहुआहो॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़)--अमानतके इल्ज़ामकी तहक़ीक़ात व तजवीज उस अदालतके इलाकेकी हुदूद अरज़ीके अन्दर होसक्तीहै जिसके इलाकेकीहुदूदअरजीकेअन्दरअमानतका इर्तिकाबहुआहो-याउस अदालतमें जिसके इलाके हुकूमतकी हुदूदअरजी के अन्दर उस जुर्मका इर्तिकाबहुआहो जिसकी अमानतकीगई॥

(बे)-मालमसरूक़ाके लेने या पासरखनेके इल्ज़ामकी तहक़ीक़ात व तजवीज उस अदालतके इलाकेकी हुदूदअरज़ीके अन्दर होसक्तीहै जिसमें मालका सरका हुआ-याउस अदालतके इलाकेकीहुदूद अरज़ीके अन्दर जिसमें उस मालमें से कोई शै बदनियती से लीगई या पास रक्खीगई ॥

(जीम)-ऐसेशख्सको बतौर बेजामख्फ़ी रखने के इल्ज़ाम की निस्बत जिसकी बाबत मालूमहो कि उसको कोई ले भागाहै उस अदालत के इलाकेकी हुदूदअरज़ी के अन्दर तहक़ीक़ात व तजवीज होसक्ती है जिसके इलाकेकी हुदूद अरज़ीके अन्दर वह बतौर बेजा मख़फ़ी रक्खागयाहो-या उस अदालतमें जिसके इलाके की हुदूद अरज़ीके अन्दर ले भागने का ज़ुर्म सरज़द हुआहो ॥

ठगहोना या डाकुवों की किसीजमाअतकाशरीक होनायाहिरासतसेमफ़रूर होनावग़ैरह,

दफ़ा १८१--जायज है कि तहक़ीक़ात व तजवीज उनजरायम की -यानीठगहोना और ठगहोकर क़तल अम्दकरना और डकैती करना और डकैती करना साथ क़तलअम्दके और डाकुवों की जमाअतका शरीकहोना याहिरासतसे मफ़रूरहोना उसअदालतकी मारफ़तहो जिसकेइलाके हुकूमतकी हुदूद अरज़ी के अन्दर शख्स मुल्ज़िम मौजूदहो ॥

तसर्रुफ़मुजरिमाना और

जायज है-कि तहक़ीक़ात व तजवीज ज़ुर्मतसर्रुफ़मुजरिमाना याज़ुर्मख़यानत मुजरिमानाकी उसअदालत

खियानतमुजरिमाना, की मारफतहो जिसके इलाकेहुकूमतकीहुदूद अरजी के अन्दर कोई जुज्व उस मालका जिसकी निस्बत जुर्म का इर्तिकाबहुआहै शख्स मुल्जिमको हासिलहुआ या जिसके इलाके में जुर्म सरजदहुआ हो ॥

जायज है--कि तहकीकात व तजवीजजुर्म किसी शैके चोरीकर

चोरीकरना, नेकी मारफत उसअदालतके हो जिसके इलाके हुकूमतकी हुदूद अरजीके अन्दर शै मजकूर जो चोरीगईथी-या चोर या किसी और ऐसे शख्सके कब्जेमें थी उसको मसरूका जानकर या जानने की वजह रखकर उसको हासिल करे या रखछोड़े ॥

दफ़ा १८२--जब यह अम्र गैरमुतहक्किकहो किमिन्जुमले चंद

तहाकीकातयातजवीज का मुकामजवकिमौका जुर्म गैर मुतहक्किकहो या सिर्फ एक जिलअमेंनहो, रकबै हाय अरजीके कोई जुर्म किसरकबै में सरजदहुआ--या

किसी जुर्म के एकजुज्वका इर्तिकाब किसी एकरकबै अरजी के अन्दर और दूसरे जुज्वका इर्तिकाब दूसरे रकबे में हुआहो--या

जबजुर्म अलल् इत्तिसाल होताजाय और एकसेजियादह रक-

याजवजुर्म अललइत्तिसालहोताजाय या चंदअफआलपरमुश्तमिलहो, बा हाय अरजी के अन्दर इर्तिकाब पाता रहे--या

जब कि जुर्म चन्दअफआलपर मुश्तमिलहो जिनमें से हरएक एक मुख्तलिफरकबै अरजी में वाकैहुआहो ॥

तो जायजहै-कि उसकी तहकीकात व तजवीज किसी अदालत कीमारफतहो जो ऐसेरकबै अरजीपर अख्तियारसमाअतरखतीहो ॥

दफ़ा १८३-जायजहै-कि तहकीकात व तजवीज किसीजुर्मकी

जुर्म जब सफरमें सरज़दहो, जो उसहालत में सरजदहो जब कि मुजरिम फिल्वाकै कोई सफरखुश्की या तरीतैकरताहो उस अदालतकी मारफत अमलमें आये जिसके इलाके की हुदूद अरजीके अन्दर या उसमें होकर मुजरिम या उसशख्सने जिसकी निस्बत या उस मालने जिसकी बाबत जुर्म मजकूर वकूअमें

आया था उससफरखुश्की या तरीके तै करने में गुजरकियाहो ॥

दफ़ा १८४--जायज है कि तहक़ीक़ात व तजवीज ऐसे जुमले जरायमकी जो खिलाफ़ अहकामकिसीकानूनमजरिये वक्कमुतअल्लिकै रेलवे याटेलीग्राफ़ या डाकखाना याइसलह औरसमालहहरबके वकूअ में आयेहों किसीवल्दै प्रेजीडन्सीमेंहो आम इससे कि जुर्म मज़कूर का उस बल्दै के अन्दर या उसकेबाहर सरज़द होना करार दिया जाय ॥

जरायमबरखिलाफ़हुक्म ऐक्टहायमुतअल्लिकै रेलवे और टेलीग्राफ और डाकखाने और इसलहके,

बशर्ते कि मुजरिम और जुमलै गवाहान जो उसपर नालिश किये जानेकेलिये ज़रूरीहों बल्दै मज़कूरके अन्दर दस्तयाबहोसकें॥

दफ़ा १८५--जबकभी इसबातका शुभहनाशीहो कि किसी जुर्म कीतहक़ीक़ात या तजवीज बमूजिबअहकाम मुलहक़ेबाला मुन्दर्जैबाबहाज़ा किसअदालतकी मारफ़त होनी चाहिये तो वह हाईकोर्ट जिसके सीग़ै अपीलके इलाके फौजदारीकी हुदूद अरजी के अंदर मुजरिम वाकई मौजूद हो इस अम्रकी तन्कीह करसकेगी कि किस अदालतकी मारफ़त जुर्मकी तहकीकात व तजवीज की जायेगी ॥

शुभहहोनेकीसूरतमेंहाईकोर्टठहरादेगी कि किस जिलअ में तहक़ीक़ात या तजवीजहोनी चाहिये,

मुल्क बृटिश ब्रह्मामें जब मुजरिम रअय्यत मल्कामुअज्जिमा अहलयूरोप हो तो रंगूनका साहब रिकार्डर और बाकी कुलसूरतों में साहब जुडीशल कमिश्नर इस दफ़ाकी अग़राजके लिये बमंज़िलै हाईकोर्ट समझा जायगा ॥

दफ़ा १८६--जब किसी मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वलको जिसको लोकल गवर्नमेण्ट से इस अम्र का अख्तियार खास मिला हो इस अम्र के बावर करने की वजह मालूम होकि कोई शख्स जो उसके इलाके हुकूमत की हुदूद अरजी के अन्दर है हुदूद मजकूर के बाहर आम इससे कि वह मुकाम बृटि-

सम्मन या वारंटजारी करने का अख्तियारबइल्लत उस जुर्म केजो इलाका अख्तियारके बाहरवकूअ में आयाहो,

श इण्डिया के अन्दर हो या न हो ऐसे जुर्मका मुर्त्तकिब हुआहै जिसकी तहकीकात व तजवीज हस्ब अहकाम दफआत १७७-लगायत १८४-मजमूयेहाजा या हस्ब अहकाम किसी और कानून मजरिये वक्तके उसकी हुदूद अरजीके अन्दर नहीं होसक्ती है मगर मुताबिक किसी कानून नाफिजुलवक्त के उसकी तहकीकात व तजवीज बृटिशइण्डिया में होनी चाहिये—तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजाज होगा-कि जुर्मकी तहकीकात उसीतरहकरे कि गोया वह उसकी हुदूद अरजीके अन्दर सरजद हुआ था और हस्ब तरीके मुतजक्किरे सदर शख्स मुजरिम को जबरन् अपने रूबरू हाजिर कराये और उसको उस मजिस्ट्रेट के पास भेजदे जो जुर्म मजकूर की तहकीकात व तजवीज करनेका अख्तियार रखताहो—या अगर जुर्म मजकूर लायक अख्ज जमानत हो उससे मुचलिका बशमूल या बिलाशमूल जामिनोंके ववादे अहजार रूबरू मजिस्ट्रेट मजकूरके ले ॥

गिरफतारहोनेपर मजिस्ट्रेटका जाबिता कार्रवाई,

जब एकसेजियादह ऐसेमजिस्ट्रेटहों जो ऐसाअख्तियारसमाअत रखतेहों और वह मजिस्ट्रेट जो इस दफा के बमूजिब अमल करताहो इसबात से मुतमय्यन न होसके कि ऐसे शख्स को किस मजिस्ट्रेट के रूबरू भेजना चाहिये या उससे किसके रूबरू हाजिर होनेका मुचलिका लेना चाहिये तो मुकद्दमे की रिपोर्ट हाईकोर्ट में वास्तेसुदूर अहकाम उस हाईकोर्ट के मुरसिल की जायगी ॥

जाबिता जबकि वारंट अजतरफ मजिस्ट्रेट मातहतकेजारीहो,

दफा १८७—अगर शख्स मजकूर ऐसे वारंट के जरिये से गिरफ्तारहुआ हो जोदफा १८६-केमुताबिक मारफत किसी और मजिस्ट्रेट सिवाय मजिस्ट्रेटप्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट जिलेके सादिरहुआहो तो ऐसे मजिस्ट्रेटको लाजिम है कि शख्स गिरफ्तारशुदहकोमजिस्ट्रेट जिला के पास भेजदे—इल्लाउससूरत में कि वह मजिस्ट्रेट जो ऐसे जुर्मकी तहकीकात व तजवीज का अख्तियार रखता हो शख्स मजकूर की गिरफ्तारीके लिये अपना वारंट जारी करे—कि उस सूरतमें शख्स गिरफ्तारशुदह उस अफ्सर पुलिस को हवाले

कियाजायगा जो वारंटकी तामील करता हो या उस मजिस्ट्रेट के पास भेजाजायगा जिसने वारंट मज़कूर जारी किया हो ॥

अगर वहजुर्म जिसके इर्त्तिकाब का शख्स गिरफ्तार शुदह मुलिजम या मुरतकबहहो उस किस्मकाहो कि उसकी तहक़ीक़ात व तज़वीज उसी ज़िलेमें सिवाय अदालत उस मजिस्ट्रेटके जो दफ़ा १८६-के मुताबिक़ अमल करताहो किसी और अदालत फौजदारी की मारफ़तहोसक्ती हो तो उस मजिस्ट्रेटको चाहिये कि ऐसे शख्स को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजदे ॥

रिआयाय बृटानियाकी माखजीउनजुर्मोंकी बाबतजो बृटिशइंडिया केबाहर सरजद हों,

दफ़ा १८८—जब कोई रअय्यतबृटानिया अहल यूरोप हिन्दके किसी ऐसेवाली या रईस के मुल्कके अन्दरजुर्म का मुर्त्तकिबहो जो मलकामुअज्जिमादामइक़बालहा के साथइत्तहाद रखता हो—या

जब कोई हिन्दुस्तानी रअय्यत मलका मुअज्जिमा बृटिशइण्डिया की हुदूद के बाहर किसी मुकाम पर जुर्म का मुर्तकिब हो तो जायजहै कि उसजुर्मकी बाबत उसकेसाथ वही सलूक कियाजाय कि गोया वह बृटिशइण्डियाके अन्दर उसी मुक़ामपर सरज़द हुआ था जहां वह दस्तयाब हो ॥

पोलीटीकलएजंट इस अम्रकी तसदीककरेगा कि इल्ज़ाम लायक तहकीकातहै,

मगर शर्तयहहै—कि ऐसे किसी जुर्मके इल्ज़ामकी तहक़ीक़ात बृटिशइण्डिया में न होगी इल्ला उसवक्त कि पोलीटीकलएजन्ट उस मुल्क का जहां कि उस जुर्मका सरजद होना बयान कियागया हो अगर वहां कोई ऐसा ओहदेदार हो तसदीक इस अम्रकी करे कि उसकी रायमें इल्जाम उसनोअकाहै जिसकी तहक़ीक़ात बृटिशइण्डियामें होनी चाहिये ॥

और यह भी शर्त है-कि जो कारवाइयां किसी शख्सकीनिस्बत हस्ब दफा हाजा अमलमें आईहों अगर वह बृटिशइण्डियाके अन्दर जुर्म सरजद होनेकी सूरतमें उसीजुर्मकी बाबत और उसी शख्स की निस्बत माने माखूजी माबादकी होतीं तो वह कारवाइयां

उसी शख्सकी निस्बत हस्बशरायत क़ानून अख्तियारात सर्कार अन्दररियासतगैर व अख्तियार बाजागिरफ्त मुजरिमान मुसहिरै ऐक्ट २१-सन् १८७९ ई०, सन् १८७९ ई० बाबत उसजुर्मके भी जोबृटिश-इण्डिया की हुदूदकेबाहर किसीजगह उससे हुआहोमानै कारर-वाई मजीदकी होंगी॥

दफ़ा १८९--जब किसी ऐसे जुर्मकी निस्बत जिसकाजिक्र दफ़ा १८८ में है तहक़ीक़ात या तजवीज होतीहो लोकलगवर्नमेण्टको अख्तियारहै कि अगर मुनासिबजानै हिदायतकरे किनकलेंगवाहों के इजहारात या दस्तावेजात की जो कि उस मुल्कके पोलीटीकल एजण्ट या हाकिम अदालत के रूबरू क़लम्बन्द या पेश कीगई हों जहाँ जुर्मका सरजद होना बयान किया गयाहो उस अदालतमें जहाँ वह तहक़ीक़ात या तजवीज अमलमें आतीहो ऐसी हरसूरतमें बतौर वजह सुबूत के मक़बूल कीजायँ जिसमें कि अदालत मजकूर उन मुआमलातमें जिनसे ऐसे इजहारात या दस्तावेज़ात इलाक़ा रखती हों शहादत लेनेके लिये कमीशन जारी करसक्ती है॥

यह हिदायत करने का अख्तियार कि नकलेंगवाहों के इजहारात या दस्तावेजातकी वजह सुबूत में मक़बूलहों,

दफ़ा १९०--दफ़आत १८८-व-१८९-में लफ्ज "पोलीटीकल एजण्ट" से ओहदेदारान् जैल मुरादलिये जायेंगे और उसमें दाखिल समझे जायँगे॥

"पोलीटीकलएजंट" की तारीफ़,

(अलिफ़)-किसी मुल्कमें जो बेरूंहुदूद बृटिशइण्डिया हो वह ओहदेदारआला जोगवर्नमेण्टबृटिशइण्डियाकाक़ायममुक़ामहो॥

(बे)-हर ओहदेदार जो बृटिशइण्डिया में जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या जनाब गवर्नर बहादुर प्रेजीडन्सी मदरास बइजलास कौंसल या नव्वाबगवर्नरबहादुर प्रेजीडंसी बम्बई बइजलास कौंसलके हुजूरसे वास्ते तामील तमाम या किसी अख्तियारात पोलीटीकल एजण्ट महकूमै ऐक्ट मौसूमै क़ानून अख्तियारात रियासतगैर और अख्तियार हवालगी मुज-

ऐक्ट २१-सन् १८०३ ई०, रिमान मुसद्दिरै सन् १८७९ ई० के किसी मुकामके लिये जो दाखिल बृटिशइण्डिया नहीं है मासूरहो ॥

(बे)--शरायत जो वास्ते शुरूअकरने

कारखाई के जरूर हैं ॥

दफ़ा १९१--बजुज़ उस सूरतके जो आयन्दा मजकूर है हर मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट×हिस्से जिला×या और मजिस्ट्रेट जिसको इस अम्रका अख्तियार खास दिया गया हो मजाज हर जुर्मकी समाअत करनेका है हस्बतफ़सीलज़ैल—

जुर्मोंकी समाअतमजिस्ट्रेटोंके रूबरू,

(अलिफ़)-जबउसकेपास शिकायत बाबत वकूअ ऐसे वाकिआत के हुँचे जो जुर्म मजकूरपर मुश्तमिलहों ॥

(बे)--जबऐसेवाकिआत की रिपोर्ट पुलिससे पहुँचे ॥

(जीम)--जबऐसी इत्तिलाअ सिवाय अहल्कार पुलिसके किसी और शख्सकीतरफ़से पहुँचे या उसको खुदइल्म या शुभह पैदा हो कि ऐसाजुर्म फ़िल्वाके सरजद हुआहै ॥

लोकलगवर्नमेण्ट को या मजिस्ट्रेट जिलेको बइतबाअ एहकाम आम या खास लोकलगवर्नमेण्ट के अख्तियार है-कि किसीमजिस्ट्रेटको इसबात का अख्तियार खास बख्शे कि जिम्न (अलिफ़) या जिम्न (बे) के बमूजिब ऐसे जरायम की समाअत करे जिन की तहक़ीक़ात या दौरह सिपुर्द करना उसके अख्तियारमें हो ॥

लोकलगवर्नमेण्ट मजाज है-कि किसी मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल या दर्जेदोम को वास्ते समाअत करने ऐसे जरायम के हस्बमुराद जिम्न (जीम) अख्तियार अताकरे जिनकी तहक़ीक़ात या तजवीज के लिये सिपुर्द करना उसके अख्तियार में हो ॥

×—× यह अलफ़ाज ऐक्ट १२—मुसद्दिरै सन् १८९१ ई० के जरीये से दाखिल कियेगये,

×जब कोई मजिस्ट्रेट किसी जुर्मतहतजिम्न (जीम) कीसमाअतकरेतोशख्स मुल्ज़िम या जबकि चंदशख्समुल्जिमहों तो उनमेंसे कोई एकशख्स इसअम्रके इस्तदुआ करनेका इस्तहक़ाक़रक्खेगा कि मजिस्ट्रेट मजकूरकेजरिये से मुकद्दमा की तजवीजन होकर वह और मजिस्ट्रेटके पास भेजदियाजाय या अदालतसिशनके सिपुर्द किया जाय ×

दफ़ा १९२—हरमजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सै जिला को अख्तियारहै कि किसीमुक़द्दमेकोजिसकी वह समाअत करचुकाहो तहक़ीक़ात या तजवीजकेलिये किसीऔरमजिस्ट्रेटकेसिपुर्दकरे जो उसकामातहतहो॥

इन्तकाल मुकद्दमात मजिस्ट्रेटोंके जरियेसे,

हरमजिस्ट्रेट जिला मजाजहै-कि किसी मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल को जिसने किसी मुकद्दमेकी समाअतकी हो यह अख्तियारदे-कि वहमुकद्दमे को तहक़ीकात या तजवीज के लिये अपने जिले के किसी और मजिस्ट्रेट मखसूसके पास मुन्तक़िलकरे जो इस मजमूये के मुताबिक मुल्जिम की तहक़ीकात या उसको तजवीज के लिये सिपुर्द करने का मजाजहो-और ऐसे मजिस्ट्रेटको अख्तियार है कि उसी मुताबिक मुक़द्दमा फैसल करै ॥

दफ़ा १९३—+बजुज़ उससूरत के कि इस मजमूयेमें या किसी और कानून नाफ़िजुलवक्तमें कोई और हुक्म सरीह इसके खिलाफ हो किसी अदालतसिशन को अख्तियार न होगा कि बतौर अदालत मजाजसमाअत इब्तिदाईके किसी जुर्म की समाअतकरे बजुजइसके कि शख्समुल्जिम किसी ऐसे मजिस्ट्रेटकी तरफसे सिपुर्द कियागया हो जो इस अम्रका अख्तियार हस्ब जाविता रखताहो ॥

समाअत जरायम अदालतहाय सिशन में,

×——×यह फ़िकरह दफ़ा १९१-का ऐक्ट ३-सन्१८८४ ई० की दफ़ा२-कीरूसे बढ़ायागया है——

+अपर ब्रह्माकी अदालतहाय सिशनके जाविते काररवाई के लिये कानून९-सन्१८८६ ई० के जमीमाकी दफ़ा ३- जिम्न (२) देखो-और दरबारह रिआयायबृटानिया अहलयूरुप के दफ़ा २२—ऐजनदेखो,

साहिबान ऐडीशनलसिशनजज और जायण्टसिशनजज सिर्फ़ उन मुक़द्दमातकी तजवीज करेंगे जो लोकल गवर्नमेण्ट बज़रिये हुक्मआम या खासके उन को तजवीजकरनेकी हिदायतकरे या जिनको क़िस्मतकासाहब सिशनजज तजवीजके लिये उनके सिपुर्द करे ॥

मुक़द्दमात जिनकी तजवीज बज़रियेऐडीशनलसिशनजज और जायण्टसिशनजजके होगी,

साहिबान असिस्टंट सिशनजज सिर्फ़ उनमुक़द्दमातकी तजवीज करेंगेजो क़िस्मतका सिशनजज बज़रिये अपने हुक्मआमया खासके उनकोसिपुर्दकरे ॥

बज़रियेअसिस्टंटसिशन जज के,

दफ़ा १९४—अदालत हाईकोर्ट मजाजहै कि किसी ऐसे जुर्म की समाअतकरे जो हस्ब तरीके मुफ़स्सिले ज़ैल उसको सिपुर्द किया गयाहो ॥

समाअत जरायम हाईकोर्ट के रूबरू,

इस दफ़ा की किसी इबारत से किसी सनदशाहीकी शरायत में खलल न आयेगा जो मुताबिक़ बाब १०४-ऐक्ट मुसद्दिरै सन् २४-व २५-जलूस मलकामुअज्जिमा विक्टोरिया के अताहुईहो॥

दफ़ा १९५—कोई अदालत समाअत न करेगी ॥

(अलिफ़)-ऐसे जुर्म की जो हस्बदफ़आत १७२-लगायत १८८-मजमूये ताजीरातहिन्द के काबिल सजा है इल्ला बमंजूरी माक़ब्ल याबरतबक़ इरजाअ नालिश मिन्जानिब उसमुलाजिम सर्कारी के जिससे सरोकारहो या किसी और मुलाजिम सर्कारी के जिसका वहमातहतहो ॥

ऐक्ट४५-सन्१८६०ई०, नालिश बइल्लत तौहीन अख्तियार जायज मुलाजिमानसर्कारीके,

(बे)-ऐसे जुर्म की जो मजमूये ताजीरातहिन्द की दफ़आत १९३-या १९४-या १९५-या १९६-या१९९ या२००-या२०५-या२०६-या२०७-या२०८-या२०९-या२१०-या२११-या२२८-केबमूजिब क़ाबिल सज़ाहो जब वह जुर्म किसी काररवाई अदालत में या बतअल्लुक़ उसके सरज़दहो इल्ला बमंजूरी या बरतबक़ इस्तग़ासे

नालिश बइल्लत बाज जरायम नकीज इन्साफ़ आमके,

उसी अदालत के या किसी और अदालत के जिसकी अदालत अव्वलुल् ज़िक्र मातहत हो ॥

(जीम) ऐसे जुर्मकी जिसकी तसरीह दफ़ा ४६३ में है-या
नालिश बइल्लतबाज जो काबिल सजा हस्ब दफ़ा ४७१-या ४७५-
जरायम मुतअल्लिक या ४७६-मजमूये मजकूर के है जब वहजुर्म
उनदस्तावेजातके जो किसी मुकदमे मरजूआ अदालतके किसी फरी-
सबूतमेंदीजायें,
क़की तरफसे निस्बत किसी दस्तावेजके सरजदहो जो उसकारर-वाई में बतौर शहादतके दाखिलहुई हो इल्ला बमंजूरी माकब्ल या बरतबक रुजूअइस्तगासा उसी अदालत या किसी और अदालत के जिसकी अदालत अव्वलुल्जिक्रमातहतहो ॥

जायजहै-किवहमंजूरी जो इसदफ़ामेंमजकूरहुई है अल्फाज आ-
कस्मको मंजूरी जिसको मुफ़स्सल जाहिरकीजाय-और जरूरनहीं है कि
जरूरतहै, उसमें शख्स मुल्जिमकानामलियाजाय म-गरउसमें हत्तुल्इमकान तखसीस उस अदालत या और मुकामकी कीजायगी जहां जुर्म सरजद हुआथा और नीज उसके सरजद होनेकी नौबतकी ॥

जबमंजूरी निस्बत इरजाअनालिश बाबत किसीजुर्मसुतजक्किरे दफ़ाहाजा के दीजाय तो वहअदालत जो मुकद्दमेकी समाअतकेमजाजहोगी कि किसी और जुर्मकी फर्दकरारदाद मुरत्तिबकरे जिसका सरजदहोना वाकिआतसे पायाजाता हो ॥

हरमंजूरी या उसका इन्कार जो इसदफा के बमूजिब वकूअमें आये उसके मन्सूख करनेका उस हाकिमको अख्तियार है जिसके मातहत हाकिम मंजूरी दिहन्दा या इन्कारकुनिन्दाहो--और कोई मंजूरी उस तारीखसे जबमंजूरी अताहो६-छःमहीनेसेजियादहअरसे तक बहाल न रहेगी ॥

वास्ते अगराज इसदफ़ाके हरअदालत बजुज अदालतमतालिबा खफीफा उसअदालतकी मातहत तसव्वरकीजायगी जिसमेंमामूल नअपीलबनाराजी डिकरीअदालत अव्वलुल्जिक्रदायरहोताहो॥

बलादप्रेजीडन्सीमें अदालतहाय मतालिबाखफीफे हाईकोर्टकी मातहत समझीजायँगी--औरबाकीसबअदालतहायमुतालिबातख-फीफे उसकिस्मत सिशनकी अदालत सिशनकी मातहत समझी जायेंगी जिसके अन्दर कोई वैसी अदालत वाकैहो ॥

नालिश बइल्लत उन जरायमके जो सल्तनतसे तअल्लुक हों,

दफ़ा १९६-*कोई अदालत किसी ऐसेजुर्मकी समाअतनकरेगी जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्द के छठे बाबमें मुकर्ररहुई है बजुज दफ़ा १२७—बाब मजकूर के या जिसकी सजा मजमूये मजकूरकी दफा २९४-(अलिफ) में मुकर्रर हुई है इल्ला बरतबक

ऐक्ट ४५-सन् १८६० ई०,

रुजूअ ऐसी नालिश के जो बमूजिब हुक्म या अजरूय अख्तियार मुफव्विजा जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब इजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेंट या किसी और ओहदेदार के जिसको जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब-इजलास कौंसलने उसअम्रका अख्तियारदियाहो दायरकीगईहो ॥

हजों और सर्कारी मुलाजिमोंपर नालिशें,

दफ़ा १९७—जब किसी जज या और ओहदेदार सर्कारी पर जो बिला मंजूरी गवर्नमेंटहिन्द या लोकलगवर्नमेंट अपनेओहदे से बरखास्त नहीं होसक्ता है उसकी जजी या मुलाजिमी सर्कारी की हैसियतसे किसी जुर्म के करने का इल्जाम लगायाजाय तो किसी अदालत को इल्जाम मजकूर की समाअत का मन्सब न होगा इल्ला बमंजूरी माकब्ल उसगवर्नमेण्टके जोउसकी बरखास्तगीका अख्तियाररखती है या बमंजूरी किसी और ओहदेदार के जिसको गवर्नमेंटने उस अम्रका अख्तियार दियाहो या बमंजूरी किसीअदालत याओरहाकिम के जिसका वह जज या ओहदेदार सर्कारी मातहत हो और जिसका अख्तियार मंजूरी देने की बाबत लोकल गवर्नमेण्ट ने महदूद न कियाहो ॥

---

*दरखसूस जरायम मुतअल्लिक सल्तनत औरझूठीगवाही अजतरफउसशख्सके जिसकोअपरब्रह्मामें मुआफीकी उम्मेददीगईहै-देखो कानून७सन्१८८६ई० केजमीमा की दफा १० मगर रिआयाय बृटानियाअहलयूरुपसेबारेमें देखो दफा२९—ऐक्ट,

गवर्नमेंटकाअख्तियार दरखसूस नालिश के,

गवर्नमेण्ट मजकूर इसबातकी तजवीजकरने की मजाजहै-कि किसशख्स की मारफ़त और किसतौरपरऐसी नालिशबनामजजया मुलाजिम सर्कारीमजकूर के अमलमें आयेगी और उसअदालतकी तखसीसकरसक्तीहैजिसके रूबरू मुकद्दमा तजवीज कियाजायगा ॥

नालिशबइल्लतनुकजमु आहिदाओरअजालहहै खियतउरफीओर जरायम मुतअल्लिकइजदवाजके,

दफ़ा १९८—कोईअदालत किसी ऐसे जुर्मकी समाअतनकरेगी जो मजमूये ताजीरातहिंदके बाब १९-याबाब २१-यादफ़आत ४९३-लगायत ४९६-मजमूये मजकूर में दाखिलहो इल्लाबरबिनायनालिश किसी शख्सके जिसे उसजुर्मसे रंजपहुंचाहो॥

नालिशबइल्लतजिना याफुसलालेजानेकिसी ओरतमनकूहाके,

दफ़ा १९९--कोईअदालत किसीऐसेजुर्मकी समाअत न करेगी जो मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफ़ा ४९७-या दफ़ा ४९८-मेंदाखिलहोइल्लाबरबिनायनालिश अजतरफ़ शौहर और तकेया दरसूरत गैरहाजिरी शौहरके अजतरफ़ उसशख्सके जो बरवक्त सरजदहोने जुर्मके उसकीतरफ़से और त मजकूरकी खबरगीरी करताथा ॥

बाब--१६ ॥

बाबत इस्तगासे बहुजूरमजिस्ट्रेट ॥

मुस्तगीसकाइजहार,

दफ़ा २००--जबमजिस्ट्रेट किसीमुकद्दमेकी बरतबक इस्तगासा समाअतकरे उसको लाजिमहै कि फौरनइजहार मुस्तगीसका बजरिये हलफ़या इकरारसालहके ले-और वह इज़हारज़ब्त तहरीरमें-आयेगा और उसपर मुस्तगीस और नीजमाजिस्ट्रेटके दस्तखत सब्तकियेजायँगे ॥

मगरशर्त्त यहहै कि--

(अलिफ)-जब इस्तगासा तहरीरी हो तो मजमूये हाजाकी किसीइबारतसे यह न समझाजायगा कि मजिस्ट्रेट कब्ल मुन्तकिलकरने मुकद्दमे हस्ब दफ़ा १९२-के मुस्तगीसका इजहारले।

(बे)-- जब मजिस्ट्रेट मजकूर किसीप्रेजीडन्सीका मजिस्ट्रेटहो तोजायजहै कि ऐसा इजहार अजरूय हलफके या बिलाहलफ

लियाजाय जैसा मजिस्ट्रेट मज़कूर हरमुकद्दमेमें मुनासिबसमझे और इज़हारको तहरीरमें लाना ज़रूरनहीं है-मगर मजिस्ट्रेटको अख्तियारहै कि अगर मुनासिबसमझे क़ब्ल इसकेकि मरातिब इस्तगासा उसके रूबरू पेशहों उन मरातिब के तहरीर किये जाने का हुक्मदे॥

(जीम)-जबऐसामुकद्दमा दफ़ा १९२-केमुताबिक मुन्तकिल कियागयाहो औरमजिस्ट्रेट मुन्तकिलकुनिन्दाने पहलेसेमुस्तगीसका इजहारलेलियाहो तो उसमजिस्ट्रेटकेलिये जिसकेपास वह मुन्तकिल कियागयाहो जरूरनहीं है कि मुस्तगीसका इजहार मुकर्रर ले॥

दफ़ा २०१--अगर इस्तगासा मज़कूर तहरीरन दाखिलहुआहो औरमजिस्ट्रेटइस्तगासेकीसमाअतकरनेका मजाज नहोतोउसकोचाहियेकिइस्तगासेको इसगरजसेमयइबारत जोहरीइसअम्रकेवापस करे किवह अदालत मुनासिबके रूबरू पेश कियाजाय॥

जाबिताकाररवाईम जिस्ट्रेटका जोसमाअतमुकद्दमाका अख्तियार न रखताहो,

दफ़ा२०२-अगरचीफमजिस्ट्रेटप्रेजीडन्सी या किसीऔरमजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सीको जिसकोलोकलगवर्नमेण्टवक्तनफ़वक्तन इस अम्रका अख्तियार दे या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल या दर्जे दोमको किसी जुर्म के इस्तग़ासे की सिदाक़तकी निस्बत जिसके समाअत करनेका वहमजाज़हो एतबार न करनेकी वजह मालूमहो तो उसको अख्तियार है कि जब मुस्तगीस का इज़हार होजाय तो वजूह अदम एतबार सिदाक़त इस्तग़ासे की क़लम्बन्दकरे और मुस्तग़ासअलेह के जबरन हाज़िर कराये जाने के लिये हुक्मनामेका इजरामुलतवीरक्खे-और मुक़द्दमेकी तहक़ीक़ातमें खुद मसरूफ़ हो-या हिदायत करे कि सबसे पहले तफ्तीश मौक़ाबग़रज़ दरियाफ्त सिदाक़त या अदम सिदाक़त इस्तग़ासे के मारफ़त किसी ओहदेदार के जो मातहत ऐसे मजिस्ट्रेटकाहो या मारफ़त किसी अफसर पुलिस के या मारफ़त किसी और शख्सके

इजरायहुक्मनामाकाइल्तवा,

जिसे वह मुनासिब समझे और जो मजिस्ट्रेट या अफ्सर पुलिस न हो अमलमें आये ॥

अगर वह तफ्तीश किसी ऐसे शख्स की मारफ़त अमल में आये जो न मजिस्ट्रेटहो न ओहदेदार पुलिस-तो शख्स मज़कूर वह तमाम अख्तियारात अमलमें लायेगा जो इसमजमूये की रूसे अफ्सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन को अताहुये हैं-इल्ला उसको अख्तियार बिलावारंट गिरफ्तार करने का हासिल न होगा ॥

यह दफ़ा बलाद कलकत्ता और बम्बई की पुलिस से मुतअल्लिक़ है ॥

इस्तग़ासा का डिसमिसहोना,

दफ़ा २०३-वह मजिस्ट्रेट जिसकेरूबरू इस्तग़ासा कियाजाय या जिसको इस्तग़ासा सिपुर्दकियाजाय मजाज़ है--कि अगर बादलेने इज़हार मुस्तग़ीसके और ग़ौरकरने ऊपर नतीजे तफ्तीश मुक्तज़िया दफ़ा २०२-के (अगर कोई हुईहो) उसके नज़दीक कोई वजह काफ़ी पैरवी मुक़द्दमे की न हो तो इस्तग़ासे को डिसमिस करदे ॥

बाब-१७ ॥

बाबत शुरूअ कारखाई रूबरू मजिस्ट्रेट ॥

दफ़ा २०४--अगर बदानिस्त मजिस्ट्रेट समाअत कुनिन्दह मुक़द्दमा के कारखाई करने की वजह काफ़ी हो और मुक़द्दमा उस क़िस्मका नज़र आये जिसमें हस्ब हिदायत खाने ४ ज़मीमे २ के पहले पहल सम्मन जारीहोना चाहिये तो उसे लाज़िम है कि अपना सम्मन जारीकरे और अगर मुक़द्दमा उस क़िस्मका मालूमहो कि बमूजिब हिदायत मुन्दर्जे खाने मज़कूर के पहले पहल वारंट जारीहोना चाहिये तो वह मजाज़होगा कि अपना वारंट या अगर मुनासिब समझे अपना सम्मन इसग़रज़से जारी करे कि शख्स मज़कूर उसमजिस्ट्रेट के रूबरू या किसी और मजिस्ट्रेट के रूबरू जो मजाज़समाअत हो एक वक्त मुअय्यन पर हाज़िर हो या हाज़िर कियाजाय ॥

कोई इबारत दफ़ाहाज़ाकी मुख़ल अहकाम दफ़ा ६० न समझी जायगी ॥

दफ़ा २०५--जब कभी मजिस्ट्रेट सम्मन जारीकरे उसको अख़्तियार है कि अगर उसके नज़दीक वजह काफ़ी हो मुल्ज़िमको असालतन् हाज़िरहोनेसे मुआफ़ रक्खे और मारफ़त वकील के हाज़िर होने की इजाज़त दे ॥

मजिस्ट्रेट मुल्ज़िमको असालतन्हाज़िर होने से मुआफ़रखसक्ताहै,

मगर ऐसा मजिस्ट्रेट जो मुक़द्दमेकी तहक़ीक़ात या तजवीज़ में मसरूफ़हो मजाज़ है--कि बमूजिब अपने सवाबदीद के कार रवाई की किसी नौबत पर मुल्ज़िम के असालतन् हाज़िर होने की हिदायतकरे--और अगर ज़रूरतहो उसको हस्बतरीक़े मुतज़क़िरै सदर जबरन् हाज़िरकराये ॥

बाब—१८ ॥

बाबत तहक़ीक़ात मुतअल्लिके उनमुक़द्दमात के जो अदालतहाय सिशन या हाईकोर्ट की तजवीज़ के लायक हैं ॥

दफ़ा २०६--हर मजिस्ट्रेटप्रेजीडन्सी और मजिस्ट्रेट ज़िला और मजिस्ट्रेट हिस्सा ज़िला या×मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल और वह मजिस्ट्रेट जिसको लोकलगवर्नमेण्ट से इसबाब में अख़्तियार दियागयाहो मजाज़है--कि किसी शख़्सको अदालतसिशन या हाईकोर्टमें बइल्लत किसी-जुर्मके जो उस अदालतकी तजवीज़ के लायक़हो तजवीज़ के लिये सिपुर्दकरे ॥

तजवीज़मुक़द्दमे केलिये सिपुर्दकरनेका अख़्तियार,

लेकिन बजुज़ उसके जिसकेलिये मजमूयेहाज़ामें और तौर का हुक्महुआ है कोई शख़्स जो लायक़ तजवीज़ अदालतसिशन हो तजवीज़ मुकद्दमे के लिये हाईकोर्टको सिपुर्द न कियाजायगा ॥

दफ़ा २०७--जो मुक़द्दमा सिर्फ़ अदालत सिशन या अदालत

× यह लफ़्ज़बजरिये ऐक्टनम्बर १२-मुसद्दिरै सन् १८९१ ई० केदाख़िलकीगई,

जाबिताउनतहक़ीक़ातमें जोक़ाबिलसिपुर्दगीकेहों,

हाईकोर्टसे तजवीज़ होने के लायकहो या मजिस्ट्रेट की दानिस्त में अदालतमज़कूर की तजवीज़के लायक हो उसकी तहक़ीक़ातमें जो मजिस्ट्रेट के रूबरूहोती है ज़ाबिता मुफ़स्सिलेज़ैल मरई रक्खा जायगा॥

लेना सुबूतकाजो पेश कियाजाय,

दफ़ा २०८—जब शख्स मुल्ज़िम मजिस्ट्रेट के रूबरू हाज़िर हो या हाजिरकियाजाय मजिस्ट्रेटकोलाज़िम है—कि मुस्तग़ीसका बयान सुने (अगर कोई मुस्तग़ीसहो) और हस्ब तरीक़े मुसर्रहः आयन्दा वह तमाम सुबूत जो बताईद इस्तग़ासे या मिन्जानिब शख्स मुल्ज़िम के पेश कियाजाय या जिसक़दर मजिस्ट्रेट तलब करे-ले॥

हुक्मनामा वास्तेपेश करनेसुबूत मज़ीदके,

अगर मुस्तग़ीस या अहल्कार पैरोकार इस्तग़ासा या शख्स मुल्ज़िम मजिस्ट्रेट से यह दरख्वास्त करे कि हुक्मनामा वास्ते जबरन् हाज़िर करने किसी गवाह या हाज़िर कियेजाने किसी दस्तावेज़ या दीगर शैकेजारी कियाजाय तो मजिस्ट्रेटको चाहिये कि उसमज़मूनका हुक्मनामा जारीकरे-इल्ला उसहालतमें कि बाअस किसी वजूहके जो तहरीर कीजायेंगी वह उसका जारीकरना ग़ैरज़रूरी समझे॥

इस दफ़ाकी किसी इबारतसे यह न समझाजायगा कि किसी मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सीको भी अपनी वजूह क़लम्बन्द करनीज़रूरहैं॥

कब शख्समुल्ज़िमकी रिहाई होगी,

दफ़ा २०९-जबवह सुबूत जिसकाज़िक्र दफ़ै २०८-के फ़िक़रात १व२-में हुआ है लेलियाजाय-और मजिस्ट्रेट मुल्ज़िम का इज़हार जिसमें मुल्ज़िमको उन हालात और वाक़िआतके साफ़करने का मौका मिलाहो जो शहादतमें उसके मुख़ालिफ़ नज़र आतेहों लेचुके—तो ऐसे मजिस्ट्रेट को लाज़िम है कि अगर उसकी दानिस्तमें शख्स मुल्ज़िमको तजवीज़ मुक़द्दमेके लिये सिपुर्दकरनेकी वजूहकाफ़ी नहों तो उसको रिहाई दे-इल्ला उससूरतमें कि मजिस्ट्रेट मौसूफ़को दरियाफ्तहो कि शख्स मज़कूरके मुक़द्दमे की तजवीज़ खुद उसीके रूबरू या किसी

और मजिस्ट्रेट के रूबरू होनी चाहिये-कि उस सूरतमें वह उसीके मुताबिक़ अमल करेगा ॥

कोई इबारत इसदफ़ाकी मानः इसअम्रकी न समझीजायगी कि मजिस्ट्रेट किसी मुल्ज़िमको मुक़द्दमे की किसी नौबत माक़ब्लपर रिहाकरे बशर्ते कि उन वजूहसे जिन्हें मजिस्ट्रेट मज़कूरको क़लम्बन्द करना चाहियें मजिस्ट्रेट इल्ज़ाम मज़कूर को वेबुनियाद समझे ॥

दफ़ा २१०—जब ऐसे सुबूत के लेने और ऐसा इज़हार लिये जाने के बाद (अगर कोई इज़हार हो) मजिस्ट्रेट को मालूमहो कि शख्स मुल्ज़िमको तजवीज़ के लिये सिपुर्द करने की वजूह काफ़ीहैं तो उसको लाज़िमहै—कि अपने हाथसे एकफ़र्द क़रारदाद जुर्म लिखे—और यह ज़ाहिर करे कि मुल्जिम पर कौनसा जुर्म लगाया गयाहै ॥

कब फ़र्दक़रारदादजुर्म तैयारहोगी,

बफ़ौर क़लम्बन्द होने फ़र्द क़रारदाद जुर्म के वह फ़र्द शख्स मुल्जिम के रूबरू पढ़ी और उसको समझाई जायगी-और उसकी एकनक़ल अगर शख्स मुल्जिम दरख्वास्तकरे बिलालेने किसी रसूमके दीजायगी ॥

फ़र्दमुल्जिमको समझाईजायगी और नकल मुल्जिमको दीजायगी,

दफ़ा २११---शख्स मुल्ज़िमको हिदायत कीजायगी कि उसी वक्त फ़ेहरिस्त उन अशखासकी (अगर कुछहों) जिनको वह तजवीजके वक्त शहादत देने के लिये तलब कराना चाहता हो तक़रीरन् या तहरीरन् दाखिलकरे ॥

सफ़ाईके गवाहोंकी फ़ेहरिस्ततजवीजके वक्त,

मजिस्ट्रेट मजाज है--कि हस्ब इक्तिज़ायराय अपने शख्स मुल्ज़िमको किसीवक्त माबादपर अपने गवाहों की फेहरिस्त मजीद दाखिल करने की इजाज़त दे-और जब मुल्जिम हाईकोर्टमें तजवीज मुकद्दमे के लिये सिपुर्द हुआहो कोई इबारत इसदफ़ाकी माने इस अम्रकी न समझी जायगी कि शख्स

फ़ेहरिस्त मजीद,

मुल्ज़िम किसी वक्त माक़ब्ल शुरूअ होने उसके मुकद्दमेकी तज-वीज रूबरू हाईकोर्टके एक फेहरिस्त मज़ीद उन अशखास की जिनको वह तज़वीज मजकूरके वक्त शहादत देनेके लिये तलब कराना चाहता हो क्लार्कशाही को हवालेकरे ॥

मजिस्ट्रेटका अख्तियार दरबारह लेने इजहार वैसे गवाहों के,

दफ़ा २१२ – मजिस्ट्रेट मजाज है-कि हस्ब इक्तिजाय राय अपने किसी गवाह को जिसकानाम ऐसी फ़ेहरिस्त में मुंदर्ज हो जो दफा २११-के बमूजिब दाखिल हुई हो तलब करके उसका इजहारले ॥

हुक्म सिपुर्दगी,

दफा २१३—अगर शख्स मुल्जिम बाद इसके कि उससे फेहरिस्त गवाहान हस्ब एहकाम दफा २११-तलबहुईहो उसको दाखिल न करे- या बाद दाखिल होने ऐसी-फहरिस्त के और बादतलबहोने और दफा २१२-के बमूजिबकल म्बंद होने इजहारात उन गवाहोंके (अगर कुछहों) जो फेहरिस्त में मुन्दर्ज हों और जिनका इजहारलेना मजिस्ट्रेट को मंजूर हो मजिस्ट्रेट इसहुक्म के इसदारकामजाज होगा-कि शख्स मुल्जिम हाईकोर्ट या अदालत सिशनमें (जैसी सूरतहो) तजवीजमुकद्दमे के लिये सिपुर्द कियाजाय-और (सिवाय उससूरतके कि मजि-स्ट्रेट प्रेजीडंसी का मजिस्ट्रेट हो) उसके सिपुर्द करने की वजूह व इबारत मुख्तसिर लिखैगा ॥

वह शख्सपर प्रेजीडंसी शहरोंके बाहरर अय्यतबृटानियाअहलयूरुपकेशामिल इल्जामलगायाजाय,

दफा २१४—अगर किसी शख्स पर जो रअय्यत बृटानिया अहलयूरुप न हो सिवाय मजिस्ट्रेटप्रेजीडं-सीके किसीऔरमजिस्ट्रेटकेरूबरूयहइल्जाम लगायाजाय कि वह किसी जुर्मका मुर्त्तकिब बशिराक़त किसी रअय्यत बृटानिया अहल यूरुपके हुआ है जोनइल्लत उसीकिसमके जुर्म के हाईकोर्टके रूबरू सिपुर्द होनेवाला है या जिसके मुकद्दमेकी तजवीज बरबिनाय किसी इल्जामके जो उस मुआमिले से पैदा होताहो हाईकोर्ट में होनेवाली है-और मजिस्ट्रेटके नजदीक शख्स मुल्जिममज-

कूर को उसके सिपुर्द होनेकी वजूह काफी पाई जायें–तो मजि-
स्ट्रेट मजकूर को लाजिम है –कि उसको वास्ते तजवीज मुकद्दमे
के रूबरू हाईकोर्ट न रूबरू अदालत सिशनके सिपुर्द करे॥

दफ़ा २१५–जब कोई सिपुर्दगी मारफत किसी मजिस्ट्रेट म-
जाज़के दफ़ा २१३-या दफ़ा २१४–के मुता-
बिक एक मर्तबा होले तो वह सिर्फ हाईकोर्ट
के हुक्मसे मुस्तरद होसक्ती है–और सिर्फ-
बराबिनाय अम्र क़ानूनीके॥

सिपुर्दगी तहत दफा २१३-या २१४-का मुस्तरद होना,

दफ़ा २१६—जब शख्स मुल्ज़िम ने फेहरिस्त अपने गवाहों
की हस्बहुक्मदफा२११-दाखिलकीहो और व-
ह तजवीज मुकद्दमेके लिये दूसरीअदालतमें
सिपुर्द कियागयाहो तोमजिस्ट्रेटको लाजिम
है-कि उनगवाहान मुन्दर्जे फेहरिस्त को जो उसके रूबरू हाजिर न
कियेगयेहों तलबकरे--ताकि वह उसअदालतमें हाजिरहों जिसमें
शख्समुल्जिम सिपुर्दकियागया हो॥

सफाईके गवाहोंकोतलबकरना जबकि मुल्जिमसिपुर्दकियाजाय,

मगर शर्त्त यह है--कि अगर शख्स मुल्जिम हाईकोर्टमें सिपुर्द
हुआहो तो मजिस्ट्रेट को अख्तियारहै--कि अगर मुनासिबसमझे
गवाहान मजकूर की तलबी क्लार्कशाही पर छोड़दे-चुनांचे वह
गवाह उसी सबीलसे तलबहोसकेंगे॥

और यहभीशर्त्त है-कि अगरमजिस्ट्रेटकीदानिस्तमें किसीगवा-
हका नाम सिर्फवास्ते ईजारसानी याअय्या-
म गुजारी या वास्ते जवाल अगराजमादि-
लतके फेहरिस्तमें दर्ज कियागयाहोतोमजि-
स्ट्रेटमजकूरशख्समुल्जिमको हुक्मदेसक्ता है
कि वह हस्ब इतमीनान अदालत साबितकरे कि गवाह मजकूर के
मुकद्दमेमें जरूरी होनेकी वजूहमाकूल मौजूदहैं -और अगर उसको
इसका इतमीनान न हो तो मजिस्ट्रेट मजाज़होगा कि गवाह मज-
कूरको तलब न करे (मगर न तलबकरने की वजह लिखदे) या
उसके तलब करने से पहले उसकदर मबलिगके जमाकरने की

गैरजरूरीगवाहकेतलबकरनेसे इन्कारकरना इल्लाजबकि रुपया अमानतकरदिया जाय,

हिदायतकरे जो वास्ते अदायखर्च हाजिरकराने गवाह मजकूर के जरूरी मालूमहो ॥

दफा २१७--अशखास मुस्तगीस और गवाहान मुद्दई और मुद्दआअलेह को जिनका अदालत सिशन या अदालत हाईकोर्टमें हाजिरहोना जरूरहो और जो मजिस्ट्रेटके रूबरू हाजिरआयें-लाजिम है-कि अपने २ मुचलिके बइकरार हाजिरहोने इन्दुल्तलब रूबरू अदालत सिशन या हाईकोर्टके वास्ते पैरवी मुकद्दमा या अदाय शहादतके जैसी सूरत हो मजिस्ट्रेटके रूबरू तहरीरकरें ॥

मुस्तगीसों औरगवाहों के मुचलिके,

अगर कोई मुस्तगीस या गवाह अदालत सिशन या अदालत हाईकोर्टमें हाजिरहोने से या मुचलिका मुतजक्किरे बालाके लिखने से इन्कारकरे तो मजिस्ट्रेट मजाज़है-कि जबतक वह ऐसा मुचलिका न लिखे या जबतक कि उसका अदालत सिशन या हाईकोर्ट में हाजिर होना जरूरहो कि (उसवक्त मजिस्ट्रेट उसको हिरासतमें करके अदालत सिशन या हाईकोर्ट में जैसी कि सूरतहो भेजदेगा) उसको नजरबंद रक्खे ॥

हिरासतमेंरखनाजबकि हाजिरहोने या मुचलिका देनेसे इन्कारकियाजाय,

दफा २१८--जब शख्समुल्जिम तजवीज के लिये सिपुर्दकिया जाय साहब मजिस्ट्रेटको लाजिम है-कि हुक्म मशअर इत्तिलाअ सिपुर्दगी और सराहत जुर्म के उन्हीं अल्फ़ाज के साथ जो फर्दक़रारदाद जुर्म में मुन्दर्ज हों उस शख्स के नाम सादिरकरे जो उस गरज से लोकलगवर्नमेंट की तरफ़ से मुक़र्रर हुआहो-इल्ला उस सूरत में कि मजिस्ट्रेट को इतमीनानहो कि शख्स मजकूर अम्र सिपुर्दगी औरक़रारदादजुर्म के अल्फ़ाज से पहले वाकिफ होचुका है ॥

सिपुर्दगी की इत्तिला कब दीजायगी,

और मजिस्ट्रेट मौसूफ़ फर्द क़रारदाद जुर्म और तहक़ीक़ात की मिसलको मै किसी हथियार या और शैमन्कूलाके जोसुबूतमें दाखिलहोनेवालीहो अदालत सिशन में भेजदेगा-या जबसिपुर्दगीहाई-

फर्द क़रारदाद जुर्म वगैरह हाईकोर्ट या अदालत सिशन में भेजदे

या जायेगा, कोर्टमेंहुईहो तोपासक्लार्कशाही या दूसरेओहदेदारके जोहाईकोर्टसे उसकामकेलिये मुकर्ररहुआहोमुरसिलकरेगा॥

जब कि सिपुर्दगी हाईकोर्ट को कीजाय और कोई हिस्सा मि-
अंगरेजीतर्जुमा हाई सलका अंगरेजी जवानमें नहो तो लाज़िम है
कोर्टमें भेजदियाजायगा, कि उस हिस्से का अंगरेजी तर्जुमा मिसलके साथ रवाना कियाजाय॥

दफ़ा २१९-मजिस्ट्रेट को अख्तियारहै-किबादसिपुर्दगी मुक़-
गवाहान मज़ीदके त- द्दमाऔर क़ब्लशुरूअहोनेतजवीज़केकुछऔर
लब करनेका अख्तियार, गवाहान मजीद को तलब करके उनका इज-हारले और हस्ब तरीक़े मुसर्रहबाला उनसे मुचलिका बइक़रार हाजिरी अदालत और अदाय शहादत के लिखवाले॥

जहांतक मुमकिनहो ऐसा इज़हार शख्स मुल्जिम के रूबरू लियाजायेगा--और अगर मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी का मजिस्ट्रेट नहो तो ऐसे गवाहके इजहारकी एक नकल शख्स मुल्जिम को अगर वह दरख्वास्तकरे बिलाअख्ज रसूमदीजायेगी॥

दफ़ा२२०-तावकूअ तजवीज औरदौरान तजवीजमें मजिस्ट्रेटको
दौरान तजवीज में लाजिमहोगा कि बपाबंदी अहकाम इस मज-
मुल्जिमकोहिरासतमें मूये के दरबाबलेने जमानतके अपने वारंट के
रखना, जरिये से शख्समुल्जिम को हिरासत में नजर-बन्द रक्खे॥

बाब-१९॥

बाबत फ़र्द करारदाद जुर्म के॥

नमूना हाय फ़र्द करारदाद जुर्म॥

दफ़ा २२१-हरफ़र्द क़रारदाद जुर्ममें जो इसमजमूये के मुता-
फ़र्द करारदाद जुर्ममें बिक़हो वहजुर्मलिखाजायगाजिसकाइल्जाम
जुर्म लिखाजायगा, शख्स मुल्जिमपर लगाया जाय॥

अगर उस कानूनमें जिसकी रूसे कोईजुर्म करार पाया हो
जुर्मकानामनाम उसका कोई खासनाम मुक़र्ररहुआहो तो जा-

बयानकाफीहोगा, यजहै कि फर्द करारदाद जुर्म में वहजुर्म सिर्फ उसी नामसे बयान कियाजाय ॥

जबजुर्मकाकोईखास नाम नहोतो क्योंकर बयानहोगा,

अगर उसकानून में जिसकीरूसे कोई जुर्म करार पायाहो उस का कोईखासनाम मुकर्रर न होतो जरूर है कि फर्द करारदाद जुर्म में उस जुर्म की उस कदर तारीफ दर्ज कीजाय कि मुल्जिम उन मरातिबसेमुत्तिलअहोजाय जिनकाइल्ज़ाम उसपरलगायागया है ॥

कानून और कानूनकी दफा जिसकी खिलाफ वर्जी से जुर्म करारदादहका वकूअमें आना जाहिर कियागयाहो फर्दकरारदाद जुर्म में जाहिरकीजायेगी ॥

फर्दकरारदादजुर्मसेक नायतन्क्यामफहूम होगा,

फर्द करारदाद जुर्मका मुरत्तिब करना बमंजिलै इस बयान के है कि हर शर्त क़ानूनी जो वास्ते क़ायम करने उसजुर्म के कानूनन्जरूरी हो जिसका इल्ज़ाम लगायागया इस खासमुक़द्दमे में पूरीकीगई ॥

फर्दकरारदाद जुर्म किस ज़बानमें होगी,

बलाद प्रेजीडन्सीमें फर्दक़रारदाद जुर्म बज़बान अंग्रेजी लिखी जायगी- और और जगह फ़र्द मज़कूरख्वाह बज़बान अंग्रेज़ी ख्वाह अदालत की ज़बान में तहरीर पायेगी ॥

कवसज़ायाबी साबिक कीतसरीह कीजायगी,

अगर शख्स मुल्ज़िम किसी जुर्म साबिक़ में माखूज होकर सज़ायाब हुआहो और उस सजायाबी साबिक का साबित करना इस वजहसे मंजूरहोकि उसका असर उससज़ापर पहुँचे जो अदालत देनेकी मजाज़ है- तो सज़ायाबी साबिक़ का हाल बक़ैद तारीख़ और मुक़ाम फ़र्द क़रारदाद जुर्ममें दर्ज करना चाहिये-अगर यह हाल उससे मतरूक होजाय तो हुक्मसज़ा सुनाने से पहिले किसी वक्त उसका दर्ज करना अदालत को जायज़है ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़)--फर्दक़रारदाद जुर्ममें जैदकी निस्बतबकरके क़तलअमद्का इल्ज़ाम लगायागया-यह बमंजिलै इसबयानके है कि

जैदका फ़ेल तारीफ़ क़तलअमद मुन्दर्जे दफ़आत २९९-व३००-ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०, मजमूये ताजीरातहिन्दमें दाख़िल है-औरजो मुस्तस्नियात आम्मह उसमजमूये में मुन्दर्ज हैं उनमेंसे किसीमें दाख़िल नहींहै-और जो पांच मुस्तस्नियात दफ़ा ३००-के जैलमें हैं उनमें भी दाख़िल नहीं है-या यह कि अगर वह मुस्तस्ना अव्वल में दाख़िल है तो उस मुस्तस्नाकी जो तीन शरायत हैं उनमें से कोई एकशर्त्त उससे मुतअल्लिक़ है॥

(बे)-जैद की निस्बत फ़र्द क़रारदादजुर्ममें हस्ब दफ़ा ३२६-मजमूये ताजीरातहिन्द के यह इल्ज़ाम लगायागया कि उसने उमरूको किसी गोली चलाने के आले के ज़रिये से बिल्इरादे ज़ररशदीद पहुंचाया-यह बमंज़िले इस बयान के है कि यह मुक़द्दमा दफ़ा ३३५-मजमूये ताजीरातहिन्द में दाख़िल नहीं है-और मुस्तस्नियात आम्मह उससे इलाक़ा नहींरखतीं॥

(जीम)--जैदपर क़तलअमद या दग़ा या सिरक़े या इस्तहसाल बिल्जब्र या ज़िना या तख़वीफ़मुजरिमाना या झूठे निशान मिल्कियतके इस्तैमाल में लानेका इल्ज़ाम लगाया गया-पस फ़र्द क़रारदादजुर्म में यह मुन्दर्ज होसक्ता है-कि ज़ैदने क़तल अमद या दग़ा या सिरक़ा या इस्तहसाल बिल्जब्र या ज़िना या तख़वीफ़ मुजरिमाने का इर्त्तिकाब किया--या कि वह मिल्कियत के झूठे निशान को इस्तैमाल में लाया-और ज़रूर नहीं है कि इन जरायम की तारीफ़ातपर जो मजमूये ताजीरात हिन्द में मरक़ूम हैं हवाले कियाजाय-लेकिन उन दफ़आत का हवाला जिनके मुताबिक़ जुर्म क़ाबिल सज़ा है हरसूरत में फ़र्द क़रारदाद जुर्मके अन्दर लिखना चाहिये॥

(दाल)-जैदपर हस्बदफ़ा १८४-मजमूये ताजीरातहिन्द के इसबातका इल्ज़ाम लगायागया-कि उसने अमदन् मालके नीलाममें जो एक सर्कारी मुलाज़िम के अख़्तियार जायज़की रूसे नीलामपर चढ़ायागयाथा मज़ाहिमतकी पस-फ़र्दक़रारदाद जुर्म में यही इबारत लिखीजायेगी॥

दफ़ा २२२–फ़र्दक़रारदाद जुर्ममें उसक़दर तफ़्सीलात बाबत वक्त और मौक़े इर्त्तिकाब जुर्म क़रारदादहके मै नाम उस शख़्सके अगर कोई हो या उस शैके (अगरकुछहो) मुन्दर्जहोंगी जिसके मुक़ाबिलेमें या जिसकीनिस्बत जुर्मवक़ूअमें आयाहो जो बतौर माकूल मुल्ज़िम को इसबात से मुत्तिलाअकरने के लिये काफ़ीहों कि उस पर किस अम्रका इल्ज़ाम लगायागयाहै ॥

तफ़सील बाबत वक्त और मौक़ा और शख़्सके,

दफ़ा २२३—जबमुक़द्दमाइसक़िस्मकाहो कि मरातिबमुन्दर्जै दफ़आत २२१—व २२२-से शख़्स मुल्जिमको बख़ूबी यहअम्र न मालूम होसके कि उसपर किस अम्रका इल्ज़ामहै-तो लाजिमहै-कि जिस तौरपर इर्त्तिकाब जुर्म मुबैयनाका कियागयाहो उसकी बाबत वह हालात भी फ़र्द क़रारदाद जुर्म में दर्ज कियेजायँ जो उसग़रज़के वास्ते काफ़ी हों ॥

कबइर्तिकाबजुर्मके तौर का बयान करना ज़रूर है,

तमसीलात ॥

(अलिफ़)–जैदपर एकखासवक्त और मुक़ामपर एक खासशैके सिरक़ाकरनेका इल्ज़ामलगाया गया-तो फ़र्द क़रारदाद जुर्ममेंयह लिखाजाना ज़रूर नहीं है कि किसतौरपर सिरक़ा कियागया ॥

(बे)–जैदपर यह इल्ज़ाम लगायागया-कि उसने एकखास वक्त और मुक़ामपर बकरको दग़ादी-तोजरूर है कि फ़र्द क़रारदाद जुर्ममें यह लिखाजाय कि जैदने किस तौरपर बकरको दग़ादी ॥

(जीम)–जैदपर यह इल्जाम लगायागया-कि उसने फ़लां वक्त औरफ़लांमुक़ामपर झूठीगवाहीदी-तोजरूरहै कि फ़र्दक़रारदाद जुर्म में जैदकी गवाहीका वह जुज्व लिखाजाय जिसका झूठहोना बयान किया गया है ॥

(दाल)–जैदपर यहइल्जाम लगायागया-कि उसने खालिद एक सर्कारी मुलाजिमको उसके मन्सबीकारहाय सर्कारी के इन्सराम में फलांवक्त औरफलां मुकामपर मजाहिमतपहुंचाई-तोजरूर है किफ़र्दक़रारदाद जुर्ममें यहलिखाजाय कि जैदने खालिदकोउस

केकारहाय मन्सबीके इन्सरामसें किसनेहजपरसजाहिमतपहुंचाई॥

(हे)--जैदपर यह इल्जाम लगायागया-कि उसने फलां वक्त और मुकामपर खालिद्को अमदन् कतलकिया-तो जरूरनहींहै कि फर्द क़रारदाद जुर्म में यहभी लिखा जाय कि जैदने किसतौरपर खालिदको क़तल किया ॥

(वाव)--जैदपर यहइल्जाम लगायागया-कि उसने इस नियत से हुक्म क़ानूनकी नाफ़र्मानीकी कि बकर सजासे बचजाय-पस फ़र्द क़रारदाद जुर्म में वह नाफ़र्मानी दर्ज की जायगी जिसका इल्जामहै-और नीज वह कानून जिससे खिलाफ़ वर्जी हुईहो ॥

फ़र्दक़रारदाद जुर्म के अल्फ़ाज के मानी उसकानूनकेमानियोंके मुवाफ़िक़ समझे जायँगे जिसकी रूसे वह जुर्म लायक़ सज़ा हो,

दफ़ा २२४--हरफ़र्दक़रारदाद् जुर्ममें जो अल्फाजजुर्मके बयान करने में मुस्तैमिलहों उनसे यहसमझाजायेग कि वह उन मानियों के साथ मुस्तैमिलहुये हैं जो उस क़ानून में जिसके बमूजिब जुर्म मज़कूर लायक़ सजाहो उनकेलिये मुक़र्रर किये गये हैं ॥

ग़लतियों का असर,

दफ़ा २२५—जुर्म के बयान या उन मरातिब के बयान में जिनका फ़र्दक़रारदाद जुर्म में दर्ज कियाजाना जरूर है गलतीका वाक़ैहोना और जुर्म और नीज़ मरातिब मजकूर के बयान में फ़रोगुजाश्त होना किसी नौबत मुक़द्दमे में मुक़ुम अहम मुतसव्विर न होगा-इल्ला उस हालत में कि मुल्जिमको फ़िल्वाक़ै उस गलती या फरोगुजाश्त से मुगालताहुआहो ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़)--जैदपरहस्ब दफ़ा २४२-मजमूये ताजीरात हिंदके ऐक्ट ४५-सन् १८६०ई०, यह इल्जाम लगाया गया कि उसने ऐसा सिका मुल्तबिस अपने पास रक्खा जिसको कब्जेमें लाते वक्तवह जानताथा कि यह सिका मुल्तबिसहै-और फ़र्दकरारदाद जुर्म में अल्फ़ाज "फ़रेबसे" फरोगुजाश्त होगये-तो जिस हालमें यहबात न पाईजाय कि जैदको इस फरोगुजाश्त से फ़िल्वाक़ै मुगालता

हुआ वह ग़लती मवस्सर नफ्स मुकद्दमा मुतसव्विर न होगी॥

(बे)–जैद पर यह इल्ज़ाम लगायागया-कि उसने बकरको दग़ादी-और जिसतौरपर कि उसने बकर को दग़ादी वह फर्दकरारदाद जुर्ममें नहींलिखा या ग़लतलिखागया जैद ने जवाबदिही की- और गवाह हाजिरकिये और उस मुआमलेकाहाल जो उसको बयान करनाथा बयान किया-पस अदालत इससे यह मुस्तंबित करसक्ती है-कि दग़ादेनेके तौर का बयान न होना एक फरोगुजाश्तमवस्सर नफ्स मुकद्दमानहीं है॥

(जीम)--जैदपर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने बकर को दग़ादी-और जिस तौर पर कि उसने बकर को दग़ादी वहफर्दकरारदाद जुर्म में बयान नहींकिया गया-और फीमाबैन जैद और बकरके अक्सर मुआमलात हुयेथे-और जैदको कोई जरिया इस बातके मालूम करने का नहीं मिला कि वह इल्ज़ाम उन मुआमलातमेंसे किसकी बाबत है-पस उसने कुछ जवाबदिही न की-तो इनवाक़िआत से अदालत यह मुस्तंबित करसक्ती है-कि दग़ादेने के तौर का न बयान होना इस मुकद्दमे में एकगल्ती मवस्सर नफ्स मुकद्दमा है॥

(दाल)--जैदपर यह इल्ज़ाम लगायागया-कि उसने जनवरी सन् १८८२ ई० की २१-तारीख को खुदाबख्श को अमदन् कतल किया-और वाके में शख्समकतूलका नाम हैदरबख्श था-और कतलकी तारीख २०-जनवरी सन् १८८२ ई० थी-जैदपर सिवाय एक इल्ज़ामके और कभी कतल अमदका इल्ज़ाम नहीं लगायागया था-और जो तहकीकात किमजिस्ट्रेटके रूबरूहुई उसको उसने सुना-और वह सिर्फ हैदरबख्श के मुकद्दमे से मुतअल्लिक है पस इन वाकिआत से अदालत यह इस्तम्बातकरसक्ती है कि जैद को मुगालता नहीं हुआ-और फर्दकरारदाद जुर्म की गल्ती मवस्सर नफ्सुमुकद्दमा नहीं है॥

(हे)–जैद पर यह इल्ज़ाम लगाया गया-कि उसने जनवरी सन् १८८२ ई० की २०--तारीख को हैदरबख्शको अमदन्कतल

किया-और २१--जनवरीसन् १८८२ ई० को खुदाबख्शको जो उस कत्लअमद की इल्लत में उसको गिरफ्तार करनेकी कोशिश करता था अमदन् कत्लकिया जब उसपर कत्ल हैदरबख्श का इल्जाम लगायागया उसके मुकदमेकी तजवीज बइल्लत कत्ल अमद खुदाबख्श के की गई-और जो गवाह उसकी सफाईके हाजिर किये गये वह गवाह हैदरबख्श के मुकदमे के थे-इस सूरतमें अदालत यहबात मुस्तम्बित करसक्तीहै कि जैद को मुगालताहुआ और यह कि यह गलती मवस्सर नफ्ससुकदमाहै॥

जाबिना सिपुर्द होनेपर बिदून फर्द करारदादजुर्म केयाबजरिये नाकिसफर्दकरारदादजुर्म के,

दफा २२६——अगर कोई शख्स बिदून किसी फर्द करारदाद जुर्म के या बजरिये नाकिस या गलत फर्द करारदाद जुर्मके तजवीज मुकदमे के लिये सिपुर्द कियाजाय-तो अदालत याजब हाईकोर्टको सिपुर्दगी अमल में आई हो तो क्लार्कशाहीको जायजहै-कि बलिहाज कवाअद मुन्दर्जै मजमूये हाजा दरबारे नमूने फर्द करारदाद जुर्मके फर्द करारदाद जुर्म मुरत्तिबकरे-या उसमें इजाफा करे-या और नेहजपर उसमें तरमीम करे-यानी जैसी कि सूरतहो॥

फर्दकरारदादजुर्मकोअदालततब्दील करसक्ती है,

दफा २२७——हर अदालत मजाजहै कि किसी फर्दकरारदाद जुर्मको किसीवक्तकब्ल सुनानेतजवीजके या अगर जुर्मकी तजवीज रूबरूअदालत सिशन या हाईकोर्टके हो तो किसीवक्त माकब्ल मालूम होने रायअहाली जूरी या जाहिर होने रायअसेसरोंके तब्दीलकरदे॥

ऐसी हरएक तब्दील शख्स मुल्जिमके रूबरूपढ़ी और उसको समझा दीजायेगी॥

कबबादतब्दील केतज बीज फौरन् अमलमेंआसक्तीहै,

दफा २२८—अगर फर्द करारदाद जुर्म जो बमूजिब दफा २२६-या दफा २२७-के मुरत्तिब या तब्दील की गईहो ऐसीहोकि फौरन् तजवीज मुकदमेमेंमसरूफहोनेसे अदालतकेनजदीकगालिबनमुद्दालेहकीजवाबदिहीमें यामुस्तगीसकीपैरवीमुकदमामें फितूरवाके

न होगा तो यह बात ब अख्तियार अदालत है कि फर्द करारदाद जुर्म के मुरत्तिब होने या उसमें तब्दील करने के बाद मुकद्दमे की तजवीज में उसीतरह मसरूफ हो कि गोया फ़र्दजदीद या तब्दील शुदह असल फ़र्द करारदाद जुर्मथी ॥

दफ़ा २२९----अगर फ़र्द करारदाद जदीद या तब्दील शुदह ऐसी होकि फौरन्तजवीजमुकद्दमेमें मसरूफ़ होनेसेअदालतकेनजदीकगालिबनमुलजिम या मुस्तगीसकी हक़तलफ़ीहस्बतरीकैमुतज-क्किरैसदरहोगीतो उस अदालतको अख्तियारहै-कि तजवीजजदीद होनेका हुक्मदे-या तजवीज मुकद्दमा उस मीआदतक मुल्तवी रक्खे जो जरूरीहो ॥

कवतजवीजजदीदका हुक्म दियाजासक्ताहैयातजवीजमुल्तवी रहसक्तीहै,

दफ़ा २३०——-अगर जुर्म मुन्दर्जै फर्द जदीद या तब्दील शुदह ऐसा हो कि उसकी बाबत नालिश करने के लिये पेश्तरसे मंजूरी तलबकरनी जरूर हो-तो मुकद्दमे की कार्रवाई ताहुसूल मंजूरी मुल्तवी रहेगी-इल्ला उस हालमें कि इस्तगाअ नालिशके लिये उन्हीं वाकिआतकी बुनियाद पर मंजूरीहासिल होगईहो जिनपर फ़र्द जदीद या तब्दीलशुदह मबनीहो ॥

मुकद्दमाकामुल्तवी रहना अगरतब्दीलशुदहफर्द करारदादजुर्म में उस जुर्म कीबाबतनालिशकरकेनेलिये पेश्तर मंजूरीदरकार हो,

दफ़ा २३१----जब कोई फ़र्द करारदाद जुर्म अदालत से बाद शुरूअहोने तजवीजके तब्दील की जाय तो मुस्तगीस और शख्स मुल्जिम को इजाजत दीजायगीकि मिन्जुमलै उन गवाहोंके जिनका इजहार होचुकाहो जिस गवाहको चाहे मुकर्रर तलब करे या मुकर्ररतलब कराके अम्र मुतबदला की बाबत उसका इजहारले ॥

गवाहोंको फिरतलबकरनाजबकि फर्द करारदाद जुर्मतब्दीलकीजाय,

दफ़ा २३२--अगर राय किसी अदालत अपील या अदालत हाईकोर्टकी वक्त इस्तेमाल अपने अख्तियारात निगरानी या अख्तियारात मुतअल्लिके बाब २७-के यह हो किजिस शख्सपर जुर्म क़रार दिया गया है उसको फिल्वाक़ै

संगीनगल्तीकीतासीर,

बवजह न होने फ़र्द क़रारदाद जुर्म के या बवजह ग़लती होने के फ़र्द क़रारदाद जुर्म में जवाबदिही में मुग़ालता हुआहै-तो उसको लाज़िम है-कि फ़र्द करारदाद जुर्म को जिसतरह मुनासिब समझे मुरत्तिबकरके उसीकी बुनियाद पर तजवीज जदीद अमल में आने का हुक्म दे ॥

अगर उस अदालत की राय में वाक़िआत मुक़द्दमा ऐसेहोंकि उनकी बिनायपर कोई इल्जाम सही शख्स मुल्जिमपर वाक़िआत मुसबिते परनजर करके आयद न होसक्ताहो तो वह अदालत हुक्म असबात जुर्मको फ़िस्ख करेगी ॥

तमसील ॥

जैदपर जुर्म मुतअल्लिकै दफ़ा १९६-मजमूये ताजीरातहिंद बर बिनाय ऐसी फ़र्दकरारदाद जुर्म के साबित करार दियागया जिस ऐक्ट ४५-सन् १८६० ई०, मेंयह लिखनाफ़रोगुजाश्तहुआथा-किज़ैदयह बात जानता था कि वह शहादत जिसको उसने बददियानती से बतौर शहादत सही व असली के मुस्तैमिल किया या मुस्तैमिल करने का कस्द किया झूठी और जाली थी-तोअगर अदालतको ज़न्नग़ालिब हो कि जैद ऐसा इल्म रखता था-और फ़र्द क़रारदाद जुर्म में इस बातका बयान फ़रोगुजाश्त होने से कि जैद ऐसा इल्म रखता था उसको अपनी जवाबदिही में मुग़ालता हुआ-तो अदालत मज़कूर यह हुक्म देगी कि फ़र्द करारदाद जुर्म तरमीम होकर तजवीज अजसरनौ अमल में आये-मगर जिस हालमें कि कार्रवाई मुक़द्दमे से यह करीन कयास हो कि जैद को ऐसा इल्म न था तो अदालत हुक्म असबात जुर्म को फ़िस्ख करेगी ॥

चन्दइल्जामातकाश मूल ॥

अलाहिदाः फर्द करार दाद जुर्म हरजुर्म जुदा गाना की बाबत,

२३३----लाज़िम है-कि हर जुर्म जुदागाना की बाबत जिसका किसी शख्सपर इल्जामलगायाजाय फ़र्द करारदाद जुर्म अलाहिदाहो—और ऐसे हर इल्जामकी तजवीज भी जुदागाना होनी

चाहिये बजुज़ उन सूरतों के जो दफआत २३४-व २३५-व २३६-व २३९-में मज़कूर हैं ॥

तमसील ॥

जैदपर एकवक्त सिरकाका और दूसरेवक्त जररशदीद पहुँचाने का इल्जाम लगायागया-तो चाहिये कि जैद की निस्बत सिरके की फर्द करारदाद जुर्म और तजवीज जुदाहो-और जररशदीद पहुँचाने की फर्द करारदाद जुर्म और तजवीज जुदाहो ॥

जब तीनजुर्म एकहीकिस्मके एकसालकेअन्दर वकूअमें आयें तो उनकाइल्जाम एकशामिलआयद कियाजायेगा,

दफा २३४-जब एक शख्स की निस्बत एकही किस्मके एक से जियादह इल्जामात लगाये जायँ जो जुर्म अव्वलसेलेकर जुर्मआखिरतक अर्से १२-बारह महीनेके अन्दर सरजदहुयेहों-तोजायजहै कि उसपर एकहीवक्तमें चन्द जरायमका इल्जाम जो३-तीनसेजियादह न हों आयद होकर सबकी एक तजवीज कीजाय ॥

ऐक्ट४५ सन्१८६०ई०,

जरायम उसवक्त एकही किस्मके हैं जब उनके लिये मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा वाहिद में या किसी और कानून खास या मुख्तसुल मौके में एकही तादाद की सजा मुकर्रर हो ॥

१-एकसेजियादाजुर्मों की बाबत तजवीज,

दफा २३५-(१)-अगर चन्द वाकिआत में जो बाहम ऐसा तअल्लुक रखते हैं कि वह एकही मुआमला हो गये हैं एकही शख्स से एकसे जियादह जरायम सरजद हों-तो जायजहै कि ऐसे हर जुर्मकी इल्लतमें शख्स मजकूरकी निस्बत तकमीलै फर्द करारदाद जुर्म और तजवीजका एकही साथहो ॥

२-वहजुर्म जोदोतारीफोंकेअन्दरआये,

(२)-अगर अफआलमुजहरै ऐसेजुर्मपर मुश्तमिलहों जोबमूजिब किसीकानून मजरिये वक्तके ऐसी दो या कई तारीफात जुदागानामेंदाखिलहों जिनमेंजरायमकी तारीफात या ताजीरात मरकूमहों--तो जिसशख्स से वह फेल सरजद हो जायज है कि एकही तजवीज के वक्त उसपर हर

जुर्म मिंजुमलै जरायम मजकूर लगायाजाय और हरएक की तजवीज कीजाये ॥

(३)-अगर चन्दअफ़आल जिनमेंसे एक या जियादह अफ़आल फ़रदन् फ़रदन् जुर्महों या जरायमहों मगर जिन का मजमूआ एक दूसराजुर्महो किसी शख्ससे सरजद हों-तो जायजहै कि शख्स मुल्जिमपर इल्जाम उसजुर्म का जो उनअफ़आल से मजमूअन् पैदाहोता हो या उसजुर्मका जो मिंजुम्लै उनअफ़आलके एक या चंदअफ़आल से पैदाहोताहो एकही मुकद्दमे में शामिल होकर उनकी एकवक्त तजवीज कीजाय ॥

८--वहअफ़आल जो एकजुर्म हों मगर उनका मजमूआदूसराजुर्महो,

कोई इबारतदफ़ा हाजाकी मजमूये ताजीरात हिन्दकीदफ़ा७१-ऐक्ट४५-सन्१८६०ई०, की मुखिल न होगी ॥

तमसीलात-मुतअल्लिकै फ़िकरैअव्वल ॥

(अलिफ़)-जैद एक शख्स खालिदको जो हिरासत जायजमेंथा छुड़ालेगया-और उसके छुड़ाने में एककानिस्टबिल वलीदको जिसकी हिरासतमें खालिदथा जैदने जररशदीदपहुंचाया-तो जायज है कि जैदकी निस्बतजरायममुसर्रहादफ़आत २२५-व ३३३-मजमूये ताजीरातहिंदकी बाबत फर्दकरारदाद जुर्म लिखीजाय और तजवीज कीजाय ॥

(बे)-जैदने जिनाकरने की नियतसे दिनकेवक्त एकमकानमें नकबजनीकी-और उस मकान में दाखिल होकर बकरकी जौजाके साथ जिना किया-तो जायजहै कि जैदकी निस्बत बाबत जरायम मुतअल्लिकै दफ़आत ४५४-व ४९७-मजमूये ताजीरातहिंद के जुदा २ अफ़राद् करारदाद जुर्म लिखी जायें और जुदा २ अहकाम इसबात जुर्म सादिर हों ॥

(जीम)-जैदहिंदाको जो खालिदकी जौजाहै खालिदके पाससे बईं इरादे फ़ुसला लेगया कि उसके साथ जिनाकरे--और दरहकीकत उसके साथ जिनाका मुर्तकिब हुआ-तो जायज है कि जैदकी निस्बत बाबत जरायम मुतअल्लिकै दफ़आत ४९८-व

४६१-मजमूये ताजीरातहिंदके जुदा २ अफराद करारदादजुर्म लिखीजायें और जुदा २ तजावीज इसबात जुर्म सादिरहों ॥

(दाल)--जैदके पास चंद मवाहीरहैं जिनकी बाबत वह जानताहै कि मुलतबिसहैं-और यह नियतरखताहै कि बगरज इर्त्तिकाबचन्द जालसाजियों के जिनकी सजाम जमूये ताजीरात हिंदकी दफ़ा ४६६-में मुकर्ररहै उनको इस्तैमाल में लाये-तो जायजहै कि बइल्लत कब्जेदारी हरएक मोहर हस्ब दफा ४७३--मजमूये ताजीरातहिंदके जैदकी निस्बत जुदा २ फ़र्द करारदाद जुर्म लिखी जाय और तजवीज इसबात जुर्म जुदा २ कीजाय ॥

(हे)--जैदने खालिदको नुक़सान पहुंचाने के इरादे से यह जानकर उसपर नालिश फौजदारी दायरकी-कि इनसाफ़न या क़ानूनन् उस नालिश की कोई वजह नहीं है--फिर उसी जैद ने खालिदपर एक जुर्म के इर्त्तिकाब का झूठा इल्ज़ाम लगाया यह जानकर कि ऐसे इल्ज़ाम लगाने की इंसाफन् या क़ानूनन कोई वजह नहीं है-तो जायजहै कि जैदपर बाबत दो जरायम मुसर्रहा दफा २११-मजमूये ताजीरातहिन्दके जुदा२ अफराद करारदाद जुर्म लिखी जायें और उनकी निस्बत तजवीज इसबात जुर्म कीजाय ॥

(वाव)--जैदने खालिदको नुक़सान पहुंचाने के इरादे से उस पर एक जुर्म के इर्त्तिकाब का झूठा इल्ज़ाम लगाया यह जानकर कि इन्साफ़न् या कानूनन् उस इल्ज़ामकी कोई वजह नहीं है-और तजवीजके वक्त जैदने खालिदकी निस्बत झूठी गवाही दी इस नियतसे कि खालिदपर ऐसा जुर्म साबित कियाजाय जिसकी सजा मौत है तो जायज़ है-कि ज़ैदकी निस्बत जरायम मुसर्रहा दफा २११--व दफा १९४--मजमूये ताजीरात हिन्दके जुदा २ अफराद करारदाद जुर्मलिखीजायें और जुदा २ तजावीज इसबात जुर्म कीजायें ॥

×(ज़)--जैदने और छः शख्सों के साथ जरायम बलवह और ज़ररशदीद और ऐसे सर्कारी मुलाजिमपर हमला करनेका इर्त्ति-

काब किया जो अपने कारमन्सबीके अंजाम देने में बलवह फर्ो करने का कस्दकरता था-तो जायजहै कि जैदकी निस्बत बाबत जरायम महकूमा दफा १४७--व ३२५--व १५२--मजमूये ताजी-रात हिन्दके जुदा २ अफराद करारदाद जुर्म लिखीजायें और जुदा २ तजावीज़ इसबात जुर्मकीजायें ॥

ऐक्ट४५ सन् १८६०ई०,

(हे)--जैदने एकही वक्तमें बकर और खालिद और उमरूको खौफदिलाने की नियतसे नुक्सान जिस्मानी पहुंचानेकी धमकी दी-तो जायजहै कि जैदकी निस्बत बाबत तीनों जरायम मुन्दर्जे दफा ५०६--मजमूये ताजीरात हिंदके जुदा २ अफराद करारदाद जुर्म लिखीजायें और जुदा २ तजावीज इसबात जुर्मकीजायें ॥

जायजहै कि तजवीज़ जुदागाना इल्जामातकी जो तमसीलात (अलिफ) लगायत (हे) में मुन्दर्जहैं एकहीवक्तमेंकीजाय ॥

तमसीलात मुतअल्लिकै फ़िक़रे २ ॥

(तो)--जैदने बेजातौरपर खालिदको एक बेत मारी तो जायज है कि जैदकी निस्बत बाबत जरायम मुसर्रहा दफा३५२-व ३२३-मजमूये ताजीरात हिंदके जुदा २ अफ़राद करारदाद जुर्म लिखी जायें और जुदा २ तजवीज सुबूत जुर्म कीजाय ॥

(ये)--अनाजके चंदमसरूका बोरे पोशीदा रखनेकी ग़रज़ से जैद और खालिदके हवाले कियेगये जिनको मालूम था कि यह माल मसरूकाहै-बादअजां जैद और खालिदने बिलअमद एक गल्लेके खत्तेकी तहमें उन बोरों के पोशीदा करने में एकदूसरे की मददकी-तो जायजहै कि जैद और खालिद की निस्बत बाबत जरायम दफआत ४११-व ४१४-मजमूये ताजीरात हिन्दके जुदा२ अफराद करारदाद जुर्म लिखीजायें और जुदा २ तजावीज सुबूत जुर्मकीजायें ॥

(काफ)—हिन्दैने अपने तिफ्लको वहीं इल्म छोड़ा कि इस फेलसे यह एहतमाल है कि वह उस तिफ्ल की हलाकत का बाअसहोगी-और तिफ्ल मजकूर बवजह ऐसेछोड़नेके मरगया-तो जायजहै कि हिन्दैकी निस्बतहस्बदफा ३१७व दफा ३०४-मजमु-

ये ताजिरात हिन्द के जुदा २ अफ़राद करारदाद जुर्म लिखीजायें और जुदा २ तजावीज सुबूत जुर्म कीजायें ॥

(लाम)-जैदने बददियानतीसे एक दस्तावेज जालीकोबतौर दस्तावेज असली के सुबूतके लिये मुस्तैमिल किया इसग़रज से कि खालिद एक मुलाजिम सर्कारपर जुर्म मुफस्सिलै दफ़ा १६७-मजमूये ताजीरात हिन्द साबिता कराये-तो जायजहै कि जैदपर बाबत जरायम मुफस्सिलै दफ़आत ४७१-(जो दफ़ा ४६६-के साथ पढ़ीजायेगी) और दफ़ा १९६ मजमूये ताजीरात हिंदके जुदा२ अफ़राद क़रारदाद जुर्म लिखीजायें और जुदा २ तजावीज इसबात जुर्म सादिरहों ॥

तमसील-मुतल्लिक़े फ़िक़रै ३ ॥

(मीम)--जैदने बकरपर सिरक़े बिलाजब्र का इर्तिकाब किया और उस इर्तिकाब के वक्त बिलइरादै बकर को जरर पहुंचाया-तो जायज है कि जैदकी निस्बत बाबत जरायम मुतअल्लिक़ै दफ़आत ३२३—व ३९२-व ३९४-मजमुये ताजीरातहिन्द के जुदा २ अफराद करारदाद जुर्म लिखी जायें-और जुदा २ तजावीज इसबात जुर्म की जायें ॥

जबकि मुश्तबह हो कि कौनसा जुर्म सरजद हुआहै,

दफ़ा २३६—अगर कोई फ़ेल वाहिद या अफ़आल का मजमूआ इस किस्मका हो कि उन वाकिआत से जो साबिता होसक्ते हैं यहबात मुश्तबहहै कि मिन्जुम्लै चंदजरायम के कौनसा जुर्म करार पायेगा तो जायज है कि शख्समुल्जिमकी निस्बतफर्द करारदाद जुर्ममें उन तमाम जरायम या उनमें से किसी जुर्म के इर्तिकाबका इल्जाम लगायाजाय-और ऐसे इल्जामातकी किसी तादादकीतजवीजें मुअन् होसक्ती हैं-या जरायम मजकूरैमें से किसी एकजुर्मका इल्जाम अलस्सबीलुलबदालियत उसके जिम्मे कायम होसक्ता है॥

तमसील ॥

जैदपर ऐसे फ़ेल के इर्तिकाव का इल्जाम लगाया गया जो दरजे जुर्म सिरक़े या जुर्म इस्तहसाल मालमसरूका या खयानत

मुजरिमाना या दगाकोपहुंचसक्ता है-तो जायज है कि उसपर इल्जाम जरायम सिरका और हुसूलमालमसरूका और खयानत मुजरिमाना और दगाका फर्द करारदाद जुर्ममें लगाया जायया उसपर इल्जाम लगाया जाय-कि वह सिरका या हुसूलमालमसरूका या खयानत मुजरिमाना या दगाका मुर्तकिब हुआ है ॥

दफा २३७—अगर सूरत मुतजक्किरै दफा २३६ में सिर्फ एक जुर्म का इल्जाम मुल्जिम पर फर्द करारदाद जुर्ममेंलगाया जाय औरशहादतसे यहपाया जाय कि उसने किसी और जुर्मका इर्तिकाब कियाहै जिसकी इल्लतमें हस्ब अहकामदफा मजकूर उसकी निस्बत फर्द करारदाद जुर्म लिखी जा सक्ती थी-तो जायज है कि उसके जिम्मे वही जुर्म साबित करार दियाजाय जिसका इर्तिकाब करना उसपर साबित होगो वह इल्जाम फर्द करारदाद जुर्म में दर्ज न हुआहो ॥

(जब कि किसी शख्सपर एकजुर्म का इल्जामलगायाजाय तो उसकोदूसरे जुर्मकामुजरिमठहराया जासक्ताहै,)

तमसील ॥

जैदपर फर्द करारदाद जुर्म में सिरके का इल्जाम लगाया गया-और मालूमहुआ कि उस से जुर्म खयानत मुजरिमाना या जुर्म इस्तहसाल माल मसरूका जहूर में आया है तो जायज है कि उसपर जुर्म खयानत मुजरिमाना या जुर्म इस्तहसाल माल मसरूका (जैसा मौकाहो) साबित करार दियाजायगोफर्दकरारदाद जुर्म में उसपर जुर्म मजकूर का इल्जाम न लगाया गयाहो ॥

दफा २३८ जब किसी शख्स पर फर्द करारदाद जुर्म में ऐसे जुर्म का इल्जाम लगायाजाय जो चंदमुख्तलिफअजजा का मजमूआहो और उनमें से सिर्फ चन्द अजजा बिलइश्तमाल एकजुर्मसगीरा मुकम्मिलकी हद्दतक पहुंचते हों और ऐसा इश्तमालसाबितहो लेकिन बाकी अजजासाबित न हों-तो जायजहै किजुर्म सगीरा उसपर साबित करार दियाजाय गो फर्द करारदाद जुर्ममें उसपर उसजुर्मका इल्जाम न लगाया गयाहो ॥

(जब कि वह जुर्मजो साबितहुआहैउसजुर्म में शामिलहो जिसका इल्जामलगाया गयाहै,)

जब किसी शख्स की निस्बत जिसपर फर्द करारदाद जुर्म में कोई जुर्म करारदिया गयाहो ऐसे हालात साबित हों कि जिनसे जुर्म मजकूर बकदर एक जुर्म खफीफ के होजाय-तो जायज है कि नामबुरदाकी निस्बत जुर्मखफीफ साबित करार दियाजायगो उसकीनिस्बत फर्दकरारदाद जुर्ममें वहजुर्मकरार न दियागयाहो॥

किसी इबारत मुन्दर्जै दफा हाजासे यह तसव्वरकरना लाजिम नहीं है कि तजवीज सुबूत किसी जुर्म मुसर्रहा दफा १६८ या दफा १९९ की उसहालत में जायज होगीजब कोई इस्तगासा हस्बुल हुक्म उसदफाके न कियागयाहो ॥

तमसीलात॥

(अलिफ) जैदपर मजमूये ताजीरात हिन्दकी दफा ४०७ ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई०). के मुताबिकइल्जाम खयानत मुजरिमानाका किसी जायदाद की बाबत फर्द करारदाद जुर्म में लगायागया जिसका जैदको बहैसियतमाल पहुंचानेवाले के सिपुर्द होना फर्द मजकूरमें करार दिया गयाथा यह मुतहक्किक होता है कि मालकी निस्बत जैदने दफा ४०६ के मुताबिक खयानत मुजरिमाना की—मगर वह माल बहैसियत रसानन्दै मालके उसको सिपुर्द नहीं किया गया था तो जायज है कि उसकी निस्बत तजवीज सुबूत जुर्म खयानत मुजरिमाना हस्ब मुराददफा ४०६ के कीजाय ॥

(बे)—जैदकी निस्बत मजमूये ताजीरातहिंदकी दफा३२५के ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई०) बमूजिब इल्जाम जररशदीद पहुंचानेकाफर्द करारदादजुर्ममें कायम कियागया नाम बुरदाने यह साबितकिया किसख्त व नागहानी इश्तआल तबाहोने पर उसने अमल किया जायज है कि नामबुरदाकी निस्बत तजवीजसुबूत जुर्म हस्बदफा ३३५ मजमूये ताजीरातहिन्दकीजाय ॥

दफा २३६--जब एकसे जियादह अशखासपर जुर्म वाहिद या किनरशख्सोंपरविला जरायममुख्तलिफकाजिनका इर्तिकाबमुआम रुसतर कइल्जामलगाया लैनाहिदमेंहुआहोइल्जाम लगायाजाययाजब

जासक्ताहै, एकशख्सपरइल्ज़ाम इर्त्तिकाब किसी जुर्मका और दूसरे पर अआनत या इक़दाम जुर्म मज़कूर का इल्ज़ाम लगायाजाय तो जायज़है कि ऐसेजरायमकी बाबत फर्दक़रारदाद जुर्म और तजवीज़ मुक़द्दमा शामिलात में होयाजुदा २ (जैसाअदालतको मुनासिबमालूमहो) औरअहकाम मुंदर्जे जुज़्वअव्वल बाबहाजा जुमलै ऐसे इल्ज़ामातसे मुतअल्लिक़ समझे जायेंगे ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ)– जैद औरबकरपरएकही क़तलअमदकाइल्ज़ाम लगायागयातो जायज़है कि क़तलअमदकी इल्लतमेंज़ैदऔरबकर कीफर्द क़रारदादजुर्म औरतजवीज़ मुक़द्दमायकशामिलहो ॥

(बे)–ज़ैद और बकरपर सिरक़ै बिलजब्रका इल्ज़ामलगाया गया जिसके अस्ना में ज़ैदनेक़तलअमदका इर्त्तिकाब कियाजिससे बकरको कुछ तअल्लुक़ नहींहै-तो जायज़है कि बरबिनायएकही फर्दक़रारदाद जुर्मकेजिसमें दोनोंपर सिरक़ैकाइल्ज़ाम औरसिर्फ जैदपर क़तलअमदका इल्ज़ाम लगायागयाहो दोनोंकी तजवीज मुक़द्दमायकशामिलहो ॥

(जीम)--जैद और बकरदोनोंपर एक सिरक़ा का इल्ज़ाम लगायागया और बकरपर और दोसिरक़ोंका इल्ज़ाम क़ायमहुआ है जो उसी वारदातके अस्ना में उससे सरज़दहुये थे जायज़ है किएकही फर्द क़रारदाद जुर्मकी बिनायपर एकही साथज़ैद और खालिद दोनोंके मुक़द्दमाकी तजवीज़ कीजाय इस तरहपर कि एकसिरक़ैकाइल्ज़ामदोनोंपरहोऔरबाक़ीदो सिरक़ोंकासिर्फबकरपर॥

दफ़ा २४०-जबएकसे ज़ियादह इल्ज़ाम एकहीशख्सपर क़ायम किये जायँ और जब तजवीज़ इसबात जुर्म किसी एक या चन्दजरायमकी बुनियादपर की ज़ायतो शख्स मुस्तगीस या ओहदेदार पैरोकारजानिब सर्कारमजाज़ है कि अदालत की इजाज़तलेकर बाक़ी इल्ज़ाम या इल्ज़ामातसे दस्तबरदारहो—या खुदअदालत को अख्तियार है कि इल्ज़ाम या इल्ज़ामात बाक़ी

चन्दइल्ज़ामोंमेंसे एक इल्ज़ामपरमुजरिमठहरने पर बाकी इल्ज़ामोंसे दस्तबरदार होना,

मुन्दाकी निस्बत तहक़ीक़ात या तजवीज़ मुल्तवीकरदे- चुनांचे ऐसीदस्तबरदारी यहअसर रक्खेगी कि गोया शख्स मुल्ज़िम ऐसे इल्ज़ामया इल्ज़ामात से बरीकियागया बजुज़ उस सूरतके कि तजवीज़ इसबात जुर्मकी मन्सूखकीजाय कि उस सूरतमें अदालतमज़कूर (बइतबाअ हुक्मअदालत मन्सूखकुनिन्दा हुक्म इस बात जुर्म) मजाज़होगी कि उसइल्ज़ाम या इल्ज़ामातकी तहक़ीक़ात या तजवीज़ में मसरूफ हो ज़िनसे दस्तबरदारी हुई थी ॥

बाब–२०

तजवीज मुक़द्दमात क़ाबिलइजराय सम्मन मारफ़तसाहबान मजिस्ट्रेट ॥

दफ़ा २४१–मुक़द्दमात क़ाबिलइजराय सम्मनकी तजवीज़में साहबान मजिस्ट्रेट जाबिते मुफ़स्सिलै ज़ैल अमलमें लायेंगे ॥

मुक़द्दमात क़ाबिल इजरायसम्मनमेंजाबिता,

दफ़ा २४२--जब शख्स मुल्ज़िम मजिस्ट्रेट के हुज़ूर हाज़िर हो या हाज़िर कियाजाय तो तफ़सील उसजुर्म की जिसका इल्ज़ाम उसपर लगायागया है उसको सुनादी जायेगी-और उससे इस्तिफ्सार कियाजायेगा कि इसबातकी वजह ज़ाहिरकरे कि वह क्यों जुर्म मजकूरका मुजरिम न ठहराया जाय-लेकिन कोई बाजाबिता फर्द करारदाद जुर्म मुरत्तिब करनी जरूर न होगी ॥

इल्जामका मजमून बयान करदियाजायेगा,

दफ़ा २४३--अगर शख्स मुल्ज़िम उसजुर्मके इर्तिकाबका इ- करारकरे जो उसपर लगायाजाय तो उसका इकबाल हत्तुल्मक़दूर उन्हीं अल्फाजमें लिखा जायगा जो उसके मुँहसेनिकलें-और अगर वह इसबातकी वजह काफ़ी न ज़ाहिरकरसके कि उसकी निस्बत तज़वीज सुबूत जुर्म क्यों न कीजाय तो मजिस्ट्रेट उसकी निस्बत तजवीज सुबूत जुर्म मुताबिक उसके करेगा ॥

इल्जामके सहीहोने के अक़बालपरसुबूतजुर्म,

दफ़ा २४४--अगर शख्स मुल्ज़िम ऐसा इक़बाल न करे तो म- जिस्ट्रेटको लाज़िमहै-कि इजहार मुस्तगीस

जाबिता जबकि कोई

वेस्नाइकवालन कियाजाय, का (अगर कोईहो) ले और तमाम वजह सुबूत जो बताईद नालिश पेशकीजाय शामिल मिस्लकरे-और मुस्तगास अलेहका भी बयान समाअतकरे-और जो कुछ सुबूत बताईद उसकी जैवाबदिही के गुजरे उसको लेले ॥

मजिस्ट्रेट मजाज़ है-कि अगर मुनासिब समझे बरवक्त दर्ख्वास्त किसी मुस्तगीस या मुल्जिमके हुक्मनामा वास्ते जबरन् हाजिर कराने किसी गवाह या पेश कराने किसी दस्तावेज़ या दीगर शैके जारीकरे ॥

मजिस्ट्रेट मजाजहै कि कब्ल तलबकरने किसीगवाहके बरतबक ऐसी दर्ख्वास्तके यह हुक्म सादिरकरे कि मसारिफ माकूलगवाह के जो मुकद्दमेकी अगराज़के लिये कचहरी में हाजिरहोने से उसके आयदहोतहों अदालतमें जमा करायेजायें ॥

दफ़ा २४५--अगर मजिस्ट्रेट बाद लेने सुबूत मुतज़क्किरे

बराअत, दफ़ा २४४--और उससुबूत मजीदके (अगर कुछहो) जो उसने अपनी तहरीकखाससे पेशकरायाहो और बाद करने सवाल व जवाबसाथ शख्स मुल्जिम के (अगर मजिस्ट्रेटको ऐसामंज़ूरहो) शख्स मुल्जिमको बेगुनाह समझे तो उसको लाजिमहै-कि उसकी बराअतका हुक्म तहरीर करे ॥

अगर मजिस्ट्रेट मजकूर शख्स मुल्ज़िमको मुजरिम करारदे तो

हुक्म सज़ा, उसको लाजिमहै कि उसकी निस्बत हुक्म सज़ा मुताबिक कानून के सादिरकरे ॥

दफ़ा २४६—मजिस्ट्रेट मजाज है-कि दफ़ा २४३—या दफ़ा

तजवीज-नालिशयासम्मनके वाअससे महदूद नहींहोगी, २४५-के मुताबिक़ शख्स मुल्जिम को ऐसे जुर्म का मुर्तकिब करारदे जिसकी तजवीज़ इसबाब के बमूजिब होती है और जिसका उससे सरज़द होना वाक़िआत मुसल्लमा या मुसबिता की रूसे साबितहो गो नालिश या सम्मन में कुछ और मजमून हो ॥

दफ़ा २४७-अगर सम्मन बरतबक़ नालिश के जारी हुआ

मुस्तगीसका न हाजिर हो और उस तारीख को जो वास्ते हाजिरी

होना, शख्स मुल्जिम के मुक़र्रर हुई हो या किसी और तारीख माबादको जिसपर मुक़द्दमे की समाअ़त मुल्तवीकी गई हो-मुस्तग़ीस हाजिर न हो-तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि बावस्फ़ किसी मजमून के जो ऊपर मरकूम है शख्स मुल्ज़िमको बरीकरदे-इल्ला उससूरतमें कि किसीवजहसे मजिस्ट्रेटको मुक़द्दमे का किसी और तारीखपर मुल्तवी करना मुनासिब मालूम हो ॥

दफ़ा २४८—अगर किसीमुक़द्दमे में जिसमें इसबाबके मुताबिक़ अमलहो शख्स मुस्तगीस हुक्म अखीर के सादिर होने से पहिले किसी वक्त मजिस्ट्रेट को इसबातसे मुतमय्यन करदे कि उसको नालिश से दस्तकश होनेकी इजाज़त देनेकी वजूह काफी हैं-तो मजिस्ट्रेट मजाज है-कि उसको दस्तकश होनेकी इजाज़तदे- और उसीवक्त शख्स मुल्जिमको बरीकरे ॥

इस्तग़ासे से दस्तकश होना,

दफ़ा २४९—हरमुक़द्दमे में जो बजुज़ बरबिनाय नालिशनहीं बल्कि और तौरपर रुजूअहुआ हो मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या बमंजूरी मजिस्ट्रेट जिला हर दीगर मजिस्ट्रेट मजाज़ है-कि बमूजिब उन वजूहातके जिनको उसे कलम्बंद करना चाहिये हरमुक़द्दमे में जो बिलानालिशके किसी और तौरसे रुजूअ हुआहो काररवाइयों को किसी नौबतपर बिलासुनाने तजवीज़ मशअ़र बरअत मुद्दआअ़लेह ख्वाह इसबातजुर्म के मुल्तवीकरदे और उसके बाद शख्स मुल्ज़िमको रिहाईदे + ॥

काररवाईकेमौक़ूफकरने का अख्तियार जब कि मुस्तगीसनहो,

बाब—२१ ॥

तजवीज मुक़द्दमात काबिल इजराय वारंट बहुज़ूरमजिस्ट्रेट ॥

दफ़ा २५१—मुक़द्दमात काबिल इजराय वारंट की तजवीज में साहबान मजिस्ट्रेट को चाहिये कि जाबिता मुफस्सिलै ज़ैलपर अमल करें ॥

ज़ाबिता मुक़द्दमातका बिल इजराय वारंट में,

+दफ़ा २५० बज़रिये ऐक्ट४-मुसद्दिरैसन् १८९१ ई० की दफ़ा१ के मंसूखकीगई,

दफ़ा २५२--जब शख्स मुल्जिम किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू

मुबूतनालिशकीबाबत, हाजिरहो या हाजिर कियाजाय तो मजिस्ट्रेट मजकूर को लाजिम है-कि बयान शख्स मुस्तगीस का अगरकोई होसुने-और तमाम वजह सुबूत को जो बताईद नालिश पेशकी जाय शामिल मिस्ल करे॥

मजिस्ट्रेट को लाजिम है-कि मुस्तगीस से या किसी औरतौर पर नाम उन अशखास के दरियाफ्त करे जो ग़ालिबन् हालात मुकद्दमे से वाक़िफ हों-और मुद्दई की तरफ से शहादत देसक्तेहों-और उनमें से उसकदर अशखास को जो जरूरी मालूम होंअपने रूबरू शहादत देनेके लिये तलब करे॥

दफा २५३—अगर बाद लेने तमाम वजह सुबूतके जिसका

मुल्जिम की रिहाई, हवाला दफा २५२—में हुआ है और बाद लेने उस कदर इजहार शख्स मुल्जिमके (अगर कुछ लियाजाय) जो मजिस्ट्रेट को जरूरी मालूम हो मजिस्ट्रेट की दानिस्त में किसी ऐसे मुकद्दमे का सुबूत जिस्मे शख्स मुल्जिमके न पाया जाय कि बसूरत उसकी अदमतरदीद के मुल्जिम की निस्बत तजवीज सुबूत जुर्म जायजहोतीतो मजिस्ट्रेट उसकोरिहाकरेगा॥

कोई इबारत दफा हाजा माने इस्की न समझीजायगी कि मजिस्ट्रेट शख्स मुल्जिम को मुकद्दमा की किसी नौबत साबिक पर रिहाकरे अगर बमूजिब उन वजूह के जिन्हें मजिस्ट्रेट को लिखना चाहिये मजिस्ट्रेट की यह रायहो कि इल्जाम बेबुनियादहै॥

दफा २५४—अगर उसवक्त जबकि ऐसी वजह सुबूत और इज-

फर्द करारदाद जुर्मका मुरत्तिबकरना जबकिजुर्म का साबित होनामालूम होता हो,

हार लियागया हो मजिस्ट्रेट की यहराय करारपाये-कि यह कयास करनेकी वजह मौजूद है कि शख्स मुल्जिम ऐसे जुर्मका मुर्तकिब हुआ है जिसकी तजवीज इसबाब के मुताबिक होसक्ती है और जिसको मजिस्ट्रेट मजकूर तजवीज करने का मजाज है और जिसके बदले मजिस्ट्रेट मौसूफ़ अपनी दानिस्त में सजाय कामिल आयद करसक्ता है तो उसको चाहिये कि

एक फर्द करारदाद जुर्म मुल्जिम की निस्बत कलम्बन्द करे ॥

दफा २५५–तब फर्द करारदाद जुर्म शख्स मुल्जिम के रूबरू पढ़ीजायगी और उसको समझाई जायगी और मुल्जिम से पूंछा जायगा कि तुम मुजरिम हो या कुछ जवाब दिही करनाचाहते हो ॥

इकबाल जुर्म,

अगर शख्स मुल्जिम अपनी निस्बत मुजरिम होना कबूल करे तो साहब मजिस्ट्रेट उसका इकबाल कलम्बंद करेगा-और अगर मुनासिब समझे हस्ब इक्तिजाय रायअपनी बरबिनाय उस के इकबाल के उसको मुजरिम ठहरायेगा ॥

दफा २५६--अगर शख्स मुल्जिम जवाब देने से इन्कार करे या जवाब न दे या यह दावाकरे कि उसकी निस्बत तजवीज कीजाय तो उसको हिदायत कीजायगी कि अपनी जवाब दिहीमें मसरूफ हो-और अपना सुबूत पेशकरे-औरहरवक्त उस अय्याम में जब वह अपनी जवाब दिही में पैरवी करता हो उसको इजाजत दीजायगी कि किसी गवाह जानिबमुस्तगीस को जो अदालत में या अदालत के अहाते में हाजिरहो मुकर्रर तलबकरके उससे सवाल जरहका करे ॥

जवाब,

अगर शख्स मुल्जिम कोईबयान तहरीरी दाखिल करे तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि उसको शामिल मिस्लकरदे ॥

दफा २५७--अगर शख्स मुल्जिम मजिस्ट्रेटसे यहदरख्वास्त करे कि हुक्मनामा वास्ते जबरन हाजिर कराने किसी गवाहके इसगरज से जारीकिया जाय कि उससे इस्तिफ्सार या जरहके सवालात किये जायँ या कोई दस्तावेज या औरशै पेश कराईजायतो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि हुक्मनामा मतलूबा जारीकरे इल्ला उससूरत में कि उसके नजदीक दरख्वास्त को इसवजह से नामंजूर करनामुनासिबहो कियह बराह ईजारसानी याअय्यामगुजारी या जवाल अग्रराज मादलतगुस्तरी के गुजरी है-और मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि वजह मजकूर को कलम्बन्द करे ॥

हुक्मनामा वास्ते जबरन् पेशकरानेसुबूतकेहस्ब दरख्वास्त मुल्जिम,

मजिस्ट्रेट मजकूर मजाजहै-कि ऐसी दरख्वास्तपर किसीगवाह के तलबकरने से पहले यह हुक्मदे कि गवाह मजकूर के मसारिफ़ माकूल जो उस मुक़द्दमे की अगराजके लिये अदालत में हाजिर होने से उसके आयदहालहों अदालत में जमाकिये जायँ ॥

दफ़ा २५८—अगर किसी मुक़द्दमे में जो इस बाबसे मुतअल्लिकहो और जिसमें फ़र्द करारदाद जुर्म मुरत्तिब की गई हो मजिस्ट्रेट को मालूम हो कि शख्स मुल्जिम बेगुनाह है-- तो मजिस्ट्रेट मजकूर उसकी बराअत का हुक्म सादिर करेगा ॥ बराअत,

अगर किसी ऐसे मुक़द्दमेमें मजिस्ट्रेटको दरियाफ्तहो कि शख्स मुल्जिम फ़िल्वाके मुजरिमहै तो उसको चाहिये कि कानून के मुताबिक उसकी निस्बत हुक्मसजा सादिरकरे ॥ सुबूत जुर्म,

दफ़ा २५९--अगर मुक़द्दमा बरबिनाय नालिश किसी मुस्तगीस के कायम हुआ हो और उस रोज जो वास्ते समाअत मुक़द्दमे के मुकर्रर हुआ हो मुस्तगीस ग़ैरहाजिर हो और जुर्म ऐसा हो कि उसकी बाबत सुलह करना जायज हो तो मजिस्ट्रेट मजाज़है कि हस्ब इक्तिजाय राय अपनी बावस्फ़ इसके कि किसी दफ़ा मासबक़ में कुछ और हुक्महो फ़र्द करारदाद जुर्म के मुरत्तिब होने से पहिले शख्स मुल्जिमको रुख्सतकरदे ॥ मुस्तगीसकीगैरहाजिरी,

बाब—२२॥

बाबत तजवीज सरसरी ॥

दफ़ा २६०--×बावस्फ़ इसके कि इस मजमूये में कोई और मजमून हो ॥ तजवीज सरसरीका

अख्तियार,

(१) मजिस्ट्रेट जिला ॥

(२) मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल जिसको लोकलगवर्नमेण्ट ने इस अम्रका अख्तियार खास अता किया हो ॥

(३) हरबेंच यानी जलसे मजिस्ट्रेटों का जिसको अख्तिया-

×दरखसूस अख्तियारात मजिस्ट्रेटके अपरब्रह्मामें--देखो कानून सन् जर्मीमेकोदफ़ा८-मगर दरखसूसरआयायवृटानियाअहल्यूरोपकेदेखो

रात मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल अता हुये हों और लोकलगवर्नमेण्ट की तरफसे अख्तियार दियागया हो-मजाज है-कि जरायम मुफस्सिलै जैल में से कुल या जुज्वकी तजवीज बतौर सरसरीकरे॥

(अलिफ)--वह जरायम जिनकी सजा मौत या हब्स बउबूर दरियायशोर या६ छः महीने से जियादह मीआदकी न हो॥

(बे)--जरायम जो हस्ब दफात २६४ व २६५ व २६६ ऐक्ट४५ सन्१८६०ई०, मजमूये ताज़ीरातहिंदके वज़न और पैमानों से मुतअल्लिक़ हैं॥

(जीम)--ज़रर पहुँचाना हस्बदफ़ा ३२३-मजमूये ताजीरातहिंद॥

(दाल)--सरकाहस्ब दफ़ा ३७९-या३८०-या३८१-मजमूयेमज़कूर जब कि माल मसरूक़ा की मालियत ५०) पचास रु० से जियादहनहो॥

(हे)-मालमसरूक़ाका लेना या पासरखना हस्बदफ़ा ४११ मजमूये मज़कूर जब कि मालियत माल मजकूरकी ५०) पचास रु० से जियादह न हो॥

(वाव)-मालमसरूक़ाके पोशीदहरखने या अलाहिदाकरने में मद्दकरनी हस्बदफ़ा ४१४ मजमूये मजकूर जब मालियत माल मजकूर की ५०)पचास रु० से जियादह न हो॥

(जे) नुकसानरसानी हस्बदफ़ा ४२७ मजमूये मजकूर॥

(हे)-मदाखिलत बेजाबखाना हस्बदफ़ा ४४८-मजमूये मज़कूर॥

(तो)--तौहीनबइरादै इश्तआलतबा बगरज़ नुक्ज़अमन् हस्ब दफ़ा ५०४--और तखवीफ मुजरिमाना हस्ब दफ़ा ५०६--मजमूये मजकूर॥

(ये)--अआनत किसीजुर्मकी मिंजुम्लाजरायममुतजक्किरैसदर॥

(काफ)--इकदामकिसी जुर्मका मिन्जुम्ला जरायममुतजक्किरै सदर जब ऐसा इकदाम भी जुर्महो॥

मगरशर्त्त यहहै-कि कोई मुकद्दमा जिसमें मजिस्ट्रेट जिलावह अख्तियारात खास अमल में लाये जो अजरूयदफा ३४-के अता हुये हैं सरसरी तौरपर तजवीज न कियाजायगा॥

दफ़ा २६१--लोकलगवर्नमेण्ट मजाजहै-कि मजिस्ट्रेटों के किसी बेंच यानी इजलासको जिसको मजिस्ट्रेटदर्जे दोम या दर्जे सोमके अख्तियारात अताहुयेहों इसबातका अख्तियार अताकरे कि वहकुल जरायम मुफ़स्सिलै जैल या उनमें से किसीकी तजवीज बतौर सरसरी करे ॥

उन मजिस्ट्रेटोंकेबेंचको अख्तियार अताकरना जिनकोकमतर अख्तियार बख्शागयाहै,

(अलिफ)--जरायम बखिलाफवरजी मजमूये ताजीरातहिन्द की दफ़आत २७७ व २७८ व २७९ व २८५ व २८६ व २८९ व २९० व २९२ व २९३ व २९४ व ३२३ व ३३४ व ३३६ व ३४१ व ३५२ व ४२६ व ४४७ ॥

(बे)--जरायम बखिलाफवरजी ऐक्टहाय म्युनिसिपेल व दफ़आतसफाई मुन्दर्जै ऐक्टहायपुलिस जिनकी सजा सिर्फजुर्मानाया कैदवास्ते किसीमीआदकेजो एकमहीनेसेजियादहनहो मुक़र्ररहै ॥

(जीम)--किसीजुर्म मुफ़स्सिलै सदरकी अआनत ॥

(दाल)--किसी जुर्म मुफ़स्सिलै सदरका इक़दामकरना जब ऐसाइक़दाम करना भी जुर्महो ॥

दफ़ा २६२--जो मुक़द्दमात इसबाबके मुताबिक तजवीजकिये जायँ अगर मुक़द्दमा लायक इजराय सम्मन होतो वहीजाबिता जो मुक़द्दमात लायक इजरायसम्मनके लिये मुकर्रर हुआहै मरई रहेगा-और अगर मुक़द्दमात लायक इजराय वारंटहों तो वही जाबिता जो मुक़द्दमात लायकइजराय वारंट के लिये मुकर्रर हुआ है अमल में आयेगा बजुज उससूरत के जिसका आयन्दा जिक्र किया जायगा ॥

मुक़द्दमात लायक इजरायसम्मनमेंऔरमुक़द्दमातलायकइजराय वारंटमेंज़ाबिताजोमुतअल्लिकहोसकेगा,

किसी मुक़द्दमे में जिसमें हस्ब शरायत बाबहाजा जुर्म साबित करार पाये कोई सजा कैदकी ३ तीन महीने से जियादह मीआद के लिये तजवीज न कीजायगी ॥

क़ैदकी हद्द,

दफ़ा २६३--जिन मुक़द्दमात में कि अपील जायज नहीं है मजिस्ट्रेट या साहबान मजिस्ट्रेट के बेंच यानी

रिकार्ड उनमुक़द्दमात

में जिनका अपीलनहो, इजलासको जरूरनहींहै कि गवाहों की शहादतकलम्बन्द करे या फर्द करारदाद जुर्म बाजा बिता मुरत्तबकरे-मगरऐसे मजिस्ट्रेट या साहबान मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि एक ऐसे फार्म यानी रजिस्टरमें जिसकी लोकलगवर्नमेण्ट हिदायतकरे मरातिब मुफस्सिलै जैल मुन्दर्ज करते रहैं॥

(अलिफ)—नम्बर सिलसिलेवार॥

(बे)—तारीख इर्तिकाब जुर्म॥

(जीम)—तारीख रिपोर्ट या इस्तगासा॥

(दाल)—नाम मुस्त गीसका अगर कोईहो॥

(हे)--शख्स मुल्जिमकानाम बकैदवल्दियत व सकूनत॥

(वाव)--जुर्म जिस्का इस्तगासा कियागया और जो साबित हुआ अगर कुछहो—और उन सूरतोंमें जो दफ़ा २६०की जिम्न (दाल) व (हे) व (वाव) से मुतअल्लिकहों मालियत उस जायदाद की जिसकी बाबत जुर्म सरजद हुआ॥

(जे)--शख्स मुल्जिम का उज्र औरउसकाइजहारअगर कुछ लिखागयाहो॥

(हे)--तजवीज-और दरसूरत साबित करारपाने जुर्म केमुख्तसिरकैफ़ियत वजूह तजवीज की॥

(तो)—हुक्म सजा या दीगर हुक्म अखीर॥

(ये)—काररवाई के खतमहोने की तारीख॥

दफ़ा २६४--हरमुकद्दमे में जो किसी मजिस्ट्रेट या वेंचकी मारफत बतौर सरसरी तजवीज कियाजाय जब उस तजवीजसे अपील करना जायजहो मजिस्ट्रेट या वेंच मजकूर को लाजिमहै कि कब्लसादिरकरने हुक्म सजा के एकतजवीज बइन्दराज खुलासा वजह सुबूत के जिसकी बिनापर जुर्म साबित करारपायाहो और नीजमरातिब मुन्दर्जै दफा २६३के कलम्बन्दकरे॥

रिकार्ड इन मुकद्दमा तमेंजोलायकअपीलहों,

तजवीजमजकूर उनमुकद्दमात में जो इसदफासे मुतअल्लिकहों सिर्फ एकहीकागज मिसलका होगी॥

दफ़ा २६५--इबारत मुन्दर्जे रजिस्टर हस्बदफ़ा २६३--और
रिकार्डऔरतजवीजकि तजवीज़ात महकूमा दफ़ा २६४-जबानअं-
सज़बानमें लिखीजायगी, गरेजीया अदालतकी जबानमें हाकिमइज-
लासकुनिन्दैके हाथसे लिखीजायँगी या अगरवह अदालत जिस-
काहाकिम इजलासकुनिन्दा ऐनमातहतहो हिदायतकरे हाकिम
मजकूरकीजबानखासमें लिखीजायँगी ॥

लोकलगवर्नमेंट मजाज़है कि ऐसेसाहिबानमजिस्ट्रेट के बेंचको
क्लार्क के मामूरकरने जो जरायमकी तजवीज सरसरीकरने के मजाज
के लिये बेंचकोअख्ति हों इसबातका अख्तियारदे कि इबारत मुन्दर्जे
यारदियाजासक्ताहै, रजिस्टर या तजवीज मुतजिक्किरे सदरको ऐसे
ओहदेदारके हाथसे लिखवाये जो उसअदालतके हुक्मसे जिसका
वहबेंच बिला तवस्सुत मातहतहो उसकामके लिये मुक़र्ररकिया
जाय- पस उस इबारत या तजवीजपर जो इसतौरसे मुरत्तिबहो
उसबेंचके हरमजिस्ट्रेट के दस्तखत होंगे जो उस काररवाई में
शरीक रहाहो ॥

बाब--२३ ॥

बाबत तजवीज़ मुक़द्दमात बहुजूर हाईकोर्ट और अदालत सिशन *

(अलिफ़)——इब्तिदाई ॥

दफ़ा २६६- इसबाबमें बजुज़×दफ़आत २७६ व ३०७-×केलफ्ज़
हाईकोर्टकीतारीफ़, "हाईकोर्ट,, से वहहाईकोर्ट आफ़जुडिकेचर मु-
रादहै जो बमूजिब ऐक्ट पार्लीमेण्ट मुसद्दिरे सन् २४ व २५ ज-
लूस मलकामुअज्जिमा विक्टोरिया बाब० १०४ मुक़र्ररहुई हैं या
आयन्दा मुकर्रर कीजाय-और उसमें मुल्क पंजाब की चीफ़कोर्ट
+औरअदालतसाहबरिकार्डररंगून+औरऐसी औरऔरकोर्टयानी

*अपरब्रह्माकी अदालतहाय सिशनके बारेमें कानून ७--सन् १८८६ ई० के ज-मीम कीदफ़ा३मगररिआयायवृटानियाअहलयूरोपके बारेमें दफा२२--येज़न देखो,

×——×दफा२६६में यहअल्फाजबऐदादऐक्ट१० सन्१८८६ ई० कीदफ़ा ८ कीरूसे साबिकलफ्ज़ बऐदादकी एवजकायमकियेगये हैं

+——+ यहअलफाज ऐक्ट११सन्१८८६ई०की दफा६७ कीरूसेमुंदर्जकियेगये हैं——

अदालतैं शामिलहैं जिनको जनाब नव्वाबगवर्नरजनरलबहादुर बइजलासकौंसल वक़्तन् फ़वक़्तन् बज़रिये इश्तिहार मुन्दर्जै गज़ट आफ़इण्डियाके इसबाबकी अग़राज़केलियेहाईकोर्टक़रारदें ॥

हाईकोर्टकेरूबरूतजवीजातबज़रियेजूरीकेहोंगी,

दफ़ा२६७--तमाम मुक़द्दमातकी तजवीज़जो इसबाब के बमूजिब हाईकोर्टके रूबरूहो बज़रिये अहाली जूरीके होगी ॥

और गोकि इसमजमूयेकी किसीदफ़ामें कोई और मज़मूनहो जुमला मुक़द्दमात फौजदारी में जो इस मजमूये के बमूजिब या बमूजिब फ़रमानशाही मुतअल्लिक़े किसीअदालत हाईकोर्टके जो बमूजिब ऐक्ट पार्लीमेण्ट मुसद्दिरे सन् २४-व २५ जलूसमलका मुअज़्ज़िम विक्टोरिया बाब १०४ के मुक़र्रर हुई है किसी हाई-कोर्ट में मुन्तक़िल कियेजायँ जायज़है किउनकी तजवीज अगर हाईकोर्ट हिदायत करे बजरिये अहाली जूरी के अमलमें आये ॥

अदालत सिशनके रूबरूतजवीज़ात बज़रिये जूरीया बशरकत असेसरों के होंगी,

दफ़ा २६८----तमाम मुक़द्दमातकी तजवीज़ जो किसी अदालत सिशन के रूबरू अमल में आये बज़रिये अहाली जूरी या बअआनत असेसरों के की जायगी ॥

लोकलगवर्नमेण्टहुक्म करसक्ती है कि अदालत सिशन केरूबरूतजवीज़ात बज़रिये जूरीकेहो,

दफ़ा २६९—लोकलगवर्नमेण्ट मजाज है किबज़रियेहुक्म मुन्दर्जै गजट सरकारीके यह हिदायतकरे-कि तजवीज जुमला जरायमया किसीखास किस्म के जरायमकी रूबरू किसी अदालत सिशन के किसी ज़िलेमें बजरिये जूरी के होगी-और इस बातकी भी मजाज है-कि वक़्तन फवक़्तनऐसेहुक्म को मन्सूख या तब्दील करे ॥

*जबमुलज़िम एकही मुक़द्दमे में ऐसे मुतअद्दिद जरायमकी-

+—+ दफ़ा २६९ का दूसराफ़िक़रा ऐक्ट १० सन् १८८६ई० कीदफ़ा ६ की रूसे साबिक फ़िक़रे के एवज़ क़ायम कियागया ॥

*यहफ़ोटनोट जिसइबारतसे मुतअल्लिकहै वहकिसीकदर सफ़ा१४९मेंभीहै,

इल्लतमें माखूज हो जिनमें से बाजलायक तजवीज बजरिये जूरी हों और बाज ऐसेनहों तो जरायम मजकूर में से उन जरायम की बजरिये जूरीके तजवीज की जायगी जो बजरिये जूरी के लायक तजवीज हैं--और उनमें से उन जरायमकी बजरिये अदालत सिशन बमदद ऐसे अहाली जूरीके जो बहैसियत असेसरके हों तजवीज की जायगी जो लायक तजवीज बजरिये जूरी न हों ॥

हर मुक़द्दमा में नालिशकी कार्रवाई मारफतकिसीपैरोकार सरकारी के होगी,

दफ़ा २७०--हर मुक़द्दमे में जो अदालत सिशन के रूबरू तजवीज कियाजाय जरूर है कि नालिशकी कार्रवाई मारफत किसीपैरोकारसरकारीकेहो ॥

(बे)-आगाज कार्रवाई ॥

शुरूतजवीज,

दफ़ा २७१-जब अदालत मुक़द्दमे की तजवीज करने पर मुस्तैद हो तो शख्स मुल्जिम उसके रूबरू हाजिर होगा या हाजिर कियाजायगा-और फ़र्द करारदाद जुर्म अदालत में पढ़ी और उसको समझा दीजायगी और उससे इस्तफ्सारकिया जायगा कि आया तुम जुर्म करारदादह के मुर्तकिब हुयेहो या मुक़द्दमे का तजवीज कियाजाना चाहतेहो ॥

जवाब मुशइर मुजरमियत,

अगर शख्स मुल्जिम बजवाब उसके अपनेतईं मुजरिम करार दे तो उसका जवाब कलम्बन्द किया जायगा-और जायज है कि उसकी बुनियाद पर नामबुरदा की निस्बत तजवीज अस्बात जुर्म अमलमें आये ॥

जवाब देनेसे इन्कार करना या तजवीजकिये जाने का दावाकरना,

दफ़ा २७२-अगर शख्स मुल्जिम जवाब देने से इन्कार करे या जवाब न दे या तजवीजकियेजानेकादावा करे तो अदालत हस्ब हिदायात मुंदर्जे जैल अहाली जूरी या असेसरों को मुंतखिब करके मुक़द्दमे की तजवीज शुरूअ करेगी ॥

एकहीजूरीया एकहीजमा

मगर शर्त यह है-कि बमलहूजीं इस्तेहकाक पेशकरने एतराज के जो आयन्दा मजकूरहै जायजहै-कि

बातअसेसरानके जरियेसे चंद मुल्जिमोंकी तजवीज़ यकेबाद दीगरे अमलमें आसक्तीहै,

एकही जूरी या एकही जमाअत असेसरों की उसकदर अशखास मुल्जिम के मुकद्दमातकी तजवीज में तदरीजन् मसरूफहो या अआनतकरे जो अदालत को मुनासिब मालूमहो ॥

दफ़ा २७३--जिन मुकद्दमात की तजवीज हाईकोर्ट के रूबरू

फर्दकरारदाद जुर्ममें इल्जामगैरकाबिल सुबूत कामुंदर्ज होना,

हो जब हाईकोर्ट को शख्स मुल्जिमकी तहकीकात व तजवीजके शुरूअ होनेसे पहिले किसी वक्त मालूम हो कि कोई इल्ज़ाम या जुज्वइल्जाम सरीह गैरकाबिल सुबूतहै तो जजको अख्तियार है कि फर्द करारदाद जुर्म में यह हाल दर्ज करे ॥

ऐसे हालकी फर्द करारदाद जुर्म में दर्ज होने से यह नतीजा

इन्दराज की तासीर,

होगा कि कार्रवाई आयन्दा बाबत जुर्म करारदादह या जुज्व जुर्म करारदादह के जैसा मौका हो मुल्तवी होजायगी ॥

(जीम)—बाबतइन्तिख़ाब जूरी ॥

दफ़ा २७४-उन मुकद्दमात में जिनकी तजवीज हाईकोर्ट के

अहालीजूरीकी तादाद,

रूबरू हो जूरी में ९-नौ अशखास शरीकहोंगे ॥

मुकद्दमात लायक तजवीज अदालत सिशनमें जोबजरिये जूरी केतजवीजहों जूरीमें उसकदर अशखास बअददताक शरीकहोंगेजो ३-तीनसेकम औरं९-नौसे जियादह न हों-औरजो लोकलगवर्नमेंट बजरिये हुक्म मुतअल्लिके किसीजिलेखास या किसीखासअकसाम जरायम मौकूये जिले मजकूरके वक्तन्फवक्तन् मुकर्रर फरमाये ॥

दफ़ा २७५-जब ऐसेशख्स के मुकद्दमे की तजवीज अदालत

जूरी वास्ते तजवीज मुकद्दमा उनअशखासके अदालत सिशनके रूबरू जो अहल यूरोपया अहल अमरीका न हों,

सिशनमें अहालीजूरीके जरियेसेहो जोअहल यूरुप या अहल अमरीका नहो तो लाजिम है कि अगर शख्स मुल्जिम दरख्वास्तकरे तो तादादकसीर अहल जूरी में ऐसे असखास शामिल किये जायँ जो न अहल यूरुपहों न अहल अमरी का ॥

दफ़ा २७६-मुक़द्दमेके अहाली जूरी बजरिये कुरआअन्दाजी उस तौरपर जिसकी अदालत हाईकोर्ट वक्तन् फ़वक्तन् बजरिये कायदे के हिदायत करे उन अशखासमेंसे मुन्तखिब किये जायँगे जो जूरी का कामदेने के लिये तलबकिये गयेहों ॥

अहाली जूरी बजरिये कुरआअन्दाजी के मुंतखिबकिये जायंगे,

मगर शर्त यह है-कि-

अव्वलन्-ताइजराय-कवायद हस्ब दफ़े हाज़ा वास्ते किसी अदालतके उसतर्ज़के इन्तखाब अहालीजूरीकी पाबंदी कीजायगी जो उसअदालतमें फ़िल्हाल जारी हो ॥

मौजूदहतरीकोंका बरकरार रहना,

सानियन्- दरसूरत गैरकाफीहोने तादाद अशखास तलबशुदहके जायज है-कि अहालीजूरी बतादाद मतलूबा बादहुसूल इजाजत अदालत के उनदीगर अशखासमें से जो हाजिरहों मुन्तखिब किये जायँ ॥

जो अशखास तलब नकिये जायँ वहकाबमुस्तहक होंगे,

सालिसन्-बलादप्रेजीडेंसी में ॥

(अलिफ़)-अगरशख्स मुल्जिमपर ऐसे जुर्मके इर्तिकाब का इल्जाम लगायाजाय जिसकी सजा मौत मुक़र्रर है-या

खास अहाली जूरी के रूबरू 'तजवीजात,

(बे)-अगर किसी और मुक़द्दमे में हाईकोर्ट का हाकिम इस-तरह हिदायतकरे ॥

तो अहालीजूरी उस फ़ेहरिस्त खास अशखासजूरी से मुन्तखिब किये जायँगे जो आयन्दा मुकर्ररकीगई है ॥

दफ़ा २७७--उसीवक्त जब एक २ अहलजूरी मुंतखिब होताजाय उसकानाम बआवाजबलंद पुकाराजायगा-और उसके हाजिर होनेपर शख्स मुल्जिमसे पूंछाजायगा कि वह उस अहलजूरी की मारफ़त अपने जुर्म की तजवीज कराने पर कुछएतराज रखता है यानहीं ॥

अहाली जूरीकेनाम पुकारेजायँगे,

जायज है-कि उसवक्त एतराज निस्बत ऐसे अहलजूरी के तरफ़ से शख्स मुल्जिम या शख्स फ़रीकमुक़द्द-

अहाली जूरीकी निस्बत

त एतराज, मे के किया जाय-और वजूह एतराजका बयानकरना लाजिम होगा ॥

मगरशर्त्त यह है-कि अदालत हाईकोर्ट में शख्स पैरोकार मि- एतराज बिलापेशकर- नजानिब सरकारको आठमर्त्तबह बिलापेश ने वजूह के, करने वजूह के एतराज करने का इस्तहकाक होगा-और शख्स मुल्जिम या जुमला अशखास मुल्जिमकी तरफसे भी आठमर्त्तबह एतराज करना जायजहोगा ॥

दफ़ा २७८—जब कोई एतराजनिस्बत किसी अहलजूरी के एतराजकी वजूहात, बरबिनाय किसी वजह मिनजुमला वजूहमुन्दर्जै जैलके पेश कियाजाय तो अगर वह हस्ब इतमीनान अदालत साबित हो वह एतराज मंजूर किया जायगा--

(अलिफ)—अहलजूरीके दिलमें कुछ जानिबदारी क़यासी या वाक़ई का होना ॥

(बे)-कोई वजहजाती मसलन् गैरमुल्क का बाशिन्दा होना या अदम मौजूदगी ऐसी लियाक़त की जो किसी कानून या ऐसे क़ायदे मजारिया वक्तकी रूसे जो हुक्म कानूनका रखताहो अहल जूरी के लिये जरूर हो या २१-इक्कीस बरससे कम या ६०-साठ बरस से जियादह उम्रका होना ॥

(जीम)-अजरूय अदालत कदीमी या बपाबन्दी किस्म मजहबीके तमाम मुआमलात दुनियवी की फिक्रसे किता तअल्लुक करना ॥

(दाल)-अदालतमें या अदालत के जेरहुकूमत किसी ओहदे पर मामूर होना ॥

(हे)-खिदमात पुलिस की तामील में मसरूफ होना या खिदमात पुलिस का उसके सिपुर्द रहना ॥

(वाव)-उसपर ऐसे जुर्मका साबितहोना जो अदालतकी राय में उसको जूरी में बैठने के गैरकाबिल करदेता है ॥

(जे)-उस जबानके समझनेकी नाकाबिलियत जिसमें शहादत

अदाकीजाय-या जबशहादतका तर्जुमा दूसरी जबानमें कियाजाय तर्जुमे की जबानका न समझसकना ॥

(हे)-कोई और अम्र जो अदालतकी दानिस्तमें उसको जूरी में बैठने के लायक नहींरखता है ॥

दफ़ा २७९—हर एतराज जो किसी अहलजूरी की निबस्त कियाजाय फैसला उसका अदालतसे होगा-और अदालतका फैसला क़लम्बन्द कियाजायगा और नातिक़होगा ॥

एतराज का फ़ैसला,

अगर एतराज मंजूर कियाजाय तो उस अहलजूरी की जगह जिसपर एतराजहुआहो एक और अहलजूरी जो सम्मनके हुक्मके बमूजिब हाजिरहो और मुताबिक तरीके मुक़र्ररह दफा २७६-मुन्तखिब हुआहो मामूर कियाजायगा या अगर ऐसादूसरा अहलजूरी हाजिर नहो तो उसजगहपर कोई और शख्स कायम कियाजायगा जो अदालत में हाजिर और जिसकानाम जूरी की फ़ेहरिस्तमें मुन्दर्जहो या जिसको अदालत जलसेजूरीमें शरीक होनेके लायक समझे ॥

उसअहलजूरीकीजगह परजिसकीनिस्वतएतराजकियाजाय और शख्स कामामूरहोना,

मगर शर्तयहहै कि कोई एतराज निस्बत मामूरी ऐसे अहलजूरी या गैर शख्स के दफ़ा २७८--के मुताबिक पेशहोकर मंजूर न कियागया हो ॥

दफ़ा २८०—जब अहाली जूरी मुन्तखिबहो लें तो उनको लाजिमहै कि अपनी जमाअतमें से एक शख्स को मीर मजलिस मुक़र्रर करें ॥

अहाली जूरीका मीरमजलिस,

मीर मजलिसको लाजिम है कि अहाली जूरी के मुबाहिसमें सदरनशीनहो-और जूरीकी राय जाहिर करे-और अगर अहाली जूरी या किसी अहल जूरी को कुछ पूछना मंजूरहो तो अदालत से इस्तिफ्सारकरे ॥

अगर अक्सरीन अहाली जूरी उसमीआद के अन्दर जो हाकिम अदालत के नजदीक माकूल मालूमहो किसी मीरमजलिस

के तक़र्रुर पर मुत्तफ़िक़ न हों तो वह अदालत की तरफ़से मुक़र्रर कियाजायगा ॥

अहाली जूरीको हलफ़ देना, ऐक्ट १०सन् १८७३ई०,

दफ़ा २८१--जब मीर मजलिस मुक़र्रर होले तो अहाली-जूरी को हलफ़ हस्ब अहकाम ऐक्ट हलफ़ मुतअल्लिक़ै हिन्द मुसद्दिरै सन् १८७३ ई० के दिया जायगा ॥

जाबिताजबकिअहलजूरी हाजिरनहो-वगैरह,

दफ़ा २८२—अगर कोई मुक़द्दमा किसी जूरीके रूबरू पेश हो और किसी वक़्तपर जूरी की राय जाहिर होने से पहिले कोई अहलजूरी किसीवजह काफ़ी से तजवीज के वक़्त अज़ इब्तिदा ताइन्तिहा हाजिर रहने से माज़ूर होजाय या अगर कोई अहलजूरी गैरहाजिर होजाय और उसको जबरन् हाज़िर कराना गैरमुमकिन हो या अगर मालूम हो कि कोई अहलजूरी उस जबानसे नावाक़िफ़ है जिस में शहादत दीगई या जब शहादत का तर्जुमा सुनायाजाय तर्जु-मे की जबानसे नावाक़िफ़है तो कोई शख्स जदीद जूरीमें शामि-लकियाजायगा या अहाली जूरी बरखास्त होकर जूरी जदीद मुक़र्रर की जायेगी ॥

ऐसी हर सूरतमें तजवीज अज़सरनौ शुरूअ कीजायगी ॥

क़ैदीकीबीमारीकी सूरतमें जूरीकोरुखसतकरदेना,

दफ़ा २८३--हाकिम अदालतको उस सूरतमें भी अहालीजूरी के रुख्सत करनेका अख्तियारहै जबकिक़ैदी कटेहरा के आगे खड़ेरहने से माज़ूरहोजाय॥

(दाल)-इंतिखाब असेसरान ॥

असेसरानक्योंकरमुंतखि बकियेजायेंगे,

दफ़ा २८४--जब मुक़द्दमेकी तजवीज बअआनत असेसरान होनेवाली हो दो या जियादह असेसरजिस क़दर हाकिम अदालतको मुनासिब मालू-महों उन अशखासमें से मुन्तखिब किये जायँगे जो असेसर का कामदेने के लिये तलबहुयेहों ॥

जाबिताजबकिअसेसर

दफ़ा २८५--अगर दरअस्नाय तजवीज किसी मुक़द्दमेके जो बअआनत असेसरान अमलमें आये किसी

हाजिर न होसके, वक्राय अखीरसे पहिलेकोई असेसर किसी वजह काफीसे इब्तिदा से इन्तिहाय तहकीकाततक हाजिर रहने से माजर होजाय या गैरहाजिर होजाय और उसका जबरन् हाजिरकराना गैरमुमकिनहो तो मुकद्दमेकी तजवीज दूसरेअसेसर या असेसरोंकी मददसे जारी रहेगी ॥

अगर तमाम असेसरलोग हाजिरहोनेसे मजबूरहोजायँ या हाजिरहोनेमें कसूरकरें तो कारवाई मुकद्दमेकी मुल्तवीकीजायगी-और नये असेसरों की मदद से मुकद्दमाअजसरनौ तजवीज कियाजायगा ॥

(ह)-तजवीज ताइब्तिता मकाररवाई
हाय मुद्दई व मुद्दआअलेह ॥

दफ़ा २८६-जब अहालीजूरी या असेसरान मुन्तखिब हो लें शुरूअ पैरवीइस्तगासा, शख्स पैरोकारइस्तगासाको चाहिये कि अपना बयान इसतरह शुरूअकरे कि मजमूये ताजीराताहिन्द या किसी औरकानूनसे वह इबारतपढ़े जिसमें जुर्म करारदादहकी तशरीह हो—और इसअम्रका मुख्तसिर बयानकरे कि किस वजह सुबूतसे उसको मुस्तगासअलेह पर जुर्मसाबितकरनेकी उम्मेदहै ॥

तब पैरोकार मजकूर अपनेगवाहों का इजहारकरायेगा ॥

गवाहोंकाइजहार,

दफ़ा २८७-शख्स मुल्जिमका इजहार जो मजिस्ट्रेट सिपुर्द मजिस्ट्रेटके रूबरूइज कुनिन्दहकेकलमसे या उसकेरूबरू हस्बजा-हार शख्स मुल्जिमका ब बिता लिखागया हो पैरोकार मजकूरकी तरफ जहसुबूतहोगा, से दाखिलकियाजायगा—और वह बतौर वजह सुबूतके पढ़ाजायगा ॥

दफ़ा २८८-जायजहै-कि शहादत किसीगवाहकी जो हस्बजा तहकीकात इब्तिदाई बितै शख्स मुल्जिमके मवाजहामें औरमजि-में जो शहादत गुजरे वह स्ट्रेट सिपुर्दकुनिन्दहके रूबरूलीगईहो अगर मकबूलहोगी, राय हाकिम इजलासकुनिन्दाकी मुक्तजीहो

और वह गवाह पेश कियाजाय और उसका इजहार लियाजाय बतौर सुबूत के मुक़द्दमे में तसव्वर की जाय ॥

दफ़ा २८९—जब इजहार गवाहान जानिब मुस्तग़ीस और बयान मुस्तग़ीस अलेह (अगरकुछहुआहो) खतम होजाय तो शख्स मुल्ज़िम से यह पूछा जायगा कि उसको शहादत पेशकरानी मंज़ूर है या नहीं ॥

जाबिता बाद इज़हार गवाहान जानिब मुस्तग़ीस के,

अगर वह जवाब दे कि शहादत पेश कराना मंज़ूर नहीं है-तो शख्स पैरोकार को अख्तियार है-कि अपने बयान का खुलासा ज़ाहिर करे-और अगर अदालत को यह गुमान हो कि किसी सुबूतसे साबित नहीं है कि मुल्ज़िमसे जुर्म सरज़दहुआ तो उसको अख्तियार है-कि अगर मुक़द्दमे की तजवीज असेसरोंकी मददसे हुईहो अपनी तजवीज कलम्बन्दकरे-या अगर मुकद्दमेकी तजवीज अहाली जूरीकी अआनतसे हुईहो अहाली मजकूरको हिदायतकरे कि अपनी राय मुशअर बेगुनाही मुस्तग़ासअलेहके ज़ाहिरकरें ॥

अगर शख्स मुल्ज़िम या अशखास मुल्ज़िममें से एकशख्स (जबकि कई मुल्ज़िमहों) यहजवाबदे-कि उसको शहादतपेश करानी मंज़ूरहै-और अदालत के नजदीक कुछसुबूत इसअम्रका न हो कि मुल्ज़िमसे जुर्मकरारदादह सरज़दहुआ तो अदालत मजाजहै-कि अगर मुक़द्दमेकी तजवीज बअआनत असेसरानहोतीहो तजवीज मुशअरबराअत मुद्दआअलेहके कलम्बन्दकरे—या अगर मुकद्दमाकी तजवीज मारफ़तजूरीके होती हो तो जूरीको हिदायत करे कि वह मुद्दआअलेहकी बराअतकी रायदे ॥

अगर शख्स मुल्ज़िम या जबचन्द मुल्ज़िमहों कोईएक मुल्ज़िम उज्रकरे कि हमको शहादतदेनीमंज़ूरहै-और अदालतके नजदीक सुबूत इसअम्रकापायाजाय-कि उससे जुर्म सरज़दहुआहै--या अगर उसके इस उज्रपर कि हमको शहादतदेनी मंज़ूरनहींहै पैरोकार सर्कार अपनेबयानका खुलासा ज़ाहिरकरे-और अदालतकी यहरायहो कि मुल्ज़िमसे जुर्म सरज़दहोनेका सुबूतपायाजाताहै-

तो अदालत शख्समुल्जिमको हुक्मदेगी कि अपनी जवाब दिहीकरे—॥

दफ़ा२९०--तब शख्स मुल्जिम या उसके वकील को अख्ति-यार है-कि अपनी जवाबदिही शुरूअकरे-और उन वाक़िआत याक़ानूनको जाहिरकरे जिसपर वह इस्तिदलालकरने का इरादारखताहो औरसुबूतमदखला जानिबमुद्दईकी निस्बतजि-सकदर जिरहकरनी जरूरसमझेकरे-उसकेबाद उसको अख्तियारहै-कि अपने गवाहों का इज़हार कराये (अगर कुछहों) और बाद होने सवालात जिरह और सवालात मुकर्ररखताईद जवाबदिहीके (अगर कुछहों) अपने जवाब का खुलासा बयानकरे॥

जवाब,

दफ़ा २९१-शख्स मुल्जिमको अख्तियारहै-कि किसी ऐसेगवा-हकाइजहारकराये जिसको उसनेपहिलेनाम-जद न कियाहो-मगर जो अदालतमें हाजिर हो-इल्लाउसको इस्तहक़ाक़न यहअख्तियारन होगा कि सिवाय उससूरतके जो दफ़आत २११-व२३१-में मज़कूरहै अलावह गवाहान मुन्दर्जै उस फ़ेहरिस्तके जो उसने मजिस्ट्रेट सिपुर्दकुनिन्दह मुक़द्दमा को हवालेकी थी किसी और गवाह को तलबकराये॥

मुल्जिमका इस्तहक़ाक़ दरख़्सूस इजहार और तलबी गवाहों के,

दफ़ा २९२--अगर शख्स मुल्जिम या अशखास मुल्जिममें से किसीने यहबयानकियाहो जबकिदफ़ा२८९-के बमूजिब उससे दरियाफ्त कियाजाय-कि वह सुबूत पेशकियाचाहताहै-तो शख्स पैरोकार नालिश उसका जवाब देने का मुस्तहक़होगा॥

पैरोकार नालिश का हक़जवाब,

दफ़ा २९३-जबकभी अदालतकीरायमें यह अम्रमुनासिबमालूम हो कि अहालीजूरी या असेसरलोग उसमौक़े को मुआयनाकरें जहां जुर्मसुतअ़ल्लिक़ा नालिश का सरज़दहोना जाहिर कियागयाहो-या किसी और मुक़ामका मुआयनाकरें जिसमें किसी और अम्रमुतअ़स्सिर तहक़ीक़ात वतज-वीज मुक़द्दमेका वाक़ैहोना जाहिर कियागयाहो-तो अदालतउसी

अहालीजूरी या असेसरों का मुआयना करना,

मज़मूनकाहुक्म सादिरकरेगी-और अहालीजूरी या असेसर एक साथ किसी अहल्कार अदालतकी हवालगी में मुकाममजकूरपर पहुँचाये जायँगे-और कोई शख्स जिसको अदालतने मामूर कियाहो उनको मौकामज़कूर मुआयना करायेगा ॥

अहल्कार मज़कूरको लाज़िमहै- इल्लाबइजाज़त अदालत कि किसी और शख्स को अहाली जूरी या असेसरों में से किसी के साथ गुफ्तगू या किसीतरहकी मकालमत न करनेदे-और जब मुआयना खतमहोले तो अहाली जूरी या असेसरलोग फौरन् अदालत में वापस पहुँचाये जायँगे-इल्ला उस सूरतमें कि अदालतसे कुछ और हिदायतहो ॥

दफ़ा २९४--अगर कोई अहलजूरी या असेसर बजात खुद किसीअम्र वाकै मुतअल्लिकै मुक़द्दमासे वाकिफ हो तो उसको लाजिमहै कि उसहालसे हाकिम अदालतको मुत्तिलअकरे-बाद उसके जायज है कि दूसरे गवाहों की तरह उसको हलफदियाजाय और उसका इजहारलियाजाय और उससे सवालात जिरह और फिर सवालात ताईदी कियेजायँ ॥

अहलजूरी या असेसर का इजहार लियाजाना,

दफ़ा २९५—अगर तजवीज मुल्तवीकीजाय तो अहाली जूरी या असेसरोंको लाजिमहै-कि जिसरोजपर इजलास मुल्तवी रक्खाजाय उस रोज़ और हर इजलास माबादमें ताइख्तिताम तजवीज हाजिरहुआ करें ॥

जूरीयाअसेसरोंकाउसइजलासमें हाजिरहोनाजिस परतजवीज मुल्तवीरहे,

दफ़ा २९६--अदालत हाईकोर्टको अख्तियार है कि वक्तन् फवक्तन् जब तजवीज किसी मुकद्दमे मरजूये हाईकोर्टकी एकदिनसे जियादह अरसेतक जारीरहे अहालीजूरी को यकजारखनेके लिये कवाअद मुंजबितकरे-और बपाबन्दी उन कवाअदके हाकिम इजलास कुनिन्दह इसबाबमें हुक्मदेसक्ता है कि आया अहालीजूरी किसी अहल्कार अदालत के एहतमाम में यकजारक्खे जायँगे और क्योंकर यकजारक्खे जायँगे--या

अहालीजूरीकोबन्दरखना,

उनको इजाजत दीजायगी कि अपने अपने घरकोचलेजायँ ॥

(बाब)--खातमा तजवीज का उन मुक़द्दमात में जो बजरिये ज़ूरीके तजवीजहों ॥

दफ़ा २६७--जिन मुक़द्दमातकी तजवीज बजरिये अहालीज़ूरी

ज़ूरीकोमुतनब्बाकरना,

के हो जब मुक़द्दमेकी जवाबदिही और मुद्दई की जानिबका जवाब (बशर्ते कि कुछहो) खतमहोजाय तोहाकिम अदालत अहालीज़ूरीको मुतनब्बाकरेगा और नालिशऔर जवाबदिही दोनों की शहादत के खुलासेकोऔर उसकानूनको जाहिरकरेगा जिसके अहकाम के बमूजिब अहालीज़ूरी को कारबन्दहोनाचाहिये ॥

दफ़ा २९८---ऐसे मुक़द्दमातमेंसाहबजजको लाजिमहै-कि-

साहबजजकाला

जिमाखिदमत,

(अलिफ़)-तमाम कानूनी मुबाहिसातको जो दौरान तजवीज में पैदा हों और खसूसन् तमाम मुबाहिसात को जो वाकिआत मिनूउलअसबात के मुतअल्लिक़ मुक़द्दमा होने या न होनेकी निस्बत हों या शहादत के काबिल कबूल होने या न होनेया फरीकैन के सवालात मुस्तिफसिरह के मुनासिब होने या न होने की बाबत हों तैकरदे और अपनी रायके मुताबिक शहादत नाकाबिलुल्कबूल को आम इससे कि फरीकैन उसपर मोतरिजहों या न हों पेश न होनेदे ॥

(बे)-तमाम दस्तावेजात जो बरवक्त तजवीज के सुबूत में-दाखिलहों उनके मानी और मतलब का तस्फ़िया करदे ॥

(जीम)-तमाम उमूर मुतअल्लिकेवाकयाका फैसलाकरदे जिनका साबित करना इसलिये जरूरी हो कि किसी खासमरातिब का सबूत देना मुमकिन होजाय ॥

(दाल)-इस बातका फैसला करदे कि कोई खास मुबाहिसा जो पैदा हो खुद उसकी मारफत तैकिया जायगा या मारफतज़ूरी

के और अम्र मजकूर की निस्बत उसका फैसला अहल जूरी पर वाजिबुल् तसमील होगा॥

हाकिम अदालत को अख्तियार है कि अगर मुनासिबसमझे मुकद्दमे का खुलासा बयान करने के असना में किसी अम्रमुतअल्लिकै वाकया या किसी ऐसे अम्रकी निस्बत जिसमें अम्र कानूनी और अम्रमुतआल्लिक वाकयात मख्लूत हों और मुकद्दमे से तअल्लुक रखताहो अपनी राय अहलजूरी के रूबरू जाहिरकरे॥

तमसीलात॥

(अलिफ)-बयान एक शख्सका जो मुकद्दमे में गवाह नहीं है इस बुनियाद पर साबित कराना मंजूर है कि ऐसे हालात मुकद्दमे में साबित हुये हैं जिनसे बयान मजकूर की बाबत शहादत लेनी जायज है॥

पस हाकिम अदालत से इस अम्रका तस्फिया करना मुतअल्लिक है न अहालीजूरी से कि मौजूदगी उन हालात की साबित हुई है या नहीं॥

(बे)-यह मंजूर है कि एक दस्तावेज जिसकी असलका गुम या तलफ होजाना जाहिर कियागया बजरिये अदखालसुबूत दर्जे दोमके साबित कीजाय॥

पस इस अम्रका फैसलकरना हाकिम अदालत से मुतअल्लिक है कि असल दस्तावेज गुम या तलफ होगई है या नहीं॥

दफ़ा २९९-अहालीजूरी से यह काम मुतअल्लिक हैं॥

जूरीका लाजिमा खिदमत,

(अलिफ)-यह तजवीज करना कि वाकयातमें से कौनसा पहलू सही है-और बाद उसके वह राय देनी जो बलिहाज उस पहलू के हाकिम अदालत की हिदायतके मुताबिक जाहिर करनी मुनासिब है॥

(बे)-तमाम इस्तलाहात (अलावा इस्तलाहात कानूनी के) और कलमात जो मानी गैर मुतआरिफमें मुस्तैमिल कियेजाते हैं और जिनके मानी के तअय्युनकी जरूरत वाकै हो उनके मानी

की तन्क़ीह करना आम इससे कि इसतरहके अल्फ़ाजदस्तावेजात में हों या न हों ॥

(जीम) ऐसे तमाम अमूरका तजवीज करना जिनको अज़रूय क़ानून के अमूर मुतअल्लिकै वाक़या तसव्वर करनाचाहिये ॥

(दाल) इस अम्रका तास्फ़ियाकरना कि इबारत आमबिला तअय्युन किसी खास मुकद्दमात से मुतअल्लिकहै या नहीं इल्लाउस हालमें कि वह इबारत जाबिता कानूनी से मुतअल्लिकहो या उस हालमें कि उसके मानी कानूनन् मुअय्यन करदिये गये हों कि उनदोनों सूरतों में से हर एक में मानीका तजवीज करना हाकिम अदालतसे मुतअल्लिकहै ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ़)—जैद की निस्बत मुकद्दमा बाबत क़त्ल अमद बकर के ज़ेर तजवीजहै ॥

हाकिम अदालत का यह कामहै—किक़त्लअमद और क़तल इन्सान मुस्तल्जिम सजामें जो फ़र्क़ है अहाली जूरीके रूबरू उस की तौजीहकरे—और उनसे कहदे कि वाकयात के फलां पहलू के एतबार से जैदको क़त्लअमदया कतल इन्सान मुस्तल्जिम सजा का मुजरिम क़रारदेना चाहिये या उसकी बरियत होनीचाहिये ॥

इस अम्रका तजवीज करना अहलजूरी का काम है कि वाकयातका कौनसा पहलू सही है-उसके बाद उनको साहबजजकी हिदायत के मुताबिक़ रायदेनी चाहिये-आम इससे कि वह हिदायत सही हो या ग़लत और वह उस हिदायतमें उसकेसाथ इत्तिफ़ाक करते हों या नहीं ॥

(बे)—अम्रतस्फ़ियह तलब यह है-कि फ़लां शख्सने फलां अम्रखासको एक माकूल तौरपर बाबर किया या नहीं-या यह कि फलां काम सलीक़े माकूल के साथ या बतान्दिही क़रारवाक़ई कियागया या नहीं ॥

हर दो अम्र मजकूरै सदर की तजवीज मुतअल्लिक व अहालीजूरी है ॥

गौरकरनेके लिये अलाहिदा बैठना,

दफ़ा २००—जिन मुकद्दमात में जूरीकी मददसे तजवीज की जाय बाद उसके कि हाकिम अदालत की हिदायत खतम होजाय अहाली जूरीको अख्तियार है कि अपनीरायपर गौरकरने के लिये अलाहिदाबैठें ॥

बिला इजाजत अदालतके कोई शख्स अलावा अहलजूरीके किसी अहलजूरीसे मुकालमत या किसी तरहकी मरासिलत न करने पायेगा ॥

रायका सुनाना,

दफ़ा २०१—जब अहलजूरी अपनीरायपर गौरकरलें तो उनका मीरमजलिस अदालत को उनकीरायसे या कसरत रायसे मुत्तिलअ करेगा ॥

जाबिता जब कि अहाली जूरीके दरमियान इख्तिलाफहो,

दफ़ा २०२—अगर अहालीजूरी मुत्तफ़िकुल् राय नहों तो हाकिम अदालतको अख्तियार है कि उनसेकहे कि फिर अलाहिदा जाकर गौरकरें और उसकदर अर्सेकेबाद जो बदानिस्त हाकिम अदालतमाकूल हो जायज है कि अहलजूरी अपनी राय जाहिर करें गो वह लोग मुत्तफिकुल्राय न हों ॥

हर हरइल्ज़ामकी बाब तेराय दीजायेगी-और हाकिमजूरीसे सवालकरसक्ता है,

दफ़ा २०३—बजुज उस सूरतके कि अदालत और नेहजपर हुक्मदे अहालीजूरी तमाम इल्जामातकी निस्बत जिनकी बाबत शख्स मुल्जिम की तजवीज होनीचाहिये अपनी राय जाहिर करेंगे-और हाकिम अदालत मजाज है कि उनकी राय दरियाफ्त करनेके लिये अहालीजूरी से ऐसे सवालातकरे जो जरूरीमालूम हों ॥

सवाल और जवाबक़लम्बन्दकियेजायँगे,

ऐसे सवालात और जवाबात जो उनकी बाबत दियेजायँ कलम्बन्द कियेजायँगे ॥

रायका तरमीमकरना,

दफ़ा २०४—जब इत्तिफाकन् या सहवन् कोई राय गलत जाहिर कीजाय तो अहाली जूरीको अख्तियार है कि उसके कलम्बन्द होनेसे पहिले या ऐनमाबाद उसके अपनी

राय तरमीमकरें-और बिलआख़िर वहराय जिस तौरसे कि तरमीम हुई हो उसी तौर से कायम रहेगी ॥

दफ़ा २०५-जब किसी मुक़द्दमे में जिसकी तजवीज हाईकोर्ट के रूबरूहो कुलअहाली जूरी मुत्तफ़िकुल्आरा हों या जब कि उनमेंसे ६-छः अशख़ास जूरी की एकरायहो और हाकिमअदालत उनसे इत्तिफ़ाककरेतो हाकिम मौसूफ़ अपनी तजवीज उस रायके मुवाफ़िक सादिर करेगा ॥

रायहाईकोर्ट में कबगा लिबरहेगी,

अगर ऐसे किसी मुक़द्दमे में अहाली जूरी को इतमीनान हो कि उन सबकीराय वाहिद नहोगी मगर उनमेंसे ६-छः अशख़ास की एक रायहोजायतो भी मजलिस हाकिम अदालतको उसकी इत्तिलअ करेगा ॥

अगर हाकिम अदालत अहाली जूरी की कसरतरायसे इख्त लाफकरे तो उसको लाजिम है कि फौरन् अहाली जूरीको रुख़सत करदे ॥

और सूरतोंमें जूरी को रुख़सत . रदेना,

अग अहालीजूरीमेंसे कमसेकम६-छः अशखास मु तफ़िकुल् ाय न हों तो हाकिम अदालतको लाजिम है-कि बाद इन्क़जाय उस क़दर अर्से के जो मुनासिब मालूम हो जूरी को रुख़सत दे ॥

दफ़ा२०६---जब किसी मुक़द्दमे में जिसकी तजवी र रूबरू अदालत सिशनके होतीहो हाकिम अदालत अहाली जूरी की राय या अशख़ास गालिबुल् आराकी रायसे इख्तिलाफ राय जाहिर करना जरूरी न समझे तो वह अपनी तजवीज उनकी रायके मुताबिक सादिर करेगा ॥

अदालत सिशनमें कब राय गालिब रहेगी,

अगर शख्स मुल्जिम जुर्मसे बरीकियाजाय तो हाकिम अदालत तजवीज मशअर उसकी बराअत के कलम्बन्द करेगा-और अगर शख्स मुल्जिम पर जुर्म साबित करारपाये तो हाकिम अदाल त उसकी निस्बत वहसजा तजवीजकरेगा जो कानूनके मुताबिकहो॥

दफ़ा २०७-अगर किसी ऐसे मुक़द्दमे में सिशन जजअहाली जूरी या उनमें से अशख़ास गालिबुल् आरा कीरायसे निस्बत कुल या बाज उनजरायमके

जाबिता जब कि सिशन जज राय से इख्तिलाफ

रखताहो, जिनकी इल्लतमें शख्स मुल्जिमकी तजवीज की गई हो इसकदर इख्तिलाफ कामिल रखता हो कि हाकिम मौसूफ की दानिस्तमें बनजर मुक्तजाय मादलतके मुकद्दमे का हाईकोर्टमें भेजना जरूरी मालूमहो तो उसको लाजिमहै-कि मुकद्दमे को हाईकोर्ट में बादलिखने वजूह अपनी रायके भेजदे-और जब जूरी की राय मशअर बराअत मुल्जिमकेहो तो यहराय जाहिर करे कि मुल्जिम से कौनसा जुर्म उसकी दानिस्तमें सरज़दहुआ॥

जब कभी हाकिम अदालत इस दफ़ा के बमूजिब मुकद्दमा हाईकोर्ट में भेजे उसको मुनासिब नहीं है कि तजवीज रिहाई मुल्ज़िमकी या तजवीज मशअर इसबात किसी जुर्म के मिन्जुम्ला उन जरायमके कलम्बन्द करे जिनकी बाबत शख्स मुल्जिमकी तजवीज हुई हो बल्कि उसको अख्तियारहै कि शख्स मुल्जिम को फिर हिरासत में भेजे या उससे जमानत लेले॥

जब मुकद्दमा इसतौर से भेजाजाय जायज है-कि उसके फैसल करने में हाईकोर्ट उन अख्तियारात में से जोकि वह बसीगे अपील अमल में लासक्तीहै किसी अख्तियार को अमल में लाये-मग हाईकोर्ट मजाज होगी कि शख्स मुल्जिम को किसी ऐसे जुर्म बरी करे या उसपर जुर्म साबित करारदे जो अहाली जूर बएतबार फर्द करारदाद जुर्मके जो उनके रूबरू रक्खीगई थ उसपर साबित करारदेसक्तेथे-औरअगर उसपर जुर्म साबित करा देतो मुल्जिम की निस्बत उसकदर सजा तजवीज करे जो उसक निस्बत अदालत सिशनसे तजवीज होसक्ती थी॥

(जे)-तजवीज मुकर्रर मुल्जिम के मुकद्दमे की बाद रुख्सत होने अहालीजूरी के॥

दफ़ा ३०८-जब अहाली जूरी रुख्सतहोजायँ तो शख्स मुलि म हिरासतमें या हाजिर जामिनी पर रक्ख जायगा यानी जैसीसूरतहो-और उसकेमु द्दमेकी तजवीजबजरिये दूसरी जूरीके अम में आयेगी बजुज उससूरतके कि हाकिम की दानिस्तमें तजवी

तजवीज मुकर्रर मुल्जिमकेमुकद्दमे के बादरुख्सतहोने जूरीके,

जदीद होनी मुनासिब न हो-कि उस सूरतमें हाकिम अदालतको लाजिम होगा कि फर्द करारदाद जुर्मपर उस मजमूनको तहरीर करदे-और ऐसी तहरीर असर बराअत का पैदाकरेगी॥

(हे) इख्तिताम तजवीज उनमुकद्दमात का जिनमें तजवीज बअआनत असेसरोंकेहो॥

दफ़ा ३०९-जब किसी मुकद्दमेमें जिसकी तजवीज असेसरोंकी मददसेहो बयान मुद्दआअलेहका और जवा बपैरोकारनालिशकाअगरकोईहो खतमहोलेतो अदालतको अख्तियार है कि खुलासा हालसुबूत जानिब मुद्दई व मुद्दआअलेहका जाहिर करे—और उसकेबादलाजिमहै किअसेसरोंको हुक्मदे कि हरएक अपनी २ राय जबानी जाहिर करे-और अदालत हरएक की रायकलम्बन्दकरेगी॥

असेसरोंकीरायोंका सुनायाजाना,

तब हाकिम अदालत अपनीतजवीज सादिर करेगा मगरतजवीज सादिर करने में उसपर इसबातकी पाबन्दी न होगी कि ख्वाहमख्वाहअसेसरों की रायकाइत्तबाअकरे॥

तजवीज,

अगर शख्स मुल्जिमपर जुर्म साबित करारपाये तो हाकिम अदालत उसपर हुक्मसजामुताबिक कानून केसादिरकरेगा॥

(तो)--कारखाई उससूरत में जबमुल्जिमपर कोई जुर्म पहिले साबित हो चुकाहो॥

दफ़ा ३१०--जिसमुकद्दमेमेंतजवीज मारफतअहलजूरीयाबअआनत असेसरानहो और मुल्जिम पर ऐसे जुर्मका इल्जामलगायाजाय जो किसी और जुर्मके वकूअ के बाद जो उसपर पहिले साबित होचुकाहो वकूअ में आयाहो तो उस कारखाई में जो दफ़आत २७१-व २८६-व ३०५-व ३०६-व ३०८ में मुन्दर्जहै तब्दील हस्ब मुफ़स्सलै ज़ैलहोगी॥

कारखाई उससूरतमें जब मुल्जिमपरकोई जुर्मपहले साबितहोचुका हो,

(अलिफ़)--वहजुज्व फर्द करारदाद का जिसमें हुक्म इसबात जुर्मसाबिकका जिक्रहो अदालतकेरूबरू न पढ़ाजायेगा और न मुल्जिमसे यह इस्तिफ्सार कियाजायेगा कि उसपर कोई जुर्म हस्ब

मुतजक्किरै फर्द करारदाद के पहिले साबितहोचुका है या नहीं-बजुज इसके और तावक्के कि मुल्जिमने इल्जाम जुर्म माबादका इक़बाल कियाहो या वह जुर्मउसपर साबितहोचुकाहो॥

(बे)-अगरमुल्जिम जुर्म माबादको कुबूलकरे या वहजुर्मउसपर साबित कियाजाय तबउससे पूंछा जायेगा कि आयाहस्ब मुन्दर्जै फर्द क़रारदादके उसपर पहिले कोईजुर्म साबितहोचुकाहै यानहीं॥

(जीम)-अगर मुल्जिम जवाबदे कि उसपर पहिलेजुर्म साबित होचुका है तो हाकिम अदालत कोअख्तियारहै किउसकालिहाज़ करके उसपर हुक्मसजा सादिरकरे इल्ला-अगर किसी जुर्ममाक़ब्ल के उसपर साबित होने से इन्कारकरे या सवाल मजकूर-काजवाब न दे या देनेसे इन्कारकरे तोअहालीजूरी या अदालतको बशमूल असेसरानके(जैसीसूरतहो)लाजिमहै कि हालजुर्म मुसाबिते साबिक़की तहक़ीक़ातकरे-और ऐसी सूरतमें (अगरतजवीज मार्फत जूरीके होतीहो)अहालीजूरीको मुकर्ररहलफदेना जरूर न होगा॥

† बिला लिहाज किसी मज़मूनमुंदर्जै दफ़ाहाजा के जुर्म माबादकी तजवीज़के वक़्त साबिक़का मुजरिमक़रार पाना बसूरत सुबूतके पेशकियाजासक्ताहै-बशर्तेकि साबिक़केमुजरिम क़रार पाने का हाल ऐक्ट शहादत मुतअल्लिक़ै हिंदमुसद्दिरै सन् १८७२ ई० के अहकामकी रूसे वाक़ै मवस्सरहो †

(ये)--फेहरिस्त अहालियान जूरी मुतअल्लिक़ै हाईकोर्ट और तलबी अशखासजूरी की उस अदालत में॥

*दफ़ा ३१२--अहाली जूरी खासकी फेहरिस्त में किसी वक्तपर ४०० + चारसौ से जियादह अशखास के नाम दाखिल न किये जायँगे॥

अहाली जूरीखासकी तादाद,

दफ़ा३१३--क्लार्कशाही को चाहिये कि हरसाल की यकुम

---

†-†यहइबारतवज़रियेऐक्टनंबर३मुसद्दिरैसन्१८९१ई० कीदफ़ा६केदाखिलकीगई
* दफ़ा३११-बजरियेऐक्टनम्बर१२मुसद्दिरैसन्१८९१ई०केमंसूखकीगई,
+दफ़ा३१२ में लफ़्ज"चार,,साबिक़लफ़्ज़कीजगहऐक्ट ५-सन्१८८८ई० की दफ़ा ९-की रूसे क़ायम कीगई है,

आम और खासअहाली एप्रिलसे पहिले बपाबन्दी उन क़वाइद के जूरीकी फ़ेहरिस्तें, जो वक़्तन फ़वक़्तन हाई कोर्टसे मुक़र्रर किये जायँ फ़ेहरिस्त हाय मुफ़स्सिले ज़ैलमुरत्तिब करतारहै॥

(अलिफ़)-एकफ़ेहरिस्त तमामअशख़ासकी जोआमअहाली जूरीकी ख़िदमत देनेके मुस्तौजिब हों॥

(बे)-एकफ़ेहरिस्त उन अशख़ासकी जो सिर्फ़ ख़ासजूरी की ख़िदमत देनेके मुस्तौजिबहों॥

फ़ेहरिस्त आख़िरुलज़िक्र के तैयार करनेमें उन अशख़ास की हैसियतमाली और चालचलन और लियाक़तइल्मीकाभी लिहाज़ कियाजायेगा जिनके नाम उसमें दाख़िलहों॥

कोई शख़्स अपना नाम ख़ासजूरी की फ़ेहरिस्त में दाख़िल करानेका इस्तहक़ाक़ महज़ इसवजहसे न रक्खेगा कि सालगुज़िश्तामें उसका नामख़ासजूरीकी फ़ेहरिस्तमें दाख़िलकियागयाथा॥

दरसूरत तलबी अजतरफ़हाईकोर्ट कलकत्ताके जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर-बइजलास कौंसलको और दूसरी हाईकोर्टों की तलबी की सूरत में लोकलगवर्नमेण्ट को अख़्तियार है-कि गवर्नमेण्ट के किसी उहदेदार मुशाहिरायाब को अहलजूरी की ख़िदमत करने से मुस्तस्ना रक्खे॥

फ़ेहरिस्त तैयार करनेवाले ओहदेदार का अख़्तियार, क्लार्कशाही को बरिआयत क़वाअद मुतज़क्किरै सदर अख़्तियार कुल्ली रहेगा कि फ़ेहरिस्तहाय मज़कूरह जिसतरह मुनासिब समझे तैयारकरे--और उसकी तजवीज़का अपील नहोगा और न उसपर नज़र सानी होगी॥

फ़ेहरिस्त हायमुरत्तिबा व मुसह्हा का मुश्तहरहोना, दफ़ा ३१४-जो अशख़ास कि आमजूरी और नीज़ख़ासजूरी की ख़िदमत देनेके मुस्तौजिब हैं उनकी फ़ेहरिस्तमुरत्तिबा बसब्तदस्तख़त क्लार्क शाही के तैयारी के बादजो पहिला माह एप्रिल बाक़ै हो उसकी १५-पंद्रहतारीख़से पहिलेसरकारी गज़टमोंमें एक मर्तबा मुश्तहिर की जायगी॥

जो अशखास कि आमजूरी और नीज़ खास जूरीकी खिदमत देनेके मुस्तौजिब हैं उनकी फ़ह्रिस्त हाय मुसह्हा दस्तखती हस्ब बयान मज़कूरैबाला तैयारी के बाद जो पहिला महीना मई का वाक़ैहो उसकी पहिली तारीखसे पहिले एकमर्तबा सरकारी गज़ट मौक़ेमें मुश्तहिर कीजायेगी॥

इन फ़ेहरिस्तोंकी नक़लें अदालतके मकानमें किसी नज़रगाह आमपर आवेज़ां कीजायँगी॥

दफ़ा ३१५—मिन्जुम्ला उन अशखासके जिनके इसमाय फ़ेहरिस्त हाय मुसह्हा मुसर्रहाबालामें मुन्दर्जहों हरबल्दै प्रेजीडंसी में हर इजलास सिशन के वास्ते अक़ल दरजा २७-सत्ताईस शख्स उन अशखासमें से जो खास जूरीकी खिदमतदेनेके मुस्तौजिबहों और ५४-चौवन शख्स उनमें से जो आमजूरी की खिदमत अदाकरनेके लायक़ हों तलब कियेजायेंगे॥

कहाली जूरीकीतादाद जोबल्दह प्रेज़ीडसी में तलब कियेजायेंगे,

कोई शख्स ६-छः महीनेके अन्दर एकबारसे ज़ियादह तलब न किया जायगा इल्ला उस सूरतमें कि उसके बग़ैर तादाद अहाली जूरी की मुकम्मिल न होसक्ती हो॥

अगर दरअस्नाय क़ायम रहने किसी इजलास सिशनके यह मालूमहो कि तादाद उन अशखासकी जो इस निहजपर तलब किये जायें काफ़ी नहीं है तोउसक़दर अशखास जायद जो ज़रूरी हों और जूरीकी खिदमत देने के मुस्तौजिबहों उस इजलास सिशन के लिये तलब कियेजायेंगे॥

तलबीजायद,

दफ़ा ३१६—जबकिसी हाईकोर्टने अपना इरादामुश्तहर करने इजलास बग़रज़निफ़ाज़ अपने अख्तियारात फ़ौजदारी सीग़ैइब्तिदाई अन्दर किसी मुक़ाम के जो बलाद प्रेज़ीडंसीके बाहरहो मुश्तहिरकियाहो तो उस मुक़ाम की अदालत सिशनको लाज़िम है कि बक़ैद किसी हिदायत के जो हाईकोर्ट से सादिर हो अपनी फ़ेहरिस्त में से अहाली जूरीनतादाद काफ़ी उसी तरह तलब करे जिस तरह

बलाद प्रेजीडंसी के बाहर अहालीजूरी को तलब करना,

अहाली जूरीको अदालत सिशनमें तलब करनेका तरीक़ा आयंदा ज़ाहिर कियागया है ॥

अहाली जूरी फौजी, दफ़ा २१७–अलावा उन अशखासके जो जूरीकी ख़िदमत देनेके लिये इस तौरसे तलब कियेजायँ अदालत सिशन मज़कूरको लाज़िम है-कि अगर ज़रूरत देखे कमान अफ्सर से मशविरा करके मिन्जुम्लै अफसरान सनदयाफ्ता व ग़ैर सनदयाफ्ता मुतअय्यनैफ़ौज मलिकामुअज्ज़िमाके जो उसअदालतके मुक़ाम इजलाससे १० दश मीलके अन्दररहतेहों जिसक़द्र अफसर वास्ते पूराकरने तादाद जूरीके उन अशखासकी तजवीज केलिये अदालतकी दानिस्तमें जरूरी हों जिनपर इल्जाम जरायम का हाईकोर्टके रूबरू हस्ब बयान मरक़ूमेबाला कियागया हो तलब कराये ॥

तमाम ऐसे अफ्सर जो तलब कियेजायँ इसबात के मुस्तौजिब होंगे कि बावस्फ़ किसी और मज़मून मुन्दर्जे इसमजमूये के जूरीकी ख़िद्मत अदाकरें मगर कोई ऐसा अफ्सर तलब न किया जायेगा जिसका कमान अफ्सर यह ख्वाहिश रखताहो कि बरबिनाय किसी जरूरत अशद जंगी के या बाअस किसी और वजह खासजंगीके उसको इस खिदमत से मुआफ़कराये ॥

अहाली जूरी का न हाजिर होना, दफ़ा २१८-- हर शख्सजो बमूजिबदफ़आत २१५-या २१६-या २१७ के तलब किया जाय और बिलाउज्र जायज के हस्बुलहुक्ममुंदर्जे सम्मन हाजिर न हो या हाजिर होकर बग़ैरहसूल इजाजत हाकिम अदालत के चलाजाय या इजलास अदालतके इलतवाकेबाद और बादसिदूर हुक्म उसके हाजिर होनेके हाजिर न हो तो वह शख्स मुर्तकिब जुर्म तौहीन अदालतका मुतसव्विर होगा और इसबातके लायक़ होगा कि जिसक़दर जुर्माना हाकिम अदालत मुनासिब समझे उसपर आयदकरे-और दरसूरत अदमअदाय जुर्माना जेलखाने दीवानी में उसअरसेतक क़ैद रक्खाजायगा जबतक कि वहजुर्माना अदा न कियाजाय ॥

(काफ) बाबत तरतीब फेहरिस्त अहाली जूरी व असेसरान अदालत सिशन व तलबी अहाली जूरी और असेसरोंके उसअदालतमें ॥

दफ़ा ३१९-तमाम अशखास जकूर जिनकी उमरें २१ इकीस बरस और ६० साठ बरसके दरमियानहों बजुज उनके जो जैल में मजकूर हैं किसी मुकद्दमेकी तजवीज में जो उस जिलेमें हो जहांउनकी सकूनतहो जूरी और असेसरका काम देनेके लायकहोंगे ॥

वहांसियत जूरी या असेसर काम देनेकी लियाक़त,

दफ़ा ३२० अशखास मुफस्सिलै जैल जूरी या असेसर की खिद्मत देने से मुआफ किये गये हैं यानी

मुआफ़ियान,

(अलिफ़) ओहदेदारान मुतअय्यना कारमुल्की जो मजिस्ट्रेट जिले से बालाऽतबा रखते हों ॥

(बे)-साहिबानजज ॥

(जीम)-कमिश्नरान और कलक्टरान सीग़ै माल या सीग़ै परमट ॥

(दाल) वह अशखास जो सीग़ैपरमट में खिदमत इन्सदाद गुजर खुफिये माल महसूलीकी अंजाम देतेहों ॥

(हे)--वह अशखास जो मालगुजारीकी तहसील में मसरूफ़ हों और जिनको कलक्टर बवजह तक़ाजाय कारसरकार के बरी करना मुनासिब समझे ॥

(वाव)—वह अशखास जो फ़िलवाक़े अपने २ मजहबोंमेंकाम पादरीका करतेहों या दीनी मन्सबों पर मामूर हों ॥

(जे)-अशखास जो मुल्किमुअज्जिमा की फौजमें नौकर हों-बजुज उस सूरत के कि बएतबार किसी कानून मजारियेवक्त के वह बिल्तखसीस जूरी या असेसरकी खिदमत देने के लायक करार दिये जायें ॥

(हे)-साहिबानसरजन वगैरह अशखास जो अलानिया और हमेशा तिबाबतकापेशाकरते हों ॥

(तो)-अशखास जो डाकखाने और तारबरकी के सीग़ों में मुलाजिम हों ॥

(ये)—वह अशखास जो मजमूये जाबिते दीवानीकी दफ़ात ऐक्ट १४ सन् १८८२ई०, ६४० व ६४१ के मुताबिक़ अदालतमें असालतन हाजिर होने से बरीकिये गयेहैं ॥

(फ़ाफ़)--वह दीगर अशखास जो लोकलगवर्नमेण्टके हुक्म से जूरीया असेसरकी खिदमत देनेसे मुआफ़ किये गयेहैं ॥

दफ़ा ३२१—सिशनजज और जिलेकाकलक्टर या दूसरा- अहाली जूरीऔर ओहदेदार जिसे लोकल गवर्नमेण्ट इस अम्र असेसरोंकीफेहरिस्त, के लिये मुक़र्रर करे ऐसे अशखासकी फ़ेहरिस्त जो जूरी या असेसर की खिदमत अंजाम देने के मुस्तौजिब हों और हस्ब राय सिशनजज या कलक्टर या दीगर ओहदेदारमुतज़क्किरैसदर ऐसी खिदमत अंजाम देनेके लायकहों औरजोगालिबन् हस्ब दफ़ा २७८ जिम्न हाय (बे) लगायत (हे) एतराजके लायकनहों बतरतीबहरूफ़ तहज्जीतय्यार और मुरत्तिबकरेगा॥

फेहरिस्त मजकूरमें हरशख्स मस्तूरका नाम और मुक़ाम सकूनत और हैसियत या पेशा लिखा जायेगा और अगर वह शख्स अहल यूरुप या अहल अमरीका हो तो उसकी क़ौमियत भी फेहरिस्तमें दर्ज कीजायेगी ॥

दफ़ा ३२२—ऐसी फ़ेहरिस्तकी नक़लें कलक्टर या दीगर ओहफ़ेहरिस्त का मुश्त देदार मज़कूरके दफ्तरमें और जिलेके मजिहर होना, स्ट्रेट और अदालत जिलेकी कचहरियों में और जिस क़सबे या क़सबाजातमें या उनके मुत्तसिल अशखास मुन्दर्जे फेहरिस्त सकूनत रखतेहों उनकी नजरगाहआममें आवेजांकीजायेंगी ॥

दफ़ा ३२३--ऐसीहर नक़ल के साथ इसमज़मून का इत्तिला- फेहरिस्तपरएतराज़ात, अनामा शामिल रहेगा कि जिस किसी को फेहरिस्तपर एतराजकरना मंजूरहो उसका एतराज़ मारफ़त सिशन जज या कलक्टर या और ओहदेदार मजकूरके सिशन के मुक़ाम कचहरी में ऐसे वक्त पर मसमूअ और फैसल कियाजायेगा जो इत्तिलाअनामे मज़कूर में मुन्दर्ज हो॥

दफ़ा ३२४-एतराजात मजकूर की समाअ्‌तके लिये सिशन जज कलक्टर या दीगर ओहदेदार मजकूरके साथ इजलास करके वक्त और मौकेमुन्दर्जेइ त्तिलाअ्‌नामे पर फ़ेहरिस्त की नजरसानी करेगा और उनअश-खास में से जिनको फ़ेहरिस्तकी तरमीम से गरजहो अगर कोई एतराज करे तो उसकी समाअत करेगा-और ऐसेशख्सका नाम फ़ेहरिस्त से खारिज करेगा जो उनकी दानिस्त में खिदमात मुफ़व्विजे जूरी या असेसरके अंजाम देनेके लायक न हो या जोदफ़ा ३२० की रूसे अदाय खिदमतसे मुस्तस्ना होने का हक साबित करे-और किसी और शख्सकानाम दर्ज करेगाजो पहिलीफ़ेहरिस्त से मतरूक रहाहो और उनकेनजदीक मन्सबमजकूरकेलायकहो॥

फ़ेहरिस्तकी नजरसानी,

अगर माबैन कलक्टर या दीगर ओहदेदार मुतजक्किरै सदर और सिशनजज के इख्तिलाफ रायहो तो अहलजूरी या असेसर का नाम जिसकी बाबत इख्तिलाफ़ किया जाय फ़ेहरिस्त से खारिज किया जायेगा ॥

फ़ेहरिस्त मुसह्हहाकी एक नक़ल हर सिशन जज और कलक्टर या दीगर ओहदेदार मौसूफ़ के दस्तखत सब्त होने के बाद अदालत सिशनमें मुरसिल कीजायेगी ॥

हुक्म सिशन जज या कलक्टर और दीगर ओहदेदार मौसूफ़ का दरबाब तय्यारी या तसहीह फ़ेहरिस्त के क़तई होगा ॥

हरइबारत जिसकादावा हस्बदफ़ाहाजा न किया जाय उसवक्त तक कि फ़ेहरिस्तकी दूसरी बार इसलाह कीजाय ऐसी समझी जायेगी कि उससे दस्त बरदारी की गई ॥

दफ़ा ३२५- जो फ़ेहरिस्त हस्बतरीकै मुतजक्किरै सदरतैयार और सही कीजाय उसपर हरसाल में एक मर्त्तबा नजर सानी कीजायेगी ॥

फ़ेहरिस्तकी सालाना नज़रसानी,

यहफ़ेहरिस्त जिसपरहस्बतरीकै मुतजक्किरै सदर नज़रसानी कीजाय एकफ़ेहरिस्त जदीद समझीजायेगी और उससे वहतमामकवा-

यद मुतअल्लिक होंगे जो दफ़आत मासबक़ में उस फेहरिस्त से मुतअल्लिक हैं जो इब्तिदान् मुरत्तिब हुईथी ॥

दफ़ा ३२६---सिशन जजको लाज़िम है-कि अलल्उमूम तारीख़मुकर्ररा इजलास सिशनसे जिसको वह वक़्तन् फ़वक़्तन् मुक़र्रर करतारहेगा कमसेकम तीनदिन पहिले एक चिट्ठी मजिस्ट्रेट जिलेके नाम इसहिदायतसे भेजे कि अशखास मुन्दर्जे फेहरिस्त मुसहहा मज़कूरमें से उसक़दर नफ़र को तलबकरे जो बदानिस्त अदालत मौसूफ़ा इजलास मज़कूरमें मुक़द्दमात लायक़ तजवीज जूरी और मुक़द्दमात इस्तिमदादी असेसरानमें शरीकहोनेके लिये ज़रूरहों-और अशखास तलब शुदहकी तादाद उस तादादके दुचंदसे कम न होगी जो किसी ऐसी तजवीजके लिये दरकारहो ॥

मजिस्ट्रेटजिलाजूरियों और असेसरोंकोतलब करेगा,

उन अशखासके नाम जिनका तलबकरना ज़रूरहो कुरअःके ज़रिये से कचहरी आममें निकाले जायेंगे मगर वह अशखास दाखिल फेहरिस्त मुसहहा जिन्हों ने पिछले छःमहीनेके अन्दर काम दियाहो खारिजरहेंगे-बजुज उससूरतके कि तादाद मतलूबा बिला शमूल उन अशखासके पूरीनहोसके-पस इसमाय बरामदशुदह चिट्ठी मज़कूर में दर्जकिये जायेंगे ॥

दफ़ा ३२७--जब तादाद मुक़द्दमात जेर तजवीज की इतनी कसीरहो कि अहालीजूरी या असेसरोंकी एकही जमाअतको तमाम अय्याम इजलास तक हाज़िर रखना मूजिब उनकी गरांबारी खातिरका हो या जब किसी और वजहोंसे ऐसी हिदायात करनी ज़रूरहो तो अदालत सिशन यह हिदायत करसक्ती है कि सिवाय उसअय्यामके जो दफ़ा ३२६ में मखसूसहैं अशखासजूरी और असेसरलोग और और अय्याममें भी तलबकियेजायें ॥

जूरियोंया असेसरों की दूसरीजमाअतकेतलबकरने का अख्तियार,

दफ़ा ३२८--लाज़िमहै-कि हरसम्मन जो बनामअहलजूरी या असेसरके भेजाजाय तहरीरीहो-और उसमें यह हुक्महो कि वह अहलजूरी या असेसर

सम्मनका नमूना और मज़ामेन,

की हैसियतसे जैसा मौकाहो एकवक्त और एक मौके मुफ़स्सिलै सम्मन पर हाज़िरहो ॥

दफ़ा ३२६—अगर कोई शख्स जिसके नाम जूरी या असेसर की खिदमत देनेका सम्मनजारीहुआहो सर्कार या किसी रेलवे कम्पनीका मुलाज़िम हो तो जायजहै कि अदालत जिसमें वह बज़रिये सम्मन तलब कियागयाहो उसको हाज़िर होनेसे मुआफ़ रक्खे बशर्ते कि उसदफ्तरके अफ्सरकी तहरीरसे जिसमें वह नौकरहो यह वाजैहो कि वह बिला तकलीफ़दिही खलायक्कके बतौर जूरी या असेसर के जैसा मौकाहो हाजिर नहीं होसक्ताहै ॥

कबमुलाज़िमसरकारी या मुलाज़िम रेलवे माफ़ रक्खाजासक्ताहै,

दफ़ा ३३०—अदालत सिशन मजाज़है कि ब एतबार किसी वजह माकूलके किसी अहलजूरी या असेसरको किसी खास जलसे सिशनमें हाजिर होनेसे मुआफ़रक्खे ॥

अदालतअहलजूरीया असेसरको हाजिरी से मुआफ़ रखसक्ती है,

दफ़ा ३३१--हर जलसे सिशनमें अदालत मौसूफ़ एक फेहरिस्त उन अशखासकी मुरत्तिबकरायेगी जो उस सिशनमें कामजूरी या असेसरका देनेके लिये हाजिरहुयेहों ॥

फेहरिस्तउनअहालो जूरीऔरअसेसरोंकीजोहाज़िरहों,

यह फेहरिस्त अशखास जूरी और असेसरकी उस फेहरिस्तके साथरक्खीजायेगी जिसकी इसलाह दफ़ा ३२४के मुवाफिकहुईहो॥

फेहरिस्त मुसहहा के हाशिये में महाज़ी उननामों के जो फेहरिस्त महकूमा दफ़ाहाज़ामें मुन्दर्ज हों हवाले की इबारत लिखी जायेगी ॥

दफ़ा ३३२--हर शख्स जिसको सम्मन वास्ते हाज़िर होने बतौर अहल जूरी या असेसरके भेजागया हो और जो बमूजिब हुक्म सम्मनके बिला उज्र जायज़ हाज़िर होने में क़सूरकरे या हाजिर होनेके बाद बिलाहुसूल इजाज़त अदालत चलाजाय या मुक़द्दमे की तारीख़ मुल्तवीपर बाद इसके कि अदालतने उसको हाजिरहोने

जुर्माना वइल्लतअदम एहजारअहलजूरी या असेसर के,

का हुक्म दियाहो हाजिर न हो इसबात का मुस्तोजिब होगा कि बमूजिब हुक्म अदालत सिशन के किसी कदर जुर्माना दे जो एक सौरुपये से जियादह न हो ॥

जुर्माना मजकूर मारफत साहबमजिस्ट्रेट जिला बजरिये कुर्की और नीलाम जायदाद मन्कूला ममलूका ऐसे अहलजूरी या असेसरके वसूल कियाजायेगा जो अन्दर हुदूद अरजी अख्तियार हुकूमत उस अदालत के हो जिसने हुक्म सादिर किया हो॥

अगर तादाद जुर्माना बजरिये कुर्की व नीलाम जायदाद के वसूल न होसके तो जायज है-कि ऐसा अहलजूरी या असेसर बजरिये हुक्म अदालत सिशन जेलखाने दीवानी में पन्द्रह रोज तक क़ैद रक्खाजाय-इल्ला उस सूरत में कि वह जुर्माना मीआद मजकूरके खतमहोने से पहिले अदा होजाय ॥

(लाम)-खास शरायत हाईकोर्टों के लिये॥

दफ़ा ३३३—जो मुक़दमा इस मजमूये के मुताबिक़ हाईकोर्ट के रूबरू तजवीज किया जाय उसकी किसी नौबत पर क़ब्लगुजरने रायजूरी के साहब ऐडवोकेट जनरलको अख्तियारहै-कि अगर मुनासिब समझे जनाब मलिकामुअज्जिमाकी तरफसे अदालत को इत्तिलाअ दे कि बरबिनाय उसकरारदाद जुर्मके वह मुक़द्दमेकीपैरवी बमुक़ाबिले मुद्दआअलेह न करेगा-और ऐसी इत्तिलाअ पर तमाम कार्रवाई जो बरबिनाय ऐसे क़रारदाद जुर्मके मुद्दआअलेहकी निस्बत अमलमें आई हो मौकूफ़ की जायगी-और वह उससे रिहाई पायेगा—मगर वह रिहाई बमनजिले बराअतके नहोगी इल्ला उस हालमें कि हाकिम इजलास कुनिन्दा और नेहजका हुक्मदे॥

(ऐडवोकेट जनरलका अख्तियार दरबारह मौकूफ़ करने पैरवी के,)

दफ़ा ३३४—वास्ते तामील अपने अख्तियारात इब्तिदाई सीगे फौजदारी के हर अदालत हाईकोर्ट उन तारीखोंमें और ऐसे मुनासिब फ़ासिलों पर इजलास करेगी जिन को उसअदालतका चीफजस्टिस वक्तन्फवक्तन् मुकर्रर करतारहै॥

(इजलासकरने कावक्त,)

दफ़ा ३३५—अदालत हाईकोर्ट को लाजिम है-कि अपना

इजलास करने का मुकाम, इजलास उसी मुकामपर करे जहां बिल्फैलक़र्रार है-या किसी और मुकामपर (अगरकोईहो) जो नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलासकौंसल दरहालेकि वह अदालत हाईकोर्ट मुतअय्यना फोर्टविलियम बंगालाहो या लोकल गवर्नमेण्ट दरहालेकि वह कोई दूसरी अदालत हाईकोर्ट हो- हिदायत करे ॥

मगर कोर्ट मज़कूर मजाज़है-कि वक्तन् फवक्तन् अगर वह हाईकोर्ट मुतअय्यना फ़ोर्टविलियम बंगालाहो तो बमन्ज़ूरी जनाब नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल और बाकी और सूरतोंमें बमंजूरी लोकलगवर्न्मेण्टके-इलाके समाअत अपील की हुदूद अरजीके अन्दर ऐसे और २ मुकामात पर इजलासकरे जो कोर्ट मजकूरकी तजवीज से मुकर्रर किये जायें ॥

जिस ओहदेदारको चीफजस्टिस हिदायत करे उसको लाज़िमहै-कि पहिलेसे इश्तिहार इसअम्रकामोंके इजलासहोनेकीइत्तिलाअ, के गजट सरकारी में छपवादे कि वास्ते निफ़ाज अख्तियारात समाअत इब्तिदाई सीगेफौजदारी मुतहस्सिले हाईकोर्ट के कोर्ट मौसूफ का कहां और किसवक्त इजलास होगा ॥

दफ़ा २३६--अदालत हाईकोर्टको यहहुक्म देना जायजहै-कि रिआयाय बृटानिया अहल यूरुपकेमुकद्दमेको तजवीज कामुकाम, जितने अहलयूरुप रिआयाय बृटानिया और अशखास जिनके मुकद्दमे लायक तजवीज हाईकोर्ट हस्ब दफ़ा २१४ के हों जोचंद मुअय्यन इजलाअ के अन्दर या सालके चंद औकात मुअय्यनके अन्दर तजवीज मुकद्दमेके लिये सिपुर्द अदालत किये गयेहों उन सबकेमुकद्दमों की तजवीज हाईकोर्टके मामूली मुकाम इजलास में होगी-या यह हुक्म देना जायज है कि उनकेमुकद्दमोंकी तजवीज किसी खासमौके * नामजदह पर होगी ॥

---

* दरबारह लोयरबर्ह्माके देखो ऐक्ट ११-सन् १८८६ ई०कीदफ़ा ६७ (४)

बाब–२४ ॥

शरायत आम बाबत तहकीक़ात व तजवीजात मुकद्दमा ॥

शरीक जुर्मको माफी का वादा,

दफ़ा ३३७–*दरसूरतकिसीजुर्मके × जोमहजलायक़ तजवीज अदालत सिशन या हाईकोर्टकेहो + मजिस्ट्रेट जिला और मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी और हर मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल जो जुर्मकी तहक़ीक़ात करताहो या बाद मंजूरी मजिस्ट्रेट जिलेके हरदूसरा मजिस्ट्रेटमजाज है कि बनजर हुसूल शहादत किसी शख्सके जिसकी निस्बत गुमान हो कि वह किसी जुर्म जेरतजवीजके इर्तिकाबमें हीलतन् या सराहतन् शरीक या उसका वाक़िफ़कार रहाहै शख्स मजकूरके साथ इसशर्त्त पर वादा मुआफी सजाकाकरे कि वह कुलहालात मुतअल्लिके जुर्म जो उसके इल्ममें हों मय नाम उन अशखासके जो उस जुर्म के इर्तिकाबमें बतौर अस्ल मुजरिम या मुआविन के शरीकरहेहों बिलाकम व कास्त रास्त रास्त जाहिर करदे ॥

हरशख्सजो जुर्मकी मुआफी हस्ब मन्शाय दफ़ाहाजा क़बूल करे उसका इजहार बतौर गवाह मुक़द्दमे के लियाजायगा ॥

अगर ऐसाशख्स जमानतपर रिहा न हुआहो तो वह रोज इख्तिताम तजवीजतक + जोमार्फतअदालतसिशन याहाईकोर्टके होगी यानी जैसी सूरत हो + हिरासत में रक्खा जायेगा ॥

हरमजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी न हो जो इसदफा के बमूजिब सजाकी मुआफीका वादाकरे ऐसा वादा करनेकी वजूह कलम्बंदकरेगा और जबवह ऐसावादाकरे और उसशख्सकाइजहार लेले जिसको मुआफीदीगईहो उसको अख्तियार न होगा कि खुदमुकद्दमेकी तजवीजकरे गोवहजुर्मजो जाहिराशख्समुल्जिमसे

---

* दरबारह वादह मुआफी शरीक के अपर ब्रह्मामें और तजवीज मुकद्दमा बजरिये मजिस्ट्रेटके—देखो कानून ७-सन्१८८६ई० के जमीमेकी दफा ११-मगर दरबारेरिआयाय बृटानिया अहल यूरुप के देखो दफा ९९—ऐजन

+-+-+-+ उनमुक़ामातमें जहांकानून जरायमसरहद्दीपंजाबमुसंद्रिसन्१८८७ई जारीहै-यहमल्फाजदफा३३७सेनिकालदियेजायेंगेदेखोकानून४सन् १८८७ई०

सरजदहुआहैमजिस्ट्रेटमजकूरकीसमाअतव तजवीजकेलायकहो॥

वादा मुआफ़ीकेंहिदा ऽल यत करनेका अख्तियार,

दफ़ा २३८—किसी वक्तपर बाद सिपुर्दगी मुक़द्दमा मगर क़ब्ल सिदूर तजवीज के उसअदालत को जिसमें सिपुर्दगी की गईहो अख्तियारहोगा कि उसमुक़द्दमेमें ऐसेशख्सकी शहादत हासिलकरनेकेलिये जिसकी निस्बत गुमानहो कि वह हीलतन् या सराहतन किसीजुर्म किस्म मुतजक्किरे सदरके इर्त्तिकाबमें शरीकहुआहै या उसका वाकिफ़कार है शख्स मजकूरके साथ मुआफ़ी सजाका वादाकरे-या मजिस्ट्रेट सिपुर्द कुनिन्दा मुक़द्दमा या मजिस्ट्रेट जिलाको बमलहूजी उन्हीं शरायतके जोऊपरमजकूरहैं मुआफ़ीसजाकेवादाकरनेकाहुक्मदे॥

सिपुर्दगी उसशख्सको जिसके साथ वादा मुआफ़ी किया गयाहो,

दफ़ा २३९—*जब वादा मुआफ़ी सजा दफ़ा २३७ यादफ़ा २३८ के मुताबिक़ कियाजाय और किसी शख्स ने जिसने ऐसा वादा कबूल कियाहो किसी वाक़िअह वादह के अमदन मख़फ़ी रखने से या झूठी गवाही देने से उन शरायत की तामील न की हो जिनके एतबार पर उसके साथ वादा किया गयाथा तो जायज है कि उसकी तजवीज बाबत उस जुर्म के जिसकी निस्बत वादा मुआफ़ी इसतौर पर कियागयाहो या वास्ते तजवीज किसी और जुर्म के जो जुर्म अव्वलुल्जिक्रसे मुतअल्लिक़ और जाहिरा उससे सरजद हुआहो की जाय॥

बयान उस शख्सका जिसको मुआफ़ी अताहुई हो जब मुआफ़ी इस दफ़ाके बमूजिब उससे उठालीजाय उसके मुक़ाबिले में बतौर वजह सुबूतके गुजरसक्ताहै॥

कोई नालिश बाबत अदाय झूठी शहादत के निस्बत बयान मजकूर बिलामंजूरी हाईकोर्ट के रुजूअ न कीजायगी॥

---

* दरबारहजरायममुतअल्लिक सलतनतऔरझूठीशहादतकेजिसकावहशख्समुर्तकिबहो जिसकेसाथ अपरब्रह्मामें वादामुआफ़ीकियागयाहोदेखोकानून न०. सन्१८८६ई०केजमीमेकीदफ़ा१०मगरदरबारहरिआयायबृटानियाअहल यूरुपकेदेखोदफ़ा२२—ऐजन्,

मुल्जिमका अख्तियार दरख्सूस जवाबदिही मारफ़त वकील के,

दफ़ा ३४०—हरशख्स जिसपर किसी अदालत फ़ौजदारीके रूबरू इल्ज़ाम लगायाजाय इस्तहक़ाक़न् मजाज है-कि अपनी जवाबदिही मारफ़त वकील के करे ॥

जाबिता जब कि मुल्जिम कारर्वाई को न समझे,

दफ़ा ३४१—अगर शख्स मुल्जिम गो वह फ़ातिरुल्अक्लनहो कार्रवाई अदालत को न समझसक्ताहो तो अदालत मजाज है-कि मुकद्दमे की तहकीकात या तजवीज में मसरूफ़ हो- और अगर मुकद्दमा सिवाय हाईकोर्टके किसी और कोर्टमें दायरहो और तहकीकातका नतीजा मुल्जिमका सिपुर्दहोना या तजवीजका नतीजा मुजरिम पर जुर्म साबित क़रारपानाहो तो काग़ज़ात कारर्वाई मयरिपोर्ट मुफ़स्सल हालात मुकद्दमा अदालत हाईकोर्ट में मुरसिल किये जायँगे-और हाईकोर्ट उसकी निस्बत वह हुक्म सादिर करेगी जो मुनासिब मालूमहो ॥

मुल्जिम के इज़हारलेने का अख्तियार,

दफ़ा ३४२—बदींगरज कि शख्स मुल्जिमको ऐसे मरातिब के साफ़करदेनेका मौकामिले जो शहादतमें ज़ाहिरन् उसके खिलाफ़ मुरादहों तहकीकात या तजवीज की किसी नौबत पर अदालत को अख्तियार है-कि बगैर पेश्तर मुत्तिलअ करने शख्स मुल्जिम के मुल्जिमसे ऐसे सवालात करे जो अदालत को ज़रूरी मालूमहों-और अदालत को लाज़िम है-कि उसी गरज़से बाद कलम्बन्दी बयानात गवाहान जानिब मुद्दई और क़ब्ल इसके कि शख्स मुल्जिम को जवाबदिही करने की इजाज़तहो अमूमन् मुकद्दमे की बाबत उस से इस्तिफ़सार करे ॥

शख्स मुल्जिम इस वजह से मुस्तौजिब सज़ा न होगा-कि उसने ऐसे सवालातका जवाबदेनेसे इन्कार किया या उनका जवाब झूठा बयान किया-मगर अदालत और अहाली ज़ूरी को (अगर कोईहों) अख्तियारहोगा कि ऐसे इन्कार या झूठे जवाबसे जिम्नन् वह नतीजा अख़्ज़करें जो मुक्तज़ाय इन्साफ़ मालूमहो ॥

जायज है-कि जवाबात शख्स मुल्जिम पर न सिर्फ ऐसीतह-क़ीकात या तजवीज़ मुकद्दमेमेंलिहाज़कियाजाय और वह अजतर्फ या बमुक़ाबिले शख्स मुल्ज़िम बजह सुबूत में दाखिल कियेजावें बल्कि किसी औरतहक़ीकात या तजवीज मुकद्दमेमें भी जो मुतअ-ल्लिक किसीऔरजुर्मकेहो जिसका सरजदहोनाउसकेजवाबसेपाया जाताहो काबिललिहाज औरसुबूतमें दाखिलहोनेकेलायकहोंगे॥

शख्स मुल्ज़िमको किसी तरहका हल्फ न दियाजायगा॥

दफ़ा ३४३--बजुज उसकारखाई के जो दफ़आत ३३७ और ३३८ में मुकर्ररहुई है जायज नहींहै कि शख्स मुल्ज़िम पर बज़रिये वादे या तखवीफ या और तौर पर इस अम्रकी तर्गीब देनेके लिये किसी तरहका दबाव डालाजाय कि वह किसी अम्र को जिससे उसको वाक़फ़ियत हो जाहिरकरे या मख़फी रक्खे॥

अफ़्शायअम्रकरानेके लिये कोई दबाव न डालाजायगा,

दफ़ा ३४४-अगर बवजह गैरहाजिरी किसी गवाह या किसी और वजहमाकूलसे यह बात जरूर औरमुक़-जायमसलहतहोकि किसीतहक़ीकातयातज-वीज मुकद्दमेका शुरूअकरना मुल्तवी कियाजाय तोअदालत म-जाज है-कि वक्तन् फवक्तन् अपने हुक्म तहरीरी मय वजूहके ज़-रियेसे ऐसी तहकीकात या तजवीज मुकद्दमेको ब पाबन्दी उन शरायतके जोमुनासिब मालूमहों उस अर्सेके लिये जो माकूल मा-लूमहो मुल्तवी करती रहे और शख्स मुल्जिम को अगर वह हि-रासतमेंहो बजरिये इजराय वारंटके हिरासतमेंरहनेकेलिये भेजदे॥

कार्रवाईके मुल्तवीरखने का अख्तियार,

मगर शर्त्त यहहै-कि किसी मजिस्ट्रेटको अख्तियार न होगा कि इस दफ़ा के बमूजिब किसी शख्स मुल्जिम को एक २ वक्त पन्द्रह रोजसे जियादह मी-आदकेलिये हिरासतमें रहनेका हुक्मदे॥

हिरासत में भेजने का हुक्म,

हरएक हुक्म जो सिवाय हाईकोर्टके किसी और कोर्टकीतरफ से इसदफ़ाके बमूजिब सादिरहो जब्त तहरीरमें आयेगा और उस पर हाकिम इजलास कुनिन्दह या मजिस्ट्रेटके दस्तखत सब्तहोंगे॥

तशरीह—अगर उस क़दर सुबूत दस्तयाब होसकाहो जिस माक़ूलवजहफिर हिरा से जस्रगालिब पैदा हो कि शख्समुल्ज़िमसे सतमें भेजनेकी, कोई जुर्म सरज़द हुआ है-और करीन कयास मालूम हो कि मुक़द्दमा मुल्तवी करने से कुछ ज़ियादह सुबूत हासिल होगा तो यह वजह शख्स मुल्ज़िमके हिरासत में फिर भेजने की वजह माक़ूलहै ॥

दफ़ा ३४५—जायज़ है कि जरायम जो दफ़आत मजमूये वह जरायम जिनकी ताज़ीरात हिन्द मुसर्रह अव्वल दोखाने जद- बाबत राज़ीनामाहोस वल मुन्दर्जैजेल लायक सजाहों उनका राज़ी- त्ताहै, नामा उनअशखासकी तरफ़से अमलमें आये ऐक्ट ४५सन्१८६०ई०, जिनका ज़िक्र जदवलके खाने ३-में हुआहै ॥

जुर्म	दफ़आत मजमूये ताज़ीरातहिन्द की जो जुर्म से मुतअल्लिकाहैं—	शख्स जिसकीतरफ़सेजुर्म काराज़ीनामा होसक्ता है—
सोचविचारकरइसनियतसे कोईबात वगैरह कहनाजिस से मज़हब की बाबत किसी शख्स का दिलदुखे—	२९८	वहशख्स जिसकामज़हब की बाबत दिलदुखाना मक़सूदहो—
ज़ररपहुंचाना—	३२३ व ३३४	वह शख्स जिसको ज़रर पहुंचाहो—
बेजातौरपरकिसी शख्सकी मज़ाहिमतकरनी या उसको हब्स में रखना—	३४१ व ३४२	वह शख्स जिसके साथ मज़ाहिमतकीजाय या जो हब्स में रक्खाजाय—
हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना का अमलमेंलाना—	३५२ व ३५५ व ३५८	वहशख्स जिसपरहमला कियाजाय या जिसकी निस्बत जब्रमुजरिमाना अमल में आये—
बतौर नाजायज़ मेहनत करने पर मजबूर करना—	३७४	वह शख्सजिससे जबरन् मेहनत लीजाय—

जुर्म	दफ़ात मजमूये ताजीरातहिन्द की जो जुर्मसे मुतअल्लिक हैं	शख्स जिसकीतरफसेजुर्मकाराज़ीनामाहोसक्ता है--
नुक़्सानरसानीजबकिसिर्फ़नुक़्सानयाहर्जाजोपहुंचायाजाय किसीशख्सख़ानगीका नुक़्सानया हर्जाहो-	४२६ व ४२७	वहशख्सजिसको नुक़्सानयाहर्जापहुंचायाजाय---
मदाख़िलतबेजा मुजरिमाना-	४४७	शख्सकाबिज़उसजायदादकाजिसपरमदाख़िलतबेजाकीजाय——
मदाख़िलतबेजा बखाना--	४४८	
ख़िदमत के मुआहिदेकानुक़्ज़ मुजरिमाना —	४९० व ४९१ व ४९२	वह शख्स जिसके साथमुजरिमनेमुआहिदाकियाहो-
ज़िना	४९७	शौहर औरतका —
नियत मुजरिमाना केसाथ किसी औरतकदखुदाशुदहका फुसलालेजाना या ले उड़ना या रोकरखना——	४९८	
इज़ाला हैसियत उर्फ़ी	५००	वह शख्स जिसका इज़ाला हैसियत उर्फ़ी हुआहो-
किसी मज़मूनको यहजानकर कि वह मुज़य्यलहैसियत उर्फ़ीहै छापनायाकन्दाकरना	५०१	
किसीछपेहुये याकन्दाकियेहुयेमादहकोजिसमें कोईमज़मून मुज़य्यलहैसियत उर्फ़ीहो यहजानकरकि उसमें ऐसा मज़मून है फ़रोख्त करना-	५०२	
नुक़्ज़ अमनकरानेकी नियत से तौहीनकरना ——	५०४	वह शख्सजिसकी तौहीनकी जाय——
तख़्वीफ़ मुजरिमानाइल्ला उससूरतमें जबकि जुर्म लायक़सज़ायक़ैद सात वर्षके हो-	५०६	वह शख्सजिस के साथ तख़्वीफ़ कीजाय——

जायज़है-कि जुर्म बिलअमद जरर पहुंचाने या बिल अमद

जररशदीद पहुंचाने या ऐसेफेल से जररपहुंचानेका जिसेमजान इन्सानको खतराहो या ऐसेफेलसे जररशदीद पहुंचानेका जिससे जान्इन्सान को खतराहो जिनकी सजायें मजमूयें ताजीरात हिन्दकी दफ़ा ३२४-या ३३५-या ३३७-या ३३८-में मुक़र्रर हैं बइजाज़त उस अदालतके जिसके रूबरू किसी जुर्म मजकूर

ऐक्ट ४५ सन्१८६०ई०, सदरकी नालिश दायरहो उसशख्सकी तरफ से राजीनामे पर तै कियाजाय जिसको जरर पहुंचाया गयाहो ॥

जब कोई जुर्म इस दफ़ाके मुताबिक लायक तस्फ़िये बराजीनामाहो तो जायज़ है-कि ऐसे जुर्मकी अयानत या ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का इक़दाम करना (जब ऐसा कस्द करना खुद जुर्महो) इसी तरीक़पर बजरिये राजीनामा तस्फ़ियापाये ॥

जब वह शख्स जो और सूरत में इसदफ़ा के मुताबिक किसी जुर्म का तस्फ़िया बसूरत राजीनामा करने का मजाज होता नाबालिग़ या मजनून या फ़ातिरुल्अक़्लहो तो वह शख्स जो उसकी तरफ़ से मुआहिदा करने का मजाज़ हो जुर्म मजकूरकी बाबत राजीनामा करसक्ता है ॥

राजीनामे पर तस्फ़िया होना किसी जुर्मका इसदफ़ा के मुताबिक यह असर रक्खेगा कि गोया मुल्जिम जुर्मसे बरीकियागया॥

कोई और जुर्म सिवाय उन जुर्मोंके जो इस दफ़ा में मजकूर हैं राजीनामे पर तै न कियाजायगा ॥

दफ़ा ३४६--अगर किसी मुक़द्दमे के दौरान तहक़ीक़ात या

जाबिता मजिस्ट्रेट मुफस्सिलका उनमुकद्दमातमें जो वहफैसल नहीं करसक्ता है,

तजवीजमें जो किसी जिला वाकै बेरूं बलाद प्रेजीडन्सी में किसी मजिस्ट्रेट के रूबरूहो रही हो मजिस्ट्रेटकी यहरायहो कि शहादत मौजूदहसे यह जन्न ग़ालिब पैदाहोताहै कि मुक़द्दमा उस किस्मकाहै कि उसकी तजवीज या सिपुर्दगी उसी जिले के किसी और मजिस्ट्रेटसे होनी चाहिये तो मजिस्ट्रेट मजकूर अपनी कारखाई मुल्तवी करके कागज़ात मुक़द्दमेको मय अपनी रिपोर्ट के जिसमें मुख्तसिरहाल मुक़द्दमेका लिखाजायेगा किसी मजिस्ट्रेट

के पास जिसका वहमातहतहो या किसी औरमजिस्ट्रेट मजाजसमा अत के पास जिसको मजिस्ट्रेट ज़िला हिदायतकरेमुरसिलकरेगा ॥

वह मजिस्ट्रेट जिसकेपास मुक़द्दमा भेजाजाय मजाज़ होगा कि अगर उसको ऐसा अख्तियार हासिलहो मुक़द्दमे को खुद तजवीजकरे या अपने किसी मजिस्ट्रेट मातहतकेपास जो मजाज समाअत हो तजवीज के लिये मुन्तकिल करे या शख्स मुल्जिम को उसके मुक़द्दमे के तजवीज होनेके लिये सिपुर्द करे ॥

दफ़ा२४७--अगर किसी तहक़ीक़ातमें जो मजिस्ट्रेट के रूबरू होतीहो या किसी तजवीज़ मुक़द्दमे में जो मजिस्ट्रेट के रूबरू होती हो कारखाई की किसी नौबतपर क़ब्लकरने दस्तखत ऊपर तजवीज के यह दरियाफ्तहो कि मुक़द्दमा उसक़िस्मकाहै कि उसकी तजवीज अदालत सिशन या हाईकोर्ट के रूबरू होनीचाहिये-और अगरहाकिम मौसूफको तजवीज़ के लिये मुक़द्दमा सिपुर्द करने का अख्तियारहो-तो उसको लाज़िम है-कि कारखाई मज़ीद बन्दकरके शख्स मुल्ज़िमको मुताबिक़ शरायत दफ़आत सद्र के अदालतबालामें सिपुर्दकरे ॥

जाबिताबब कि बाद शुरूअ तहक़ीक़ात या तजवीजके मजिस्ट्रेट समझे कि मुक़द्दमाको सिपुर्द अदालत बाला करना चाहिये,

अगर ऐसा मजिस्ट्रेट तजवीज के लिये मुक़द्दमा सिपुर्द करने का अख्तियार न रखताहो तो उसको मुनासिब है कि मुताबिक़ दफ़ा २४६-के अमल करे ॥

दफ़ा २४८-अगर वहशख्स जो ऐसे जुर्मकी इल्लतमें एकमर्त्तबा सज़ापाचुकाहो जिसकी×सज़ा हस्ब शरायत बाब हाय १२-या १७-मजमूये ताज़ीरात हिंद के तीन बरस या उससे जियादह मीआद की क़ैद मुक़र्रर है दुबारह ऐसे जुर्म में माखूज़ हो जाय जिसकी सज़ा मुताबिक़ बाबहाय मज़कूर तीनबरस या उससे ज़ियादह मीआदकी क़ैद मुक़र्रर है-तो मिल्उस्सूय उसकी निस्बत यह अमल होगा कि अगर वह मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू वह माखूज हुआहो

तजवीज उन शख्सों की जो पेश्तर उनजुर्मों के मुजरिम ठहरचुकेहों जो सिक्कासाज़ी या क़ानून इस्टाम्प या जायदाद से मुतअल्लिकहों,

× सेक्शन४५सन्१८६०ई०

उसको आदतन् मुजरिम समझताहो तो वह अदालत सिशन या हाईकोर्टमें जैसा मौकाहो सिपुर्दकिया जायेगा-या जिन इजलाओंमें मजिस्ट्रेट जिलेको अख्तियारात मुफस्सिले दफ़ा ३०-अताहुयेहों जायज़है-कि शख्स मुल्जिमके मुक़द्दमेकी तजवीज़ उसी मजिस्ट्रेट की मारफ़त अमलमें आवे ॥

दफ़ा ३४९—जब राय किसी मजिस्ट्रेट दर्जे दोम या दर्जे सोम

काबिता जबकि मजिस्ट्रेटसे बततर सजा जो काफ़ीहो सादिर न कर सक्ताहो,

मजाज़ समाअतकी बाद समाअत सुबूत पेशकरदा मुद्दई व मुद्दआअलेहके यह हो कि शख्स मुल्जिम पर जुर्म साबितहै-और उसको उस सजासे कोई मुख्तलिफ़ सजा या कोई जियादह सख्त सजा मिलनीचाहिये जो मजिस्ट्रेट मज़कूर खुद आयदकरने का मजाजहै-या शख्स मुल्जिमसे हस्बदफ़ा १०६-मुचलका लिखवाना जरूरहै-तो उसको अख्तियार है-कि अपनी राय कलम्बन्द करके तमाम कागजात मुक़द्दमा और नीज शख्स मुल्जिमको उस मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सै जिलेकेपास भेजदे जिसका वह मातहतहो ॥

वह मजिस्ट्रेट जिसके पास कागजात मुक़द्दमा भेजेजायँ मजाज है-कि अगर मुनासिब समझे अहाली मुक़द्दमेका इजहारले-और किसी गवाहको फिर तलब करके उसका इजहारले जो मुक़द्दमे में पहिले गवाही देचुका हो-और सुबूत मजीद तलब करके शामिल मिसल करे-और मुक़द्दमे में ऐसी तजवीज या हुक्मसजा या और हुक्म सादिर करे जो उसको मुनासिब मालूम और कानूनके मुआफ़िक हो-मगर शर्त यह है-कि वह उस मुक़द्दमे में उससे जियादह सजा आयद न करेगा जिसको वह दफ़आत ३२-व ३३-के मुताबिक़ आयद करनेका अख्तियार रखताहै ॥

दफ़ा ३५०—अगर अख्तियार समाअत किसी मजिस्ट्रेट का

सुबूतजुर्म या सिपुर्दगी मुक़द्दमा उस शहादत पर जिसकाएकहिस्साएक म-

बाद इसके कि उसने किसी तहक़ीक़ात या तजवीज मुक़द्दमाकी कुल शहादत या उसके किसीजुज्वकी समाअतकी हो उस मु-

जिस्टेटने और दूसराहि समादूसरे ने लिखाहो,

कद्दमेमें साकितहोजाय और उसकी जगह कोई और मजिस्ट्रेट आजाय जो उसमें अख्तियार समाअत रखता और अमलमें लाताहो तो ऐसे मजिस्ट्रेट जानशीन को अख्तियारहै-कि बरबिनाय उस शहादतके जो कि जुजन् मजिस्ट्रेट साबिकने और जुजन् खुद उसने कलम्बन्दकी हो मुकद्दमेको फैसलकरे या गवाहोंको फिर तलबकरके अजसरनौ तहकीकात या तजवीज शुरूअकरे ॥

मगर हस्ब शर्त्त जैल—

(अलिफ)--किसी तजवीज मुकदमे में शख्स मुल्जिम को अख्तियार है-कि जब दूसरा मजिस्ट्रेट अपनीकारखाई शुरूअ करे तो गवाहोंको या उनमें से किसीको मुकर्रर तलब कियेजाने और मुकर्रर इजहार लियेजाने की दर्ख्वास्त करे ॥

(बे)--अदालत हाईकोर्ट या जिन मुकद्दमात की तजवीज मारफत ऐसे साहबान मजिस्ट्रेट के हुईहो जो मजिस्ट्रेट जिलेके मातहत हैं उनमें मजिस्ट्रेट जिला मजाज है-कि आम इससे कि वह लायक अपीलहों या न हों किसी हुक्म इसबात जुर्मको जो बरबिनाय ऐसी शहादतके सादिर हुआहो जो कुल्लन् उस मजिस्ट्रेटके हाथसे कलम्बन्द न हुईहो जिसने हुक्म इसबात जुर्मका सादिर किया हो मन्सूख करदे-बशर्त्ते कि हाईकोर्ट या मजिस्ट्रेट जिलेकी रायमें शख्स मुल्जिमको ऐसी कारखाई से नुक्सान शदीदपहुंचाहो-और उसको अख्तियार है कि अजसर नौ मुकद्दमे की तहकीकात या तजवीज होनेका हुक्मदे ॥

कोई इबारत इसदफ़ाकी उनसूरतोंसे मुतअल्लिक नहीं है जिनमें कि दफ़ा ३४६-के मुताबिक कारखाई मुल्तवी कीजाय ॥

दफ़ा ३५१--जायजहै-कि हरशख्स जो किसी अदालत फ़ौजदारी में हाजिरहो गो वह गिरफ्तार या तलबहोकर न आयाहो वास्ते देने इजहार निस्बत इर्त्तिकाब किसी जुर्मके जो अदालत मजकूरकी समाअतके लायक हो और जिसकी बाबत उसकी जातसे सरजद होनेका गु-

रोंकरखनाउन मुल्जिमों कोजोअदालतमेंहाजिरहों,

मान वजहसुबूतसे पैदाहोताहो अदालतके हुक्मसेरोकरक्खाजाय- और उसपर उसीतरह मुकद्दमा कायमकियाजाय कि गोया वह गिरफ्तार या तलब होकर आयाथा ॥

जबऐसाशख्स ऐसीतहकीकातके दौरानमेंरोकाजायजोबाब१८- के बमूजिब होतीहो या बाद शुरूअहोने तजवीज मुकद्दमेके रोकाजाय तो कारवाई मुतअल्लिके शख्स मजकूर अजसरनो होगी-और गवाहोंका इजहार मुकर्ररलिया जायेगा ॥

दफ़ा ३५२ – वहमुकाम जहां कोई अदालत फ़ौजदारी किसी जुर्मकी तहकीकात या तजवीज करनेके लिये अपनी नशिस्त रक्खे खुलीअदालत करारपायेगा-और बिल्उमूम खलकुल्लाको अख्तियार होगा कि जहांतक उसमें आरामके साथ गुंजायशहो उसमें आतेजाते रहैं ॥

अदालतैं खुलीहुईहोंगी,

मगर शर्त यहहै कि हाकिम इजलासकुनिन्दा या मजिस्ट्रेट मजाजहै-कि किसी खास मुकद्दमेकी तहकीकात या तजवीजकी किसीनौबतपर यहहुक्म सादिरकरे कि तमाम खलायक या कोई खास शख्स उसकमरे या मकानमें न आनेपाये या हाजिर न रहे जो अदालतके इस्तैमालमें आताहो ॥

बाब-२५ ॥

बाबत तरीकालेने औरकलमबन्दकरने शहादतके मुकद्दमातकीतहकीकात और तजवीजमें * ॥

दफ़ा ३५३–अलावा उससूरत के जिसकेलिये और तरहपर हुक्म सरीहहुआहै तमाम शहादत जो मुताबिक अहकाम बाब हाय १८-और २०-और २१ और २२-और २३-के लीजायशख्स मुल्जिमके मवाजहमेंलीजायेगीया

मुल्जिमकेरूबरू श हादात लीजायगी,

---

*अपरबह्मामें तहकोकात या तजवीज मुकद्दमाके वक्त जोमजिस्ट्रेट या अदालत सिशनके रूबरूहो शहादतके कलमबंदकारनेके बारेमें देखो कानून- सन्१८८६ई०के जमीमेकीदफ़ १२-मगर रिआयायबृटानियांकहल यूरुपके बाबे में देखोदफ़ा२२-शेजन,

जब वह असालतन् हाजिर होने से मुआफ़हो बामुव-जह उसके वकील के लीजायेगी ॥

प्रेजीडंसीके शहरोंके वा हर शहादतके कलम्बन्द करने का तरीका,

दफ़ा २५४-- जोतहक़ीक़ात व तजवीज मुक़द्दमा(अलावहतजवीजसरसरीमुक़द्दमाके) हस्बमजमूयेहाजा मारफ़त या रूबरू किसी मजिस्ट्रेट के (जो मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी न हो) या मारफ़त या रूबरू सिशनजज के अमलमें आये उसमें शहादत गवाहों की हस्बतरीक़ै मुन्दर्जै जैलक़लम्बन्दकीजायेगी ॥

मुक़द्दमात काबिल सम्मनमें और मजिस्ट्रेटदर्जेअव्वल और दर्जादोमकेरूबरू बाजचुमोंकी तजवीजमें तहरीरशहादत,

दफ़ा २५५--मुक़द्दमात काबिल इजराय सम्मनमें जो सिवाय मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सीके किसी और मजिस्ट्रेट-के रूबरू तजवीजकियेजातेहैं-और मुक़द्दमा-तजरायम मुफ़स्सिलै दफ़ा २६०-जिम्नहाय (बे) लगायत(काफ)में जब उनकी तजवीज मारफ़त किसी मजिस्ट्रेटदर्जैअव्वल या दर्जै दोमके हो मजिस्ट्रेटको चाहिये कि हरएक गवाहकी शहादतका खुलासा जैसे जैसेगवाहका इजहार होताजाय बतौर याददारतके लिखताजाय ॥

ऐसीयाददाश्त मजिस्ट्रेटके कलमखाससे तहरीर पाकर और उसके दस्तखत से मुजय्यन होकर शामिल मिसल कीजायेगी ॥

अगर मजिस्ट्रेट याददाश्त हस्ब मजकूरै बाला लिखनसके तो उसको चाहिये कि अपनी माजूरी की वजह तहरीर करे-और याददाश्त मजकूर अपनी जबानसे कचहरी आममें लिखवाये-और उसपर अपने दस्तखत सब्त करे-और वह याददाश्त शामिल मिसल कीजायेगी ॥

प्रेजीडंसीकेशहरों के बाहर और २ सूरतों में तहरीरशाहादत,

दफ़ा २५६-बाक़ी और २ तजावीज मुक़द्दमामेंजोरूबरूअदालत हाय सिशन औरसाहिबान मजिस्ट्रेट के (बइस्तस्नाय साहिबान मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी के) अमलमें आयें और जुमलै तहक़ीक़ातोंमें जो मुताबिक़ बाब १२-व १८-के हों शहादत हरगवाह की ज़बानमु-

रोब्रूजे अदालत मारफत मजिस्ट्रेट या सिशनजज के या मजि स्ट्रेट या सिशन जजकी हाजिरी और समाअत में और उसकी जाती हिदायत औरनिगरानीसे कलम्बन्द कीजायगी-और उसपर मजिस्ट्रेट या सिशनजजके दस्तखत सब्त होंगे ॥

अदायशहादतअंगरेजी में, जब ऐसे गवाह की शहादत जबान अंगरेजी में अदाकीजाय तो मजिस्ट्रेट या सिशनजज को अख्तियारहै कि उसको अपनेकलमसे जबान मजकूरमें लिखे-और सिवाय उस सूरत के कि शख्स मुल्जिम जबान अँगरेजी से वाकिफहो या जबान अदालतकी अंगरेजी हो तर्जुमा मुसद्दिका उस शहादत का जबान मुरव्विजे अदालत में तहरीर होकर शामिल मिसल किया जायेगा ॥

यादृदाश्त जबकि शहादतमजिस्ट्रेट या जजखुद कलम्बन्द न करे, जिनमुकद्दमातमें मजिस्ट्रेट या सिशनजज शहादतको कलम्बंद न करे उसको लाजिम है-कि जैसे २ एकएक गवाह का इजहार होताजाय गवाहके बयान का खुलासा बतौर याद्दाश्त लिखताजाय-और याद्दाश्त मजकूर खास मजिस्ट्रेट या सिशनजज अपने हाथ से लिखेगा-और वह बादसब्तहोने दस्तखत मजिस्ट्रेट या सिशनजज के मिसल में शामिल की जायेगी ॥

अगर मजिस्ट्रेट या सिशनजज हस्ब बयान मजकूरे सदर याद्दाश्त लिखने से माजूर हो तो उसको माजूरी की वजह लिखनी लाजिम होगी ॥

शहादत किसजबानमें कलम्बंदकीजायगी, दफ़ा २५७--लोकलगवर्नमेण्ट को इसहुक्मके सादिर करने का अख्तियारहै कि किसी जिले या हिस्से जिले में या उन कार्रवाइयों में जो किसी अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट या खास दर्जे के मजिस्ट्रेट के रूबरू हों मजिस्ट्रेट यासिशनजज मुकद्दमात मुतजकिरे दफ़ा २५६- में अपने हाथसे अपनीही मादरी जबानमें इजहार हर गवाह का लिखे-इल्ला उस सूरतमें कि सिशनजज या मजिस्ट्रेट किसी वजह मवज्जह से किसी गवाह का इजहार खुद न लिखसके कि ऐसी

सूरत में उसको चाहिये कि अपनी माज़ूरी की वजह तहरीर करे-ओर कचहरी आममें खुद अपनी जबान से इजहार लिखवाये ॥

जो इजहार इसतौरसे कलम्बंदहो उसपर सिशनजज या मजिस्ट्रेटके दस्तखत सब्तहोंगे औरवहशामिल मिसल कियाजायेगा ॥

मगरशर्त यहहै-कि लोकलगवर्नमेराट सिशनजज या मजिस्ट्रेट को हिदायत करसक्ती है कि इजहार गवाहका जबान अंगरेजी या जबान मुरव्विजे अदालतमें लिखे गो उनमेंसे कोई जबान उसकी जबान मादरी न हो ॥

दफ़ा ३५८-मुक़द्दमात क़िस्ममुतज़क्किरे दफ़ा ३५५-में मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझे किसी गवाह की शहादत उस तरीक़ पर ले जो दफ़ा ३५६-में मजकूर है-या अगर मजिस्ट्रेट मजकूरके इलाके हुकूमत की हुदूद अरजी के अन्दर लोकलगवर्नमेराट से हुक्मसुतज़क्किरे दफ़ा ३५७-सादिरहुआ तो मुताबिक उसतरीकेके इजहार कलम्बंदकरे जो दफ़ामजकूरमें मुक़र्ररहै॥

मुक़द्दमाततहत दफ़ा ३५५-में मजिस्ट्रेट की मरज़ी,

दफ़ा ३५६--जो शहादत दफ़ा ३५६-या दफ़ा ३५७-के मुताबिकलीजाय वह उमूमन् बतौरसवाल व जवाब के कलम्बंद न कीजायेगी बल्कि बशक्लबयान मुसलसलके ॥

शहादतकेक़लम्बंदकरनेका तरीक़ातहतदफ़ा ३५६-यादफ़ा ३५७-के,

मजिस्ट्रेट या सिशनजजको अख्तियारहै-कि हस्ब इक्तिजायराय अपने कोई खास सवाल व जवाब कलम्बन्दकरे या कराये ॥

दफ़ा ३६०--जैसे२ एक२गवाहकी शहादत जो हस्ब दफ़ा३५६-या ३५७--लीगई हो मुकम्मिल होतीजाय-बमुवाजह शख्समुल्जिमके अगरवहहाजिरहे या बमुवाजह उसकेवकीलके अगरवहवकालातन् हाजिरहो गवाहकोपढ़कर सुनादी जायेगी औरबशर्त्त जरूरत उसकी इसलाह की जायेगी ॥

वाविता दरबाबसुनानेसी शहादतके जब कि मुकम्मिल होजाय,

अगर उसवक्त जब कि गवाहको उसका इजहार सुनाया जाय गवाह किसी बयान मुंदर्जे इजहारकी सेहतसे मुन्किरहो तो मजि-

स्ट्रेट या सिशनजजको अख्तियारहै-कि उसकी इसलाह न करके इजहार पर उसएतराजकी याददाश्त लिखले जो गवाहने किया हो और अपनी कैफ़ियतभी अगर जरूरतपाईजाय उसपर लिखदे॥

अगर इजहार उसजबानमें जिसमें गवाह इजहारदे तहरीर न कियाजाय बल्कि दूसरी जबानमें तहरीरहो और गवाह उस जबान को जिसमें उसका इजहार कलम्बंद हो न समझताहो तो जिसजबान में उसने इजहार दिया हो उसजबानमें या और किसी जबान में जिसको वह समझताहो उसका इजहार तर्जुमा होकर उसको सुनादियाजाय॥

मुल्जिमयाउसकेवकील कोशहादतकासुनादेना,

दफ़ा ३६१—जब कभी शहादत ऐसी जबान में अदाकीजाय जिसको शख्स मुल्जिम न समझताहो-और मुल्जिमउसवक्त असालतन् हाजिरहो तो वह शहादत सरेइजलास उसजबान में तर्जुमाहोकर उसको सुनादीजायेगी जिसको वह समझताहो॥

अगर शख्स मुल्जिमवकालतन् हाजिर हो और शहादत सिवाय जबान मुस्तैमिला अदालत के किसी और जबान में अदा कीजाय जिसको उसकावकील न समझताहो तो वह शहादत जबान मुस्तैमिलामें तर्जुमाहोकर वकीलको समझादीजायेगी॥

जबदस्तावेजात सुबूत बाजाबितहकी अग़राजके लिये दाखिल कीजायँ अदालत मजाज होगी कि हस्बइक्तिजायराय अपने उस कदर दस्तावेजातका तर्जुमाकराये जोजरूरी मालूमहों॥

तहरीरशहादतसाहवान प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेटकी अदालतोंमें,

दफ़ा ३६२—हरमुक़द्दमे में जिसमें मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी किसी कदर जुर्मानाआयदकरे जो२००)रुपयेसेजियादहहो याकैद जोछःमहीनेसे जियादहहो तजवीज करे उसको लाजिम है-कि शहादत गवाहों की अपने हाथ से कलम्बन्द करे या उसको सरेइजलास अपनी जबानसे दूसरेसे लिखवावे और तमाम शहादत जो इसतौर से कलम्बंद हो बाद सब्तदस्तखत मजिस्ट्रेट के शामिल मिसल की जायेगी॥

जो शहादत इसतौरसे लीजाय बिलउमूम बतौरबयानमुसलसल के कलम्बन्दकीजायगी-मगर मजिस्ट्रेटमजाजहै-कि हस्बइक्तिजाय राय अपने किसीखाससवाल या जवाबको लिखले या लिखवाये॥

चन्दअहकाम सजा जो दफा ३५-के मुताबिक एकहीवक्त सादिर कियेजायँ इस दफाकी अग़राजके लिये बमंजिलै हुक्मसजाय वाहिद समझे जायँगे ॥

दफ़ा ३६३—हरसिशनजज या मजिस्ट्रेट को जो किसीगवाह की शहादत कलम्बन्दकरे लाजिमहै-कि इजहार देनेकेवक्त गवाह मजकूरकी जैसी औजाअ व हरकात पाईजायँ उनकी निस्बत अपनीराय (अगरकुछहो) जिसकदर जरूरी मालूमहो तहरीर करे ॥

राय निस्बत औजाअ व हरकात गवाहके,

दफ़ा ३६४—जब किसी शख्स मुल्जिम का इजहार मारफत किसीमजिस्ट्रेटयाऔरअदालतकेसिवायअदालत हाईकोर्टके जो मुताबिक सनदशाहीके मुकर्रर हुई है या सिवाय चीफकोर्ट पंजाबके लिया जाय-तो वह तमाम इजहार मयजुमलै सवालातके जो मुल्जिमसे कियेजायँ और नीजजुमलै जवाबातके जो वह देलफ्ज बलफ्ज उस जबानमें कलम्बन्द किये जायँगे जिसमें कि उसका इजहार लियाजाय-या अगर यह ग़ैर मुमकिनहो तो अदालत की जबान में या बजबान अंगरेज़ी तहरीर होकर उसको मुआयना करायाजायेगा-या उसके रूबरूपढ़ाजायेगा-और अगर वह उस जबानको न समझताहो जिसमें कि इजहार लिखागया हो तो उस जबानमें जिसको वह समझताहो तर्जुमा होकर उसको सुनादिया जायेगा-और उसको अख्तियार होगा कि अपनेजवाबकी तौजीह करे या कुछ और बयान लिखवाये ॥

इजहार मुल्जिम का क्योंकर कलम्बंदकिया जायगा,

जब तमाम तहरीर उसबयानके मुवाफिक होजाय जिसको वह सचजाहिरकरता हो तबमुल्जिम के दस्तखत और मजिस्ट्रेट या ऐसी अदालतके जजके दस्तखत इजहारपर सब्त होंगे-और ऐसा मजिस्ट्रेट या जज अपने हाथसे इस अम्रकी तसदीक लिखेगा कि

वह इजहार उसके मवाजह और उसके समाअतमें कलम्बन्द किया गया और उसमें शख्स मुल्जिमका तमामबयान सहीव दुरुस्त मुंदर्ज है ॥

जिन मुकद्दमात में कि इजहार शख्स मुल्जिमका मजिस्ट्रेट या सिशनजजकी मारफतकलम्बन्द न कियाजाय तो मजिस्ट्रेटया जजको लाजिमहै-बजुजउससूरत के कि वह मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी हो-कि जैसे २ गवाहका इजहार होताजाय इजहारकी एकयाद-दाश्तव जबान मुस्तैमिला अदालत या बजबान अंगरेजी लिखता जाय अगर वह जबान अंगरेजी से बक़दर काफी वाकिफहो-और मजिस्ट्रेट या जजमजकूरको चाहिये कि ऐसी याददाश्त अपने कलमखाससे लिखे-और उसपर अपने दस्तखत सब्तकरे-और वह याददाश्त शामिल मिसल कीजायेगी-अगर मजिस्ट्रेट या जज मजकूर ऐसी याददाश्तके लिखने से माज़ूरहो तोउसको लाजिमहै कि अपनी माज़ूरीकी वजह लिखे ॥

कोई इबारत इस दफ़ाकी शख्स मुल्ज़िम के इज़हार से मुतअ़ल्लिक़ न होगी जो हस्ब दफ़ा २६३-के लियाजाय ॥

दफ़ा २६५—हरअ़दालत हाईकोर्टको जो बमूजिब फरमानशाहीके मुक़र्ररहुईहो और नीज़चीफ़कोर्ट पंजाबको अख्तियारहै-कि वक्तन् फवक्तन् बज़रिये क़ायदे आमके यह बात मुकर्ररकरे कि जो २ मुकद्दमात उन अदालतों के रूबरू पेशहों उनमें शहादत किसतौरपर क़लम्बंद कीजायगी-और अदालत मज़कूरके जजोंको लाज़िमहोगा-कि मुताबिक उसीकायदे के (अगर कोईमुकर्ररहुआहो) शहादतको या उसका खुलासा क़लम्बन्दकरें ॥

तहरीर शहादतहाई कोर्ट में,

बाब-२६ ॥

बाबत तजवीज़के ॥

दफ़ा २६६-तजवीज हर मुकद्देमेकी जो मारफ़त किसीअ़दालत फौजदारी मजाज समाअत इब्तिदाई फैसल कियाजाय बरसरे इजलास उसीवक्त या किसी

तजवीज के सुनानेकातरीक़ा,

तारीख मावादको जिसकी इत्तिलाअ फरीक़ैन या उनकेवकलाको हस्बजाबिते दीजायेगी पढ़करसुनाई जायेगी-और शख्समुल्ज़िम हिरासतमें हो तो वह अदालतमें हाजिरकियाजायेगा-और अगर हिरासतमें न हो तो उसको तजवीज़ सुननेके लिये हाजिर होने का हुक्मदिया जायेगा-इल्लाउससूरतमें कि उसका दौरान तजवीज़मुकद्दमा में असालतन् हाजिररहना मुआफ कियागयाहो-और हुक्म सजामें सिर्फ जुर्माना आयद कियागयाहो-उससूरत में जायज है-कि वह तजवीज उसके वकीलके मवाजहमें सुनाईजाय॥

दफ़ा ३६७--ऐसी हर तजवीज बजुज़ उस सूरत के जिसकी

तजवीज किसजबानमेंहोगी, बाबत कोई और हुक्मसरीह इसमजमूये में मुन्दर्जहो अदालतके हाकिम इजलास कुनिन्दाके क़लम खास से अदालतकी जबानमें या अंगरेजी जबानमें तहरीर कीजायगी और उसमें अम्र या उमूर तन्क़ीह तलब दर्ज कियेजायेंगे-और फैसला हर अम्र मजकूरका और वजूह फैसला लिखीजायेंगी-और

मज़ामीन तजवीज, उसपर तारीख और दस्तखत बक़लम हाकिम इजलास कुनिंदे सरेइजलास तजवीज सुनाने के वक्त सब्त किये जायेंगे॥

तजवीज मजकूर में सराहत उस जुर्मकी (अगर कोईहो) जिसकी पादाश में और मजमूये ताजीरातहिन्द की उसदफाकी या किसी और क़ानूनकी जिसके मुताबिक़-शख्स मुल्जिम पर

ऐक्ट४५-सन्१८६०ई०,हुक्मसजासादिरकियागया- दर्जकीजायेगीऔर नीज़ तादादसजा (अगरकुछहो)जो उसकेलिये तजवीजहुईहो॥

जब मुजरिम पर कोई जुर्म मुक़र्ररह मजमूये ताजीरातहिन्द

तजवीजअलास साबितक़रारदियाजाय-और इसअम्रमें शुभहहो

बीलुल्बदलियत, कि जुर्ममजकूर मजमूये मजबूरकी दोदफ़आत मेंसे किस दफामें दाखिल है-या दफावाहिदकी दोजिम्नों में से किसजिम्न में दाखिलहै-तो अदालतको चाहिये कि इश्तिबाह को साफ करके तजवीज अलासबीलुल्बदलियत सादिरकरे॥

अगर तजवीजकी रूसे शख्समुल्ज़िम जुर्म से बरीकियागयाहो

तो तजवीज में अदालत वह जुर्म लिखेगी जिससे कि शख्स मुल्जिम बरीकियाजाय-और यह हिदायतकरेगी कि वहरिहाईपाये॥

अगर शख्स मुल्जिमपर ऐसा जुर्म साबित क़रार दियाजाय जिसकी सजा मौत मुक़र्रर है-और अदालत की तजवीज से उसको कोई और सजा सिवाय मौत के दीगई हो तो अदालत को लाजिम-है कि अपनी तजवीज में वजह इसबातकी जाहिर करे कि क्यों सजा मौतकी आयद नहीं की गई॥

मगर शर्त्त यह है कि जिन मुक़द्दमात में जूरी की मारफ़त तजवीजहो अदालतको कोईतजवीज लिखनी ज़रूरनहीं है-बल्कि अदालत सिशन को लाज़िम है कि अहलजूरीको जो हिदायत कीजाय उस हिदायतकी मद्दातको क़लम्बन्दकरे॥

दफ़ा ३६८—जब किसी शख्सकी निस्बत हुक्मसज़ाय मौत

हुक्मसजायमौत, सादिरहो तो हुक्ममें यह हिदायत कीजायेगी कि वहशख्स उस अरसेतक गुलूबस्ता लटकायाजाय कि उसका दम निकलजाय॥

हुक्मसजाय हब्स बउबूर दरियायशोरमें उस मुक़ामकी तस-

हुक्मसजायहब्सबउबूर दरियाय शोर, रीह न होगी जिसमें कि शख्स सज़ायाब को भेजना मंज़ूरहो॥

दफा ३६९—किसीअदालतको बइस्तस्नाय हाईकोर्टके अख्ति-

अदालत तजवीजको तब्दील न करसकेगी, यार नहीं है कि जब अपनी तजवीज पर एक मर्त्तबा दस्तख़त करचुके उसमें कुछ तब्दील या नजरसानीकरे इल्ला उसतौरपर जिसकाजिक्र दफ़ा ३६५-में है या वास्ते तसहीह गल्ती किताबतके॥

दफ़ा ३७०----प्रेजीडंसी के मजिस्ट्रेटको लाजिमहै कि तरीक़ै

प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट की तजवीज, महकूमै सदरके मुताबिक़ तजवीज लिखने के इवज उमूर मुफ़स्सिलै जैल क़लम्बन्दकरे—

(अलिफ़)--मुक़द्दमेका नम्बर तरतीबी॥

(बे)--तारीख इर्त्तिकाब जुर्म॥

(जीम)--नाम मुस्तगीस अगर कोईहो॥

(दाल)--नाम शख्स मुल्जिमका और (बजुजरिआयाय बृटानिया अहलयूरुपके) उसकी वल्दियत व सकूनत॥

(हे)--जुर्म जिसका इल्जाम लगायागया या जो साबित करार दियागया॥

(वाव)--उम्र शख्स मुल्जिमका और उसका इजहार (अगरकुछ लियागयाहो)॥

(जे)--हुक्म अखीर॥

(हे)--तारीख हुक्म मजकूर॥

(तो)-उनसब मुकद्दमातमें मजिस्ट्रेटजिनमें कैदकीसजातजवीज करे या जुर्माना दोसौरुपयेसे ज़ियादह तादादका या दोनों सज़ायें आयदकरे एक मुख्तासिर कैफियत वजूह साबितकरार देने जुर्मकी॥

दफ़ा ३७१– तजवीज शख्स मुल्जिमको समझादीजायेगी-

मुल्जिमको तजवीज समझादीजायेगी औरनकलदीजायेगी,

और उसकी दरख्वास्तपर तजवीजकी एक नकल या जब वहख्वाहिश जाहिरकरे तजवीजका तर्जुमा उसीकीजबानमें अगरउसका तय्यार करना मुमकिनहो या बजबान मुस्तैमिला अदालत उसको बिला तवक्कुफ़ दियाजायेगा लाजिम है कि नकल मजकूर हरसूरत में अलावहमुकद्दमे लायक इजराय सम्मनके बिलाउजरत दीजाय॥

लाजिमहै कि उन मुकद्दमातमें जो मारफ़त जूरीके अदालत सिशनमें तजवीज कियेजायें नकल मद्दात हिदायत हाकिम जो जूरीको सुनाईजाय शख्स मुल्जिमकी दरख्वास्तपर बिलादिरंग व बिलाखर्चा दीजाय॥

जब शख्स मुल्जिमकी निस्बत सिशनजजके हुक्मसे सजाय

उसशख्स की सूरतमें जिसकी निस्बत हुक्म सजायमौत सादिरहुआहो,

मौत तजवीजकीगईहो तो जजमजकूरकोचाहिये कि मुल्जिमको इसबातसेभी मुत्तिलाकरे कि अगरउसको अपीलकरना मंजूरहोतो किस मीआदके अन्दर अपील रुजूअ करना चाहिये॥

दफ़ा ३७२--असल तजवीज मुकद्दमे की मिसलमें शामिल

तजवीजकाकतर्जुमा

की जायेगी और अगर असल तजवीज सि-

क्रियाजायेगा,   बाय जबान मुस्तैमिला अदालत के किसी और जबानमेंलिखीहुईहो और मुल्जिम ख्वास्तगारहो तो तर्जुमा उसका बजबान मुस्तैमिला अदालत मुरत्तिब होकर मिसल में शामिल कियाजायेगा ॥

दफ़ा ३७३--जिन मुकद्दमातकी तजवीज अदालत सिशनके

अदालत सिशन तजवीज औरहुक्मसजाकीनकल मजिस्ट्रेटकेपासभेजदेगी, रूबरूहो अदालत मजकूरको लाजिमहै-कि अपनी तजवीज और हुक्म सजाकी एक नकल (अगर कोईहो) उस जिलेके मजिस्ट्रेटके पास भेजदे जिसके इलाके हुकूमत की हुदूद अरजी के अन्दर मुकद्दमेकी तजवीज हुईथी ॥

बाब--२७ ॥

बाबत तरमील अहकाम सजा वगरज बहाली अदालत आलामें ॥

दफ़ा ३७४--जबअदालत सिशनहुक्म सजायमौत सादिरकरे

हुक्म सजाय मौत अदालतसिशनमुरसिलकरेगी, तो कागजात मिसल अदालत हाईकोर्ट में मुरसिल किये जायेंगे-और हुक्म मजकूरकी तामील न कीजायेगी इल्ला उस सूरत में कि वह हाईकोर्ट से बहालरक्खा जाय ॥

दफ़ा ३७५-जबऐसे कागजातमिसल मुरसिलकियेजायँअगर

हिदायतकरनेका अख्तियारकितहकीकातमजीदकीजाययाशहादत मजीदलीजाय, हाईकोर्टकी यह रायहो कि किसी ऐसे अम्र की बाबत तहकीकात मजीदकीजाय या शहादतमजीद लीजाय जो शख्स मुजरिम करार दादहकी कुसूरवारी या बेगुनाहीसे तअल्लुक रखताहो तो हाईकोर्टको अख्तियार है कि खुद तहकीकात मजकूर करै या शहादत्त मजीद ले या अदालत सिशनको तहकीकात करने या शहादत मजीद लेनेकी हिदायत करे ॥

ऐसी तहकीकात या शहादतरूबरू अहालीजूरी या असेसरके न अमल में आयेगी और न लीजायगी-और बजुज उससूरतकेकि अदालत हाईकोर्टसे और तरहपर हिदायत हो शख्स मुजरिम

करारदादहका उसवक्त हाजिर रहना जरूर नहीं है जब वह तहकीकात कीजाय या शहादत लीजाय ॥

नतीजा ऐसी तहकीकात या शहादत जब कि हाईकोर्ट खुद तहक़ीकात न करे और शहादत न ले बजरिये सार्टीफिकट हाईकोर्ट मजकूरमें मुरसिल कियाजायेगा ॥

दफ़ा ३७६——हर मुकद्दमे में जो दफा३७४-के बमूजिब सिपुर्दहुआहो आमइससे कि उसकी तजवीज बअआनत असेसरान या अहल जूरीके हुईहो हाईकोर्टको अख्तियारहै कि-

अख्तियार हाईकोर्टका दरबारहबहालरखने हुक्म सजाके या मन्सूख करने उसतजवीजके जिसकीरूसे जुर्म साबित करारपायाहो,

(अलिफ़)--हुक्म सजाको बहालरक्खे या कोई और हुक्म सजा जो कानूनन् जायज हो सादिरकरे या--

(बे)---उस तजवीज को जिसकी रूसे जुर्म साबित करार पायाहो मन्सूखकरे और मुल्जिम पर ऐसा जुर्म साबित तजवीज करे जो अदालत सिशन कायम करसक्ती है या बरबिनाय उसी फर्द करारदाद जुर्म या फर्द मुसद्दहा के अजसरनौ मुकदमे के तजवीज होनेका हुक्मदे या--

(जीम)--शख्स मुल्जिमको जुर्मसे बरीकरे ॥

मगर शर्त्त यहहै कि कोई हुक्म बहालीका हस्ब दफा हाजा सादिर न कियाजायेगा तावक्ते कि मीआद अपीलके दायरकरने की न गुजरजाय या अगर अपील मीआद मजकूर के अन्दर दायरहो चुकाहो तो तावक्ते कि अपीलका तस्फ़िया न होजाय ॥

दफ़ा ३७७--हरमुकद्दमे में जो हस्बतरीके मुतजक्किरे सदर सिपुर्द कियाजाय हाईकोर्टकी तजवीज का जो मुशअर बहाली हुक्म सजाहो या किसी और तजवीज या हुक्म जदीदका जो हाईकोर्टसे सादिर हो जब कोर्ट मजकूर में दो या जियादह हाकिमहों कमसे कम दो हुक्काम के हाथ से कलम्बन्द होकर सादिर होना

बहाली हुक्मसजा या नयेहुक्मसजापरदोजजके दस्तखतहोंगे,

और उसपर उन के दस्तखत का सब्त होना जरूरियात से है ॥

दफ़ा ३७८--जब ऐसा मुकद्दमा चन्द हाकिमों के बेंचके रूबरू समाअत कियाजाय और उन हाकिमों में इख्तिलाफ राय मसावी हो तो वह मुकद्दमा मय आरा उन हाकिमों के किसी और हाकिम के रूबरू पेश कियाजायेगा-और हाकिम आखिरुल्जिक्र बाद उसकदरसवाल व जवाब और समाअत के जो उसको मुनासिब मालूमहो अपनी राय जाहिर करेगा-और तजवीज़ या हुक्म उसी रायके मुताबिक सादिर कियाजायेगा ॥

जाबिता इख्तिलाफ रायकी सूरतमें,

दफ़ा ३७९-जो मुकद्दमात अदालत सिशनसे अदालत हाई-कोर्ट में वास्ते बहाली हुक्म सजाय मौत के सिपुर्दकियेजायँ हाईकोर्टके अहल्कारमुनासिब को लाजिमहै कि बिला तवक्कुफ़ बाद सादिर होने हुक्म बहाली सजा या किसी और हुक्म मुसद्दिरै हाईकोर्ट क नकल उस हुक्म की बादसब्त मोहर हाईकोर्ट और बतसदीक़ अपने दस्तखत के अदालत सिशनमें मुरसिल करे ॥

जाबिताउनमुकद्दमात में जोबहालीकेलियेहाई कोर्ट में पेशहों,

दफ़ा ३८०--जब कोई हुक्म सजा मुसद्दिरै किसी असिस्टंट-सिशनजज या मजिस्ट्रेट जिलेका जो दफ़ा३४ केबमूजिब अमल करता हो सिशन जज के पास बहाली के लिये पेश कियाजाय तो सिशन जज मजकूर को अख्तियार है कि-

असिस्टंट सिशनजज यामजिस्ट्रेटकारगुजारतहतदफ़ा३४—के हुक्म सजाकी बहाली,

(अलिफ़)—उस हुक्म सजा को बहाल रक्खे या कोई और हुक्म सजा सादिरकरे जिसे अदालत मातहत सादिर करसक्ती है ॥

(बे)—उसतजवीजको जिसकीरूसे जुर्म साबित करारपाया हो मन्सूख करे और मुल्जिम पर ऐसा जुर्म कायम करे जिसको अदालत मातहत कायम करसक्ती हो या बरबिना उसी फर्द करारदाद जुर्म या फ़र्द मुसहहाके अजसरनौमुकद्दमेके तजवीजहोने का हुक्मदे या—

(जीम)-शख्स मुल्जिम को जुर्म से बरीकरे या—

(दाल)--अगर जज मौसूफके नजदीक तहकीकात मजीदया शहादतजायद ऐसे किसी अम्रकीबाबत जरूर मालूमहो कि शख्स मुल्जिम कुसूरवार है या बेकुसूर तो उसको जायजहै कि ऐसी तहकीकात अमलमें लाये या शहादत मजकूर खुद ले या हिदायत करे कि ऐसी तहकीकात अमलमें आये या शहादत लीजाय॥

बजुज उस सूरत के कि अदालत सिशन से औरतरहपर हिदायत हो जायजहै-कि शख्स मुल्जिम उसवक्त हाजिर रहने से मुआफ़ कियाजाय जब ऐसी तहकीक़ात कीजाती या शहादत लीजातीहो-और जब हुक्म सजा किसी असिस्टंट सिशन जजकी तरफ़से मुरसिलहुआ हो तो ऐसी तहकीकात रूबरू अहलजूरी या असेसरों के न अमलमें आयेगीऔर न शहादत लीजायेगी॥

जब ऐसी तहकीकात और शहादत (अगर कुछहो) मारफत खुद अदालत सिशन के न कीजाय या न लीजाय तो नतीजा ऐसी तहकीकात और शहादत का बजरिये सार्टीफिकट अदालत सिशनमें मुरसिल किया जायेगा॥

बाब--२८॥

बाबत तामील अहकाम सजा॥

दफ़ा २८१--जब कोई हुक्म सजाय मौत मुसद्दिरै अदालत सिशन बहाली के लिये हाईकोर्ट में मुरसिल किया जाय तो अदालत सिशनको लाजिम है-कि हाईकोर्ट का हुक्म बहाली या और हुक्म जो उसपर सादिर हुआहो हासिलकरके हुक्म मजकूर की तामील बजरिये इजराय कितैवारंट या किसी औरतरीकपरअमलमेंलायेजोजरूरीमालूमहो॥

(तामील हुक्मजोहस्ब दफ़ा३०६-सादिर हो,)

दफ़ा२८२--अगर कोई औरत जिसके नाम हुक्मसजाय मौत सादिर हुआहो हामिला पाईजाय तो हाईकोर्ट को लाजिम है-कि वास्ते इल्तवाय तामील उस हुक्म सजाके हुक्म दे-और उसको अख्तियार है-कि उसहुक्म के बदले हुक्म हब्सदायमी बउबूर दरियाय शोर सादिर करे॥

(इल्तवाय हुक्म सजाय मौत जोहामिलाऔरतपरसादिरहो,)

और सूरतोंमें हुक्मस जायहब्सबउबूरदरियाय शोरयाकैदकी तामील,

दफ़ा २८३---+जब शख्स मुल्जिम पर सिवाय उन मुक़-द्दमातके जो दफा २८१-में मरकूमहैं और और मुक़द्दमात में हुक्म हब्स बउबूर दरियाय शोर या कैद का सादिर कियाजाय तो अदालतसा-दिर कुनिन्दै हुक्म सजा को लाजिम है-कि फ़ौरन् वारंट उस जेल-खाने में भेजदे जिसमें शख्स मुल्जिम मुक़य्यद होनेवाला हो-और बजुज उस सूरत के कि शख्स मजकूर पहिलेसे जेलखाने में मुक़य्यद हो उसे मय वारंट के जेलखाना मजकूर में भेजदे ॥

वारंट बगरज तामील किसकेनामलिखाजायेगा,

दफ़ा २८४-हर वारंट जो बाबत तामील हुक्म सजाय कैद के हो उस जेलखाने या और मुक़ामकेअफ्सर मोहतमिम के नाम लिखा जायेगा जिसमें मु-जरिम मुक़य्यद हो या मुक़य्यद होनेवाला हो ॥

वारंट किसके हाथमें दिया जायेगा,

दफ़ा २८५ ---जब शख्स मुजरिम जेलखाने में कैद होनेवाला हो तो वारंट जेलर के हाथमें दियाजायेगा ॥

वारंटबगरजवसूलजुर्मानाके,

दफ़ा २८६ ---जब किसी मुजरिम पर हुक्म सजाय अदाय जु-र्माना सादिर कियाजाय तो अदालत सादिर कुनिन्दै हुक्म मजकूर को अख्तियार है-कि अगर मुनासिब समझे कितै वारंट बगरज वसूलजर जुर्मानाबजरिये कुर्की और नीलाम जायदाद मन्कूला ममलूका मुजरिममजकूर के जारी करेगो हुक्म सजामें यह हिदायत हो कि दरसूरत अदमअ-दाय जुर्माना के मुजरिम कैद किया जायगा ॥

वैसे वारंट का असर,

दफ़ा २८७--- जायज है कि ऐसा वारंट उस अदालतके इलाकै हुकूमतकी हुदूद अरजी के अंदर तामील किया जाय-और उसमें यह अख्तियार दिया जायेगा कि किस्म मजकूर की जो कुछ जायदाद उन हुदूदके बाहर हो वह भी कुर्क औरनी-

---

+दरबारह तामील अहकाम सजाय कैद के अपरबह्मा में जिसकी मीआदछ-छःमहीना या उस से कमहो देखो क़ानून ७-सन् १८८६ ई० के जमीमाकी दफा १३-मगर दरबारहरिआयाय बृटानियाअहलयूरुपके देखोदफा २२--ऐजन,-

लाम कीजाय बशर्तें कि वारंट की जोहर पर उस मजिस्ट्रेट जिला या उस प्रेजीडन्सी के चीफ़मजिस्ट्रेट के दस्तखतहों जिसकेइलाके की हुदूद अरजीके अंदर वह जायदाद दस्तयाब हो ॥

दफ़ा ३८८--जब मुजरिम पर सिर्फ जुर्माने की सजा तजवीज कीजाय और दरसूरत अदमअदाय जुर्माना कैद तजवीज कीजाय और अदालत दफ़ा ३८६-के बमूजिब वारंटजारीकरै उसको अख्तियारहै-कि हुक्मकैदकीतामील मुल्तवीकरके शख्स मुल्जिमको इस शर्त्तपररिहाकरे कि वह किते मुचलके मय या बिला जामिनोंके जोकुछ अदालत मुनासिब समझे इसमजमूनसे लिखदे कि जो तारीख वास्ते वापिसी वारंटके मुकर्ररहै-कि वहतारीख रोजतहरीर मुचलकेसे इन्तिहा दरजे १५-रोजसे जियादह फासलेपर न होगी उसतारीखको अदालतमें हाजिरहोगा-और दरसूरत अदम वसूल जुर्माना अदालत हिदायत करसक्तीहै कि हुक्मकैदकी तामील फौरन कीजाय ॥

हुक्म सजाय कैद की तामील का इल्तवा,

दफ़ा ३८९---जायजहै-कि वारंटवास्ते तामील किसीहुक्म सजा के उसजज या मजिस्ट्रेट के हुक्मसे जारी किया जाय जिसने हुक्म सज़ा सादिरकियाहो या मारफत उसके कायम मुकाम ओहदेके जारी कियाजाय ॥

किसकेहुक्मसेवारंटजारीकियाजासक्ताहै,

दफ़ा ३९०---जब मुल्जिमके नाम सिर्फ हुक्मसजाय ताजियाना सादिरहो तो तामील सजायमजकूरकी उस मुकाम और वक्तपर कीजायेगी जिसकी अदालत हिदायतकरे ॥

सिर्फ़हुक्मसजायताजियानाज़नीकीतामील,

दफ़ा ३९१--जबशख्स मुल्जिमपरहुक्मसजाय ताजियाना बइजदियादकैदके ऐसे मुकद्दमेमें सादिरहो जो काबिल अपीलहो तो वह ताजियाना उस वक्ततक नलगायाजायेगा जबतक कि तारीखहुक्मसजासे १५-रोज न गुजरजायें या अगर उसअरसेमें अपील दायरहोजाय तो जबतक कि हुक्म सजाअदालत अपील से बहाल न कियाजाय-मगरवाजैहो कि जिसकदर जल्द मुमकिनहो बाद

हुक्मसजायताजियानाजनी बइजदियाद कैदकी तामील,

इश्तिताम उसपन्द्रह रोज के या अगर अपीलहुआहो तो जिस कदरजल्द मुमकिनहो बाद हुसूल हुक्म अदालत अपीलमुशअर बहाली हुक्मसजा के ताजियाना लगायाजायेगा॥

ताजियानारूबरू अफसर मोहतमिमजेलखानेकेलगायाजायेगा-बजुजउससूरतके कि जज या मजिस्ट्रेट यहहुक्मदे कि ताजियाना खुदउसके मवजहामें लगायाजाय॥

दफा ३९२-जबशख्स मुजरिम १६-बरस या उससे जियादह

सजादेनेकातरीका,

उमरकाहो उसकोसजाय ताजियाना सुबुकबेदसे जिसकाकुतुर आधइंचसे कम नहो उसतरीकपर औरजिस्मके उस मुकामपर जो लोकलगवर्नमेण्टकी तजवीजसे मुकर्ररहो दीजायगी-और अगर मुजरिम १६-बरस से कम उमरकाहो तो सजाय मजकूरह बतरीक तादीब मक्तबी बजरिये बेदसुबुकके दीजायेगी॥

लाजिम है-कि किसी सूरत में सजाय मजकूर ३०-जरब से

तादाद जरब की हद्द,

जियादह न हो॥

दफा ३९३-तामील किसीहुक्मसजाय ताजियानाकी बदफ-

बदफआततामीलनको जायेगी,

आतनकीजायेगी-और कोई शख्स मिन्जुमलैअशखास मुन्दर्जेजैल लायक सजाय ताजियाना न होगा याने--

(अलिफ)-औरत॥

मुस्तस्नियात,

(बे)-मर्द जिनकी निस्बत सजाय मौत या हब्स बउबूर दरियायशोर या सजायमशक्कत ताजीरी या पांचबरससे जियादह कैद का हुक्महुआहो॥

(जीम)--मर्दजिनकी निस्बत अदालत यह गुमानकरे कि वह ४५-बरससे जियादह उमरके हैं॥

दफा ३९४—किसी हुक्म सजाय ताजियाना की तामील

ताजियाना ज़नोअमल में नहींआयेगी अगरमुजरिमतन्दुरुस्तनहो,

न कीजायेगी इल्ला उससूरतमें कि कोईडाक्टर बशर्त्ते कि वह हाजिर हो इस अम्रकी तसदीक करे दरसूरत न हाजिर होने किसी

डाक्टर के मजिस्ट्रेट या और अफ्सरको जो उसवक्त मौजूदहो यह मालूम हो कि मुजरिम इसक़दर तन्दुरुस्त है कि सजाय मजकूर बरदाश्त करसकेगा ॥

अगर दरअस्नाय तामील किसीहुक्म सजाय ताजियाना के
तामील कोमौकूफ़ो कोई ओहदेदार सीगै डाक्टरी इसबातकी तसदीककरे या उस मजिस्ट्रेट या ओहदेदार हाजिरको मालूम हो कि मुजरिम ऐसा तन्दुरुस्त नहीं है कि सजाय बाकीमुन्दै को बरदाश्त करे तो सजाय ताजियाना क़तअन् मौकूफ़कीजायेगी ॥

दफ़ा ३९५--हरमुकद्दमेमें जिसमें दफ़ा ३९४-कीरूसे तामीलहुक्म
जाविता अगर सजा हस्वदफ़ा ३९४-अमल में नआसके,
सजाय ताजियानाकी कुल्लन् या जुज़व्मसदूदकरदीजाय शख्स मुजरिम उसवक्त तक हवालातमें रक्खाजायेगा जबतक कि अदालत सादिरकुनिन्दै हुक्मसजा उसकी तरमीमनकरे-और अदालत मौसूफ मजाजहोगी-कि हस्ब इक्तिजाय राय अपने सजाय तजवीज शुदहको मुआफकरदे या बजाय हुक्म ताजियाना या बजाय उसकदरजुज्व सजाय ताजियानाके जिसकीतामील न हुईहो शख्स मुजरिमको किसी मीआदके लिये क़ैद रहनेका हुक्मदे जो बारहमहीनेसे जियादह न हो और यह किसी और सजाके अलावह होसक्ती है जो उसी जुर्मकी बाबत उसके लिये पहिले तजवीज होचुकी हो ॥

इस दफ़ाकी किसी इबारत से यह न समझा जायेगा कि अदालत उसमीआदसे जियादहअय्यामतककैद तजवीजकरसक्ती है जिसका शख्स मुल्जिम क़ानूनन् सजावारहो या जो अदालत तजवीज करने की मजाज है ॥

दफ़ा ३९६—जबहुक्मसजा किसी मुजरिमफ़रारीकीनिस्बत
मुजरिमान फरारीप रहुक्मसज़ाकीतामील,
इस मज़मूये के बमूजिब सादिर कियाजाय तो अगर ऐसा हुक्म सजाबाबतमौत या जुर्मना या ताजियानाकेहो वहबकैद शरायत मुन्दर्जै माकब्ल मजमूये हाजा वक़ौर सिदूर हुक्मके असर पिज़ीर होजायेगा-और अगर सज़ाय

कैद या मशक्कत ताजीरी या हब्स बउबूर दरियाय शोरकी बाबत हो तो मुताबिक़ कवायद मुन्दर्जे जैलके असर पिजीर होगा॥

अगर सजाय जदीद बएतबार अपनी नवय्यत के उस सजा से जियादह शदीदहो जोशख्स मुजरिम उसवक्त भुगतरहाथाजब वह फरारहोगया तो सजायजदीद फौरन् असर पिजीरहोजायगी॥

जब सजाय जदीद बएतबार अपनी नवय्यत के उस सजा से जियादह शदीद नहो जो मुजरिम फ़रारहोनेकेवक्त पारहा था तो असरसजाय जदीदका उसवक्तशुरूहोगा जब वहकैद या मशक्कत ताजीरी या हब्स-बउबूर दरियाय शोर जैसा मौकाहो उसअर्से मजीदतक़ काटले जोउसके मफ़रूरहोनेकेवक्त उसकी मीआद साबिकमेंसे मुन्कज़ी होनेको बाकीथा॥

तशरीह—इसदफ़ाकेमकसूदकेलिये--

(अलिफ़)-सजाय हब्सबउबूर दरियाय शोर या मशक्कत ताजीरी सजाय कैदसे जियादह सख्त समझीजायेगी॥

(बे)-सजायकैद मयहब्स तनहाई उसीकिस्मकी कैदसे जिसमें हब्सतनहाई शामिल नहो जियादह सख्त समझी जायेगी॥

(जीम)-सजाय कैदसख्त सजाय कैद महजसे जिसमें हब्स तनहाई शामिल हो या न हो जियादह सख्तसमझी जायेगी॥

दफ़ा ३९७—जब ऐसे शख्सकी निस्बत हुक्म सजाय कैद या मशक्कत ताजीरी या हब्स बउबूरदरियायशोर का ऐसेवक्तपर सादिर कियाजाय जब कि वह किसी और जुर्मकी पादाशमें कोई मीआदकैद या मशक्कत ताजीरी या हब्स बउबूरदरियाय शोर भुगतरहाहो तोवहसजायकैद या मशक्कत ताजीरी या हब्स बउबूरदरियायशोर उसवक्त शुरूअहोगी जबवह कैद या मशक्कत ताजीरी या हब्सबउबूर दरियाय शोर मुन्कज़ी होजाय जो पहिले मर्त्तबे उसके लिये तजवीज हुई थी॥

हुक्म सजा उसमुजरिमकी निस्बतकि जिसको निस्बत किसी और जुर्म की इल्लतमें हुक्म सजा सादिर होचुकाहो,

मगर शर्त्त यहहै—कि अगर शख्स मजकूर कोई मीआद कैद की काटरहाहो और हुक्मसजा जोबसुबूत जुर्म मुरत्तिबे सानी सा-

दिर हो वास्ते हब्स बउबूर दरियाय शोरकेहो तो अदालत मजाज है-कि अगर मसलहत देखे यह हिदायत करे कि पिछली सजा फौरन् यावक्त इन्कजाय उसमीआद कैद के शुरूअ होगी जो पहिले मर्त्तबा उसके लिये तजवीज की गईथी ॥

दफ़ा ३९८-+(१)-दफ़ा ३९६-या दफ़ा ३९७-की किसी इबारत से यह मुतसव्विर न होगा कि कोई शख्स किसी ऐसे जुज्वसजा से बरी होगा जिसका वह माकब्ल या माबादकी तजवीज जुर्मकी रूसे मुस्तौजिब था ॥

दफ़ाआत३९६-व३९७-का महफूज रहना,

(२)-जब अदम अदाय जुर्माना के कुसूर में हुक्म सजाय कैद ऐसे हुक्म सजाय कैद असली के साथ या हुक्म सजायकैद बउबूर दरियाय शोर या मशक्कत ताजीरीकेसाथ मिलादिया जाये जो किसी जुर्म मुस्तल्जिम सजाय कैदकेलिये सादिरहो-और उस शख्सको जो सजायकैद भुगतरहाहो बादभुगतने सजाय मजकूर के कैद या कैदबउबूर दरियाय शोर या मशक्कत ताजीरी के असल हुक्म सजाय जायद या असल अहकाम सजाय जायदभी भुगतना पड़े तो अदमअदाय जुर्माना के कुसूरमें हुक्म सजाय कैद असर पिजीर न होगा जबतक कि शख्स मजकूर जायद हुक्म सजा या अहकाम सजाय मजकूर न भुगतचुकाहो ॥

दफ़ा ३९९—*अगर किसी शख्स की निस्बत जिसकी उम्र सोलह बरससे कमहो किसी अदालत फौजदारी से किसी जुर्मकी इल्लतमें कैद की सजा तजवीज हुई हो तो अदालत मौसूफ को इसहुक्मके इसदार का अख्तियार रहेगा कि ऐसा शख्स जेलखाने फौजदारी में कैद

तादीबगाहोंमें नाबालिग मुजरिमोंकी कैद,

+ यह दफ़ा ३९८-साबिक दफ़ाकी जगह ऐक्ट १०-सन् १८८६ ई० की दफ़ा१०-की रूसे कायम की गई है,

* दफ़ा ३९९-(जो साबिक मजमूआ जाबिता यानी ऐक्ट १०-सन् १८७२ई० की दफ़ा ३१८-की मुतरादिफहै) उन सूबजातमें मन्सूखकीगई जहां तादीबगाहों के ऐक्ट मुसद्दिरे सन् १८७६ ई० का नाफिजुलअमलहोना मुशख्खिसकियागया है-देखो ऐक्ट ५-सन् १८७६ ई० की दफआत१-व२-और दफ़ा २-इसऐक्टको,

किये जानेके एवज ऐसे तादीबखानामें कैद कियाजाय जिसको लोकल गवर्नमेंटने बतौर एक ऐसेमहब्स मुनासिबके मुकर्ररकिया हो जिसमें तादीब मुनासिब और किसी पेशेमुफीद की तालीम के वसायल मौजूदहों-या जिसकी निगहदाश्त कोई ऐसा शख्स करताहो जो उन कवायदकी तामील पर राजीहो जिनको गवर्नमेंट बलिहाज तादीब व तालीम अशखास मुकय्यद तादीबखाने मजकूर के मुन्जबित फरमाये ॥

जुमले अशखास जो इस दफाके मुताबिक महबूसहों उन कवायदके पाबन्दरहेंगे जो गवर्नमेंट से तजवीजहों ॥

दफा ४००—जब हुक्म सजाकी तामील पूरीहोजाय तो ओहदेदार तामीलकुनिन्दा वारंटको लाजिमहो-गा—कि वारंटकी पुश्तपर इसअम्रकीतसदीक लिखे कि हुक्मसजाकी तामील किसतरहकीगई-बादइसके अपने दस्तखत सब्तकरके अदालत जारीकुनिन्दे वारंटसें वापसकरे ॥

हुक्मसजाकीतामीलके बादवारंटकावापसकरना,

बाब-२९ ॥

बाबत इल्तवाय और मुआफी और तब्दीलअहकामसजा ॥

दफा ४०१—जब किसीशख्सपर किसीजुर्मकी पादाशमें कोई हुक्म सजा सादिरहुआहो तो जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंट मजाजहै-कि किसीवक्त बिला शर्त्त या बपाबन्दी उनशरायतके जिनकोशख्स मुजरिमकरारदादह कुबूलकरे उसकीसजाकी तामील मुल्तवीकरदे—या जोसजा उसके लिये तजवीज की गईहो उसको कुल्लन् या जुजन् मुआफ करदे ॥

अहकामसजा के मुल्तवीया मुआफ करनेकाअख्तियार,

जब कोई दरख्वास्तवास्ते इल्तवा या मुआफ कराने किसी हुक्मसजाकेरूबरू जनाब नव्वाबगवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल या किसीलोकलगवर्नमेंटके पेशहोतो जनाबममदूह बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंट जैसा मौकाहो मजाजहै-कि उस अदालतके हाकिम इजलासकुनिंदाको जिसकेरूबरू जुर्मसा-

वित करारदियागयाथा या जिसने उसको बहाल रक्खाथा हुक्म दे कि वह अपनीराय लिखे कि दरख्वास्त मंजूरी या नामंजूरी के काबिल है मय वजूह अपनीरायके ॥

अगर जनाब नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंटकी रायमें कोईशर्त्त जिसके बमूजिबकोईहुक्म सजामुल्तवी रक्खागया या मुआफ कियागयाहो-जैसी सूरतहो-पूरी न कीगईहो--तो जनाब नव्वाब गवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेंटको अख्तियारहोगा कि इल्तवा या मुआफी मजकूरको मंसूखकरैं याकरै--और तबवह शख्सजिस के हकमें हुक्म मजकूर मुल्तवी रक्खागया या मुआफ कियागया था अगर गैर मुकय्यदरहै बजरिये किसी ओहदेदार पुलिसकेबिला वारंट गिरफ्तारहोसक्ताहै--औरहुक्म मजकूरकेनातमामजुज्व मीआदसजाके भुगतनेकेलिये फिरजेलखानेमें भेजाजासक्ताहै;

×वहशर्त्त जिसकेबमूजिब कोई हुक्मसजा हस्बदफाहाजामुल्तवीरक्खा या मुआफ कियाजाय ऐसीहोसक्तीहै जिसेवहशख्स पूरी करै जिसके हकमें हुक्मसजाय मजकूर मुल्तवीरक्खा या मुआफ़ कियागयाहो--या ऐसी होसक्तीहै जिसमें शख्स मजकूर की ख्वाहिशका लिहाज न कियाजाय, ×

इसदफाकी किसीइबारतसे जनाबमलकामुअज्जिमाकेइस्तहकाकमेंदरबाबमुआफी या इल्तवायतामील या अतायमोहलतया मन्सूखीहुक्म सजाके कुछ खलल न आयेगा ॥

तब्दील सजाका अख्तियार, दफा ४०२--जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकलगवर्नमेण्ट मजाज है-कि बिला रजामंदी उस शख्सके जिसके नाम हुक्मसजा सादिरहुआहो सजाहाय मुफस्सिलै जैलमेंसे किसी एक सजाके एवज दूसरी सजा तजवीजकरे ॥

*--*दफा ४०१ का तीसरा फिकरा-ऐक्ट१०सन्१८८६ई०की दफा११-(१)की रूसे साबिक फिकरेके एवज कायम कियागया है,

×-× यहफिकरा दफा४०१-का ऐक्ट १०-सन् १८८६ ई० की दफा ११-(२)की रूसे मुन्दर्ज कियागया है,

सजाहाय मौत व हब्स बउबूरदरियायशोर बमशक्कत ताजीरी व क़ैद सख्त किसी मीआदके लिये जो उससे जियादह न हो जो क़ानूनन् आयद हो सक्तीथी-व क़ैद महज ताहद मीआद मज-कूरै सदर और जुर्माना॥

बाब-३०॥

बाबत बराअत या इसबात जुर्म साबिका॥

दफ़ा ४०३-जिस शख्स के मुक़द्दमेकी तजवीज मारफ़त किसी अदालत मजाज समाअतके किसी जुर्म की इल्लत में होचुकी हो और वह उस जुर्म का मुजरिमकरारपाया या बजुर्म करार दियागया-हो तो जबतक वहहुक्म मशअर इसबात या बराअत जुर्म मजकूरना-फ़िज व बरकराररहे शख्स मजकूर ईसबातके लायक़ न होगा कि उसी जुर्मकी इल्लत में फिर उसके मुक़द्दमे की तजवीज कीजाय-या कि उसकी तजवीज बएतबार उन्हीं वाकिआतके बइल्लत किसी और जुर्मके अमलमें आये जिसकी बाबत कोई और इल्जाम सिवाय उस इल्जामके जो उसपरकायम कियागया दफ़ा २३६-के मुताबिक कायमहो सक्ताथा याजिसकी बाबत दफ़ा२३७-के बमूजिब उसपर जुर्मसाबितकरारपासक्ताथा॥

(जोशख्सएकबारमुजरिमठहरचुकाहोयाजिसकोएकबाररिहाईहोचुकीहोउसके मुक़द्दमे कीतजवीज उसीजुर्मकीबाबत फिर नहींहोगी,)

जायज है-कि किसी शख्सकी निस्बत जो साबिकन् किसी जुर्मका मुजरिम या उसकी बाबत बे जुर्म करार पाया हो किसी और जुर्म जुदागाना की बाबत जिसकी बाबत इल्जाम अला-हिदा मुक़द्दमा साबिक़में दफ़ा २३५-फ़िकरह १-के मुताबिक़ उ-सपर क़ायम होसक्ताथा किसी अय्याम माबाद में फिर तजवीज शुरूअ कीजाय॥

जो शख्स किसी ऐसे फेलकी बाबत मुजरिम क़रार दियागया हो जो मुश्तमिल ऐसे नतायज पर हो जिनके और फेल मजकूर के शमूलसे एक औरजुर्म पैदा होजाताहो जो उसजुर्म से मुग़ायर हो जिससे वह मुजरिम क़रार दिया गया हो-तो जायज है कि

मिन्बाद उसकी तजवीज उस दूसरे जुर्म आखिरुल्जिककी इल्लतमें कीजाय- बशर्त्ते कि सुबूत जुर्मके वक्त वह नतायज पैदा न हुयेहों या उनका पैदा होना अदालतको मालूम न हो ॥

जो शख्स किसी ऐसे जुर्म से बरी या उसका मुजरिम क़रार दियाजाय जो चन्द अफ़आल पर मुश्तमिल हो तो जायज़ है- कि उसपर बावजूद उस बराअत या सुबूत जुर्मके मिन्बाद किसी और जुर्मका इल्जाम जिसका इर्त्तिकाब उसने उन्हीं अफ़आल की रूसे कियाहो क़ायम कियाजाय—और उसके मुकद्दमे की तजवीज अमल में आये- बशर्ते कि जिस अदालत ने पहले मर्त्तबा उसकी तजवीज की हो उसजुर्म की तजवीज करने की मजाज न हो जिसका इल्जाम उसपर मिन्बाद क़ायम कियाजाय॥

तशरीह—खारिज होना इस्तिग़ासे का और मौकूफ़ रखना कार्रवाइयोंका हस्ब दफ़ा २४९-और रुख्सत कियाजाना शख्स मुल्जिमका या दाखिल होना इबारतका फर्दक़रारदाद जुर्म में हस्बुल्हुक्म दफ़ा २७३-इसदफ़ाकी अग़राजके लिये दरजै बरअत का जुर्म से नहीं रखता है ॥

तमसीलात ॥

(अलिफ)--जैदके मुकद्दमेकी तजवीज बइल्लत सिरक़े बहैसियत मुलाजिम अमलमें आई-और वह बरी किया गया--पस मिन्बाद जबतक कि बरअतका हुक्मनाफिज़रहे उन्हीं वाक़िआत की बुनियादपर सिरक़ा बहैसियत मुलाजिमी या सिरक़ा महज या खयानत मुजरिमानाकाइल्जामउसपर क़ायमनहींहोसक्ताहै ॥

(बे)— जैद के मुकद्दमेकी तजवीज बरबिनाय इल्जाम कत्ल अमदहुई-और वहबरी कियागया-सिरक़े बिलजब्रका इल्जाम उस पर नहीं लगाया गयाथा-लेकिन वाक़िआतसे पाया जाताहै कि कत्लअमद के इर्तिकाबके वक्त उसने सिरक़ा बिलजब्र का भी इर्तिकाब कियाथा तो जायजहै कि मिन्बाद उसपर सिर-

कै बिलजब्र का इल्जामलगाया जाय और उसके मुक़द्दमेकी तजवीज अमल में आये ॥

(जीम)--जैदके मुक़द्दमे की तजवीज बइल्लत जुर्म जररशदीद पहुँचाने के कीगई--और वह जुर्म साबित क़रार पाया-मिनबाद वह शख्स जिसको जररपहुंचायागयाथा फ़ौतहोगया-तो जायज है कि जैद की निस्बत बइल्लत क़त्ल इन्सान मुस्तल्जिम सज़ा फिर तजवीज अमल में आये ॥

(दाल)-जैदपर अदालतासिशनके रूबरूबकरके क़त्लमुस्तल्जिम सजाका इल्जाम लगायागया और जुर्म साबितक़रारपाया-पस मिन्बाद बइल्लत अमदन् क़त्लकरने ख़ालिदके उन्हीं वाक़िआतकीबिनायपर जैदके मुक़द्दमे की तजवीज अमल में नहीं आसक्ती है ॥

(हे)--किसी मजिस्ट्रेट दरजे अव्वलनेजैदपर बकरको बिलइरादे ज़रर पहुंचानेका इल्ज़ामक़ायमकिया-और उसको मुजरिम क़रार दिया-पसमिन्बादबकरको बिल्इरादे ज़ररशदीद पहुंचानेकी इल्लत में उन्हीं वाक़िआतकी बिनायपर जैद के मुकद्दमे की तजवीज़ अमल में नहीं आसक्ती-इल्ला उसहाल में कि मुक़द्दमा इस दफ़ा के फिकरह सोम में दाख़िलहो ॥

(वाव)--किसी मजिस्ट्रेट दरजे दोमने ज़ैदपर बकरके बदनपरसे मालके सिरक़ाकरने का इल्ज़ाम लगाया-और उसी ने उसको मुजरिमक़रारदिया-तो जायज़ है कि मिन्बादज़ैदपर सिरक़ै बिल्जब्र का इल्ज़ाम उन्हीं वाक़िआत की बुनियादपर क़ायम कियाजाय और तजवीज अमल में आये ॥

(जे)--किसी मजिस्ट्रेट दरजैअव्वलने जैद और बकर और ख़ालिद पर महमूदको बतौर सिरक़ै बिलजब्र लूटनेका इल्ज़ाम क़ायम किया और मुजरिमक़रारादिया-तो जायज़है कि ज़ैद और बकर और ख़ालिदपर डकैती का इल्ज़ाम उन्हीं वाक़िआतकी बुनियादपर क़ायम कियाजाय और उनकेमुक़द्दमेकी तजवीज़ अमलमें आये॥

हिस्सहहफ्तुम ॥

बाबत अपील और इस्तसवाब और नज़रसानी ॥

बाब--३१ ॥

बाबत अपील ॥

दफ़ा ४०४--कोई अपीलबनाराज़ी किसी तजवीज़ या हुक्म मुसद्दिरै किसी अदालत फौजदारी के जायज़ न होगा-इल्ला हस्ब महकूमै मजमूये हाज़ा या किसी और क़ानून मजरिये वक्त के ॥

कोई अपीलदायर नहीं होगा इल्ला जब कि और तरहपर हुक्महो,

दफ़ा ४०५--हर शख्सको जिसकी दरख्वास्त हस्बदफ़ा ८६-बाबत हवालगी माल या उसके ज़र समन नीलाम के किसी अदालत से नामंज़ूर हुईहो अख़्तियार है-कि उस अदालत में अपीलकरे जिसमें बनाराज़ी हुक्म सजा अदालत साबिक़ुल्ज़िक्र के उमूमन अपील होसक्ता है ॥

अपील बनाराजी हुक्म मुशअरनामंज़ूरी दरख्वास्त दरबाब वापसी मालक़ुर्कशुदहके,

दफ़ा ४०६--हर शख़्सको जिससे कोई मजिस्ट्रेट सिवाय मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी के उसकी नेकचलनी की जमानतमुताबिक दफ़ा ११८-के तलबकरे अख़्तियारहै-कि मजिस्ट्रेट जिले के हुज़ूर अपील करे ॥

अपील बनाराजीहुक्म मुशअर दाखिल करने ज़मानत नेकचलनीके,

दफ़ा ४०७--हरशख्स जिसपर हस्ब तजवीज किसी मजिस्ट्रेट दरजै दोम या दरजै सोमके जुर्म साबित करार दियागयाहो या वहशख्स जिसकेनाम हुक्म सजा हस्बदफ़ा ३४६-बतजवीज किसी मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला दरजा दोमके सादिरहुआहो अख़्तियार रखता है-कि मजिस्ट्रेट जिलेके हुज़ूर अपीलकरे ॥

अपीलबनाराजी हुक्म सजा मुसद्दिरै मजिस्ट्रेट दरजा दोम या सोमके,

मजिस्ट्रेट जिला इसअम्रके हुक्मदेने का मजाज है-कि किसी अपीलको जो हस्ब दफ़ा हाज़ारुजूअहुआ हो या उसक़िस्मके चंदमुक़द्दमात अपीलको हर मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल जो उसका मातहतहो

अपीलोंका मजिस्ट्रेट दरजा अव्वल के पास मुन्तक़िल होना,

और जिसने लोकलगवर्नमेंटसे ऐसेमुकद्दमात अपीलकी समाअत का अख़्तियार पायाहो समाअत कियाकरे-और बादअर्जी अपील या अकसामअपील मजकूर मजिस्ट्रेट मातहतके रूबरू पेशकी जायँगी-या अगर मजिस्ट्रेट जिलेके रूबरू पेशहोचुकी हों तो मजिस्ट्रेट मातहत मजकूर के नाम मुन्तकिल करदी जायँगी-और मजिस्ट्रेट जिले को अख़्तियारहोगा-कि किसी अपील या अकसाम अपील पेशशुदह या मुन्तकिलशुदह को फिर उसमजिस्ट्रेट से अपने पास उठामँगाये॥

अपीलबनाराजीहुक्म सजामुसद्दिरे असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट दरजा अव्वल,

दफ़ा ४०८-- ×हर शख़्स जो अजरूय तजवीज असल आबु-रदह किसी असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट जिला या दीगर मजिस्ट्रेट दरजे अव्वलके मुजरिम करार पायाहो और हर शख़्स जिसपर हुक्म सजा हस्ब दफ़ा ३४९-तरफ से किसी मजिस्ट्रेट दरजै अव्वल के सादिर हुआ हो अख़्तियार रखताहै-कि अदालत सिशन में अपील करे॥

मगर शर्त्त यह है कि--

(अलिफ)--जब मुकद्दमे में असिस्टंट सिशनजज या मजिस्ट्रेट जिला कोई हुक्म सजा सादिर करे जो मोहताज मंजूरी अदालत सिशनकाहो तो लाजिम है कि ऐसे मुकद्दमे का हर अपील हाईकोर्ट में हुआकरे-लेकिन उस वक्ततक पेश न किया जायेगा कि मुकद्दमा अदालत सिशनसे तै न पाये॥

(बे)--हर रअय्यत बृटानिया अहल यूरुप जो मुजरिम करार

× अपरब्रह्मा में दरखसूस उस अपील के जो मजिस्ट्रेट जिले के हुक्म सजा की नाराजी से दायर हो--और अपील मजकूर की हद्दमीआद समाअत की बाबत देखो कानून ७--सन्१८८६ ई० के जमीमे की दफ़ा १४--मगर रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप के बारे में देखो दफ़ा २२-ऐजन,

उन मुकामात में जहां जरायम सरहद्दी पंजाबके कानून मुसद्दिरे सन् १८८७-ई० नाफ़िजुल् अमल है बाज़ अपील अदालत चीफकोर्ट में दायर होंगे और अदालत सिशन में दायर न होंगे देखो कानून ४-सन् १८८७ ई० की — दफ़ा८ (२),

दियाजाय मजाज है-कि हस्ब ख्वाहिश अपने ख्वाह हाईकोर्ट में अपील करे ख्वाह अदालत सिशन में ॥

अपील बअदालत सिशन क्योंकर समाअतमें आयेगा,

दफ़ा ४०९-जब अपील अदालतसिशन या सिशनजजकेरूबरू दायर कियाजाय तो उसकी समाअत मारफत सिशनजज या ऐडीशनल या जायंट सिशन जजके अमलमें आयेगी ॥

अपील बनाराजीहुक्म सजाय अदालतसिशन,

दफ़ा ४१०--हर शख्स जो बतजवीज किसी सिशनजज या ऐडीशनल या जायंट सिशनजज के मुजरिम करार पाया हो अख्तियार रखता है-कि हाई-कोर्ट में अपील करे ॥

मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी के हुक्मसजाकीनाराजी से अपील,

दफ़ा ४११--हरशख्स जो बतजवीज किसी मजिस्ट्रेटप्रेजीडंसी के मुजरिम करारपाया हो मजाज है-कि अगर मजिस्ट्रेट मजकूरने अपने हुक्म सजामें उसके लिये कैद ६-छः महीने से जियादह मीआदकी या जुर्माना तादादी जायद अज दोसौरुपया तजवीजकियाहो तो हाईकोर्ट में अपील करे ॥

बाज सूरतों में जब कि मुल्जिम जुर्मका इकरारकरे कोई अपील न होसकेगा,

दफ़ा ४१२--बावजूदे कि किसी दफ़ा माकब्ल में कुछ और हुक्महो अगर कोई शख्स मुल्जिम जिसने जुर्म का अकबाल किया हो किसी अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी की तजवीज से उसी अकबाल पर मुजरिमकरार पायाहो तो उस का अपील न होसकेगा इल्ला निस्बत तादाद मीआद या जवाज हुक्मसजाके ॥

खफीफ मुकद्दमातका अपील नहीं है,

दफ़ा ४१३--×बावस्फ इसके कि किसी दफ़ा माकब्ल में कोई और हुक्म हो वह शख्स जिसपर जुर्म साबित करार दियाजाय उन सूरतों में अपील न कर सकैगा जिनमें अदालत सिशन या मजिस्ट्रेटजिला याकिसीऔर मजिस्ट्रेट दरजे अव्वलने हुक्म सजाय कैदका जिसकी मीआद

+(इसदफा के मुतअल्लिक फोट नोट सफ़ा २१५ में देखिये,)

सिर्फ एकमहीनेसे जियादह न हो या सिर्फ जुर्मानेका जो तादाद में ५०) रुपयेसेजायद न हो यासिर्फ ताजियानेका सादिरकियाहो॥

तशरीह--जब ऐसी अदालत या मजिस्ट्रेट की तरफ़ से हुक्म सजा यहहो कि मुजरिम दरसूरत अदमअदाय जुर्माना कैद कियाजाय और कोई हुक्म अलाहिदा बाबत कैदके सादिर नहो तो हुक्म अव्वलुल्जिक्रकी नाराजी से अपील नहीं होसक्ता है ॥

उन तजवीजातसरसरीकी नाराजीसे जिनमें जुर्मसाबित करारदियाजाय अपील न होसकेगा,

दफ़ा ४१४--× बाबस्फ इसके कि किसी दफा माकब्ल में कुछ और हुक्म हो वह शख्स जिसपर जुर्म साबित करार दियाजाय उन मुकद्दमात तजवीज सरसरी में अपील न करसकेगा जिन में ऐसा मजिस्ट्रेट जो दफा २६०--के मुताबिक अमल करनेका मजाजहो सिर्फ हुक्म सजाय क़ैदका जिसकी मीआद ३-तीनमहीनेसे जियादह नहो या महज़ जुर्माने का जिसकी तादाद दोसौ रुपये से जियादह न हो या महज ताजियाने का सादिर करे ॥

दफात ४१३-व४१४-के मुतअल्लिक शर्त,

दफ़ा ४१५—अपील बनाराजी किसी हुक्म सजा मजकूरे दफ़ा ४१३—या दफ़ा ४१४-के जिसकी रूसे दो या चन्द सजायें मुफस्सिलै दफआत मजकूर शामिल कीजायें जायज होगा-मगर ऐसे हुक्म सजा की नाराजी से अपील करना जो किसी और तौरसे लायक अपीलके नहीं है सिर्फ इस वजहसे जायज न होगा कि शख्स मुजरिम करारदादह के नाम हुक्म इदखाल जमानत हिफ्ज अमनका सादिर हुआहै॥

तशरीह—हुक्म सजा जिसकी रूसे दरसूरत अदम अदाय जुर्माना कैद तजवीज कीगईहो ऐसा हुक्म सजा नहींहै जिसमें दो या जियादह सजायेंहस्बमन्शाय दफ़ाहाजाके शामिल कीगईहैं ॥

दफा ४१६—कोई इबारत दफात ४१३--व ४१४—की उन

× —अपरब्रह्मामें अपीलों के मुतअल्लिक़ क़ायदके लिये देखो क़ानून ०-सन् १८८३ ई० के जमीमेकी दफा १५-मगर रिआयाय बृटानिया अहल यूरुपके बारेमें देखो दफा २२-येज़न,

उन यहकाम सजाका मुस्तसनाहोनाजो रिआयाय वृटानिया अहल यूरुपकीनिस्बत सादिर हुयेहों, मुकद्दमात अपीलसे मुतअल्लिकनहीं है जो बनाराजीउनअहकामसजाके रुजूअ कियेजायें जो बाब ३३-के मुताबिक रिआयाय वृटानिया अहल यूरुप के नाम सादिर हों ॥

अपील अजतरफगवर्नमेंट वराअतकी सूरतमें, दफ़ा ४१७—लोकल गवर्नमेण्ट हिदायत करसक्ती है कि पैरोकारमुकद्दमाजानिबसरकार बनाराजीकिसी हुक्म इब्तिदाई या अपील मुतजम्मिन बराअत मुल्जिम मुसद्दिरै किसी अदालत बजुज अदालत हाईकोर्ट के अदालत हाईकोर्टमें अपील रुजूअकरे ॥

अपील किन उमूर में जायज होगा, दफ़ा ४१८—जायजहै कि अपील अलावह अम्र कानूनी के निस्बत उमूर वाकिआतीके भी दायर किया जाय इल्ला उस सूरतमें कि तजवीज मुकद्दमा बअआनत अहलजूरी के हुईहो कि उससूरतमें अपील सिर्फ़ निस्बत उमूर कानूनी के जायजहोगा ॥

तशरीह—यह उज्रकि हुक्म सजा निहायत सख्तहै हस्बमुराद दफ़ा हाजा एक उज्र कानूनी है ॥

सवाल अपील, दफ़ा ४१९—हर एक अपील बतरीक सवाल तहरीरी के अपीलांट या उसके वकीलकी मारफ़तपेशकिया जायेगा-और ऐसे हरसवाल अपीलकेसाथ नकल उसतजवीजया हुक्मकी जिसकी नाराजीसे अपील हो मुन्सलिक होगी इल्ला उस सूरतमें कि जब वह अदालत जिसमें सवाल मजकूर गुजरानाजाय और तरहपर हुक्मकरे और जिन मुकद्दमातकी तजवीज मारफत जूरीके हुईहो नकलमदात जुर्म करारदादह की जो दफ़ा २६७-के मुताविक कलम्बन्दहुई हों शामिल की जायेगी ॥

जाबिताजबअपीलांट जेलखानामेंहो, दफ़ा ४२०—अगर अपीलांट जेलखाने में हो तो उसको अख्तियारहै कि अपनासवाल अपीलमैनकूल मुन्सलिका अफसर मोहतमिम जेलखाना के पास दाखिलकरे-और अफ़सर मजकूर उस सवाल और नकूलको अदालत अपील मुनासिबमें मुरसिल करेगा ॥

दफ़ा ४२१——इन्दुल हुसूल ऐसे सवाल व नकल हस्ब मन्शायदफ़ा ४१६--या दफ़ा ४२०--के अदालत अपीलको लाजिमहै-कि उसको मुलाहिजाकरे और अगर अदालत की दानिस्त में कोई वजह काफी दस्तन्दाजी की न पाई जाय तो उसको अख्तियार है कि अपील को बतौर सरसरी नामंजूर करे ॥

अपीलका बतौर सरसरी नामंजूरहोना,

मगर शर्त्त यह है-कि कोई अपील जो दफ़ा ४१९-के मुताबिक रुजूअ कियाजाय डिसमिस न कियाजायेगा इल्ला उससूरत में कि अपीलांट या उसके वकीलको अपीलकी ताईद में उजरात पेश करनेका मौका माकूल हासिलहुआ हो ॥

किसी अपीलको इसदफ़ाके मुताबिक खारिजकरने से पहले अदालतको अख्तियार है कि मुकद्दमे की मिसलतलबकरे--मगर ऐसा करना उसपर लाजिम नहीं है ॥

दफ़ा ४२२--अगर अदालत अपील सवाल अपीलको बतौर सरसरी नामंजूर न करे तो उसको चाहिये कि अपीलांट या उसके वकीलको या उस ओहदेदारको जिसे लोकलगवर्नमेंट इसअम्रके लिये मुकर्ररकरे उस वक्त और मुकाम से इत्तिला कराये जो अपीलकी समाअतके लिये मुकर्रर कियागया हो-और ओहदेदार मजकूरकी दरख्वास्त पर नक़ल वजूह अपील की उसके हवाले करे ॥

अपीलकी इत्तिलाअ,

और उन मुक़द्दमातमें जिनमें अपील हस्ब दफ़ा ४१७-रुजूअ कियाजाय अदालत अपील को लाजिमहै-कि उसी किसमकी इत्तिलाअ शख्स मुल्जिमको पहुंचाये ॥

दफ़ा ४२३--×तब अदालत अपील मुकद्दमे की मिसल तलब करेगी अगर मिसलमजकूर पहले से अदालत में न आगईहो-और बादकरने मुलाहिजा मि-

इन्फिसाल अपील में अदालत अपील के अख्तियारात

× अपर ब्रह्मा में दरबारह अख्तियार दरबाब इजाफा करने सजा के अपील में देखो कानून ७-सन् १८८६ ई० के जमीमेको-दफ़ा१६-मगर दरमुकद्दमे रिआयाय बृटानिया अहल युरुप के देखो दफ़ा ४४-ऐजन,

तियारात, सल मजकूर और समाअत उजरात अपीलांट या उसके वकील के अगर वकील हाजिर हो और भी पैरोकार सरकारी के अगर वह हाजिर हो और नीज उजरात शख्स मुल्जिम के अगर अपील मुतज़क्किरै दफ़ा ४१७-दायरहुआहो औरमुल्जिम मजकूर हाजिर हो अदालत मजाज होगी कि अगर उसकी दानिस्तमें कोई वजह काफी दस्तन्दाजी की न पाई जाय अपील को ना मंजूर करे--या—

(अलिफ़)--अगर अपील बनाराजी किसी हुक्म मुतजाम्मिन बराअत शख्समुल्जिमके हो तो ऐसेहुक्मको मंसूख करके तहकीकात मजीद होनेकी हिदायतकरे-या यह हिदायतकरे कि शख्स मुल्जिमकी तजवीज मुकद्दमा अजसरनौहो यावहतजवीजमुकद्दमा के लिये सिपुर्द कियाजाय जैसामौकाहो या शख्स मुल्जिमपर जुर्म साबित करार देकर उसकी निस्बत हुक्म सजा हस्ब मन्शाय कानून के सादिर करे॥

(बे)--जब अपील बनाराजी हुक्म इसबात जुर्मके दायर हो—तो अव्वलन् तजवीज और हुक्मसजा को मन्सूख करे और शख्स मुल्जिमको बरीकरे या उसको रिहाइदे या यह हुक्मदे कि उसकेमुकद्दमेकी तजवीज जदीदमारफत किसीअदालत मजाजसमाअत ताबे हुकूमत अदालत अपील मजकूरके अमलमें आये या वह वास्ते तजवीज मुकद्दमे के सिपुर्द कियाजाय या सानियन् तजवीजको बदलदे और हुक्म सजाको क़ायम रक्खे या बादतब्दील या बिलातब्दील तजवीजके सजाको कमकरदे या सालिसन् बाद या बिलाघटाने तादाद सजा और बिला या बादतब्दील तजवीज के सजाकी हैसियत उस तौर पर बदलदे कि तादादसजाकी न बढ़ने पावे॥

(जीम)--जब किसी और हुक्मकी नाराजी से अपीलहो तो उस हुक्मको तब्दील या मन्सूखकरदे॥

(दाल)--इस ऐक्टकी किसी इबारतसे अदालतको यहअख्तियार नहोगा कि अहाली जूरीकीरायकोतब्दील या मन्सूख करे-इल्ला

उस सूरतमें कि उसके नजदीक हाकिम अदालतकी हिदायत ग़लतके बाअस या बाअसग़लतफ़हमी मरातिब क़ानूनी मुबय्यना साहब जज मिन्जानिब अहाली जूरी रायजूरीकी ग़लतमालूमहो ॥

दफ़ा ४२४--क़वाअद मुन्दर्जे बाब २६-बाबत तजवीज मुराफ़ै मातहतकी अदालतहा अदालत फौजदारी मजाज समाअत इब्तिदाई यअपीलकीतजवीज, के जहांतकमुमकिनहो बजुज हाईकोर्ट के बाक़ी हरअदालत अपील की तजवीज से मुतअल्लिक़ समझे जायेंगे ॥

मगरशर्त यहहै कि अगर अदालतअपील इसके खिलाफहुक्मन दे तो शख़्समुल्जिमको तजवीज सुनानेके लिये हाजिरकरना और हाज़िररखना जरूर न होगा ॥

दफ़ा ४२५--जब इसबाबके मुताबिक हाईकोर्टसे कोईमुक़द्दमा ब- हाईकोर्ट अपीलके हुक्मकासर्टीफिकट अदालत मातहतकेपासभेजदेगी, सीगै अपील फैसलकियाजाय तो हाईकोर्टको लाजिमहै कि अपना फैसला या हुक्मबजरिये सार्टीफ़िकट उसअदालतमें भेजदे जिसने तजवीजया हुक्मसजा या कोई और हुक्म जिसकी नाराजीसे अपील हुआ हो क़लम्बंद या सादिरकियाहो अगरवह तजवीज याहुक्मसजाया हुक्मासिवाय मजिस्ट्रेटजिलेके किसीऔर मजिस्ट्रेटकी तरफ़से कलम्बंद या सादिरहुआहो तो सर्टीफिकटबतवस्सुत मजिस्ट्रेटजिले के मुरसिल कियाजायेगा ॥

उसअदालतको जिसके पास हाईकोर्ट का फैसला या हुक्म बजरिये सार्टीफिकटके पहुंचे लाजिमहै-कि बमुजर्रद हुसूलउसके ऐसे अहकामसादिरकरे जोहाईकोर्टके फैसलके मुवाफिकहों-और अगर जरूरत हो तो मुक़द्दमे के कागजात उसके मुताबिक़ सही कियेजायेंगे ॥

दफ़ा४२६-अदालतअपील यहहुक्मदेसक्ती है और उसकीवजूह अपीलकेदौरानमेंहुक्मकलम्बंदकीजायेंगीकिकिसीशख्समुजरिमक़रासजामुकाअत्तिलरहना, रदादहकेअपीलकेदौरानमेंतामीलउसतजवीज याहुक्मकीमुल्तवीरहे जिसकीनाराजीसेअपीलहुआहो-औरअगरशख्स मुजरिमकरारदादह जेलखानेमेंहो यहहुक्म देसक्ती है कि

जमानतपरअपीलांट की रिहाई, वह जमानतपर या खुद अपने मुचलके पर रिहाई पाये॥

अख्तियार जो इसदफा की रूसे अदालत अपीलको हासिल है हाईकोर्टकी तरफ से भी उसवक्तनाफिज होसक्ताहै जब किसी शख्स मुजरिम करारयाफ्तह का अपील किसी अदालत मातहत हाईकोर्ट में दायरहो॥

जबबिल्आखिरअपीलांटके नाम हुक्मसजाय कैद या मशक्कत ताजीरी या हब्सबउबूरदरियायशोर सादिरकियाजाय तो वहअय्याम जिनमें उसने हस्बतरीके मुतजक्किरै सदररिहाई पाईहो उस की सजाकी मीआदके महसूबकरने में खारिज किये जायेंगे॥

दफ़ा ४२७--जब कोई अपील मुताबिक़ दफ़ा ४१७--रुजूअ हुक्मरिहाई के अपील के वक्त मुल्जिमकोगिरफ्तारी, कियाजाय अदालत हाईकोर्ट इस हुक्मका वारंट सादिर करसक्ती है कि शख्समुल्जिम गिरफ्तार होकर उसके रूबरू या किसी अदालत मातहतके रूबरू हाजिर कियाजाये-और जिसअदालत के हुज़ूर वह हाजिरलायाजाय उसे अख्तियारहै-कि रोजइन्फिसाल अपीलतक उसकोकैदखानेमेंभेजे या उसकोजमानतपररिहाकरे॥

दफ़ा ४२८--इस बाबके मुताबिक़ किसी अपील में मसरूफ़ अदालत अपील शहादत मजीद लेसक्तीहै या लिये जानेकी हिदायतकर सक्ती है, होने के वक्त अदालत अपील को अख्तियारहै-कि अगर शहादत मजीदका लेना जरूरी समझे तो ऐसी शहादत वह खुदले या शहादतके किसी मजिस्ट्रेट की मारफ़त लियेजाने का हुक्मदे-या अगर अदालत अपील हाईकोर्ट हो तो यह हुक्मदे कि शहादत मजकूर किसी अदालत सिशन या मजिस्ट्रेटकी मारफ़तलीजाय॥

जब शहादत मजीद अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट की मारफत लीजाय तो उसे लाजिमहै-कि शहादत मजकूरके साथ क़ितै सार्टीफ़िकट अदालत अपीलमें भेजदे-उसपर अदालत मजकूर अपीलके तैकरने में मसरूफहोगी॥

बइस्तस्नाय उससूरतके कि अदालत अपील और तरह पर हिदायतकरे जब शहादत मजीद लीजाये लाज़िमहै-कि मुल्ज़िम या उसका वकील हाजिररहे-मगर ऐसी शहादत मजीद अहाली जूरी-या असेसरों के रूबरू न लीजायगी ॥

शहादतका इसदफ़ाकी रूसे लियाजाना बनज़रहुसूल अग़राज़ बाब २५-बमंजिलै तहक़ीक़ात के मुतसव्विर होगा ॥

जाबिता जबकि अदालत अपील के हुक्काम बतादादमसावी मुख़्तलफ़ुल आराहों,

दफ़ा ४२९--जबअदालत अपीलके हुक्काम बतादाद मसावीमुख़्तलफ़ुलआराहों तो मुक़द्दमामयआराय हुक्कामके उसी अदालतके किसी और हाकिमके रूबरूपेशहोगा-और हाकिमआख़िरुल्जिक्रबाद उसक़दर तहक़ीक़ात व समाअतके जो उसको मुनासिब मालूमहो अपनीराय जाहिर करेगा-और अदालतकी तजवीज और हुक्मबतबैयत उसरायके सादिर होगा ॥

अपीलमें अहकामका नातिक़होना,

दफ़ा ४३०—तजावीज और अहकाम जो बसीगै अपील अदालत अपीलसे सादिर हों नातिक होंगे-बजुज उन मुक़द्दमात के जिनकी बाबत दफ़ा४१७-और बाब ३२—में अहकाम मुनासिब मुन्दर्ज हुये हैं ॥

अपीलोंका साकित होजाना,

दफ़ा ४३१—हर अपील जो दफ़ा ४१७-के मुताबिक़ हुआहो शख़्स मुल्ज़िम की वफ़ात पर मुतलक़न् साक़ित होताहै-और हर दूसरे क़िस्मका अपील अज़रूय बाब हाज़ा अपीलांट की वफ़ातपर मुतलक़न् साक़ित होजाता है ॥

बाब-३२॥

बाबतइस्तसवाब और नज़रसानी ॥

प्रेज़ीडंसी मजिस्ट्रेट का इस्तसवाब रायहाईकोर्टसे,

दफ़ा ४३२—मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी को अख़्तियार है-कि अगर मुनासिब समझै किसी मसलैक़ानूनी को जो उसकी अदालत के किसी मुक़द्दमे मुतदायरे की समाअत के वक़्त पैदाहो वास्ते हुसूलराय हाईकोर्ट के मुरसिलकरे-या बशर्त्त पाबन्दी फ़ैसला हाईकोर्ट के जो

वजवाब उस इस्तसवाब के पहुंचे मुक़द्दमे की तजवीज़ करे-और ताहुसूलफ़ैसले कोर्ट मज़कूरके शख्स मुल्ज़िम को जेलखाने में सिपुर्दकरे-या उसको इस शर्त पर ज़मानत लेकर रिहाकरे कि वह हुक्म अख़ीर सुनने के लिये इन्दुल तलब हाज़िर होगा॥

दफ़ा ४३३—जबऐसा मसला इस्तसवाबन् हाईकोर्ट में मुरसिल कियाजाये तो कोर्ट मज़कूरको लाज़िमहै-कि उसकी निस्बत जो हुक्म मुनासिब समझे सादिर करे--और हुक्म मज़कूर की एक नक़ल उस मजिस्ट्रेटके पासभेजदे जिसनेइस्तसवाब कियाहो-और मजिस्ट्रेट मज़कूर उस हुक्मकी पाबन्दीसे मुक़द्दमेको फ़ैसल करेगा॥

इन्फ़िसाल मुक़द्दमा मुताबिक़ फ़ैसला हाईकोर्ट के,

हाईकोर्ट इस बाबमें हिदायत करसक्ती है कि खर्चा ऐसे इस्तसवाबका किसके ज़िम्मे आयद किया जायेगा॥

हिदायतें दरबाब खर्चाके,

दफ़ा ४३४—जब रूबरू किसी हाकिम अदालत हाईकोर्टके जिसमें एक से ज़ियादह जज इजलास करतेहों और दरहाले कि वह अपने अख्तियारात फौजदारी सीग़े इब्तिदाई अमल में लाते हों किसी शख्स पर किसी तजवीज की रूसे जुर्म साबित करार दियाजाय तो हाकिम मजकूर को अख्तियार है-कि अगर मुनासिब समझे किसी अम्र कानूनीका तस्फ़िया जो उस शख्सकी दौरानतजवीज मुकद्दमे में पैदाहुआ हो और जिसकी तजवीज मुकद्दमे के नतीजे पर मवस्सर हो ऐसे जल्सेसे कराये जिसमें हाईकोर्ट मजकूरके दो या जियादह हुक्काम इजलास फरमाहों॥

उन उमूरके मुल्तवी रखनेका अख्तियार जो हाईकोर्टके अख्तियारात सीगेइब्तिदाईके अमलमेंलातेवक्त पैदाहों,

जब हाकिम मजकूर तस्फियाकिसी ऐसी बहसका दूसरे जल्से की रायपर मौकूफरक्खे तो शख्स मुजरिम करारदादह ताहुसूल फैसला जल्सामजकूरके जेलखाने में वापिस भेजा जायेगा-या अगरहाकिम मजकूर मुनासिब समझे जमानतपर रिहाई पायेगा॥

जाबिता जबकि किसी बहसका तस्फियहमौकूफ रक्खाजाय,

और हुक्काम हाईकोर्ट मजाज होंगे-कि उस मुकद्दमे पर या उसके उसकदर जुज्व पर जिसकी जरूरत पाईजाय नजरसानी करें- और अम्रवहस तलबकी तजवीज मुल्तातिम करदें-और जो हुक्मसजा तरफसे अदालत समाअत इब्तिदाई के सादिर हुआ हो उसको तब्दीलकरके ऐसी तजवीज या हुक्म सादिर करें जो हुक्काममौसूफको मुनासिब मालूम हो ॥

अदालत हाय मातहतकोमिसलोंके तलब करनेका अख्तियार,

दफा ४३५—हुक्काम हाईकोर्ट या अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिला या किसी मजिस्ट्रेट हिस्से जिलेको जिसे लोकल गवर्नमेण्टने इस बाब में अख्तियार अताकियाहो अख्तियार है-कि कागजात मिसल किसी मुकद्दमे मरजुये किसी ऐसी अदालत फौजदारी मातहत के जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट मौसूफ के इलाके की हुदूद अर्जीके अन्दर वाके हो इसगरजसे तलब करके उनका मुआयना करे कि उसको इसबातका इतमीनान हासिलहो कि जो तजवीज या हुक्म सजा या और हुक्म मुकद्दमे में तहरीर या सादिर कियागयाहो सही और मुताबिक कानून और इन्साफ के है या नहीं-और आया कारवाई ऐसी अदालत मातहत की मुताबिक जाबितै हुई है या नहीं ॥

अगर किसी मजिस्ट्रेट हिस्से जिले की दानिस्त में जोअजरूय दफा हाजा कारबन्द हो कोई तजवीज या हुक्म सजा या हुक्म खिलाफ कानून या गैर मुनासिब हो या कोई ऐसी कारवाई बेजाबितैहो तो उसे लाजिम होगा-कि मिसलको मै उस कैफियत के जो उसके नजदीक मुनासिब हो मजिस्ट्रेट जिले के पास रवाना करदे ॥

वह अहकाम जो दफआत १४३-व १४४-के बमूजिब सादिर हों और कारवाई मुतअल्लिकै दफा १७६-हस्ब मुराद इस दफा के लफ्ज कारवाई में दाखिल नहीं है ॥

हुक्म सिपुर्दगी का

दफा ४३६—जब किसी मुकद्दमे के कागजात मिसल की दफा ४३५-के मुताबिक या और तौरपर मुआ-

अख्तियार, यनाकरनेके बाद अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट जिलेकी यहराय करारपाये कि मुकद्दमा मजकूर सिर्फ़ अदालतसिशनसे तजवीजहोनेके लायकहै औरकोईशख्स मुल्जिम अदालत मातहत के हुक्मसे बेजातौरपर रिहाकियागया है-तो अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिलेको अख्तियार है-कि शख्स मज़कूरको गिरफ्तारकराके उसकेबादबजाय हुक्मदेने तहक़ीक़ातजदीदके शख्स मुल्जिमकी निस्बत यह हुक्म सादिरकरे कि वह बइल्लत उसफेल के जिसकी बाबत अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट जिलेकीदानिस्त में वह बतौर नाजायज रिहाई पाचुका है तजवीज़ के लिये सिपुर्द कियाजाय ॥

मगरशर्त्त यह है कि-

(अलिफ़)-ऐसे शख्स मुल्जिमको ऐसी कोर्ट या मजिस्ट्रेटके रूबरू इस बातकी अर्ज मारूज करने का मौक़ा दिया गयाहो कि उसकी सिपुर्दगी क्यों न होनी चाहिये ॥

(बे)-और यह कि अगर अदालत या मजिस्ट्रेट मजकूरकी दानिस्तमें शहादत मौजूदह से यहवाज़ेहो कि शख्स मुल्जिमसेकोई और जुर्मसरजद हुआहै-तो ऐसी अदालत या मजिस्ट्रेट यहहुक्म बनाम अदालत मातहत सादिर करसक्ता है-कि अदालत आखिरुल्जिक्र उस जुर्मकी तहक़ीक़ात करे ॥

दफ़ा ४३७----हाईकोर्ट या अदालत सिशनको अख़्तियारहै-कि दफ़ा४३५-के मुताबिक या औरतौरपर किसी मुकद्दमेकेकाग़ज़ात मिसलकेमुआयना करनेके वक्त मजिस्ट्रेट जिलेकेनामयहहुक्मसादिरकरे कि वहखुद या मारफ़तकिसी अपनेमातहतकेमजिस्ट्रेटके-औरइसीतरह मजिस्ट्रेट जिलेको अख़्तियारहै कि खुद या अपने किसीमजिस्ट्रेट मातहतको हिदायतकरे कि वहतहक़ीकातमजीद निस्बत किसीऐसे इस्तग़ासाके करे जो दफ़ा २०३-के मुताबिक खारिज होगयाहो या निस्बत मुक़द्दमा किसीशख्स मुल्जिमके जिसने रिहाई पाईहो ॥

हुक्म तहक़ीक़ात सादिरकरनेका अख्तियार,

दफ़ा४३८--*अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट जिलेको अख़्तियार है-कि बादकरने मुआयना काग़ज़ात मुतअल्लिके किसी कारखाई हस्बमहकूमै दफ़ा ४३५-के या और तौरपर अगर मुनासिब मालूमहो अपने मुआयने का नतीजावास्ते सुदूर अहकाम हाईकोर्टके मुर्सिलकरे-और जब रिपोर्ट मजकूरमें इसअम्र की सिफारिशहो कि हुक्मसजा मुस्तरद कियाजाय-तो यह हुक्म देसक्ता है कि तामील सजा मज़्कूर की मुल्तवीरक्खीजाय-और अगर शख्स मुल्जिम कैदमेंहो तो वह जमानतपर या खुदअपने मुचलकेपर रिहा कियाजाय ॥

हाईकोर्टकोरिपोर्टकरना

दफ़ा ४३९-- निस्बत किसी कारखाई के जिसकी मिसल केकाग़जातखुद हाईकोर्टसे तलब कियेगये हों या जिसकी बाबत रिपोर्टवास्ते सुदूर हुक्म कोर्टमजकूरके मुर्सिलहुईहो या जिसका इल्मकोर्टमजकूर को किसी और तौरपर होजाय हुक्कामहाईकोर्टमजाजहोंगे-कि हस्ब इक्तिजायरायअपनेवहअख़्तियारातनाफ़िजकरेंजोदफ़आत१९५-व ४२३--व ४२६-व४२७-व ४२८-के बमूजिब अदालत अपील को या बमूजिब दफ़ा ३३८--अदालत को मुफ़व्विजहुये हैं-और किसी सजाको बढ़ादें-और जबवह हुक्काम जो बतौर अदालत नजरसानीके शरीकहों बतादाद मसावी मुख्तलिफुलआराहों तो मुक़द्दमा मज़्कूर उस तरीक़पर फैसलाकियाजायेगा जोदफा४२९-में महकूमहै ॥

हाईकोर्टकेअख़्तियारातदरबारहनजरसानीके,

कोईहुक्म इसदफाके बमूजिबन दियाजायेगा जो मुज़िर हक़ शख्स मुल्जिम हो-ताबक्ते कि उसको असालतन् या वकालतन् अपनी जवाबदिही करनेका मौका न मिलाहो ॥

जब वहहुक्म सजा जिसमें दस्तन्दाजी इसदफा के बमूजिब कीजाय किसी मजिस्ट्रेटके हुजूरसे सादिरहुआहो जोसिवायइत-

---

* अपर ब्रह्मा के अपीलों में जो कयूद हैं उनके लिये देखो क़ानून ८-सन् १८८६ई० के जमीमे की दफा१३-और दरखसूस रिआयाय बृटानिया अहलयूरुप के देखोदफ़ा २२-ऐजन्,

चाअ दफ़ा ३४-किसी औरतौरपर अमलकरताहो-तोअदालतउस जुर्मकी बाबत जो बदानिस्त अदालत मुजरिमसे सरज़दहुआहो उससे जियादह सजा तजवीज न करसकेगी जोउस जुर्मकी बाबत कोई प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल तजवीज करसक्ता था ॥

इसदफ़ाकी कोई इबारत उसतहरीरसे मुतअल्लिक नहीं है जो दफ़ा २७३—के मुताबिक फर्द करारदाद जुर्मपर लिखीजाय-और न इसदफ़ाकीरूसे हाईकोर्टको यह अख्तियार दियागयाहै कि तजवीज बराअत मुल्जिमके बदले तजवीज इसबात जुर्म कायमकरै ॥

फ़रीकेनके उजरातकी समाअत अदालतकी मरजी पर मौकूफ है,

दफ़ा ४४०—जब कोई अदालत अपने अख्तियारात नजरसानी नाफिजकरतीहो तो कोई फरीक मुस्तहक इसबातका न होगा कि अदालतके रूबरू असालतन् या वकालतन् उजरात पेशकरे ॥

मगरशर्त्त यह है-कि अदालतको अख्तियार होगा कि अगर मुनासिब समझे बवक्त निफाज ऐसे इख्तियारातके किसी फरीकके उजरात जो असालतन् या वकालतन् पेशहों समाअत करे-और कोई इबारत इस दफाकी दफ़ा ४३६--के फिकरह २-के नकीज न समझी जायगी ॥

प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट काबयान जिसमें उसके फैसलेकीवजूहरहेंगी और उसपर हाईकोर्ट गौर करेगी,

दफ़ा ४४१--जब मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी की कार्रवाई के कागजात मिसलदफ़ा ४३५-केमुताबिकहाईकोर्टके हुक्म से तलब किये जायँ मजिस्ट्रेट मजकूरको अख्तियारहै-कि मिसलमुकद्दमेके साथ एक बयान तहरीरीजिसमें उसके फैसले या हुक्मकी वजूह और कुछ और वाकिआतउम्दाजिनको वह मवस्सरनतीजा मुक़द्दमासमझताहो लिखेजायँगे कलम्बन्दकरकेमुर्सिलकरे-पसहुक्कामहाईकोर्टकव्लमन्सूखऔर मुस्तरिदकरनेफैसले या हुक्ममजिस्ट्रेटकेकैफियतमजकूरकोगौरसेमुलाहिजाकरेंगे॥

हाईकोर्टकेहुक्मका

दफ़ा ४४२-जब अदालत हाईकोर्ट इसबाबके मुताबिक किसी मुकद्दमेमें इसलाह फरमाये अदालतमौसुफा

सर्टीफिकट अदालतमा तहतयामजिस्ट्रेटकोदि याजायगा,

कोलाजिम होगा-किअपने फैसले या हुक्म कोवजरिये सार्टीफिकट उसअदालत में भेजदे जिसनेवहतजवीज या हुक्म सजा या औरहुक्म तहरीर या सादिर कियाहो जिसपर नजरसानी हुई हो-और उसअदालत या मजिस्ट्रेट को जिसके पास फैसला या हुक्म वज़रिये सार्टीफिकट के पहुँचे लाजिमहै-कि ऐसे अहकाम सादिर करे जो फैसले मजकूर के मुताबिक हों-और अगर जरूरत हो मिसल मुकद्दमे को उसी के मुताबिक तरमीम कराये ॥

हिस्सह हस्तुम ॥

काररवाई हायखास ॥

बाब-३३ ॥

काररवाई सीगे फौजदारी बमुकाबिले अहल यूरोप व अहल अमरीका ॥

साहिबान मजिस्ट्रेट उन इल्जामोंकी तहकीकात और तजवीज करेंगे जो रिआयाय बृटानियाअहलयूरोपपर लगाये जायँ,

दफ़ा ४४३--किसी मजिस्ट्रेट को अख्तियार न होगा इल्ला उस सूरतमें कि वह जस्टिस आफ़दी पीसभी हो और (बजुज़ उससूरतके कि वह×मजिस्ट्रेट जिला या ×मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसीहो) बजुज़ उस सूरत के कि वह मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल और खुदरअय्यत बृटानिया अहलयूरोपहो कि किसी इल्जामकी तहक़ीक़ात या तजवीज करे जो किसी रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपपर लगाया जाय ॥

सिशन जज रअय्यत बृटानिया अहल यूरुपहोगा-और असिस्टंट सिशन जज३-तीन बरसतक ओहदेपर रहाहो. और उसको खासअख्तियार मिलाहो,

दफ़ा ४४४--किसी जजको जो किसी अदालत सिशनमें मीर मजलिसकी हैसियत रखताहो×बइस्तस्नाय सिशन जजके×किसी रअय्यत बृटानिय अहलयूरोप पर अपने इख्तियारात नाफ़िज़ करने का अख्तियार न होगा इल्ला उस सूरतमें कि वह खुद रअय्यत बृटानियाअहल यूरोपहो-और अगर वह असिस्टण्ट सिशन

× --×दफ़ात४४३-व ४४४-में यहअल्फ़ाज ऐक्ट ३-सन् १८८४ ई०कीदफ़ात३-व४--की रूसे बढ़ाये गयेहैं,

जजहो-तो बजुज़ इसके कि वह ओहदा असिस्टंट सिशनजज पर कमसे कम ३-तीन बरस रहाहो और उसको लोकल गवर्नमेंट से ऐसे इक्तिदारात नाफ़िज़करने का अख़्तियार खासमिलाहो ॥

समाअ्रतउसजुर्म की जोरअय्यत वृटानिया अहलयूरुपसे सरजद हो,

दफ़ा ४४५-कोई इबारत मुन्दर्जै दफा ४४३-या ४४४- की मानै इसअम्रकी न होगी कि कोईमजिस्ट्रेट किसी ऐसेजुर्ममें दस्तन्दाजी करे जो किसी रअय्यतवृटानिया अहल यूरोपसे सरजदहो उस सूरतमें जबकि उसी किसमके जुर्मके किसी और शख्ससे सरजद होनेपरउसको समाअ्रत करनेका अख्तियार होता ॥

मगर शर्त यह है-कि अगर मजिस्ट्रेट कोई हुक्मनामा वास्ते जबरन् हाजिर कराने किसी रअय्यत वृटानिया अहलयूरोप के जारीकरे जिसपर किसी जुर्म का इल्जाम लगायागयाहो तो उस हुक्मनामेमें यह लिखाजायेगा कि वह इजराय के बाद ऐसे मजिस्ट्रेट के पास वापिसजायेगा जो मुक़द्दमे की तहकीक़ात या तजवीज करने का अख्तियार रखताहो ॥

अहकाम सज़ा जो साहबानमजिस्ट्रेट मुफस्सिल सादिर करसक्तेहैं,

दफ़ा ४४६—अगर्चे दफ़ा ३२-या दफ़ा३४-में कुछ और हुक्म मुन्दर्ज हो कोई मजिस्ट्रेट सिवाय×मजिस्ट्रेट जिला या×मजिट्रेट प्रेजीडंसीके किसी रअय्यत वृटानिया अहल यूरोपकी निस्बत कोई और हुक्म सज़ा सिवाय इसके सादिर न करसकेगा कि मुजरिम किसी मीआदतक कैदरहे जो ३—तीन महीने से जियादहनहो-या उसक़दर जुर्माना अदाकरे जो१०००एक हजाररुपयेसे जियादह न हो-या उसपरदोनोंसजायें आयदहों×और कोईमजिस्ट्रेट जिला कोई वैसा हुक्म सजा सिवाय इसके सादिर न करसकेगा कि मुजरिम किसी मीआदतक कैदरहे जो ६-छः महीने से जियादह नहो या उसक़दर जुर्माना अदाकरे जो २०००दोहजार रुपये से-जियादहन हो या उसपर दोनों सजायें आयदहों× ॥

× —×दफा४४६-में यह अल्फाज ऐक्ट ३-सन् १८८४ई०की दफा५-कीरूसे बढ़ाये गयेहैं,

दफ़ा ४४७—जब किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू किसी रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप पर किसी जुर्मका इल्ज़ाम लगायाजाय-और बदानिस्त मजिस्ट्रेट मौसूफ़ उस इल्ज़ाम की पादाशमें वह सज़ा काफ़ी तजवीज न करसक्ताहो और उसकी सज़ा मौत या हब्सदायमीबउबूरदरियायशोर नहो तो ऐसे मजिस्ट्रेट को लाज़िम है कि अगर उसकी दानिस्तमें मुल्ज़िम सिपुर्द किये जानेके लायकहो उसको अदालत सिशनमें सिपुर्द करे-या अगर मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसीका मजिस्ट्रेट होतो उसको हाईकोर्टमेंसिपुर्द करे

मुल्ज़िम कब अदालत सिशन में और कब हाईकोर्ट में सिपुर्द कियाजायगा,

जबजुर्म जो बज़ाहिर वकूअमें आयाहो लायक सज़ायमौत या हब्सदायमी बउबूर दरियायशोरके हो तो सिपुर्दगी मुल्ज़िम की हाईकोर्ट में होगी ॥

दफ़ा ४४८—जब किसी शख्सपर जो दफ़ा ४४७-के मुताबिक हाईकोर्ट में सिपुर्द हुआहो चंदमुख्तलिफ़ जरायमकाइल्ज़ामलगायाजाय-और उनमें से एक जुर्म लायक़ सज़ाय मौत या हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर के हो-और बाकी जरायम उससे ख़फ़ीफ़ सजाके लायक़हों-और हाईकोर्ट की दानिस्तमें उस शख्सको बइल्लत उस जुर्म के जिसकी सज़ा मौत या हब्सबउबूर दरियाय शोर मुक़र्ररहै मारज़ तजवीज़ में लाना ना मुनासिबहो-तो बावस्फ़ इसके कोर्ट मौसूफ़ को अख्तियार रहेगा कि बइल्लत दूसरे जुर्मके उसके मुकद्दमेकी तजवीज़ करे ॥

उनजुर्मोंकी तजवीज जिनमेंसे एकजुर्म लायक सज़ाय मौत या हब्सदवाम बउबूर दरियायशोरके हो और बाक़ी जरायमउससजाके लायक न हों,

दफ़ा ४४९—बावस्फ़ इसके कि दफ़ा३१-में कुछ और हुक्म मुन्दर्जहो किसी अदालतसिशन को अख्तियार न होगा कि रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपपर कोई हुक्मसज़ा अलावह हुक्म सज़ाय-क़ैद के जिसकी मीआद एकबरस तक होसक्ती है सादिर करे या जुर्माना या दोनों सज़ायें सादिर करे ॥

वह अहकाम सज़ा जो अदालतसिशनसादिर कर सक्ती है,

जाबिता जबकि सिशन जज अपने अख्तियारातकोगैरकाफ़ी पाये,

अगर किसी वक्त बाद सिपुर्दगी मुल्ज़िम और क़ब्ल इसके कि तजवीज़पर दस्तख़त होजायँ हाकिम इजलास कुनिंदा की दानिस्तमें सज़ायकाफी उस जुर्म की जो ज़ाहिरा मुल्ज़िम पर साबितहुआहो उस हुक्मसे न होसक्तीहो जिसके सादिर करने का वह मजाज़हो तो उसको लाज़िमहै-कि अपनीराय बमज़मून मज़कूर लिखकर मुक़द्दमेको हाईकोर्टमें मुन्तक़िलकरदे-ऐसेहाकिमको अख्तियार है-कि मुद्दई और गवाहोंसेमुचलके और इक़रारनामे बवादे इहज़ार रूबरू हाईकोर्ट खुद लिखाये या मजिस्ट्रेट सिपुर्द कुनिन्देको लिखवालेनेकी हिदायत करे॥

दफ़ा ४५०-[ज़ाबिताजबकि सिशनजजरअय्यतबृटानिया अहल यूरुपनहो] ऐक्ट३--सन् १८८४ ई०की दफ़ा६-कीरूसे मंसूखहुई॥

जूरी या असेसरानहाई कोर्टयाअदालतसिशनके रूबरू,

दफ़ा ४५१—+(१)--जब रिआयाय बृटानिया अहल यूरोप के मुकद्दमोंकी तजवीज़ हाईकोर्ट या अदालत सिशनकेरूबरूहो अगर क़ब्ल इसके कि अव्वल अहलजूरी तलब होकर मक़बूल कियाजाय या अव्वल असेसर मुकर्रर कियाजाय जैसी सूरतहो ऐसी रअय्यत यह दावाकरे कि उसके मुकद्दमेकी तजवीज मारफत अहाली जूरी अक़वाम मुख्तालिफ़के हो तोउसकेमुकद्दमेकी तजवीज ऐसीजूरीकी मारफ़त होगी जिसकी तादादमेंसे क़मसेकम एक निस्फ़ अहलयूरुप या अहलअमरीकाहों या अहल यूरोप और अहल अमरीका दोनों मेंसे हों॥

(२)-जब इसकिस्मके मुकद्दमेकी तजवीज रूबरू अदालत सिशन हस्बमामूल व अआनत असेसरोंके होतीहो-तो रअय्यत बृटानिया अहलयूरुप जिसपर इल्ज़ाम लगायागयाहो--या जब कई एक रिआयायबृटानिया अहलयूरुपमुल्ज़िमहों-सब शामिलहोकर इसदावेकेबदलेकि उनकेमुकद्दमेकी तजवीजहस्बज़िम्न(१)मारफत

+दफ़ा ४५१-ऐक्ट ३-सन् १८८४ ई० की दफ़ा ७-की रूसे साबिक़ दफ़ा की जगह क़ायम कीगई है,॥

अहालीजूरी मुखतलिफुल्अक्वामके हों यहदावा करसक्ते हैं कि मिंजुमलै असेसरोंकेकमसेकम एकनिस्फ अहलयूरुप या अहलअमरीकाहों या अहल यूरुप और अहल अमरीका दोनोंमेंसे हों॥

दफ़ा ४५१—आलिफ+(१)-रिआयाय बृटानिया अहलयूरुप

मजिस्ट्रेट जिलाकेरूबरू रआय्यतबृटानिया अहलयूरुपकाहक दरबारह तलब करने जूरीके,

के मुकद्दमातकी तजवीजमें जो रूबरू मजिस्ट्रेट जिलेकेहो हर ऐसी रआय्यत मजाज़है-कि मुकद्दमा काबिल इजराय सम्मनमें कब्ल इसके कि उसके बयानकी समाअत हस्बदफा २४४-हो या मुकद्दमा काबिल इजराय वारंटमें कब्ल इसके कि वह दफा २५६-के मुताबिक जवाबदिहीकरै--यह दावाकरै--कि उसके मुकद्दमेकी तजवीज ऐसी जूरीकी मारफतहो जो हस्बतरीका मुसर्रहा दफा ४५१-मौजूअहुईहो॥

(२)-अगरकोईदावा हस्व मुरादजिम्न (१) किसी मुकद्दमा काबिल इजराय सम्मनमें उसवक्त कियाजाय जबकि मजिस्ट्रेटहस्ब दफा २४४-शख्स मुल्जिमके बयानकी समाअतकरै या जबमुकद्दमा काबिल इजराय वारंटहो उसनौबतपर कियाजाय जबमजिस्ट्रेट शख्स मुल्जिमको हस्बदफा २५६---जवाबदिही करनेकी हिदायतकरै-- तो मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि उसीवक्त अहकाम जरूरी वास्ते होने तजवीज मुकद्दमा मारफत जूरी किस्ममजकूर के सादिरकरै॥

(३)-अगर दावा मजकूर कारखाई की नौबत हाय मुफस्सिलै सदरसे पहले कियाजाय तो मजिस्ट्रेटको लाजिमहै-कि जबकभी सुबूत तहरीरशुदहसे वाजहहो कि मुकद्दमा काबिल तजवीज रूबरू जूरीकेहै एहकाम मुतजक्किरै सदर सादिरकरै॥

(४)-ऐसी हरसूरत में मजिस्ट्रेटको लाजिम है-कि बावस्फ इस के कि दफा २४२-में कुछऔर हुक्महो ऐसे एहकाम सादिरकरने से पहले एकफ़र्द करार दाद जुर्म बा जाविता तहरीरकरै॥

(५)-एहकाम मुंदरजै दफ़ात २११-व २१६-व२१७-व २१६-

+ दफा ४५१-(अलिफ)-ऐक्ट ३-सन् १८८४ ई० कीदफा ८-कीरूसे बढ़ाईगईहै,

व २२०-जहांतक मुमकिनहो हरसूरतमें जब कि तजवीज हस्ब दफ़ाहाजा अमलमें आये वास्ते हाजिरकराने मुस्तगीस और मुस्तगासअलेह और गवाहोंके मुतअल्लिक कियेजायँगे ॥

(६)-एहकाम मजमूये हाजा मुतअल्लिके काररवाई उस तजवीजमुकद्दमेके जो मारफत अहालीजूरी रूबरू अदालत सिशन होती है जहांतक मुमकिनहो हरतजवीजमुकद्दमेसे जो हस्ब दफ़ाहाजा वकूअमें आये उसीतरह मुतअल्लिक होंगे कि गोया माजिस्ट्रेट जिला सिशन जजथा और शख्स मुल्ज़िम तजवीज मुकद्दमेके लिये उसकी अदालतमें सिपुर्द कियागयाथा ॥

(७)-कुल अदालतोंको अख्तियाररहेगा-कि मिंजुमले एहकाम मुतजक्किरै जिम्न (५) या जिम्न (६) जहांतक वह एहकाम उस जिम्नकीरूसे मुतअल्लिक कियेगयेहैं किसी हुकुमकी मुरादसाथकायमकरने ऐसी तब्दीलात लफ्जी के अखजकरैं जो असलमतलब को मुखिल नहों और इसगरजसेजरूरी और मुनासिबहों कि हुक्म मजकूर मुआमिला दरपेशशुदहकेहस्बहालहो ॥

(८)-कोई इबारत इसदफ़ाकी माजिस्ट्रेटके उस अख्तियार में खलल अंदाज न होगीजो हस्बदफ़ा ३४७-या दफ़ा४४७-किसी शख्सको तजवीजके वास्ते सिपुर्दकरनेके लिये उसको हासिलहो॥

बाजसूरतोंमें इंतकालदूसरीअदालतमें, दफ़ा ४५१--(बे)--*(१)-अगर कोईशख्स मुल्ज़िम यहदावा करै कि उसके मुकद्दमेकी तजवीज मारफ़त जूरी हस्ब दफ़ा ४५१-(अलिफ़) अमलमेंआये और बदानिस्त माजिस्ट्रेट जिला इसअम्रके बावरकरनेकी वजहहो कि उसकिस्मके अहालीजूरीको जोदफ़ा ४५१-में करार दियेगये हैं उस मुकद्दमाके लिये जो उसके रूबरू जेरतजवीजहै मुहैयाकरना गैरमुमकिनहै-या कि बगैर उसकदर तवक्कुफ और सिर्फ और तकलीफ़ के जो बलिहाज हालात मुकद्दमा नामाकूलहो उनकाबहम पहुंचाना मुमकिन नहींहै-तो माजिस्ट्रेट मौसूफ मजाजहोगा-कि बजाय सिदूर हुक्म मुशअर तजवीजहोने मुकद्दमाअपने रूब-

* दफा ४५१-(बे)-ऐक्ट ३-सन् १८८४ई०की दफा ८-की रूसे बढ़ाई गई है,

रूहस्बदफा ४५१-(अलिफ़) के मुकद्दमा को किसी और मजिस्ट्रेट जिला या किसी सिशनजजके पास तजवीजके लिये मुंतकिल करदे जिसको हाईकोर्ट वक्तन् फवक्तन् मुताबिक उनकवाअदके जो मिंजानिब कोर्टमौसूफ उसबारेमें मुरत्तिबहोकर मिंजानिब लोकलगवर्नमेंट मंजूरकियेजायें या बजरिये हुक्मखासके हिदायत करे॥

(२)-जब कोई मुकद्दमा इसदफाके मुताबिक किसी सिशनजज या मजिस्ट्रेट जिलाके पासमुंतकिल कियाजाय मुशारअलेह को लाजिम है-कि जिसक़दर जल्द आरामके साथ मुमकिनहो उसकी तजवीज बइस्तेमाल उन्हीं अख्तियारात के (जिन में सिपुर्द करनेकाभी अख्तियार शामिल है) और मुताबिक उसी जाबिताअमलके करे कि गोया वह मजिस्ट्रेट जिला है और मुताबिक दफ़ा ४५१-(अलिफ़)के अमल करताहै॥

तजवीजमुकद्दमेरअय्यत बृटानिया अहल यूरोप और देसी आदमी की जब कि दोनों बिल्इश्तारात माखूज़हों,

दफ़ा ४५२---जिस मुकद्दमेमें कि किसी रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपपर बशिरकत ऐसे शख्सके जो रअय्यत बृटानिया अहलयूरोप न हो किसी जुर्मका इल्ज़ाम लगाया जाय-और रअय्यत बृटानिया अव्वलुल्ज़िक्र तजवीजके लिये किसी हाईकोर्ट या अदालत सिशन में सिपुर्द कियाजाय-तो जायज़है-कि उस रअय्यत और शख्स मज़कूरके मुकद्दमे की तजवीज यकजाईहो-और तजवीजमुकद्दमे के वक्त वही कारखाई अमलमें आये जो उस वक्त मरई रहती जबकि रअय्यत बृटानिया अहलयूरोप का मुक़द्दमा अलाहिदा तजवीज कियाजाता॥

कबदेसी आदमी जुदागाना तजवीज मुकद्दमेका दावा करसक्ताहै,

मगर शर्त यह है--कि अगर रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप दफ़ा ४५१-के मुताबिक यह दावा करे कि उसके मुकद्दमे की तजवीजमें अकवाम मुख्तलिफके अहाली जूरी या अकवाम मुख्तलिफ़के असेसर शरीकहों और अगर वह शख्स जो रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप न हो यह दावाकरे कि उसका मुकद्दमा

अलाहिदा तजवीज कियाजाय-तो मुकद्दमा शख्स आखिरुल्जिक्रका मुताबिक़ शरायत बाब २३-के अलाहिदा तजवीज किया जायगा ॥

दफ़ा ४५३—जब किसी शख्सको यहदावाहो कि उसके साथ रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपकी तरह मदारात कीजाय तो उसको चाहिये कि अपने दावेकी वजूह उस मजिस्ट्रेटके रूबरू पेशकरे जिसके हुजूर में वह तहकीकात या तजवीज के लिये हाजिर कियाजाय-औरउसमजिस्ट्रेट को लाजिमहै-कि उसके बयानकी सिदाकत की तहकीकात करे-और शख्स मजकूरको उसकी सिदाकत साबित करनेके लिये एक मोहलत माकूलदे-और बाद उसके यह तजवीजकरे कि आया वह रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपहै या नहीं-और जो तजवीज करारपाये उसके मुताबिक उसके साथ अमलकरे-अगर ऐसा कोई शख्स ऐसे मजिस्ट्रेटकी तजवीज से मुजरिम करारपाये और बनाराजी हुक्म इसबात जुर्मके अपीलकरे तो बारसुबूत इस अम्रका कि मजिस्ट्रेटकी तजवीज गलतहै शख्स मजकूरकी गर्दनपररहेगा॥

जाबिता जबकि किसी शख्सका दावाहो कि उसके साथ रअय्यतबृटानियाअहल यूरुपकी तरह मदारातकीजाय,

जबकोई ऐसा शख्स मजिस्ट्रेटकी तरफ़से तजवीजके लिये अदालत सिशनमें सिपुर्द कियाजाय-और वह अदालत सिशनमें भी वही दावाकरे कि उसके साथ बहैसियत रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप मदारात कीजाय-तो अदालत सिशन बाद उसकदर तहकीकात मजीदके जो उसके नजदीक मुनासिबहो यह तजवीज करेगी-कि वह शख्स रअय्यत बृटानिया अहलयूरोपहै या नहीं-और उस तजवीजके मुताबिक उसकेसाथ अमल करेगी-अगर अदालत सिशनसे शख्स मजकूर मुजरिम करारदियाजाय और बनाराजी हुक्म इसबात जुर्मके अपीलकरे तो बारसुबूत इसअम्रका कि उस अदालतकी तजवीज गलतथी शख्स मजकूरकी गर्दनपर रहेगा।

जब वह अदालत जिसके रूबरू किसी शख्सके मुकद्दमे की तजवीज अमलमें आये यह फैसलाकरे कि वह रअय्यत बृटानिया

अहल यूरोप नहीं है-तो ऐसा फैसला एक वजह अपीलकी बनाराजी हुक्म सजा या दूसरे हुक्मके जो वक्त तजवीज मुकद्दमा सादिर हुआहो मुतसव्विर होगा ॥

हैसियतका दावा नकरनेसे उसदावासे दस्तवरदारहोनालाजिमआयेगा,

दफ़ा ४५४–अगर कोई रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप उस मजिस्ट्रेटके रूबरू जिसकी मारफत उसके मुकद्दमे की तजवीज हो या जिसके हुक्मसे वह सिपुर्द कियाजाय यह दावा पेश न करे कि उसके साथ रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपकी तरह मदारात कीजाय-या अगर ऐसादावा एक मर्तबा मजिस्ट्रेट सिपुर्दकुनिन्दा के रूबरू पेश होकर नामंजूर कियाजाय-और दुबारा उस अदालत में न पेश कियाजाय जिसमें उसशख्सकी सिपुर्दगीहुई हो-तो यह समझा जायेगा कि शख्स मजकूरने अपना हक जो बवजह होने रअय्यत बृटानिया अहल यूरोपके उसको हासिल था तर्क करदिया और उसको अख्तियार न होगा कि उसी मुकद्दमेकी किसी नौबत माबादपर ऐसा दावा पेशकरे ॥

अगर मजिस्ट्रेट को किसी वजहसे यकीन हो कि कोई शख्स जो उसके रूबरू हाजिर कियाजाय रअय्यत बृटानिया अहलयूरोप नहीं है तो मजिस्ट्रेट को लाजिमहै कि उस शख्ससे इस्तिफ्सारकरे कि आया वह ऐसी रअय्यतहै या नहीं ॥

तजवीजमुकद्दमातहतबाबहाजा उसशख्स की निस्बतजो रअय्यतबृटानिया अहलयूरूपनहीं है,

दफ़ा ४५५–जब किसी शख्सके साथ जो रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप न हो इसबाब के बमूजिब ऐसा अमल कियाजाय कि गोयावह किस्मजकूर की रअय्यत है और वह ऐसे अमल दरामदपर एतराज न करे तो मुकद्दमे की तहकीकात या सिपुर्दगी या तजवीज या उसकी बाबत हुक्म सजा (जैसी सूरत हो) उस अमल दरामद की वजह से नाजायज न होगा ॥

दफ़ा ४५६–जब किसी रअय्यत बृटानियाअहल यूरोपकोकोई

उसरअय्यतबृटानिया अहलयूरपका जिसको बतौर नाजायजहिरासतमें रक्खागया हो यह हक कि वह वास्ते इस हुक्मकेदरख्वास्त करेकिउसकोहाईकोर्ट के हुजूरहाजिर किया जाय,

शख्स खिलाफ कानून हिरासत में रक्खे तो रअय्यत बृटानिया अहलयूरोप या उसकीतरफ से कोई शख्स मजाज होगा-कि उसहाईकोर्टमें जो उससूरत में रअय्यत बृटानिया अहल यूरोप की निस्बत समाअतकी मजाज होती जब कोई जुर्म उसशख्स से उस मुकामपर सरजद होता जहां वह हिरासत में रक्खागया हो या जिसके रूबरू शख्स मजकूर ऐसे जुर्म की बाबत हुक्म इसबात जुर्मसे अपील करनेका मुस्तहक होता इसबातकी दरख्वास्त करे कि इसमजमून का हुक्म उसशख्स के नामजारी हो जिसने रअय्यत मजकूरको हिरासतमे रक्खाहो कि वह रअय्यतमजकूरको वास्ते सिदूरहुक्म मजीदके हाईकोर्ट में हाजिरकरे ॥

दफ़ा ४५७--हाईकोर्ट मजाज है कि अगर मुनासिब समझे

जाबिता मुतअल्लिक वे सोदरख्वास्त के,

ऐसा हुक्म सादिर करने से पहलेसायल के बयान हल्फ़ीकेजरियेसे या और तौरपर यह दरियाफ्त करे कि दरख्वास्त किन वजूह पर मबनी है-और बाद उसके दरख्वास्तको मंजूर या नामंजूरकरे--या अगर चाहे तो पहलेहीसे हुक्म मजकूर सादिर करे-और जबशख्स दरख्वास्त कुनिन्दा हाईकोर्टमें हाजिर कियाजाय तो बादतहकीकात जरूरीके (अगर कुछ जरूरहो) मुकद्दमेमें ऐसा हुक्म मजीद सादिर करे जो मुनासिबमालूमहो ॥

दफ़ा ४५८--हाईकोर्ट को अख्तियारहै-कि तमाम मुमालिकमें,

वह मुमालिक जिनके अन्दर हरजगह हाईकोर्ट वेसे अहकाम सादिर कर सक्ती है,

अपनीहुकूमत फौजदारी सीगेअपीलकी हुदूद अरजीके अन्दर और भी उन मुमालिक में जिनकी बाबत जनाब नव्वाब गवर्नरजनरलबहादुर बइजलास कौंसल वक्तन् फवक्तन् हिदायतकरें अहकाममुतजक्किरै सदर जारीकरे ॥

दफ़ा ४५९--बजुजउस सूरतके कि सदर या जेलकी कोई

इनऐक्टोंकीतअल्लुक

इबारत इसअम्रकेखिलाफ़पड़ेतमामकवानीन

पिजीरीजिनकीरूसे मजि-स्ट्रेटों या अदालत हाय सिशनको अख्तियारसमाअत बख्शाजाता है,

जो पेशगाहजनाबनव्वाब गवर्नर जनरल बहादुरबइजलासकौंसलसे आजतकसादिरहुये या आइन्दासादिरहोंजिनकीरूसेसाहबानमजिस्ट्रेट या अदालत सिशनको जरायम की निस्बत अख्तियारात समाअत अताहुये हैं रिआयाय बृटानिया अहाली यूरोपसे मुतअल्लिक समझे जायेंगे गो जिक्र ऐसीरिआया का उन कवानीन में सराहतन न कियागयाहो ॥

इसदफ़ा की किसी इबारतसे यह तसव्वर न कियाजायेगा-कि किसी अदालतको यह अख्तियार दियागयाहै कि किसी रअय्यत बृटानिया अहलयूरोपपर उसहदसे जियादह सजा आयदकरे जो इसबाबमें मुकर्रर कीगई है-और यह न समझाजायेगा कि इसदफ़ा की किसी इबारतसें किसी मजिस्ट्रेट× या किसी जज सदरनशीन अदालत सिशन×को जो जस्टिस आफदी पीस न हो※समाअत का अख्तियार दियागया ॥

दफ़ा ४६०—हरमुक़द्दमे में जोलायक़ तजवीज मारफत अहाली

जूरीवास्ते तजवीज मुक़द्दमे अशखास अहल यूरोप या अहल अमरीका के,

जूरी या बमआनत असेसरान के हो औरजिसमें शख्स मुल्जिम या अशखास मुल्जिममें से कोई शख्स ऐसाबाशिन्दा यूरोपहो जो रअय्यतबृटानियाअहलयूरोपनहो या जोअहलअमरीकाहोतो अगर ऐसा अहलयूरुप या अहलअमरीका दावाकरे औरइमकान से बाहर नहो तो लाजिमहै-कि निस्फ़ तादाद अहालीजूरी या असेसरोंकीअशखास अहलयूरुपसेहो या अशखास अहलअमरीकासे॥

दफ़ा ४६१—जब कोई अहलयूरुप या अहल अमरीका बाशि-

जूरी जब कि अहल यूरुपयाअहलअमरीका

न्दा किसी ऐसे शख्सके जो अहल यूरुप या अहल अमरीका न हो और मुताबिक उसदावे

×—× यह अलफ़ाज़ दफा४५९-में ऐक्ट ३-सन् १८८४ ई० की दफा८-की रूसे मुन्दर्जकियेगयेहैं,

※ दफा ४५९-के चन्द अलफाज जो ऐक्ट३-सन्१८८४ ई०की दफा ८-की रूसे मन्सूखहुये हैं इस मुक़ामपर मतरूकहुये,

परवशिरकतकिसीशख्स गैर कौम के इल्जाम लगाया जाय,

के जो हस्ब दफा ४६०-कियाजाय अदालत सिशनके रूबरू जुर्ममें माखूजकियाजाय-और उसके मुकद्दमे की तजवीज ऐसे अहाली जूरी की मारफत या बअआनत ऐसी जमाअत असेसरानके हो जिसमें कमसेकम एक निस्फ अहल यूरुप और अहल अमरीकाहों-तो शख्स आखिरुल्जिक्र के मुकद्दमे की तजवीज अगर वह ऐसादावा करे अलाहिदा अमलमें आयेगी॥

हस्ब दफा ४५१-या ४५१ (अलिफ) या ४५१ (बे) या ४६०- अहाली जूरीको तलबकरना और उनको फेहरिस्त इस्माय मुरत्तिब करनी,

दफा ४६२—जब किसी अदालतसिशनके रूबरू ऐसे मुकद्दमे की तजवीज होनेवालीहो जिसमें शख्स मुल्जिम या अशखास मुल्जिममें से कोई शख्स इसबातका मुस्तहक्क हो कि उसके मुकद्दमेकी तजवीज मारफत ऐसीजूरीके अमल में आये जो मुताबिक़ अहकाम दफा ४५१-या दफा४६०-के मौजूअहुई हो+याजब ऐसे मुकद्दमेकी तजवीज रूबरू अदालत मजिस्ट्रेट जिला या सिशन जजकेहो जोहस्ब मंशायदफा ४५१ (अलिफ) या ४५१ (बे) के अमल करनाहो+तो अदालतको लाजिमहै कि कमसेकम ३-तीन रोज माक़ब्लतारीख मुकर्ररह तजवीज के उसकदर अशखासजूरी अहल यूरुप और अहल अमरीका जो तजवीज के लिये दरकार हों उसतौर से तलब कराये जो मजमूये हाजा में आयन्दा मुकर्रर किया गया है॥

अदालत को यहभी लाजिम है-कि उसीवक्त और उसी तरीक पर उसीतादाद के और और अशखास जिनकेनाम फेहरिस्त मुसहहा में मुन्दर्जहों तलबकराये-इल्ला उससूरत में कि ऐसे दीगर अशखास बतादाद मजकूर उसजलसे के मुकद्दमात लायकअआनत जूरी की तजवीज करने के लिये पहले से तलब होचुकेहों॥

मिन्जुमले कुल तादाद अशखास के जो हस्ब मुन्दर्जै रिटर्न

+-+ यह अल्फाज दफा ४६२ में ऐक्टनम्बर ३ सन् १८८४ ई० की दफा १० की रूसे बढ़ायेगये हैं,

तलब हुये हों अहलजूरी जिनसे जूरी मुनअकिद होगी हस्ब मुसर्रहा दफ़ा २७६-बजरिये कुरान्दाजी मुन्तखिब होंगे ताबके कि ऐसी जूरी हासिल होजाय जिसमें अहाली यूरुप या अमरीका बतादाद मुनासिब या जहांतक मुमकिनहो उस तादादके करीब करीब दाखिल हों ॥

मगर शर्त यह है-कि जब किसी सूरत में तादाद मुनासिबअहाली यूरुप और अहाली अमरीका की औरतौरपर हासिल न होसके तो अदालत को अख्तियार है-कि अपनी तजवीजसे अहल जूरी के कायम करनेकी ग़रज़ से किसीशख्सको तलबकरे जो फेहरिस्तसे इसबिनायपर खारिज कियागयाहो कि वह हस्बदफ़ा३२०-के मुस्तस्ना है ॥

कारवाई नालिशात फ़ौजदारी व मुक़ाबिले रिआयायबृटानिया अहल यूरुप वगैरहके,

दफ़ा ४६३—कार्रवाई नालिशात फौजदारी बमुकाबिले रिआयाय बृटानिया अहल यूरुप और ऐसे बाशिन्दे हाययूरुप के जो रिआयायबृटानिया अहलयूरुप न हों और बमुकाबिले अहाली अमरीका के जो रूबरू अदालत सिशन और हाईकोर्टके रुजूअहों बजुज उस सूरतके जिसकी बाबत कोई और अहकाम सरीह सादिर हुयेहों मुताबिक़ शरायत मजमूये हाजा के अमल में आयेगी ॥

बाब-३४ ॥

अशखासफ़ातिरुलअक़्ल ॥

जाबिता जिससूरत में मुल्जिम मजनून हो,

दफ़ा ४६४—जब किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू जो तहकीकात या तजवीज मुक़दमे में मसरूफ़ हो किसी ऐसे शख्सपर जुर्म का इल्जाम लगायाजाय जो बदानिस्त मजिस्ट्रेट मजकूर के फ़ातिरुलअक़्ल और उसीवजह से जवाबदिही करनेके ग़ैर काबिल मालूम हो-तो मजिस्ट्रेट मजकूर उसशख्स की फ़ातिरुलअक़्लीकी तहकीकातकरेगा-और उसकामुआयना जिलेके साहब सिविलसरजन या किसी और ओहदेदार सीग़ैडाक्टरीसे जिसतरह लोकलगवर्नमेण्ट हिदायतकरे करायेगा-

बाद अजां सिविलसरजन या दूसरेओहदेदार सीग़ैडाक्टरी को गवाह करार देकर उसका इजहार कलम्बन्द करेगा ॥

अगर मजिस्ट्रेट मजकूरकीरायमें शख्समुल्जिम फातिरुलअक़ल करारपाये और इसवजहसे अपनी जवाबदिही करनेके नाकाबिल हो तो वह उस मुकद्दमेमें कार्रवाई मजीद मौकूफरक्खेगा ॥

ज़ाविता जब कि वह शख्स जो अदालतसिशन या हाईकोर्ट में सिपुर्द हुआ हो--मजनूनहो,

दफ़ा ४६५-अगरकोई शख्स जो तजवीजमुकद्दमेकेलिये किसी अदालतसिशन या हाईकोर्ट में सुपुर्दहुआहो अदालतमजकूर को तजवीज मुकद्दमे के वक्त फातिरुल्अक़ल और इसवजहसे जवाबदिही करने के नाकाबिल मालूमहो तो अहालीजूरी या अदालत को बअआनत असेसरान् कारबन्दहोनाचाहिये कि पहले अम्र फितूरअक़ल और नाकाबिलियतको तैकरे-और अगर उसको उमूर मजकूरका इतमीनान होजाय तो उसके मुताबिक तजवीज लिखकर मुक़द्दमेकी कार्रवाई आयन्दा मुल्तवीकरदे ॥

तैकरना इसअम्रका कि शख्समुल्जिम फातिरुल्अक़लऔर जवाबदिही करनेके नाकाबिलहै बमंजिलै जुज्वतजवीज मुकद्दमामुल्जिम रूबरू अदालत मजकूरके मुतसव्विर होगा ॥

रिहाईमजनूनकीता दौरान तफ्तीश या तजवीजके,

दफ़ा ४६६—जब कोई शख्स मुल्जिम फातिरुल्अक़ल और जवाबदिही करने के नाकाबिल पायाजाये तो मजिस्ट्रेट या अदालतको जैसी सूरतहो अख्तियार है-कि अगर वह मुकद्दमा काबिल अख्ज जमानत हो और इस अम्रकी जमानत काफी दाखिल कीजाये कि शख्स मजकूर की खबरगीरी मुनासिब कीजायेगी-और वह अपने तईं या किसी और शख्सको गजन्द न पहुंचाने पायेगा-और इन्दुलतलब रूबरू मजिस्ट्रेट या अदालत या ऐसे ओहदेदारके हाजिर होगा जिसको मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर उसग़रजसे मुकर्रर करे-तो शख्समुल्जिम को रिहाईदे ॥

मजनूनकी हिरासत,

अगर मुकद्दमा काबिलअख्ज जमानत न होया जमानतकाफी दाखिल न कीजाय तो मजिस्ट्रेट या अदालत

मजकूर को लाजिमहै-कि उसमुकद्दमे की कैफियत लोकलगवर्नमेएट को लिख भेजे-और लोकलगवर्नमेएट यह हुक्म सादिर करसकेगी कि शख्स मुल्जिम किसी पागलखाने या और माकूल मुकाम हिरासत में रक्खाजाय-उस पर मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर उस हुक्मकी तामील करेगी ॥

तहकीकात या तजवीज मुकद्दमे का फिर शुरूअ करना,

दफ़ा४६७-जबकोईतहकीकात या तजवीजमुकद्दमादफा४६४-या दफा ४६५-के बमूजिब मुलतवी कीजाय तोमजिस्ट्रेट या अदालत जैसी सूरतहोमजाजहोगी-कि किसी वक्त तहकीकातया तजवीज मुकद्दमा फिरजारीकरे--और शख्स मुल्जिम के अपने रूबरू हाजिर होने या हाजिरकिये जानेका हुक्म सादिर करे ॥

जब शख्स मुल्जिम को दफा ४६६-के मुताबिक रिहाई दीगई हो और उसके हाजिर जामिन लोग उसको उस ओहदेदार के रूबरू हाजिरकरदें जिसको मजिस्ट्रेट या अदालतने उसअम्रके लिये मुकर्रर किया हो तो सार्टीफिकट ओहदेदार मजकूर का मशअर इसके कि शख्स मुल्जिम जवाबदिही करने के काबिलहै मुकद्दमे की शहादतमें मकबूल कियाजायेगा ॥

जाबिता जब कि मुल्जिम मजिस्ट्रेट या अदालत के रूबरू हाजिर हो,

दफ़ा ४६८– अगर उसवक्त जब कि शख्स मुल्जिम मजिस्ट्रेट या अदालत के रूबरू जैसी सूरत हो हाजिर आये या फिर हाजिर किया जाये मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूरकी यहराय हो कि शख्स मजकूर जवाबदिही करने के काबिल है तो तहकीकात या तजवीज मुकद्दमा जारी की जायेगी ॥

अगर मजिस्ट्रेट या अदालत की रायमें शख्स मुल्जिम उस वक्तभी जवाबदिही करने के गैर काबिल हो तो मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर को लाजिम है-कि फिर मुताबिक शरायत मुन्दर्जे दफ़ा ४६४-या दफा ४६५-के जैसा मौकाहो अमलकरे ॥

दफ़ा४६९-जबशख्समुल्जिम तहकीकात या तजवीजमुकद्दमेके

जब कि मालूमहो कि वक्त जाहिरा सहीहुल्अक्लहो और जोशहादत मुक़द्दमे में गुज़रीहो मजिस्ट्रेट को इस से इतमीनान हो कि इसबातके बावर करने की वजह काफ़ी है कि शख्स मुल्जिम से ऐसा फेल सरज़द हुआ है जो दरसूरत सहीहुल्अक्ल होने मुल्जिम के जुर्महोता-और यह कि बवक्त इर्त्तिकाब उस फेलके शख्स मुल्जिम फ़ितूर अक्लके बाअस उसफेलकी कैफ़ियत समझने से माज़ूर या उसके बेजा या खिलाफ़ कानून होनेसे ला इल्मथा-तो मजिस्ट्रेट मजकूर मुक़द्दमे की कार्रवाई जारी करेगा-और अगर शख्स मुल्जिम अदालत सिशन या हाईकोर्ट में सिपुर्द होने के लायक ठहरे तो शख्स मुल्जिमको तजवीज मुक़द्दमे के लिये अदालत सिशन या हाईकोर्ट में जैसा मौका हो मुरसिल करेगा॥

मुल्जिम गैर सहीहुल्अक्लथा,

दफ़ा ४७०—जब कोई शख्स इस बुनियाद पर जुर्म से बरी कियाजाय कि जिसवक्त वह हस्ब बयान नालिश जुर्मका मुर्त्तकिब हुआथा वह फ़ितूर अक्लके बाअस उसफेलकी कैफ़ियत समझनेसे माज़ूरथा जो जुर्म करार दियागया है-या इस बात से लाइल्म था कि वह फेल बेजा या खिलाफ़ कानून है-तो तजवीज में बिलतखसीस यह लिखाजायेगा कि वह उसफेलका मुर्त्तकिबहुआथा या नहीं॥

जुर्मसेबरीहोनेकाफ़ैसला वर बुनियाद जिनूनके,

दफ़ा ४७१—अगर तजवीज मजकूरमें यहलिखाजाये कि शख्स मुल्जिम फेल करारदादहका मुर्त्तकिब हुआथा तो मजिस्ट्रेट या अदालतको जिसके रूबरू मुक़द्दमे की तजवीज होतीहो लाज़िमहै- कि अगर वह फेल बहालत न होने सुबूत ऐसे फ़ितूर अक्लके जुर्मके दरजे को पहुंचता यह हुक्म सादिरकरे कि शख्स मजकूर उस मुक़ामपर और उसतरह हिरासत काफ़ी में रक्खाजाय जो मजिस्ट्रेट या अदालत मौसूफको मुनासिब मालूम हो-और मुक़द्दमे की रिपोर्ट वास्ते सिदूर हुक्म लोकल गवर्नमेण्टके भेजदे॥

जिसशख्सको उस बुनियादपर बरीकियाजाय उसको हिरासत काफ़ी में रक्खा जायेगा,

लोकलगवर्नमेंएट यह हुक्म सादिर करसक्ती है-कि ऐसा शख्स किसी पागलखाने या जेलखाने या और किसी हिरासत काफीके मुकाम माकूलमें बन्द रक्खाजाय ॥

दफ़ा ४७२—जब कोई शख्स हस्ब शरायत दफ़ा ४६६-या दफ़ा ४७१—कैदमें रक्खा जाय तो साहब इन्स्पेक्टर जनरल जेलखानों का अगर वहशख्स किसी जेलखानेमें मुकय्यदहो या मुबस्सरानपागलखाना या उनमें से दो मुबस्सर अगर वह पागलखाने में बंद कियागयाहो मजाज होंगे कि उसके दिमागकी हालत दरियाफ्त करनेके लिये उसका मुआयना करें-और मुनासिबहै कि उसका मुआयना मारफत इन्स्पेक्टर जनरल जेलखाने या दो नफर मुबस्सर के हर शशमाहीमें कमसे कम एकमर्त्तबाहुआकरे-और ऐसे इन्स्पेक्टरजनरल या मुबस्सरों को लाजिम होगा-कि उस शख्सके दिमागकाहाल बजरिये कैफियत खासके लोकलगवर्नमेंएटके पास लिखभेजें ॥

मजनून कैदियों को इन्स्पेक्टर जनरल मुआयनाकरेगा,

दफ़ा ४७३—अगर ऐसा शख्स दफ़ा ४६६-की शरायतके मुताबिक कैदमें रक्खागयाहो और इन्स्पेक्टर जनरल या मुबस्सरान मजकूर इसअम्रकी तसदीक करें कि उसकी या उनकी रायमें शख्स मज़कूर जवाबदिही करने के काबिलहै- तो शख्स मजकूर मजिस्ट्रेट या अदालतके रूबरू (जैसा मौकाहो) उसवक्त जो मजिस्ट्रेट या अदालत मुकर्ररकरे हाजिरकियाजायगा-और मजिस्ट्रेट या अदालत मजकूर उस शख्स के साथ मुताबिक शरायत दफ़ा ४६८-के अमलकरेगी-और ऐसे इन्स्पेक्टर जनरल या मुबस्सरों का सार्टीफिकट जिसका मजकूर हुआ है शहादत में मकबूल कियाजायेगा ॥

जाबिताजब कि रिपोर्टहो किमजनूनकैदीअपनी जवाबदिहीकरनेकेकाबिलहै,

दफ़ा ४७४—अगर ऐसा शख्स दफ़ा ४६६—या दफ़ा ४७१-के अहकामके मुताबिक कैद कियागयाहोऔर इन्स्पेक्टर जनरल या मुबस्सरान मजकूर

जाबिता जब कि उसमजनूनकी निस्बत जो हस्ब

दफ़ा ४६६-या ४७१-कैदमें होयहइजहार कियाजाय कि वह रिहाई पाने के-काबिल है,

तसदीक करें कि उसकी या उनकी तजवीज में बिलाखतरा इसअम्रके कि वह अपने तईं यां दूसरेको गजंद पहुंचायेगा रिहा करदिया जासक्ता है-तो लोकलगवर्नमेंट यह हुक्म सादिर करसकेगी कि शख्स मजबूर रिहा कियाजाय या हिरासत में रक्खाजाय-या अगर वह पहिले से पागलखाने सर्कारीमें न भेजागयाहो तो पागलखाने में भेजाजाय--और लोकलगवर्नमेण्ट यहभी अख्तियार रक्खेगी कि अगर शख्समजकूर के पागलखाने में भेजेजानेका हुक्मदे तो एक कमीशन मुकर्रर करे जिसमें एक शरीक कोई ओहदेदार सीगे अदालतहो और दो डाक्टरहों॥

अहाली कमीशन मजकूर शख्स मजकूरकी सेहतहोश व हवास की बाबत तहकीकात बाजाबिता करेंगे--और शहादत बकदर जरूरतलेंगे--और लोकलगवर्नमेण्ट को रिपोर्टकरेंगे-और गवर्नमेंट मौसूफ़को अख्तियार होगा-कि उसकी रिहाई या हिरासतमें रक्खे जाने का हुक्मदे जो कुछ मुनासिब मालूमहो॥

दफ़ा ४७५--जो शख्स दफ़ा ४६६-या दफ़ा ४७१-के अहकाम के मुताबिक कैदकियाजाय अगर उसकाकोई करावतदार या दोस्त इसबातका ख्वास्तगार हो कि वह शख्स हिफाजत और खबरगीरी के लिये उसको हवाले कियाजाय-तो लोकलगवर्नमेण्ट मजाज है-कि दोस्त या करावतदार मजकूरकी दर्ख्वास्त पर बशर्तेकि वह हस्ब इतमीनान गवर्नमेण्ट इसअम्रकी जमानतदे कि शख्स हवाले शुदहकी खबरगीरी मुनासिब होगी और वह अपने नफ्स या किसी और शख्सको गजंद न पहुँचाने पायेगा-इसमजमूनसे हुक्म सादिरकरे--कि शख्स नजरबंद उसके करावतदार या दोस्त को हवाले कियाजाय॥

करावतदारकी हिफ़ाजतमें मजनूनका हवाला करना,

जब कोई शख्स हस्बतरीके बाला हवाले कियाजाय उसकी हवालगी इस शर्त्तपर होगी कि वह उस ओहदेदार के रूबरू और

उन औकातपर मुआयने के लिये हाजिर किया जायगा जिनकी लोकलगवर्नमेण्ट हिदायतकरे ॥

अहकाम दफ़आत ४७२-व४७४-बादतब्दील मरातिब तब्दील तलब उन अशखाससे भी मुतअल्लिक होंगे जो इस दफ़ाकी शरायतके बमूजिब हवाले कियेजायँ—और सार्टीफ़िकट उस ओहदेदार सरकारका जो इस दफ़ाके बमूजिब मुकर्रर कियाजाय बतौर शहादतके मकबूल किया जायेगा ॥

जनाब नव्वाबगवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलका मजनूनान मुजरिमको जो लोकल गवर्नमेंट के हुक्मसे कैदहों एक सूबेसे दूसरे सूबेमेंतब्दील करने की बाबत अख्तियार,

दफ़ा ४७५--(अलिफ)--+जनाबनव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल इसबातकी हिदायत कर सक्ते हैं कि कोई ऐसाशख्स जिसको लोकलगवर्नमेण्ट ने हस्ब फ़सलहाजा ऐसे किसी पागलखाना या जेलखाना या किसी और मुकाम हिरासत महफूजमें मुकय्यद रहने का हुक्म कियाहो उस मुकाम से जहां वह मुकय्यदहो किसी दूसरे पागलखाना या जेलखाना या और मुकाम हिरासत महफूज वाकै बृटिशइंडिया में तब्दील कियाजाय ॥

इन्सपेक्टर जनरलको बाज खिदमातसेमुतअल्लिक दोगकरनेकेबाबमें लोकलगवर्नमेंट का अख्तियार,

दफ़ा ४७५--(बे)--+लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार होगा कि ऐसे जेलखानासे ओहदेदार मुतअहदको जिसमें कोईशख्सहस्बदफ़ा ४६६-या दफ़ा४७१-कैदहो इन्सपेक्टरजनरल जेलखानाकी हस्बदफ़ा ४७२-या दफ़ा४७३-या दफ़ा४७४-तमाम खिदमतों के या उनमें से किसी खिदमत के अंजाम करने का अख्तियार बख्शे ॥

बाब-३५ ॥

कार्रवाई मुतअल्लिके बाब जरायम जो अदालत गुस्तरी में मुखिल हों ॥

दफ़ा ४७६—जब किसीअदालत दीवानी या फ़ौजदारी या माल

+दफ़आत ४७५-(अलिफ) व ४७५-(बे)-ऐक्ट १० सन् १८८६ ई०की दफ़ा १२ की रूसे मुंदर्ज कीगई हैं,

जाब्ताउनसूरतोंमेंजिनकी तसरीहदफा१६५-मेंकीगईहै, — की यहरायहो कि वजह काफी वास्ते तहकीकात किसीजुर्म मुतजकिरे दफ़ा १६५ के हासिल है जो अदालत के रूबरू सरजद हो या किसी कार्रवाई अदालताना के दौरान में अदालतको दरियाफ्त होजाय-तो अदालत मजकूर को मुनासिबहै कि बादकरने उसकदर तहकीकात इब्तिदाई के जो जरूरीहो उसमुकद्दमे को तहकीकात या तजवीज के लिये उस मजिस्ट्रेट दरजे अव्वलके पास भेजदे जो करीबतरहो-और यहभी अख्तियारहै-कि शख्स मुल्जिमको हिरासतमें भेजने या उसके मजिस्ट्रेट मजकूरके रूबरू हाजिरहोनेके लिये उससे जमानत काफीले और किसी शख्ससे इसबातका मुचलका लिखाये कि वह तहकीकात या तजवीज मुकद्दमेकेवक्त हाजिरहोकर शहादतदेगा॥

उसपर मजिस्ट्रेट मजकूर कानूनकेमुताबिक अमलकरेगा और उसकोअख्तियारहोगाकिअगरवहदफा१९२केमुताबिकमुकद्दमात मुन्तकिल करने का मजाजहो मुकद्दमेकी तहकीकात या तजवीज को किसी और मजिस्ट्रेट मजाज के पास मुन्तकिल करदे॥

दफ़ा४७७--बकैदशरायतदफा४४४-केअदालतासिशनमजाज

अख्तियार अदालत सिशनका दरखसूस वैसे जरायमकेजोउसकेरूबरू सरजद हों, — है-कि किसी शख्सकी निस्बत इल्जाम किसी जुर्मका जो दफा१९५---में मजकूरहै और जो उसके रूबरू सरजद हो या किसीकाररवाई अदालतानाके दौरानमें उसको दरियाफ्तहोजाय कायम करे-औरशख्स मजकूर को बइल्लत उसी जुर्म के जो उसने कायम कियाहो सिपुर्द करे-या जमानत पर रिहाकरके उसकी तजवीज खुद अमल में लाये॥

ऐसी अदालत मजाजहै-कि साहब मजिस्ट्रेट को हिदायतकरे कि जिसकदर गवाहतजवीज मुकद्दमे के लिये जरूरहों उनको हाजिरकराये॥

दफ़ा४७८--अगर कोईजुर्म किसममजकूर का किसी अदालत

अदालतहाय दीवानी व मालका अख्तियार दर — दीवानी या अदालत मालके रूबरू सरजद-हो-या अदालतदीवानीयाअदालतमालकी

बारह मुकम्मिलकरने तह्कीकात और सिपुर्दकरने मुकद्दमाके हाईकोर्टया अदालतसिशनमें,

किसी कारखाई के दौरान में अदालत मौसूफको उसका सरजदहोना दरियाफ्त हो जाय-और वह मुकद्दमा सिर्फहाईकोर्ट या अदालत सिशन से तजवीज होनेके लायकहो या उस अदालत दीवानी या अदालतमाल के नजदीक उसका हाईकोर्ट या अदालत सिशन से तजवीज पाना मुनासिब हो--तो ऐसी अदालत दीवानी या अदालतमाल मजाज होगी-कि दफा ४७६-के मुताबिक मजिस्ट्रेटकेपास मुकद्दमा तहकीकात के लिये भेजने के एवज खुद तहकीकात की तकमील करे-और शख्स मुल्जिम को बगरजहोने तजवीज रूबरू हाईकोर्ट या अदालत सिशन के जैसा मौका हो सिपुर्द या जमानत पर रिहाकरे॥

बगरजकरने तहकीकात मुताबिक इसदफा के अदालत दीवानी या अदालत माल मजाज है-कि बइतबाअशरायतदफा४४३-के तमाम अख्तियारात मुतहस्सिलै मजिस्ट्रेटको नाफिज करे-और चाहिये कि उस अदालत की कारखाई ऐसी तहकीकात के वक्त जहांतक मुमकिन हो मुताबिक शरायत बाब१८-के अमलमेंआये-और उसकारखाई की निस्बत यहसमझा जायेगा कि वह मारफत मजिस्ट्रेट के हुईथी॥

जाबिता अदालतदीवानी या मालका वैसेमुकद्दमातमें,

दफा४७९---जब इस किस्म की सिपुर्दगी किसी अदालत दीवानी या अदालत माल की मारफतकी-जाय तोअदालत मजकूरको लाजिमहै-कि अपनी फर्दकरारदाद जुर्ममें हुक्म सिपुर्दगी और कागजात मुकद्दमे के पासमजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट जिला या किसी और मजिस्ट्रेटके भेजदे जो मुकद्दमा तजवीज के लिये सिपुर्द करनेका अख्तियार रखताहो-और मजिस्ट्रेटमजकूर को लाजिम है-कि मुकद्दमेको हाईकोर्ट या अदालत सिशन के रूबरू जैसा मौकाहोमें गवाहान सुबूत और सफाईके पेशकरे॥

जाबिता बाजमुकद्द

दफा ४८०-अगर कोई जुर्म मिन्जुमलै जरायम मुतजकिरैदफआत १७५-या १७८-या १७९-या १८०-या

मातहतोंबीनमें, २२८-मजमूये ताजीरात हिन्द के किसी अदालतदीवानी या अदालत फौजदारी या अदालत मालकेहुजूर ऐक्ट४५-सन् १८६०ई०, या मवाजहामें सरजदहो तो अदालतको अख्तियार है कि मुजरिम को आम इससे कि वह रअय्यत बृटानिया अहलयूरोपहो या नहो हिरासत में रखवाये-और किसी वक्त माकूल बरखास्त कचहरी के उसीरोज अगर मुनासिब समझे जुर्म की समाअत करे-और मुजरिम की निस्बत सजाय जुर्माना जो दोसौरुपयेसे जियादह नहो तजवीज करे-और दरसूरतअदम अदाय जुर्माना कैद महज़का हुक्मदे जो एक महीने से जियादह न हो-इल्ला उससूरतमें कि मीआद मजकूर के इन्कजा से पहले जुर्माना अदाहोजाय ॥

कोई शर्त्त दफा ४४३-या दफा ४४४-की उस कारवाईसे मुतअल्लिक न होगी जो इसदफा के मुताबिक अमल में आये ॥

दफ़ा ४८१—ऐसे हरमुकद्दमे में अदालत को लाजिम है कि रिकार्डवैसेमुकद्दमातमें, उन वाकिआतको कलम्बन्द करे जिनसेजुर्म पैदाहो- और नीजबयान मुजरिम को अगर उसको कुछबयान करना मंजूरहो मय अपनी तजवीज और हुक्मसजा के तहरीरमें लाये ॥

अगर वह जुर्म मुतअल्लिके दफा २२८-मजमूये ताजीरातहिंद ऐक्ट४५-सन्१८६०ई०, के हो तो मिसल में एकऐसी कैफियतमुन्दर्ज होनी चाहिये जिससे मालूमहो कि हाकिम अदालतने जिसकेमुकाबिले में मुजाहिमत या तौहीन कीगई कारवाई मुकद्दमे को किस नौबततक पहुँचाया था और किस किस्म की कारवाई करताथा और किसनौअकी मुजाहिमत या तौहीन की गईथी॥

दफ़ा ४८२—अगर किसी मुकद्दमे में अदालतकी यहरायहो जाबिताजबकि अदालत कि वह शख्स जिसपर इल्जाम किसीजुर्मका यहसमझे कि मुकद्दमे को मिन्जुमलै जरायम मुफस्सिलै दफा ४८०-र-निस्बत हस्ब दफा४८०- क्खाजाय और जो अदालत के हुजूर या मकारवाई होना चाहिये, वाजहामें सरजद हुआहो सिवाय बसूरत अदम अदाय जुर्माना और वजहोंसे भी कैद कियेजाने के लायकहै-या

सलायक़ है कि जुर्माना तादादी ज़ायद अज़ दोसौ रुपया उस
ार आयद किया जाय-या किसी और वजह से अदालत की यह
ाय हो कि मुक़द्दमा दफ़ा ४८०-के बमूजिब फ़ैसल होनेके लायक
नहीं है-तो ऐसी अदालतको अख्तियारहै-कि बाद क़लम्बन्दकर-
े उन वाक़िआत के जिनसे जुर्म पैदाहुआहो और बयानशख्स
ुल्जिमके जिसका ऊपर हुक्म होचुका है मुक़द्दमे को उस माजि-
स्ट्रेट के पास भेजदे जो उसकी समाअत का अख्तियार रखताहो-
ौर वास्ते हाजिरी शख्स मुल्जिमके रूबरू मजिस्ट्रेट मज़कूर के
मानत तलबकरे या अगर जमानत काफ़ी दाखिल न कीजाय
ख्स मुल्जिम को जेरहिरासत ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजदे ॥

उस मजिस्ट्रेट को जिसकेपास कोईशख्स इसदफ़ाके बमूजिब
ेजाजाय लाज़िम है-कि समाअत इस्तगासा जो शख्स मज़कूर
े नाम रुजूअ हुआहो उस तरीक़ पर करे जिसकी बाबत हुक्म
हिले होचुका है ॥

दफ़ा ४८३— जब कि लोकलगवर्नमेण्ट इस नेहज की हि-
दायत करे तो हररजिस्टरार या सिब रजिस्टरार जो ऐक्ट रजिस्टरी हिन्द मुसद्दिरे सन् १८७७ ई० के मुताबिक़ मुक़र्रर हो हस्बमुराद दफ़आत ४८०-व ४८२-अदालत दीवानी समझा जायेगा ॥

(हाशिया: ...कब रजिस्टरार या ...बरजिस्टरार हस्बमु...द दफ़आत४८०व४८२ ...दालत दीवानीसमझा ...ायगा, ...क्ट ३-सन् १८७७ई०,)

दफ़ा ४८४— अगर किसी अदालत ने दफ़ा ४८०-के मुता-
बिक़ किसी मुजरिमकी निस्बत इस सबब से सज़ा तजवीज कीहो कि उसने ऐसे अम्र के करने से इन्कार किया या उसका करना तर्क
किया जिसके करनेके लिये उसको क़ानूनन् हुक्म दियागया था
ा उसने कस्दन् अदालत की तौहीन या मुजाहिमत की-तो
दालत मजाजहै-कि अगर मुनासिब समझे मुजरिमको रिहाई
-या उसकी सज़ा उसवक्त मुआफ करे जब मुजरिम अदालत

(हाशिया: हुक्म बजालाने या ...ाजिरत करनेपरमुजरिम ...ो रिहाई,)

का इर्शाद या हुक्म बजालाये या हस्ब इतमीनान अदालत अल्फाज माजरतके अदाकरे ॥

दफ़ा ४८५—अगर कोई गवाह जो अदालत फौजदारी में हाजिरहो ऐसे सवालात का जवाब देनेसे इन्कारकरे जो उससे पूंछेजायें-या ऐसी दस्तावेज़को हाजिर न करे जो उसके क़ब्जे या अख्तियारमें हो-और जो अदालतने उससेतलब कीहो-और अपने इन्कार या नाफ़र्मानी की कोई वजह माकूल जाहिर न करसके-तो अदालत मजाज़ है-कि उन वजूह के मुताबिक जो कलम्बंद की जायेंगी उसके लिये क़ैद महजकी सजा का हुक्मदे-या बजरिये वारंट दस्तखती मजिस्ट्रेट या जजइजलास कुनिन्दाके किसी ओहदेदार की हिरासतमें किसी मीआदतक नजरबन्द रक्खे जो७- सातरोज से जियादह न हो-इल्ला उससूरत में कि वह शख्स उससे पहिले इजहार और सवालात के जवाब देने या दस्तावेजके पेश करनेपर राजी होजाय-बादअज़ां अगर वह शख्स अपने इन्कार साबिक पर इसरार करे तो जायजहै-कि उसकी निस्बत वह अमल किया जाय जो दफा ४८०-या ४८२ में मरकूम है-और अगर मुक़द्दमा किसी अदालत मुकर्ररह सनद शाहीसे मुतअल्लिकहो तो शख्स मजकूर मुजरिम तौहीन अदालत का मुर्त्तकिब समझा जायेगा ॥

किसी शख्सको कैदया सिपुर्दगीजव किवहजवाब देनेसे यादस्तावेजपेश करनेसे इन्कार करे,

दफ़ा ४८६—जिस शख्स की निस्बत किसी अदालतसेदफा ४८०-या दफा ४८५-के बमूजिब हुक्म सजा सादिर किया जाय उसको अख्तियार है- कि बावजूद इसके कि मजमूये हाजामें कब्लअज़ीं कुछ और हुक्म हो उस अदालत में अपीलकरे जिस में बनाराजी डिगरियात और अहकाम मुसद्दिरै अदालत अव्वलुल्जिक्रके अलल‌उमूम अपील रुजूअ कियेजाते हैं ॥

मुकद्दमात तौहीनमें करारदाद जुर्मकी नाराजी से अपील,

शरायत मुन्दर्जे बाब ३१- जहांतक वह मुतअल्लिक होसकें उन मुकद्दमात अपील से मुतअल्लिकहोंगी जो इसदफाके बमु

जिब दायर किये जायँ--और अदालत अपील मजाज होगी-कि जिस तजवीज या हुक्म सजा की नाराजी से अपीलहुआहो उस तजवीज को तब्दील या मन्सूखकरे या उस हुक्मसजाको घटादे या मुस्तरिद करे ॥

जब हुक्म इसबात जुर्म किसी अदालत मुतालिबै खफ़ीफ़ा वाकै बल्दै प्रेजीडंसी से सादिरहो तो लाजिमहै-कि उसकाअपील हाईकोर्ट में रुजूअ कियाजाय और—

जबहुक्म इसबात जुर्म किसी और अदालत मुतालिबैखफ़ीफ़ा से सादिरहो तो लाजिम है-कि उसका अपील उस किस्मत सिशन की अदालत सिशन में दायर कियाजाय जिसके अन्दर ऐसीअदालत वाकै हो ॥

अगर हुक्म इसबात जुर्म किसी ओहदेदार मिसल रजिस्टरार या सिब रजिस्टरारके हुजूरसे जो हस्बबयान मजकूरह सदर मुकर्रर हुआहो सादिर कियाजाय अगर वह ओहदेदार किसी अदालत दीवानी का जजभी हो तो उस हुक्म इसबात जुर्मकी नाराजी से अपील उस अदालत में दायर होगा जिसमें हस्ब मरकूमै जुज्व अव्वल इस दफाके उस डिगरीकी नाराजीसे अपील कानूनन्दायर होसक्ता था जो ओहदेदार मजकूर से बहैसियत जजी सादिर की जाती-बाकी और सूरतों में ऐसे हुक्मका अपील जज जिला या बलाद प्रेजीडंसी में-हाईकोर्टके रूबरू रुजूअ किया जायेगा ॥

दफ़ा ४८७—×सिवाय उन सूरतों के जो दफआत ४७७-४८०-व ४८५-में मजकूर हैं और किसी सूरतमें कोई हाकिम अदालत फौजदारीका या कोई मजिस्ट्रेट जो किसी हाईकोर्टकाहाकिम नहो या मुल्क रंगूनका रिकार्डर या किसी प्रेजीडंसी का मजिस्ट्रेट न होकिसीशख्स

बाजजज और मजिस्ट्रेट जरायममुतजक्किरेदफा१९५-की तजवीज न करसकेंगे जब कि वह उनकेरूबरू सरजदहों,

---

× ऊपरब्रह्मा के जजों और मजिस्ट्रेटों के अख्तियार तजवीज जरायममुतजक्किरे दफा १९५-की निस्बत जबकि वह उनके रूबरू सरजदहों वगैरह-देखो कानून७- सन् १८८६ ई० के जमीमे की दफा १०-

के मुकदमे की तजवीज बइल्लत किसीजुर्म मुफ़स्सिलै दफा १९५· के अमल में न लायेगा जब वह जुर्म खुद उसके रूबरू सरज़दहो या बतौहीन उसके अख्तियार के हो या उसकी इत्तिलाअ किसी काररवाई अदालतानाके दौरान में बहैसियत जजी या मजिस्ट्रेटी उसको पहुँचे ॥

कोई इबारत मुन्दर्जे दफ़ा ४७६-या दफा ४८२-मानै इसअम्र की न होगी-कि कोई मजिस्ट्रेट जो अदालत सिशन या हाई-कोर्टमें मुक़द्दमा सिपुर्द करने का मजाज है खुद किसी मुकद्दमे को ऐसी अदालत में सिपुर्दकरे या कि कोईमजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी किसी मुकद्दमे को तहकीकात के लिये किसी और मजिस्ट्रेट के पास भेजने के एवजखुद उसका फैसला करदे ॥

बाब-३६ ॥

जौजात व अतफालकी परवरिश ॥

दफ़ा ४८८---अगर कोई शख्स जिसको इस्तताअत काफी हो अपनी जौजाकी या किसीवलदहलाल या हरामकी परवरिशसे जोखुदअपनी परवरिशन करसक्ता हो तगाफुल या इन्कार करे तो जिले का मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वलको अख्तियार होगा-कि इन्दुलसुबूत ऐसे तगाफुल या इन्कार के शख्स मजकूरको यह हुक्मदे कि वह अपनी जौजा या तिफ्ल मजकूरकी परवरिशके लिये ऐसाकफाफ माहाना मुकर्रर करे जो सब मिलाकर ५०) रु० माहवारसे जियादह न हो- और जो मजिस्ट्रेट को मुनासिब मालूमहो-और ऐसेशख्सको कफाफ मजकूर अदाकरताजाय जिसकी मजिस्ट्रेटवक्तन् फवक्तन् हिदा-यत करे ॥

(हाशिया: हुक्म वास्ते परवरिश जौजा व औलाद के,)

ऐसा कफाफ हुक्म की तारीख से वाजिबुल्अदा होगा ॥

अगर वह शख्सजिसको ऐसा हुक्मदियाजाय क़सदन् उसकी तामीलमें ग़फ़लतकरे तो हरएक मजिस्ट्रेटको अख्तियार होगा- कि हुक्मसे हरमर्त्तबा उदूल

(हाशिया: हुक्म की बिलजब्र तामील,)

होने पर एकवारंट इस हिदायत के साथ जारीकरे कि ज़रवाजिबुल् अदा उसीतरह वसूल कियाजाय जिसतरह हस्बतरीके मुतज़क्किरै वाला जुर्माना वसूल होताहै-और यहहुक्म सादिरकरे-कि शख्स मज़कूर हरमहीने के कफ़ाफ़ कुल या जुज्वकी वाबत जो वारंट की तामील के बाद ग़ैर मवदा रहा हो किसी मीआदतक कैदरहे जो एक महीने से जियादह न हो ॥

लेकिन शर्त्त यह है-कि अगर शख्स मस्तूर इस शर्त्तपर अपनी जौजाकी परवरिश करने पर राज़ीहो कि वह उसके साथरहे-और जौजा उसके साथरहने से इन्कार करे तो मजिस्ट्रेट मजकूर को अख्तियारहै-कि वजूह इन्कारपर जो जौजा की तरफ से पेश हों ग़ौर करके अगर उसको इतमीनानहो कि शख्स मजकूर जिनाकारीकी हालतमें रहताहै या आदतन अपनी जौजा के साथ बेदर्दी से पेश आताहै तो बावस्फ इसके कि शौहर हस्ब बयान मजकूरै सदर उसकी परवरिश करना कुबूल करे इसदफा के बमूजिब हुक्म सादिर करे ॥

शर्त्त,

कोई जौजा इसदफाके मुताबिक उस सूरतमें शौहर से कफ़ाफ़पानेकी मुस्तहक न होगी जब कि वह जिनाकारी की हालत में रहती हो-या बिला वजह मवज्जह अपने शौहरके साथ रहने से इन्कार करती हो-या दोनों बरजामन्दी बाहमी अलाहिदा २ रहते हों ॥

बवक्त सुबूत इस अम्रके कि कोई जौजा जिसके हकमें ऐसाहुक्म इसदफाके मुताबिक हुआहो जिनाकारी की हालत में रहती है या कि वह बिलावजह काफी अपने शौहर के साथ रहने से इन्कार करती है या कि दोनों बतराज़ी तरफ़ैन अलाहिदा २ रहते हों मजिस्ट्रेट को लाजिम है कि हुक्म मन्सूख करदे ॥

तमाम सुबूत जो इस बाबके मुताबिक लियाजाय रूबरू शौहर या बाप जौजा के जैसी सूरत हो लियाजायेगा-या जब शौहर या बापका असालतन् हाजिरहोना मुआफकियाजाय तो उ-

सके वकील के रूबरू-और उस तरीकपर कलम्बन्द कियाजायगा जो मुकद्दमात लायक इजराय सम्मनकेलिये मुकर्ररकियागयाहै ॥

कफाफमें तबद्दुल, दफ़ा ४८६—वक्त गुजरने सुबूत तब्दील हालात किसी शख्स के जो कफाफ माहाना हस्ब दफा ४८८-पाता हो या जिसको दफ़ा मज़कूर के बमूजिब उसकी जौजा या तिफ्ल को कफाफ मजकूर अदा करनेका हुक्म हुआ हो-मजिस्ट्रेट मजाज है-कि उस कफाफमें उसकदर तब्दील करे जो उसको मुनासिब मालूमहो बशर्ते कि कुल कफाफ मुबलिग ५०) रु० माहाना से जियादह न होजाय ॥

हुक्म परवरिशकी बिलजब्र तामील, दफ़ा ४९०—एक नकल हुक्म परवरिशकी बिला अखज उजरत उस शख्स को दीजायेगी जिसकी परवरिश के लिये हुक्म दियागयाहो या उसकेवलीको अगर कोई हो या उस शख्स को जिसको कफाफ दिये जाने का हुक्म हुआ हो-और हुक्म मजकूर इस लायक होगा कि हरएक मजिस्ट्रेट हर जगह में जहां वह शख्स जिसके नाम हुक्म सादिर हुआ हो मौजूदहो उसकी तामील बिलजब्र कराये बशर्ते कि ऐसे मजिस्ट्रेट को इतमीनान हो कि यह अशखास वही हैं जिनसे हुक्म मुतअल्लिक है और जरवाजिबुल्अदा हिनोजअदा नहीं किया गया है ॥

बाब-३७ ॥

हिदायात मिन्क़बील परवानेगिरफ़तारी मौसूमै हेबियसकारपिस ॥

अख्तियार इजरायहिदायात मिन्क़बील परवाना हेबियसकारपिस के, दफ़ा ४९१- हरएक हाईकोर्ट आफजुडीकेचर मुतअय्यनै मुक़ामात फोर्ट विलियम व मदरास व बम्बई मजाज है-कि जब कभी मुनासिब समझे यह हिदायात सादिर करे ॥

(अलिफ़)-यह कि कोई शख्स जो उसके मामूली इलाकै समाअत इब्तिदाई सीगै दीवानी की हुदूदके अन्दरहो इस ग़रज़ से अदालत में हाज़िर कियाजाय कि उसके साथ क़ानूनके मुताबिक़ अमल किया जाय ॥

(बे)-यह कि कोई शख्स जो हुदूद मज़कूरके अन्दर खिलाफ़ क़ानून और बतौर बेजा किसी हिरासत सरकारी या खानगी में नज़रबन्द रक्खा गया हो रिहाई पाये—

(जीम)-यह कि कोई कैदी जो हुदूद मज़कूर के अन्दर किसी जेलखानेमें मुक़य्यदहो अदालतके रूबरू इसगरजसे हाजिर किया जाय कि उसका इजहार किसी ऐसे मुआमिले में बतौर गवाह के लियाजाय जो उस अदालत में दायर या ज़ेरतहक़ीक़ात हो ॥

(दाल)-यह कि कोई कैदी जो हुदूद मजकूरके अन्दर किसी जेलखाने में कैद हो किसी कोर्टमारशलके रूबरू या ऐसे कमिश्नरों के रूबरू तजवीज मुक़द्दमेकेलिये पेशकियाजाय जो अख़्तबार कमीशन मुसद्दिरै जनाब नव्वाबगवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल अमल करते हों-या वास्ते देने इजहार निस्बत किसी मुआमिले मरजूये रूबरू ऐसे कोर्टमारशल या मजमा कमिश्नरान के हाजिर कियाजाय ॥

(हे)-यह कि कोई कैदी हुदूद मजकूर के अन्दर किसी एक मुकाम हिरासत से दूसरे मुकाम हिरासतमें इसग़रजसे मुन्तक़िल कियाजाय कि उसके मुकद्दमे की तजवीज अमलमें आये ॥

(वाव)-यह कि हुदूद मजकूर के अन्दर जात किसी मुद्दआअलेह की बवक्त गुजरने कैफ़ियत शरीफ़मशअर गिरफ्तार कर लेने मुद्दआअलेह मुसबिते जो हर वारंट के हाजिर की जाय ॥

हर अदालत हाईकोर्ट को अख्तियार है-कि वक्तन् फवक्तन् कवाअद मुनासिब वास्ते इन्तिजाम जाबितै अमल उन मुकद्दमात के जो इस दफासे मुतअल्लिक हों मुरत्तिब करतीरहे ॥

इस दफा की कोई इबारत उन अशखास से मुतअल्लिक नहीं है जो हस्बशरायत कानून बंगाला नंबर ३-सन् १८१८ ई० या कानून मदरास नम्बर २-सन् १८१९ ई० या कानून बंबई नंबर २५-सन् १८२७ ई० या ऐक्ट हाय जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बाहदुर बइजलास कौंसल नम्बर ३४-सन् १८५० ई० या नंबर ३-सन् १८५८ ई० नजरबंदी में हों ॥

हिस्से नहुम ॥

शरायत मोहतमिम ॥

बाब--३८ ॥

बाबत पैरोकार मिंजानिब सर्कार ॥

पैरोकारान मिंजानिब सरकार के मुकर्रर करने का अख्तियार,

दफ़ा ४९२--जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेण्ट को अख्तियार है--कि एक या चन्द ओहदेदार जो पैरोकार मिन्जानिब सर्कार कहलायेंगे किसी रकबे अर्जी के अन्दर उमूमन या किसी मुक़द्दमे या किसी खास क़िस्म के मुक़द्दमात के लिये मुक़र्रर फ़रमाये ॥

हर मुक़द्दमे में जो अदालत सिशनको तजवीज के लिये सिपुर्द कियाजाय मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्से जिले को बइतबाअ हुकूमत मजिस्ट्रेट जिले के अख्तियार रहेगा कि दर-सूरत गैरहाजिरी पैरोकार मिन्जानिब सर्कारके या जब कोई पैरोकार मिन्जानिब सर्कार मुकर्रर न हुआ हो किसी और शख्स को ब-शर्ते कि वह ऐसा अहल्कार पुलिसहो जो असिस्टंट सुपरिंटेण्डेण्ट पुलिस जिले के रुतबासे कम रुतबा न रखताहो मुकद्दमे मजकूरकी अग़राज के लिये पैरोकार सर्कारी मुकर्रर करे ॥

पैरोकार मिन्जानिब सरकार जुमले अदालतों में उन मुकद्दमातमें वह स करसकेगाजो उसकेसिपुर्दहों-और वह वकला जिनको खानगी तौर पर मुकर्ररकियाजाय पैरोकारमजकूरके जेरहिदायत रहेंगे,

दफ़ा ४९३--पैरोकार मिन्जानिब सर्कार को अख्तियार है कि बिला पेशकरने किसी मुख्तारनामे तहरीरी के उस अदालत में हाज़िरहोकर सवाल व जवाब करे जिसमें किसी मुकद्दमेकी तहक़ीक़ात या तजवीज या अपील दायरहो जो उसको सिपुर्द हुआहो-और अगर कोई शख्स खानगी किसी वकील को इसग़रजसे मुकर्रर करे कि वह किसी शख्स मुतअल्लिके मुक़द्दमे मजकूरपर किसी अदालतमें नालिश रुजूअ करे तो उस नालिशकी कार्रवाई मारफ़त पैरोकार सर्कारीकेहोगी-और वहवकील जोमुकर्ररहुआहो उसके जेरहिदायत अमलकरेगा॥

दफ़ा ४९४–पैरोकार सर्कारको जो जनाब नव्वाब गवर्नर ज-
नालिशसेदस्तबरदारहो नेकीतासीर, नरल बहादुर बइजलासकौंसल या लोकल गवर्नमेंटके हुक्मसे मुकर्ररहुआहो अख्तियारहै-कि बरजामंदी अदालत जिन मुकद्दमात की तजवीज बअआनत जूरी हो उनमें कब्लइजहार रायजूरी और दूसरी किस्मके मुकद्दमात में कब्लसुनाने तजवीज अदालतके उस नालिशसे जो उसने किसी शख्स परकी हो दस्तबरदारहो-और ऐसी दस्तबरदारीके वक्त—

(अलिफ)–अगर वह कब्ल तय्यारी फर्दकरारदाद जुर्मके हो तो शख्स मुल्जिमको रिहाईदीजायेगी ॥

(बे)-अगर वह बाद तय्यारी फर्द करारदाद जुर्म या ऐसे मुकद्दमे में हो कि इस मजमूये के मुताबिक फर्द मजकूरकी जरूरत नहो तो शख्स मुल्जिम जुर्म से बरी करार दियाजायेगा ॥

दफ़ा ४९५–×हर मजिस्ट्रेट तहकीकात कुनिंदा या तजवीज
पैरवीमुकद्दमाकीइजाजत, कुनिंदा मुकद्दमे को अख्तियार होगा-कि पैरवी मुकद्दमे की इजाजत किसी ऐसे शख्सकोदे जो सिवाय ऐसे ओहदेदार पुलिसके हो जो उसदरजे के नीचे काहो जो लोकल गवर्नमेंट इसकाम के लिये जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसलकी मंजूरी पेशतर हासिलकरके ठहरादे× ॥

हरशख्स जो इस्तगासे की पैरवी करे मजाजहै-कि असालतन् या वकालतन् करे ॥

+कोई ओहदेदार पुलिस मजाज इसबातका न होगा-कि पैरवी मुकद्दमा करे अगर वह उसजुर्मकी तहकीकात के किसी जुज्व

×—×दफ़ा ४९५-कापहिला जुमला ऐक्ट १० सन् १८८६ई० की दफ़ा १३ (१) की रूसे साबिक इबारत की जगहपर कायम कियागया है,

× (दफ़ा ४९५ का फोटनोट सफा २५८ में देखो)

में शरीक रहाहो जिसकी बाबत शख्स मुल्ज़िमकी निस्बत पैरवी नालिश अमलमें आरही हो+॥

बाब–३९॥

बाबत हाजिरजामिनी॥

जुर्मकाबिल जमानत की सूरत में जमानत लीजायगी,

दफ़ा ४९६–जब कोई शख्स अलावह उस शख्स के जिसपर जुर्म गैरकाबिल जमानतका इल्जाम लगाया जाय बिलावारंट मारफत अफ्सर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन के गिरफ्तार या नजर बन्द रक्खाजाय या किसी अदालत के रूबरू हाजिरआये या हाज़िर कियाजाय और उस अय्याममें किसी वक्त जब वह अफसर मज-कूरकी हिरासतमें रहे या अदालत मजकूरकी कार्रवाई की किसी नौबतपर जमानत देनेको मुस्तैदहो तो ऐसा शख्स जमानत पर रिहा कियाजायेगा॥

लेकिन शर्त्त यह है-कि ऐसा अहल्कार या अदालत अगर वह मुनासिब समझेमजाजहोगी-कि शख्स मुल्जिमसे जमानतलेनेके एवज उसको इसशर्त्तपर रुख्सत करेकि वह मुचलका बिलाशमूल जामिनान इस इकरार से लिखदे कि वह हस्ब तफसील जैल हा-जिरहोगा॥

जुर्मगैरकाबिलजमानत कीसूरतमें कवजमानतली जासक्ती है,

दफ़ा ४९७--जब कोई शख्स मुल्जिम जो किसी जुर्म गैर काबिल जमानतमें माखूज होकर किसी अ-फसर मोहतमिम पुलिस इस्टेशन की मारफत बिलावारंट गिरफ्तार हो या नजरबंद रक्खा जाय या किसी अदालत के रूबरू हाजिर आये या हाजिर किया जाय-तो जायजहै-कि वह जमानत पर रिहाकियाजाय-लेकिन अ-

---

+ यह फिकरा दफ़ा ४९५-का ऐक्ट १०-सन् १८८६ ई० की दफ़ा १३-(२) की रूसे बढ़ायागयाहै,

दरबारह पैरवी मुकद्दमात बज़रिये ओहदेदारान पुलिस के अपरब्रह्मामें-बि-लालिहाज किसी मजमूनके दफ़ा ४९५-में देखो कानून ७-सन् १८८६ ई० के जमी-मेकी दफ़ा १८॥

गर वजूह माकूल इस गुमान की पाईजायें कि वह उसजुर्मका मुर्त्तकिबहुआ है जिसका इल्जाम उसपर लगाया गया है-तो इसतौर पर जमानतपर रिहा न किया जायेगा॥

अगर तफ्तीश या तहकीकात या तजवीज मुकद्दमे की किसी नौबतपर जैसा मौकाहो ऐसे अहल्कार पुलिस या अदालतको यह मालूमहो-कि कोईवजह माकूल इस अम्रके बावर करनेकी नहींहै कि शख्स मुल्जिम जुर्म करारदादहका मुर्त्तकिब हुआहै-मगर उसकी कुसूर वारीकी बाबततहकीकात मजीद करनेकी वजह काफीहै-तो लाजिमहै-कि शख्स मुल्जिम हीन दौरान ऐसी तहकीकातके हस्ब इख्तियारात अहल्कार मजकूर या अदालत जब कि वह मुचलका बिलाशमूल जामिनान इसइकरारसे लिखदे कि वह हस्ब तरीके मुफस्सिलै जैल हाजिरहोगा जमानतपर रिहाकियाजाय॥

हर अदालत को अख्तियार है-कि किसी कार्रवाई मुतअल्लिके मजमूये हाजाकी किसी नौबत माबादपर किसी शख्स को जो इस दफा के बमूजिब जमानत पर रिहाहुआ हो गिरफ्तार कराये और उसको हिरासतमें रक्खे॥

ज़मानतपर रिहाहोनेया तादाद जमानतके कमकरदेनेकी हिदायत,

दफ़ा ४९८--तादाद हर मुचलकेकी जो हस्बबाबहाजा लिखा जाय बलिहाज हालात मुकद्दमा करारदीजायेगी-और हद्दसे जियादह न होगी-और हाईकोर्ट या अदालत सिशन मजाजहै-कि हर मुकद्दमे में आम इससे कि उसमें हुक्म इसबात जुर्मकी नाराजी से अपील जायज हो या नहीं यह हिदायत करे कि शख्स मुल्जिम जमानत पर रिहाकियाजाय--या तादादजमानत जो अहल्कार पुलिस या मजिस्ट्रेट ने तलबकीहो कमकर दीजाय॥

शख्स मुल्जिम औरजामिनोंका मुचलका,

दफ़ा ४९९--क़ब्ल इसके कि कोई शख्स जमानत पर या खुद अपने मुचलके पर रिहा किया जाय-चाहिये कि किते मुचलका बइन्दराज उसतादादतावान के जो अहल्कार पुलिस या अदालत जैसी सूरत हो काफी समझे शख्स मजकूर की तरफ से लिखाजाय-और जबवह जमा-

नत पर रिहाई पाये तो चाहिये कि जमानतनामा तरफ से एक या चन्द जामिनान मोतबिर के इस इक़रार से लिखाजाय कि शख़्स मज़कूर वक़्त और मुकाम मुसर्रहा मुचलके पर हाज़िर होगा--और जबतक अहल्कार पुलिस या अदालत जैसा मौका हो दूसरे तौर पर हुक्म न दे हाज़िर रहेगा ॥

अगर जरूरतहो तो मुचलके में यह भी इक़रार लिखाजायगा कि वह शख़्स जो जमानत पर रिहा कियागयाहै इंदुल्तलब हाई-कोर्ट या अदालत सिशन या किसी और अदालत में जवाबदिही करने को हाज़िर होगा ॥

दफ़ा ५००---जिस वक़्त मुचलका और जमानतनामेकी तक-मील होजाय तो वह शख़्स जिसकी हाज़िरी के लिये मुचलका लिखागयाहो रिहा किया जायगा-और अगर वह जेलखाने में हो तो अदालत मंज़ूर कुनिंदा जमानत अफ्सर मोहतमिम जेलखाने के नाम हुक्म वास्ते रिहाई शख़्स मज़कूर के सादिर करेगी--और उस हुक्म के पहुंचने पर अफ्सर मज़कूर उसको रिहाई देगा ॥

हिरासतसे मुखलसी,

इस दफ़ा या दफ़ा ४९६-या ४९७-की किसी इबारतसे यह ला-ज़िम न आयेगा कि कोई शख़्स जो सिवाय उस अम्रके जिसकी बाबत मुचलका और जमानतनामा लिखा गया किसी और अम्र की बाबत नजरबन्द रक्खे जानेके क़ाबिलहो रिहाई पाये ॥

दफ़ा ५०१--अगर किसी गल्ती या फ़रेब या और वजह से जामिनान ग़ैरकाफ़ी मंज़ूरकियेगयेहों या अगर वह लोग बाद उसके ग़ैरकाफ़ी होजायँ तो अ-दालत मजाज़ है--कि वारन्ट गिरफ्तारी इसहि-दायतसे जारीकरे कि वह शख़्स जिसकी जमा-नतपर रिहाईहुईहो अदालत में हाज़िर कियाजाय-- और उसको यह हुक्मदे कि वह ज़ामिनान काफ़ी हाज़िर करे-और अगर वह उसकी तामील में क़ासिर रहे तो अदालत मजाज़ होगी कि उ-सको जेलखाने में भेजदे ॥

जमानत काफी के हुक्मदेनेकाअख्तियार जबकि पहलीजमानत गैर काफीहो,

दफ़ा ५०२—जायज़है कि उनज़ामिनोंमेंसे जिन्होंने शख़्सरिहा जामिनों की रिहाई, शुदहनज़मानतके हाज़िर करनेका इक़रारकिया हो कुल या बाजअशख़ास किसीवक़्त मजिस्ट्रेटकेपास यहदरख़्वास्तदें कि मुचलका और ज़मानतनामा मुक़ल्लियतन् या जहांतक अहालीदरख़्वास्त से तअल्लुक़ रखताहो फ़िस्ख़कियाजाय ॥

ऐसी दरख़्वास्तके गुज़रनेपर मजिस्ट्रेट अपनावारंट गिरफ्तारी इस हुक्म से जारी करेगा कि शख़्स रिहाई याफ्तह उसके रूबरू हाज़िर कियाजाय ॥

जब शख़्स मज़कूर वारंट के मुताबिक़ हाज़िर किया जाय या अज़ख़ुद हाज़िर होजाय तो मजिस्ट्रेट यहहुक्म सादिर करेगा कि मुचलका और ज़मानतनामा कुल्लियतन या जहांतक कि उसको अहाली दरख़्वास्तसे तअल्लुक़है फ़िस्ख़ कियाजाय- और शख़्स मज़कूर को हिदायत करेगा कि और ज़ामिनान काफ़ी बहम पहुंचाये- और अगर वह उसहुक्मकी तामील में कुसूरकरे तो अदालत मजाज़है कि उसको हिरासतमें रक्खे ॥

बाब--४० ॥

बाबत इजराय कमीशन वास्ते क़लमबंदी इज़हार गवाहानके ॥

दफ़ा ५०३-जब किसी तहक़ीक़ात या तजवीज मुक़द्दमा या और कार्रवाईके दौरानमें जो इसमजमूयेके मुताबिक़हो किसी प्रेज़ीडंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट जिला या अदालत सिशन या हाईकोर्ट को यह मालूमहो कि किसी गवाहका इज़हारलेना वास्ते हुसूल अग़राज़ इन्साफ़ के जरूरहै-अगर वह गवाह बग़ैर उसक़दर तवक़्क़ुफ़ या सर्फ़ या दिक़्क़तके जिसका रवा रखना बनज़र हालात मुक़द्दमा नामुनासिबहो हाज़िर नहीं होसक्ताहै-तो ऐसा मजिस्ट्रेट या अदालत सिशन या हाईकोर्ट मजाज़होगी कि ऐसेगवाहके असालतन् हाज़िरहोनेसे दरगुज़र करे-और उसमजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट दरजेअव्वलके नाम जिसकेइलाक़े हुकूमतकी हुदूद अर्ज़ीके अन्दर गवाह मज़कूर

(हाशिया: गवाहकी हाज़िरी से दर गुज़र किया जासक्ताहै, इजराय कमीशन और ज़ाबिता कारवाई तहत कमीशन,)

रहताहो वंदकमीशन वास्ते लेने शहादत ऐसेगवाहके जारीकरे ॥

जबगवाह अंदर अमल्दारी किसी ऐसेवाली या रियासतकेरहता हो जो हज़रत मलकामुअज़्ज़िमा के साथ इत्तहाद रखती है- और उस मुल्कमें ओहदेदार कायममुकाम गवर्नमेंट वृटिश इण्डिया काहो तो जायज़ है-कि कमीशन ओहदेदार मजकूर के नाम सादिर कियाजाय ॥

वह मजिस्ट्रेट या ओहदेदार जिसकेनाम कमीशन जारी हुआ हो या अगर वह मजिस्ट्रेट जिलाहो तो वह मजिस्ट्रेट या दूसरा मजिस्ट्रेट दरजे अव्वल जिसको मजिस्ट्रेट जिला उसगरजसे मुकर्ररकरे उसमुकामपर जहां वहगवाह मौजूदहो खुदजायेगा या अपने रूबरू गवाह को तलबकरेगा-और उसकी गवाही उसीतौरपर लेगा और इस गरज से वही अख्तियारात रक्खेगा और उनके अमल में लानेका मजाजहोगा जैसा कि इसमजमूये के मुताबिक वह मुकदमात लायक इजराय वारंट की तजवीज में मजाज है ॥

दफ़ा ५०४—अगर गवाह मजकूर किसी प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट के इलाके हुकूमतकी हुदूद अर्ज़ीके अंदरहो तो मजिस्ट्रेट या अदालत जारी कुनिन्दा कमीशन मजाजहै-कि बंद कमीशन मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी के नाम मुरसिलकरे-और मजिस्ट्रेट आखिरुल्जिक्रको अख्तियार होगा-कि गवाहमजकूरको उसीतरह अपनेरूबरू हाजिरकराके उस का इजहारले जिसतरह दरसूरत मुतअल्लिक होने उसगवाह के किसी मुकद्दमे मुतदायरा रूबरू अपने के वह उसको हाजिर करासक्ता ॥

कमीशन जब कि गवाहप्रेजीडंसी शहर के अन्दर हो,

इसदफ़ा की किसी इबारत से हाईकोर्ट के उस अख्तियार इजराय कमीशन में कुछ खलल न आयेगा जो बमूजिब ऐक्ट मुसद्दिरे सन् ३६-व ४०-जलूस मलका मुअज्जिमा विक्टोरिया बाब ४६-दफ़ा ३-के कोर्ट मौसूफ को हासिलहै ॥

दफ़ा ५०५—हरएक कार्रवाईमें जो इस मजमूये के मुताबिक हो और जिसमें बंदकमीशन जारीहो फरीकैन

फरीकैन गवाहों

का इजहार लेसक्तेहैं,मुआमला मजाज होंगे-कि अपनी२ तरफसे बंद हाय सवालात तहरीरी जिनको मजिस्ट्रेट या अदालत सादिर-कुनिन्दा कमीशन अम्र मुतनाजेसे मुतअल्लिक समझतीहो कमी-शनकेसाथ मुरसिलकरें-और उस मजिस्ट्रेट या ओहदेदारको जिस के नाम वन्दकमीशन भेजाजाय लाजिमहै-कि गवाहसे सवालात मजकूर का जवावले ॥

ऐसे हर फरीक को अख्तियार है-कि मजिस्ट्रेट या ओहदेदार मजकूरके रूबरू मारफत वकीलके हाजिरहो-और अगर हिरासत में न हो तो असालतन हाजिहो-और गवाह मजकूरसे सवालात और जिरहके सवालात औरसवालात मुकर्रर(जैसामौकाहो)करे ॥

अख्तियार मुफस्सिल केमजिस्ट्रेट मातहतकाद रखारह इस्तदुआय इजरा यकमीशनके,

दफ़ा ५०६—जब किसी तहक़ीक़ात या तजवीज मुक़द्दमा या दीगरकार्रवाई महकूमै मजमूये हाजा के दौरान में जो सिवायमजिस्ट्रेट प्रेजीडंसीया मजिस्ट्रेट जिलाके किसी और मजिस्ट्रेटके रूबरूदरपेशहो यहमालूमहो-कि किसीगवाह के इजहारके लिये जिसकी शहादत बनजर हुसूल अग़राज़ इ-न्साफ उस तजवीज में जरूरी है कमीशन सादिर करना चाहिये-और हाजिरी गवाह मजकूर की बिला वाकै होने उसकदर तवक्कु-फ या खर्च या तकलीफके जो बनजरहालात मुक़द्दमा ग़ैरवाजिबहो हासिल न होसके-तो ऐसा मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जिलेके पास दर-ख्वास्त करेगा और दरख्वास्तकी वजूह लिखेगा और मजिस्ट्रेट ज़िलेको अख्तियारहोगा कि या तो कमीशन हस्ब तरीक़े मुसर्रहा सदर जारीकरे या दरख्वास्तको नामंजूरकरे ॥

कमीशनकोवापसी,

दफ़ा ५०७— बाद हस्ब जाब्ता तकमीलपाने किसी कमी-शनके जो दफ़ा ५०३-या दफ़ा ५०६-के वमूजि-वजारी हुआहो कमीशन मजकूर मै बयान उसगवाहके जिसका इजहार कमीशनकी रूसे क़लम्बन्द हुआहो उसअदालत में वा-पिस भेजा जायेगा जहांसे वह जारी हुआथा-और वह कमीशन मै फ़र्द रिटर्न और इजहारके तमाम औक़ात मुनासिबपर लायक

मुआयनै फ़रीक़ैनके होगा-और हर फ़रीकको अख़्तियारहोगा कि बमलहूज़ी उनकुल एतराजात माकूल के जो उनपर वारिदहों उन को अपनी तरफ़ से सुबूत में पढ़वाये और वह काग़ज़ात शामिल मिसल किये जायेंगे ॥

तहक़ीकात या तजवीज मुक़द्दमेकामुल्तवीरहना, दफ़ा ५०८—हर मुक़द्दमे में जिसमें दफ़ा ५०३-या दफ़ा ५०६-के बमूजिब कमीशन जारीहोने का हुक्म दियाजाय जायज है-कि तहक़ीकात या तजवीज मुक़द्दमा या दीगर कार्रवाई मुक़द्दमेकी एकअरसे माकूल तक जो वास्ते तामील पाने और वापिसआने कमीशन के काफ़ीहो—मुल्तवी रक्खीजाय ॥

बाब-४१ ॥

क़वाअ़द ख़ास मुतअ़ल्लिक़े शहादत ॥

गवाहडाक्टरीपेशाका इजहार, दफ़ा ५०९----जायज है-कि इजहार किसी सिविल सरजन या और गवाह डाक्टरी पेशेका जो किसी मजिस्ट्रेट की मारफ़त शख़्स मुल्ज़िमके रूबरू क़लम्बन्द होकर तसदीक़ हुआहो किसी तहक़ीकात या तजवीज मुक़द्दमा या और कार्रवाई में जो इस मजमूये के मुताबिक़ अमलमें आये बतौर शहादत दाख़िल कियाजाय गो इजहार दिहंदा बतौर गवाहके तलब न कियाजाय ॥

गवाह डाक्टरी पेशाके तलबकरनेकाअख़्तियार, अदालत मजाज है-कि अगर मुनासिब समझे ऐसे इजहार दिहंदाको अपने रूबरूतलबकरके उसके इज़हारके मरातिबकीबाबत उससेइस्तिफ्सारकरे ॥

मुमतहिन कीमियाकी रिपोर्ट, दफ़ा५१०-- जायज है-कि हर नविश्तह जिससे यहमफ़हूम होताहो कि वह रिपोर्ट दस्तख़ती× किसीसाहब मुमतहिनकीमियाय सर्कारी या असिस्टण्ट मुमतहिन कीमियाकी बाबत ऐसे माद्दा या चीजके है जो उसकेपास हस्ब ज़ाबिता इम्तहान या तहलील और तहरीर रिपोर्ट के लिये

रूसे×लफ़्ज़ "किसी" दफ़ा ५१०-में ऐक्ट १०-सन् १८८६ ई० की दफ़ा १४—को क़ायम कियागया है,

किसी कार्रवाईके दौरानमें भेजीगईहो जो इसमजमूये के मुताबिक अमल में आये हरएक तहक़ीक़ात या तजवीजमुक़द्दमा या और कार्रवाई मुतअल्लिके मजमूयेहाजा में बतौर सुबूत के दाखिल कियाजाय ॥

दफ़ा ५११——सुबूत किसी साबिक़ की सजायाबी या जुर्मसे बराअतपानेका किसी तहक़ीक़ात या तजवीज या और कार्रवाईमें जो इस मजमूयेके मुताबिक़ अमलमें आये अलावा किसीऔर तरीक़े के जो अजरूय क़ानून मजरिये वक्त मुक़र्रर हो दाखिल होसक्ताहै—

किसी साबिक़की सजायाबी या जुर्मसे बराअत पानेसुबूतका क्योंकर होगा,

(अलिफ़)—बजरिये इन्तिखाब मुसद्दिका और दस्तखती उस ओहदेदार के जो उसअदालत के काग़ज़ात को अपनीतहवील में रखताहै जहां से हुक्म सजायाबी या बराअतका सादिरहुआथा और जिसकी तसदीक़ इस मजमूनसे हो कि वह हुक्म सजा या हुक्म बराअतकी नक़लहै—या

(बे)—दरसूरत सजायाबी के बजरिये पेशकरने सार्टीफ़िकट दस्तखती अफ्सर मोहतमिम उसजेलखाने के जिसमें वह सजा या कोई जुज्व उसका आयद कियागयाथा-या बजरिये इदखाल उस वारंट सिपुर्दगी के जिसके बमूजिब सजाकी तकमील कीगईथी ॥

और इन दोनों सूरतों में बजरिये लेने सुबूत इस अम्रके कि शख्स मुल्जिम वही शख्सहै जिसकी निस्बत सजायाबी या बराअतका हुक्म हुआथा ॥

दफ़ा ५१२—अगर साबित कियाजाय कि शख्स मुल्जिम मफ़रूर होगया और उसके गिरफ्तारकरनेकी सरे दस्त कोई उम्मेद नहो तो वह अदालत जो ऐसे शख्सको बइल्लत जुर्म क़रारदादह तजवीजकरने या तजवीज मुक़द्दमे के लिये सिपुर्दकरनेका अख्तियार रखती है मजाज होगी- कि उसकी ग़ैरहाजिरीमें उन गवाहों से (अगर कोईहों) सवाल व जवाब करके उनके इजहारात कलम्बन्दकरे जो बताई

मुल्जिम की गैबत में शहादतका कलम्बन्दहोना,

इस्तगासा पेश कियेजायें-और जायजहै-कि अगर इजहार दिहन्दा फ़ौतहोगया या शहादतदेने के काबिल न रहाहो या उसका हाजिरकरना बिलागवाराकरनें उसक़दर तवक्कुफ या खर्च और तकलीफ के नामुमकिनहो जो बनजर हालात मुक़द्दमा नामाकूल मालूमहो तो उसका इजहार बरवक्त गिरफ्तारी शख़्स मुल्जिमके तजवीज या तहक़ीक़ात जुर्मके वक्त जो बइल्लत जुर्म करारदादहके अमलमें आये उसके मुकाबिल के सुबूत में दाखिल कियाजाय॥

बाब—४२।

शरायत बाबत मुचलका व जमानतनामा॥

दफ़ा ५१३—जब किसी अदालत या अहल्कारकी तरफ से किसी शख़्सके नाम हुक्म सादिरहो कि वह मुचलका या जमानतनामा मैं या बिलाशमूल जामिनान के इर्क़ामकरे-तो ऐसी अदालत या और ओहदेदारको अख़्तियार है-कि बजुज उस सूरतके कि मुचलका नेकचलनीका लिखायाजाय शख़्स मजकूरको इजाजतदे कि बजाय लिखने मुचलके वग़ैरहके एक मुब्लिग़ नकद या उसतादादका प्रामेसरीनोट सर्कारी जो अदालत या ओहदेदार मजकूर मुक़र्रर करे-जमाकरदे॥

मुचलका के एवज़जर नक़्दका जमा करदेना,

दफ़ा ५१४—जब हस्ब इतमीनान किसी अदालतके जिसके हुक्मसे कोई मुचलका या जमानतनामा मह़कूमे मजमूये हाजा लिखवायाजाय या हस्ब इतमीनान किसी प्रेजीडंसी मजिस्ट्रेट की अदालत या किसीमजिस्ट्रेट दरजे अव्वलके यहसाबितकियाजाय

जाबिता जबकि मुचलके का तावान काबिल अख़्जहोजाय,

या जबमुचलका या जमानतनामा बग़ैरजहाजिरी रूबरू किसी अदालत के हो और हस्ब इतमीनान उसी अदालतके साबित कियाजाय—

कि मुचलका या जमानतनामा मजकूरका तावान काबिल अख़्ज होगया है-तो ऐसी अदालतको चाहिये कि उस सुबूत की वजूहलिखे-और उस शख़्स को जो मुचलके की रूसे पाबन्द

हो तावान मुक़र्रह अदा करने का हुकुम दे-या यह हुक्म दे कि वह इस बात की वजह जाहिर करे कि तावान मजकूर क्यों अदा न किया जाय ॥

अगर वजह काफी जाहिर न कीजाय और तावान भी अदा न हो तो अदालतको अख्तियार होगा-कि बजरिये इजराय वारंट वास्ते कुर्की और नीलाम जायदाद मन्कूला शख्स मजकूर के तावान मजकूर वसूल करे ॥

जायज है-कि ऐसा वारंट उस अदालत के इलाके की हुदूद अर्जी के अन्दर तामील पाये जहांसे वह जारी हुआहो-और उसमें यह अख्तियार दियाजाय कि शख्स मजकूर की तमाम जायदाद मन्कूला वाके बेरूं हुदूद मजकूर कुर्क और नीलाम कीजाय बशर्ते कि उस वारंट की ज़ोहर पर उस जिलेके माजिस्ट्रेट का× या चीफ़प्रेजीडंसी माजिस्ट्रेट का×हुक्मभी लिखा हो जिसके इलाके हुकूमत की हुदूद अर्जी के अन्दर ऐसी जायदाद पाईजाय ॥

अगर तावान मजकूर अदा न कियाजाय और ऐसी कुर्की और नीलामके जरिये से वसूल न होसके तो शख्स नवीशिन्दै मुचलका या जमानतनामा इसबात के लायक होगा कि बमूजिब हुक्म सुसादिरा उस अदालत के जहांसे वारंट जारीहुआहो किसी मीआद तक जेलखाने दीवानीमें कैद रक्खाजाय जो६-छःमहीने से जियादह न हो ॥

अदालत को अख्तियार है-कि हस्ब इक्तिजाय राय अपनेजर तावान मुन्दर्जै मुचलके का कोई जुज्व मुआफ करदे-और सिर्फ़ एक जुज्वकी तामील बिलजब्र कराये ॥

अहकाम तहत दफा ५१४-का अपील और उन की नजरसानी,

दफ़ा ५१५-तमाम अहकाम जोदफ़ा ५१४-के बमूजिब मारफत किसी और माजिस्ट्रेट सिवाय माजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या माजिस्ट्रेट जिलेके सादिर कियेजायँ जिलेके माजिस्ट्रेटके हुजूर अपीलहोनेके ला-

---

×—× यह अल्फ़ाज दफा ५१४-में बज़रूय ऐक्ट १०-सन् १८८६ ई० की दफा ४ के दाखिल किये गयेहैं,

यक होंगे-और अगर जिलेके मजिस्ट्रेट केपास अपील न किया जाय तो उसकी नजरसानी के लायक होंगे॥

दफ़ा ५१६—हाईकोर्ट या अदालत सिशन मजाज होगी कि किसी मजिस्ट्रेटको हिदायतकरे कि वह तावान मुन्दर्जा उस मुचलके को वसूल करे जिस में हाईकोर्ट या अदालत सिशन में हाजिर होकर हाजिर रहने का इकरार किया गया हो॥

यहहिदायतकरनेका अखतियारकिबाजमुचलकों केरुपियेवसूलकियेजायें,

बाब—४३॥

वाबततसर्रुफ मालके॥

दफ़ा ५१७—जब कोई तहकीक़ात या तजवीज़ किसी अदालत फौजदारी में खतम होजाय अदालतको अख्तियारहै-कि दरबाबतसर्रुफ किसी दस्तावेज या और माल के जो उसके रूबरू हाजिर कियाजाय जिसकी बाबत किसी जुर्मका सरजद होनापायाजाय या जो किसी जुर्मके इर्तिकाब के वक्त इस्तैमाल में आयाहो-जो हुक्म मुनासिब समझे सादिरकरे॥

हुक्मदरबारह तसर्रुफ उसमालके जिसकीबाबत जुर्मसरज़दहुआ हो,

जब कोई हाईकोर्ट या अदालतसिशन इसतरहका हुक्मसादिर करे और अपने अहलकारोंकी मारफत माल मजकूरको आराम के साथ शख्स मुस्तहक को हवाले न करसक्ती हो तो अदालत यह हुक्म दे सक्ती है कि हुक्म मजकूरकी तामील मारफत मजिस्ट्रेट जिलाके हो॥

जब कोई हुक्म हस्ब दफा हाजा किसी ऐसे मुकद्दमे में सादिरहो जिसका अपील होसक्ता है-तो हुक्म मजकूरकी तामील उस वक्त तक अमलमें न आयेगी जबतक कि मीआद रुजूअ करने अपील की न गुजरजाय-या जब कि अपीलमीआद मजकूर के अन्दर रुजूअ कियाजाय तो तावक्ते कि अपील मजकूर तै न होजाय-इल्ला उससूरत में कि माल अजकिस्म जानवर या ऐसी शैहो जो जल्द खुद बखुद बिगड़ जाती है॥

तशरीह—इसदफा में लफ्ज मालमें जब उसमालका जिक्र

कियाजाय जिसकी बाबत जाहिरन्कोईजुर्म सरजद हुआहो न सिर्फ वहमाल शामिल है जो इब्तदाअन् किसी फरीक के कब्जे या अ-ख्तियार में रहाहो बल्कि वहमाल भी जिसकेसाथ असलमाल का तबादिला हुआहो या जिसके एवज में कोई और शै खरीदकीगई हो मै किसी और शैके जो ऐसी खरीद व फरोख्त या तबादिलेसे फौरन् या कुछ अरसे के बाद हासिल हो दाखिल है ॥

दफ़ा५१८—बजाय इसके किअदालत खुदहस्बदफा५१७-हुक्म सादिरकरे अदालतको इसहुक्म के देनेका अख्तियार होगा-कि माल मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्साजिला को हवाले किया जाय-और मजिस्ट्रेटमौसूफ ऐसीसूरतमें माल के साथ वही अमलकरेगा किगोया वह पुलिसकी तरफसे गिरफ्तार हुआथा और उसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट हस्ब बयान मुतजकिरा आयंदा उसकेपास मुरसिल हुईथी ॥

हुक्म मुशअरइसके कि माल मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेटहिस्सा जिलाको हवालेकियाजाय,

दफ़ा५१९—जब किसी शख्सपर ऐसा जुर्म साबित कियाजाय जिसमें चोरी या हुसूल माल मसरूका शामिल हो या जो उनजुर्मोंकी हद्दतक पहुंचे और यह अम्रभी साबितहो कि किसी और शख्सने वह माल मसरूका शख्स अव्वलुल्जिक्र से बिला इल्म इसअम्रके या बिलावजूद करीना इसगुमानके कि वहमाल मसरूका है और इसअम्रके कि किसीकदर रूपया शख्स साबितुल्जुर्म के कब्जे से बवक्त उसकी गिरफ्तारी के निकलगयाहै खरीद करे-तो अदालत को अख्तियार है-कि बरवक्त दरख्वास्त खरीदार के और वक्त दिलाने माल मसरूका के उसशख्सको जो उसका कब्जापाने का मुस्तहक हो यह हुक्म सादिरकरे-कि जर मजकूर से उसकदर जो उसकीमतसे जियादा न हो जो खरीदार ने अदाकी हो खरीदार को दियाजाय ॥

मुल्जिमकेपाससेजोरूपये मिले वहबेकुसूरखरीदार कोदियाजायेगा,

दफ़ा ५२०—हरएकअदालत अपील या ऐसी अदालत जो किसीहुक्म मातहत को बहालकरे या जिसमें

इल्तवाय हुक्महस्बद

फा५१७-या५१८-या५१९-के,

इस्तसवाबकियाजाय या जो नजरसानी करे-यह हिदायत करसक्तीहै-कि जो हुक्महस्ब दफ़ा५१७-या दफ़ा५१८-या दफ़ा५१९-के उसके मातहतकी किसी अदालतने सादिर किया हो उस अय्यामतक कि अदालत अव्वलुलजिक्र उसपर गौर करती रहे मुलतवी रक्खाजाय-और इसबातकी भी मजाज है-कि ऐसेहुक्म कोतरमीम या तब्दील या मंसूखकरे ॥

शिकायतआमेजमजामी २९३-या ५०१-या५०२-के मुताबिक हुक्म नअौरदीगरचीजोंका जाया करदेना,

दफ़ा ५२१—जबमजमूये-ताजीरात हिंदकी दफ़ात २९२-या २९३-या ५०१-या५०२-के मुताबिक हुक्म इसबात जुर्मसादिरहो तो अदालतको यह हुक्म देनेका अख्तियार है-कि तमाम मुसन्नाजात उसशैके जिसकी बाबत जुर्म साबित करार पायाथा और जो शै

ऐक्ट४५-सन्१८६०ई०,

शख्स मुल्जिम करारदादहकेकब्जे या अख्तियार में बाकी रहे जाया करदीजाये ॥

इसीतरह अदालत मजाज है-कि इन्दुलसुबूत जुर्म हस्ब दफ़ात २७२-या २७३-या २७४-या२७५-मजमूये ताजीरातहिंदके यहहुक्म दे-कि वह गिजा या अशरबा या मुस्किरात या शै तरकीब दादह डाक्टर जिसकी निस्बत जुर्मका सुबूत दियागया हो जाया करदीजाय ॥

जायदाद गैरमन्कूलापर फिरकब्ज़ा दिलानेका अख्तियार,

दफ़ा ५२२——जब किसी शख्सपर ऐसा जुर्म साबित किया जाय कि उसमें जब्र मुजरिमाना भी शामिल हो और अदालत को मालूमहो कि ऐसाजब्र करने से कोई शख्स अपनी जायदाद गैरमन्कूलासे बेदखल होगया है तो अदालत यह हुक्म सादिर करसकेगी-कि उसको जायदाद मजकूरपर फिर कब्ज़ा दिलायाजाय॥

ऐसा कोई हुक्म उसहक या इस्तहकाक बाबै किसी जायदाद गैरमन्कूला में खलल अन्दाज न होगा जिसको कोई शख्स किसी अदालत दीवानी से साबितकरासक्ताहो ॥

जाबिता पुलिस जबकि

दफ़ा ५२३—जब अहल्कार पुलिस ऐसा माल जब्त करे जो हस्ब दफ़ा ५१-लिया गयाहो जिसकी

ऐसामाल जब्तकियाजाय जो हस्ब दफा ५१-लिया गया हो या चोरी हुआ हो,

निस्बत मसरूका होनेका बयान या इश्तिहा ह किया गयाहो या वहमाल ऐसी हालत में दस्तयावहो जिससे किसी जुर्म के वकूअका शुबह पैदाहो तो लाजिम है-कि जब्ती की रिपोर्ट फौरन् मजिस्ट्रेट के पास भेजीजाय-और मजिस्ट्रेट मौसूफ जो हुक्म मुनासिब समझे निस्बत हवालगी माल मजकूर के उसशख्सको जो उसका कब्जापानेका मुस्तहकहो और दरसूरत न मालूम होने मालिकके उसमालकी निगहदाश्त और उसके अहजारकी बाबत सादिर करेगा ॥

जाबिता जबकि माल जब्तशुदहका मालिक गैर मालूमहो,

अगर ऐसे शख्स मुस्तहकका हाल मालूम हो तो मजिस्ट्रेट यह हुक्म देगा कि माल मजकूर उस शर्त्तकेसाथ (अगर कोई शर्त्तहो) उसकेहवाले किया जाये जो मजिस्ट्रेट को मुनासिब मालूमहो-और अगर शख्स मजकूर गैर मालूम हो तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि उसको हिफाजतसे रखवादे-और ऐसी सूरत में मजिस्ट्रेट मौसूफ को लाजिम होगा कि एक इश्तिहार जारी करे जिस में उन तमाम अशियायकी सराहतके साथ फेहरिस्तहो जो माल मजकूर में दाखिल हैं-और इश्तिहारकी रूसे ऐसे हर शख्सको जो उस मालपर कुछदावा रखताहो हिदायत करे कि वह तारीख इश्तिहारसे६-छःमहीने के अन्दर अदालत में हाजिर होकर अपना दावा साबित करे ॥

जाबिता जबकि कोईदावीदार६-छःमहीनेकेअन्दर हाजिर नहो,

दफ़ा ५२४—अगर कोई शख्स मीआद मजकूरके अन्दर माल मजकूर की निस्बत अपना इस्तहकाक साबित न करे और अगर वह शख्स जिसके कब्जे में वह माल दस्तियाब हुआथा यह साबित न करसके कि वह माल उसको बतरीक जायज हासिलहुआ था तो वह माल लायक तसर्रुफ़ सर्कार के होगा-और जायज है-कि वह मालमुताबिक हुक्म मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्से जिला या उस मजिस्ट्रेट दरजे अव्व-

ल के जिसको इसअम्र का अख्तियार लोकल गवर्नमेण्ट से मि-
लाहो नीलाम कियाजाये ॥

हर हुक्मकी नाराजी से जो इसदफा के बमूजिब सादिरहो उस
अदालत में अपील करना जायज होगा जहां अपील बनाराजी
अहकाम सजा मुसहिरै अदालत सादिर कुनिन्दा हुक्म के दा-
खिल करना जायज होता ॥

दफा ५२५---अगर शख्स मुस्तहक कब्जे माल मजकूर ना-
जल्द जाया होनेवाले मालूम या गैरहाजिरहो और वहमाल जल्द
मालकेवेचनेकाअख्तियार, खुद बखुद बिगड़ जानेवालाहो या मजिस्ट्रेट
की रायमें जिसकेपास जब्ती की रिपोर्ट गुजरे उसके नीलामकरने
से मालिकका फायदा मुतरत्तिबहो तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार
है-कि जिसवक्त चाहे उसके नीलाम होनेकी हिदायत करे-चुनांचे
शरायत दफात ५२३-व ५२४-जहांतक वह मुतअल्लिक होसकें
ऐसे नीलाम के जरसमन खालिस से मुतअल्लिक होंगी ॥

बाब—४४ ॥

बाबतइन्तकाल मुकद्दमात फौजदारी ॥

दफा ५२६---जब कभी यह अम्र हाईकोर्टके जेहन्‌निशीन
हाईकोर्टमुकद्दमामुन्त कियाजाय कि--
किलकरसक्ती है या खुद
उसकीतजवीजकरसक्तीहै,

(अलिफ)-किसी अदालत फौजदारीसे जो हाईकोर्टके मात-
हतहै किसी मुकद्दमे की तहकीकात या तजवीज मुन्सिफाना
बिलारूरिआयत न होगी-या-

(बे)-किसी मसले कानून सख्त दकीकके पैदा होने का एह-
तिमाल है-या-

(जीम)-मुआयना उस मौके का जिसमें या जिसके नजदीक
कोई जुर्म सरज़दहुआहो वास्ते तहकीकात या तजवीज मुकम्मिल
और मुनासिब मुकद्दमेके जरूरहोगा-या-

(दाल)-इसदफाके बमूजिब हुक्महोनेसे फ़रीक़ैन और गवाहों का आराम और आसायश मुतसव्विर है ॥

(हे)—×या कि इसतरह का हुक्म इग़राज मादिलतके हुसूल के लिये करीन मसलहत है—

तो अदालत मौसूफ़ हुक्म देसक्ती है·

अव्वल—यह कि तहकीकात या तजवीज किसी जुर्मकी ऐसी अदालतसे हो जिसको अख्तियारात मुन्दर्जै दफ़आत १७७-लगायत १८४-अता न हुयेहों इल्ला जो और तरह से जुर्म मजकूरकी तहकीकात या तजवीज करने की मजाजहो ॥

दोम—यह कि कोई खासमुकद्दमा इब्तिदाई या अपील फौजदारी या खास किस्मके मुकद्दमात इब्तिदाई या अपील किसी एक अदालत फौजदारीसे जो उसके ताबे हुकूमतहो किसी और अदालत फौजदारी में जो उसके बराबर या उससे बढ़कर अख्तियार रखतीहो मुन्तक़िल किये जायँ—या—

सोम—यह कि कोई खास मुकद्दमे फौजदारी इब्तिदाई या अपील खुद उसकेपास उठआये और उसके रूबरू उसकी तजवीज कीजाय ॥

चहारुम·×यह कि कोई शख्स मुल्जिम खुद उसके या किसी अदालतसिशनके रूबरूतजवीज मुकद्दमेकेलिये सिपुर्दकियाजाय

जब हाईकोर्ट कोई मुकद्दमा किसी अदालत से सिवाय अदालत मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी के अपने रूबरू तजवीज होने के लिये उठाले तो कोर्ट मौसूफको चाहिये कि बजुज उससूरत के जो दफा २६७-में मजकूरहै मुकद्दमे मजकूरकी तजवीज में वही कार्रवाई मरईरक्खे जो अदालत मजकूर उसवक्त अमल में लाती जब कि मुकद्दमा उठाया न जाता ॥

चाहिये कि हरदरख्वास्त बइस्तदुआय नाफिज कियेजाने उस अख्तियारके जो इसदफाकीरूसे अताहुआहै बतौर मोशन यानी

× दफा ५२६—की जिम्न (हे)-और दफ़ा मातहती(४)-ऐक्ट ३—सन्१८८४ई० की दफा ११-—की रूसे बढ़ाईगई है,

तहरीरके पेशकीजाय-और बजुज उस सूरतके कि दरख्वास्त कुनिन्दा साहब एडवकेट जनरलहो और सूरतों में दरख्वास्तकी ताईदमें बयान हल्फी या बइकरार सालह शामिलहोगा ॥

जब कोई शख्स मुल्जिम इसदफ़ाके बमूजिब दरख्वास्त करे तो हाईकोर्ट यह हिदायत करसक्ती है कि वह मुचलका मैजामिन या बिलाजामिनों के इसशर्त्त से लिखदे कि अगर हुक्मसजा सादिर हो तो वह पैरोकारका खर्च अदाकरेगा ॥

हर शख्स मुल्जिमको जो ऐसी दरख्वास्त दे लाजिमहै-कि इत्तिलाअ तहरीरीबाबत दरख्वास्त मजकूर मैनकल उनवजूह के जिनपर वह दरख्वास्त मबनी हो पैरोकार जानिब सर्कारके हवाले करे-और कोईहुक्म निस्बत असल हकीकत सवाल के सादिर न होगा बजुज उससूरतके कि इत्तिलाअ मजकूर के देनेसे लगायत तारीख समाअतसवालके कम से कम२४-घण्टेकाअरसा गुजराहो ॥

पैरोकारजानिबसर्कार कोदरख्वास्ततहतदफाहा जाकोइत्तिलाअ,

कोई इबारत इस दफा की किसी हुक्म की मुखिल न होगी जो हस्बदफा १९७-सादिर कियाजाये ॥

दफ़ा ५२६(अलिफ)×-अगर किसी मुकद्दमे फौजदारी इब्तिदाई या अपीलमेंसमाअतके शुरूहोनेसेपहिले पैरोकार मिंजानिब सरकार या मुस्तगीस या मुस्तगास अलेह उस अदालत को जिसके रूबरू वह मुकद्दमा या अपील जेर तजवीजहो इसअम्र की इत्तिलाअकरै कि वह मुकद्दमा की निस्बत दफा ५२६–के मुताबिक दरख्वास्त देने का इरादा रखता है--तो अदालत को लाजिम है--कि अख्तियारात निस्बत इल्तवाय मुकद्दमा या बरखास्तगी जलसा जो दफ़ा ३४४–में दियेगये हैं इसतौरपर इस्तेमालमें लाये-कि मुस्तगासअलेहसे ज-

दरख्वास्त तहत दफ़ा ५२६-कीबिनापरइल्तवा,

×दफ़ा ५२६– (अलिफ़)-ऐक्ट ३-सन् १८८४ ई०की दफ़ा १२-की रूसे मुंदर्ज कीगई है,

अपर ब्रह्मामें इन्तकाल मुक़द्दमात की दरख्वास्तकी बिनापर इल्तवाकी बाबत देखो कानून ७-सन् १८८६ ई०के जमीमे की दफ़ा १८,

बाब तलब होनेसे पहिले या अगर मुकद्दमा अपीलकाहो तो कब्ल समाअत अपीलके मुहलत माकूल वास्ते इदखाल दरख्वास्त और हुसूलहुक्मके जो दरख्वास्तपर सादिरहो मिलाकरै ॥

दफ़ा ५२७--जब जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब-इजलास कौंसलको यह दरियाफ्तहो कि इन्तकाल मुतजकिरै आयन्दासे वसूल इन्साफ़की तरक्कीहोगी या अहाली मुकद्दमा या गवाहोंकी आसायश आमका बाअस होगा-तो जनाब मुफ़ख्खर अलेहुम् को बजरिये इश्तिहार मुन्दर्जे गजट आफ़ इण्डियाके किसी खास मुकद्दमे फौजदारी इब्तिदाई या अपीलकी निस्बत यह हिदायत करना जायज है--कि वह एक अदालत हाईकोर्ट से दूसरी अदालत हाईकोर्ट में या किसी फौजदारी अदालत से जो एक अदालत हाईकोर्टके मातहत हो किसी और अदालत फौजदारी मसावी या आला अख्तियार वाली में जो दूसरी अदालत हाईकोर्ट के मातहत हो मुन्तकिल कियाजाय ॥

जनाब नव्वाबगवर्नर जनरलबहादुर बइजलास कौंसलका अख्तियार दरबारहइंतकाल मुकद्दमात फौजदारी औरअपीलोंके,

वह अदालत जिसमें ऐसा मुकद्दमा इब्तिदाई या अपील मुन्तकिल कियाजाय उसीतरह अमल करेगी कि गोया वह मुकद्दमा इब्तिदाअन् उसी अदालतमें रुजूअहुआथा या पेशकिया गया था ॥

दफ़ा ५२८—हर मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला मजाज है—कि किसी मुकद्दमे को जो उसने अपने किसी मजिस्ट्रेट मातहत के पास सिपुर्द किया हो अपने पास उठाले या वापस तलब करले-और वह मजाज है-कि ऐसे मुकद्दमे की तहकीकात या तजवीज़ खुदकरे या उसको किसी और मजिस्ट्रेट के पास जो उसकी तहकीकात या तजवीज का मजाज हो उसगरज से सिपुर्द करे ॥

मजिस्ट्रेट जिला या मजिस्ट्रेट हिस्सा जिला मुकद्दमात अपनेपास उठा लेसक्ता है या किसी और मजिस्ट्रेटके सिपुर्द कर सक्ता है,

लोकल गवर्नमेंट मजाज है—कि मजिस्ट्रेट जिलाको यह अ-ख्तियारदे कि वह अपने मातहत के मजिस्ट्रेटों से किसी खास अकसाम के मुकद्दमात या उन अकसाम के मुकद्दमात जो उसको मुनासिब मालूमहों अपने पास उठाले ॥

मजिस्ट्रेट जिलाको इसबातके अख्तियारदेने का अख्तियार कि बाज अक़साम मुक़द्दमात को अपने पास उठाले,

×मजिस्ट्रेटको जो हस्ब दफ़ा हाजा हुक्म सादिरकरै लाजिम है-कि हुक्मकी वजूह कलम्बंद करै× ॥

बाब--४५ ॥

बाबत कारखाई ख़िलाफ़ जाबिता ॥

दफ़ा ५२९—अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसको अफ़आल मुफस्सिलै जैलमें से किसी फेल के करने का कानूनन् अख्तियार न हो-यानी--

वह बेजाब्तगियां जिन से कारखाइयां बातिलनहीं होतीहैं,

(आलिफ)—जारीकरनावारंट तलाशीका दफ़ा९८-के बमूजिब—

(बे)—पुलिसको वास्ते तफ्तीश किसी जुर्म के हुक्मदेना बमूजिब दफ़ा १५५—

(जीम)-हालात मर्गकी तफ्तीशकरना हस्ब दफ़ा १७६-

(दाल)-जारी करना हुक्मनामे का हस्बदफ़ा १८६—वास्ते गिरफ्तारी किसी शख्स के जो उसके इलाक़ै हुकूमतकी हुदूद अर्जी के अन्दरहो और हुदूद मज़कूर के बाहर किसी जुर्म का मुर्त्तकिबहुआहो ॥

(हे)-समाअत करना किसी जुर्म का हस्ब ज़िम्न (अलिफ़) दफ़ा १९१-या ज़िम्न (बे) दफ़ा मज़कूर-

(वाव)-मुन्तक़िल करना किसी मुकद्दमे का हस्ब दफ़ा १९२-

(ज़े)-वादाकरना मुआफ़ीका हस्बदफ़ा३३७-या दफ़ा३३८-के-

× —×दफ़ा ५२८—का आखीर फिकरा-ऐक्ट ३-सन् १८८४ई० की दफ़ा १३-की रूसे बढ़ाया गया है,

(हे)-नीलामकरना मालकाहस्व दफ़ा५२४-यादफ़ा५२५-या-

(तो)-किसी मुक़द्दमेका उठालेना और खुद तजवीज़ करना हस्बदफ़ा ५२८-

नेकनियती के साथ ग़लती से किसी फ़ेलको करे तो उसकी कार्रवाई महज़ इस विनायपर मुस्तरिद न कीजायेगी कि उसको इसबात का अख्तियार न था ॥

दफ़ा ५३०—अगर कोई मजिस्ट्रेट उमूर मुफ़स्सिलै जैल से जिनके करने का वह क़ानूनन् मजाज़ नहो कोई अम्रकरे यानी--

वह बेजाबतगियां जिन से कारर्वाइयां बातिल होजायेंगी,

(अलिफ़)-किसी मालकोकुर्क और नीलामकरे हस्बदफ़ा८८-

(बे)-हुक्मनामै तलाशी वास्ते हुसूल किसी चिट्ठी मौजूदै डाकखाने या किसी पैग़ाम तारबरक़ी मौजूदै सीग़ा टेलीग्राफ़के जारी करे--

(जीम)-ज़मानत हिफ्ज़ अमन खलायक की तलब करे-

(दाल)-नेकचलनी की ज़मानत तलब करे-

(हे)-किसी शख्सको रिहाकरे जो क़ानूनन् नेकचलन रहने का पाबन्दहो-

(वाव)-हिफ्ज़ अमन के मुचलके को फ़िस्ख़ करे-

(ज़े)-किसी अम्र तकलीफ़दह खलायक मुख्तसुल् मुक़ाम की बाबत हुक्म सादिर करे हस्ब दफ़ा १३३-

(हे)-किसी अम्रतकलीफ़दह खलायकके इआदे या क़याम की बाबत मुआविनत करे हस्व दफ़ा१४३--

(तो)-कोईहुक्म हस्ब दफ़ा १४४-जारीकरे--

(ये)-कोई हुक्म मुताबिक़ बाब १२-के सादिर करे--

(काफ़)-किसी जुर्मकी समाअतकरे हस्ब ज़िम्न-(जीम) दफ़ा १९१--

(लाम)-बरबिनाय रूयदाद मुरत्तिबा किसी और मजिस्ट्रेट के हुक्म सज़ा सादिरकरे हस्ब दफ़ा ३४९--

(मीम)-किसी मुकद्दमेकी मिसल तलबकरे हस्बदफ़ा ४३५--

(नू)-कोई हुक्म बाबत नान व नफ़काके सादिरकरे--

(सीन)-जो हुक्म हस्ब दफ़ा ५१४-सादिर हुआ हो उसपर हस्ब दफा ५१५-नजरसानी करे--

(ऐन)-किसी मुजरिमके मुकद्दमे की तजवीज करे--

(फे)-किसीशख्स मुल्जिम मुकद्दमेकीतजवीज सरसरीकरे-या-

(स्वाद)-किसी अपीलको फैसलकरे--

तो उसकी कार्रवाई कालअदम होगी--

दफ़ा ५३१---कोई तजवीज या हुक्म सजा या और हुक्म कारखाईगलतजगहमें, किसी अदालत फ़ौजदारीका महज इसवजह से मुस्तरिद न किया जायगा कि वह तहकीकात या तजवीज मुकद्दमा या दीगर कारखाई जिसके सिलसिलेमें ऐसी तजवीज क़ायम हुईथी या हुक्म सादिरहुआथा किसीगलत किस्मतसिशन या जिला या हिस्सा जिला या और गलत रक़्बा अर्जीके अन्दर अमल में आईथी-इल्ला उस सूरत में कि यह मालूमहो कि उसगलतीके बाअस हक रसानी में खलल वाकै हुआ ॥

दफ़ा ५३२—अगर कोई मजिस्ट्रेट या और हाकिम बनाम कवखिलाफ जाबिता निहाद निफ़ाज अख्तियार बाजाबिता अताशुसिपुर्दगियां सही हो दह के जब कि दरहकीकत ऐसे अख्तियारात सक्तीहैं, उसको अतानहींहुये हैं किसी शख्स मुल्जिमको किसी अदालत सिशन या हाईकोर्टके रूबरू तजवीज मुकद्दमेके लिये सिपुर्दकरे तो वहअदालत जिसमें मुल्जिम सिपुर्दकियाजाय मजाज है-कि बाद मुलाहिजा कागजात मिसल के अगर उसकी दानिस्त में शख्स मुल्जिम को उस वजहसे कुछ नुक्सान नहींपहुंचा है उस सिपुर्दगीको तस्लीमकरे-इल्ला उससूरतमें कि एतराज निस्बत अख्तियार समाअत ऐसे मजिस्ट्रेट या और हाकिमके तहकीकातके दरमियान हुक्म सिपुर्दगीके सादिर होनेसे पहले तरफ से शख्स मुल्जिम या मुस्तगीस के पेशहुआहो ॥

अगर अदालत मजकूर की दानिस्तमें शख्स मुल्जिमको उस

वजहसे कुछ नुक़सान पहुंचा हो या अगर एतराज मज़कूर अन्दर मीआदके पेश कियागयाहो तो अदालतहुक्म सिपुर्दगीको मन्सूख करके यह हिदायत करेगी कि तहक़ीक़ात जदीद मारफ़त किसी मजिस्ट्रेट मजाजके अमलमें आये ॥

दफ़ा ५३३—अगर किसी अदालतको जिसकेरूबरू इक़बाल या और बयान शख्स मुल्ज़िम का हस्ब दफ़ा १६४-या दफ़ा ३६४-के क़लम्बंद और किसी शहादत में पेश कियाजाय यह मालूम हो--कि दफ़ा मज़कूर के अहकाम की तामील पूरी २ उस मजिस्ट्रेट की तरफ़से जिसने बयानको क़लम्बंद किया नहीं हुई-तो वह इस बातकी शहादत लेगी कि बयान मशमूला मिसल वाक़ई मुद्दआअलेह का है-और उस सूरतमें कि वह गलती शख्स मुल्ज़िमकी जवाब दिही रूयदादीमें मुज़िर न हो वह बयानमशमूला मिसल क़ाबिल मंज़ूरीके होगा गो ऐक्ट शहादत हिन्द की दफ़ा ९१-में इसके ख़िलाफ़ हुक्म हो ॥

दफ़ा १६४-या दफ़ा ३६४-के अहकाम का अदमतामील,

ऐक्ट १-सन्१८७२ई०,

दफ़ा ५३४——किसी मुक़द्दमे में जिससे दफ़ा ४५४-ज़िम्न २-मुतअल्लिक है किसी शख्स से यह इस्तिफ्सार न करना कि आया वह रअय्यत बृटानिया अहल यूरुप है या नहीं मूजिब नाजवाज़ी किसी कारखाईका न होगा ॥

उसअम्रकाइस्तिफ़सार नकरना जो दफ़ा४५४-की ज़िम्नर-की रूसे मुक़र्रर कियागयाहै,

दफ़ा ५३५---कोई तजवीज या हुक्म सजा जो सुनाई गई या सादिरकियागयाहो सिर्फ इसवजहसे नाजायज न समझा जायेगा कि कोई फ़र्दक़रारदादजुर्म मुरत्तिब नहीं हुई थी-इल्ला उस सूरत में कि अदालत अपील या नज़रसानीकी दानिस्तमें उसके मुरत्तिब न होनेसे हक़तल्फ़ी हुई हो ॥

फ़र्द क़रारदाद जुर्मके न तैयार करनेकाअसर,

अगर अदालत अपील या अदालत नज़रसानीकी दानिस्त में फ़र्द क़रारदाद जुर्म के मुरत्तिब न करने से मुजरिमकी हक़तल्फ़ी हुई हो तो अदालत मौसूफ़ यह हुक्म सादिर करेगी-कि

फ़र्द मजकूर मुरत्तिब की जाये-और मुक़द्दमे की तजवीज़ उस नौबतसे अज़सरेनौकीजाये जो ऐनमाबाद तरतीब फ़र्द क़रारदाद जुर्मके हो ॥

दफ़ा ५३६—अगर कोई जुर्म जिसकी तजवीज़ बअ़आनत असेसरों के होनी चाहिये अहाली जूरीकी मार्फ़त तजवीज़कियाजाये तो ऐसी तजवीज़ महज़ इसवजह से नाजायज़ न होजायेगी ॥

उसजुर्म की तजवीज़ बज़रिये जूरीके जिसकी तजवीज़बअ़आनत असेसरोंके होनी चाहिये,

अगर कोई जुर्म जिसकी तजवीज़ मार्फ़त जूरी के होनी चाहिये असेसरों की अ़आनत से तजवीज़ कियाजाय तो ऐसी तजवीज़ महज़ उस वजह से नाजायज़ न होगी इल्ला उस सूरत में कि उस अम्र का एतराज़ क़ब्ल इसके कि अदालत अपनी तजवीज़ क़लम्बन्दकरे पेश किया जाये ॥

उस जुर्मको तजवीज़ बअ़आनत असेसरों के जिसकी तजवीज़ बज़रियेजूरीके होनी चाहिये,

दफ़ा ५३७—×बपाबन्दी शरायत मरक़ूमैबाला कोई तजवीज़ या हुक्म सज़ा या और हुक्म मुसद्दिरै किसी अदालत जी अख्तियार का बाब २७—की शरायत के मुताबिक़ या सीग़े अपील या नज़रसानी से मन्सूख़ या तब्दील न किया जायेगा किसी बिनायपर जो जैल में मुन्दर्ज है-यानी—

तजवीज़ या हुक्म मनाक़ब बवजह ग़लती या तर्क किसी शैके फ़र्द क़रारदाद जुर्म में या दीगरकारर्वाई में-क़ाबिलमंसूखी है,

बर बिनाय किसी ग़लती या तर्क फ़ेल या बेज़ाब्तगी अन्दरबयान नालिश या सम्मन या हिदायत बनाम जूरी या तजवीज़ या किसी और कार्रवाई के जो मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात के क़ब्ल या उसके दौरानमें वाक़ै हो या जो किसी तहक़ीक़ात या और कार्रवाई मुतअ़ल्लिक़े मजमूये हाजामें वाक़ै हो—या

×अपरब्रह्मा में-सीग़े अपील या नज़रसानीसे एहकाममहज़ बरबिनाय वजूहात दस्तअन्दाज़ीके क़ाबिलइस्तरदाद नहींहोंगे-देखोक़ानून७-सन्१८८६ई०के जमीमेकी दफ़ा२०- मगर रिआयाय बृटानिया अहलयूरुपके बारे में देखोदफ़ा २२-ऐजन,

बरबिनाय अदम हुसूल किसी मंज़ूरी के जो दफ़ा १९५-की
त दरकारहो या--

वर बिनाय नज़रसानी न करने अहल ज़ूरी या असेसरों की
हरिस्त पर हस्ब महकूमै दफ़ा २२४- या-

बरबिनाय किसी ग़लत हिदायत हाकिम बनाम अहल ज़ूरी
इल्ला उससूरत में कि वह ग़ल्ती या तर्क फ़ेल या बेज़ाब्तगी या
दम मंज़ूरी या ग़लत हिदायतसे हक़रसानीमें कुछ फ़ितूरपड़ाहो॥

दफ़ा ५१८--कोई क़ुर्क़ी जो इस मजमूये के मुताबिक़ अमल

कुर्की नाजायज नहीं है न कुर्कीकरनेवालामदा लत बेजा करनेवाला बवाअसनुक्स याखिला नमूना होनेके किसी रवाई में,

में आये नाजायज न समझीजायेगी और न कोई शख्स जो ऐसी क़ुर्क़ीकरे मदाख़िलतबे-जाका मुर्तकिब समझा जायेगा बाअसबाके होने किसी नुक्स या ख़िलाफ़नमूना तय्यार होने किसी सम्मन या हुक्म इसबात जुर्म या हुक्मनामा क़ुर्क़ी या और कार्रवाईके जो उस मुतअल्लिक़हो ॥

बाब-४६ ॥

मुतफ़र्रिक़ात ॥

दफ़ा ५३९--जो इजहार हलफ़ी और इक़रार सालह कि किसी

वह अदालतैं औरअश ासजिनकेरूबरूइजहा तहलफ़ीकरायेजायेंगे,

अदालत हाईकोर्ट या उसके किसी ओहदेदार के रूबरू मुस्तैमिलहों जायज़है कि उनकी बा-बत हलफ़ और इकराररूबरू उसअदालत या ार्क शाही के या रूबरू किसीकमिश्नर या औरशख्सके जिसको सअदालत ने उसग़रज से मुकर्ररकियाहो या रूबरू किसी जज ा कमिश्नर के जो किसीअदालत रिकार्ड वाके बृटिशइण्डियामें ास्ते लेने इजहार हलफ़ीके मुकर्ररहो-यारूबरू किसी कमिश्नरके ो इंगलिस्तान या आयरलैंड के मुहकमै चेनसरी में हलफ़ लेने े लिये मुकर्ररहो-या रूबरूकिसी मजिस्ट्रेटके करायाजाय जिसको काटलैंड में इजहार हलफी या इकरारकराने की इजाजतहो ॥

दफ़ा ५४०—हरअदालत को अख्तियारहै-कि हर तहकीक़ात

जरूरी गवाहके तलबकर या तजवीज मुकद्दमा या और कारवा
नेकायाशख्सहाजिरके इज दालतका किसी नौबतमें जो इस मज
हार लेने का अख्तियार, मुताबिक अमलमें आये किसीशख्स
तौर गवाहके तलबकरे- या शख्स हाजिर अदालत का इज
गो वह बतौर गवाहके तलब न हुआ हो-या किसी शख्सके
सका इजहार पहिले होचुका हो फिर तलबकरके उसका
इजहार ले और अदालत को लाजिमहै-कि ऐसे हरशख्सके
सकी निस्बत यह मालूमहो कि उसकी शहादत मुकद्दमेके
मुन्सिफाना के लिये अशद जरूरहै तलबकरके उसका इजह
या उसको मुकर्रर तलबकरे और मुकर्रर इजहारले ॥

दफ़ा ५४१--बजुज उससूरतके जब कि बजरिये किसी
मुकाम कैद के मुकर्रर मजरिये वक्तके कुछ और हुक्महो लोकल
करने का अख्तियार, नेमेण्ट यह हुक्म देसक्ती है कि किस
में हर शख्स जो मुस्तौजिब कैद या हवालगी बहिरासतहो
मजमूये हाजा मुकय्यद रक्खाजायेगा ॥

दफ़ा ५४१ (अलिफ)+-(१)-अगर कोई शख्स जो म
ऐसे अशखास मुल्जिम हाजाकी रूसे मुस्तौजिब कैद या मुस्त
या मुजरिम को फौजदारी हवालगी व हिरासतहो किसी जेलखान
जेल में भेजना जो किसी वानी में कैद रहाहो तो वह अदाल
दीवानी जेलमें मुकय्यद मजिस्ट्रेट जो कैद या हवालात का हुक
हों और उनको फिर दी यह हिदायत करसक्ता है कि शख्स म
वानी जेल में भेजना, किसी फौजदारी जेलखाने में तब्दील
याजाय ॥

(२)-जब कोई शख्स किसीफौजदारी जेलखानेमें हस्ब
मातहती (१) तब्दील कियाजाय तो वह उस जेलखानेसे
के बाद फिर दीवानी जेलखाने में भेजा जायगा इल्ला उस
में किया तो-

+दफा ५४१-(अलिफ)-ऐक्ट १०-सन् १८८६ ई० की दफा १५-कीरूसे
की गई है,

(अलिफ)-उसतारीखसे ३-तीनबरस गुजरजायँ जिसतारीखको ऐक्ट१४-सन् १८८२ ई०, वह फौजदारी जेलखाने में भेजागयाथा-कि इस सूरत में वह मजमूआ जवाबित दीवानी की दफा ३४२-की रूसे दीवानी जेलखाने से भी छूटाहुआ मुतसव्विरहोगा-या

(बे)-वह अदालत जिसने उसके दीवानी जेलखानेमें मुकय्यद होनेकाहुक्मदियाथा फौजदारी जेलखानेके ओहदेदार मुहतमिमको इस मजमून का सार्टीफिकटदे कि शख्समजकूर मजमूआ जवाबि- ऐक्ट१४-सन्१८८२ई०, तदीवानी की दफा ३४१-की रूसे रिहा होने का मुस्तहक है ॥

दफ़ा ५४२----बावस्फ इसके कि ऐक्ट शहादत कैदियान मजिस्ट्रेटप्रेजीडंसीका अख्तियारदरखसूससादिरकरनेइसहुक्मके कि जेलखानेकाकैदीवास्तेइजहार देनेके हाजिरकियाजाय, मुसद्दिरै सन् १८६९ ई० में कुछ और हुक्म हो हरमजिस्ट्रेट प्रेजीडंसीको जो किसीमुकद्दमे मुतदायरा रूबरू अपनेमें ऐसे किसी शख्सका इजहार बतौर गवाह या मुलिजमके लेनाचाहता हो जो उसके इलाकै हुकूमतकी हुदूद अर्जीके ऐक्ट १५-सन्१८६९ ई०, अन्दर किसी जेलखाने में मुकय्यदहो अख्तियारहै-कि जेलखानेके अफसर मोहतामिमके नाम इसमजमून का हुक्म जारीकरै कि वह कैदी मजकूर को उसवक्त जो हुक्म में मुंदर्जहो बहिरासत मुनासिब मजिस्ट्रेट मजकूर के रूबरू इजहार देनेके लिये हाजिर करै ॥

अफसर मोहतामिम जेलखाने मजकूर इंदुलहुसूल ऐसे हुक्म के हुक्मकी तामील करेगा-और वास्ते हिफाजत कैदीके उसअय्याम में कि वह अगराज मजकूर के लिये जेलखाने से बाहररहै बन्दोबस्त करैगा ॥

दफ़ा ५४३--अगर किसीअदालत फौजदारीको किसी शहादत तर्जुमानकोतर्जुमारास्त बयानकरनालाजिमहै, या बयान का तर्जुमा करानेके लिये किसीशख्सतर्जुमान की जरूरतहो तो तर्जुमान मजकूर को लाजिमहोगा-कि शहादत या बयान मजकूर का तर्जुमा रास्त बयान करे ॥

दफ़ा ५४४---बपाबन्दी उनकवाअद के जो बाद हुसूलमंजूरी जनाब नव्वाबगवर्नरजनरल बहादुर बइजलास कौंसल के लोकलगवर्नमेण्ट के हुजूर से सादिर हों हर अदालत फौजदारी को यह हुक्म देने का अख्तियार है-कि जो मुस्तगीस या गवाह उस अदालत के रूबरू हस्ब मजमूये हाजा किसी तहक़ीक़ात या तजवीज मुक़द्दमा या और कार्रवाईकी अगराज के लिये हाजिरहो उसको इखराजात माकूल मिन्जानिबसर्कार अदा कियेजायें॥

मुस्तगीसों और गवाहोंके अखराजात,

दफ़ा ५४५ --- जबकभी कोई अदालत फौजदारी किसी कानून नाफ़िजे वक्त के मुताबिक़ जुर्माना आयद करे या सीगे अपील या नजरसानी से किसी हुक्मसजाय जुर्माना को या किसी ऐसे हुक्म सजाको जिसका जुज्वजुर्मानाहो बहालरक्खे तो उसे तजवीज सादिर करनेके वक्त यह हुक्म देनाजायजहै-कि कुल जुर्माना या उसका कोई जुज्व वसूल शुहद उमूर मुफ़स्सिलै जैलमें सर्फ कियाजाये॥

अदालतका अख्तियार दरबारह दिलानेअखराजात या मुआविजा के जुर्मानासे,

(अलिफ)-उनइखराजात की बेबाक़ीमें जो नालिश की पैरवी में बतौर वाजिब आयदहुयेहों॥

(बे)-उसनुक़्सान का मुआविजा देनेमें जो उसजुर्मके इर्तिकाब से पैदाहुआहो जब अदालतकीरायमें नालिश सीगैदीवानीसे हर्जे माकूल का वसूल होना मुमकिनहो॥

अगर जुर्माना ऐसे मुक़द्दमे में आयद कियाजाय जो अपील के काबिलहो तो ऐसा जुर्माना क़ब्लगुजरने मीआदके जो वास्ते गुजराननें अपीलके मुक़र्रर है या अगर अपील दाखिलहो चुकाहो क़ब्लइन्फिसाल अपील के अदा न कियाजायेगा॥

दफ़ा ५४६- जब उसी मुआमिलेके मुतअल्लिक़ कोई नालिश जदीद सीगै दीवानीमें रुजूअकीजाय अदालतको लाजिम है-कि जर मुआविजा तजवीज करनेके वक्त उस मुबलिगका भी खयालरक्खे

जोरुपयेअदाकियेजायँ उनकालिहाजननालिशमा बादमें कियाजायगा,

जो दफ़ा५४५-के मुताबिकवतौरहर्जेके अदा या वसूलहो चुकाहो॥

दफ़ा ५४७----हरमुबलिग़ (अलावा जुर्माने के) जो बएत-वार किसी हुक्म मुसद्दिरे हस्ब मजमूये हाज़ा वाजिबुल्अदाहो मिस्ल जुर्माने के वसूल किया जायेगा॥

वहरुपये जिनके अदा करने का हुक्महो मिस्ल जुर्माना के वसूल किये जायँगे,

दफ़ा ५४८—अगर कोई शख्स जिसको किसी तजवीज या हुक्म मुसद्दिरे किसीअदालत फौजदारीसेकुछ तअल्लुकहो नकल साहब जजकी हिदायतकी जो अहलजूरी को सुनाई गईहो या किसी और हुक्मकी या किसी इजहार या काग़ज़ात मिसलके किसी और जुज्व की हासिलक-रनी मंजूरहो-तोनकल के लिये दरख्वास्त करने पर उसको फ़ौरन् नकल दीजायेगी-मगर शर्त्त यह है-कि वह नकल का खर्च अदा करे बजुज उससूरत के कि अदालत किसी खास वजह से उसको बिला अख्ज़ उजरत के नकल देना मुनासिब समझे॥

रूवकारी मुकद्दमाकी नक़्ल,

दफ़ा५४९-अमीर कबीरजनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर ब-इजलास कौंसलमजाज़ हैं-कि वक्तन् फवक्त-न् कवाअद मुनासिब जो इस मजमूये और ऐक्टफौजमुसद्दिरैसन्×१८८१ई०औरकिसी और उसीकिस्मके कानूनके नक़ीज़ न हों जो उसवक्त निफ़ाज़ पिज़ीर हो उनमुकद्दमातकी बाबत जारी फ़र्मायें जिनमें तजवीज़ उन अश-खास के मुकद्दमे की जो ताबे कवानीन फौज हों इसमजमूये के मुताबिक किसी कोर्टमें या बजरिये कोर्ट मारशलके अमलमें आयेगी-और जब कोई शख्स किसी मजिस्ट्रेटके रूबरू हाजिर किया जाय और उसपर ऐसे जुर्मका इल्जाम लगा हो जिसकी बाबत वह काबिल इसके हो कि उसके जुर्मकी तहकीकातवतजवीज हस्ब शरायतद-

उनलोगोंकोहुक्काम फौजीके हवाले करना जिन केमुकद्दमेकी तजवीजबज रियेकोर्टमारशलके होनी चाहिये,

ऐक्टपारलीमेंट मुसद्दिरैसन्४४व४५जलूस मलकामुअज्जिमाविक्टोरिया बाब ५८,

× (५४९ दफ़ाकानोट २८६ सफ़ामें देखो)

फ़ा ४१—ऐक्ट मुतजम्मिन करारदाद कवाअद और इन्तिज़ाम फ़ौज मुसद्दिरैसन्×१८८१ई०कोर्ट मारशलकी मार्फ़त अमलमेंआ-ये तो ऐसे मजिस्ट्रेटको लाज़िम है-कि कवाअद मज़कूरपर लिहाज़ करे-और जिन सूरतोंमें मुनासिब हो शख्समज़कूर को मै फर्द ब-यान उसजुर्म के जिसमें वह माखूज़ हुआ हो उस पल्टन या कोर या जमाअत के कमानअफ़सरको जिससे उसको तअल्लुक हो या उसछावनी फ़ौज के कमान अफ़्सर को जो करीबतर होअदालत कोर्ट मारशल के रूबरू जुर्मकी तजवीज़होनेके लिये हवालाकरे॥

ऐसे लोगोंकी गिरफ़्तारी,

हर मजिस्ट्रेट को लाज़िम है-कि जब दरख्वास्त तहरीरीबमजमून मुन्दर्जे सदर तरफ़से कमान अफ़्सर ऐसी जमाअत फ़ौजके उसके पासपहुँचे जो ऐसे मुकामपर मुतअय्यन या खिदमत अंजामदेतीहो हत्तुल इ-म्कान कोशिशबलीग वास्ते गिरफ्तार करने किसी ऐसे शख्सके जिसपर जुर्म मज़कूरका इल्ज़ाम लगायागयाहो अमलमें लाये॥

वड़े दर्जे के ओहदेदारानपुलिसके अख्तियारात,

दफ़ा ५५०—वह अहलकारान् पुलिस जो अफ़्सर मोहतमिम स्टेशन पुलिससे बढ़कर दर्जा रखतेहों मजाज़ हैं-कि उसरकबे अर्ज़ीके अन्दर जिन में वह मुतअय्यन कियेगयेहों वही अख्तियारात अमल में लायें जो अफ़्सर मोहतमिम स्टेशन पुलिस अपने स्टेशनकी हुदूदके अन्दर अमलमें लासक्ताहै॥

भगाईहुई औरतोंको जबरन हवाला कराने का अख्तियार,

दफ़ा ५५१—जब किसी प्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ज़िलाके रूबरू इस अम्रकी शिकायत ह-ल्फ़न गुज़रे कि कोई शख्स किसी औरत या लड़की को जिसकी उमर १४-बरससे कमहो किसी ग़रज़ नाजायज़के लिये भगालेगया है-या उसने बतौर नाजायज़ रोंक रक्खाहै-तो मजिस्ट्रेट मौसूफ मजाज़होगा-कि वास्ते फौरन् आज़ाद करने ऐसी औरत या हवालाकरने ऐसी

× ऐक्ट मुतअल्लिक फ़ौज मुसद्दिरे सन् १८८१ ई० बज़रिये ऐक्टनंबर १२ मुसद्दिरे सन् १८८१ ई० के मंसूखकियागया,

लड़की के उसके शौहर या वाल्दैन या सरपरस्त को या और शख्सको जो क़ानूनन् ऐसी लड़की का एहतिमामकरता या उसपर अख्तियार रखताहो हुक्मसादिर करे-और अपने हुक्मकी तामील कराये और जिसक़दर जब्र जरूर हो अमल में लाये ॥

मुआविज़ा उन अशख़ासको जिनकी बल्दहप्रेज़ीडंसी में बिलावजह सिपुर्द हवालात कियाजाय,

दफ़ा ५५२—जब कोई शख्स किसी बल्दे प्रेजीडंसी में किसी और शख्सको किसी अफ्सर पुलिसकी मारफ़त गिरफ्तार कराये अगर उस मजिस्ट्रेट को जिसके रूबरू मुक़द्दमेकी समाअतहो यह वाज़े हो कि शख्स सानि उल्जिक्रके गिरफ्तार कराने की कोई वजह काफ़ी न थी-तो मजिस्ट्रेट मजाजहोगा-कि जरहर्जा जिसक़दर मजिस्ट्रेट मौसूफको मुनासिब मालूमहो मगर ५० रु० से जियादह नहो उस शख्स से जिसने गिरफ्तार करायाहो शख्स गिरफ्तार शुदहको बमुआविज़ा उस तज़ीअ औक़ात और इख़राजातके जो उस मुक़द्दमे में उसके ज़िम्मे आयद हुयेहों दिलाये ॥

ऐसे मुक़द्दमात में अगर चंद अशखास × गिरफ्तार किये जायँ तो मजिस्ट्रेट को अख्तियार है-कि हस्ब महकूमै सदर ऐसे हर-शख्स को उसक़दर हर्जा दिलाये जो मजिस्ट्रेटको मुनासिब मालूम हो और ५० रु० से जियादह न हो ॥

तमाम जरहाय हर्जा जो इस दफ़ाके बमूजिब दिलायें जायें मिस्लजुर्माने के वसूल किये जायेंगे-और अगर इस तौरपर वसूल न होसकें तो उस शख्सको जिसके जिम्मे उनका अदा करना वाजिब हो उस मीआदतक क़ैद महजकी सजादीजायगी जोमजिस्ट्रेट को मुनासिब मालूमहो-और ३० रोजसे जियादह न हो-इल्ला उससूरत में कि जुर्माना उस मीआद के इन्क़ज़ा से पहले अदा करदिया जाय ॥

दफ़ा ५५३—बादमंजूरी जनाबमुअल्लाअल्काब नव्वाब गवर्नर

×इसफिक़रा की यह इबारत "याउनकेनामशिकायतहो," बजरिये ऐक्टनम्बर ४सन् १८८१ई० की दफा३-के मंसूख की गई,

सनदशाहीकी रूसे मुकर्रर की हुई हाईकोर्टोंका अख्तियार कि अदालत हायमातहत कीमिसलोंकेमुआयना केलियेकवाअदवजाकरें

जनरलबहादुर बइजलासकौंसल की हाईकोर्ट वाके़ फ़ोर्टविलियम को और बादमंजूरी लोकल गवर्नमेंटके हरदूसरी अदालत हाईकोर्टको जो बजरिये सनदशाही कायम की गईहो अख्ति-यार होगा-कि वक़्तन्फ़वक़्तन् कवाअद बगरज मुआयना काग़ज़ातमिसल अदालतहाय मातहतके मुरत्तिबकरे॥

और२हाईकोर्टोंका अख्तियारदरबाबवजाकरनेकवाअद वास्तेदीगरगरजोंके,

बादमंजूरी माक़ब्ल लोकलगवर्नमेंट के हर हाईकोर्ट जो मु-ताबिक सनदशाहीके मुक़र्रर न हुईहो मजाज है-कि वक़्तन् फ़वक़्तन्—

(अलिफ़)-क़वाअद दरबाब तरतीब जुमलैबहीजात और इ-न्दराजात और हिसाबात के जो तमाम अदालतहाय फ़ौजदारी मातहतमें मुरत्तिब रहाकरेंगे-और नीज़वास्ते तय्यारी औरइरसाल जुमला नक़्शेजात व कैफ़ियात के जो मुरत्तिब होकर अदालत हाय फौजदारीसे मुरसिल होनी चाहियें-तजवीज़ करे--और-

(बे)-हर कार्रवाई के लिये जो उनअदालतोंसे तामीलपाये और जिसकेलिये नमूना मुकर्रर करना मुनासिब मालूम हो न-मूना तजवीज करे—

(जीम)-×खुदअपनी अदालतके तरीके अमल और कार्रवाई और अपने मातहतकी जुमला अदालत हाय फौजदारीके तरीके अमल और काररवाईके इन्तिजामके लिये कवाअद वजाकरे॥

(दाल)-जो वारंट इसमजमूये के मुताबिक बगरज वसूल जुर्माना जारीहों उनकी तामील के इन्तिजाम के लिये कवाअद मुरत्तिबकरे॥

मगर शर्त्त यहहै-कि जो कवाअद और नमूनेजात दफ़ाहाज़ा

× अपर ब्रह्मामें कवाअद तहतदफा ५५३ जिम्न (जीम) के जरिये से हुक्मना-मजात और नक़ल और मुआयना कागजात मिसलके मुतअल्लिक जर रसूमकाइ-न्तिजाम किया जासक्ता है--देखो कानून ७-सन् १८८६ई०के जमीमे की दफ़ा२१,

के बमूजिबवजाकिये औरतरतीबदियेजायँ वहइसमजमूये या किसी और कानून नाफ़िज़ुलवक्त के नक़ीज न हों ॥

तमाम कवाअद जो इसदफ़ाके बमूजिब वजाकियेजायँ मुक़ामके गजट सर्कारी में मुश्तहर कियेजायँगे ॥

नमूने,

दफ़ा ५५४--बमलहूजी उस अख़्तियार के जो दफ़ा ५५३-की रूसे और नीज अजरूय ऐक्टमुसह्दिरै सन् २४-व २५-जलूस मलिकामुअज़्ज़मा विक्टोरियाबाब१०४-दफ़ा१५-के अताहुआहै वह नमूने जो जमीमैपंजुम मुन्सलिकै ऐक्टहाजा में मुन्दर्जहैं मै उसक़दर तब्दीलके जो बलिहाज खसूसियतहालात हर मुक़द्दमे के जरूर हो उन अग़राज़के लिये मुस्तैमिलकिये जायँगे जो उनमें बिलतनासुब मजकूर हैं ॥

वहमुक़द्दमाजिसमेंजज या मजिस्ट्रेटग़रज़जाती रखताहो,

दफ़ा ५५५--किसी जज या मजिस्ट्रेट को अख़्तियार नहोगा-कि बिलाहुसूल इजाजत उस अदालत के जिसमें बनाराज़ी हुक्म ऐसे जज या मजिस्ट्रेटके अपील करना क़ानूनन् जायज हो ऐसेकिसी मुक़द्दमे को तजवीज या तजवीजकेलिये सिपुर्दकरे जिसका वह फरीकहो या जिसमें वह कुछ तअल्लुकजाती रखताहो: और कोई जज या मजिस्ट्रेट मजाज न होगा-कि ऐसे अपीलको समाअतकरे जो खुद उसी की तजवीज या हुक्मकी नाराजी से रुजूअ किया गयाहो ॥

तशरीह---किसी जज या मजिस्ट्रेट की निस्बत किसी मुक़द्दमे में महज इसवजह से कि वह मैन्यूसिपल कमिश्नरहो यह इत्तलाक न किया जायेगा कि वह मुक़द्दमे का फरीकहै या उसमें कुछ गरज़जाती हस्ब मुराद दफ़ाहाजा रखताहै ॥

अख़्तियार दरबारहफ़ै सलकारने इस अम्रके कि कोनसीज़बान अदालतों

दफ़ा ५५६--लोकल गवर्नमेण्ट इसअम्र की तन्क़ीह करने की मजाज है-कि वास्तेहुसूल अग़राज इस मजमूये के हर अदालत में जो उसकलम रो के अन्दर क़याम पिज़ीरहो जिसपर गवर्नमे-

की जबानहोगी,

एट मौसूफकी हुकूमत जारीहो बइस्तस्नाय उन हाईकोर्टोंके जो अजरूय सनदशाही मुकर्ररहों कौनसी जबान अदालतकी जबान समझी जायेगी ॥

जनाबनव्वाबगवर्नर जनरलबहादुरबइजलासकौंसल औरलोकल गवर्नमेंट के अख्तियारातवक्तन् फवक्तन् अमलमें आसकेंगे,

दफ़ा ५५७–तमाम अख्तियारात जो इसमजमूये की रूसे जनाब नव्वाब गवर्नर जनरलबहादुर बइजलास कौंसल या लोकल गवर्नमेंट को अता हुयेहैं जायजहै कि वह वक्तन् फ़वक्तन् जैसी२ जरूरत पड़तीजाय निफाज़पातेरहैं॥

× दफ़ा ५५८ [मुक़द्दमात दायर]

ओहदेदारानमुतअल्लिक नीलाम नजायदादको खरीदसक्ते औरन उसकेलियेबोलीबोलसक्तेहैं,

दफ़ा ५५९--*कोई सरकारी मुलाजिम जिसको मजमूये हाजाके मुताबिक किसी जायदादके नीलामका कोई काम अंजामकरनाहो न जायदाद मजकूरको खरीद सक्ताहै और न उसके लिये कोई बोली बोल सक्ताहै ॥

इल्ज़ामात जो नाहक़ या बराह ईज़ारसानी लगायेजायें,

+दफ़ा ५६०–(१)--अगर किसी मुक़द्दमा में--जो बजरिये इस्तगासा जिसकी मजमूआहाजा में ताईन कीगई है या बरबिनाय मुखबरीके जो किसी अफ्सर पुलीस या मजिस्ट्रेटके हजूरकीजाय रुजूअ हुआ हो--कोई शख्स किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू किसी ऐसे जुर्मका मुजरिमहो जिसकी कोई मजिस्ट्रेट तजवीज करसके-और वह मजिस्ट्रेट जो मुक़द्दमा की तज़वीजकरे-शख्स मुल्जिमको रिहा या जुर्मसे बरीकरदे--और माजिस्ट्रेट मौसूफ़को इसबाबमें तशफ्फीहो कि शख्स मुल्ज़िमपर जो इल्ज़ामहुआथा वह नाहक़ या ईज़ारसानी की राहसे थातो उसको अख्तियारहोगा-कि अगर मुनासिब समझे अपने हुक्म मुशअर रिहाई या बरीअत के ज-

× यहदफ़ा ऐक्टनम्बर१२-मुसद्दिरे सन् १८८१ ई० कीरूसे मंसूख की गई,

*दफ़ा ५५८-ऐक्ट १० सन् १८८६ ई० की दफ़ा १६-की रूसे बढ़ाई गई है,

+यह दफ़ा ऐक्टनंबर ४ मुसद्दिरे सन्१८८१ ई० की दफ़ा९कीरूसे बढ़ाई गई,

रिये से यह हिदायतकरे कि वह शख़्स जिसके इस्तग़ासा या मुख़बरी पर वह इल्ज़ाम लगायागया था मुल्ज़िम को या जब चन्द अशख़ास मुल्ज़िमहों तो उनमें से हरवाहिदको उसक़दर ज़रमुआविज़ा अदाकरे जो मजिस्ट्रेट मौसूफ़के नज़दीकमुनासिबहो और ५०) पचास रुपयेसे जियादह न हो ॥

मगर शर्त्तयह है- कि वैसी हिदायत के करनेके क़ब्ल मजिस्ट्रेट को लाज़िमहोगा कि—

(अलिफ़)--किसी ऐसे उज्रको क़लम्बन्द करके उसपर गौर करे जो हिदायत मज़कूरके सादिरहोनेके ख़िलाफ़में मुस्तग़ीस या मुख़बिर पेशकरे--और

(बे)--अगर मजिस्ट्रेट मौसूफ़ किसी ज़रमुआविज़ा के देने की हिदायतकरे तो अपने हुक्म मुशअर रिहाई या बराअतमें ज़रमुआविज़ाके दिलाये जानेकी वजूहात जो उसके नज़दीकहों तजवीजकरे ॥

(२)--वह ज़रमुआविजा जिस के अदाकरने का मजिस्ट्रेट हस्बदफ़ा मातहती (१) हुक्मकरे बतौर जुर्माने के वसूल किया जा सकेगा ॥

मगर शर्त्त यहहै--कि अगर वह वसूल न कियाजासके तो जिस क़ैदका हुक्म सादिर कियाजायेगा वह क़ैद महज़होगी- और उस मुद्दतकेलिये होगी जो मजिस्ट्रेट हिदायत करे औरजो ३०-तीस रोज़से जियादह न हो ॥

(३)--वह मुस्तग़ीस या मुख़बिर जिसपर हस्बदफ़ा मातहती (१) किसी मजिस्ट्रेट दर्जादोम या सोमने यह हुक्म कियाहो कि शख्स मुल्ज़िमको ज़रमुआविज़ा अदाकरे--मजाजइसबातका होगा--कि हुक्म मज़कूरकी नाराज़ी से--जहांतक कि हुक्म मज़कूर ज़रमुआविज़ा की अदासे इलाक़ा रक्खे-उस तरहपर अपील करे जिसतरहपर मुस्तग़ीस या मुख़बिर मज़कूर किसी तजवीज़ इजलास मजिस्ट्रेट मौसूफ़में मुजरिम ठहरनेपर करसक्ता ॥

(४)--जब कोई हुक्म मुशअरदेने ज़रमुआविज़ाके शख्स मु-

ल्जिमको-किसी ऐसे मुक़द्दमामें सादिरहो जो हस्बदफ़ा मातहती (३) क़ाबिल अपील है-तो ज़रमुआविज़ाउसमीआदकेगुज़रने के पेश्तर जोइदखालअपीलकेलिये मुक़र्रर है-या अगरकोईअपील दाखिल हुआहो तो क़ब्ल इन्फ़िसाल अपील मज़कूरके-उसको नहीं दियाजायेगा॥

(५)--बरवक्त दिलाने मुआविज़ा के किसी नालिश दीवानी माबादमें जो मुतअल्लिक़ उसी मुआमिले के हो-अदालत किसी ऐसे ज़र मुआविज़ा पर लिहाज़ करेगी जो हस्बदफ़ाहाज़ा अदा या वसूल कियागयाहो॥

×"दफ़ा ५६१-(१)-बावस्फ़ मुन्दर्ज रहने किसी मज़मून के इस मजमूआ में किसी मजिस्ट्रेट को बजुज चीफ़ प्रेज़ीडन्सी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटके यह लाज़िम नहीं होगा कि--

ख़ास अहकाम मुतअल्लिक जुर्म ज़िना बिलजब्र जो शोहरसे सादिरहो,

(अलिफ़)--जुर्म ज़िना बिलजब्रकी समाअत करे जब कि मर्द अपनी जौजाके साथ जमाअ करे-या

(बे)--मर्दको उस जुर्मकी इल्लतमें वास्ते तजवीजके सिपुर्द सिशन करे॥

"(२)--और बावस्फ़ मुन्दर्जरहने किसी मज़मूनके इस मजमूआमें अगर चीफ़प्रेज़ीडन्सी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ऐसे जुर्म में जिसका ज़िक्र इसदफ़ाकी दफ़ा मातहती (१) में है इस अम्रके हिदायत करने की ज़रूरतसमझे कि किसी ओहदेदार पुलीसके ज़रिये से तफ्तीशहो तो उस तफ्तीशके अमलमें लाने के लिये या उसमें शरीकहोने के लिये कोई ऐसा ओहदेदार पुलीस मुतअय्यन नहीं कियाजायेगा जो इन्स्पेक्टर पुलीस से नीचे दर्जे का हो"

× यह दफ़ा ऐक्टनम्बर १०-मुसद्दिरे सन् १८६१ ई०के ज़रिये से बढ़ाईगई.

ज़मीमा १ ॥

क़वानीन मन्सूख़ा ॥

(अलिफ़)—ऐक्ट पारलीमेंट ॥

सन जलूस और बाब	तसिमया	किस क़दर मन्सूख़ हुआ
सन १३—जलूस शाह जार्ज सोम—बाब ६३	ऐक्ट बग़रज़ इंतिज़ाम बाज़ क़वानीनिमुतअ़ल्लिक़ा हुस्न इंतिज़ाम मुआमलातईस्टइंडियाकम्पनी बहादुर बाबत मुमालिक हिन्द व यूरोप के,	दफ़ा ३८

(बे)—ऐक्टहाय मुसद्दिरै जनाब नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसल ॥

नम्बर और सन	मज़मून	किस क़दर मन्सूख़ हुआ.
२३—सन १८४० ई०	इजराय हुक्मनामा	जिसक़दर मंसूख़ नहीं हुआ है,
४५—सन १८६० ई०	मजमूये ताज़ीरात हिन्द	तमसीलात—मुतअ़ल्लिक़ै दफ़ा २१४,
५—सन १८६१ ई०	पुलिस ऐक्ट	दफ़ा ६—व दफ़ा २४—के यह अल्फ़ाज़ (और उसको मालूम कराके तजवीज़अ़ख़ीर तक मुक़द्दमेकी पैरवी करता रहे) दफ़ा ३५—इबारत अल्फ़ाज़ "मगरशर्तहै कि"

नम्बर और सन्	मज़मून	किसकदर मन्सूख़ हुआ
१८— सन् १८६२ ई०	जाबितै फ़ौजदारी सुप्रीमकोर्ट	जिसक़दर मन्सूख़ नहीं हुआ है ॥
६— सन् १८६४ ई०	सजायक़ैद	दफ़ा७ ॥
८— सन् १८६८ ई०	जस्टिस आफ़दीपीस	जिसक़दर मन्सूख़ नहीं हुआ है ॥
२३— सन् १८७० ई०	मुतअल्लिक़ करना रिआयाय वृटानिया बाहर यूरोप से उन ऐक्टों का जिनकी रूसे अख़्तियार सरसरी अता हुआ	ऐज़न्
४— सन् १८७२ ई०	क़वानीन पंजाब	जिसक़दर दूबारत वंगाला के क़ानून २० सन् १८२५ई० के मुतअल्लिक़ है
१०— सन् १८७२ ई०	मजमूये जाबितै फ़ौजदारी	जिसक़दर कि मंसूख़ नहीं हुआ है ॥
११— सन् १८७४ ई०	तरमीम मजमूयेजाबितै फ़ौजदारी	कुल ॥
१५— सन् १८७४ ई०	क़वानीनके निफाज़की हुदूदअरज़ी	जिसक़दर कि बंगालाके क़ानून २० सन् १८२५ई० से मुतअल्लिक़ है ॥
१०— सन् १८७५ ई०	हाईकोर्टका जाबिता फौजदारी	कुल ऐक्ट बजुज़ दफ़ा १४४—और उसकदर दूबारत दफ़ा१४६—के जोइत्तिला से मुतअल्लिक़ है ॥
२०— सन् १८७५ ई०	क़वानीन मुमालिक मुतवस्सित:	उसक़दर दूबारत जो वंगालाके क़ानून२०—सन्१८२५ई०सेमुतअल्लिक़ है
१८— सन् १८७६ ई०	क़वानीन अवध	ऐज़न्

नम्बर और सन	मज़मून	किस क़दर मंसूख़ हुआ
४– सन १८७७ ई० २१––सन् १८७६ ई०	साहबान मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी हवालगी व बाज़ गिरफ्त मुजरिमान	कुलऐक्ट बजुज़ दफा १।३॥ बाब ३ ॥
१०–सन १८८१ ई०	मुतअल्लिक़े कारोनर	दफात ८–व ६– ॥

(जीम)–क़वानीन ॥

कानून बंगाला २०–सन १८२५ ई०	अदालत कोर्टमारशल का इख़्तियार	जिसक़दर मंसूख़ नहीं हुआ है ॥
३–सन १८७२	संताल के परगने जात का बन्दोबस्त	जिसक़दर ब्वारत ऐक्ट १०–सन् १८७२ ई० से मुतअल्लिक़ है ॥
६–सन १८७४ ई०	जिले कोहिस्तानी अराकान के क़वानीन	जिसकदर ब्वारत ऐक्ट हाय २–सन् १८६६ ई० व १०–सन् १८७२ ई० व ११–सन् १८७४ ई० से मुतअल्लिक़ है ॥
३– १८७७ ई०	कवानीन अजमेर	जिसक़दर ब्वारत बंगालाके कानून २०–सन् १८२५ ई० से मुतअल्लिक़ है

(दाल)–ऐक्टहाय मुसव्विदै जनाब नव्वाब गवर्नरबहादुर मदरास बइजलास कौंसल ॥

८-सन् १८६७ ई०	पुलिस	दफा ६ ॥

ज़मीमा नम्बर २ ॥

नक़्शा जरायम ॥

तशरीहीनोट—इस ज़मीमे की इबारत मुंदर्जे ख़ाना २ मानूं व "जुर्म" और ख़ाने ७ मानूं व "सज़ा हस्ब मजमूये ताज़ीरातहिन्द" से यह मुराद नहीं है कि वह बतौर तारीफ़ात जरायम व सज़ाहायमुसर्रहा दफ़आत मुनासिबा मजमूये ताज़ीरातहिन्द या बमंज़िले खुलासा दफ़आत मज़कूराके हैं बल्कि सिर्फ़ बतौर हवाला उसदफ़ा के मज़मून के हैं जिनका नम्बर शुमार पहिले ख़ाने में है ॥

ख़ाना ३–इस ज़मीमेका बलाद कलकत्ता और बम्बई की पुलिस से मुतअल्लिक़ है ॥

बाब पंजुम ॥

अआनतके बयानमें ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
दफ़ा	जुर्म	आया अहल पुलिस बे वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है या नहीं	आया हस्ब मामूल इब्तिदाअन् वारंट जारी होगा या सम्मन	आया क़ाबिल ज़मानत है या नहीं	आया राज़ीनामा होसक्ताहै या नहीं	सज़ा हस्ब मजमूये ताज़ीरातहिन्द	किस अदालत से जुर्म की तजवीज होगी
१०९ ऐक्ट४५ सन १८६० ई०,	किसी जुर्मकी अआनत अगर वह जुर्म जिस में अआनत की गई है उस अआनतके सबबसे हुआ	बिला वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है अगर उस जुर्म के	अगर वह जुर्म जिस में अआनत की गई हो काबिल	अगर वह जुर्म जिस में अआनत की गई हो काबिल	अगर वह जुर्म जिस में अआनत की गईहो काबिल	वही सज़ा जो उस जुर्म के लिये जिसमें अआनत की गई हो मुक़र्रर है	उसी अदालत से जिस में वह जुर्म जिस में अआनत की गई हो तजवीज कियेजाने के

	हो और उसकी सजाकेवा स्ते कोई सरीह हुक्म नहो	लिये जिसमें अग्रानतकीगई है गिरफ्तारी वग़ैर वारंटके होसक्तीहो म गर किसी और सूरत में नहीं	इजराय वारंट हो तो वारंट जारीहोगा वर्ना सम्मन	जमानतहो तो मुअय्यनको ज मानतपररिहाई दी जायगी व इल्लाफ़ला	राज़ीनामा हो तो राज़ीनामे पर तैहोसक्ता है वइल्लाफ़ला		लायक़ है ॥
११०	किसी जुर्मकीअग्रानतअगर शख्स मुआन नियत मुग़ायर नियत मुअय्यनसे जुर्म मजकूर का मुर्तकिब हो	बिला वारंट गिरफ्तारकरस क्ताहैअगरउस जुर्मकेलिये जिसमें अग्रानत कीगई है गिर फ्तारीविग़ैरवा रंटके होसक्ती हो मगर किसी औरसूरतमेंनहीं	अगर वह जुर्म जिसमें अग्रा नत कीगईहो क़ाबिल इजरा य वारंटहोतो वारंट जारी होगा वर्ना सम्मन	अगर वह जुर्म जिसमें अग्रा नत कीगईहो क़ाबिल जमा नतहो तो मुअ य्यनकोजमान तपररिहाईदी जायगी व इ ल्लाफ़ला	अगर वह जुर्म जिसमें अग्रा नत कीगई हो क़ाबिल राज़ी नामा हो तो राजीनामा पर तै होसक्ता है व इल्लाफ़ला	वही सज़ा जो उस जुर्मके लिये जिसमें अग्रानत की गई हो मुक़र्रर है ॥	उसी अदालतसे जिसमें वह जुर्म जिसमें अग्रा नत कीगई हो तजवीज किये जानेके लायक़ है ॥
१११	किसी जुर्मकीअग्रानत जब कि अग्रानत एक फेलमेंहो औरकोईफेलमुगायरकिया जायमगरयत्तेकालिहाजरहै	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	वही सज़ा होगी जो उस जुर्म की पादाश में होती जिसमें अग्रानत करने का क़स्द किया गयाहो ॥	ऐजन् ....

१	२	३	४	५	६	७	८
११३	किसी जुर्म की अआनत जब कि कोई नतीजा उस फेलसे पैदाहो जिसमें अआनत कीगईहै और वह नतीजामक़सूदहो मुअय्यन से मुग़ायरहो	विलावारंटगिरफतार करसक्ताहै अगर उसजुर्मके लिये जिसमें अआनत तकीगईहै गिरफ्तारी वग़ैर वारंटके होसक्ती हो मगर और किसीसूरतमें नहीं	अगर वहजुर्म जिसमें अआनत कीगईहो काबिल इजराय वारंटहोतोवारंटजारीहोगा वरना सम्मन	अगरवह जुर्म जिसमें अआनत कीगईहो काबिल जमानत होतोमुअय्यनको जमानतपररिहाईदीजायेगी व इल्ला फ़ला	अगरवह जुर्म जिसमेंअआनत कीगईहोकाबिल राज़ीनामाहोतो राजीनामापर तैहोसक्ताहै वइल्ला फ़ला	वही सजाहोगी जो उसजुर्मके लिये मुक़र्ररहै जिसका इर्तिकाब हुआ हो	उसी अदालतसे जिसमें वह जुर्म जिसमें अआनत कीगईहो तजवीज किये जानेके लायक है
११४	किसी जुर्मकीअआनत अगर मुअय्यन इर्तिकाब जुर्मके वक्त मौजूदहो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ....
११५	उसजुर्म में अआनतकरनी जिसकी सज़ामौतयाहब्स दवामबउबूरदरियायशोर है अगरजुर्मका इर्तिकाब अआनतके सबबसे न हुआहो	ऐजन्	ऐजन्	क़ाबिल ज़मानत नहींहै॥	ऐजन्	दोनों क़िस्मोंमेंसे एकक़िस्म की क़ैद हफ़्तसाला और जुर्माना॥	ऐजन् ....
ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	अगरएकफेल जो दूज़ाका	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	दोनोंक़िस्मों में से एक	ऐजन् ....

	मुजिबहै अमानतके सबब कियाजाय ॥								क़िस्म की क़ैद चहारदह-साला और जुर्माना ॥			
११६	उसजुर्म में अमानतकरनी जिसकी सजाक़ैदहै अगर जुर्मका इर्तिकाब अमानतके सबबसे न हुआहो ॥	ऐज़न्	....	ऐज़न्	....	बलिहाज़ उस केकिजुर्मजिस की अमानत कीगईक़ाबिल ज़मानतहै या नहीं ॥	ऐज़न्	....	दोनोंक़िस्मों मेंसे किसी किस्मकी क़ैद जो उसजुर्म की पादाशमें मुक़र्रर है और उसकी मीआद उसक़ैदकी बड़ीसेबड़ीमीआदकी एक चौथाईतक होसक्ती है या जुर्माना या दोनों ॥	ऐज़न्	....	....
	अगर मुअय्यन या मुआन मुलाजिमसरकारीहोजिस पर उसजुर्मका इंसिदाद करना लाजिमहै ॥	ऐज़न्	....	ऐज़न्	....	ऐज़न्	....	ऐज़न्	....	दोनोंक़िस्मों मेंसे किसीकि समकीक़ैदकीसज़ा जो उस जुर्मकीपादाशमें मुक़र्रर है और उसकीमीआद उसक़ैद की बड़ीसे बड़ी मीआदके एकनिस्फ़तक होसक्ती है या जुर्माना या दोनों ॥	ऐज़न्	....	....
११७	उसजुर्म के इर्तिकाबमेंअ आनतकरना जिसको आमाख़लायक या दशसेजियादः अशख़ास करें ॥	ऐज़न्	....	ऐज़न्	....	ऐज़न्	....	ऐज़न्	....	दोनोंक़िस्मोंमेंसेएकक़िस्म की क़ैद सेहसाला या जुर्माना या दोनों ॥	ऐज़न्	....	....

१	२	३	४	५	६	[illegible]	८
११८	उस जुर्मके इर्तिकावकीतदबीरकाछिपाना जिसकी सजामौतयाहब्सदवामबउबूर दरियाय शोर है अगर जुर्मका इर्तिकाव हुआहो	बिलावारंटगिरफ्तारकरसक्ताहै अगरउसजुर्मके लये जिसमें अआनत कीगईहै गिरफ्तारी वगैर वारंटकेहोसक्ती हो मगर और किसी सूरत में नहीं ॥	अगर वह जुर्म जिसमें अआनत कीगई हो काबिलइजराय वारंट हो तो वारंट जारी होगा वर्ना सम्मन	काबिल जमानत नहीं है	अगर वह जुर्म जिसमें अआनत कीगईहो काबिल राजीनामाहो तो राजीनामेपर तै हो सक्ता है व इल्लाफ़ला	क़ैद हफ़्तसालह दोनों क़िस्मों में से एकक़िस्मकी और जुर्माना	उस अदालत से जिसमें वह जुर्म जिसमें अआनत की गई हो तजवीज कियेजानेके लायक है ॥
	अगर जुर्मका इर्तिकाव न हुआहो ॥	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैद सेहसालह दोनोंक़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन्
११९	सरकारी मुलाजिम जो किसी ऐसे जुर्मके इर्तिकाव की तदबीरको मख़्फ़ी करे जिसका इन्सदाद उसपर वाजिबहै अगर जुर्म मजकूर का इर्तिकाव हुआहो ॥	ऐजन्	ऐजन्	अगरवहजुर्मजिसमेंअआनतकी गई हो क़ाबिल जमानत हो तो मुअय्यनं को जमानतपररिहाई दीजायेगी व इल्लाफ़ला	ऐजन्	दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी क़ैद जो उसजुर्म्म की पादाश में मुकर्रर है और उसकी मीआद उसक़ैद की बड़ीसे बड़ी मीआद के एक निस्फतक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों सजायें ॥	ऐजन्

	अगर उस जुर्मकी सजा मौत या हब्स दवामी वउबूर दरियायशोर हो ॥	ऐजन्	ऐजन्	काबिल ज़मानत नहीं है	ऐजन्	कैद दहसालह दोनों क़िस्मों में से एकक़िस्मकी ॥	ऐजन् ....
	अगर जुर्म का इर्त्तिकाब न हुआ हो ॥	बिलावारंट गिरफ़्तारकरसक्ताहै अगरउसजुर्मके लिये जिसमें अआनत कीगईहै गिरफ़्तारी बग़ैर वारंटके होसक्ती हो मगर और किसी सूरत में नहीं ॥	अगर वह जुर्म जिसमें अआनत कीगईहोका बिल इजराय वारंट हो तो वारंट जारी होगा वर्ना सम्मन	अगरवह जुर्म जिसमें अआनत कीगईहो काबिल जमानत होतोमुअय्यन को जमानतपर रिहाई दीजायेगी व इल्ला फ़ला	अगरवह जुर्म जिसमेंअआनत कीगईहोकाबिल राजीनामाहोतो राजीनामापर तैहो सक्ताहै वइल्ला फ़ला	दोनों क़िस्मों में से किसी क़िस्मकी कैद जो उसजुर्म्म की पादाश में मुकर्रर है और उसकी मीआद उसकैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक चौथाई तक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों सजायें ॥	उसी अदालतसे जिसमें वहजुर्म जिसमें अआनत कीगईहो तजवीज किये जानेके लायक है
१२०	उसजुर्मके इर्त्तिकाब की तदबीर का मख़फ़ी करना जिसकी सजा कैदहै अगर जुर्म मज़कूर का इर्त्तिकाब हुआ हो ॥	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ....
	अगर जुर्म का इर्त्तिकाब न हुआ हो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	दोनोंक़िस्मों मेंसे किसी क़िस्मकी कैद जो उसजुर्म की पादाश में मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस कैदकी	ऐजन् ....

१	२	३	४	५	६	७	८
						बड़ीसेबड़ीमीआदके आठवें हिस्सेतक होसक्ती है या जुर्माना या दोनों सजायें ॥	

बाब शशुम ॥
जरायम खिलाफ़ वरजी बा सरकार के बयान में ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
१२१ ऐक्ट ४५ सन्१८६० ई०	मलिका मुअज़्ज़िमाकेमुकाबिलेमेंजंग करना या उसका इक़दाम या मलिका मुअज़्ज़िमाके मुक़ाबिले में जंग करनेमें अआनतकरना ॥	बिलावारंटगिरफ़्तार नहीं कर सक्ता ॥	वारंट	क़ाबिल ज़मानत नहीं ॥	क़ाबिल राज़ीनामा नहींहै ॥	मौत या हब्सदवाम व उबूर दरियायशोर और ज़ब्ती जायदाद	अदालत सिशन
१२१ (अलिफ़)	बाज़जरायम खिलाफ़वरज़ीबासरकार के इर्तिकाब में साज़िशकरना ॥	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	हब्स बउबूर दरियायशोर दायमी या किसी कम मीआदका या दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी क़ैद दहसाला	ऐज़न्
१२२	मलिकामुअज़्ज़िमाकेमुक़ाबिलेमें जंगकरनेका नीयत से हथियार वग़ैरह फ़राहम करना ॥	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद दहसाला दोनोंक़िस्मोंमेंसे एक क़िस्म की और ज़ब्ती जायदाद ॥	ऐज़न् .. ..

१२३	जंगकरने की तदबीर को उसके आसान करने की नीयत से मखफ़ी करना ॥	एजन्	....	एजन्	....	एजन्	....	एजन्	....	कैददहसाला दोनोंक़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना ॥	एजन्	....	....
१२४	अख्तियार जायज के नाफ़िजकरनेपर मजबूर करने या उससे बाजरखने की नीयतसे गवर्नरजनरल या गवर्नर वग़ैरा पर हमला करना ॥	एजन्	....	एजन्	....	एजन्	....	एजन्	....	कैद हफ़्तसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना ॥	एजन्	....	....
१२४ (अलिफ़)	खयालात बदख्वाही की तरग़ीबदेनी या उस का इक़दाम करना ॥	एजन्	....	एजन्	....	एजन्	....	एजन्	....	हब्स बउबूर दरियायशोर दवाम या किसी मीआदके लिये मै जुर्माना या दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी कैदसेहसाला मै जुर्माना या जुर्माना ॥	एजन्	....	....
१२५	किसी एशियाई मुल्क के वालीके मुकाबिलेमें जो मलिकामुअज्जिमा से राबते इत्तिहाद या मसालहत रखताहो जंगकरना या जंग मज़कूरमें अआनत करना ॥	एजन्	....	एजन्	....	एजन्	....	एजन्	....	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर और जुर्माना या कैद हफ़्तसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्म की मे जुर्माना या जुर्माना ॥	एजन्	....	....

१	२	३	४	५	६	७	८
१२६	उसवाली कौमुलक्में गारत गरीकरनी जो मलिकामुअज्जिमासे इत्तहाद या सुलह रखता हो ॥	बिला वारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता ॥	वारंट	क़ाबिल जमानत नहीं है ॥	क़ाबिल राजीनामा नहीं है ॥	क़ैद हफ़्तसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एकक़िस्मकीऔर जुर्माना और बाज जायदाद की जब्ती ॥	अदालत सिशन
१२७	ऐसे माल को अपने तहवील में रखना जो जंग या गारतगरी मज़कूरह दफ़ात १२५ व १२६के ज़रिये से हासिल कियागया हो ॥	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन् .. ..
१२८	सरकारी मुलाज़िमका असीर सुलतानी या असीर जंग को जो उसकी हिरासत में हो बिलइरादा भागजानेदेना ॥	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ..	हब्सदवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैददहसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्म की और जुर्माना ॥	ऐजन् .. ..
१२९	सरकारी मुलाज़िम असीर सुलतानी या असीर जंगको जो उसकी हिरासत में हो ग़फ़लत से भाग जानेदेना ॥	ऐजन्	ऐजन्	क़ाबिल जमानत है ॥	ऐजन् ..	क़ैद महज सेहसाला और जुर्माना ॥	ऐजन् या मजिस्ट्रेटप्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल ॥
१३०	असीरमज़कूरकेभागजाने या छुड़ाने या पनाह देनेमेंमदद करनी या उसकेमुकर्रगिरफ़्तारकियेजानेमेंतअर्रुज़ [illegible]ना	ऐजन्	ऐजन् ..	क़ाबिल जमानत नहीं है ॥	ऐजन् ..	हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैददहसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना ॥	अदालत सिशन

बाबहफ्तुम ॥

जरायम मुतअल्लिक़े अफ़वाज बहरी व बर्रीके बयानमें ॥

१३१	बग़ावतमें अआनत करनी या किसी अफ़सर या सिपाही या ख़लासीजहाज़ी को इताअत या ख़िदमतमन्सबी न करने के अग़वा का इक़दाम करना ॥	बे वारंट गिरफ़तार कर सक्ताहै ॥	वारंट	क़ाबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है ॥	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैददहसाला दोनोंकिस्मोंमें से एककिस्मकी और जुर्माना ॥	अदालतसिशन
१३२ ऐक्ट४५ सन १८६० ई०	अआनत बग़ावत अगर बग़ावतका इर्तिकाब उस अआनतके सबबसेकियाजाय	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	मौत या हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद दहसाला दोनों किस्मोंमेंसेएक किस्मकी और जुर्माना ॥	अदालत सिशन
१३३	उस हमलेको अआनत जो कोई अफ़सर या सिपाही याख़लासी जहाज़ी अपने अफ़सर बालादस्तपर जब कि वह अपने ओहदेका काम अंजामदेरहाहो करे—	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैदसेहसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना ॥	ऐज़न् या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल ॥
१३४	हमला मज़कूरकी अआनत अगर हम्लेकाइर्तिकाबहो ॥	ऐज़न्	ऐज़न् ..	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैद हफ़्तसालहदोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकीऔर जुर्माना	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
१३५	किसी अफ़सर या सिपाही याखलासीजहाज़ीकीनौकरी पर से भागजानेमेंअआनत करनी ॥	वे वारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै॥	वारंट	काबिल जमानत है ॥	काबिल राजीनामा नहीं है	क़ैददोसालतक दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों ॥	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
१३६	फ़रारीअफ़सर या सिपाही या ख़लासी जहाज़ी को पनाहदेना ॥	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..
१३७ ऐक्टनंबर४५ सन्१८६०ई०	फ़रारी नौकरका किसी सौदागरीमुरक्कबतरीमेंनाखुदा या मोहितमिमकी ग़फ़लत से छिपाहोना ॥	बिलवारंटगिरफ़्तार नहीं करसक्ता ॥	सम्मन	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	पांचसौ रुपये जुर्माना	ऐज़न् ..
१३८	अदूल हुक्मीमें किसीअफ़सर या सिपाही या ख़लासी जहाजी की अआनत करनी अगर जुर्म उसअआनत केसबबसे वक़ूअ में आये ॥	बिला वारंटगिरफ़्तार करसक्ताहै	वारंट	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैद छःमाहा दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों ॥	ऐज़न् ..
१४०	वह लिबास पहिनना या वहनिशानलिये फिरनाजिसकोकोईसिपाही इस्तेमालकरताहोइसनीयतसे कि लोग उसको ऐसासिपाही समझें॥	ऐज़न् ..	सम्मन	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैदतीनमाहा दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या पांचसौरुपया जुर्माना या दोनों॥	हरमजिस्ट्रेट

बाब हश्तुम ॥

उन जरायमके बयानमें जो आसूदगी आम्मै ख़लायक़के मुख़ालिफ़ हैं ॥

१४३ ऐक्ट न०४५ सन१८६०ई०	किसी मजमे खिलाफक़ानून में शरीक होना ॥	बिला वारंट गिरफ़तारकर सक्ताहै	सम्मन	काबिल जमानत है	क़ाबिल राजीनामा नहीं है	कैदअशमाहा दोनों क़िस्मों मेंसेएक क़िस्मकी याजुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट
१४४	दूसलहमोहलिक से मुसल्ला होकर किसी मजमे खिलाफ कानूनमें शरीक होना	ऐजन....	वारंट	ऐजन ..	ऐजन ..	कैददोसाला दोनों क़िस्मों मेंसेएकक़िस्मकी याजुर्माना या दोनों	ऐजन
१४५	किसीमजमे खिलाफ़ कानून में यह जानकर कि उस को मुतफ़र्रिक होजाने का हुक्म होचुका है दाखिल होना या दाख़िलरहना	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..
१४७	बलवहकरना	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन....	ऐजन ..
१४८	सलाहमोहलिकसेमुसल्लह होकर बलवहकरना	ऐजन ..	ऐजन	ऐजन ..	ऐजन ..	कैदसेहसाला दोनोंक़िस्मों मेंसे एकक़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१४९	अगरकोई जुर्म किसीमजमे खिलाफ़ क़ानूनके किसीएक शरीकसेसरज़द होतो उस	अगरउस जुर्म के लिये गिरफ़्तारीबगैर वारंट	अगर असलजुर्मकेलिये बज़रिये वारंट	अगर असलमुजरिम ज़मानतपररहा हो	ऐजन ..	जो सज़ा असल मुजरिमको होगी वही सज़ाहोगी	तजवीज़ मुजरिम के मुक़द्दमेकी उस अदालतसे होगी जहांअसल जुर्ममज़कूर

१	२	३	४	५	६	७	८
	मजमै का हर दूसरा शरीक उसजुर्मका मुजरिम मुतसव्विर होगा ॥	होसक्ताहो तो हरशरीक मजमै की गिरफ्तारी वग़ैर वारंट होसकेगी व इल्लाफ़ला	जायजहोतोवारंटऔर अगर सम्मन जायज होतो सम्मन जारी होगा	सक्ता हो तो हर शरीक मजमा भी जमानतपररिहा होसकेगा व रनानहीं			लायक तजवीजहो
१५०	किसीमजमै खिलाफ़ क़ानूनमें शामिल होने के लिये अशखासको उजरतपर रखना या उनसे क़रारदाद करना या नौकररखना ॥	बिला वारंट गिरफ्तार कर सक्ता है	उसजुर्मकेमुताबिक़ जिसका इर्तिकाब उस शख्सने किया हो जो उजरत पर रक्खागया या जिससे क़रारदादकिया गया या जोनौकररक्खागया	ऐज़न	ऐज़न ..	वहीसज़ा जो उस मजमै नाजायज़के किसी शरीक को और उस जुर्म की पादाश में होसक्ती है जिसका इर्तिकाब मजमै मज़कूरका कोई शरीक करे	ऐज़न ....
१५१ ऐक्टनं०४५ सन्१८६०ई०	पांच या ज़ियादह शख्सोंके मजमैमें बाद इसके कि उसको मुतफ़र्रिक़ होनेका हुक्म हो चुकाहो जानबूझकर दाखिलहोना यारहना	ऐज़न्	सम्मन	क़ाबिल ज़मानत है	क़ाबिल राज़ीनामानहीं है	क़ैदशशमाहा दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट

१५२	किसी सरकारी मुलाज़िम पर उसवक्त हमलाकरना या उसका मुज़ाहिम होना जब कि वह बलवह वग़ैरह को फ़रोकररहाहो	ऐज़न् ..	वारंट	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैद मेहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१५३	बलवहकराने की नीयतसे किसीको तवीअतको वदी केसाथ मुश्तअलकरना अगरबलवे का इर्त्तिकाव हो	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैदयकसालादोनों किस्मों मेंसे एककिस्म की या जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
	अगर बलवेकाइर्त्तिकाव न हुआहो	ऐज़न् ..	सम्मन	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	क़ैदशशमाहा दोनों क़िस्मों मेंसे एकक़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐज़न् ..
१५४	जमीनका मालिक या दख़ील जो बलवह वग़ैरह की ख़बरनदे	बिलावारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	एकहज़ार रुपया जुर्माना	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
१५५	वह शख़्स जिसके नफ़ेकेलिये या जिसकी तरफ़से बलवह वाक़े हुआहो तमाम तदाबीर जायज़ उसके रोकनेकेलिये अमल में न लाये	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	जुर्माना ..	ऐज़न् ..
१५६	उसमालिक या दख़ीलका	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..	ऐज़न् ..

१	२	३	४	५	६	७	८
	कारिन्दा जिसके नफ़े के लिये बलवे का इर्त्तिकाब हुआ हो तमाम तदाबीर जायज उसके रोकनेकेलिये अमल में न लाये						
१५७	उनशख्सोंकापनाहदेना जो मजमैनाजायज़ के लिये उजरत पर नौकर रक्खेगये हों	बिला वारंट गिरफ़्तार करसक्ताहै	सम्मन ..	क़ाबिल जमानतहै	क़ाबिल राजीनामा नहीं है	क़ैदशशमाहा दोनों क़िस्मों मेंसे एकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल या दर्जे दोम
१५८ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	किसीमजमै ख़िलाफ़ क़ानून या बलवे में शामिल होने के लिये उजरतपर रक्खा जाना	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..
	यामुसल्लाहोकर फिरना	ऐज़न ..	वारंट ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	क़ैद दोसाला दोनोंक़िस्मों मेंसे एकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐज़न ..
१६०	इर्त्तिकाबहंगामा	बेवारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	सम्मन ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	क़ैद यकमाहा दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या सौरुपयाजुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट

बाबनहुम ॥

उन जुर्मों के बयान में जो सरकारी मुलाजिमों से सरजद या उनसे मुतअल्लिकहों ॥

१६१	सरकारी मुलाजिम या सरकारीमुलाजिमीका उम्मेदवारहोकर किसी अमलमंसबी की बाबत उज्र, जायज के सिवा कोई और मावउल् एहतिजाज् लेना	वेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता॥	सम्मन	क़ाबिलजमानतहै	क़ाबिलराज़ीनामानहीं है	क़ैदसेहरसालादोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१६२	फ़ासिद या नाजायज वसीलोंसे सरकारी मुलाजिम पर दबावडालनेकेलिये मावउल् एह्तिजाज लेना	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ....
१६३	सरकारी मुलाजिम के साथ रसूखजाती अमल में लाने के लिये मावउल् एहतिजाज लेना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन् ..	क़ैदमहज़ यकसाला या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१६४	सरकारी मुलाजिमका उन जुर्मों में अआनतकरना जिनकीतारीफ़ पिछली मुतज़्किरा दो दफ़ों में मुन्द	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैदसेहसालादोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

१	२	३	४	५	६	७	८
	जाई और जो खुद उसकी निस्वत वकूञ में आये						
१६५ ऐक्ट ४१ सन् १८६०ई०	सरकारी मुलाजिम का किसी शख्ससे जो किसीऐसेमुआमले या मुकद्दमेसे तअल्लुक रखताहो जिसको उससरकारी मुलाजिमने अंजामदियाहो कोई क़ीमती शै बिला बदल हासिल करनी	वेवारन्टगिरफ्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन ..	क़ाविल जमानतहै	क़ाविल राजीनामा नहीं है	क़ैदमहज दोसाला या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दोम
१६६	सरकारी मुलाजिम का किसी शख्स को नुक़सान पहुंचाने की नीयत से हिदायत क़ानून से इन्हराफ़करना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैदमहज यकसाला या जुर्माना या दोनों	ऐजन् ....
१६७	सरकारी मुलाजिम का किसी शख्सको नुक्सान पहुंचानेकी नीयतसे ग़लत दस्तावेज मुरत्तिब करना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद सेहसाला दोनों क़िस्मों मेंसेएकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१६८	सरकारी मुलाजिमका नाजायज तौरपर तिजारत में मसरूफहोना	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद महज यकसाला या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

१६९	सरकारी मुलाजिम का नाजायजतौरपर कोईमालख़रीद करना या उसके लिये नीलाम में बोली बोलना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैदमहज़ दो साला या जुर्माना या दोनों और जव्तीमालअगरख़रीदागयाहो	ऐजन् ....
१७०	सरकारीमुलाजिम बनना	वेवारंट गिरफ्तारकरसक्ताहै	वारंट	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद दोसालादोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
१७१	फरेबकीनीयत से वर्दीलिबासपहिनना या वह निशानलिये फिरना जिसको सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल करताहो	ऐजन् ..	सम्मन ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद सेहमाला दोनों क़िस्मों मेंसेएकक़िस्मकी या दोसौ रुपयेजुर्माना या दोनों	ऐजन् ..

बाब दहुम ॥

सरकारी मुलाजिमोंके अख्तियारात जायज़ की तहक़ीरके बयानमें ॥

१७२ सा० ४५ सन् १८६० ई०	सरकारी मुलाजिमका सम्मन या और इत्तिलानामाका अपने पासतकपहुंचना टालदेनेकेलिये रूपोशहोजाना	वेवारंट गिरफ्तारनहींकरसक्ता	सम्मन	क़ाबिल जमानतहै	क़ाबिल राजीनामा नहीं है	क़ैदमहज़यकमाहा या पांचसौरुपयाजुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट
	अगर सम्मन या इत्तिला	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद महज़ शशमाहा या	ऐजन् ..

१	२	३	४	५	६	७	८
	नाममें कोर्टआफ़जस्टिस में असालतन् हाजिरहोने वग़ैरहका हुक्महो					एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	
१०३	सम्मन या इत्तिलानामे की तामील या उसके चस्पां कियेजाने को रोकना या जबकि वह चस्पां करदियागयाहै उसको उखाड़ना या किसी इश्तिहारके मुश्तहरकियेजानेको रोकना	वे वारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	क़ाबिलजमानतहै	क़ाबिल राजीनामानहींहै	क़ैद महज यकमाहा या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
	अगर सम्मनवग़ैरह में कोर्टआफ़जस्टिस में असालतन् हाजिर होने वग़ैरहका हुक्महो	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद महज षटमाहा या हजार रुपया जुर्माना या दोनों	ऐजन् ..
१०४	किसीख़ासमुक़ाम में असालतन् या मुख्तारतन्हाजिर होनेके हुक्म जायजसे उदूल करना या वहां से बिला इजाजत चलाजाना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद महज यकमाहा या पांचसौ रुपये जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
	अगर हुक्ममन्जूरमें किसी कोर्ट आफ जस्टिस में	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद महज षटमाहा या एक हजार रुपया जुर्माना	ऐजन् ..

	असालतन् हाज़िर होने की हिदायत हो					या दोनों	
१७५ ऐक्ट ४५ सन १८६० ई०	ऐसेशख्सका किसी सरकारी मुलाज़िम के हुज़ूरमें किसी दस्तावेज़के पेश करनेसे अमदन् बाज़रहना जिस पर उस दस्तावेजका पेश करना या हवाले करना कानूनन् वाजिबहै	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैदमहज़ यकमाहा या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	बरिआयत अहकाम बाब ३५ उस अदालतमें जुर्म की तजवीज होगी जहां जुर्म का इर्त्तिकाब हो और अगर जुर्म मजकूर का इर्त्तिकाब किसी अदालतमें न हुआ हो तो जुर्म की तजवीज मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम करेगा
	अगर दस्तावेज मज़कूर को किसी कोर्टआफ जस्टिसमें पेशकरना या हवाले करना जरूर हो	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैदमहज़शशमाहा या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	ऐजन् ..
१७६	ऐसेशख्सका अमदन्सरकारीमुलाजिम को इत्तिला या खबरदेने को तर्क करना जिसपर इत्तिला या खबरदेनी क़ानूनन् वाजिब है	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैदमहज़ यकमाहा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
	अगर इत्तिला या ख़बरमतलूबा किसी जुर्मके इर्त्तिकाबसे मुतअ़ल्लिक़ हो	बेवारन्ट गिरफ़्तार नहींकर सक्ता	सम्मन ..	क़ाबिल जमानत है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैदमहज़ शशमाहा या एकहज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
१७७	जान बूझकर किसी सरकारी मुलाज़िम को झूठी ख़बर देनी	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..
	अगर ख़बर मतलूबा किसी जुर्म वग़ैरह के इर्त्तिकाब से मुतअ़ल्लिक़ हो	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	क़ैद दोसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐज़न ..
१७८	हलफ़ उठाने से इन्कार करना जब कोई सरकारी मुलाज़िम हलफ़ उठाने का बाज़ाबते हुक्मदे	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	क़ैदमहज़ शशमाहा या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	बरिआयत अहकाम बाब ३५ जुर्मकी तजवीज़ उसी अदालतमें होगी जहां जुर्म मज़कूर का इर्त्तिकाब हुआ हो या अगर जुर्मका इर्त्तिकाब किसी अदालत में न हुआ हो तो जुर्म की तजवीज़ मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम करेगा

१७९ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	वाबसूफ़ इसके कि सच बयान करना एकशख़्सपर क़ानूनन् वाजिबहै उसका सवालातके जवाब देनेसे इन्कार करना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..
१८०	बयानपर जो किसी सरकारीमुलाज़िमके रूबरू किया गयाहो दस्तख़तकरने से इन्कार करना जब कि वतरीक़जायज़ दस्तख़त करने का हुक्मदियाजाय	"	"	"	"	क़ैदमहज़ सेहमाहा या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	ऐजन् ..
१८१	सरकारी मुलाज़िमके रूबरू अमदन् वहलफ़ झूठ को सचबयान करना	"	"	"	"	क़ैदसेहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१८२	किसीसरकारी मुलाज़िमको इसग़रज़से झूठी ख़बरदेनी कि वह अपना अख़्तियार नाजायज़ किसी और शख़्स को नुक़सान या रंज पहुंचाने के लिये नाफ़िज़ करे	"	"	"	"	क़ैदशशमाहा दोनों क़िस्मों मेंसे एकक़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
१८३	किसी मालके लिये जाने में जो किसी सरकारी मुलाज़िम के अख्तियार जायज़ की रूसे लिया जाता हो तअर्रुज़ करना	बेवारंट गिरफ़्तारनहीं करसक्ता	सम्मन	क़ाबिल जमानतहै	क़ाबिल राजीनामा नहींहै	कैद षष्ठमाहा दोनोंक़िस्मोंमें से एकक़िस्मकी या एकहज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेन्सी या या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दोम
१८४	किसी मालके नीलाम में जो किसी सरकारी मुलाज़िमके अख्तियार जायज़की रूसे नीलामपर चढ़ाया गया हो मुज़ाहिम होना	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	कैद यकमाहा दोनोंक़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी या पांचसौ रुपया जुर्माना या दोनों	ऐजन ..
१८५ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	ऐसे मालकेलिये जो अख्तियार जायज की रूसे नीलामपर चढ़ाया गयाहो उस शख्स का बोली बोलना जो उसके ख़रीदने से क़ानूनन माज़ूरहै या बिला क़स्द तामील उन शरायत के जो उस बोली बो	" ..	" ..	" ..	" ..	कैद यकमाहा दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों	" ..

	लने से उस पर वाजिबुल् तामील होगी बोलीबोलना						
१८६	लवाज़िम मंसबी की अंजामदिही में सरकारी मुलाज़िम की मुज़ाहिमत करनी	〃	ऐजन	ऐजन	ऐजन	क़ैदसेहमाहा दोनोंक़िस्मों मेंसे एकक़िस्म की या पांच सौ रुपयाजुर्माना या दोनों	ऐजन ....
१८७	सरकारी मुलाज़िम के मदद देनेको तर्क करना जब कि क़ानून की रूसे मदद देनी वाजिब हो ॥	〃	〃	〃	〃	क़ैद महज़ यकमाहा या दोसौरुपयेजुर्माना या दोनों	〃
	सरकारी मुलाज़िमको जो तामील हुक्मनामे या इंसदाद जरायम वग़ैरह में मदद तलबकरे मदद देने में अमदन ग़फ़लत करनी	〃	〃	〃	〃	क़ैदमहज़यकमाहा या पांच सौ रुपयाजुर्माना या दोनों	〃
१८८	सरकारी मुलाज़िम के बाज़ाब्ता मशहूर कराये हुये हुक्मसे उदूल करना अगर ऐसी उदूलहुक्मी उन अशख़ासको जो किसीकार जायज़ में मसरूफ़ हों	〃	〃	〃	〃	क़ैदमहज़ यकमाहा या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों	〃

१	२	३	४	५	६	७	८
	मुज़ाह्मित या रंज या नुक़सान पहुंचाये						
	अगर ऐसी अदूल हुक्मी इंसानकी जान या तंदुरुस्ती या अमन वग़ैरह को खतरा पहुंचाये	वे वारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता ॥	सम्मन	क़ाबिल जमानत है ॥	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है॥	क़ैद यकमाहा दोनों क़िस्मों से एक क़िस्मकी या एक हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
१८९	सरकारी मुलाज़िम को कोई मंसबीअमल करने या उसके करनेसे बाज रहने की तरग़ीब देने के लिये खुद उसको या किसी दूसरे शख्सको जिससे वह सरकारी मुलाजिम तअ़ल्लुकरखताहो नुक़सान पहुंचनेकी धमकी देनी	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	क़ैद दोसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	"
१९० ऐक्ट४।सन्१८६०ई०	किसी शख्सको दग़ानीयतसे धमकी देनी कि वह किसी नुक़सानसे महफ़ूज़रहनेकी दरख्वास्तजायज़के गुज़रानने से बाज रहे	"	"	"	"	क़ैद यकसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	"

बाबयाजदहुम
झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़ मादिलत आम्मैके बयान में

१९३	अदालतकीकिसी कारर्वाईमेंझूठीगवाही देनी या बनानी	ये वारंट गिरफ्तार नहींकर सक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद हफ़्तसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
	किसी और हालतमेंझूठी गवाहीदेनी या बनानी	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैदसेहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्म की और जुर्माना ॥	ऐजन् ....
१९४	किसीशख्सको जुर्मकाबिल सजाय मौतका मुजरिमसाबित कराने की नीयत से झूठी गवाहीदेनीया बनानी	"	"	क़ाबिल जमानत नहीं है	"	हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या कैद सख्त दहसाला और जुर्माना	अदालत सिशन
	अगर इसझूठी गवाहीदेने या बनाने के सबब शख्स बेगुनाह मुजरिम साबित होकर सजाय मौत पाजाय	"	"	"	"	मौत या सजाय मजकूरसदर	ऐजन् ....
१९५	जुर्म काबिलसजाय हब्स दवामी बउबूर दरियाय शोर या कैद जायद अज हफ़्तसाला के साबित क	"	"	"	"	वहीसजा जो उसजुर्म के लिये मुकर्रर है	"

१	२	३	४	५	६	७	८
	रानेकी नीयत से झूठी गवाही देनी या वनानी						
१९६ सेक्ट ४५ सन्१८६०ई०	अदालत की किसी कारवाई में ऐसी वजह सबूत को काम में लाना जिसके झूठ या वनाई हुई होने का इल्म हो	वे वारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता ॥	वारंट	अगर उसगवाहीदेनेका जुर्म जमानतके काबिलहो तो ऐसीवजहसबूत काममें लाने वाला जमानतपररिहा कियाजायेगा वइल्लाक़िला	काबिल राजीनामानहीं है	वही सजा जो झूठी गवाही देने या वनानेकीपादाशमें मुकर्रर हुई है	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
१९७	जानबूझकर ऐसा झूठा सार्टीफ़िकट जारी करना या उसपर दस्तखत करना जो किसी ऐसे अम्र वा क़ई से मुतअल्लिक़हो जिसकी वजह सबूतमें वह सार्टीफ़िकट क़ानूनन् लेलिये जानेके लायक है	ऐजन	ऐजन ..	काबिल जमानत है	ऐजन	वही सजा जो झूठी गवाही देने की पादाशमें मुकर्रर हुईहै	ऐजन ..

१९८	ऐसे सार्टीफ़िकट को जिस का किसी अम्र अहम की बाबत झूठहोना मालूम हो सच्चे सार्टीफ़िकट की हैसियत से काम में लाना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ....
१९९	किसी इज़हार में जो कानून की रूसे वजह सबूत के तौर पर लिये जाने के लायक है झूठ बयानकरना	"	"	"	"	"	"
२००	किसी ऐसे झूठ जानेहुये इज़हार को सच्चे इज़हार की हैसियतसे काममें लाना	"	"	"	"	"	"
२०१	मुजरिम को बचाने के लिये किसी इर्तिकाब कियेहुये जुर्म की वजह सबूतको गायब करादेना या उसकी निस्बत झूठी खबरदेनीजब कि जुर्म मज़कूर काबिल सज़ाय मौतहो	"	"	"	"	क़ैद हफ़्तसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना ॥	अदालत सिशन
	जब कि मुस्तौजिब हब्स दवामी बउबूर दरियायशोर या क़ैददहसालाहो	"	"	"	"	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना	ऐजन् या मजिस्ट्रेट प्रेसीडन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

१	२	३	४	५	६	७	८
ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	जबकि मुस्तौजिब कैद कम अज़दह साला हो	बेवारंटगिरफ़्ता नहींकरसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत है ॥	काबिल राज़ीनामा नहीं है	उस क़िस्मकी कैदकी सजा जो उस जुर्मकी पादाश में मुकर्र है और उसकी मीआद उस कैदकी बड़ी से बड़ी मीआद की एक चौथाई होगी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या वह अदालत जो उस जुर्मकीतजवीज करनेकी मजाज है
२०२	ऐसे शख़्सका कसदन किसी जुर्म की खबर देनेसे बाज रहना जिसपर खबर देनी कानूनन वाजिब हो	ऐज़न ..	सम्मन	ऐजन ..	ऐजन ..	कैद शशमाहा दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२०३	किसी जुर्मदर्तिकाबशुदहकी निस्बत झूठी खबर देनी	"	वारंट	"	"	कैददोसालह दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों ॥	ऐजन
२०४	वजह सबूत के तौरपर किसी दस्तावेज के पेश किये जाने को रोकदेने के लिये उसे मखफ़ीया जाया करना	"	ऐजन ..	"	"	ऐजन	मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
२०५	किसी मुकद्दमे दीवानी या फ़ौजदारीमें किसी अम्र या	"	"	"	"	कैद सेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्म की या जुर्मा	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडंसी या

						ना या दोनों	मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
२०६	अमलदरामद के लिये या ज़ानिरजामिन या मालजा मिनहोजाने के लिये झूठ मूठकोई और यखसवनना किसीमालका फ़रेवनलेजा ना यामख़फ़ीकरना वग़ैरह ताकिनवती के तौरपर या किसी हुक्म सज़ा के मुता विक जुर्माने के एवज़में या किसी डिकरीको तामीलमें उसका कुर्क कियाजाना रुकजाय	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैददोसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी याजुर्मा ना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेटदर्जे अव्व ल या दर्जे दोम
२०७ ऐक्ट ४५ सन् १८९० ई०	बदनीयतसे किसी मालका बिला दस्तेहक़ाकदावीदार होना या उसके किसीहक़ की निस्वत मुग़ालता दिही अमलमें लाना कि जबतौकि तौरपर या किसीहुक्मसज़ा के मुताविकजुर्माने के एवज़ में या किसीडिकरीकी तामी लमें उसकाकुर्क कियाजाना रुकजाय	"	"	"	"	"	"

१	२	३	४	५	६	७	८
२०८	गैरवाजिब रुपये के लिये फरेबसे डिक्री सादिर होने देना या बादवसूलहोजाने मतालिबेके डिक्री का दूजराय होनेदेना	बेवारंटगिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैददोसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी यामजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल
२०९	किसीकोर्ट आफजस्टिस में झूठदावा करना	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	..	क़ैद दोसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन ....
२१०	गैरवाजिब रुपये के लिये फरेबसेडिगरी हासिल करना या बाद वसूल मुतालिबे के डिगरी का इजराकराना	„	„	„	„	कैद दोसाला दोनों किस्मों में से एक जिस्म की या जुर्माना या दोनों	„
२११	नुक्सान पहुंचाने की नीयत के जुर्म का झूठ इल्जाम लगाना	„	„	„	„	„	„
	X अगर वह जुर्म जिसका इल्जाम लगायाजाय ऐसा जुर्महो जो ७ सात बरसकी कैदकी सज़ाकेलायकहो	„	„	„	„	कैदहफ्तसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशनया प्रेज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल X

X — X यह हिस्सा दफ़ा २११ ऐक्ट १० सन् १८९६ ई० की दफ़ा १८—की रूसे बढ़ाया गया है—

	अगर वह जुर्म जिसका दावा कियाजाय क़ाबिल सजाय मौत या हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैद ज़ायद अज़ हफ़्तसाला हो	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	अदालत सिशन
२१२ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	पनाहदिही मुजरिम अगर जुर्म क़ाबिल सजाय मौतहो	वेवारंट गिरफ़्तार करसक्ताहै	"	"	"	क़ैद पंजसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल
	अगर क़ाबिल सजाय हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या क़ैद दहसाला हो	"	"	"	"	क़ैद सेहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्म की और जुर्माना	ऐजन् ..
	अगर क़ाबिल सजाय क़ैद यकसाला हो न क़ैद दहसाला	"	"	"	"	उस क़िस्मकी क़ैद की सज़ा जो उस जुर्मकी पादाश में मुक़र्रर है और उसकी मीआद उस क़ैद की बड़ी से बड़ी मीआदकी एकचौथाई तक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या वह अदालत जो उस जुर्मकी तजवीजकी मजाज़ है
२१३	मुजरिम को सज़ा से बचाने के लिये तुहफ़ह वग़ैरहका	वेवारंट गिरफ़्तारनहींकरसक्ता	"	"	"	क़ैद हफ़्तसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्म की और	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
	लेना अगर जुर्म काबिल सजाय मौतहो					जुर्माना	
	अगर काबिल सजाय हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या कैद दहसालाहो	वेवारंटगिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारंट ..	काबिल जमानतहै	काबिल राजीनामानहींहै	कैद सेहसाला दोनों किस्मों में से एककिस्म की और जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
	अगर काबिल सजाय कैद कम अजदहसाला हो	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	उसकिस्मकी कैदकीसजा जो उस जुर्म की पादाश में मुकर्ररहै और उसकी मीआद उस कैद की बड़ी से बड़ीमीआदकी एकचौथाई तक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सीया मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल यावह अदालत जोउस जुर्म की तजवीज की मजाजहै
२१४	मुजरिम के बचाने लिये सुलह देना या माल वापस करना अगर जुर्म काबिलसजाय मौतहो	,,	,,	,,	,,	कैद हफ्तसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	अगर काबिलसजाय हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या कैददहसाला हो	,,	,,	,,	,,	कैद सेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन् या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
	अगर काबिल सजाय कैद	,,	,,	,,	,,	उस किस्मकी कैदकी सजा	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी

	कम अज़दहसालाहो					जो उस जुर्मकी पादाशमें मुकर्ररहै और उसकी मी आदउसकैद की बड़ी से बड़ीमीआद की एक चौथाई तक होसक्ती है या जुर्माना या दोनों	या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल या षह अदालत जो जुर्मकी तजवीजकी मजाजहै
२१५	मुजरिम को बग़ैर गिरफ्तारकराये माल मनक़ूला के बाजयाफ्तमें मदद करनेकेलिये उसशख्स से मुलहलेना जो उसमालसे किसीजुर्मके सबब महरूम कियागयाहो	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	ऐजन ..	कैद दोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
२१६	ऐसे मुजरिमको पनाहदेनी जो हिरासत से भागाहो या जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म होचुकाहो अगर जुर्म काबिलसजाय मौतहो	बेवारंट गिरफ्तार करसक्ताहै	,,	,,	,,	कैद हफ़्त साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल
	अगर काबिल सजाय हबस दवाम, बउबूरदरिया यशोर या कैद दहसालाहो	,,	,,	,,	,,	कैद सेहसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्मकी मै या बिला जुर्माना	ऐजन ....
	अगर काबिलसजाय कैद	,,	,,	,,	,,	उस किस्मकी कैदकी सजा	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी

१	२	३	४	५	६	७	८
	यकसाला हो न कैद दह साला					दीजायगी जो उस जुर्मकी पादाश में मुक़र्रर है और उसकी मीआद उसकैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकीएक चौथाईतक होसक्तीहै या जुर्माना या दोनों	या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या वह अदालत जो तजवीज जुर्म की मजाज है
२१७ ऐक्ट४५सन १८६०ई०	सरकारी मुलाजिम जो किसी शख्स को सजा से या मालको जब्तीसेबचाने की नीयत से हिदायत कानून से इनहराफकरे	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	क़ाबिल राजीनामानहीं है	कैददोसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२१८	सरकारीमुलाजिम जो किसी शख्सको सजा से या मालको जब्तीसे बचानेकी नीयतसे गलत कागज सरिश्तह या नविश्ता मुरत्तिबकरे	ऐजन	वारंट	ऐजन	ऐजन	कैद सेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन
२१९	सरकारी मुलाजिम जो अदालतकी कार्रवाईमें ऐसा हुक्मदे और सुनाये या ऐसी कैफ़ियत या तजवीज़	"	"	"	"	कैदहफ़्तसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐजन

	या फैसला मुरत्तिब करे जिसेवह्नकानून के ख़िलाफ़ जानताहो						
२२०	गफ़स मजाज का किसी को तजवीज़ जुर्म या कैद के लिये सिपुर्द करना दरहाले कि वह जानता हो कि मैं यह अम्र ख़िलाफ़ कानून करताहूं	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..
२२१	कसदन तर्क गिरफ़्तारी उस सरकारी मुलाज़िम की तरफ़से जिसपर किसी मुजरिमका गिरफ़्तार करना क़ानूनन वाजिब हो अगर वह जुर्म क़ाबिल सज़ाय मौतहो	,,	,,	,,	,,	कैद हफ़्तसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एककिस्मकी मे जुर्माना या बिलाजुर्माना	,,
	अगर काबिल हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या कैददहसालाहो	,,	,,	,,	,,	कैदसेहसालादोनों किस्मोंमेंसेएकक़िस्मकी मेजुर्माना या बिला जुर्माना	सेशनयामजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
	अगर काबिल कैद कमअज़दहसालाहो	,,	,,	,,	,,	कैद दोसाला दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्मकी मे जुर्माना या बिलाजुर्माना	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
२२२	कसदन तर्क गिरफ्तारी उससरकारी मुलाजिमकी तरफसे जिसपर कानूनन् किसी ऐसे शख्सका गिरफ्तारकरना वाजिबहै जिसकी निस्बत किसीकोर्ट आफजस्टिसने हुक्मसजा सादिर कियाहो अगर सजायमौतका हुक्म सादिर होचुकाहो	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारंट	क़ाबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राजीनामानहींहै	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैद चहारदहसालह दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी मै जुर्माना या बिलाजुर्माना	अदालत सिशन
ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	अगर सजाय हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या मयक्कत ताज़ीरी दवामी या सजायहब्स बउबूरदरियायशोर या कैद या मयक्कत ताज़ीरी बहालत कैद तामीआद दहसाला या जायद अज़ दहसाल का हुक्म सादिर होचुकाहो	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्म की मैजुर्माना या बिलाजुर्माना	ऐजन् ..

	अगर बजाय कैदकमअज़्दहसालाका हुक्म सादिरहो चुकाहो यावक़्तरीफ़जाय ज़हिरासत में कियागयाहो	ऐजन ..	ऐजन ..	काबिल जमानत है	ऐजन ..	कैदसेहसाला दोनोंकिस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐजन या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
२२३	सरकारी मुलाजिम का गफ़लतन् किसीको हवालातसे भागजानेदेना	"	सम्मन	"	"	कैदमहज़ दोसाला या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२२४	किसी शख़्सका अपनी गिरफ़्तारी जायज़ में तअर्रुज़ या मुज़ाहिमत करना	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ता है	वारंट	"	"	कैद दोसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐजन
२२५	दूसरे शख़्सकी गिरफ़्तारी जायज़ में तअर्रुज़ या मुज़ाहिमत करना या उसको हिरासत जायज़ से छुड़ा लेना	"	"	"	"	ऐजन	"
	अगर शख़्स मज़कूरपर ऐसे जुर्मका इल्ज़ाम लगाया गया हो जिसकी सज़ा हब्स दवामबउबूर दरियायशोर या कैद दहसालाहो	"	"	काबिल जमानत नहीं है	"	कैदसेहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
	अगर ऐसे जुर्मका इल्ज़ाम लगाया गयाहो जिसकी	"	"	"	"	कैद हफ़्तसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
	सज़ा मौतहै					जुर्माना	
	अगर उसकी निस्वत हुक्म सजाय हब्स दवाम वउबूर दरियायशोर या हब्स वउबूर दरियायशोर या मशक्कततार्जीरी वहालत कैद या कैद दहसालह या जायद अज़दहसाला सादिर हुआहो	वेवारंट गिरफ्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	ऐजन् ..	अदालत सिशन
	अगर उसकी निस्वत हुक्म सजायमौत सादिरहो चुकाहो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन् ..	हब्स दवाम वउबूर दरियायशोर या कैददहसाला दोनों किस्मोंमें से एककिस्म की और जुर्माना	ऐजन् ....
	ऐसी सूरतों में सरकारी मुलाजिम की तरफ से तर्क गिरफ्तारी या भागजानेदेना जिनकी निस्वत किसीऔर तरहका हुक्मनहो	,,	,,	,,	,,	ऐजन्	,,
	(अलिफ) कसदन तर्कगिरफ्तारी या भागजानेदेने की सूरतमें	विदून वारंट गिरफ्तारनहीं करसक्ता है	,,	काबिल जमानत है	,,	दोनों कस्में में से किसी किस्मकी कैदकीसजा जिसकी मीआद तीनबरसतक हो	अदालत सिशन या प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल

ऐक्ट४५सन्१८६०ई० x२२५ (अलिफ)

						सख्तोहैया जुर्माना की सज़ा या दोनों सजायें	
	(बे) गफलतन तर्क गिरफ्तारी या भागजानेदेने की सूरत में	ऐजन	सम्मन	ऐजन	ऐजन	क़ैदमहज़ जिसकी मीआद दोबरसतक होसक्ती है या जुर्माना या दोनों	प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दूसरे दर्जे ऐजन
×२२५ (अ)	ऐसी सूरत में जिनकी निस्बत और तरह का हुक्मनहो नवाजन गिरफ्तार किये जाने में तअर्रुज या मजाहमत करना या भागजाना या छुड़ालेना	बिदून वारंट गिरफ़्तार कर सक्ताहै	वारंट	"	"	दोनोंकिस्मों मेंसे किसी किस्मकीक़ैदकी सजा जिसकी मीआद ६—छः महीनेतकहो सक्तीहै याजुर्माना यादोनों	
२२६	हब्सबउबूर दरियाय शोर से ख़िलाफ़ क़ानून मुआविदतकरना	"	"	काबिल जमानत नहीं है	"	हब्सदवामबउबूर दरियाय शोर और जुर्माना और दरियायशोरकेपार उतारेजाने से पहिले क़ैद शदीद से हसाला	अदालत सेशन
२२७	खिलाफ़वर्जी शर्त मुआफ़ी सजा	ऐजन ..	ऐजन....	ऐजन ..	ऐजन ..	बकीसजाजिसकाहुक्म उसकी निस्बत पहिलेसादिर हुआहो या अगरकोईजुज्व सजाभुगतचुकाहोतोबकीया	तजवीज उस मुक़द्दमे में होगी जिसमें अस्ल जुर्मकीतजवीज हुईहो
२२८	क़सदन सरकारी मुलाज़िम	बे वारंटगिरफ्	सम्मन	क़ाबिल ज़मा	"	क़ैद महज़ ६ महीना या	अदालत ...

× शामिलजात दफ़ात २२५ (अलिफ) व २२५ (बे)— ऐक्ट १०—सन् १८८६ ई० कीदफा १८—की रूसे साबिक़ इबारतकीजगह क़ायम कियेगये हैं —

१	२	३	४	५	६	०	८
	फ्के से मुलतबिससिक्कों को यहजानकर कि यह मुलत बिस हैं मुल्कके अंदर लाना या मुल्क के बाहर लेजाना					यथोर या कैद दहसाला दोनोंक़िस्मों मेंसे एकक़िस्म की और जुर्माना	
२३९	जिस मुलतबिस सिक्के को क़ब्ज़े में लेतेवक्त जाना हो कि यह मुलतबिस है उसे रखना या किसी और शख्स के हवालेकरना वग़ैरह	बेवारन्टगिरफ्तारकरसक्ताहै	वारंट	क़ाबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राजीनामा नहींहै	कैद पंजसाला दोनोंक़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
२४०	वही जुर्म बनिस्बत सिक्के मलिका मुअज़्ज़िमाके	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन्	कैद दहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन ..
२४१	ऐसे सिक्केको असलीसिक्के की हैसियत से जानबूझ कर किसी और के हवाले करना जिसको हवालाकरने वालेने पहिले कब्ज़ेमें लेतेवक्त न जानाहो कि यह मुलतबिसहै	”	”	”	”	कैद दोसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना बक़दर दहगुना क़ीमत सिक्के मुलतबिस के या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२४२	उस शख्सको मुलतबिस सिक्केको पास रखना जिस	”	”	”	”	कैद सेहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी

	ने उसे कब्ज़े में लेतेवक्त जानलिया हो कि यह सिक्का मुल्तबिस है					की और जुर्माना	या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल
२४३	उसशख्सका मलिका मुअ़ज़्ज़िमाके सिक्केसे मुल्तबिससिक्के को पास रखना जिसने उसे कब्जे में लेतेवक्त जान लिया हो कि यह सिक्का मुल्तबिस है	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैदहफ़्तसाला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन् ..
ऐक्ट४५सन्१८६०ई० २४४	जो लोगकिसी टकसाल में मामूर होकर सिक्केकोवज़न व तरकीबमुअय्यना क़ानूनसे मुख़्तलिफ़ वज़न या तरकीब का होजाने के बाअ़स हों	,,	,,	,,	,,	ऐजन् ..	अदालत सिशन
२४५	जरबसिक्काकेऔज़ारको नाजायज़ तौरपर किसी टकसाल से लेजाना	,,	,,	,,	,,	,, ..	ऐजन् ..
२४६	फरेबसेकिसीसिक्केकावज़न घटाना या उसकी तरकीब बदलनी	,,	,,	,,	,,	क़ैदसेहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन् या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल

१	२	३	४	५	६	७	८
२४७	फरेब से मलिकामुअज्जिमा के सिक्केका वज़न घटाना या उसकी तरकीब बदलनी	वेवारंट गिरफ्तार करसक्ता है	वारंट	क़ाबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमें से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेटप्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
२४८	किसी सिक्केकी सूरतफरेब नीयतसे बदलना कि वह किसी और क़िस्मके सिक्के की हैसियत से चलजाय	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद सेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन् ..
२४९	मलिकामुअज्जिमाके सिक्के की सूरतको बदनीयतसे बदलना कि वह किसी और क़िस्मके सिक्केकी हैसियत से चलजाय	"	"	"	"	कैद हफ्तसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	"
२५०	उस सिक्के का दूसरे शख्स को हवालेकरना जिसको हवालेकरनेवालाक़ब्ज़े में लेते वक्त जानचुकाहो कि यह मुबद्दिल है	"	"	"	"	कैदपंजसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	"
२५१	मलिकामुअज्जिमाके सिक्के का दूसरे शख्सकोहवाले करना जिसको हवालहकरने वालाकब्ज़े में लेतेवक्तजान	"	"	"	"	कैददहसाला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	

२५२ ऐक्ट४५ सन् १८६० ई०	बुकाहो कि यह मुबद्दिलहै उसशख्स का मुबद्दिल सिक्केको पास रखना जिसने कब्जेमें लेतेवक्त जानलिया हो कि यह मुबद्दिलहै	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद सेहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन् ..
२५३	उस शख्सका मलिका मुअज्जिमाकेसिक्केको पासरखना जिसने उसे कब्जेमेंलेतेवक्त जानलिया हो कि यह मुबद्दिल है	”	”	”	”	कैदपंजसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	”
२५४	ऐसे सिक्काकोअसलीसिक्के की हैसियतसे किसी औरके हवाले करना जिसको हवाला करनेवालेने पहिले कब्जे में लेतेवक्त मुबद्दिल न जानाहो	”	”	”	”	कैददोसाला दोनों किस्मोंमें से एककिस्मकीया उससिक्के की कीमतका दहगुनाजुर्माना	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२५५	तलबीस गवर्नमेंट इस्टाम्प	”	”	काबिल जमानत है	”	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैददहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
२५६	तलबीस गवर्नमेंट इस्टाम्प की गरजसे कोई औजारया	”	”	”	”	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की	ऐजन्

१	२	३	४	५	६	७	८
	सामान पास रखना					और जुर्माना	
२५७	तलबीस गवर्नमेंट इस्टाम्प की ग़रज़से कोई औज़ार बनाना या ख़रीदना या फ़रोख्त करना	बेवारंट गिरफ्तार कर सक्ता है	वारंट	क़ाबिल जमानतहै	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैद हफ्तसाला दोनोंक़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
२५८	मुल्तबिसगवर्नमेंटइस्टाम्प का बेचना	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न	ऐज़न
२५९	मुल्तबिसगवर्नमेंटइस्टाम्प को पास रखना	"	"	"	"	"	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
२६०	मुल्तबिस जाने हुयेगवर्नमेंट इस्टाम्पको असलीइस्टाम्प की हैसियत से काम में लाना	"	"	"	"	क़ैदहफ्तसाला दोनोंक़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	"
२६१ एक्ट४५सन् १८६० ई०	किसी माद्दे से जिसपर गवर्नमेंट इस्टाम्प हो किसी तहरीरका मिटाना या किसीदस्तावेज़से वह इस्टाम्प	"	"	"	"	क़ैदसेहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	"

	जो उसकेलिये काममें लायागयाहो दूरकरना इसनियतसे कि गवर्नमेंट को नुकसाननाजायज़पहुंचे						
२६२	मुस्तैमिलशानेहुयेगवर्नमेंट इस्टाम्पको काममें लाना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	क़ैद दोसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२६३	ऐसे निशानका छीलना जिससे ज़ाहिर होता हो कि वह इस्टाम्प काम में आचुका है	”	”	”	”	क़ैद सेहसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

बाब सेज़दहुम ॥
उनजुर्मोंके बयानमें जो बांटों और पैमानोंसे मुतअल्लिक़हैं ॥

२६४	तौलनेके झूंठेआलेको फ़रेबकी रूसे इस्तैमाल करना	बेवारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैदएकसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२६५	झूंठेबांटया पैमानेकोफ़रेबकी रूसे इस्तैमाल करना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन् ..	ऐजन् ..
२६६	झूंठेबांटों या पैमानों को	”	”	”	”	”	”

१	२	३	४	५	६	७	८
२६७	अज़राहफ़रेबइस्तेमालकरने के लिये पास रखना इस्तेमाल फ़रेबानाके लिये झूठेबांट या पैमाने बनाना या बेचना	वे वारंट गिरफ़तारनहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानतहै	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदयकसाला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म कीया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेटदर्जे अव्वल या दर्जे दोम

बाब चहारदहुम ॥

उन जुर्मोंके बयानमें जो आम्मै खलायक्की आफियत और अमन और आसायश और हया और अखलाक़पर मुअस्सिर हैं ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
२६९ ऐक्ट ४५ सन् १८६०ई०	ग़फ़लतन् वहकाम करना जिसको मुर्तकिब जानता हो कि उससे जानकोकिसी खतरह पहुंचाने वाले मर्ज की अफूनत फैलने का एहतिमाल है	वे वारंट गिरफ़तार कर सक्ता है	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद शशमाहा दोनोंकिस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२७०	ख़यानतन् वह कामकरना जिसको मुर्त्तकिब जानता हो कि उससे जानकोकिसी खतरा पहुंचाने वाले मर्ज	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न	कैददोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	ऐज़न

	की अफूनत फैलने का एहतिमालहै						
२७१	क़ायदे क़ारनटीनसे दीदह व दानिस्तह इन्हराफ करना	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	कैद थगमाह्रा दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐज़न्
२७२	आदमीके खाने या पीने की शै में जिसका बेचना मक्सूदहो इसतरह की आमेजिशकरनी कि जिससे वह मुज़िरहोजाय	,,	,,	,,	,,	कैदथथमाह्रा दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	,,
२७३	खाने या पीने की चीजको आदमीके खाने या पीने की चीजकी हैसियतसे यह जानकर बेचना कि वहमुजिरहै	,,	,,	,,	,,	ऐज़न्	ऐज़न्
२७४	दवाय मुफरिद या मुरक्कबमें जिसका बेचनामक्सूदहो इसतरहकी आमेजिशकरनी कि जिससे उसका असर कमहोजाय या उसका अमल बदलजाय या वह मुज़िर होजाय	,,	,,	,,	,,	,,	,,
२७५	डाक्टरखानेसे किसी दवाय	,,	,,	,,	,,	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
२०६ ऐक्ट४५ सन् १८६० ई०	मुफरिद या मुरक्कबका जारीकरना या उसको मुत्ररिफमें रखना जिसको वह शख्स जानता हो कि इसमें आमेजिश कीगई है किसी दवाय मुफरिद या मुरक्कबको किसीऔर दवायमुफरिद या मुरक्कबकी हैसियतसे जानबूझकर बेचना या डाक्टरखानेसे जारीकरना	बे वारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद अयमाहा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२०७	किसी आमचश्मा या हौजके पानीको गदलाकरना	बेवारंट गिरफ्तारकरसक्ता है	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैद सेहमाहा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या पांच सौरुपया जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट
२०८	हवाको मुजिर सेहतकरना	बेवारंटगिरफ्तार नहीं करसक्ता	,,	,,	,,	पांचसौरुपया जुर्माना	ऐजन्
२०९	किसी शारय आमपर ऐसी बेएहतियाती या गफलतसे गाड़ीचलानी या सवार होकर निकलना जिससे	बेवारंट गिरफ्तार करसक्ता है	,,	,,	,,	कैद अयमाहा दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्मकी या एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	,,

	आदमी की जान वगैरहको खतरहहो						
२८०	ऐसी बे एहतियाती या ग फ़लत से मुरक्कबतरीको च लाना जिससे आदमी की जान वगैरह को खतरहहो	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२८१	झूठीरोशनी या झूठे निशा न या पानीपर तैरनेवाले निशानका दिखाना	,,	वारंट	,,	,,	क़ैद हफ़्तसालादोनोंकिस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन
२८२	किसीशख़सको पानीकीराह अजूरहपर ऐसे मुरक्कबतरी में लेजाना जो ऐसी हाल तमें हो या इसकदर लदा हुआहो कि उससे उस शख़सकी जानको खतरहहो	,,	सम्मन	,,	,,	क़ैदशशमाहा दोनोंकिस्मों में से एक क़िस्मकी या एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२८३ (देखो ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०)	खुश्की या तरीकी आम राहपर खतरह या मुजा ह़िमत या नुक़सान पहुं चाना	,,	,,	,,	,,	दोसौ रुपया जुर्माना	ऐजन
२८४	किसी ज़हरीलेमाद्दे की ऐसे तौरपर निगहदाश्त तर्क करनी जिससे आदमी की	बेवारंट गिरफ़्ता र नहीं करसक्ता	,,	,,	,,	क़ैदशशमाहा दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की या एक हजार रुपया जुर्माना	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
	जान वगैरह को खतरा हो					या दोनों	
२८५	आग या किसी आतशगीर माद्दे की ऐसे तौर पर निगहदाश्त तर्क करनी जिससे आदमी की जान वगैरह को खतराहो	बेवारंट गिरफ्तारकर सक्ताहै	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	ऐजन्	हर मजिस्ट्रेट
२८६	किसी भकसे उड़जानेवाले माद्दे की वैसेतौरपर निगहदाश्त तर्ककरनी	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	"	ऐजन्
२८७	किसी कलकी तर्ज़ मजकूर पर निगहदाश्त तर्क करनी	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	"	"	"	"	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जैअव्वल या दर्जै दोम
२८८	किसी शख्स का ऐसे खतरे के दफीये से तर्क एहतियात करना जिसके पहुंचनेका एहतिमाल इन्सान की जानको किसी ऐसी इमारत के गिरने से हो जिसके मिस्मार करने या मरम्मत करने का वह शख्स मुस्तहक है	"	"	"	"	"	ऐजन्

२८९	किसी शख्सका किसी जान वरके मुतअल्लिक जो उसके कब्ज़े में हो ऐसा एहतिमाम करना तर्क करना जो ख़तरा जान इन्सान या नुक़सान दीद के दफ़ीयेकेलिये जो उसजा नवरसे पहुंचसक्ता है काफ़ीहो	वेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ता है	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	हरमजिस्ट्रेट
२९०	अमूवाअस तकलीफ़ आ मका इर्त्तिकाब	वे वारंट गिर फ़्तार नहीं करसक्ता	„	„	„	दोसौ रुपया जुर्माना	ऐजन् ....
२९१ ([illegible])	अमूवाअस तकलीफ़ आम के न करते रहनेकी हिदायत पाकर उसे करते रहना	वे वारंट गिर फ़्तारकरसक्ता है	„	„	„	क़ैदमहज़ शशमाहा या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२९२	फ़हश किताबों का बेचना वग़ैरह	ऐजन्	वारंट	„	„	क़ैदसेहमाहा दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐजन् ....
२९३	फ़हश किताबों वग़ैरह को बेचने या दिखाने के लिये पास रखना	„	„	„	„	ऐजन्	„
२९४	फ़हशगीत	„	„	„	„	„	„
२९४ ([illegible])	चिट्ठी डालनेके लिये दफ़्तर रखना	वेवारंटगिरफ़्तार नहीं कर —	सम्मन	„	„	क़ैदसेगामाहा दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों सज़ायें	हरमजिस्ट्रेट

१	२	३	४	५	६	७	८
	चिट्ठी डालने की बाबत तजवीज़ोंको मुरत्तब करना	बेवारंटगिरफ़्तारनहींकरसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	एकहज़ार रुपया जुर्माना	हरमजिस्ट्रेट

बाबपांज़दहुम् ॥

उन जुर्मोंके बयानमें जो मजहब से मुतअल्लिक़ हैं ॥

२९५	किसी फ़िरक़े अश्खासके मजहबकी तौहीन करने की नीयतसे किसी इबादतगाह या शै मुतबर्रिक को खराब करना या नुक़सान पहुंचाना या नजिस करना	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ता है	सम्मन	काबिल जमानत है	क़ाबिल राजी नामा नहीं है	क़ैददोसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
२९६	किसी मजमे को ईज़ा पहुंचाना दरहाले कि वह मजमा इबादत मजहबी में मसरूफ़ हो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैद यकसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐजन् ....
२९७	किसी इबादतगाह या क़बरिस्तान में मदाखिलत बेजा करनी या किसी का दिलदुखाने या मज़हबकी	"	"	"	"	ऐजन्	"

२९८ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	तौहीन करनेकी नीयतसे दफ़्न में खललअंदाजहोना या किसीलाश इंसानीकी तजलील करनी इस नीयत से कोईबात कहनी या मुंहसे कोईआवाज निकालनी इसतरह कि जिसको कोई शख्स सुनसके या कोई हरकत करनी या किसीशख्सके रूबरूकोईशै रखनी कि मजहबको वा बत उसका दिलदुखे	बेवारंटगिरफ्तार नहीं करसक्ता	ऐजन्	ऐजन्	क़ाबिल राज़ीनामा है	ऐजन्	ऐजन्

बाब शांज़दहुम ॥

उनजुर्मोंके बयान में जो इन्सानके जिस्म वा जान पर मुअस्सिर हैं ॥

जरायम मुअस्सिर जानके बयान में ॥

३०२	क़त्ल अमद	बेवारंट गिरफ्तारकरसक्ता है	वारंट	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	मौत या हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर और जुर्माना	अदालत सिशन
३०३	क़त्ल अमदमुर्त्तकिबे मुजरिम जिसकी निस्बत हब्सदवाम बउबूर दरियाय	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	मौत	ऐजन्

१	२	३	४	५	६	७	८
	घोर का हुक्म होचुकाहो						
३०४	कत्ल इन्सान मुस्तल्जिम सजा जो हृद कत्ल अ मदतक न पहुंचता हो अगर फ़ेल जो हलाकत का बाअस हुआ हलाकत वग़ैरह का बाअस होनेकी नीयतसे कियागयाहो	वेवारन्ट गिरफ् तारकरसक्ताहै	वारंट	काबिल जमा नत नहीं है	काबिल राजी नामा नहीं है	हब्सदवाम बउबूर दरिया या घोर या क़ैद दहसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एक कि स्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
	अगरफेलमज्कूर इस इल्म सेकियागया हो कि उससे वक़ूअ हलाकत का एहति मालहै लेकिन कुछ यहनी यत नहो कि उससे हला कतवग़ैरह वाक़ैहो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैद दहसाला दोनों किस्मों मेंसेएक किस्म की या जुर्मा ना या दोनों	ऐजन्
३०४ (अलिफ)	किसीबेएहतियाती या गफ लत के फेलसे हलाकतका बाअसहोना	”	”	काबिल जमा नत है	”	दोसालकीक़ैद दोनों किस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या जु र्माना या दोनों सजायें	अदालत सिशन या म जिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३०५	उस खुदकुशीमेंमुअय्यनहो नाजिसका इर्तिकाबकिसी लड़के या शख्स मजनून या	”	”	काबिल जमा नत नहीं है	”	मौत या हब्सदवामबउबूर दरियायघोर या क़ैददहसा ला और जुर्माना	अदालत सिशन

स० १८६० ई०							
३०६	मसलूबुलहवासयामुखतफितरीया शख्सबदमस्तनेकियाहो खुद कुशीके इर्त्तिकाब में अआनत करनी	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	कैदहफ़्तसाला दोनोंकिस्मोंमें सेएककिस्मकीऔर जुर्माना	अदालत सिशन
३०७	कत्ल अमद का इकदाम	”	”	”	”	ऐज़न	ऐज़न
	अगर ऐसे फेलसे किसी शख्सको ज़रर पहुंचे	”	”	”	”	हब्सदवामबउबूर दरिया यशोर या वहसजा जो ऊपर मजकूर है	”
	जनमकैदीकी तरफ से इक दामकत्ल अमदका अगर उससे ज़रर पहुंचे	”	”	”	”	मौत या वह सजा जोऊपर मजकूर है	”
३०८	क़त्ल इन्सान मुस्तल्जिम सजाकेइर्त्तिकाबकाइकदाम	”	”	काबिल जमानत है	”	कैदसेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	”
	अगर वैसे फेल से किसी शख्सको जरर पहुंचे	”	”	”	”	कैद हफ़्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	”
३०९	खुद कुशी के इर्त्तिकाब का इक़दाम	”	”	”	”	कैद महज यकसाला या जुर्माना या दोनों सजायें	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३११	ठगहोना	”	”	क़ाबिल जमानत नहीं है	”	हब्स दवाम बउबूर दरिया यशोर और जुर्माना	अदालत सिशन

इस्कात हमलकराने और जनीनको जररपहुंचाने और बच्चोंको बाहरडालदेने और इख़फाय तवल्लुदकेबयानमें॥

१	२	३	४	५	६	७	८
३१२ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	इस्क़ात हमल करना	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदसेहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन
	अगर उस औरतके जनीन में जान पड़गई हो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैदहफ्तसालादोनोंक़िस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन्
३१३	औरतके बिला रजामन्दी इस्कात हमल कराना	"	"	काबिल जमानत नहीं है	"	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद दहसाला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	"
३१४	हलाकत जिसका बाअस वह फेलहो जो इस्कात हमल करानेकी नीयतसे कियागयाहो	"	"	ऐजन्	"	कैददहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	"
	अगर वह फेल औरत के बिला रजामन्दी किया गया हो	"	"	"	"	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या वह सजा जो ऊपर मजकूरहै	"
३१५	वह फेल जो बच्चेको जिन्दहनपैदा होनेदेनेया पैदा	"	"	"	"	कैददहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जु,	"

	होनेके बाद उसकी हलाकत का बाइस होने की नीयतसे कियागया हो					मोना या दोनों	
३१६	किसी ऐसे फ़ेल से हलाकत जनीन जानदार का बाइस होना जो हद जुर्म कत्ल इन्सान मुस्तल्ज़िम सज़ा तक पहुंचता हो	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐज़न्
३१७	मा बाप या किसी शख़्स मुहाफ़िज़ का बारह बरस से कम उम्रके बच्चे को डाल देना इस गरज़से कि कुल्लियतन् उससे कता तअल्लुक होजाय	बेवारंट गिरफ्तार करसक्ता है	,,	क़ाबिल ज़मानत है ॥	,,	क़ैदहफ़्तसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	,,
३१८	लासको चुपके से रखदेने से इख़फ़ाय विलादत	,,	,,	,,	,,	क़ैद दोसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३२३ ऐक्ट४५ सन् १८६० ई०	बिल्इरादह् ज़रर पहुंचाना	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	,,	क़ाबिल राज़ीनामा है	क़ैदयकसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट

१	२	३	४	५	६	७	८
३२४	खतरनाकहरबों या वसीलों से बिल्इरादह जरर पहुंचाना	बेवारण्टगिरफ्तार करसक्ताहै	सम्मन	काबिल जमानत है	क़ाबिल राज़ीनामाहै जबकि इजाजत उस अदालतकीहासिलहो जिस केरूबरूनालिश दायर हो	कैदहद्दसाला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल या दर्जे दोम
३२५	बिल्इरादह जररशदीद पहुंचाना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मों मेंसे एकक़िस्मकी और जुर्माना	ऐजन्
३२६	खतरनाक हरबों यावसीलों से बिल्इरादह जररशदीद पहुंचाना	,,	,,	क़ाबिल जमानत नहीं है	ऐजन्	हब्सदवाम बउबूर दरिया यशोर या कैद दह साला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३२७	माल या कफालतुल्माल का इस्तेहसाल बिल्जब्र करने के लिये या किसी शख्स को किसी ऐसे फ़ेल के इर्तिकाब पर मजबूर करनेके लिये जो खिलाफ़ कानून है और जिससे	,,	वारंट	ऐजन्	,,	कैददहसाला दोनों किस्मों मेंसे एकक़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन

	किसी जुर्मका इर्त्तिकाब सहल होजाय बिलइरादह ज़रर पहुंचाना						
३२८	ज़रर पहुंचानेकी नीयत से बहोश करनेवाली दवा खिलानी	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैददहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन्
३२९ (ऐक्ट४१सन १८६०ई०)	माल या कफ़ालतुल् माल का दस्तहसाल बिलजब्र करनेकेलिये या किसीशख्स को किसी ऐसे फ़ेलके इर्त्तिकाबपर मजबूर करने के लिये जो खिलाफ़ कानून है और जिससे किसी जुर्म का इर्त्तिकाबसहल होजाय बिलइरादह ज़ररशदीद पहुंचाना	,,	,,	,,	,,	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैददहसाला दोनों किस्मोंमेंसे एककिस्म की और जुर्माना	,,
३३०	इक़रार या ख़बरका दस्तहसाल बिलजब्र करने या मालयग़ैरहके वापस करने पर मजबूर करनेके लिये बिलइरादह ज़रर पहुंचाना	,,	,,	काबिले जमानत है	,,	कैद हफ़्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
३३१	इक़रार या खबरका इस्तेह्साल बिल्जब्र करने या माल वग़ैरहके वापसकरने पर मजबूर करनेके लिये बिल् इरादह जरर शदीद पहुंचाना	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ताहै	वारंट	क़ाबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	कैददहसाला दोनोंक़िस्मों में से एकक़िस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
३३२	सरकारी मुलाजिम को अदाय खिदमतसे डराकर वा नरखनेके लिये बिल्इरादह जरर पहुंचाना	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ाबिल जमानत है	ऐज़न्	कैद सेहसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशनया मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३३३	सरकारी मुलाजिमको अदाय खिदमतसे डराकर बाज रखनेके लिये बिल्इरादहजरर शदीद पहुंचाना	"	"	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	"	कैददहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
३३४	सख़्त और नागहानीबाअ्स इश्तिआल तबाके वाके होनेपर बिल्इरादह जरर पहुंचाना दरहालेकिजररपहुंचानेवालेकी नीयत में सिवाय उसशख़्सके जिसनेइश्तिआल तबा दिलायाहो	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन	क़ाबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा है	कैद यकमाहा दोनों किस्मों में से एक किस्म की या पांचसौरुपया जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट

	किसी और को जरर पहुंचाना मकसूद न था						
३३५ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	सख्त और नागहानी वा असद्दिग्रतआलतआके वाके होनेपर खिलद्दादह जरर गदीद पहुंचाना दरहाले कि जरर पहुंचानेवाले की नीयतमें सिवाय उसशख्स के जिसने इश्तिआल तवा दिलाया हो किसीऔरको जरर पहुंचाना मकसूद न था	वेवारंट गिरफ्तार करसक्ता है	ऐज़न ..	ऐज़न ..	काबिल राजीनामा है जब कि इजाजत उस अदालत से हासिल की जाय जिसके रूबरू मुकद्दमा दायर हो	कैदचहारसालादोनोंकिस्मों में से एक किस्म की या दो हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३३६	किसी ऐसे फेलका इर्त्तिकाब जो जान इन्सान या औरों की आफियत जाती को खतरमें डाले	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदसेहमाहा दोनों किस्मों में से एक किस्म की या ढाई सौ रुपया जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट
३३७	ऐसे फेल से जरर पहुंचाना जो इन्सान की जान वगैर हको खतरमें डाले	,,		,,	काबिल राजीनामाहै जबकि इजाज़त उस अदालतसे हासिलकीजायजिसकेरूबरू मुकद्दमा दायर हो	कैद षषमाहा दोनोंकिस्मों मेंसे एककिस्मकी या पांच सौरुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल या दर्जे दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
३३८	ऐसे फेल से जरर शदीद पहुंचाना जो इन्सान की जान वगैरह को खतर में डाले	बे वारंट गिरफ़्तारकरसक्ताहै	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामाहै जबकि इजाजतउसअदालतसे हासिलकीजायजिसके रूबरू मुक़द्दमा दायर हो	कैदहरदोसाला दोनों किस्मों मेंसे एकक़िस्मकी या एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

मजाहमत बेजा और हब्स बेजाके बयान में ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
३४१	बेजा तौरपर किसी शख़्स से मजाहमत करनी	बे वारंट गिरफ़्तारकरसक्ताहै	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा है	कैदमहज यकमाहा यापांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
३४२	बेजा तौरपर किसी शख़्स को हब्समें रखना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैद यकसाला दोनोंकिस्मों मेंसे एक किस्म की या एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३४३ (ऐ. ४५ स. १८६०ई.)	तीन या जियादह दिनतक बेजा तौरपर हब्समें रखना	ऐजन्	ऐजन्	....	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन्
३४४	दस या जियादह दिनतक	"	"	"	"	कैद सेहसाला दोनों कि	अदालत सिशन या म

	बेजा तौरपर हब्समें रखना					स्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	जिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३४५	उस शख़्सको हब्सबेजा में रखना जिसकी निस्बत यह इल्म हो कि उसकी रिहाई का हुक्मनामा सादिर होचुकाहै	बेवारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	उसक़ैदके अलावा जो उस जुर्म के वास्ते इस मजमूये की किसीदूसरीदफाकी रू से मुक़र्रर है दोनों क़िस्मों में से किसीक़िस्मकी क़ैद दोसाला	ऐज़न्
३४६	खुफिया हब्स बेजा में रखना	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ता है	”	”	”	ऐज़न्	”
३४७	मालका इस्तहसाल बिल्जब्र करने या किसी फेल नाजायज़पर मजबूर करने की ग़रज़से हब्सबेजा में रखना	”	”	”	”	क़ैद सेहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	”
३४८	इक़रार या खबरका इस्तहसाल बिलजब्र करने या माल वग़ैरहके वापिसकरदेने पर मजबूर करनेकी ग़रज़ से हब्स बेजा में रखना	”	”	”	”	ऐज़न्	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

जब्रमुजरिमाना और हमले के बयानमें ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
३५२	सख्त दूश्तिआल तवाके अलावादूसरी हालतमें हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना का अमल में लाना	वे वारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा है	कैद सेहमाहा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या पांच सौरुपयाजुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
३५३ ऐक्ट८४५ सन् १८६० ई०	किसी सरकारी मुलाज़िम को अपनी ख़िदमत अदाकरनेसे डराकर बाज़रखनेके लिये हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना काममें लाना	बेवारंट गिरफ्तार करसक्ताहै	वारंट	ऐजन्	काबिल राजीनामा नहीं है	कैददोसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
३५४	किसी औरत की दूफ्फत में ख़ललडालने की नीयत से हमलाकरना या जब्र मुजरिमाना अमलमेंलाना	"	"	"	"	ऐज़न्	ऐज़न्
३५५	सख्तऔरनागहानी दूश्तिआल तवाके अलावह दूसरीहालतमें किसी शख़्स पर उसको वेहुर्मत करने की नीयतसे हमला करना या जब्र मुजरिमाना अमल मेंलाना	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	"	काबिल राजीनामा है	"	"

३५६	किसी ऐसे मालके सर्के के इर्त्तिकाबके इक़्दाममें हमला करना या जब्रमुजरिमाना अमल में लाना जिसको कोई शख्स पहिने या लियेहुये हो	वेवारंट गिरफ्तार करसक्ता है	वारंट	क़ाबिल जमानतनहींहै	काबिल राज़ीनामा नहीं है	ऐजन् ..	हरमजिस्ट्रेट
३५७	किसी शख्सको वेजा तौर पर हब्स करने के इक़दाममें हमला करना या जब्र मुजरिमाना काममें लाना	ऐजन्	ऐजन्	काबिल जमानत है	,,	क़ैद यकसाला दोनोंक़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	ऐजन्
३५८	सख्त और नागहानीइश्तिआल तबाकी हालत में हमला करना या जब्र मुजरिमाना अमलमें लाना	वेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	ऐजन्	काबिल राज़ीनामा है	क़ैद महज यकमाहा या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों	,,

इन्सानको ले भागने और जबरन् भगालेजाने और गुलामबनाने और बजब्र मेहनतलेनेके बयानमें ॥

३६३	इंसान को लेभागना	वेवारंट गिरफ़्तार करसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैदहफ्तसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेन्सीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३६४ ते. ४५-स.	क़त्ल अमदके लिये इंसानको लेभागना या भगा	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैदसख्त दह	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
१८६०ई.	लेजाना					साला और जुर्माना	
३६५	किसीशख्सको मख्फी और बेजा तौर पर हब्स करने की नीयत से ले भागना या भगा लेजाना	वे वारंट गिरफ्तार कर सक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैदहफ्तसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
३६६	किसी औरत को दूजदवाज पर मजबूर करने या उसको खराब वगैरह कराने केलिये लेभागनाया भगा लेजाना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैददहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन्
३६७	किसी शख्स को ज़रर शदीद पहुंचाने या गुलाम वगैरह बनानेके लिये लेभागना या भगालेजाना	”	”	”	”	ऐजन्	”
३६८	ले भागेहुये शख्स को छिपाना या हब्स में रखना	”	”	”	”	वही सज़ा जो इंसान को लेभागने या भगा लेजाने के लिये मुकर्रर है	”
३६९	किसी तिफ्लको उसकेबदनपरसे माल मनकूला लेलेनेकी नीयतसे लेभागना या भगालेजाना	”	”	”	”	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	”

३७०	किसी शख़्सको गुलाम के तौर पर ख़रीद करना या उसको अपने क़ब्ज़ेसे अलाहिदा करना	वेवारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	ऐज़न्	काबिल जमानत है	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्
३७१	आदतन् गुलामों का कारोबार करना	वेवारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है	,,	क़ाबिल जमानत नहीं है	,,	हब्सदवामबउबूर दरिया यथोर या कैद दहसाला दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना	,,
३७२	नाबालिगको फ़ेल शनीआ की गरज़से बेचना या उजरतपर भेजना	ऐज़न्	,,	ऐज़न्	,,	कैददहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३७३	नाबालिग़ को फ़ेलशनीआ की ग़रज़ से ख़रीदना या क़ब्जे में लाना	,,	,,	,,	,,	ऐज़न्	ऐज़न्
३७४	बतौर नाजायज मेहनत करने पर मजबूर करना	,,	,,	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा है	कैद यकसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट

जिनाबजब्र ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
*	जिनाबजब्र						
३०६ ए०४१स०१८६०ई०	अगरमर्द अपनी ज़ौजाके साथ जिमाअ़ करे	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	हब्स दवामबउबूर दरियायशोर या कैदहृसालादोनोंक़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकीऔरजुर्माना	अदालत सिशन
	किसी और सूरत में	बे वारंट गिरफ़्तार करसक्ताहै	वारंट	क़ाबिल जमानत नहीं है	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्

उनजुर्मोंके बयान में जो खिलाफ़ वजा फ़ितरी हैं ॥

३०७	नरायम खिलाफ़ वजा फ़ितरी	बेवारंट गिरफ़्तार करसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राजीनामा नहीं है	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या कैद दहृसाला दोनों क़िस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन

बाबहफ़्तदहुम ॥

उनजुर्मोंके बयानमें जो मालसे मुतअल्लिक हैं ॥

सर्केकाबयान ॥

३७९	सर्का	बे वारंट गिरफ़्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद सेहसालादोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
३८०	इमारत या खीमाया मुर	,,	,,	,,	,,	कैद हफ़्तसाला दोनों	ऐजन्

* यहइबारत ऐक्ट नम्बर १० सन् १८९१ ई० की दफा ३ की रूसे साबिक़ इबारतकी जगह क़ायम की गई है,

	क़ब्ज़तरी में सर्क़ा					क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	
३८१	मुतसद्दी या नौकरका उस माल को सर्क़ा करना जो आक़ा या आमरकेक़ब्ज़ेमेंहै	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जेदोम
३८२	सर्क़ा के लिये या उसके इर्तिकाब के बाद भागजाने या उस मालको जो उस सर्क़ाके जरिये से लिया गया हो रोकरखने की ग़रज़से हलाकत या ज़रर या मज़ाहमत या हलाकत या ज़रर या मज़ाहमत की तख़वीफ़ का बाअस होने की तय्यारी करके सर्क़ा करना	,,	,,	,,	,,	क़ैद सख़्त दहसाला और जुर्माना	अदालत सिशन

इस्तहसाल बिलजब्र के बयान में ॥

३८४ ऐ० न० ४ स० १८७०	इस्तहसाल बिलजब्र	बेवारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	वारंट	क़ाबिल ज़मानत है	क़ाबिल राज़ीनामा नहींहै	क़ैद सेहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

१	२	३	४	५	६	७	८
							या दूसें दोम
३८५	दुस्तहसाल बिलजब्र के दुत्तिकावके लिये किसी शखसको नुक्सानपहुंचानेका खौफ़ दिलाना या ऐसेखौफ़ दिलानेका दुकदाम करना	बेवारण्टगिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल ज़मानत है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	कैद दहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐज़न्
३८६	किसी शख्स से हलाकत या जरर शदीद की तख़वीफ़ के ज़रिये से दुस्तहसाल बिलजब्र	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	ऐज़न्	कैददहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
३८७	दुस्तहसाल बिलजब्र के दुत्तिकाव के लिये किसी शख्सको हलाकत या जरर शदीदको तख़वीफ़ या उस तख़वीफ़का दुकदाम	,,	,,	,,	,,	कैद हफ्तसाला दोनों किस्मों मेंसे एकक़िस्मकी और जुर्माना	ऐज़न्
३८८	ऐसे जुर्मकी तोहमत लगाने की धमकीसे दुस्तहसाल बिलजब्र करना जिस की सज़ा मौत या हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर या कैद दहसाला मुकर्रर हो	,,	,,	,,	,,	कैददहसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्म की और जुर्माना	,,

३८९	अगर ऐसे जुर्मकी इत्तिहामकी तख़्वीफ़ दीजाय जो खिलाफ़ वज़ा फ़ितरी हो दुस्तहसाल बिलजब्र के इर्त्तिकाब की गरज़से किसी शख़्स को ऐसे जुर्म के इत्तिहाम की तख़्वीफ़ देना जिस की सज़ा मौत या हब्स दवाम वउबूर दरिया यशोर या कैद दहसालाहो	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	हब्सदवाम वउबूर दरियायशोर	ऐज़न ....
		॥	॥	॥	॥	कैद दहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	॥
	अगर वह जुर्म खिलाफ़ वज़ा फितरी हो	॥	॥	॥	॥	हब्सदवाम वउबूर दरियायशोर	॥

सख़्ती बिलजब्र और डकैती के बयान में ॥

३९२	सख़्ती बिलजब्र	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैद सख़्त दहसाला और जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
देखो दफ़ा ४५ सन् १८६० ई०	अगर सख़्तीबिलजब्र का इर्त्तिकाब माबैन गुरूब व तुलूअ़आफ़ताब किसी शारेअ़ आम पर किया जाय	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	कैद सख़्त चहार दहसाला और जुर्माना	ऐज़न

१	२	३	४	५	६	७	८
३९३	सर्का बिलजब्र के इर्तिकाब का इक़दाम	बेवारंट गिरफ़्तार करसक्ता है	वारंट	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैद सख़्त हफ़्तसाला और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
३९४	वह शख़्स जो सर्का बिलजब्र के इर्तिकाब या इर्तिकाबके इक़दाममें बिल इरादह किसीको ज़रर पहुंचाय या कोई दूसरा शख़्स जो उस सर्के बिलजब्र में बिल इत्तिफ़ाक़ तअल्लुक़ रखे	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	हब्सदवाम बउबूर दरिया या शोर या क़ैद सख़्त दहसाला और जुर्माना	ऐज़न ....
३९५	डकैती	"	"	"	"	ऐज़न	अदालत सिशन
३९६	डकैती में क़त्ल अमद	"	"	"	"	मौत या हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैदसख़्त दहसाला और जुर्माना	ऐज़न ....
३९७	बाअस हलाकत होने या ज़रर शदीद पहुंचाने के इक़दाम के साथ सर्का बिलजब्र या डकैती	"	"	"	"	क़ैद सख़्त जिसकी मीआद सात बरससे कम न हो	"
३९८	हर्बे मोहलक से मुसल्लह होनेकी हालत में सर्काबिल	"	"	"	"	ऐज़न	"

	जब्र या डकैती के इर्त्तिकाब का इक़दाम						
३९९	डकैतीके इर्त्तिकाबके लिये तय्यारी करनी	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैद सख़्त दहसाला और जुर्माना	ऐजन्
४००	ऐसे अश्ख़ास की जमाअ़त से तअ़ल्लुक़ रखना जो आदतन् इर्त्तिकाब डकैती के वास्ते बाहम इत्तिहाद रखते हैं	"	"	"	"	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद सख़्त दहसाला और जुर्माना	"
४०१	ऐसे अश्ख़ास की आवारह जमाअ़त का शरीक होना जो आदतन इर्त्तिकाब सर्क़ेकेलिये मिलाप रखते हैं	"	"	"	"	क़ैद सख़्त हफ़्तसाला और जुर्माना	"
४०२ (ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०)	मिनजुमला उन पांच या जियादा आदमियों के होना जो डकैतीके इर्त्तिकाब के लिये मुजतमा हुये हों	"	"	"	"	"	"

माल के तसर्रुफ़ बेजा मुजरिमाना के बयान में ॥

४०३	बद्दियानती से माल मन्कूला का तसर्रुफ़ बेजा	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं करसक्ता	वारंट	क़ाबिल जमानत है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैददोसाला दोनोंक़िस्मोंमें से एकक़िस्मकी या जुर्माना	हरमजिस्ट्रेट

१	२	३	४	५	६	७	८
	करना या उसको अपने काममें लाना					या दोनों	
४०४	बद दियानती से यह जानकर किसी माल का तसर्रुफ़ बेजा करना कि वहमाल किसी मुतवफ़्फ़ा की वफ़ातके वक्त उसके कब्ज़े में था और उसके बाद किसी ऐसे शख्स के कब्ज़े में नहीं रहा जो कानूनन् उसके लेने का मुस्तहक़ हो	बे वारंट गिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा नहीं है	क़ैदसेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल या दर्जे दोम
४०५	अगर जुर्म मज़कूर शख्स मुतवफ़्फ़ाके किसी मुतसद्दी या मुलाजिमसे सरजद हो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैद हफ़्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	ऐजन्

खयानत मुजरिमानाके बयान में ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
४०६	खयानत मुजरिमाना	बेवारंट गिरफ़्तार करसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राजीनामा नहीं है	कैद सेहसाला दोनोंकिस्मों मेंसेएककिस्मकी या जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी

						या दोनों	या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४०७ देखो ऐक्ट४५सन् १८६०ई०	किसी ज़ुरिन्दे माल या घाटवाल वग़ैरह की तरफ़ से ख़यानत मुजरिमाना	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैद हफ़्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
४०८	किसी मुतसद्दी या मुलाजिमकी तरफ़ से ख़यानत मुजरिमाना	”	”	”	”	ऐज़न्	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेटप्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४०९	किसी मुलाज़िम सरकारी या महाजन या सौदागर या कारिन्दह वग़ैरह कीतरफ़से ख़यानतमुजरिमाना	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	”	”	”	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैददहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एकक़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशनया मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

माल मसरूकालेने के बयान में ॥

४११	मालमसरूक़ाको मसरूक़ा जानकर बदद़ियानती से लेना	बेवारंट गिरफ्तार कर सक्ता है	वारंट	क़ाबिल जमानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहींहै	क़ैद सेहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

१	२	३	४	५	६	७	८
४१२	बददियानती से माल मसरूकाको यह जानकरलेना कि यह डकैतीसे हासिल कियागया है	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत नहींहै	काबिल राज़ीनामा नहीं है	हब्सदवाम बउबूर दरिया य श्रोर या कैदसख्तदहसाला श्रौर जुर्माना	अदालत सिशन
४१३	आदतन् माल मसरूकाका लेन देन करना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	हब्सदवाम बउबूर दरिया यश्रोरयाकैददहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी श्रौर जुर्माना	ऐजन्
४१४	माल मसरूका के छिपाने या अलाहिदा करनेमें यह जानकर कि वह मसरूका है मदद देना	,,	,,	,,	,,	कैद सेहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

दग़ा के बयान में ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
४१७ ऐक्ट ४५ स. १८६० ई०	दगादिही	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैद यकसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४१८	उस शख्सको दगादेना जिसके हुकूक़ की मुहाफिजत	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैदसेहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी

	कानून या अज्ञरूय मुआहिदा कानूनी मुजरिम पर वाजिबहो					जुर्माना या दोनों	या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४१९	दूसरा शख्स बनकर दगा करना	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न
४२०	दगाके ज़रियेसे किसी य़ ाउसको बराह बददियानती माल हवाले करने या किसी कफालतुल् माल को तब्दील या तलफ करने की तरगीब देनी	"	"	"	"	कैदहफ्तसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

फरेब आमेज़ वसीकों और मालको अज़राह फरेब कब्जेसे अलाहिदा करने के बयान में ॥

४२१	माल वग़ैरह को करज़ ख़ाहों में तक्सीमहोनेसे रोकनेकेलिये अज़राह फरेब मुन्तकिल या मख़फी वग़ैरह करना	बे वारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल ज़मानत है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	कैददोसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४२२	ऐसे देन या मतालिबे का	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न

१	२	३	४	५	६	७	८
४२३	अजराहफरेब करजख़्वाहोंको मयस्सर आनेसे रोकना जो मुजरिमका याफ़्तनी हो फरेबसे ऐसे वसीक़े इन्त कालका मुकम्मिल करना जिसमें मुआविजेका झूठ बयान मुन्दर्जहो	बेवारंट गिरफ् तार नहीं कर सक्ता	वारंट	क़ाबिल जमा नत है	काबिल राजी नामा नहीं है	क़ैद दो साला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४२४	फरेबसे अपनी या शख़्सगैर की जायदाद को मुन्त किल या मख़फ़ी करना या उसमें मददेनी या बराह बददियानती किसी मता लिबे या दावेसे जो मुज रिमका याफ़्तनीहो दस्त कशहोना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्

नुक्सान रसानीके बयान में ॥

४२६ सा-४५ स. १८९०ई.	नुक्सानरसानी	बेवारंट गिरफ़् तारनहींकरसक्ता	सम्मन	क़ाबिल जमा नत है	काबिल राजी नामा है जब	कैद सेहमाहा दोनोंकिस्मों मेंसे एककिस्म की या जुर्मा	हर मजिस्ट्रेट

					किनुक्सान या नुक्सां जो पहुंचायागया हो सिर्फ किसी ख़ास शख्स का नुक्सान या हुआ हो	ना या दोनों	
४२७	नुक्सानरसानी के जरिये से पचासरुपये तक या उससे जियादह नुक्सान पहुंचाना	ऐजन	वारंट	ऐजन	ऐजन	कैदहोसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४२८	(१०) रु० या जियादहकी मालियत के किसी हैवान के मारडालने या ज़हर देने या उसको [illegible] या उसके किसी अज़ो को बेकार करनेसे नुक्सान रसानी	बेवारंट गिरफ्तार करसक्ताहै	ऐजन	,,	काबिल राजी नामा नहीं है	ऐजन	ऐजन
४२९	किसी हाथी या ऊंट या घोड़े या ख़च्चर या भैंसे या [illegible] मालियत हो या किसी	ऐजन	,,	,,	ऐजन	कैदहरदोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अ[व्वल]

१	२	३	४	५	६	७	८
	और हैवान को जिस की मालियत ५०) रु० या उससे जियादह हो मार डालने या जहर देने या उसको या उसके किसी अजोको बेकार करने से नुक़्सान रसानी						व्वल या दूजे दोम
४३०	उसपानीका जख़ीरह कम करदेनेसे नुक़्सान रसानी जो जराअत वग़ैरह के कामों के लिये हो	बेवारंट गिरफ़्तारकरसक्ताहै	वारंट	काबिल जमानत है	क़ाबिल राजीनामा नहीं है	क़ैद पंजसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐजन्
४३१ ऐक्ट४५ सन् १८६०ई०	किसीशारेआम या पुल या दरिया या नदी लायक रवानगी किश्ती को नुक़्सान पहुंचाने औरउसकोऐसा करदेनेसे नुक़्सान रसानी कि वह सफ़र करने या माल लेजाने के लिये गुजरके क़ाबिल न रहे या कम मामूनहोजाय	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	"
४३२	सैलाब का बाअसहोने या	"	"	"	"	"	"

	किसी बदररौ आमकापानी रोक देने से जिससे खिसारह पहुंचता हो नुक़सान रसानी					
४३३	किसी लाइटहौस या निशानसमुंदरीको तवाह करने या उसकामोंका बदलने याउसको किसीक़दर बेकारकरदेने याझूठीरोशनी दिखानेके ज़रिये से नुक़सान रसानी	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन	क़ैदहफ्तसालादोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन
४३४	ज़मीन के निशान को जो सरकारी हुक्म से क़ायम हुआ हो बरबाद करने या उसका मौक़ा वग़ैरह बदलने के ज़रिये से नुक़सान रसानी	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	ऐजन	ऐजन	ऐजन	क़ैदयकसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल या दर्जे दोम
४३५	बज़रिये आग या भक से उड़जानेवाली शै के १००) रु० या उससे ज़ियादह का नुक़सान करने की नीयत से नुक़सान रसानी	बेवारंट गिरफ्तारकरसक्ता है	ऐजन	ऐजन	ऐजन	क़ैदहफ्तसाला दोनोंक़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
	करना या दरसूरत पैदावार ज़राअतके १०)रु० या उस से ज़ियादह का नुक़सान करना						
४३६	वज़रिये आग या भक से उड़जाने वाली शैके मकान वग़ैरह तबाह करने की नीयत से नुक़सान रसानी	बेवारंट गिरफ्तारकरसक्ता है	वारंट	काबिल ज़मानत नहीं है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एकक़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
४३७ ऐक्ट४५सन्१८६०ई०	नुक़सान रसानी इस नीयत सेकि कोई पटा हुआ मुरक्कबतरी या ऐसा मुरक्कबतरी जो ५६० मनबोझ उठाता हो तबाह या कममामून होजाय	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	क़ैददहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐज़न ....
४३८	नुक़सान मुतज़क्किरै दफ़ा मुलहक़ैवाला जबकि उसका दर्त्तिकाब आ.गया किसी भक से उड़जानेवाले माद्दह के ज़रिये से किया जाय	″	″	″	″	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एकक़िस्म की और जुर्माना	″
४३९	सर्क़ा वग़ैरह के दर्त्तिकाब	″	″	″	″	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों	″

४४०	की नियतसे मुरक्कबतरीको कनारेपर टकराना हलाक करने या ज़रर वगैरह पहुंचाने की तय्यारी के बाद नुक्सान रसानी	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	मैं से एक किस्म की और जुर्माना क़ैदपंजसाला दोनों किस्मों मैं से एक किस्मकी और जुर्माना	ऐज़न	..

मदाखिलतबेजाय मुजरिमाना के बयानमें ॥

४४७	मदाखिलत बेजाय मुजरिमाना	बे वारंट गिरफ्तार करसक्ता है	सम्मन	काबिल ज़मानत है	काबिल राज़ीनामा है	क़ैदसेहमाहा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या पांच सौ रुपया जुर्माना या दोनों	हरमजिस्ट्रेट
४४८	मदाखिलत बेजाय बखाना	ऐज़न	वारंट	ऐज़न	ऐज़न	क़ैद यकसाला दोनों किस्मों मेंसे एककिस्म की या एक हज़ार रुपया जुर्माना या दोनों	ऐज़न
४४९	उस जुर्म के इर्त्तिकाब के लिये जिसकी सज़ा मौत है मदाखिलत बेजा बखाना	ऐज़न	ऐज़न	काबिल ज़मानत नहीं है	काबिल राज़ीनामा नहीं है	हब्सदवामबउबूर दरियाय शोर या क़ैद सख्त दहसाला और जुर्माना	अदालत सिशन
४५०	उसजुर्मकेइर्त्तिकाबके लिये जिसकी सज़ा हब्स दवाम बउबूर दरियाय शोर है मदाखिलत बेजा बखाना	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	ऐज़न	क़ैददहसाला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्म की और जुर्माना	ऐज़न

१	२	३	४	५	६	७	८
४५१ ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	उस जुर्म के दुर्त्तिकाब के लिये जिसकी सजा कैद है मदाखिलत वेजा वखाना	वे वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है॥	वारंट	काबिल जमानत है॥	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है॥	क़ैद दोसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	हरमजिस्ट्रेट
	अगर वह जुर्म सर्का हो	ऐजन्	ऐजन्	काबिलजमानत नहीं है	ऐजन्	क़ैद हफ्तसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४५२	ज़रर पहुंचाने या हमला करनेकी तय्यारीके मदाख़िलत वेजावखाना	,,	,,	,,	,,	ऐजन्	ऐजन्
४५३	मख़फ़ी मदाखिलत वेजा वखाना या नक़बज़नी	,,	,,	,,	,,	क़ैद दोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४५४	उस जुर्मके दुर्त्तिकावके लिये जिसकी सज़ा कैद हो मखफी मदाख़िलत वेजा वखाना या नक़बज़नी	,,	,,	,,	,,	क़ैद दसेहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
	अगर वह जुर्म सर्का हो	,,	,,	,,	,,	क़ैद दहसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	ऐजन्

४५५	ज़रररसानी या हमला व गैरह की तय्यारी करके मख़फ़ी मदाख़िलत बेजा व ख़ाना या नक़बज़नी	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन	ऐजन ..	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
४५६	मख़फ़ी मदाख़िलत बेजा बख़ाना या नक़बज़नी वक़्तशब	"	"	"	"	क़ैदसेहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४५७ ऐक्ट४५ सन् १८६० ई०	उसजुर्मके इर्तिकाबके लिये जिसकी सजा क़ैदहै मख़फ़ी मदाख़िलत बेजाबख़ाना या नक़बज़नी वक़्तशब	"	"	"	"	क़ैदपंजसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एकक़िस्म की और जुर्माना	ऐजन
	अगर वहजुर्म सर्क़ाहो	"	"	"	"	क़ैद चहार दहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐजन
४५८	ज़रररसानी वग़ैरह की तैयारीकरके मख़फ़ीमदाख़िलत बेजा बख़ाना या नक़बज़नी वक़्त शब	"	"	"	"	ऐजन	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
४५९	मख़फ़ी मदाख़िलत बेजा बख़ाना या नक़बज़नी के इर्तिकाब की हालत में	"	"	"	"	हब्सदवाम मअबूर दरिया वग़ैरे या क़ैद दह साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक	अदालत सिशन

१	२	३	४	५	६	७	८
४६०	नरर शदीद पहुंचाना जो लोग कि नक्ब जनी वक्त शब वगैरह में शरीक हों उनमें से किसी एकके हाथसे हलाकत या नरर शदीदका सरजद होना	बेवारंट गिरफ्तारकरते हैं	वारंट	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	किस्म की और जुर्माना ऐजन	अदालत सिशन
४६१	किसी बन्दकिये हुये जर्फ को जिसमें माल हो या मालहोनेका गुमान होव राह बददियानती तोड़कर खोलना या उसका बन्द खोलना	ऐजन	ऐजन	काबिल जमानत है	ऐजन	कैद दोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४६२	किसी बन्दकिये हुये जर्फ को जिसमें माल हो या मालहोने का गुमान हो और वह उसके पास अमानतन् रक्खा गया हो फरेबसेखोलडालना	,,	,,	काबिल जमानत नहीं है	,,	कैदसेहसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेसीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

बाब हेजदहुम ॥

उनजुर्मोंके बयान में जो दस्तावेजों से और हर्फों या मिल्कियत के निशानोंसे मुतअल्लिक हैं ॥

४६५ ता. ४५ स. १८७० ई०	जालसाजी	बेवारन्ट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	क़ाबिल राजीनामा नहींहै	कैद दोसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन
४६६	कोर्ट आफजस्टिसके किसी क़ागज सरिश्ते या विलादत के रजिस्टर वगैरह मुरत्तिबा मुलाजिम सरकारी को जाली बनाना	ऐजन्	ऐजन्	क़ाबिल जमानत नहीं है	ऐजन्	क़ैद हफ्तसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना	ऐजन्
४६७	किसी किफालतुल माल या वसीअतनामा या ऐसे दस्तावेजको जो किफालत नामा सरकारी बनाने या मुन्तकिल करने या रुपया वगैरह हासिल करने का इजाजत नामा हो जाली बनाना जब कि क़िफालतुल्माल गवर्नमेंट हिंदका प्रामेसरी नोट हो	"	"	ऐजन्	"	हब्सदवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैद दहसाला दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	"
		बेवारंट गिरफ्तार कर सक्ताहै	"	"	"	ऐजन्	"
४६८	दगादिहीकी गरजसे जाल	बे वारंट गिर	"	"	"	क़ैद हफ्तसाला दोनों कि	"

१	२	३	४	५	६	७	८
	साजी	फ़्तार नहीं करसक्ता				स्मों मेंसे एकक़िस्मकी और जुर्माना	
४६९	किसी शख़्सकी नेकनामीमें ख़लल डालने की ग़रज़से जालीदस्तावेज बनाना या यह जानकर जाली दस्तावेज बनाना कि वह दस्तावेज़ उसकी नेकनामीमें ख़ललडालनेकेलिये मुस्तैमिल होगी	बे वारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता	वारंट	क़ाबिल जमानत है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैदबेहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना	अदालत सिषन
४७१	जाली दस्तावेज़ को जाली जानकर सही दस्तावेज की हैसियतसे काममेंलाना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	वही सजा जो जालसाजी के लिये मुकर्रर है	ऐजन्
ऐक्ट४५ सन् १८६० ई०	जब कि जाली दस्तावेज गवर्नमेंट हिंद का प्राॅमेसरी नोटहो	बेवारंटगिरफ़्तारकरसक्ताहै	"	क़ाबिल जमानत नहीं है	"	ऐजन्	"
४७२	जालसाजी मुस्तौजिब सजाय मुकर्ररा दफ़ा ४६७ मजमूये ताजीरात हिंद की क़िस्मिमुहर या धातुकी कंदह की हुई तख़्ती वग़ैरहका बनाना या उस	बेवारंटगिरफ़्तार नहीं कर सक्ता	"	ऐजन्	"	हब्सदवाम बउबूर दरिया यशोर या कैद हफ़्तसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	"

	की तलबीसकरनी या ऐसी मुहर या कन्दहकी हुई तख्ती वग़ैरहको मुल्तबिस जानकर उसी नियत से अपने पास रखना						
४०३	उस जालके इर्तिकाब की नियतसे जिसकी सजामजमूये ताजीरात हिन्द की दफ़ा ४६० के अलावह किसी और दफ़ामें मुक़र्रर है किसी मोहर या धातु की कन्दा की हुई तख्ती वग़ैरहका बनाना या उसकी तलबीस करनी या ऐसी मोहर या तख्ती वग़ैरहको यह जानकर कि वह मुल्तबिस है उसी नियत से अपने पास रखना	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैद हफ्तसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी और जुर्माना	अदालत सिशन
४०४	किसी दस्तावेज का जाली होनाजानकर उसको सच्ची दस्तावेज की हैसियत से काममें लाने की नीयत	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्

१	२	३	४	५	६	७	८
	स अपने पास रखना बशर्ते कि दस्तावेज उस किस्ममें से हो जो मजमूये ताजीरातहिन्दकीदफा४६७-में मजकूर है अगर वह दस्तावेज उस किस्ममें से हो जो मजमूये ताजीरात हिंद की दफा ४६७—में मजकूर है—	बेवारंट गिरफ तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिलजमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	हब्स दवाम वउबूर दरियायशोर या क़ैद हफ्तसाला दोनों किस्मोंमें से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
४७५	किसीअलामत या निशानकी तल्बीस करनी जो दस्तावेज़ातमुफस्सिले दफा ४६७- मजमूये ताजीरातहिन्द की तसदीक़ के लिये मुस्तैमिल होताहो या ऐसे माद्देको पास रखना जिसपर अलामत या निशान मुल्तबिस सब्तहो	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्
ऐक्ट ४१ सन् १८७० ई०							
४७६	किसी अलामत या निशान की तल्बीस करनी जो सिवाय दस्तावेजात मुफस्सिले दफा ४६७- मजमूये	,,	,,	,,	,,	क़ैद हफ्तसालादोनोंक़िस्मों में से एक किस्म की और जुर्माना	,,

	तानीरात हिन्दके और २ दस्तावेज़ात की तसदीक के लिये मुस्तैमिल होता हो या ऐसे माद्दे को पास रखना जिस पर अलामत या निशान मुन्तबिस सब्तहो						
४७७	फ़रेब से वसीयतनामा वगैरह को तलफ करना या बिगाड़ना या तलफ करने या बिगाड़ने का इक़दाम करना या मख़फ़ी करना	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	हब्स दवाम बउबूर दरियायशोर या क़ैदहफ्तसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना	ऐज़न ..

हर्फों और मिल्कियतके निशानात ॥

४८२	किसी शख्स को धोकादेने या नुकसान पहुंचानेकीनीयत से हर्फों या मिल्कियतके झूठेनिशानको काममेंलाना	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल ज़मानत है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैद यकसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेअव्वल या दर्जे दोम
४८३	किसी शख्सको नुकसान या खिसारह पहुंचाने की नीयत से हर्फों या मिल्कियत के ऐसे निशानकी तक़्लीस करनी जिसको कोई और	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	क़ैद दोसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐज़न ....

१	२	३	४	५	६	७	८
४८४ ऐक्ट ४५ सन १८६०ई०	यहस काम में लाता हो मिल्कियत के ऐसे निशान की तलवीस करनी जिस को कोई सरकारी मुलाजिम काममें लाताहो या ऐसे निशानकी तलवीस करनी जिसको मुलाजिम मनकूर मालकी जायसाएतऔरदर्जा वग़ैरहके जाहिर करनेकेलिये काममें लाताहो	बेवार टगिरफ्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन	क़ाबिल जमानतहै	काबिल राजीनामा नहीं है	कैद सेहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
४८५	मिल्कियत या हर्फे के किसी सर्कारीयाग़ैरसर्कारी निशान की तल्बीसकेलिये ठप्पा या धातुकी कंदहर्की हुई तख्ती या आला फरेबसे बनाना या पास रखना	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन् ..	कैद सेहसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	ऐजन् ..
४८६	दीदह व दानिस्ता ऐसे असबाबका फरोख्तकरना जिस पर मिल्कियत या हर्फेका मुल्तबिस निशान सब्त हो	"	"	"	"	कैदयक साला दोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४८७	किसीगठरीयाजर्फपर जिसमें	ऐजन् ..	ऐजन् ..	ऐजन्	ऐजन्	कैद सेहसाला दोनों कि	अदालत सिशन या

	मालहो अजराह फरेबदूसनी यत सेभू ढा नियानबनाना कि उसमें उसमालका होना बावर कियाजायजो उसमें न होवगैरह					स्रोंमेंसे एक क़िस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४८८	क़िस्ममज़कूरकेझूठेनिशान का काममें लाना	,,	,,	,,	,,	ऐज़न ..	ऐज़न ..
४८९	लिहाज़ह पहुंचानेकी नीयतसे किसी निशान मिल्कियतका दूर करना या उसे मादूम करना या बिगाड़ना	,,	,,	,,	,,	क़ैदएकसाला दोनों क़िस्मोंमेंसे एक क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

बाब नौज़दहुम ॥

खिदमतके मुआहिदोंके नुक्ज़ मुजरिमानाके बयानमें ॥

४९०	जिस शख़्सपर मुआहिदेकी रूसे किसी सफरतरीयाखुश्कीमें बजात खिदमतकरना या किसी माल या शख़्सका पहुंचाना या हिफाज़त करना वाजिबहो वह बिलइरादा ऐसाकरना तर्क करे	बेवारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	सम्मन	काबिल जमानत है	क़ाबिल राज़ीनामा है	क़ैदयकमाहा दोनों क़िस्मोंमें से एक क़िस्मकी या एकसौ रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

ऐक्ट ४५ सन १८६० [illegible]

१	२	३	४	५	६	७	८
४९१	जिस शख्स पर किसी ऐसे शख्सकी बजात खिदमत गुज़ारी करना या उस की ज़रूरियात का बहम पहुंचाना वाजिबहो जो सग़ीरसिनी या फितूर अक्ल या मर्ज के बाअस लाचार हो वह बिल इरादह ऐसा करना तर्ककरे	वेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	सम्मन	काबिल जमानतहै	काबिल राज़ीनामा है	कैद सेहमाहा दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की या दोसौ रुपया जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
४९२	जिसशख्सपर किसी मुआहिदा की रूसे किसी ऐसे मुक़ाम दूर व दराज़ पर जहां खिदमत करने वाला खिदमत लेनेवालेके खर्चसे पहुंचाया गया हो किसी खासमुद्दततक अपनी जात से खिदमत करना वाजिब हो उसका मुक़ाम मज़कूर से क़सदन नौकरी छोड़ करभागजाना या कामकीअंजामदिहीसे इन्कार करना	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	क़ैदयकमाहा दोनों किस्मों में से एक क़िस्म की या खर्च से दो गुना जुर्माना या दोनों	ऐजन्

बाब बिस्तुम् ॥

उनजुर्मोंके बयानमें जो अज़दवाज़से तअल्लुक़ रखते हैं ॥

४९३	कोई मर्द धोके से किसी औरतको जिसका अज़दवाज जायज़ उसके साथ न हुआहो यह बावर कराये कि उसका अज़दवाज जायज़ उसकेसाथ हुआ है और उसयक़ीनकी हालतमें उससे अपने साथ हम ख़ानगी कराये	बे वारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता है	वारंट	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है	क़ैद दहसाला दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	अदालत सिशन
४९४ (ता-४५ सन् १८६०ई०)	शौहर या जौजाके हीन हयात मुकर्रर अज़दवाज करना	ऐज़न	ऐज़न	क़ाबिल ज़मानत है	ऐज़न	क़ैदहफ़्तसालादोनों क़िस्मों मेंसे एक क़िस्म की और जुर्माना	ऐज़न
४९५	वही जुर्मसाथ छिपाने अज़दवाज साबिक़ के उस शख़्ससे जिसके साथ पिछला अज़दवाज़ हुआहो	"	"	क़ाबिल ज़मानत नहीं है	"	क़ैद दहसाला दोनोंक़िस्मों में से एक क़िस्म की और जुर्माना	"
४९६	फरेबकी नीयतसे रस्मियात	"	"	ऐज़न	"	क़ैदहफ़्तसाला दोनोंक़िस्मों	"

१	२	३	४	५	६	७	८
	त अजदवाज का अदा करना यह जानकर कि दूनमरासिमके अदा करने से उसका अजदवाज जायज़ नहीं होता					में से एक क़िस्म की और जुर्माना	
४९७	जिना	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा है	कैदपंजसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
४९८	नीयत मुजरिमानाके साथ किसी औरत मनकूहा को फुसला लेजाना या ले उड़ना या रोकरखना	ऐज़न ..	ऐज़न	ऐज़न ..	ऐज़न ..	कैददोसाला दोनों क़िस्मों मेंसे एकक़िस्मकी या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसीया मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम

बाब बिस्त व यकुम् ॥

इज़ालै हैसियत उर्फीके बयान में ॥

५००	इज़ालै हैसियत उर्फी	बे वारंट गिरफ्तार नहीं करसक्ता	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राज़ीनामा है	कैदमहज़ दो साला या जुर्माना या दोनों	अदालतसिशन या मजिस्ट्रेटप्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

५०१	किसी मजमूनको यह जान कर कि वह मुजय्यल हैसियत उर्फी है छापना या कंदह करना	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..	ऐज़न ..
५०२	किसी छपे हुये या कंदा किये हुये माद्दे को जिसमें कोई मजमून मुजय्यल हैसियत उर्फी हो यह जान कर कि उसमें ऐसा मजमून है फरोख्त करना	,,	,,	,,	,,	,,	,,

बाब बिस्त व दोम ॥

तख्वीफ़ मुजरिमाना व तौहीन मुजरिमाना व रंजदिही ॥

५०४	नुक़ज अमन कराने की नियत से तौहीन करनी	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता है	वारंट	काबिल जमानत है	काबिल राजीनामा है	कैद दोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट
५०५	बगावत या जरायम मुखालिफ अमन खलायक़ कराने की नियत से झूठा बयान या झूठी अफवाह वगैरह फैलाना	ऐज़न ..	ऐज़न ..	काबिल जमानत नहीं है	काबिल राजीनामा नहीं है	ऐज़न	मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
५०६	तख्वीफ़ मुजरिमाना	,,	,,	काबिल जमा[illegible]	काबिल राजी[illegible]	ऐज़न	ऐज़न

१	२	३	४	५	६	७	८
				नत है	नामा है		
	अगर धमकी हलाक करने याजररशदीद वगैरह पहुंचानेके लिये हो	बेवारंट गिरफ्तार नहीं कर सक्ता है	वारंट	ऐजन्	काबिल राजी नामा नहींहै	कैद हफ़्तसालादोनोंकिस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	अदालत सिशन या मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल
५०७	किसी बेनाम मकातिबे के जरिये से या जिधर से धमकी आई है उसके छिपाने का पहिलेसे बंदोबस्त करके तखवीफमुजरिमाना करनी	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	ऐजन्	कैद दोसाला दोनों किस्मों में से एक किस्म की उस सजाके अलावा जो दफ़ावाला के मुताबिक दीजायगी	ऐजन्
५०८	किसी शख्स को यह बावर कराके कि अगर वह कोई फेलखास न करेगातो मर्वारिदगजब इलाही होगा उस से फ़ेल मजकूर कराना	"	"	"	"	कैद यकसाला दोनोंकिस्मों में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेन्सी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल या दर्जे दोम
५०९	किसी औरत की शर्मसारी की तौहीन की नियत से कोई बात कहनी या कोई हरकत करनी	"	"	"	"	कैद महज यकसाला या जुर्माना या दोनों	मजिस्ट्रेट प्रेजीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल

५१०	आमिललायककी आमद व रफ़्तकी जगह वगैरहमें बहालत नशा आनिकलना और किसी शख़्सकी आज़ुर्दगी का बाइस होना	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	ऐज़न्	क़ैद महज़ २४ घंटा या १०) रु० जुर्माना या दोनों	हर मजिस्ट्रेट

बाब बिस्त व सोम ॥
जुर्मोंके इर्त्तिकाबकरने के इक़दामके बयान में ॥

५११ मुताबिक ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०	उनजुर्मोंके इर्त्तिकाब का इक़दाम करना जिनकी सज़ा हब्सबउबूर दरिया यशोर या क़ैदहै और उस इक़दाममें ऐसाफेल करना जो जरायम मज़कूर में से किसी जुर्मके इर्त्तिकाबकी तरफ़मुन्तजिरहो	अगर अह्लकार पुलिस असल जुर्मकी बाबत बिलावारंट गिरफ्तारकर सक्ताहै तोइक़दामकी बाबत भीबिलावारंट गिरफ़्तारकरसकेगावरनानहीं	अगर असलजुर्मकी बाबत मामूलन् सम्मनजारी होना चाहिये तो इक़दामकी बाब तभी मामूलन् सम्मनजारीहोगा वरना वारंट	अगर असल जुर्म जो इक़दाम कुनिन्दह की नियत में हो ज़मानतके क़ाबिलहोतो इक़दामभी ज़मानतके क़ाबिल होगा वरना नहीं	क़ाबिल राज़ीनामा है जब कि जुर्म जिसका इक़दाम किया जायक़ाबिलराज़ीनामा हो	हब्स बउबूर दरयायशोर या उसक़िस्मकी क़ैद की सज़ा दीजायगी जो उसजुर्मकीपादाशमेंमुक़र्रर है और उस सज़ाकीमीआदउसक़ैद या हब्सकी मुद्दत अतूलके निस्फ़से ज़ियादह न हो या जुर्माना या दोनों	जिस अदालत से उस जुर्मकी तजवीज़ होसकती है जिसका इक़दाम किया गयाहै

जरायम खिलाफ वर्ज़ी कवानीनदीगर ॥

१	२	३	४	५	६	७	८
ऐक्ट ११ सन् १८७८ ई०	अगर सज़ाय मौत या हब्स व उबूर दरियायशोर या क़ैद हफ़्तसाला या उससे ज़ियादह के लायक़ हो	बे वारंट गिरफ़्तार कर सक्ता है ॥	वारंट	काबिल जमानत नहीं है ॥	क़ाबिल राज़ीनामा नहीं है ॥		अहकाम दफ़ा २९ मजमूये हाज़ा के मुताबिक
	अगर तीनसालऔर उससे ज़ियादह मगर सातबरससे कम क़ैद की सज़ा के लायक़ हो	ऐज़न	ऐज़न	क़ाबिल जमानत नहीं है बजुज़मुक़द्दमात मुतअ़ल्लिक़े ऐक्ट इसला हिन्द मुसद्दिरहसन् १८७८ ई०कीदफ़ा १९ के कि उससूरत में काबिल जमानतहै	ऐज़न		
	अगर तीन बरससे कमक़ैद की सज़ा के लायक़ हो	बिलावारंट गिरफ़्तार नहीं करसक्ता ॥	सम्मन	काबिल जमानत है	ऐज़न		
	अगर सिर्फ़ जुर्माने की सज़ा के लायक़ हो	ऐज़न	सम्मन ऐज़न	ऐज़न			

जमीमा सोम ॥

अख्तियारात मामूली साहिबान मजिस्ट्रेट मुफस्सिल ॥

१—अख्तियारात मामूली साहब मजिस्ट्रेट दर्जे सोम ॥

× (अलिफ) ऐसेशख्सके गिरफ्तार करने या गिरफ्तारी का हुक्मसादिर करने और हिरासतमें भेजनेका अख्तियार जो उसके रूबरू किसी जुर्मका मुर्तकिबहो-दफा ६४ × .

(१) अख्तियार गिरफ्तारी या इसदार हुक्म गिरफ्तारी मुजरिम बमुआजहा मजिस्ट्रेट--दफा ६५ ॥

(२) अख्तियार इरकाम इबारत जोहरी का ऊपर वारंट के या इसहुक्म का कि शख्स मुल्जिम जो वारंट के बमूजिब गिरफ्तारहुआहो मुन्तकिलकियाजाय-दफआत ८३व८४ व ८६॥

(३) अख्तियार इजराय इश्तिहारउनमुकद्दमातमें जो मजिस्ट्रेट के रूबरू अदालतानादायरहों- दफा ८७ ॥

(४) अख्तियार कुर्की और नीलाम मालका उनमुकद्दमातमें जो मजिस्ट्रेटके रूबरू अदालताना दायरहों—दफा ८८ ॥

(५)अख्तियार वापिस करने जायदाद मकरूकैका-दफा८९॥

(६) अख्तियार इजराय वारंट तलाशी—दफा ९६ ॥

(७) अख्तियार इरकाम इबारत जोहरी का ऊपर वारंट तलाशीके और सिदूरहुक्महवालगी शैदस्तियाबशुदहका—दफा ९९ ॥

(८) अख्तियार कलमबंदी इकबाल जुर्म याबयानातका अस्नाय तफ्तीश पुलिसमें—दफा १६४ ॥

(९) अख्तियार इसदार हुक्म नजरबंदी किसी शख्सका अस्नाय तफ्तीश पुलिसमें—दफा १६७ ॥

(१०) अख्तियार नजरबंदी किसी शख्स मुल्जिम का जो अदालत में पायाजाय—दफा ३५१ ॥

(११) अख्तियार फरोख्त अशियाय किस्म मुस्तगह का जो जल्द खराब होजाने के लायकहों—दफा ५२५ ॥

२—अख्तियारात मामूली साहब मजिस्ट्रेट दर्जे दोम ॥

(१) अख्तियार मामूली मजिस्ट्रेट दर्जे सोम ॥

×-× यह इबारत ऐक्टनम्बर १२ मुसद्दिरे सन् १८९१ ई० के जरिये बेबढ़ाई गई,

(२) अख्तियारइसदारहुक्म बनामपुलिसवास्ते तफ्तीश जुर्म के उन मुकद्दमातमें जिनमें मजिस्ट्रेट तजवीज करनेया तज· वीज के लिये सिपुर्द करनेका अख्तियार रखताहो-दफ़ा १५५॥

३-अख्तियारात मामूली साहब मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल॥

(१) अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट दर्जै दोम॥

(२)अख्तियार इजराय वारंट तलाशी और और वक्तपर सिवाय दौरान तहकीकातके-दफ़ा ९८॥

(३) अख्तियार सादिर करने वारंट तलाशीका निस्बत उन अशखासके जो बतौर नाजायज कैद कियेगयेहों-दफ़ा १००॥

(४)अख्तियारतलबी जमानत हिफ्ज अमनखलायक-दफ़ा१०७॥

(५) अख्तियार तलबी जमानत नेकचलनी-दफ़ा १०९॥

(६) अख्तियार इसदारअहकाम वग़ैरहकब्जे के मुकद्दमात में दफ़आत १४५ व १४६ व १४७॥

(७)अख्तियार सिपुर्दगीवास्ते तजवीज मुकद्दमेके-दफ़ा २०६॥

(८) अख्तियार खतमकरनेका काररवाईके उसवक्त जबकोई मुस्तगीस न हो—दफ़ा २४९॥

(९) अख्तियार इसदार अहकाम बाबत नान व नुफ़का द- फ़आत—४८८ व ४८९॥

४ — अख्तियारात मामूली साहब मजिस्ट्रेट हिस्से जिला॥

(१) मामूली अख्तियारात मजिस्ट्रेट दर्जै अव्वल॥

(२) अख्तियार भेजनेकावारंटके जमींदारोंके नाम—दफ़ा७८॥

(२--अलिफ)+--अख्तियार नेकचलनी की जमानततलबकरने का—दफ़ा ११०॥

(३) अख्तियार इसदार अहकाम बाबत उमूर तकलीफ देह मौका—दफ़ा १३३॥

(४) अख्तियार इसदार अहकाम व इम्तनाअ तकरार अशियाय तकलीफ देह खलायक—दफ़ा १४३॥

(५) अख्तियार इसदार अहकाम महकूमै—दफ़ा १४४॥

(६) अख्तियारकरनेकातहकीकातवजहमर्गके—दफ़ा१७४॥

+आरटीकल(२-अलिफ)--ऐक्ट१०सन्१८८६ई०कीदफ़ा१८कीरूसेमुंदर्जकियागया है

(७) अख्तियार इजराय हुक्मनामा बनाम शख्स मौजूदह इलाक़े अरज़ीजिससे जुर्म बेरूं इलाक़े अरज़ीके सरज़द हुआहो-दफ़ा १८६ ॥

(८) अख्तियार समाअत इस्तग़ासे-दफ़ा १९१ ॥

(९) अख्तियार लेनेका पुलिस रिपोर्ट के-दफ़ा १९१ ॥

(१०) अख्तियार समाअत मुक़द्दमात बिदून इस्तगासा-दफ़ा १९१ ॥

(११) अख्तियार इन्तक़ाल मुक़द्दमातका पास मजिस्ट्रेट मातहतके-दफ़ा १९२ ॥

(१२) अख्तियार इसदार हुक्मसज़ा बरबिनाय मिसल मुरत्तिबै मजिस्ट्रेट मातहत दफ़ा ३४९ ॥

(१३) अख्तियार फ़रोख्त मालका जो मसरूक़ा करार दिया गया या गुमान कियागयाहो-दफ़ा ५२४ ॥

(१४) अख्तियार उठादेनेका मुक़द्दमात के सिवाय मुक़द्दमात अपीलके और उनकी तजवीज़ करने या तजवीज़के लिये सुपुर्द करने का-दफ़ा ५२८ ॥

५—अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट जिला ॥

(१) अख्तियारात मामूली मजिस्ट्रेट हिस्साज़िला जो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल भीहो ॥

(२) अख्तियार इजराय वारंट तलाशी निस्बतदस्तावेजातजो मुन्तजिमान डाकखाना या टेलीग्राफ़की तहवीलमेंहों-दफ़ा९६॥

(३) अख्तियार रुख्सतकरनेका उन असखासके जिन्हों ने हिफ्ज़ अमन या नेकचलनीका मुचलकहदियाहो-दफ़ा १२४॥

(४) अख्तियार मंसूख करनेका मुचलकह हिफ्ज़ अमन के-दफ़ा १२५ ॥

(५) अख्तियार तजवीज़ सरसरी दफ़ा २६० ॥

(६) अख्तियार मन्सूखी हुक्म इसबातजुर्म का बाज़ सूरतों में दफ़ा ३५० ॥

(७) अख्तियार समाअतअपील का बनाराजी अहकाम मुतजम्मिनतलब जमानतनेकचलनी—दफ़ा ४०६ ॥

(८) अख्तियार समाअत या सिपुर्द करनेका अपील के बनाराजी अहकाम इसबात जुर्म मुसदिरै साहिबान मजिस्ट्रेटद र्जे दोम और दर्जे सोमके—दफ़ा ४०७ ॥

(९) अख्तियार तलबी मिसल—दफ़ा ४३५ ॥

(१०) अख्तियार तरमीम अहकाम जो दफ़ा ५१४-केमुताबिक सादिर हुयेहों या दफ़ा ५१५ के ॥

ज़मीमे चहारुम ॥

अख़्तियारात ज़ायद जो साहिबानमजिस्ट्रेट मुफ़स्सिल को अता होसक्ते हैं ॥

अख़्तियारात जो मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल को अता होसक्ते हैं ॥

बहुक्म लोकलगवर्नमेंट ॥

१-अख़्तियार तलब करनेका ज़मानत नेक चलनी के- दफ़ा ११० ॥

२-अख़्तियार इसदार अहकाम बाबत उमूर तकलीफ़देह मौक़ा-दफ़ा १३३ ॥

३-अख़्तियार इसदार अहकाम इमतनाअ़त-क़रार उमूर तकलीफ़देह ख़लायक़-दफ़ा १४३ ॥

४-अख़्तियार इसदारअहकाम हस्बदफ़ा १४४ ॥

५-अख़्तियार तहक़ीक़ात व जहमर्ग-दफ़ा १७४॥

६-अख़्तियार इजराय हुक्मनामा बनाम शख़्स मौजूदह इलाक़े अर्ज़ी जिसमें बेरूं इलाक़े अर्ज़ी जुर्म सरज़द हुआ हो-दफ़ा १८६ ॥

बहुक्म लोकलगवर्नमेंट ॥

७-अख़्तियार समाअ़त जरायम वक्त इस्तग़ासे-दफ़ा १९१ ॥

८-अख़्तियार समाअ़त जरायम वक्त हुसूल रिपोर्ट पुलिस-दफ़ा १९१ ॥

९-अख़्तियार समाअ़त जरायम मुख़बरी पर-दफ़ा १९१ ॥

१०-अख़्तियार तजवीज़ सरसरी-दफ़ा २६० ॥

११-अख़्तियार समाअ़त अपील बनाराज़ी हुक्म इसबात जुर्म मुसद्दिरे साहबान् मजिस्ट्रेट दर्जेदोम व सोम-दफ़ा ४०७ ॥

१२-अख़्तियार फ़रोख़्तमालका जिसकी बाबत चोरीजाने का बयान या गुमान हो-दफ़ा ५२४ ॥

अख़्तियारात जो मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल को अता हो सक्ते हैं ॥

१--अख़्तियार इसदार अहकाम मशअ़र इमतनाअ़ तकरार उमूर तकलीफ़देह ख़लायक़-दफ़ा १४३ ॥

वहुक्म मजिस्ट्रेट ज़िला ॥

२-अख्तियारइसदार अहकाम महकूमे-दफ़ा१४४ ॥

३-अख्तियार तहक़ीक़ात वजहमर्ग-दफ़ा १७४ ॥

४-अख्तियार समाअ़त जरायम वक्त इस्तगासा-दफ़ा १९१ ॥

५-अख्तियार समाअ़त जरायम वक्त हुसूल रिपोर्ट पुलिस-दफ़ा १९१ ॥

६-अख्तियार मुन्तक़िल करने का मुक़द्दमात के हस्ब--दफ़ा १९२ ॥

अख्तियारातजोमजिस्ट्रेट दर्जे दोम को अता होसक्ते हैं — वहुक्मलोकलगवर्नमेंट

१-अख्तियार इसदारहुक्म सजायबेत दफ़ा ३२ ॥

२-अख्तियार इसदार अहकाम मुतज़म्मिन इम्तनाअ़ तकरार उमूर तकलीफ़ देह ख़लायक-दफ़ा १४३ ॥

३-अख्तियार इसदार अहकाम हस्बदफ़ा १४४ ॥

४-अख्तियार तहक़ीक़ात वजह मर्ग-दफ़ा १७४ ॥

५-अख्तियार समाअ़त जरायम वक्त इस्तग़ासा-दफ़ा १९१ ॥

६-अख्तियार समाअ़त जरायम वक्त हुसूल रिपोर्ट हाय पुलिस-दफ़ा १९१ ॥

७-अख्तियार समाअ़त जरायम मुख़बरी पर-दफ़ा १९१ ॥

८-अख्तियार सिपुर्दगी मुक़द्दमा वास्ते तजवीज के-दफ़ा २०६ ॥

अख्तियारातजोमजिस्ट्रेट दर्जेदोम को अता होसक्ते हैं — वहुक्म मजिस्ट्रेट ज़िला ॥

१-अख्तियार इसदार अहकाम मशअ़र इम्तनाअ़ तकरार उमूर तकलीफ़ देह खलायक-दफ़ा १४३ ॥

२-अख्तियार इसदार अहकाम हसब दफ़ा १४४ ॥

३-अख्तियार तहक़ीक़ात वजह मर्ग-दफ़ा १७४ ॥

४-अख्तियार समाअ़त जरायम वक्त इस्तगासा-दफ़ा १९१ ॥

५-अख्तियार समाअ़त जरायम वक्त हुसूल रिपोर्ट हायपुलिस-दफ़ा १९१ ॥

तिया
ख़ाम
स्ट्रेट
सेाम
अता
सक्तेहैं

बहुक्मलोकलगवर्नमेंट

१—अख़्तियार इसदार अहकाम मशअर इम्तनाअ तकरार उमूर तकलीफ़देह ख़लायक़—दफ़ा १४३ ॥

२—अख़्तियार इसदार अहकाम हस्ब दफ़ा १४४ ॥

३—अख़्तियार तहक़ीक़ात वजह मर्ग-दफ़ा १७४ ॥

४—अख़्तियार समाअत जरायम वक़्तइस्तगासा-दफ़ा १९१ ॥

५—अख़्तियार समाअत जरायम वक़्त हुसूल रिपोर्ट हाय पुलिस-दफ़ा १९१ ॥

६—अख़्तियार सिपुर्दगी मुक़द्दमा वास्ते तजवीज़ के—दफ़ा २०६ ॥

ख़्तिया
तजोम
जिस्ट्रेट
जैसोम
ाअता
ासक्तेहैं

बहुक्मम जिस्ट्रेट ज़िला

१—अख़्तियार इसदार अहकाम मशअर इम्तनाअ तकरार उमूर तकलीफ़देह ख़लायक़ हस्ब दफ़ा १४३ ॥

२—अख़्तियार इसदार अहकाम हस्ब दफ़ा १४४ ॥

३—अख़्तियार तहक़ीक़ात वजह मर्ग हस्ब दफ़ा १७४ ॥

४—अख़्तियार समाअत जरायम वक़्त इस्तगासा हस्ब दफ़ा १९१ ॥

५—अख़्तियार समाअत जरायम वक़्त हुसूल रिपोर्ट हाय पुलिसदफ़ा १९१ ॥

ख़्तिया
ात जो
मजिस्ट्रे
टहिस्से
जिलेका
अताहो
सक्ते हैं

बहुक्मलोकलगवर्नमेंट

१—अख़्तियार तलबी मिस्ल हस्ब दफ़ा ४३५

जमीमे पंजुम ॥

नमूनेजात ॥

१ —सम्मन बनाम शख्स मुल्जिम ॥

(देखोदफा ६८-)

बनाम—साकिन——

हरगाह हाजिरहोना तुम्हाराबगरज जवाबदिही इल्जाम (यहां उसजुर्मका मुख्तसिरहाल लिखाजायेगा जिसका इल्जाम लगा· या गयाहो) जरूरहै इसलिये इस तजवीज की रूसे तुमको हुक्म दिया जाता है कि तारीख--माह—— को असालतन् (यावकालतन् जैसी कि सूरतहो) मुकाम--के (मजिस्ट्रेट)—के हुजूर में हाजिरहो——इस बाबमें ताकीद जानो ॥

मवर्रखे–माह–सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

२—वारंट गिरफतारी ॥

(देखोदफा७५-)

बनाम (नाम और ओहदा उसशख्स या उन अशखासका जिसको या जिनको वारंट की तामील सिपुर्दहो) ॥

हरगाह मुसम्मा–साकिन–परजुर्म (यहां जुर्मलिखाजायेगा) का इल्जाम लगायागया है लिहाजा इसतहरीर की रूसे तुमको हुक्महोता है कि मुसम्मा–मजकूरको गिरफ्तार करके हमारे रूबरू हाजिरकरो इसबाब में ताकीद जानो ॥

मवर्रखे–माह–सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

(देखो दफा ७६-)

जायज है कि इस वारंट पर इबारत जोहरी हस्बजैल लिखीजाय-

अगर मुसम्मा—मजकूरअपनी तरफसे मुचलकह तादादी–मैजमानत एककसतादादी-रुपया (याजमानत दोकस तादादी फीकस–रुपया) इस इकरार से लिखदे कि वह हमारे रूबरू

तारीख — माह — सन् — को हाजिर हो और जबतक हम दूसरी नेहज का हुक्म न दें उसी तौरपर हाजिर रहेगा तो उसको रिहाई देना जायज है ॥

मवर्रुखे — माह-सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

६- मुचलकह हाजिरी और जमानतनामा बाद गिरफ्तारी बमूजिब वारंट ॥

(देखो दफा ८६-)

मैं (नाम) साकिन- जो रूबरू मजिस्ट्रेट जिलाके- (या जैसी सूरत हो) मुताबिक उस वारंट के हाजिर कियागया हूं जिसमें मेरे नाम हुक्म हुआ है कि वास्ते जवाबदिही इल्जाम- के मैं जबरन्हाजिर कियाजाऊं इस तहरीर की रूसे वादहकरताहूं कि तारीख- माह- सन्- आयन्दे को अदालत-में हाजिरहोकर इल्जाम मजकूरकी जवाबदिही करूंगा- औरजब तक कि अदालत से दूसरी नेहजका हुक्म न हो उसी तौरपर हाजिर रहूंगा- और अगर इसमें कुसूर करूंतो जिम्मेदार इसबातकाहूंगा कि मलकामुअज्जिमा कैसरहिन्द दामइकबालहा को मुबलिग- बतौर तावान अदाकरूं ॥

मवर्रुखे- माह- सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

मैं मुकिर मुसम्मा-साकिन- मजकूरकी तरफसे जामिनहोकर बजरियेइसके इकरारकरताहूं कि मुसम्मा- मजकूर तारीख- माह- सन् १८ ई० आयंदाकोवास्ते जवाबदिही उस इल्जामके जिस में वह गिरफ्तारहुआ है अदालत वाके- में रूबरू- केहाजिरहोगा- और जबतक कि अदालतसे दूसरीनेहजका हुक्मनहोहाजिररहेगा और अगर मुसम्मा- हाजिर होनेमें कुसूर करेतो मैं वादह करता हूं किमुबलिग-मलकामुअज्जिमाकैसरहिंद को बतौर तावानअदा करूंगा ॥

मवर्रुखे- माह- सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

४---इश्तिहार बहुक्म अहजार शख्स मुल्जिम ॥

(देखो दफ़ा ८७-)

हरगाह हमारे रूबरू इसअम्रकी नालिश पेशहुईहै कि मुसम्मा (नामऔर तफ्सील यानी वल्दियत व कौमियतऔरसकूनत) जुर्म-का जिसकीसजा मजमूये ताजीरातहिन्द की दफ़ा —— में मुकर्ररहै ऐक्ट४५ सन् १८६० ई०मुर्त्तकिबहुआहै(याउसके इर्त्तिकाबकाउसपर शुभाकियागयाहै)औरअजरूयरीटर्न यानी कैफियत तामीलवारंट गिरफ्तारी केजो बरतबक उसनालिशके जारीहुआथा मालूमहुआ कि मुसम्मा(नाम) मजकूर दस्तयाबनहींहोसक्ता-औरहरगाहहस्ब इतमीनान हमारे साबितहुआहै कि (नाम) मजकूर फरार होगया है (या उसने वारंट की तामील से गुरेज करने के लिये अपने तईं रूपोश कियाहै) ॥

लिहाजा इस इश्तिहारकीरूसे हुक्मदियाजाताहै कि मुसम्मा-साकिन——को लाजिमहैकिअंदरमीआद——रोजके तारीखइमरोजासेबमुकाम(नाममुकाम)इसअदालतमें(याहमारेरूबरू)नालिश मजकूरकी जवाबदिहीके लिये हाजिरहो ॥

मवर्रुखे——माह——सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

५---इश्तिहार मशअर हुक्म हाजिरी गवाह के ॥

(देखो दफ़ा ८७-)

हरगाह हमारे रूबरू यहनालिशकीगईहैकि(नाम और तफ्सील यानी वल्दियत व कौमियत और सकूनत)जुर्म (बयानजुर्मबइबारत मुख्तसिर)का मुर्त्तकिबहुआ है (याउसके इर्त्तिकाब का उसपरशुभा कियागयाहै) और वारंट वास्ते जबरन् हाजिर करने (नामऔरतफसील यानेवल्दियत व कौमियत औरसकूनतगवाह) रूबरू अदालतहाजाकेइसगरजसे कि निस्बतमरातिब नालिश मजकूर के उससे इस्तिफ्सार कियाजाय सादिर हुआहै-और हरगाह अजरूय रीटर्न यानी कैफियत तामील वारंटमजकूर के दरियाफ्त हुआकि(नामगवाह)मजकूरपर वारंटकीतामीलनहींहोसक्ती है और

हस्बइतमीनान हमारे साबितहुआहै कि वहफ़रार होगया है (या वारंटके इजराय से गुरेज करने के लिये रूपोशरहताहै)॥

लिहाजा इस इश्तिहार की रूसे हुक्म दियाजाताहै कि(नाम) मजकूर तारीख——माह——सन् १८ ई० आयंदाको ब-वक्तनवाख्त—घंटाशेजके बमुकाम (नाममुकाम) अदालत—में हाजिर होकर जुर्म सुन्दर्जै नालिशकी बाबत इजहार लिखाये॥

मवर्रुखे——माह —— सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

६—हुक्म कुर्की बाबत जबरन् हाजिरकराने गवाहके ॥

(देखो दफ़ा ८८-)

बनाम अफ्सर पुलिस मोहतमिम इस्टेशन पुलिस मुकाम ——

हरगाह वारंट वास्ते इहजार बिलजब्र (नाम और तफ़सील यानी वल्दियत व कौमियत और सकूनत) वास्ते देने शहादत निस्बतनालिश मुतदायरा अदालतहाजाके हस्बजाबितेजारीहुआ था-और उसवारंटकीकैफियत तामीलसे दरियाफ्तहुआ कि उसकी तामीलनहींहोसक्तीहै --और हरगाह हस्बइतमीनान हमारे साबित हुआहैकि मुसम्मागजकूरफ़रारहोगयाहै(यावारंटमजकूरकीतामील से गुरेजकरनेके लिये अपनेतई रूपोश रखताहै) और उसके बाद इश्तिहार बाजाबिते उसकेनाम इस हुक्मसे जारी और मुश्तहिर कियागयाथा कि मुसम्मा——मजकूरवक्त और मौकामुंदर्जै इश्तिहारपर हाजिरहोकर शहादतदे और वह हाजिरनहींहुआहै ॥

लिहाजा तुमको अख्तियार और हुक्म दियाजाताहै-कि मालमन्कूला मुसम्मा —— मजकूरका तामालियत —— रुपये के जो जिला ——में तुमको दस्तयाब हो बजरिये अपने कब्जे में लानेके कुर्क करो और तासुदूर हुक्म मजीद इस अदालत के कुर्क रक्खो-और इस हुक्मनामे को मै इबारत जोहरी मुशअर तसदीक तरीके तामील उसके इस अदालत में वापिस भेजो ॥

मवर्रुखे ——माह——सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

(देखो दफा ८८-)

बनाम (नाम और ओहदा उस शख्स या उन अशखास का जिसको या जिनको वारंटकी तामील सिपुर्दहो)

हरगाह हमारे रूबरू नालिश पेशहुई है कि (नाम और तफ्सील यानी वल्दियत व कौमियत औरसकूनत) जुर्म-काम्रुत्तकिबहुआ है (या उसके इर्तिकाबका उसपर शुबा कियागयाहै) जिसकीसजा मजमूये ताजीरातहिन्दकीदफा—मेंमुकर्ररहै और कैफियत तामील ऐक्ट ४५ सन् १८६० ई०, वारंटसे जो बरतबक नालिशमजकूरकेजारी हुआथा यह दरियाफ्त हुआ कि मुसम्मा—मजकूर दस्तयाब नहीं होसक्ताहै-और हरगाह हस्बइतमीनान हमारे साबित हुआहै कि मुसम्मा--मजकूर फरारहोगयाहै (या वारंट मजकूरकी तामीलसेगुरेज करने के लिये रूपोश होगयाहै) और बादहू इश्तिहारहस्ब जाबितै इस हुक्म से जारी औरमुश्तहर कियागया था कि मुसम्मा- मजकूर मीआद — रोजके अन्दर हाजिर होकर इल्जाम मजकूरकी जवाबदिही करे—और हरगाह मुसम्मा —मजकूर के कब्जे में जायदाद मुफसिसलै जैल अलावह अराजी मालगुजार सर्कार मौजा (या कस्बा)—जिला—मेंयानी—मौजूदहै औरउसकी कुर्की का हुक्म होचुका है ॥

लिहाजा बजरिये इस तहरीरके तुमको हुक्म दियाजाताहै-कि जायदाद मजकूर को बजरिये अपने कब्जे में लानेके कुर्ककरो और तासिदूर हुक्मसानी इस अदालत के जेरकुर्की-रक्खो- और इस वारंट को मै इबारत जोहरी मशअर तसदीक तरीकै तामील वारंटके वापिस करो ॥

मवर्रुखै—माह—सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

हुक्म जिसकी रूसे साहब डिपुटी कमिश्नर को मिस्लसाहब कलक्टर
के कुर्ककरनेका अख्तियार दियाजाता है ॥

(देखो दफ़ा ८८-)

बनाम साहब डिपुटी कमिश्नर जिला———

हरगाह हमारेरूबरू इस अम्रकी नालिश की गई है-कि (नाम और तफ्सीलयानी वल्दियत और कौमियत व सकूनत) जुर्म-का मुर्तकिब हुआ है (याउसके इर्तिकाब का उसपर शुबा किया गया है) जिसकी सजा मजमूये ताजीरात हिन्द की दफ़ा—में मुकर्रर-है और अजरूय कैफ़ियततामील उसवारंट गिरफ्तारी के जो बरतबक उस नालिश के जारी हुआ था यह दरियाफ्त हुआ कि मुसम्मा—मजकूर दस्तयाब नहीं होसक्ता है- और हरगाह हस्बइतमीनान हमारेसाबित हुआ है कि मुसम्मा—मजकूर फरार होगया है (या वारंटके इजरायसे गुरेज करने के लिये रूपोश रहता है) और बरतबक इसके इश्तिहार हस्ब जाबितै इस हुक्म से सादिर व मुश्तहर कियागया था कि मुसम्मा—मजकूर मीआद—रोजके अन्दर हाजिरहोकर इल्जाम मजकरकी जवाब दिहीकरे—मगर वह हाजिर नहींहुआ है- और हरगाह मुसम्मा-केपास बाजअराजी मालगुजार सर्कारअन्दर मौजा (याकस्बा)-वाकै जिला———के मौजूद है ॥

लिहाज़ा आपको इजाजत दीजाती है-और हुक्महोताहै-कि अराजी मजकूर को कुर्क कराके तासुदूरहुक्मसानी इस अदालत के जेर कुर्की रखिये-और बिला तवक्कुफ़ सार्टीफ़िकट इसबात का कि इस हुक्म के मुताबिक आपने क्या अमल किया है इत्तलाग फ़रमाइये ॥

मवर्रखे- माह- सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

———

७—वारंट जो इस्तिग़ासन् वास्ते हाज़िरकराने गवाह के जारीकियाजाय॥.

(देखो दफ़ा ९०-)

बनाम (नाम और ओहदा उस अफ़्सर पुलिस या औरशख़्स या अशख़ास का जिसको या जिनको वारंट की तामील सिपुर्द हो)॥

हरगाह हमारे रूबरू यह नालिश की गई है कि मुसम्मा- साकिन--जुर्म-- (यहांजुर्मका मुख़्तसिर हाल लिखाजायेगा) का मुर्तकिब हुआ है (या उसपर उसके इर्तिकाब का शुभाकिया गया है) और करीं कयास है कि (नामऔर तफ्सील यानीवल्दियत व कौमियत गवाह) नालिश मजकूर की बाबत शहादत देसक्ताहै और हरगाह हमको इसगुमानकी वजहमाकूल व काफी हासिलहै कि जबतक वह जबरन् हाज़िर न कियाजाये वक्तसमाअत नालिश मजकूर के बतौर गवाह के हाजिर न होगा॥

लिहाजा तुमको इजाजतदीजातीहै और हुक्महोताहै कि मुसम्मा मजकूर को गिरफ्तार करके तारीख- माह- सन् १८ ई० को इसअदालत के रूबरू हाजिर करो ताकि जुर्म मुन्दर्जे नालिशकी बाबत उससे इस्तिफसार कियाजाय॥

आजतारीख--माह--सन् १८ ई० को हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया॥

(मोहर) (दस्तखत)

८—वारंट बगरज तलाश बाद इत्तिलारसानी किसीख़ास जुर्मके॥

(देखो दफ़ा ९६-)

बनाम (नाम और ओहदा उस अफ़्सर पुलिस या और शख़्स या अशख़ासका जिसकोया जिनको वारंटकी तामील सिपुर्दहो)

हरगाह हमारेपास इत्तिला पहुँचाई गईहै (याहमारे रूबरूनालिश हुई है) किजुर्म(यहां जुर्मकामुख़्तसिरहाल लिखाजायेगा) सरज़दहुआहै (याउसके सरजद होनेका इश्तिबाह कियागयाहै) और हमकोमालूमहुआहै कि वास्ते हुसूलअगराजतहकीकातमुत

दायरा हाल निस्बत जुर्म मजकूर (याजुर्ममुरतबह के याजोआ यन्दा अमलमेंआये) हाजिरकरना (यहांशै मतलूबाकी सराहत लिखी जायेगी) काजरूरी और लाबद है ॥

लिहाजा बजरिये इसतहरीरके तुमको इजाजत दीजातीहै और हुक्म होताहै कि-(शै जिसकीसराहत कीगई है) मुजकूर को मुकाम (यहांसराहतउसमकानयामुकाम याजुज्वमुकामकी लिखी जायेगी कि सिर्फजिसमें तलाशी कीजायगी) मेंतलाशकरो- और अगर वहदस्तयाबहो तो उसकोफौरन् इसअदालत मेंहाजिर करो-और बफौर तामील इसवारंट के वारंटको बादसब्तइबारतजोहरी बतसदीक इसअम्रकेकि तुमने उसके मुताबिक क्या २ अमल किया वापिस भेजो ॥

आज बतारीख -माह—सन् १८ ई० मेरेदस्तखत और अदालतकी मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

९—वारंट वास्तेतलाशी मालरखनेकेमुरतबहमुकामके ॥

(देखो दफा ९८-)

बनाम (नामऔर ओहदा उस अहल्कार पुलिसका जो कानिस्टबिलसे जियादहरुतबारखता हो) ॥

हरगाह मुझको इत्तिला दीगई है-और उसकी तहकीकात बाजाबिताके बादमुझको यह बावरकरायागया है-कि (मकानया दीगर मुकामकाबयान) मालमसरूकाकेरखने (याफरोख्त) के लिये मुस्तअमिलहोताहै (याअगरउनदो अगराजमेंसे किसीएक के वास्ते मुस्तअमिलहोताहो जिनकातज किरह दफा ९८-मेंहैतो बइबारत दफा मजकूर उस गरज को तहरीर करो ॥

लिहाजा इस तहरीरकी रूसेतुमको अख्तियार दिया जाता है—कि तुम मकान मजकूर में (या और मुकाममें) मये उसकदर मदद के जो ज[illegible] दाखिल हो-और दखल करने लिये अगर जरूरतहो जब्र मुनासिब अमलमें लाओ-औरमकान मजकूर (याऔर मुकाम) केहर जुज्वकी तलाशीलो ([illegible]

र मकानके किसी खास जुज्वकी तालाशीलेनीहो तो उस जुज्व कीवखूबी सराहत कीजाय) और हर किस्मके मालको (या दस्तावेजात या कागजात इस्टाम्प या मवाहीर या सिक्केजात को जैसी सूरतहोऔर) [(जब ऐसीसूरत पेशआये) यहभी लिखो कितमामआलात और सामान जिसकी बाबत करीना माकूलसे तुमको गुमान होकि वह वास्ते तय्यारी दस्तावेजात मस्नुई याइस्टाम्प हाय लिबासी या मवाहीर जाली या सिक्केजात तकलीदी के (जैसीकि सूरतहो) वहां रक्खेगयेहैं] जब्त कराके अपने कब्जे में लाओ-और उनमेंसे उसकदर अशियायको जो कब्जे में आजायँ फौरन् इस अदालत के रूबरू हाजिर करो—औरवफौरतामीलइस वारंटके इसवारंटको बाद तहरीर इबारतजोहरीमशअर तसदीक इस अम्र के कि तुमने बतामील वारंट के क्या कारवाई की इस अदालत में वापिस भेजो॥

आज बतारीख—माह——सन् १८   ई० मेरेदस्तखतऔर अदालत की मोहरसे जारी कियागया॥

(मोहर)

(दस्तखत)

१०—मुचल्का हिफ्ज अमन॥

(देखो दफा १०६ -)

हरगाह मुझ (नाम) साकिन (मुकाम) को मुचल्का हिफ्ज अमन मीआदी—— लिखने का हुक्म हुआहै-लिहाजा मैं इस तहरीर की रूसे इकरार करता हूं किमीआद मजकूर के अन्दर नुक्जअमन या कोई फेल जिससे नुक्ज अमनकाएहतमालहो न करूंगा-और अगरमैंइसमेंकुसूर करूंतो मैं बजरियेइसतहरीर के इकरार करताहूं कि मुबालिग—मलिकामुअज्जिमाकेसरहिंददाम इकबालहा को तावानदूं॥

मवर्रखे—— माह——सन् १८   ई० ॥

(दस्तखत)

११—नेकचलनी का मुचल्का॥

(देखोदफात १०९ व ११०)

हरगाह मुझ (नाम) साकिन (मुकाम)को इस मजमून से

मुचल्का लिखनेका हुक्म हुआहै-कि मैं बमुकाबिले मलिकामु-अज्जिमा कैसरहिन्द दामइकबालहा और मलिकामसदूहा की जुमलै रिआयाके साथ मीआद---तक (यहां मीआद लिखनीचा-हिये) नेकचलन रहूं-लिहाजा इस तहरीरकी रूसे-इकरार करताहूं कि मैं मीआद मजकूरतक बमुकाबिले मलिकामुअज्जिमा दाम इकबालहा और मलिकाममदूहाकी जुमलै रिआयाके साथ नेक-चलन रहूंगा -अगर मैं इसमें कुसूरकरूं तो मुबलिग-मलिकाम-मदूहाको तावानदूं॥

मवर्रखै- माह- सन् १८ ई०॥

(दस्तखत)

(जब मुचल्केके अलावह जमानतनामा भी लिखनाजरूर हो तो यह इबारत जायद लिखी जायेगी) हमलोग बजरिये इस तहरीर के इकरार करतेहैं कि हम मुसम्मा- मजकूरुलसदर के जामिन इसबातके हैं कि मुसम्मा- मजकूर मीआदमस्तूरके अन्दर मलिकामुअज्जिमा कैसर हिन्द और मलिका मौसूफा की कुलरिआयाके मुकाबिले में नेकचलन रहेगा-और अगर नाम्बुरदा उसमें कुसूर करे तो हमसुस्तरकन्और मुन्फरदन्जिम्मेदार हो-तेहैं कि मलिकाममदूहाके हुजूरमें मुबलिग--रुपया तावानदें॥

वाकै तारीख- माह- सन १८ ई० (दस्तखत)

१२ — सम्मनबवक्त इत्तिलायाओएहतिमाल नुकज़अमनके॥

(देखोदफा ११४-)

बनाम—साकिन—

हरगाह इत्तिलाअ मोतबिरसे हमको दरियाफ्त हुआ है कि (यहां मजमून इत्तिलाअ का लिखा जायेगा) और एहतिमाल है कि तुम नुक्ज अमन करने वाले हो (या ऐसा फेल करनेवाले हो जिससे गालिबन् नुक्ज अमन होगा) लिहाजा बजरिये इसके तुम को हुक्म होता है कि तारीख—माह—सन् १८ ई०

वक्तदशबजे क़ब्ल दोपहर के साहब मजिस्ट्रेट मुकाम–की कचहरी– में असालतन् (याबज़रिये मुख्तार मजाज हस्ब जाबितेके) हाजिर होकर वजह इस अम्रकी जाहिर करो कि क्यों तुमसे मुचल्का-तादादी–रुपया तावान बइक़रार हिफ्ज अमन खलायक तामीआद–के न लिखायाजाय (जब जामिनभी जरूरहों तो यहइबारत बढ़ाई जायेगी और जमानतनामा नविश्तह एक जामिन (यादो जामिनोंकाजैसा मौक़ाहो) बक़ैद मुबलिग–ज़िम्मगी हरज़ामिन (दरहालेकि एक से जियादह जामिनहों) बतौर तावानके दाखिल न करायाजाय] ॥

आजतारीख– माह– सन् १८ ई० को हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

१३-- वारंटहवालगी जब मुल्जिम हिफ्ज़ अमनकी जमानत देनेमें कासिररहे ॥

(देखोदफ़ा १२३--)

बनाम सिपुरिंटंडंट (यामुहाफ़िज) जेलखाने मुकाम–

हरगाहमुसम्मा–(नामऔरसकूनत) तारीख– माह– को मुताबिक़हुक्म सम्मनके हमारेरूबरू असालतन्(या मारफतअपने मुख्तार मजाजके) हाजिर हुआ जिसमें उसके नाम इस अम्रकी वजह जाहिर करनेका हुक्म हुआथा कि उससे मुचल्का बतादाद मुबलिग– बशमूल एक जामिन (या मुचल्का बशमूल दो जामिनोंके बइकरार अदाय मुबलिग– रुपया फ़ी जामिन) इस इक़रार के साथ क्यों न लिखायाजाये कि मुसम्मा– मजकूरमीआद– महीने तक हिफ्ज अमन क़ायम रक्खेगा-औरहरगाह-उसवक्तहुक्म इसमजमूनसे तहरीरपायाथा कि मुसम्मा---मजकूरऐसा मुचल्काlिखे और ऐसाजामिन हाजिरकरे (अगरजमानत मतलूबा उससे मुख्तलिफ़हो जो सम्मनमें तलबहुई हो तो उसका जिक्र यहां लिखाजाये) और नाम्बुरदा हुक्म मजकूर की तामील में क़ासिर रहाहै ॥

लिहाजा आपसिपुरिंटेंडंट (या मुहाफिज़) जेलखाने को अ-
ख्तियार दिया जाताहै-और हुक्म होताहै कि मुसम्मा--मज-
कूरको इसवारंटकेसाथ अपनी हवालगीमें लेलो-और मीआद
मजकूरकेलिये (यहां मीआद कैदकी मुन्दर्जहोगी) जेलखानेम-
जकूरमें हिफ़ाजतसेरक्खो-इल्ला उससूरतमें किवह मीआदमजकूर
के अंदरहुक्म मजकूरकी तामील इसतरहसे करे कि मुचलका
मतलूबा खुदबशमूल अपने जामिन (याजामिनों) के लिखदे-कि
उससूरतमें वहमुचलका और जमानतनामा मकबूल कियाजायेगा-
और मुसम्मा--मजकूरको रिहाईदीजायेगी--और इसवारंटको बाद
तहरीर इबारत जोहरी मुशअर तसदीक इसअम्रके कि उसकी ता
मील किसतौरसे कीगई वापिसभेजो ॥

आजबतारीख---माह ---सन् १८ ई० हमारेदस्तखत
और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

१४-वारंटहवालगी जबकिमुल्जिमनेकचलनीकोजमानत देनेमेंकासिररहे

(देखोदफा १२३--)

बनाम सिपुरिंटेंडंट (यामुहाफिज) जेलखाने मुकाम----

हरगाहमेरे रूबरू यहबातजाहिरकीगईहै किमुसम्मा (नामऔर
तफ्सीलयानेवल्दियतवकौमियत) जिले---केअंदरआवारहखुफिया
फिरतारहाहै और अब भी फिरताहै और कोईसबीलजाहिरीमुआश
की नहीं रखताहै (और अपनाकुछहालजोलायकइतमीनानके
होबयान नहीं करसक्ताहै) या

हरगाह शहादत निस्बत रवय्ये आम (नाम और तफ्सीलया
ने वल्दियतवकौमियत के हमारे रूबरूगुजरकरजब्त तहरीरमें
आईहै जिससे वाजेहोताहै किवहआदतन्रहजन्है (यानकबजन्
वगैरहहै (जैसीसूरतहो)

और हरगाह यहमरातिबकलमबंदहोकर उसकेनाम हुक्म
सादिर हुआहै कि मुसम्मा---मीआद---के लिये (यहां मीआद
लिखी जायेगी) नेकचलन रहनेकीजमानत इसतरह दाखिलकरे

किकितामुचल्का बशमूल एकजामिन (यादोया जियादह जामिनों के जैसी सूरतहो) वकैदसुबलिग ---रुपया जिम्मगीखुद वसुबलिग---रुपया जिम्मगी जामिन (या जिम्मगी हरजामिनमिन्जुमलै जामिनानमजकूर) हरजामिनके लिखदे-और मुसम्मा मजकूर ने उसहुक्मकी तामीलनहीं की-और बएवज उसकुसूरके उसकेलिये मीआद (यहांमीआदलिखीजाय) की कैदतजवीज हुई है--इल्ला उस सूरत में कि वह उस मीआद के अन्दर जमानत दाखिलकरदे॥

लिहाजा आप सुपुरिंटंडंट (यामुहाफ़िज) को अख्तियार दियाजाता है और हुक्म होता है-कि मुसम्मा---- मजकूर को मै वारंट हाजाके अपनी हिरासतमें लीजिये- और मीआद (मीआद कैद) के लिये जेलखाने मजकूर में उसको हिफाजत से रखिये-इल्ला उस सूरतमें कि वह दौरान मीआद में हुक्म मजकूर की तामील इसतरह करे कि खुद मुचल्का लिखदे और जामिन (या ज़ामिनों) से जमानतनामा लिखवादे-और अगर ऐसा करै तो मुचल्का और जमानतनामा लेलियाजायगा-और मुसम्मा----मजकूरको रिहाई दीजायगी---और इस वारंट को बाद तहरीर इबारत जोहरी मुशअर तसदीक इस अम्रके कि उसकी तामील क्योंकर कीगई वापिस भेजिये॥

आज बतारीख----माह----सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया॥

(मोहर)

(दस्तखत)

१५----वारंट वास्तेरिहाई किसी शख्सके जोबवजह अदमअदखाल जमानत के कैदहुआहो।

(देखो दफ़आत १२३-व १२४-)

बनाम सुपुरिंटंडंट (या मुहाफ़िज) जेलखाने मुकाम---- (या बनाम किसी और ओहदेदार के जिसकी हिरासत में वह शख्स हो)॥

हरगाह (नाम और तफसील याने वल्दियत व कौमियत)

बमूजिब वारंट अदालतहाजा मवर्रुखे—माह--तुम्हारी हिरासतमें सिपुर्द कियागयाथा-और उसके माबाद उसने मजमूये जाबितै फौजदारीकी दफा--के मुताबिक हस्बजाबितै जमानतदीहै॥

या

और हमको वजूह काफी बताईद इसरायके मालूम हुई हैं कि नाम्बुरदा बिलाअन्देशा जरर खलायक्के रिहा किया जासक्ताहै॥

पस तुमको अख्तियार दियाजाता है और हुक्म होताहै--कि फौरन् मुसम्मा- मजकूरको अपनी हिरासत से रिहा करदो-इल्ला उस सूरतमें कि वह किसी और वजह से हवालातमें रखने के लायक हो॥

आज बतारीख-- माह-- सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया॥

(मोहर) (दस्तखत)

१६-हुक्म बाबत इन्दफाअ उमूर तकलीफ देह खलायक के॥

(देखो दफा १३३-)

बनाम (नाम और तफ्सील याने वल्दियत और कौमियत और सकूनत)॥

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है- कि तुमने उन अशखासके लिये जो किसी शारैआम (यादीगर मुकाम आम)को इस्तैमाल करतेहों सद्दराह (याशै मूजिब तकलीफ) कायमकीहै जो इला आखिरा (यहां सड़क या मुकामआम लिखना चाहिये) बवजह इला आखिरा (यहां उस शैकी सराहत लिखीजायेगी जिसकी वजहसे सद्दराह या शैमूजिब तकलीफ खलायक पैदा होती हो) और वह सद्दराह (या शैमूजिब) अबतक मौजूद है॥

या

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर हुआ है—कि तुम बतौर मालिक या सरबराहकार के कारोबार या पेशा (इस जगह सराहत कारोबार या पेशे की और मौके की जहां वह जारी है लिखी

जायेगी) अमलमें लाते हो-और वह खलायककी तन्दुरुस्ती (या आसायश) में इस वजहसे मुजिरहै (यहां मुफस्सिल लिखाजायेगा कि नतायज मुजिर किसतरह पैदाहोते हैं) और चाहिये कि वह मसदूद करदिया जाय या दूसरी जगहपर उठादियाजाय ॥

या

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है-कि तुम मालिक (या काबिज या मोहतमिम) फलां तालाब (या चाह या खंदक) के हो जो शारैआम (यहांशारैआम लिखाजायेगा) के मुत्तसिलहै-और बवजह इसके कि उस तालाब (या चाह या खंदक) के गिर्द कोई जंगलानहीं है (याजंगला हिफाजतकेलिये गैरकाफीहै) खलायककी आफियत को उससे खतरा है ॥

या

हरगाह इलाआखिरा (जैसीसूरतहो)

लिहाजा बजरिये इसतहरीर के तुमको हिदायत कीजाती है-और हुक्म होताहै-कि अरसा (यहांमीआद लिखीजायेगी)के अंदर (यहां सराहतकीजायेगी कि अम्र तकलीफ देहके दफाकरनेकेलिये क्या करना चाहिये) करो-या बवक्त-- मुकाम-- की अदालतमें तारीख-- माह-- सन् १८ ई० आयन्दाको हाजिरहोकर इस बातकीवजहजाहिरकरो कि इसहुक्मकीतामील क्योंनकराईजाय॥

या

बजरिये इसतजवीज के तुमको हिदायत कीजातीहै और हुक्म होता है कि अरसा (यहां मीआद लिखीजायेगी) के अंदरमुकाम मजकूर पर ऐसा कारोबार या पेशा मौकूफ करदो और उसको फिर जारी न करो या यह कि कारोबारमजकूरको उसजगहसे जहां वह अब होता है उठाकर लेजावो या बवक्त-- अदालत फलां में तारीख-(हस्व इबारत सदर) हाजिरहो वगैरह ॥

या

बजरिये इस तहरीरके तुमको हिदायत कीजाती है और हुक्म

होताहै-कि अरसा (यहां मीआद लिखीजायेगी) के अन्दर एक जँगला काफी (यहां क़िस्म जँगला और सराहत मुकामकी जहां जँगला लगेगा लिखीजायेगी) कायम करो-या बवक्त—अदालत में (हस्ब इबारत सदर) हाजिरहो ॥

या

बजरिये इसके मैं तुमको हुक्म देताहूं और हिदायत करताहूं वग़ैरह वग़ैरह (जैसीसूरत हो) ॥

आज बतारीख़—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तख़त और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

१०—हुक्म मजिस्ट्रेट मुशअर तकर्रुर जूरी ॥

(देखो दफ़ा १३८--)

हरगाह तारीख—माह—सन् १८ ई० को हुक्म बनाम मुसम्मा—इस हिदायत के साथ जारीहुआ था (यहां खुलासा हुक्मका दर्ज किया जायेगा) और हरगाह मुसम्मा--मजकूर ने दरख्वास्त मवर्रुखे--माह--सन् १८ ई०-वदीं इस्तदुवाय मेरे रूबरू गुजरानी है कि हुक्म वास्ते तकर्रुर जूरी के बनजर तन्कीह इस अम्र के सादिर कियाजाय कि आया हुक्म मुतजकिरै सदर माकूल और मुनासिबथा या नहीं-बजरिये इस तहरीर के मैं मुसम्मियान (यहांनामवगैरहपांच या जियादहअहलजूरी के लिखेजायेंगे) कोअहालीजूरी वास्तेतजवीज और इन्फिसाल अम्रमजकूर के मुकर्रर करता हूं-और अहाली जूरी को हुक्मदेता हूं कि अपने फैसले की रिपोर्ट इस हुक्मकी तारीख से-रोज़ के अंदर हमारी कचहरी वाकै—में दाखिल करें ॥

आज तारीख-माह--सन् १८ ई० को हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

१८—मजिस्ट्रेट का इत्तिलाअनामा और हुक्म ताकीदी बाद जाहिरहोने राय जूरी के ॥

(देखो दफा १४०—)

बनाम) नाम और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत) ॥

इस तहरीर की रूसे तुमको इत्तिलादीजाती है-कि तुम्हारी दरख्वास्त के बमूजिब जो तारीख——माह——सन् १८ ई० को गुजरीथी जो अशखास जूरी हस्ब जाबिता मुकर्रर हुयेथे उनकी यह राय कायमहुई कि वह हुक्म जो तारीख—माह—सन् १८ ई० को तुम्हारे नाम इस हिदायत से सादिर हुआथा (यहां हुक्म की हिदायतका खुलासा लिखा जायेगा) माकूल और मुनासिब है-पसहुक्म मजकूर कतई करदिया गयाहै-और बजरिये इस तहरीरके तुमको हिदायत की जातीहै और हुक्म दिया जाताहै-कि हुक्म मजकूरकी तामील (यहां मीआद मोहलत लिखी जायेगी) रोज के अन्दर करो- अगर न करोगे तो उस तावान के मुस्तौजिब होगे जो मजमूयेताजीरातहिन्द में अदूल हुक्मीकेलिये ऐक्ट४५ सन् १८६० ई० मुकर्रर है ॥

आज बतारीख——माह——सन १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

१६—हुक्मनामा बदीं मजमून कि दौरान तहकीकातजूरी में किसी खतराकारी फुलुवकूअ के रोकने की तदबीर कीजाय ॥

(देखो दफा १४२—)

बनाम (नाम और तफसील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत) ॥

हरगाह तहकीकात मारफत अहाली जूरी के जो वास्ते तजवीज इसअम्रके मुकर्रर हुयेथे कि आया मेरा हुक्म मुसदिरैतारीख—माह सन् १८ ई० माकूल व मुनासिब है यानहीं हिनोज जारी है—और मेरेरूबरू यह बातजाहिर कीगई है कि वह शै तकलीफदेह

खलायक जो उसहुक्म में मजकूर है इसकदर करीबुल वकूअ खतरे अजीमखलायक का बाअस है कि उसके इन्दफाअके लिये फौरन् तदबीर मुनासिब करनी जरूर है—लिहाजा इस तहरीरकी रूसे हस्ब एहकाम दफा १४२-मजमूये जाबिते फौजदारीके तुमको हिदायत कीजाती है और हुक्म ताकीदी दियाजाता है-कि फौरन् ताजहूरनतीजे तहकीकात मौके मारफतजूरी के फलां तदबीर (यहां साफ २ लिखाजायेगा कि खतरे मजकूरके इन्दफाअचंदरोजाके लिये क्या करना जरूर है) अमलमेंलाओ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८   ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारीकियागया॥

(मोहर)   (दस्तखत)

२०—हुक्म मजिस्ट्रेट मुशअर इम्तनाअ इर्त्तिकाब मुकर्रर वगैरह किसी अम्र तकलीफदहके॥

(देखो दफा १४३)

बनाम (नाम और तफसील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत)

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है कि (यहां अल्फाज मुनासिब बइतबाअ अल्फाज मुन्दर्जे नमूने नंबर १६-या नम्बर २१ जैसी सूरत हो लिखे जायेंगे)

लिहाजा तुमको इसतहरीर की रूसे हुक्मताकीदी और कतई होता है-कि फिर बजरिये रखने या रखवाने या रखने की इजाजत देने वगैरह के (जैसी सूरतहो) मुकर्रर उसअम्र तकलीफदह खलायक के मुर्तकिब न हो॥

आज बतारीख—माह—सन् १८   ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी कियागया॥

(मोहर)   (दस्तखत)

२१—हुक्ममजिस्ट्रेट-मुशअर इम्तिनाअमजाहिमत या बलवह वगैरह॥

(देखो दफ़ा १४४)

बनाम (नाम और तफ्सील याने वल्दियत
व क़ौमियत और सकूनत)॥

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है-कि तुम (इसजगह जायदादकी बखूबी सराहत की जायेगी) पर कब्जारखते हो (या उसकाइन्तिजामकरतेहो) और उस अराजी में नाली खोदने के वक्त तुम्हारा इरादा है कि कोई जुज्व उसमिट्टी और पत्थरोंका जो नालीसे निकलें एकशारैआम पर जो अराजीके मुत्तसिल है डालदो या रखवादो जिससे उनलोगों को मजाहिमत पहुंचनेका खतराहै जो सड़कको इस्तैमाल में लायें॥

या

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है-कि तुम और तुम्हारे साथऔर बहुतसे अशखास (यहां अशखासकी क़िस्मकी सराहतकी जायेगी) इसबातपर आमादा हैं कि जमाहोकर शारैआम--परसे (या जैसी सूरतहो) बतौर एक मजमा मजहबी के गुजरकरें और ऐसे मजमामजहबी के वहांहोकरजानेसे एहतिमाल बलवह या हंगामेका है॥

या

हरगाह हमारे रूबरू जाहिर कियागया है इलाआखिरह (जैसी सूरतहो)॥

लिहाजा इसतहरीर की रूसे तुमको हुक्महोताहै कि किसीकदरमिट्टी या पत्थर जो तुम्हारी अराजी से बरामदहो शारैआम मजकूरके किसी मुकामपर न रक्खो या रक्खे जानेकी इजाजतनदो॥

या

इसतहरीरकी रूसे तुमको मुमानियत कीजाती है-कि मजमा मजहबीको शारैआम मजकूरपर गुजरने न दो-और तुमको ताकीदन् हिदायत कीजातीहै और हुक्म दियाजाता है कि ऐसे मजमा मजहबीमें किसीतरह शरीक नहो (या जो ताकीद बलिहाजसूरत मुबय्यनाके लिखनी जरूरहो)

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया॥

(मोहर) (दस्तखत)

२२—हुकुम मजिस्ट्रेट मुशअर इजहार इसअम्रके किकौन फरीक़ अराज़ी वगैरह मुतनाजापर काबिज़रहनेका मुस्तहक़ है॥

(देखो दफ़ा १४५-)

चूंकि बएतबार उनवजूह के जो हस्बजाबितै कलमबन्द हुई हैं हमको मालूमहुआ-कि एकतनाजा जिससे नुक्ज अमन् पैदाहोने का एहतमाल है माबैन (यहां फरीकैन के नाम व सकूनत लिखी जायेगी या अगर निजाअमाबैन जमाअत साकिनान देहके होतो उनकी सिर्फसकूनत लिखनी काफीहै) निस्बत (यहां शैमुतनाजअकाहाल मुख्तसिर लिखाजायेगा) जोहमारे इलाके हुकूमत की हुदूद अरजीमें वाकैहै बरपा हुआथा-उसपर जुमले फरीकैन मजकूरके नाम हुक्महुआथा किअपने २ दावाके बयानात तहरीरी खसूस निस्बत अम्रकब्जे वाकई (शैमुतनाजा) मजकूर के पेश करें-और उसकी निस्बत तहक़ीक़ात बाजाब्ता करके हमको इतमीनान हुआ कि बिला लिहाज सेहत व गैर सेहत दावा हरफरीक के निस्बत कानूनी इस्तहक़ाक कब्जे के दावा काबिज वाकईहोने काजो तरफसे (यहां नाम या इस्माय और तफसील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत लिखी जायगी) के पेशहुआ है सहीह व दुरुस्त है॥

पस हम अपना फैसला इसतरह जाहिर करते हैं किवहशख्स या अशखास (शैमुतनाजा) मजकूरपर काबिजहैं और कब्जा मजकूर कायमरखने के मुस्तहक़ हैं उसवक्त तक कि वह जाबिता कानूनीके बमूजिब बेदखल कियेजायें-और हमताकीदन् मुमानियत करते हैं कि इस दर्मियानमें कोई शख्स उसके या उनकेकब्जे में मुजाहिम न हो॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

२३—वारंट कुर्की वक्त तनाजा बाबत कब्जे अराजी वगैरह ॥

(देखो दफा १४६–)

बनाम अहल्कार मोहतमिम स्टेशन पुलिस मुकाम—
(या बनाम कलक्टर मुकाम—)

हरगाह हमारे रूबरू यह जाहिर कियागयाहै किएक तनाजा जिससे नुक्जअमन होनेका एहतमाल है माबैन (यहां उन अशखासकेनाम व सकूनत लिखीजायेगी जिनमेंनिजाअहो या सिर्फ सकूनत जबकि निजाअ माबैन जमाअत सिकनाय देहकेहो) निस्वत (यहां मुख्तसिर हालशै मुतनाजाका लिखाजायेगा) जोहमारे इलाकेकी हुदूदके अन्दर वाकै है बरपाहुआ है और उसपर फरीकैन मजकूरको हस्बजाबितै हुक्म हुआथा कि अपना दावा निस्वत अम्रकब्जैवाकई (शैनिजाई) मजकूरकेतहरीरन् पेशकरें और हरगाह दुआवी मजकूर की तहकीकात बाजाबितह अमल में लाकर हमारी यहतजवीज करारपाई है कि फरीकैन में से कोई फरीक (शै मुतनाजअ) मजकूरपर काबिज न था या हम अपना इतमीनान नहीं करसक्ते हैं कि फरीकैन में से कौन फरीक हस्ब बयान मुतजक्किरैबाला काबिजथा ॥

लिहाजा इसतहरीरकी रूसे तुमकोअख्तियार और हुक्म दिया जाताहै-कि (शैमुतनाजअ) मजकूरको इसतौरसे कुर्ककरो कि उस को लेकर अपनेकब्जे में रक्खो-और जबतक कि डिक्री या हुक्म किसीअदालत मजाजका मुशअरतास्फिये हुकूकफरीकैन या दावी मुकाबिजतके सादिर और हासिल न होले उसको कुर्क रक्खो और इस वारंटको बाद लिखनेइबारत जोहरी बतसदीक इस अम्र के कि उसकी तामील क्योंकर कीगई वापिस भेजो ॥

आज बतारीख —— माह —— सन् १८ ई०

हमारेदस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारीकियागया॥

(मोहर) (दस्तखत)

२४—हुकम इमतनाई मजिस्ट्रेट निस्बत
इस्तैमाल जमीन या पानीके॥

(देखो दफा १४७)

चूंकि तनाजा निस्बत हक इस्तैमाल (यहां मुख्तसिर बयान शै मुतनाजेका लिखाजायगा) के जो हमारे इलाकेकी हुदूदके अन्दर वाके है और जिसअराजी (या पानी) परतनहा काबिज होनेका दावा तरफसे (यहां शख्स या अशखासकेनाम लिखेजायंगे) के पेशहुआ है और उसकी निस्बत तहकीकात बाजाबिता करनेके हमको साबितहुआ है कि उसअराजी (या पानी) के इस्तैमाल और तसर्रुफ का हकखलायकको (या अगरकिसी एकशख्स या किस्म अशखासको ऐसाहक हासिलरहाहै तो उन का नामऔर पता लिखा जायेगा) हासिलरहा है और यह कि (अगर उसका इस्तैमाल तमामसालमें होसक्ताहो) अराजी या पानी मजकूरका इस्तैमाल तहकीकात मजकूरके शुरुअहोनेसे तीनमहीने पहिले हासिलहोता रहाहै (या अगर उसका इस्तैमाल सिर्फबाज खास औकातपर होसक्ताहो तो यह लिखाजायेगा कि उसका इस्तैमाल उन औकात में से सबसे पिछले औकातमें हासिल रहाहै जिनमें उसका इस्तैमाल करना मुमकिनहै)॥

पसमैं हुक्मदेताहूं कि मुसम्मी—(जो दावेदार या दावेदारान् कब्जाहैं) याकोई और शख्सउनका वास्तादार अराजी (यापानी) मजकूरपर बइखराज हक इस्तफादे व इस्तैमाल मुतहास्सिले खल्कुल्लाके तनहा कब्जा न करे और कब्जा न रक्खे तावक्ते कि वहशख्स (या अशखास) किसीअदालत मजाजसे ऐसीडिकरी या हुक्म हासिल न करे (या न करें) जिसमें उसको (या उनको) कब्जा तनहा दिलायागयाहो॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी किया गया॥

(मोहर) (दस्तखत)

२५—मुचलका और जमानतनामा जो वक्त तहक़ीकात इब्तिदाई रूबरू अहल्कार पुलिसके लिखा जायगा॥

(देखोदफ़ा १६९—)

चूंकि मुझ (नाम) पर इल्जाम इर्तिकाबजुर्म—का लगाया गया है और बाद तहकीकात के मुझको हुक्म हुआ है कि रूबरू साहब मजिस्ट्रेट मुकाम—के हाजिरहों॥

या

और बाद तहकीकात के मेरे नाम हुक्म हुआ है कि मुचलका इस इकरार के साथ में खुदलिखदूं कि जब कभी मेरी तलबी होगी मैं हाजिर हूंगा॥

इस तहरीर की रूसे अपने तईं पाबंद करता हूं कि मुकाम—पर बीचअदालत—बतारीख—माह—आयन्दा (या किसी और रोज जो मेरी हाजिरी के लिये मुकर्रर किया जाये) हाजिर होकर जुर्म करारदादह की जवाबदिही मजीद करूंगा और अगर इस इकरार के बजालाने में कुसूर करूं तो मुबलिग—बतौर तावान मलिका मुअज्जिमा कैसरहिंद के हुजूर अदाकरूंगा॥

मवर्रखे—माह—सन् १८ ई०॥

(दस्तखत)

मैं—(या हम मुश्तरकन् और मुन्फरदन् अपनी २ तरफ से इकरार करते हैं) इकरार करताहूं कि मैं (या हम) मुसम्मा—की तरफसे इसबात का जामिन हूं (या हैं) कि मुसम्मा—मजकूर तारीख—माह—आयन्दा को (या किसी और तारीखपर जो बादअर्जी उसकी हाजिरी के लिये मुकर्रर कीजाय) अदालत—वाकैमुकाम—में इसगरज से हाजिर होगा कि अपने जिम्मेके जुर्म करारदादह की जवाबदिही मजीदकरे और अगर वह हाजिरहोने में कुसूरकरे तो मैं या हम अपने तईं पाबंद करताहूं

(या करतेहैं) कि मुबलिग—बतौर तावान मलिकामुअज्जिमा कैसराहिंदके हुजूरमें अदाकरूंगा (या करेंगे)॥

मवर्रुखे —— माह —— सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

२६ मुचाल्का पैरवीनालिश या अदाय शहादत॥

(देखो दफा १७०-)

मैं (नाम) साकिन (मुकाम) इसतहरीरकी रूसे इकरार करताहूं कि मैं तारीख — माह — आयन्दाको बवक्तनवाख्त—घंटारोज बमुकाम - बअदालत - बमुकद्दमे इल्जाम — बनाम- हाजिर होकर वहां नालिशकी पैरवी (या नालिशकी पैरवी और अदाय शहादत या अदाय शहादत) करूंगा और अगर इस में कुसूर करूं तोमैं इकरार करताहूं कि मुबलिग —रूपया मलिका मुअज्जिमा कैसरहिंददाम अकबालहाकोबतौर तावानअदाकरूं॥

मवर्रुखे—माह—सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

२७—इत्तिलाअसिपुर्दगीमुकद्दमामिन्जानिबमजिस्ट्रेटबनाम वकील सर्कार ॥

(देखोदफा २१८-)

मजिस्ट्रेट मुकाम—इस तहरीरकी रूसे इत्तिलाअ देताहै कि उस ने मुसम्मा—को इजलास सिशन आयन्दामें तजवीज मुकद्दमा के लिये सिपुर्द कियाहै-पसमजिस्ट्रेट मजकूर इसतहरीरकी रूसे वकीलसर्कारको हिदायत करताहैकिमुकद्दमामजकूरकी पैरवीकरे॥

इल्जाम जो बनाम मुल्जिमके लगायागयाहै यहहै कि अलख (यहां इल्जाम हस्ब फर्दकरारदाद जुर्मके लिखाजायेगा)

मवर्रुखे——माह—सन् १८ ई० ॥

(दस्तखत)

२८—फर्द करारदादजुर्म ॥

(देखोदफआत २२१-व २२२-व २२३-)

(१)—फर्दकरारदादजुर्म जिसमें एकइल्जामहो॥

(अलिफ) मैं (मजिस्ट्रेट वगैरहका नाम और ओहदा) इस

तहरीरकी रूसे तुम (शख्स मुल्जिमका नाम) परहस्बतफसील जैल इल्जाम कायम करता हूं ॥

(बे)--कि तुमने तारीख——माह——को याउसके करीबमौके ----परहजरत मलिकामुअज्जिमा कैसरहिंदके मुकाबिले में जंगकी लिहाजा तुमउसजुर्मके मुर्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिंदकी दफा १२१–में मुकर्ररहै और जो अदालतसिशनकी समाअतकेलायकहै–(जबफर्दकरारदाद जुर्मको प्रेजीडंसी का मजिस्ट्रेट तरतीबदे तोबजाय अदालत सिशनके अदालतहाईकोर्ट कायमकी जायगी ॥

ऐक्ट४५सन्१८६०ई०– बरबिनायमजमूआताजीरात दफा १२१

(जीम) औरमैं इसतहरीर के जरिये से हुक्म देताहूं कि तुम्हारे मुकद्दमाकी तजवीज बरबिनायइल्जाम मजकूरअदालत मौसूफा के रूबरूअमल में आये ॥

(मजिस्ट्रेट के दस्तखत और मोहर)

फिकरे (बे)केएवज यह इबारत कायम होसक्तीहै ॥

(२)– कितुमनेतारीख—माह– को या उसके करीब मुकाम—पर आनरेबिल—साहब मेम्बरकौंसल जनाब नव्वाबगवर्नर जनरलबहादुर हिंदको यह नतीजापैदाकरने केलिये कि साहब मौसूफ अपने मंनसब मेम्बरीके अख्तियारातजायजकी तामील से बाजरहैं उनपरहमला किया–लिहाजा तुमउस जुर्मके मुर्तकिबहुये जिसकीसजा मजमूये ताजीरातहिंदकी दफा १२४—में मुन्दर्ज है–और जो अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट)की समाअतके लायक है ॥

दफा१२४—कीबिनापर, ऐक्ट४५सन्१८६०ई०,

(३)–तुमने सीगे —मेंसर्कारी मुलाजिम होकर मुसम्मा—सेमिन्जानिब मुसम्मा—किसीमंसबी अमल केकरनेसे बाजरहने केलिये अज्रजायजके सिवा माबउल् एहतिजाज बतौर वजह तहरीक सरीहन् कबूलकिया–लिहाजा तुमउस जुर्मके मुर्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरात हिंदकीदफा

दफा१६१—कीबिनापर,

१६१–में मुन्दर्ज है–और जो काबिल समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) केहै ॥

(४) तुम तारीख ——माह——को या उसके करीब मुकाम——पर (फेल या तर्कफेलके मुर्त्तकिब हुये जैसी सूरतहो)
दफा १६६–की बिनापर, और वहफेल खिलाफ मंशाय दफा——ऐक्ट——केहै और तुमजानतेथे कि उस फेलसे———को जरर पहुँचेगा——और इसवजहसे तुम ऐसे जुर्मके मुर्त्तकिब हुयेहो जिसकी सजा मजमूये ताजीरात हिन्दकी दफा १६६—में मुंदर्ज है और औरजो लायक समाअत अदालत सिशन (या हाईकोर्ट) केहै ॥

(५) तुमने तारीख——माह ——को या उसके करीब मुकाम——
दफा १९३–की बिनापर, ——पर जबकि——शख्स मुकद्दमाकेकी तजवीज दरपेश थी रूबरू——केअपनी शहादतमें यहबयान किया कि——औरतुम इस बयानको जानतेथे या बावरकरतेथे कि झूठहै या तुम इसको सच बावर नहीं करते थे और उस वजहसे तुमने ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिंद की दफ़ा १९३––में मुन्दर्ज है–और वह लायक समाअत अदालत सिशन (या हाईकोर्ट) केहै ॥

(६) तुम तारीख — माह——को या उस के क़रीब मुकाम——
दफा ३०४–की बिनापर, पर मुसम्मा——की हलाकतके बाअस होकर जुर्म कत्ल इन्सान मुस्तल्जिम सजाके मुर्त्तकिबहुये जो कत्लअमद की हद्दतक नहीं पहुंचता-पस तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफ़ा ३०४-में मुन्दर्ज है–औरजो लायक़ समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) केहै ॥

(७) तुमने तारीख ——माह——कोया उसकेकरीबमुकाम——
दफा ३०६–को बिनापर, पर मुसम्मा——की खुदकुशीमें जब उसनेनशे की हालतमें अपने तईं हलाक किया अआनतकी-लिहाजा तुम उसजुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफ़ा ३०६-में मुन्दर्ज है-और जो काबिल समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) केहै ॥

(८) तुमने तारीख——माह——को याउसकेकरीबबमुकाम
दफा ३२५—की विनापर, ——बिलइरादह——को जररशदीद पहुँचाया लिहाजा तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३२५——में मुकर्रर है-और जो काबिल समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) केहै ॥

(९)तुमने तारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम—
दफा३९२—कीविनापर, सरकैबिलजब्र निस्बत(यहां नाम लिखाजायगा) केकिया-और इसवजहसे ऐसेजुर्मका इर्त्तिकाब कियाजिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्द की दफा३९२—में मुन्दर्जहै-औरजो काबिल समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट)केहै ॥

(१०) तुमने तारीख——माह——को या उसके करीब बमु-
दफा३९५—कीविनापर, काम——डकैती यानी ऐसे जुर्मका इर्त्तिकाब किया जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा ३९५--में मुन्दर्जहै-औरजो काबिलसमाअत अदालत सिशन (याअदालत हाईकोर्ट) केहै ॥

[जिन मुकद्दमातकी तजवीज मजिस्ट्रेट करे उनमें बजाय इस इबारत के "काबिल समाअत अदालत सिशनके है" यह इबारत लिखनी चाहिये-"काबिल मेरी समाअत के है" और (जीम) में लफ्ज "अदालत मौसूफा" मतरूक करना चाहिये] ॥

(२) फर्दक़रारदाद जुर्मजिसमें दो
या जियादह इलजामहों॥

(अलिफ)—मैं (मजिस्ट्रेट वगैरहका नाम और ओहदा)इस तहरीर की रूसे तुम (शख्स मुल्जिम का नाम) पर इल्ज़ाम हस्ब तफ्सील जैल कायम करताहूं ॥

(बे)--अव्वलन् यहकि तुमने तारीख——माह——को याउसके
दफा२४१—की विनापर, करीब बमुकाम——एकसिक्केकोमुल्तबिसजानकर दूसरे शख्स मुसम्मा ——को मिस्ल सिक्काअसलीके हवाले किया-लिहाज़ा तुम उसजुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सज़ा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफा २४१--में मुन्दर्ज है— और जो लायकसमा

ऐक्ट४५-सन्१८६०ई०अतअदालतसिशन(याअदालतहाईकोर्ट)केहै॥

सानियन्--यह कि तुमने तारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम ——एक सिक्केका मुल्तबिस होना जानकर एक और शख्स मुसम्मा——को इसबातपर आमादा करनेका इक़दाम किया कि वह असली सिक्केकी हैसियतसे उसको ले-लिहाज़ा तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिबहुये जिसकी सज़ा मजमूये ताज़ीरातहिन्दकी दफ़ा २४१-में मुन्दर्ज है-और जो काबिल समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) के है॥

(जीम) और मैं इसतहररीर के जरिये से हुक्मदेताहूं कि तुम्हारे मुकद्दमा की तजवीज बरबिनाय इल्जाम मजकूर अदालत मौसूफा से अमलमें आये ॥

(मजिस्ट्रेट के दस्तखत और मोहर)

बजाय फिकरै (बे) के यह इबारत कायम होसक्ती है॥

(२) अव्वलन्--यह कि तुमतारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम—— मुसम्मा——की हलाकत का बाअस होने से कत्ल अमदके मुर्त्तकिबहुये लिहाज़ा तुमने उसजुर्मका इर्त्तिकाबकिया जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफ़ा ३०२-में मुन्दर्ज है-और जो लायक समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) केहै॥

दफ़ात ३०२-व ३०४-की बिनापर,

सानियन्- यह कि तुम तारीख——माह——को या उसके करीब बमुकाम——मुसम्मा——की हलाकतका बाअस होनेसे ऐसे कत्ल इन्सानमुस्तल्जिम सज़ाके मुर्त्तकिबहुये जो हदकत्ल अमदतक नहींपहुँचता-लिहाजा तुमनेउसजुर्मका इर्त्तिकाबकिया जिसकीसज़ा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफ़ा ३०४--में मुन्दर्ज है-और जो लायक समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) के है॥

(३) अव्वलन्——यह कितुमनेतारीख——माह——को याउसके करीबबमुकाम——सिरकेका इर्त्तिकाब किया-लिहाजा तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिब हुये जिसकी सजा मजमूये ता-

दफ़ात३७९व३८२कीबिनापर

जीरातहिन्द की दफ़ा३७९--में मुन्दर्ज है और जो लायक समाअत अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) के है ॥

सानियन्-यह कि तुमनेतारीख़----माह----को याउसके क़रीबव-मुक़ाम----बग़रज़इर्तिकाबसर्क़ा किसीशख़्सकी हलाकतका बाअ़स होनेकीतय्यारी करकेसरक़ेका इर्तिकाबकिया-लिहाज़ातुम उसजु-र्मकेमुर्त्तकिबहुये जिसकीसज़ा मजमूयेताजीरातहिंदकी दफ़ा३८२-में मुन्दर्ज है-और जोलायक़ समाअ़तअदालत सिशन(या अदा-लत हाईकोर्ट) के है ॥

सालिसन्-यहकि तुमने तारीख़----माह---- को या उसकेक़रीब बमुक़ाम--एकशख़्सके मुज़ाहिम होनेकी तय्यारी इसग़रज़ से करके सरक़े का इर्तिकाब किया कि सरक़ाकरके तुमको भाग जानेका मौक़ामिले-लिहाज़ा तुम उस जुर्मके मुर्त्तकिब हुये जिसकी सज़ा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफ़ा ३८२--में मुन्दर्ज है- और जो लायक़ समाअ़त अदालत सिशन (या अदालत हाईकोर्ट) के है ॥

राबअन-यह कि तुमने तारीख--माह----को या उसकेकरीब बमुक़ाम----उसमालको बचारखनेकी ग़रज़से जो तुमने सरके से हासिल किया किसीशख़्सको जररपहुंचानेकी तख़वीफ़की तय्यारी करके सरक़े का इर्तिकाबकिया-लिहाज़ा-तुम उसजुर्म के मुर्त्तकिब हुये जिसकीसज़ा मजमूये ताजीरातहिन्दकी दफ़ा ३८२--मेंमुन्दर्ज है-और जो लायक़ समाअत अदालत सिशन (या अदालतहाई-कोर्ट) के है ॥

(४) तुमने तारीख — माह--को या उसकेक़रीब बमुक़ाम इल्ज़ामात अलातरिकुलव—जब कि—कीनिस्बत तहक़ीक़ात दरपेश दलदफ़ा १८३-कीबिनापर, थी—के रूबरू अदाय शहादत में यह बयान कियाकि—औरतुमनेबतारीख--माह--याउसकेक़रीबबमुक़ाम— जबकि—शख़्सकेमुक़द्दमेकी तजवीज़दरपेशथी—कि रूबरू अदा यशहादतमें यह बयान किया कि—और उन बयानातमेंसे एक को तुमझूठजानतेथे या बावर करतेथे या सचबावर नहींकरते थे-लिहाजा तुमने उस जुर्मका इर्तिकाब किया जो हस्बदफ़ा १९३--

मजमूये ताजीरातहिन्द के काबिलसजा और लायक़ समाअत अदालत सिशन (याअदालतहाईकोर्ट) के है ॥

[जिनमुक़द्दमों की तजवीजकिमजिस्ट्रेट के रूबरूहो उन में बजायइबारत "काबिल समाअत अदालत सिशनके" यह लिखना चाहिये "लायकमेरी समाअतके" और (जीम)की इबारतमें "अदालत मौसूफा" मतरूक करनी चाहिये] ॥

(३)फ़र्द क़रारदाद जुर्म सरके जब मुल्जिमपर साबिक़ में कोई जुर्म साबित क़रार पाचुकाहो ॥

मैं (नाम और ओहदे मजिस्ट्रेटवगैरह) बज़रिये इसतहरीरके तुम (नामशख्समुल्जिम) पर हस्ब तफ्सील जैल इल्जाम कायम करता हूं ॥

कि तुमनेतारीख——माह——कोयाउसके क़रीब बमुक़ाम—— सरकेका इर्तिकाबकिया-और इसवजहसे उसजुर्म के मुर्त्तकिब हुये जिसकी सज़ा मजमूये ताजीरातहिंदकी दफा३७९—मेंमुन्दर्ज ऐक्ट ४५सन्१८६०ई० है- और जोलायक समाअत अदालत सिशन ({या हाईकोर्ट या मजिस्ट्रेट} जैसी सूरतहो) केहै ॥

और तुम (यहां नाम मुल्जिमका लिखा जायेगा) मजकूरपर यह इल्जामभी कायम हुआ है-कि क़ब्लइर्त्तिकाब जुर्म मजकूरके यानी तारीख—माह—को रूबरू (यहां नाम उस अदालत का लिखाजायेगा जिसकी तजवीज से जुर्म साबित क़रारपायाहो) मुक़ाम-पर तुम्हारे जिम्मे ऐसा जुर्म साबित क़रार पाया जिस कीसजा हस्ब मुन्दर्जे बाब १७--मजमूये ताजीरातहिंद क़ैदता मीआद३-तीनिबरसकेमुकर्ररहै-यानीजुर्म नक़बजनी बवक्तशब(इस जगह जुर्मकी तारीफ उन्हीं अल्फाजसे लिखीजायेगी जोउसदफामें हों जिसके बमूजिब शख्स मुल्जिमपर जुर्म साबित क़रारपायाहो) और वह हुक्म जिसकी रूसे वह जुर्म साबित करारपाया या अब-तक नाफ़िज व मवस्सरहै-और तुमइस वजहसे हस्ब मन्शाय दफा ७५—मजमूये ताजीरातहिंदके सजाय इजाफा शुदह पाने के लायक़ हो ॥

और मैं बजरिये तहरीर हाज़ाहुक्म देताहूं कि तुम्हारे मुकद्दमे कीतजवीज़ अमल में आवे अलख ॥

२९—वारंट हवालगी वरबिनायहुक्मसजाय क़ैद या जुर्माना मुसद्दिरे साहब मजिस्ट्रेट॥

(देखोदफ़आत २४५-व २५८-)

बनाम सुपुरिंटेंडंट (या मुहाफ़िज़) जेलखाने मुक़ाम ——

हरगाहतारीख —माह—सन् १८ई०को मुसम्मा—(क़ैदी कानाम) (क़ैदीअव्वल—दोम—सोम—जैसीसूरतहो) बमुक़द्दमहनम्बर-मुन्दर्जे कलन्दरै सन्१८ ई०रूबरूमुभ (नाम और ओहदा हाकिम मुजव्विज) बइल्लत जुर्म (यहां जुर्म या जरायमकी तफ्सील मुख्तसिर लिखी जायेगी) हस्ब मन्शाय दफ़ा (यादफ़आत)—मजमूये ताजीरातहिंद (याऐक्टके) मुजरिम क़रारपाया और उसपर हुक्म सज़ाय—(यहां सराहत मुकम्मिल और मुशर्रह सज़ाकी लिखी जायेगी) सादिरहुआथा ॥

लिहाज़ा आप सुपुरिंटेंडंट (या मुहाफ़िज) को अख्तियार और हुक्म दियाजाताहै कि मुसम्मा (क़ैदीकानाम) को मै वारंट हाज़ा जेलखानेके अंदर अपनी हिरासतमें लेकर वहां हुक्मसजाय मुतज़क्किरह सदरकी तामील कानूनके मुताबिक़ कीजिये ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तख़त)

३०—वारंटक़ैद जब जरमुआविज़ा बज़रिये कुर्की वसूल न होसके ॥

(देखो दफ़ा २५०-)

बनामसुपुरिंटेंडंट (यामुहाफ़िज़) जेलखाना मुक़ाम—चूंकि मुसम्मा (नाम और तफ्सील यानी वल्दियत व क़ौमियत) ने बनाम मुसम्मा (नाम और तफ्सील यानी वल्दियत व क़ौमियत शख्स मुल्ज़िम) यह नालिशकी है कि (मुख्तसिरहाल नालिश का बयान कियाजाय) और नालिश मज़कूर वे असल या बराह

ईजारसानी क़रारपाकर खारिज़ की गईहैं—और हुक्म इखराज में मुतलिग़—रुपयाबतौर मुआविजा मुसम्मा (नाम मुद्दई) के ज़िम्मेआयदकिया गयाहै—और हरगाह मुतलिगमजकूर हिनोज़ अदा नहींहुआहै—और मुसम्मा (नाममुद्दई)की जायदाद मन्कूला कीकुर्कीसे वसूल नहींहोसक्ताहै—और उसकीनिस्बत हुक्मसादिर हुआहै कि वह मीआद—केलिये जेलखानेमें कैद महज़में रहै—इल्ला उसहालतमें कि ज़र मुआविज़ामजकूर मीआद के इन्क़िज़ा से पहिले अदा होजाय॥

पस इस तहरीर की रूसे आप सुपरिंटंडंट (यामुहाफ़िज़) मज़कूरको अख्तियारदियाजाताहै और हुक्महोताहै—कि मुसम्मा—मज़कूरको मैवारंट हाज़ा अपनी हिरासत में लेकर मीआद—(यहां मीयाद क़ैदलिखी जायेगी) मज़कूरके लिये जेलखानेमज़कूरमें अपने पास हिफ़ाजतसे बक़ैद शरायत दफा ६९—मजमूये ताजीरात हिंदके रक्खे—इल्ला उस सूरतमें कि ज़र मुआविजा मीआद के इन्क़िज़ासे पहिले अदाहोजाय—और बफौर अदाहोनेजर मुआविजा के उसको रिहा करदीजिये—और इसवारंटको बाद तहरीर इबारत जोहरी मुशअर तसदीक़ तरीक़ै तामील उसके के वापिस भेजिये॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया॥

(मोहर)   (दस्तखत)

३१—सम्मन बनाम गवाह॥

(देखो दफ़आत ६८—व२५२—)

बनाम मुसम्मा— साकिन—

हरगाह हमारे रूबरू नालिश हुईहै किमुसम्मा—साकिन—से जुर्म (यहां जुर्म का मुख्तासिरहाल बक़ैद वक्त और मौक़ा के लिखाजायेगा) कामुर्तकिब हुआ है (या उसके इर्त्तिकाबका उस पर शुभाकियागयाहै) और हमको मालूम होताहै कि तुम मुस्तगीसकी तरफ़से शहादत मुतअल्लिक़ै उमूर अहमदेसकोगे॥

लिहाजा तुम्हारेनाम सम्मन भेजाजाता है कि तारीख—माह ——आयन्दाको दोपहरसे पहिलेवक्त१०—दशबजे के इसअदालत में इस गरजसे हाजिरहो कि नालिश मजकूरकीबाबत जो कुछ तुम को मालूमहो उसकी निस्बत शहादतदो और बिला इजाजत अदालतके वहांसेचले न जाओ और तुमको बजरिये इसके मुतनव्वा कियाजाताहै—कि अगर तुम बिलावजह जायज तारीख मजकूर पर हाजिर होने से ग़फ़लत या इन्कार करोगे—तो तुम्हारी हाजिरी बिलजब्र के लिये वारण्टजारी कियाजायेगा ॥

आजबतारीख—माह — सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

३२ ——प्रेसपट बनाममजिस्ट्रेट जिलाबगरज
तलबो अहालीजूरी व असेसरान ॥

(देखो दफ़ा ३२६-)

बनामसाहब मजिस्ट्रेट जिला——मुक़ाम——

हरगाह यह अम्र क़रारपायाहै—कि जलसै सिशन सीगै फौजदारी तारीख——माह—— आयन्दाको बकचहरी मुक़ाम——इनअक़ाद पाये—और नाम अशखास मौसूमा प्रैसपट हाजाके उन अहालीजूरी और असेसरोंकी फहरिस्त मुसहेसे जो इस अदालत में भेजीगईथी हस्ब जाबितै बजरिये चिट्ठीडालनेके मुन्तखिबकिये गये हैं—लिहाजा आपको बजरिये इसके हुक्महोताहै किआपअशखास मजकूरके नाम सम्मन इसहुक्म से जारी करें किवह तारीख मजकूर को १०—दशबजे क़ब्लदोपहर के जलसै सिशन मजकूरमें हाजिरहों—और आपको चाहिये कि तारीख मजकूरसे पहिले इस अम्र की तसदीक लिखभेजें कि आपने इसअम्र प्रैसपट के मुताबिक अमल कियाहै ॥

(इसजगह नाम अहालीजूरी और असेसरों केलिखे जायेंगे)

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

३३—सम्मन बनाम असेसर या अहलजूरी

(देखो दफ़ा ३२८--)

बनाम मुसम्मा— साकिन—

बमूताबिक़त हुक्मक़ैमपट जोमुक़ाम—की अदालतसिशन से मेरे नाम पहुंचाहै-और जिसमें तुम्हारेनाम हिदायत हुई है कि जलसै सिशन आयन्दा सीगै फ़ौजदारी में बतौर असेसर (या अहलजूरीके) हाजिर हो--लिहाज़ा तुम्हारेनाम सम्मनजारीहोता है कि तारीख—माह—सन् १८ ई० को बवक़्तवाख्त १०-दश घंटे क़ब्लदोपहरके अदालत सिशन मज़कूर में हाजिरहो ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारेदस्तखत और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

३४—वारंट हवालगी बरबिनाय हुक्मसजायमौत ॥

(देखोदफ़ा ३७४-)

बनाम सिपुरिंटंडन्ट (यामुहाफ़िज़) जेलखानामुक़ाम ——

हरगाह इजलास सिशनमें जो बतारीख—माह—सन् १८ ई०-हमारेहुजूर हुआथा मुसम्मा (नामक़ैदी) (क़ैदी नम्बर अव्वल या दोम या सोम जैसीसूरतहो) बमुक़द्दमें नम्बर—मुन्दर्जैकलंदरै सिशन मज़कूर की निस्बत जुर्मक़त्ल इन्सान मुस्तल्जिम सज़ा जो क़त्ल अमदकी हद्दकोपहुंचताहै बमूजिबदफ़ा—मजमूयेताजीराताहिन्दके हस्बजाबितै साबितकरार पायाथा-और उसकी निस्बत ऐक्ट४५-सन्१८६०ई०, हुक्म सजाय मौत बशर्त बहाली हुक्म मज़कूर बतजवीज़ अदालत——सादिर हुआथा ॥

पस इसतहरीर की रूसे आप सिपुरिंटंडंट (यामुहाफ़िज़) जेलखानेकोअख्तियार दियाजाताहै और हुक्महोताहै-कि मुसम्मा-

क़ैदीमजकूरको मै वारंटहाज़ा जेलखाने मजकूर के अंदर अपनी हवालगी में लेकर उसको वहां उसवक्ततक हिफ़ाज़त से रक्खें कि वारंट या हुक्मसानी इस अदालतकामुशअर हिदायत तामील हुक्मअदालत मुतजक्किरै सदर आपके पासपहुंचे ॥

आज तारीख़—माह—सन् १८ ई० को हमारे दस्तख़त और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तख़त)

३१—वारंट बगरज तामील हुकमसजाय मौत ॥

(देखो दफ़ा३८१-)

बनाम सिपुरिंटंडंट (या मुहाफ़िज़) जेलखाना मुक़ाम—

हरगाह बज़रिये वारंट अदालत हाज़ा मवर्रुखै—माह—सन् १८ ई० मुसम्मा (नामक़ैदी) (क़ैदीनम्बर अव्वल या दोम या सोम जैसी सूरतहो) मुक़द्दमै नम्बर— मुन्दर्जै कलंदरह सिशन जो तारीख—माह—सन् १८ ई० को हमारे रूबरू हुआथा बमूजिबहुक्मसजायमौत आपकी हिरासतमें सिपुर्द कियागया-औरहरगाह हुक्म अदालत—मुकाम—मुशअरबहाली उसहुक्म सजाके इसअदालत में पहुंचा है ॥

पस इसतहरीरकी रूसे आप सिपुरिंटन्डंट (या मुहाफ़िज) जेलख़ानेको अख्तियार दियाजाताहै और हुक्म होताहै-कि हुक्म मज़कूर की तामील इसतौरसे कीजिये कि तामीलसजाकीमामूली वक्त और मुक़ामपर मुसम्मा—मजकूरगुलूबस्ताउसवक्ततक लटकायाजाय जबतक कि उसकी जान निकलजाय-और इस वारंट को बाद तहरीर इबारतजोहरी बतसदीक इसअम्र के कि हुक्म की तामील होगई अदालत हाजाको वापिस भेजिये ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

३६—वारंट जो बादतब्दील हुक्म सजाकेजारी कियाजायेगा ॥

(देखो दफ़आत ३८१—और ३८२—)

बनाम सुपुरिंटेंडन्ट (यामुहाफिज) जेलखाने मुकाम—

हरगाह उस इजलास सिशनसे जो बतारीख —माह——सन् १८ ई० मुनअकिद हुआथा मुसम्मा (नाम कैदी) (कैदी नम्बर अव्वल या दोम या सोम जैसी सूरतहो) बमुकद्दमा नम्बर-मुन्दर्जा कलन्दरा सिशन मजकूर की निस्बत जुर्म—जिसकी सजा मजमूये ताजीरातहिन्द की दफा—-में मुकर्रर है साबित करार पाकर उसकी निस्बत हुक्मसजाय——सादिरहुआ और उसकेबाद वह आपकी हिरासतमें सिपुर्दकियागया—और हरगाह मुताबिक हुक्मअदालत—मुकाम—(जिसका मुसन्ना शामिल वारण्टहाजा के है) वह सजा जो हुक्ममजकूरमें तजवीज हुई थी तब्दील होकर उसके एवजसजाय हब्सदवामबउबूर दरियायशोर (या जैसी सूरतहो) तजवीज कीगई है ॥

पस इसतहरीर की रूसे आप सुपुरिंटेंडंट (या मुहाफिज जेल-खाने) को अख्तियार दियाजाताहै और हुक्म होताहै कि मुसम्मा (कैदीकानाम) को हस्ब मंशायकानून जेलखानै मजकूर में अपने जेरहिरासत उसवक्ततक रक्खें जब कि आपके नाम हुक्म आये कि क़ैदीमजकूर को हुक्ममस्तूर के बमूजिब सजायहब्सबउबूर द-रियायशोरको भुगतनेकेलिये दूसरेओहदेदार मुनासिबकीहिरासत में सिपुर्द करदें ॥

या अगर सजाय तब्दीलशुदह सजायक़ैदहो बाद अल्फ़ाज़ "जेलखानै मजकूरमें अपनी जेर हिरासत रक्खें" यह इबारत लिखी जायगी "और वहां हस्ब मंशाय कानून तामील सजाय कैदकी मुताबिक हुक्म मजकूर के करें" ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर)   (दस्तखत)

८९—वारंट वसूल जुर्माना बज़रिये कुर्की वं नीलाम के॥

(देखो दफ़ा ३८६—)

बनाम (नाम और ओहदाउसअहल्कार पुलिसया और शख्स या अशखास का जिसको या जिनको वारंटकी तामील सिपुर्दहो)

हरगाहतारीख—माह—सन् १८ ई० को हमारे रूबरू मुसम्मा (यहां नाम औरतफ़सील याने वल्दियत व कौमियत मुजरिम की दर्जहोगी) के जिम्मेजुर्म (यहां जिक्र मुख्तसिर जुर्मका लिखाजायगा) साबित करार पाकर उसकी निस्बत हुक्म अदाय जुर्माना तादादी—रुपया सादिर हुआथा--और मुसम्मा— मजकूरने बावस्फ़ इसके कि उससे जुर्माना मजकूर तलबहुआ था जुर्माना मजकूर या उसका कोई जुज्व अदा नहीं कियाहै॥

लिहाजा तुमको अख्तियार दियाजाता औरहुक्महोताहै कि कुर्की बज़रिये कब्जेमेंलाने किसी माल मन्कूला ममलूकामुसम्मा-मज़कूरके जो ज़िले-के अंदर दस्तियाबहोकरो-और अगर अंदर मीआद (यहां तादादअय्याम या घंटोंकी जिस क़दर मोहलत दीजाय दर्जहोगी) बादवकूअकुर्कीमज़कूरके तादादजुर्माना अदानकीजाय (या फ़ौरन् अदा न हो) जायदाद मन्कूला कुर्क शुदहको या उस क़दर जुज्व उसका जो ज़ुर्माना बेबाक़ करनेके लिये काफ़ीहो नीलामकरो—और इस वारंटको बाद तहरीर इबारत ज़ोहरी बतसदीक़ इस अम्रके कि उसके मुताबिक़ तुमने क्या काररवाई की बफ़ौर इख्तिताम तामील वारंटके वापिस भेजो॥

आज बतारीख़—माह— सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारीकिया गया॥

(मोहर) (दस्तख़त)

९०—वारंट हवालगीमुतअल्लिक़े बाज़ मुक़द्दमात अहानत अदालत जबकि जुर्माना किया जाय॥

(देखो दफ़ा ४८०--)

बनाम सुपरिंटंडंट (या मुहाफ़िज़) जेलख़ाने मुकाम—

हरगाह अदालत के इजलास में जो आजके रोज़हुआ था मु-

सम्मा (यहां नाम और तफसील याने वल्दियत व क़ौमियत मुजरिमकी लिखीजायेगी) ने अदालतके रूबरू या उसके मवाजह में बिलअसद अदालतकी अहानतकी ॥

और हरगाह बपादाश ऐसी अहानत के अदालतसे यह हुक्म सादिर हुआहै कि मुसम्मा (मुजरिमकानाम) जुर्माना तादादी- अदाकरे या दरसूरत अदम अदाय जुर्माना मीआद—तक(यहां तादाद महीनों या रोजोंकी दर्जहोगी) ॥

कैद महजमें रहे ॥

लिहाजा आप सुपुरिंटंडंट (या मुहाफ़िज़) जेलखाने-को इ- जाजत और हुक्म दियाजाताहै--कि मुसम्मा (नाम मुजरिम) मज़कूरको मय वारंट हाज़ाके अपनीहिरासत में लेलीजिये और- मीआद मज़कूर(यहां मीआद कैद लिखी जायगी) के लिये जेलखाने मज़कूरमें उसको हिफ़ाज़तसे रखिये इल्ला उस सूरत में कि जर जुर्माना अंदर मीआदके अदा होजाय और जुर्मानावसूल होने पर उसको फ़ौरन रिहा करदीजिये--और इस वारंटको उसकी जोहरपर इस अम्रकी तसदीक़ लिखकर कि उसकीतामील क्यों- करहुई वापिस कीजिये ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहर से जारी किया गया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

३९—मजिस्ट्रेटयाजजकावारंटहवालगीजबगवाहजवाबदेनेसेइन्कारकरे ॥

(देखो दफ़ा ४८५--)

बनाम (नामऔर ओहदा अदालत के अहल्कार का)

हरगाह मुसम्मा (नाम और तफसील याने वल्दियत और क़ौमियत) बतौर गवाह तलब होकर आयाहै (या अदालत के रूबरू हाजिरकियागया है) और आज एकजुर्मक़रारदादह की तह- क़ीक़ातके वक्त उससे शहादत तलबकीगई-औरउसने किसीखास सवाल (या खास सवालात) के कियेजानेपर जो जुर्म क़रारदाद मजकूर से मुतअल्लिक़ थे और जो हस्ब जाबितह क़लम्बन्द

कियेगये खिलाफ़जह जायज अपने इन्कारके उनके जवाब देने से इन्कार किया--और उस अहानतकी पादाशमें उसके लिये सजाय हवालात मीआदी——रोज (मीआदहवालात तजवीज शुदह) तजवीज कीगई है॥

लिहाज़ा तुमको इजाजत और हुक्म दियाजाताहै—कि मुसम्मा——मजकूरको अपनी हिरासतमेंलो--और अरसा——रोजतक उसको हवालातमें हिफ़ाजतसे रक्खो—इल्ला उससूरतमें कि वह इस अरसेमें इजहार लिखाने या सवालात मुस्तफ़्सिरा के जवाब देनेपर राजीहो-और मिआद मजकूर के आखिर रोज या बफ़ौरमालूम होजाने उसकी ऐसी रजामन्दीके इस अदालतके रूबरूकानून के मुताबिक़ सलूक कियेजाने के लिये उसको हाजिरकरो— और इसवारण्टको इसकीजोहरपर इसअम्रकी तसदीक लिखकरकि इसकी तामील क्योंकर हुई वापिसकरो॥

आजबतारीख——माह——सन——हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारीहुआ॥

(मोहर) (दस्तखत)

४०—वारंट बैइल्लतहसूरत अदम अदाय नान व नफ़क़ा॥

(देखो दफ़ा ४८८--)

बनाम सुपुरिंटेंडंट (या मुहाफ़िज)जेलखाना मुक़ाम——

हरगाह हमारे रूबरू साबितहुआहै कि मुसम्मा(नामऔरतफ़्सील

याने वल्दियत क़ौमियत और सकूनत)इसक़दर सरमायाकाफ़ी

रखताहै कि अपनी जौजा (नाम) या अपने तिफ़्ल (नाम) की

और अदालत की मोहरसे जह लिखीजायगी) खुद अपनीमुआश पैदा

(मोहर) किरसक्ताहै परवरिशकरे--और यह कि उन

३८—वारं [illegible] ने तसाहुल या उससे इन्कार किया है

अहानत अद [illegible] सादिरहुआ है कि मुसम्मा——

(दे [illegible] (या तिफ़्ल) को-रुपया माहवारी बतौर

बनाम सुपुरिंटेंडंट (या [illegible]-औरयहभी सुबूतको पहुंचाहै किमुसम्मा-

हरगाह अदालत के इजलास [illegible] बिलअमद करके मुबलिग——कि

वही तादादनानवनफ्का बाबत——माह (या माहहाय)——केअब वाजिबुलअदाहै अदानहींकिया-और बरतबक़इसके उसकीनिस्बतहुक्महुआ कि वह जेलखाने मजकूर में मीआद——केलियेक़ैद महज (या सख्त) काटे॥

लिहाजा आप सुपुरिंटंडंट (या मुहाफिज) जेलखाना——को इजाजत और हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मा ——मजकूरको जेलखाने मजकूरके अन्दर अपनी हिरासत में मय इसवारंट के लीजिये-और वहां हुक्म मजकूरकी तामील मुताबिक कानून के कीजिये-और इसवारण्टको उसकी जोहरपर इसअम्रकी तसदीक लिखकर कि उसकी तामील क्योंकरहुई वापिस कीजिये॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी किया गया॥

(मोहर)   (दस्तखत)

४१-वारंट वास्ते जबरन् अदाकराने नानवनफ्का बजरिये कुर्की और नीलामके॥

(देखो दफा ४८८--)

बनाम (नाम और ओहदा अहलकार पुलिस या और शख्सका जिसको वारंटकी तामील सिपुर्दकीजाय)॥

हरगाह हुक्म हस्ब ज़ाबिते सादिरहुआ है कि मुसम्मे—— मज़कूर अपनी ज़ौजा (या तिफ्ल) को बक़दर——रुपया माहवारी बतौर नानवनफ्काके अदाकरे--और यह कि मुसम्मा--(मज़कूरने उस हुक्मसे अमदन् इन्हराफ़ करकेमुबलिग़——किवहतादाद नानवनफ्का बाबत माह (या माह हाय)——के अबवाजिबुल् अदाहै अदानहीं किया॥

लिहाज़ा तुमको अख्तियारदियाजाता है और हुक्म होताहै-कि मुसम्मे——मज़कूरकी जायदादमन्कूला को जो ज़िले——के अंदर दस्तियाबहो बज़रिये क़ब्ज़ा करनेके कुर्ककरो——और अगर क़ुर्की मजकूरके बाद है——(यहांतादाद रोजों या घंटों की लिखी जायेगी)रोजकेअंदर (या फ़ौरन्) मुबलिग़ मजकूर अदानकिया

जाय माल मन्कूला कुर्कशुदह या उसके उसक़दर जुज्वको नी लाम करो जो वास्ते वेबाकी मुबलिग़ मजकूर के काफ़ी हो—और इस वारंटको उसकी जोहरपर इसअम्रकी तसदीक लिखकर कि तुमने बतबय्यत इसके क्या कारखाईकी है बफ़ौर तामील होजाने वारंट के वापिस भेजो॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और मोहर अदालतसे जारी कियागया॥

(मोहर) (दस्तखत)

४२—मुचल्का और जमानतनामा वक्त तहक़ीक़ात इब्तिदाई रूबरूय मजिस्ट्रेट॥

(देखो दफ़आत ४६६-व ४९६-)

मैं मुसम्मे——साकिन मुक़ाम——कि जुर्म——में माखूज़ होकर रूबरू साहबमजिस्ट्रेट मुकाम——के (जैसीसूरतहो) हाजिर आयाहूं और मुझसे जमानत वास्ते हाजिर होने बीच अदालत मजिस्ट्रेट और अदालत सिशनके अगर जरूरतहो तलबहुई है-- इसतहरीरकी रूसे इकरार करताहूं--कि तहक़ीकात इब्तिदाई के हरदिनको जो उस जुर्मकी बाबत अमलमें आये मजिस्ट्रेट मजकूर की अदालतमेंहाजिरहूंगा औरअगर वहमुकद्दमा तजवीजकेलिये अदालत सिशनमें सिपुर्द किया जाय तो अदालत मजकूर मेंभी वास्ते जवाबदिही इल्जामके जो मुझ पर लगाया गयाहै मौजूद और हाजिरहूंगा-अगर हाजिर होनेमें कुसूर करूं तो मुबलिग—— रुपया बतौर तावान मलकामुअज्जिमा कैसरहिन्दको अदाकरूं॥

मवर्रखे—माह—सन १८ ई०॥

(दस्तखत)

मैं इसतहरीर की रूस इकरार करता हूं (या हम मुन्फ़रदन् व मुश्तरकन् अपनी अपनी तरफ़से इकरार करते हैं) कि मैं या हम मुसम्मे—की तरफ़ से ज़ामिन इसबात काहूं या इसबातके हैं कि उस तहकीकात इब्तिदाईके हररोज जो नाम्बुरदहपर इल्जाम क़रारदाद हकी बाबत अमलमेंआये मुसम्मे—मजकूरअदालत——में हाजिर

होगा—और अगर वह मुकद्दमा तजवीजके लिये अदालत सिशन में सिपुर्दहोजाय तो मुसम्मे—मजकूर अदालत सिशनमें भी वास्ते जवाबदिही जुर्मकरारदादहके मौजूद और हाजिरहोगा-और अगर वह हाजिर होने में कुसूर करे तो मुबलिग—बतौर तावान मलकामुअज्जिमा कैसरहिन्दको अदाकरूं—याकरें॥

मवर्रुखै— माह—सन् १८ ई०

(दस्तखत)

४३—वारंट वास्ते रिहाई किसी शख्सके जो बकुसूर अदम अदखाल जमानतके कैद हुआहो ॥

(देखो दफा ५००—)

बनाम—सुपरिंटेंडेंट(या मुहाफिज)जेलखानामुकाम—या(बनामदीगर अहल्कारके जिसकी हिरासतमें वहशख्सहो)॥

हरगाह इस अदालतके वारंट मवर्रुखै—माह—केबमूजिबमुसम्मा (नाम और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत कैदी)तुम्हारी हिरासतमें सिपुर्द कियागयाथा-और उसने बादहू बशमूल अपने जामिन (या जामिनों)के मुचल्का बमूजिब दफा ४९९—मजमूये जाबिते फौजदारी हस्ब जाबिते लिखदिया है ॥

लिहाजा तुमको अख्तियार और हुक्म दियाजाताहै-कि फौरन् मुसम्मे—मजकूरको अपनी हिरासतसे रिहाकरो-इल्ला उससूरतमें कि वह किसी और वजहसे हिरासतमें रक्खे जानेके लायकहो ॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी किया गया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

४४—वारंटकुर्की बेहत वसूल तावान मुचल्का ॥

(देखो दफा ५१४—)

बनाम अफसर पुलिस स्टेशन मोहतमिम मुकाम—

हरगाह मुसम्मा (यहां नाम और तफ्सील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत चाहिये) अपने मुचल्केके मुताबिक बवक्त—(यहांवक्त लिखाजायगा)हाजिरनहींहुआ है- और ऐसेकुसूरसे मु

बलिग (जरतावान मुन्दरजै मुचल्का) मलकामुअज्जिमा कैसर हिन्दके हुजूर अदा करनेका जिम्मेदार होगया है॥

और हरगाह मुसम्मे-मजकूरको इत्तिलाअबाजाबिता दीगईथी मगर बावजूद इसकेनाम्बुरदाने मुबलिग मजकूर अदा नहींकिया है-और न इसकी कोई वजह काफी जाहिर कीहै कि उससे जरमजकूर जबरन्क्योंवसूल न कियाजाय॥

लिहाजा तुमको अख्तियार और हुक्म दियाजाताहै-कि जिस कदर मालमन्कूला ममलूका मुसम्मे—मजकूर जिले-के अन्दर मिले उसको बजरिये कब्जेमें लाने और रोक रखनेके कुर्क करो-और अगर तावानमजकूर ३--तीन रोजके अन्दर अदा न किया जाय तो माल मकरूका मजकूर को या उसका उसकदर जुज्व जो बगरज वसूल तादाद मजकूरके काफी हो नीलामकरो-और बफौर तामील होजाने वारएट के कैफियत इसबातकी लिखभेजो कि वारएटकी तामील क्योंकर हुई॥

आज बतारीख—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहर से जारी किया गया॥

(मोहर) (दस्तखत)

४७—इत्तिलाअनामा बनाम जामिन वक्त अदूल शर्त मुचल्का हाजिर जामिनी॥

(देखो दफा ५१४-)

बनाम— साकिन—

हरगाह तारीख —माह— १८ ई० को तुम मुसम्मे—— साकिन—की तरफसे वदीं इकरार जामिन हुयेथे कि मुसम्मे —मजकूर तारीख—-को इस अदालतमें हाजिर होगा-और यह कि अगर वह हाजिर न हो तो तुम मुबलिग —बतौर तावान मलकामुअज्जिमाकैसर हिन्दके हुजूर अदाकरोगे-और हरगाह मुसम्मा—मजकूर अदालत हाजामें हाजिर नहीं हुआ है और उसकी गैरहाजिरीके बाअस तावान तादादी—तुम्हारे जिम्मे वाजिबुलअदा होगया है॥

लिहाजातुमको हुक्महोताहै--कि तावान मजकूर अदाकरदो--या तारीख इमरोजासे——रोजके अंदर इसबातकी वजह जाहिर करो कि जरमजकूरह तुमसे क्यों जबरन् वसूल न कियाजाय ॥

आज बतारीख——माह——सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

४६—इत्तिलाअनामा बनाम जामिनमुशअर वाजिबुल्अदा होजाने तावान मुचलका नेकचलनीके ॥

(देखो दफा ५१४--)

बनाम—— साकिन——

हरगाह तारीख——माह——सन् १८ ई० को तुम मुसम्मा——साकिन—की तरफ़से इस इकरारके साथ जामिन हुये थे कि नाम्बुरदा मीआद--तक नेकचलन रहेगा--और अपनेतईं पाबन्द कियाथा कि अगर मुसम्मे--इसके खिलाफ़ अमल करेगा तो तुम मुबलिग——बतौर तावान मलका मुअज्जिमा कैसरहिंदको अदा करोगे--और हरगाह मुसम्मे——मजकूर के जिम्मे इर्तिकाब जुर्म (यहां मुख्तसिर बयान जुर्मका लिखा जायेगा) साबित हुआ है-और वहजुर्म तुम्हारे जामिन होनेकेबाद वकूअ में आया है-और इस वजह से तुम्हारे जमानतनामे का तावान वाजिबुल् अल्ज होगयाहै ॥

पस तुमको हुक्मदिया जाता है--कि तावान तादादी ——रुपया अदाकरदो--या अरसा——रोज में इसबातकीवजह जाहिर करो कि मुबलिग मजकूर क्यों न अदाकियाजाय ॥

आज बतारीख——माह—— सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालत की मोहरसे जारी किया गया ॥

(दस्तखत)

(मोहर)

४७—वारंट कुर्की बनाम जामिन

(देखो दफा ५१४-)

बनाम——साकिन—

हरगाह मुसम्मा (नाम और तफसील याने वल्दियतवक़ौमियत और सकूनत) ज़ामिनवास्ते हाज़िरी (यहांशरायतज़मानत नामेकी लिखीजायेंगी) के हुआ है और मुसम्मा—मज़कूर ने ज़मानतनामेकी तामीलमें कुसूर कियाहै- और उस वजहसेमुत्र लिग़-(तावानमुन्दर्जै ज़मानत) मलकामुअज्जिमा क़ैसरहिन्द के हुजूर दाखिल करनेका जिम्मेदार होगयाहै ॥

लिहाज़ातुमकोअख्तियार और हुक्मदियाजाताहै--किमुसम्मे-मज़कूरकी जिसक़दर जायदाद मन्कूला ज़िला—के अन्दरतुमको दस्तियाबहो उसको बजरिये कब्ज़े में लाने और रोकरखने के कुर्क करो--और अगर वह३-तीन रोजके अन्दर अदानकीजायतो जायदाद मक़रूक़ा या उसका उसक़दरजुज्व जो तावानमज़कूरके वसूलकेलिये काफीहो नीलाम करदो--और बफौर तामीलहोजाने इस वारंटके इसबातकी कैफियत लिखो कि तुमने बतबैयतइसके क्याकार्रवाई की ॥

आजबतारीख-----माह-----सन १८ ई० हमारेदस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

४८—वारंट हवालगी ज़ामिनशख्स मुल्ज़िम का जोज़मानतदेकर रिहाहुआहो ॥

(देखो दफ़ा ५१४--)

बनाम सुपरिंटेंडेंट (यामुहाफिज़) जेलखाने दीवानी मुक़ाम--

हरगाह मुसम्मा (नाम और तफसील यानेवल्दियत व क़ौमयतज़ामिन) ज़ामिनवास्ते हाज़िरी (यहांज़मानतनामाकी शरायतलिखी जायेगी) केहुआहै--और मुसम्मे-----मज़कूरने खिलाफ शर्त्त ज़मानतनामेके अमलकियाहै-और उसवजहसेतावानमुन्दर्जै ज़मानतनामा मलकामुअज्ज़िमा क़ैसराहिन्द को वाजिबुल्अदा

होगयाहै—और हरगाहमुसम्मे (यहांजामिनकानामलिखाजाये-गा) मज़कूरने बाबस्फजारीहोने इत्तिलानामा बाज़ाबितहबनाम उसके मुबलिग़ मज़कूर अदानहीं कियाहै—और न वजह काफी इसबात की जाहिरकी है कि वह तादाद उससे जबरन् क्यों न वसूल कीजाय—और वह तादाद उसकी जायदाद मन्कूला की कुर्की व नीलामसे वसूल नहीं होसक्ती है—और इसवजह सेउसके नामहुक्महुआहै कि वहतामीआद (मीआदकीतसरीहकीजाय) जेलखाने दीवानी में क़ैदरक्खाजाय॥

लिहाजा आप सुपुरिंटेंडेंट (यामहाफिज) को इजाजत और हुक्मदिया जाताहै—कि इसवारंटके साथमुसम्मे को अपनी हिरासतमेंलायें—और उसको मीआद (यहांमीआदक़ैदलिखीजायेगी) मजकूरके लिये जेलखाने में हिफ़ाजतसे रक्खें और इस वारंटको बादलिखने तसदीक निस्बततरीक़े तामीलवारंटके वापिसभेजें॥

आज बतारीख़-माह-सन १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहर से जारी कियागया॥

(मोहर) (दस्तखत)

४६—इत्तिलानामा मुशअर वाजिबुलअख्ज होजाने तावान बनाम असलनवीसिंदा मुचलका हिफ़्ज़अमन ख़ुलायक़ के॥

(देखोदफ़ा ५१४--)

बनाम (नाम और तफसील याने वल्दियत व कौमियत और सकूनत)॥

हरगाह तारीख—माह--सन् १८ ई०को तुमने एक मुचल्का बवादे अदमइर्तिकाब अलख (इबारत मुताबिक मुचल्का) लिख दियाथा और सुबूत वाजिबुलअख्ज होनेका तावानके हमारेरूबरू गुजरकर हस्बजाबिते कलम्बंद किया गयाहै॥

लिहाजा तुमको हुक्म दिया जाताहै कि तावान तादादी--रुपया अदाकरदो या इसबातकी वजह आजसे—रोजके अन्दर जाहिर करो कि वह तादाद तुमसे जबरन् क्यों न वसूल कीजाय॥

मरकूमै———माह——— सन् १८ ई० ॥

(मोहर) (दस्तखत)

५० —वारंट बहुक्म कुर्की माल असल नवी सिंदासुचल्काहिफ्ज़ अमन खलायक दरसूरत अहद शिकनी ॥

(देखो दफ़ा ५१४)

बनाम (नाम और ओहदा अहल्कारपुलिस) पुलिसस्टेशन मुकाम —

हरगाह मुसम्मे (नाम और तफ्सील याने वल्दियत और कौमियत) ने तारीख— माह— सन् १८ ई० को मुचल्का बकैद तावान—रुपयेके इस इकरारकेसाथ लिखदियाथा कि वह कोई फेल दाखिल नुक्जअमन खलायक वगैरह न करेगा (जैसा मुचल्केमेंलिखाहो) और सुबूतवाजिबुल् अरुजहोजानेका तावान मुचल्का मजकूर के मेरे रूबरू गुजरकर हस्बजाबिता कलम्बंद हुआहै--और हरगाह इत्तिलाअनामा बनाम----मजकूर वास्ते जाहिर करने वजह इसअम्रके उसपर जारीहुआहै कि मुबलिग़ मज़कूर क्यों न अदाकियाजाय--इल्ला उसने ऐसी वजह जाहिरनहीं की और न मुबलिग़ मज़कूर अदाकिया है ॥

लिहाजा तुमकोइजाजत और हुक्म दियाजाताहै कि जो माल मन्कूलाअजां मुसम्मे----मज़कूरजिले-----के अंदर बकदरमालियत ----रुपयेके तुमको दस्तियाबहो उसको बजरिये कब्जेमें लाने के कुर्करक्खो--और अगर मुबलिग़ मजकूर मीआद---के अंदरअदा न कियाजाय तो जायदाद मकरूका या उसका उसक़दर जुज्वजो वास्ते वसूलकरने तावान मजकूरके काफी हो नीलाम करो--और बफौर तामील पाने इस वारंटके कैफियत इस बातकी लिखभेजो कि तुमने बइतबाअ वारण्ट के क्यातामीलकी ॥

आज बतारीख-----माह----सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तखत)

५१—वारंटक़ैददरसूरत ख़िलाफ़ वर्ज़ीशरायत
मुचल्काहिफ़्ज़ अमन ख़लायक़ ॥

(देखो दफ़ा ५१४-)

बनाम सुपरिंटेंडेंट (या मुहाफ़िज़) जेलख़ाना दीवानी मुक़ाम——

हरगाह सुबूत इसअम्रका हमारे रूबरू गुज़रकर हस्ब ज़ाबिते-क़लमबन्द हुआहै कि मुसम्मा (नामऔर तफ़सील याने वल्दि-यत वग़ैरह) ने उसमुचल्के की शरायतसे खिलाफ़ वर्ज़ी की है जिसमें उसने अमन ख़लायक़ के क़ायम रखने का वादा किया था और उस खिलाफ़वर्ज़ीके बाअस वह मलका मुअ-ज़्ज़िमा क़ैसरहिन्दके हुज़ूर मुबलिग़——रुपया बतौर तावानअदा करनेका मुस्तौजिब हुआहै--और हरगाह मुसम्मे——मज़कूरने मुबलिग़ मज़कूर अदा नहीं कियाहै और न इसबात की वजह ज़ाहिरकीहै कि ज़रमज़कूर क्योंनअदाकियाजाय गो उसको हस्ब ज़ाबिता ऐसा करनेकी हिदायत हुईथी और हरगाहउसकी जाय-दाद मन्क़ूला की क़ुर्क़ीके ज़रियेसे तावान मज़कूर वसूल नहीं हो सक्ताहै और मुसम्मे (नाम) मज़कूरको जेलख़ाने दीवानीमें अ-रसा (यहां मीआद क़ैदकी लिखी जायगी) के वास्ते क़ैदरखने का हुक्म सादिर हुआहै ॥

लिहाजा आप सुपरिंटेंडेंट (या मुहाफ़िज) जेलख़ाने दीवानी को अख्तियार दियाजाताहै--और हुक्महोताहै—कि मुसम्मे——मज़कूरको साथ इसवारंटके अपनी हिरासतमें लायें और अरसा (यहां मीआद क़ैदलिखीजायेगी) मज़कूरतक उसको जेलख़ानेमें ज़रूरमेंहिफ़ाजतसे रक्खें-और इसवारण्टकोउसकी जोहरपरइसअ-म्रकी तसदीकलिखकर कि उसकीतामील क्योंकरहुई वापसभेजें ॥

आज बतारीख़——माह—सन्१८ ई० हमारे दस्तख़त और अदालत की मोहर से जारी कियागया ॥

(दस्तख़त)

(मोहर)

५२—वारंटकुर्की व नीलाम जब तावान मुचल्का नेकचलनी काबिल जब्ती होजाय ॥

(देखो दफ़ा ५१४--)

बनाम अहल्कार पुलिस मोहतमिम पुलिस स्टेशन मुक़ाम—

हरगाह मुसम्मे (-नाम और तफ़सील याने वल्दियतव क़ौमियत व सकूनत) ने तारीख़—माह—सन् १८ ई० को ज़मानतनामा बक़ैद मुचलिग़—के बवादे नेकचलनरहने (नाम वग़ैरह असल फ़रीक़) केलिखदियाथा और सुबूत इसका व जुर्मका मिन्जानिब--मज़कूरके हमारे रूबरू गुज़रकर हस्ब ज़ाबिता क़लम्बन्दहुआहै--और उस वजहसे तादाद मुन्दर्जे ज़मानतनामा क़ाबिलज़ब्तीके होगईहै और हरगाह मुसम्मे-- मज़कूरके नाम इत्तिलाअनामा इस हुक्म से जारिहुआहै कि वह वजह इसबातकी ज़ाहिरकरे कि वह तावान क्यों न अदाकियाजाय——

औरउसने ऐसीवजह ज़ाहिर नहींकीऔर नजरमज़कूर अदाकिया लिहाजा तुमको अख्तियार और हुक्मदियाजाताहै किमाल मन्कूला ममलूका मुसम्मा-----मज़कूर को बक़दर मालियत------रुपयेकेजोज़िले—केअंदर दस्तियाबहो बज़रिये कब्जे में लाने केकुर्ककरो--और अगर वहतादाद अरसा——रोजकेअन्दर अदान कीजाय तोजायदाद मक़रूका या उस क़दर जुज्व उसका जो वास्ते वसूल ज़र तावानके काफ़ीहो नीलामकरो--औरबफौरतामीलइस वारंटके इस अम्रकीकैफ़ियतलिखभेजो कि तुमने बतबैयत वारंटके क्याअमलकिया ॥

आजबतारीख़-माह-सन् १८ ई० हमारेदस्तख़त और अदालत की मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तख़त)

५३—वारंटक़ैद जबतावानमुचलकानेकचलनी काबिलअख्ज़हो जाय ॥

(देखोदफ़ा ५१४--)

बनाम सुपरिंटेंडेंट (या मुहाफ़िज) जेलखानै दीवानीमुक़ाम—

हरगाह मुसम्मा (नाम औरतफ़्सील याने वल्दियत व क़ौमियत और सकूनत) ने तारीख़-माह-सन् १८ ई० को क़िते जमानतनामा बक़ैद—जर तावानके बवादे नेकचलनी मुसम्मे (नामवग़ैरह असल शख़्स) लिखदिया था और सुबूतइन्हराफ़शरायतजमानतनामा हमारे रूबरू गुजरकर हस्ब जाबिते कलम्बंद हुआहै-और उसवजहसे मुसम्मे—मज़कूर जरतावान तादादी—मलका मुअ़ज़्ज़िमाक़ैसरहिंदके हुजूर अदाकरने का मुस्तौजिबहो गयाहै-और हरगाह मुसम्मे—मज़कूरने मुबलिग़मज़कूर अदानहीं किया-और नवजह इसबातकी कि वह मुबलिग़ क्यों न अदाकिया जायजाहिरकी गो उसको ऐसाकरनेका हस्बज़ाबिता हुक्म हुआथा और हरगाह तावान मज़कूर उसकी जायदादमन्कूलाकी क़ुर्क़ीसे वसूल नहीं होसक्ताहै और हुक्म वास्ते क़ैदरक्खे जाने मुसम्मे-मज़कूरके जेलख़ाने दीवानीमें वास्ते (अरसा) यहांमीआद क़ैद की लिखी जायेगी) सादिर हुआहै ॥

लिहाज़ा आप सुपुरिंटेंडेंट (या मुहाफ़िज) को अख़्तियार दियाजाताहै और हुक्महोता है कि मुसम्मे-मज़कूरको मै इसवारंटके अपनी हिरासतमें लायें-और मीआद मज़कूर तक (यहां मीआद क़ैद लिखीजायेगी) उसको जेलख़ानेके अन्दर हिफ़ाजतसे रक्खें-और इसवारंटको उसकीज़ोहरपर यह तसदीकलिखकर किवारंट की तामील क्योंकर हुई वापिस भेजें ॥

आज बतारीख़—माह—सन् १८ ई० हमारे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे जारी कियागया ॥

(मोहर) (दस्तख़त)

आर.जे.क्रास्थवेट

क़ायममुक़ामसेक्रेटरीगवर्नमेंएटहिन्द